वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

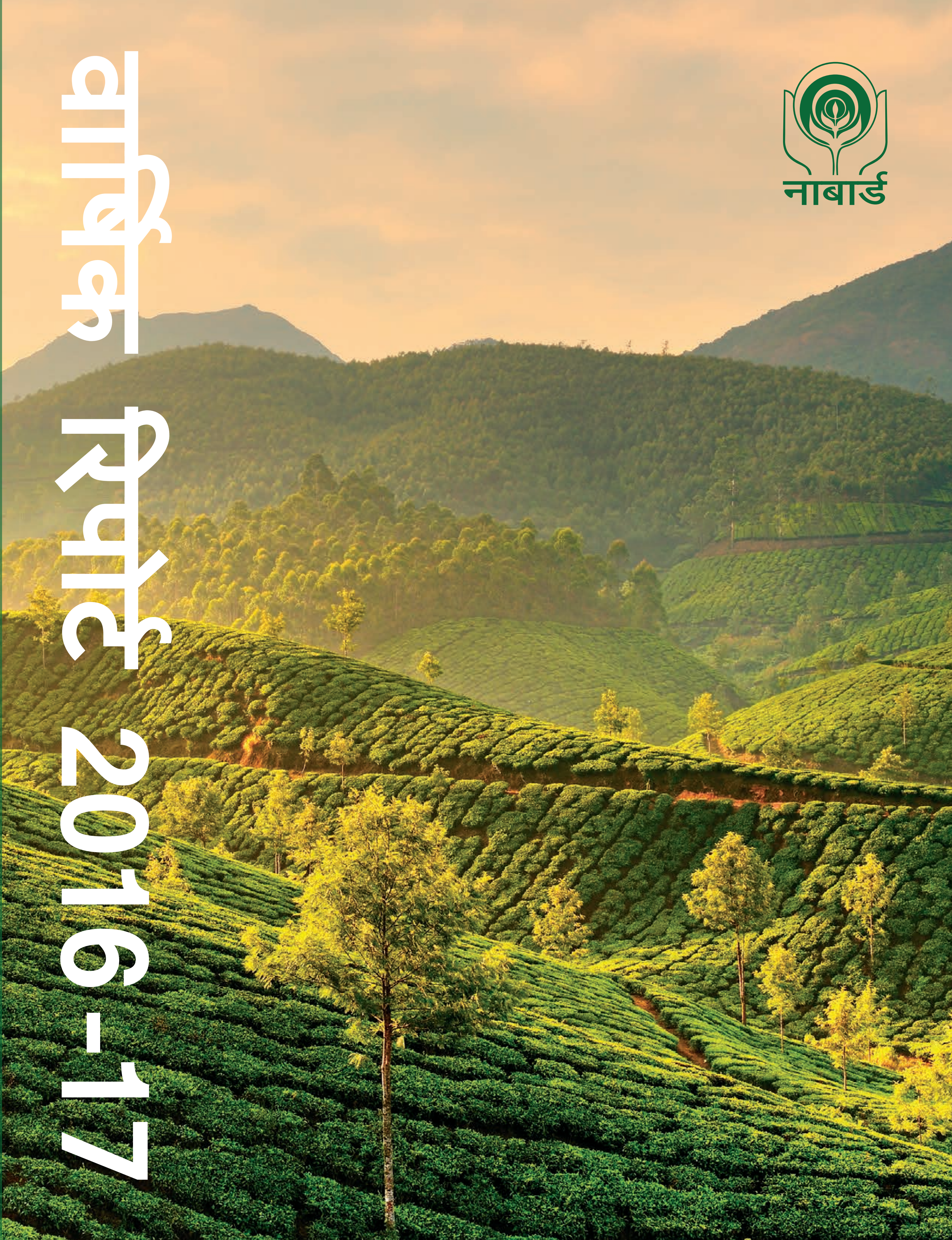

नाबार्ड

वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

नाबार्ड

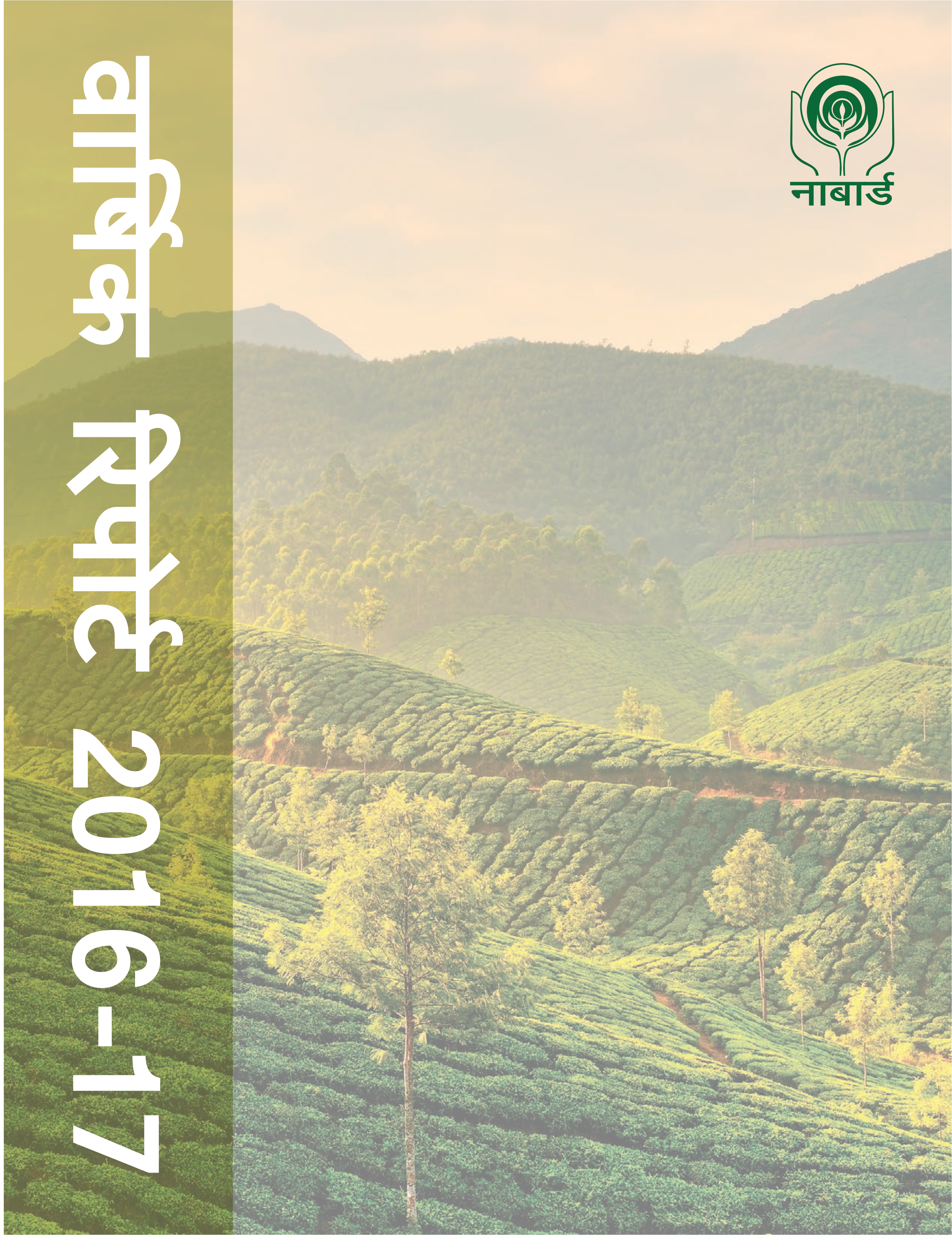

प्रेषण पत्र

नाबार्ड
प्लॉट: सी-24/`जी`
बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स
पोस्ट बॉक्स: 8121, बान्द्रा (पूर्व)
मुंबई - 400 051

अध्यक्ष

संदर्भ. सं.राबैं.सचिव/ 244 /एआर-1/2017-18 12 जून 2017

सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
नई दिल्ली - 110 001

गवर्नर
भारतीय रिज़र्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001

प्रिय महोदय / महोदया

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 48(5) के उपबंधों के अनुसरण में इस पत्र के साथ, मैं निम्नलिखित दस्तावेज भेज रहा हूँ :

i. 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय बैंक के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की एक प्रति और

ii. 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बैंक के कामकाज पर निदेशक मंडल की वार्षिक रिपोर्ट की दो प्रतियां.

भवदीय

हर्ष कुमार भनवाला

हर्ष कुमार भनवाला

फोटो क्रेडिट: नाबार्ड; www.shutterstock.com
नाबार्ड के लिए कस्टम पब्लिशिंग: स्पेण्टा मल्टिमीडिया
नाबार्ड के लिए मुद्रण और निर्माण: अल्को कार्पोरेशन

निदेशक मंडल

31 मार्च 2017 की स्थिति में

श्री हर्ष कुमार भनवाला
अध्यक्ष

नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 6 (1) (क) के अंतर्गत नियुक्त अध्यक्ष

डॉ. सत्यनारायण दाश

डॉ. अनूप कुमार दाश

नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 6 (1) (ख) के अंतर्गत नियुक्त निदेशक

श्री आर. गांधी

डॉ. अशोक गुलाटी

डॉ. नचिकेत मोर

नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 6 (1) (ग) के अंतर्गत नियुक्त निदेशक

श्री सूचीन्द्र मिश्रा

श्री एस. के. पट्टनायक

श्री अमरजीत सिन्हा

नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 6 (1) (घ) के अंतर्गत नियुक्त निदेशक

श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता

श्री पी. सी. मीणा

श्रीमती पूजा सिंघल

श्री सी. पार्थसारथी

नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 6 (1) (ङ) के अंतर्गत नियुक्त निदेशक

श्री एच. आर. दवे
उप प्रबंध निदेशक

श्री आर. अमलोरपवनाथन
उप प्रबंध निदेशक

नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 6 (3) के अंतर्गत नियुक्त निदेशक

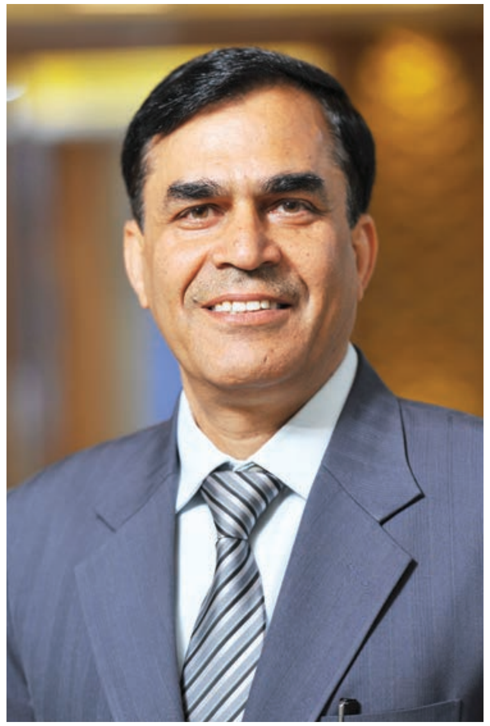

अध्यक्ष की कलम से....

भारत सरकार और नाबार्ड ने कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूपांतरण को उच्च प्राथमिकता दी है. इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार की "2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने" की परिवर्तनकारी अवधारणा की परिकल्पना की गई. कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए भारत सरकार की प्रमुख रणनीति प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के माध्यम से जल के दक्षतापूर्ण उपयोग पर बल देते हुए अधिकाधिक क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र के दायरे में लाना है. इसी क्रम में, भारत सरकार ने 2016-17 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत चयनित परियोजनाओं के लिए केंद्र और राज्य के हिस्से के निधीयन के लिए नाबार्ड में ₹20,000 करोड़ की प्रारंभिक समूह निधि के साथ दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ) सृजित की है. निधि के परिचालन के पहले वर्ष में नाबार्ड ने ₹49,890 करोड़ के ऋण के साथ 82 सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है.

कृषि उत्पादकता और कृषीतर क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि की दृष्टि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण का अत्यधिक महत्व है. इस संदर्भ में, निवेश ऋण के अंतर्गत 2016-17 में नाबार्ड के पुनर्वित्त संवितरण के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर ₹53,506 करोड़ तक पहुंचने के परिणामस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सतत विकास में सहयोग मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा, सतत कृषि विकास के लिए ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं का निर्माण उत्प्रेरक का काम करता है और राज्य सरकारों के लिए ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) निधि पोषण का प्रमुख स्रोत बनी हुई है. 2016-17 में आरआईडीएफ XXII के अंतर्गत ₹27,148 करोड़ की राशि मंजूर की गई जिसमें सिंचाई और कृषि क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक 43 प्रतिशत है जिसके बाद सड़कों और पुलों का हिस्सा 34 प्रतिशत है.

जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा हासिल करने, गरीबी उन्मूलन करने और सतत विकास सुनिश्चित करने की हमारी क्षमता के मार्ग में बाधक है. नाबार्ड ने दो अंतरराष्ट्रीय और एक घरेलू निधीयन तंत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यान्वयनकर्ता निकाय (एनआईई) के रूप में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए अनेक साध्य परियोजनाओं का निर्माण कर ग्रामीण आजीविका को जलवायु परिवर्तन के अनुरूप ढालने और जलवायु स्मार्ट कृषि के संवर्धन के लिए निधियों की व्यवस्था की है.

कृषि के विकास और निरंतरता के लिए उपयुक्त रणनीतियों में कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से सक्षम मूल्य शृंखला का निर्माण भी महत्व रखता है. इस संदर्भ में, नाबार्ड ने भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्पादक संगठन विकास और पुनरुत्थान समूह निधि (प्रोड्यूस) के अंतर्गत 2,157 कृषक उत्पादक संगठनों के सफल संवर्धन में सहयोग दिया है.

देश के समावेशी विकास में वित्तीय समावेशन के अत्यधिक महत्व को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड वित्तीय समावेशन निधि के माध्यम से वित्तीय समावेशन की विविध नवोन्मेषी पहलों के लिए सहयोग देता रहा है. नाबार्ड ने मार्च 2017 के अंत तक 78 लाख से अधिक ईएमवी चिप आधारित रुपे किसान कार्डों की खरीद के लिए जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सहायता दी. इसके साथ ही नाबार्ड ने डिजिटल लेन-देन की मांग सृजित करने के लिए डिजिटल वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रमों (डीफ्लैप) और एक लाख गांवों में दो लाख प्वॉइंट ऑफ सेल (पॉस) स्थापित करने के लिए भी सहायता दी है. स्वयं सहायता समूहों के डिजिटाइजेशन के लिए नाबार्ड की ई-शक्ति परियोजना में अब देश भर के 24 जिले शामिल हैं.

ग्रामीण कारीगरों को सामूहिक व्यवसाय गतिविधियां चलाने लिए एक मजबूत मंच प्रदान करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि कृषीतर उत्पादक संगठन (ओएफपीओ) बनाए जाएं ताकि हथकरघा, हस्तशिल्प जैसी कृषीतर क्षेत्र गतिविधियों के सामूहिकीकरण में सहयोग दिया जा सके.

राज्य सरकारों द्वारा एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन और भूमि पट्टाकरण कानूनों के अधिनियमन के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा परिकल्पित ग्रामीण क्षेत्र सुधारों के परिणामस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था का वैसा रूपांतरण संभव होगा जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता है. मुझे पूरा भरोसा है कि समावेशी और सतत ग्रामीण विकास के हमारे संकल्पित उद्देश्य को प्राप्त करने के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए रूपांतरण की इस प्रक्रिया में नाबार्ड और बड़ी भूमिका निभाएगा.

हर्ष कुमार भनवाला

विषय-सूची

नाबार्ड एक झलक 14
प्रमुख आंकड़े 15
प्रमुख अधिकारीगण 18
प्रमुख अधिकारीगण/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नाबार्ड की सहायक संस्थाएं/ बर्ड 19
प्रभारी अधिकारी 20

वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

1. गत वर्ष पर एक दृष्टि एवं कृषि 23
 1.1 भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति: 2016-17 23
 1.2 वैश्विक दृष्टिकोण 25
 1.3 समष्टिगत अर्थव्यवस्था की चुनौतियां 25
 1.4 भारत में कृषि परिदृश्य - 2016-17: आकलन 28
 1.5 ग्रामीण विकास 40

2. नाबार्ड की जलवायु स्मार्ट कृषि के संवर्धन में भूमिका 43
 2.1 जलवायु स्मार्ट कृषि - भावी मार्ग 43
 2.2 जलवायु परिवर्तन का स्वरूप और इसके प्रभाव 43
 2.3 शमन और अनुकूलन उपाय - संभावित समाधान 45
 2.4 जलवायु स्मार्ट कृषि (सीएसए) - एक नया दृष्टिकोण 46
 2.5 नाबार्ड और जलवायु परिवर्तन के नवाचार 49
 2.6 नाबार्ड और जलवायु स्मार्ट कृषि 49
 2.7 जलवायु स्मार्ट कृषि के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अनुभव - कुछ उदाहरण 50
 2.8 अनुकूलन निधि के तहत जलवायु स्मार्ट उपायों का विवरण 51
 2.9 राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (एनएएफसीसी) के अंतर्गत जलवायु स्मार्ट उपायों का विवरण 52

3. ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को सहायता 55
 3.1 अल्पावधि ऋण 55
 3.2 दीर्घावधि ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त सहायता 58
 3.3 अल्पावधि बहु-प्रयोजन ऋण के लिए प्रत्यक्ष ऋण 62
 3.4 फेडरेशनों को ऋण सुविधा (सीएफएफ) 62
 3.5 पैक्स का विकास बहु-सेवा केन्द्रों के रूप में विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता 63
 3.6 भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं 63
 3.7 ग्रामीण वित्तीय संस्थाएं - स्थिति और इनके सुदृढ़ीकरण के प्रयास 66
 3.8 ग्रामीण वित्तीय संस्थानों का पर्यवेक्षण 75
 3.9 ऋण योजना कार्य 78

4. सतत ग्रामीण समृद्धि के लिए समावेशी विकास 79
 4.1 जलवायु परिवर्तन की दिशा में नाबार्ड का योगदान 79
 4.2 कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि (एफएसपीएफ) - नीतिगत पहलें 82
 4.3 उत्पादक संगठनों को सहायता 83
 4.4 वाटरशेड विकास कार्यक्रम 84
 4.5 आदिवासी विकास निधि 86
 4.6 आदिवासी विकास कार्यक्रम 87
 4.7 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम 90
 4.8 सूक्ष्म वित्त प्रयासों को बड़े पैमाने पर करना 90
 4.9 बृहत्तर वित्तीय समावेशन की ओर 95
 4.10 कृषीतर क्षेत्र 98
 4.11 अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन 100
 4.12 परामर्श सेवाएं देना: नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेस 104

5. ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं का वित्तपोषण 105
 5.1 ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि - प्रारंभ एवं व्याप्ति 105
 5.2 आरआईडीएफ परिचालन 106
 5.3 आरआईडीएफ XXII 108
 5.4 आरआईडीएफ के अंतर्गत संवितरण (ट्रांच I से XXII) 110
 5.5 आर्थिक और सामाजिक लाभ 110
 5.6 आरआईडीएफ प्रभाव मूल्यांकन 111
 5.7 आरआईडीएफ परियोजनाओं का अनुप्रवर्तन 113
 5.8 2016-17 के दौरान प्रक्रिया में सुधार 114
 5.9 दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ) 114
 5.10 नाबार्ड आरधारभूत सुविधा विकास सहायता 116
 5.11 भंडारागार आधारभूत सुविधा निधि 117
 5.12 खाद्य प्रसंस्करण निधि 119

6. संगठन और नवाचार 121
 6.1 प्रबंधन 121
 6.2 मानव संसाधन विकास नवाचार 122
 6.3 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 और शिकायतों का निवारण 125
 6.4 सतर्कता सुग्राहीकरण 125
 6.5 सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नवाचार 126
 6.6 कार्पोरेट संचार 126
 6.7 संसदीय समितियों का दौरा 128
 6.8 राजभाषा का प्रसार 129

7. संसाधन प्रबंधन और वित्तीय निष्पादन 131
 7.1 निधियों के स्रोत 132
 7.2 निधियों के उपयोग 134
 7.3 आय और व्यय 136
 7.4 पूंजी पर्याप्तता 138
 7.5 निरीक्षण और संगामी लेखापरीक्षा 138
 7.6 जोखिम प्रबंधन 138
 7.7 नाबार्ड की सहायक संस्थाएं 139
 7.8 नाबार्ड के कौशलपूर्ण निवेश 140
 7.9 उद्यम पूंजी निधियों में निवेश 140

वार्षिक लेखे 2016-17

नाबार्ड का तुलन पत्र, लाभ हानि खाता और नकदी प्रवाह 2016-17
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 146
तुलन पत्र 148
अनुसूची 18: 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और टिप्पणियां 164
नकदी प्रवाह 186

नाबार्ड और सहायक संस्थाओं (नैबकान्स, नैबकिसान, एबीएफएल, नैबफिन्स) का समेकित तुलन पत्र, लाभ हानि खाता और नकदी प्रवाह 2016-17
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 188
समेकित तुलन पत्र 190
अनुसूची 18: 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और टिप्पणियां 203
समेकित नकदी प्रवाह 215

नाबार्ड प्रधान कार्यालय, मुंबई के विभागों के ई-मेल पते 217
क्षेत्रीय कार्यालय/कक्ष/प्रशिक्षण संस्थान 218
संक्षेपाक्षर 221

तालिका

1.1 खाद्यान्न उत्पादन (एमटी) 29
1.2 कृषि और अनुषंगी क्षेत्र में सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) एवं सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) (2011-12 की स्थिर कीमतों पर) 32
1.3 कृषि और अनुषंगी क्षेत्र में पूंजी निवेश के लिए चयनित राज्यों का बजट अनुमान - 2016-17 32
1.4 सकल राज्य घरेलू उत्पाद - 10 प्रमुख राज्यों में कृषि 35
1.5 एजेंसी-वार आधार स्तरीय ऋण प्रवाह 36
1.6 कृषि क्षेत्र को आधार स्तरीय संवितरण 38
1.7 ग्रामीण विकास के लिए चयनित राज्यों के बजटीय व्यय का अनुमान - 2016-17 40

विषय-सूची

2.1 मौजूदा वित्तपोषण तंत्र के विवरण 49
2.2 स्वीकृत एनएफ़सीसी परियोजनाओं के जलवायु स्मार्ट कृषि उपाय 54

3.1 एजेंसी-वार पुनर्वित्त संवितरण 60
3.2 क्षेत्र-वार पुनर्वित्त संवितरण 61
3.3 प्रयोजन-वार पुनर्वित्त संवितरण 61
3.4 प्रत्यक्ष ऋण के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में राज्य-वार मंजूरियां और संवितरण 62
3.5 पैक्स का निष्पादन (कृषक सेवा समितियों (एफएसएस) और दीर्घाकार आदिवासी बहु-उद्देश्यीय समितियों (लैंप्स) सहित) 66
3.6 अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना की संवृद्धि 67
3.7 दीर्घकालीन सहकारी ऋण संरचना की संवृद्धि 67
3.8 सहकारी बैंकों के कार्य परिणाम 68
3.9 संचित हानियां 68
3.10 सहकारी बैंकों के समग्र एनपीए की बनावट 69
3.11 रास बैंक - सीआरएआर 69
3.12 जिमस बैंक - सीआरएआर 69
3.13 क्षेग्रा बैंकों के कार्यनिष्पादन संकेतक 73
3.14 क्षेग्रा बैंकों की वसूली स्तर के अनुसार राज्यों का आवृत्ति वितरण 74
3.15 31 मार्च 2017 तक नियोजित और किए गए निरीक्षण 75
3.16 पर्यवेक्षित बैंकों की स्थिति 77

4.1 अडाप्टेशन फंड द्वारा मंजूर परियोजनाएं 80
4.2 आईजीडब्ल्यूडीपी के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का पुनर्निर्माण 85
4.3 स्वयं सहायता समूह-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम की प्रगति 90
4.4 एफआईएफ के अंतर्गत मंजूरी और संवितरण 95
4.5 वर्ष 2016-17 के दौरान पीएमवाई के अंतर्गत क्षेग्रा बैंकों की उपलब्धि 100

5.1 आरआईडीएफ के अंतर्गत जमा और ऋण पर ब्याज दरें तथा वित्तपोषण की शर्तें 106
5.2 आरआईडीएफ XXII के अंतर्गत क्षेत्र-वार परियोजनाओं की संख्या और स्वीकृत राशियां 108
5.3 आरआईडीएफ के अंतर्गत क्षेत्र-वार संसाधन उपयोग (ट्रांच-I से XXII) 110
5.4 एलटीआईएफ के अंतर्गत केन्द्र के हिस्से के रूप में स्वीकृत की गई परियोजनाओं की राज्य-वार स्थिति 115
5.5 एलटीआईएफ के अंतर्गत राज्य के हिस्से के रूप में राज्य-वार स्वीकृत और जारी राशि 115
5.6 एलटीआईएफ के अंतर्गत स्वीकृति और संवितरण की समग्र स्थिति 116
5.7 प्रयोजन-वार संचयी नीडा ऋण 117
5.8 डब्ल्यूआईएफ के अंतर्गत ऋणों की स्वीकृति एवं संवितरण 118
5.9 डब्ल्यूआईएफ के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाएं तथा किए गए संवितरण 118

6.1 नाबार्ड के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति 122
6.2 31 मार्च 2017 को बैंक की स्टाफ स्थिति 122
6.3 वर्ष 2016-17 के दौरान बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान (बर्ड) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम 123
6.4 नाबार्ड को लीग ऑफ अमेरिकन कम्यूनिकेशन्स प्रोफेशनल्स (एलएसीपी) से प्राप्त पुरस्कार 127

7.1 निधियों के स्रोत (लेखापरीक्षित) 134
7.2 निधियों के उपयोग 136
7.3 उद्यम पूंजी निधियों में निवेश 141

प्रदर्श

1.1 स्थिर (2011-12) कीमतों (%) पर आधार कीमत पर जीवीए का क्षेत्र-वार हिस्सा 24
1.2 स्थिर (2011-12) कीमतों (%) पर आधार कीमत पर जीवीए का क्षेत्र-वार हिस्सा 24
1.3 सीपीआई मुद्रा स्फीति (%) सामान्य - वार्षिक औसत 25
1.4 सीपीआई मुद्रा स्फीति (%) सामान्य 26
1.5 उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रा स्फीति (%) 27
1.6 कृषि ऋण प्रवाह में एजेंसी-वार हिस्सा (%) 37
1.7 कृषि और अनुषंगी क्षेत्र में आधार-स्तरीय ऋण प्रवाह 37
1.8 कृषि और अनुषंगी गतिविधियों को आधार स्तरीय ऋण प्रवाह में मीयादी ऋण का हिस्सा (%) 38
1.9 कृषिजन्य जीडीपी में कृषि ऋण का हिस्सा (%) (वर्तमान कीमतों पर) 39

2.1 जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव 44
2.2 पशुधन क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव 44
2.3 अनुकूलन के पांच सिद्धांत 45
2.4 जलवायु स्मार्ट कृषि के तीन स्तंभ 48
2.5 राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु स्मार्ट कृषि कार्यान्वयन की संरचना 50

3.1 दीर्घावधि पुनर्वित्त वार्षिक संवितरण और वर्ष-दर- वर्ष वृद्धि (%) 60
3.2 निरीक्षण के दौरान ज्ञात प्रमुख पर्यवेक्षकीय चिंताएं 76
3.3 सीआरएआर रेंज के अनुसार बैंकों की संख्या 77

5.1 आरआईडीएफ ट्रांच-वार आबंटन 106
5.2 सिंचाई और ग्रामीण संपर्क परियोजनाएं - अनुमानित भौतिक संभाव्यता और ग्रामीण रोजगार का सृजन 111

6.1 अवार्ड श्रेणियाँ 127

7.1 31 मार्च को तुलन पत्र का आकार (₹ करोड़)) 131
7.2 सकल आय (₹ करोड़) 136
7.3 कर पश्चात् लाभ (₹ करोड़) 137
7.4 प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़) 137
7.5 प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़) 137
7.6 31 मार्च को पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) 138
7.7 सहायक संस्थाओं में निवेश (₹ करोड़) 139
7.8 नाबार्ड के कौशलपूर्ण निवेश (₹ करोड़) 140
7.9 उद्यम पूंजी निधियों में निवेश (₹ करोड़) 141

बॉक्स

1.1 केंद्रीय बजट 2017-18 में कृषि और किसान कल्याण 29
1.2 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने पर राष्ट्रीय सेमिनार 31
1.3 कुछ राज्यों में कृषि संबंधी रणनीतियां 33
1.4 सौर सिंचाई - किसानों के लिए एक नई नकदी फसल 35
1.5 2016-17 के दौरान कार्यान्वित प्रमुख कृषि और ग्रामीण विकास योजनाएं - राज्य सरकार योजनाएं 41

2.1 एफएओ के जलवायु स्मार्ट कृषि के संबंध में प्रमुख संदेश 47
2.2 कुछ जलवायु स्मार्ट कृषि पद्धतियां 49

3.1 योजना के तहत प्रगति 70
3.2 07 जिमस बैंकों का झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि. के साथ समामेलन 71

4.1 माइक्रो एंटरप्राइज़ डेवेलपमेंट प्रोग्राम - अ बीकन फॉर स्टैंड अप इंडिया - सफलता की कहानियां 93
4.2 डिजिटल वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम (डीएफएलएपी) 97
4.3 टीयर 5 और 6 केन्द्रों में पॉस टर्मिनल 97
4.4 प्रायोजित अनुसंधान - निष्कर्ष 103

5.1 किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिंचाई आधारभूत सुविधाएं 112
5.2 जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और शमन के लिए आरआईडीएफ से सहायता 113
5.3 सूक्ष्म सिंचाई निधि 116
5.4 नियंत्रित वातावरण कोल्ड स्टोरेज 118
5.5 नाबार्ड की पहल - फूड पार्क 119

शोकेस

4.1 गोविंद तेरोन, जिला कामरूप, असम 87
4.2 पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले का रामलाल मंडी 88
4.3 प्रिया और चिन्नैस्वामी गोपेनारी, तमिलनाडु 89

5.1 आरआईडीएफ XXII : पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए अधिक समतामूलक आरआईडीएफ आबंटन 107
5.2 मध्य प्रदेश - मोहनपुरा प्रमुख बहुउद्देश्यीय परियोजना (एमएमजेपी) 108
5.3 तेलंगाणा - “मिशन भगीरथ” 109

नाबार्ड - एक झलक

(31 मार्च की स्थिति)
निधियों के स्रोत

(राशि ₹ करोड़)

निधियों के स्रोत	2017	2016	निवल उपचय	निधियों के उपयोग	2017	2016	निवल उपयोग
पूंजी	6,700	5,300	1,400	नकद एवं बैंक में जमा राशियां	11,612	16,056	-4,444
				संपार्श्विकृत उधार और ऋण वितरण	1,349	2,492	-1,143
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	24,771	22,126	2,645				
				निवेशः			
राग्रा ऋण (दीप) निधि	14,489	14,487	2	क) भारत सरकार की प्रतिभूतियां	8,944	4,796	4,148
				ख) एडीएफसी इक्विटी	175	175	0
राग्रा ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1,589	1,587	2	ग) एएफसी इक्विटी	1	1	0
				घ) सिडबी इक्विटी	48	48	0
जमा राशियां (चाय/रबर/कॉफी)	219	266	-47	ड़) एआईसीएल लिमिटेड	60	60	0
				च) एनसीडेक्स लि. यूसीक्स और एमसीक्स लि.	33	34	-1
बॉण्ड और डिबेंचर	50,537	39,123	11,414	छ) नैबकांस	5	5	0
				ज) सीएससी ई - गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लि. (इक्विटी)	10	10	0
भारत सरकार से उधार	0	12	-12	झ) वेंचर फंड	168	146	22
जेएनएन सोलर मिशन से उधार	15	15	0	ञ) ट्रेजरी बिल	2,421	836	1,585
				ट) वाणिज्यिक पत्र	2,767	2,072	695
विदेशी मुद्रा ऋण	684	722	-38	ठ) अपरिवर्तनीय बॉण्ड	1,307	427	880
				ड) अन्य संस्थाओं के इक्विटी शेयर	65	64	1
वाणिज्यिक पत्र	16,193	12,771	3,422	ढ़) अग्रिम के रूप में डिबेंचर	3,676	4,955	-1,279
अल्पावधि जमा के समक्ष उधार	750	0	750	ड़) जमा प्रमाणपत्र	2,311	7,895	-5,584
सीबीएलओ	7,319	0	7,319	प) म्युचुअल फंड	4,001	4,695	-694
जमा प्रमाणपत्र	7,479	5,545	1,934	फ) ईओएल के लिए निर्धारित निवेश	258	247	11
				ब) बिल रिडिस्काउंटिंग	198	0	198
				भ) राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लि.	2	0	2
मीयादी मुद्रा उधार	2,193	1,519	674	**उप जोड़**	**26,450**	**26,466**	**-16**
रेपो खाता	295	0	295	**ऋण और अग्रिम**			
आरआईडीएफ जमा राशियां	1,05,502	96,885	8,617	क) उत्पादन और विपणन ऋण	73,553	69,719	3,834
				ख) उत्पादन ऋण का मध्यावधि ऋण में परिवर्तन	1,065	447	618
एसटीआरसीसी निधि	45,009	53,991	-8,982	ग) मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋण	1,01,532	84,469	17,063
				घ) भंडारागार आधारभूत सुविधा निधि के अंतर्गत ऋण	3,402	2,362	1,040
अल्पावधि क्षेग्रा. बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि	10,003	15,997	-5,994	ङ) दीर्घावधि गैर-परियोजना ऋण	53	66	-13
				च) अन्य ऋण	24,368	12,043	12,325
भंडारागार आधारभूत सुविधा निधि	3,531	3,550	-19	छ) आरआईडीएफ ऋण	1,00,981	91,384	9,597
				ज) सह-वित्तपोषण (प्रावधान को घटाकर)	1	3	-2
खाद्य प्रसंस्करण निधि	150	100	50	**उप जोड़**	**3,04,955**	**2,60,493**	**44,462**
दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	30,000	18,997	11,003	**अचल आस्तियां**	391	353	38
				अन्य आस्तियां	3,503	4,525	-1,022
अन्य देयताएं	14,647	11,373	3,274				
अन्य निधियां	6,185	6,019	166				
जोड़	**3,48,260**	**3,10,385**	**37,875**	**Total**	**3,48,260**	**3,10,385**	**37,875**

31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017 के स्थिति में इंगित पूंजी में भारत सरकार से शेयर पूंजी के लिए प्राप्त क्रमश: ₹300 करोड़ और ₹1,400 करोड़ की राशि शामिल है, जिसे अग्रिम के रूप में रखा गया है. प्राधिकृत पूंजी में बढ़ोतरी के बाद इसे शेयर पूंजी में शामिल किया जाएगा.

प्रमुख आंकड़े

भाग अ : भारतीय अर्थ व्यवस्था और ग्रामीण ऋण

स्थिर मूल कीमतों (2011-12) पर सकल वर्धित मूल्य की वृद्धि दर (%)

क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17 (पीई)
मूल कीमत पर जीवीए (2011-12 की कीमतों पर)	7.2	7.9	6.6
I. कृषि	-0.2	0.7	4.9
II. उद्योग	7.5	8.8	5.6
III. सेवाएं	9.7	9.7	7.7

पीई - अनंतिम अनुमान
स्रोत : (1) प्रमुख आर्थिक संकेतक, जून 2017, (तालिका 1), आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार. (2) राष्ट्रीय आय 2016-17 का अनंतिम अनुमान, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार (प्रेस नोट दिनांक 31 मई 2017).

स्थिर (2011-12) कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि (%)

	2014-15	2015-16	2016-17 (पीई)
समग्र सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि	7.5	8.0	7.1

पीई - अनंतिम अनुमान
स्रोत : (1) प्रमुख आर्थिक संकेतक, जून 2017, (तालिका 3-आ), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार. (2) राष्ट्रीय आय 2016-17 का अनंतिम अनुमान, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार (प्रेस नोट दिनांक 31 मई 2017)

स्थिर (2011-12) कीमतों पर मूल कीमत पर जीवीए में क्षेत्र-वार हिस्सा (%)

क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17 (पीई)
I. कृषि	16.50	15.40	15.20
II. उद्योग	31.30	31.40	31.10
III. सेवाएं	52.20	53.20	53.70

पीई - अनंतिम अनुमान
स्रोत : राष्ट्रीय आय 2016-17 का अनंतिम अनुमान, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार (प्रेस नोट दिनांक 31 मई).

कृषि में स्थिर (2011-12) कीमतों पर सकल पूंजी निर्माण एवं खाद्यान्न उत्पादन (%)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
कुल जीसीएफ़ में कृषि एवं अनुषंगी क्षेत्रों का हिस्सा	7.76	6.93	उपलब्ध नहीं
कृषि और अनुषंगी क्षेत्रों में जीसीएफ़ और उस क्षेत्र के जीवीए का प्रतिशत	17.27	16.27	उपलब्ध नहीं
खाद्यान्नों का उत्पादन (मिलियन टन)	252.02	251.57 (4था एई)	273.38 (3रा एई)

एई - अग्रिम अनुमान
स्रोत :(1) प्रमुख आर्थिक संकेतक, जून 2017, (तालिका 7), आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार. (2) राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार.

भूजोत के विवरण - संक्षेप में

भारत में उपयोग में आ रही कृषि जोतों की कुल संख्या (मिलियन में)	138.35
औसत भूजोत का आकार (हेक्टेयर)	1.15
सकल फ़सली क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर) (2012-13)	194.40
बोया गया निवल क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर) (2012-13)	139.93

स्रोत: (1) कृषि गणना, 2010-11, कृषि प्रभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार; (2) कृषि सांख्यिकी की एक झलक, 2015, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार.

एजेंसी-वार आधार स्तरीय ऋण प्रवाह (₹करोड़)

एजेंसी	2014-15	2015-16 (अनंतिम)	2016-17 (28.02.2017 को अनंतिम)
सहकारी बैंक	138,469.50	153,294.98	122,651.25
क्षेग्रा बैंक	102,482.91	119,260.88	103,973.52
वाणिज्य बैंक	604,375.82	642,954.06	733,200.93
जोड़	**845,328.23**	**915,509.92**	**959,825.70**

स्रोत : नाबार्ड के एन्श्योर पोर्टल में संबन्धित बैंकों द्वारा यथा रिपोर्ट किया गया

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार जारी किए गए कुल रुपे केसीसी का एजेंसी-वार विवरण

एजेंसी	31 मार्च 2017 तक जारी किए गए कार्डों की संख्या (लाख में)
सहकारी बैंक	52.38
क्षेग्रा बैंक	100.71
31 मार्च की स्थिति के अनुसार आरंभ से अब तक संचयी (सहकारी + क्षेग्रा बैंक)	153.09

स्रोत : एंस्योर पोर्टल

प्रधान मंत्री जन-धन योजना

(14 जून 2017 की स्थिति के अनुसार खोले गए कुल खातों का एजेंसी-वार विवरण)

एजेंसी	ग्रामीण/ अर्ध शहरी क्षेत्रों में जारी किए गए कार्डों की संख्या (करोड़ में)
सरकारी क्षेत्र के बैंक	12.72
क्षेग्रा बैंक	4.00
निजी क्षेत्र के बैंक	0.56
संचयी (सरकारी क्षेत्र के बैंक + क्षेग्रा बैंक + निजी क्षेत्र के बैंक)	17.28

स्रोत: https://pmjdy.gov.in/account

भाग आ : नाबार्ड

	विवरण	2015-16	2016-17		
		राशि (₹ करोड़)	संख्या (एजेंसी) $	राशि (₹ करोड़)	
I	**नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता**				
	(i) पुनर्वित्त - अल्पावधि ऋण (अधिकतम बकाया)	**71,217.01**		**74,392.93**	
	क. अल्पावधि (मौकृप) रास बैंक	53,774.18	26	62,609.99	
	ख. अल्पावधि (मौकृप) क्षेग्रा बैंक	16,000.45	56	10,002.39	
	ग. अल्पावधि (मौकृप) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पैक्स के लिए	226.54	2	270.81	
	घ. बुनकर रास बैंक	188.22	2	12.74	
	ङ. अल्पावधि (मौकृप से इतर) - रास बैंक	603.42	4	1,042	
	च. अल्पावधि (मौकृप से इतर) - क्षेग्रा बैंक	424.20	4	455.00	
	(ii) पुनर्वित्त-निवेश ऋण	**48,063.72**		**53,505.51**	
	क. कृषि और अनुषंगी गतिविधियां	27,065.19	5	29,344.60	
	ख. गैर कृषि क्षेत्र	14,092.51	5	18,501.40	
	ग. स्वयं सहायता समूह	6,906.02	5	5,659.51	
	(iii) संवितरण (राशि ₹ करोड़ में)	2015-16	2016-17	31 मार्च 2017 की स्थिति में संचयी संवितरण	31 मार्च 2017 की स्थिति में बकाया
	ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि	23,510.19	25,599.66	2,15,605.20	1,00,981.48
	दीर्घकालिक आधारभूत सुविधा निधि	उपलब्ध नहीं	9,086.02	9,086.02	9,086.02
	भंडारागार आधारभूत सुविधा निधि	1,361.53	1,168.51	3,529.02	3,293.76
	खाद्य प्रसंस्करण निधि	20.57	123.92	144.49	139.79
	नाबार्ड आधारभूत सुविधा विकास सहायता	1,222.12	2,456.21	6,146.32	4,980.03
	सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता	5,539.65	4,739.73	21,903.58	2,565.20
	संघों को ऋण सुविधा	7,013.50	15,755.00	33,173.50	6,961.00
	बहुउद्देशीय सेवा केंद्र के रूप में पैक्स सहित उत्पादक संगठन (ऋण + अनुदान)	165.16	88.84 *	739.07	334.73
	आदिवासी विकास निधि (ऋण + अनुदान)	175.00	155.00	1,340.00	11.44
	यूपीएनआरएम (ऋण + अनुदान)	38.20	20.39	403.52	101.22
	अनुसंधान और विकास निधि (अनुदान)	35.44	15.91	258.07	उपलब्ध नहीं
II	विकासात्मक कार्य	2014-15	2015-16	2016-17	
	वाटरशेड (संख्या)/ हेक्टेयर	38/26,800	48/30,600	57/33,800	
	टीडीएफ परियोजनाएं (संख्या)	52	23	40	
	कृषक क्लब (संख्या)	4,165	5,016	5,837	

$: एजेंसी से आशय है रास बैंक, क्षेग्रा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
* पीओ वित्तपोषण अक्तूबर 2016 से नाबार्ड में बंद कर दिया गया है. अतः संवितरण में कमी है.

प्रमुख अधिकारीगण

31 मार्च 2017 की स्थिति में

मुख्य महाप्रबंधक

श्री एम. वी. अशोक (डीईएआर/डीपीएसपी) | श्री एस.एन.ए.जिन्नाह (चेन्नै) | श्री के. सईद अली (सचिव)

श्री एम. के. मुदगल (मासंप्रवि/विधि) | डॉ. एस. सरवणवेल (ओएफडीडी/राजभाषा) | श्री एस. के. बंसल (डीओआर) | डॉ. आर. एन. कुलकर्णी (महाराष्ट्र - प्रभारी अधिकारी)

श्री एस. सेल्वराज (आरएमडी) | श्री के. वेंकटेश्वर राव (डीओएस) | श्री एम. आई. गानगी (कर्नाटक) | डॉ. आर. एम. कुम्मूर (छत्तीसगढ़) | श्री जी. आर. चिंताला (एमसीआईडी)

श्री सुब्रत गुप्ता (डीएफआईबीटी / डीआईटी) | श्री जीजी माम्मेन (सीईओ, मुद्रा) | श्री ए. के. साहू (लेखा विभाग) | श्री ए. के. पंडा (उत्तर प्रदेश-प्रभारी अधिकारी) | श्री पी.वी.एस.सूर्य कुमार (बीआईडी / सीसीडी)

श्रीमती पद्मा रघुनाथन (एफडी / डीएसएसआई) | डॉ. बी. जी. मुखोपाध्याय (एफएसपीडी) | श्री के. आर. राव (मध्य प्रदेश) | श्रीमती टी.एस.राजी गैन (एफएसडीडी) | श्री शंकर ए. पांडे (एसपीडी)

डॉ. यू. एस. साहा (एसपीडी) | श्री वी.वी.वी. सत्यनारायण (आंध्र प्रदेश) | श्रीमती सरिता अरोड़ा (राजस्थान) | डॉ. पी. राधाकृष्णन (तेलंगाना)

डॉ. पी. एम. घोले (पंजाब - प्रभारी अधिकारी) | श्री सुब्रत मंडल (झारखंड) | श्री आर. सुंदर (गुजरात - प्रभारी अधिकारी) | श्री डी. एन. मगर (उत्तराखंड) | श्री पी. सी. चौधरी (हरियाणा)

डॉ. पी. जे. रंजीत (प्राचार्य,एनबीएससी, लखनऊ) | श्री दीपक कुमार (हिमाचल प्रदेश) | श्री विजयकुमार (जम्मू) | श्री आर. पी. भार्गव (डीएसएम) | श्री ए. के. रायबर्मन (पश्चिम बंगाल)

श्रीमती आर.ककाती बरुआ (असम) | श्री टी. के. हजारिका (सीपीडी) | श्री वी. आर. रवीन्द्रनाथ (केरल) | डॉ. के. सी. पाणिग्रही (ओड़िशा) | श्री आर. ए. मिश्रा (बिहार)

श्री किशन सिंह (पंजाब) | श्री बिभीषण नायक (आईडी) | श्री एम. के. चांदेकर (महाराष्ट्र) | श्री सुनील चावला (गुजरात) | श्री अरुण के. शुक्ला (उत्तर प्रदेश)

प्रमुख अधिकारीगण

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नाबार्ड की सहायक संस्थाएं / बर्ड

श्री नरेश गुप्ता, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नैबकॉंस, नई दिल्ली | डॉ. डी. वी. देशपांडे, निदेशक, बर्ड, लखनऊ | डॉ. बी. एस. सूरन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नैबफिंस, कर्नाटक | श्री के. सुरेश कुमार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नैबकिसान

प्रभारी अधिकारी

31 मार्च 2017 की स्थिति में
क्षेत्रीय कार्यालय / कक्ष / प्रशिक्षण संस्थान

श्री असित कुमार मोहंती
(नई दिल्ली)

श्री एफ़. आर. मारक
(मेघालय)

श्री के. मार्जित
(बर्ड, बोलपुर)

श्रीमती अंजना लामा
(सिक्किम)

श्री एच. बी. सोनगडकर
(अंडमान और निकोबार)

श्री अविनाश सी. श्रीवास्तव
(मणिपुर)

सुनील कुमार
(अगरतला)

श्री डी. के. मिश्रा
(मिज़ोरम)

श्री अशोक चक्रबर्ती
(नागालैंड)

सुश्री के. एस. पै
(बर्ड, मंगलोर)

श्री वी. आर. खुसरो
(गोवा)

श्री एस. शंकरनारायण
(अरुणाचल प्रदेश)

श्री पुष्पहास पाण्डेय
(श्रीनगर कक्ष)

नाबार्ड

वार्षिक रिपोर्ट
2016-17

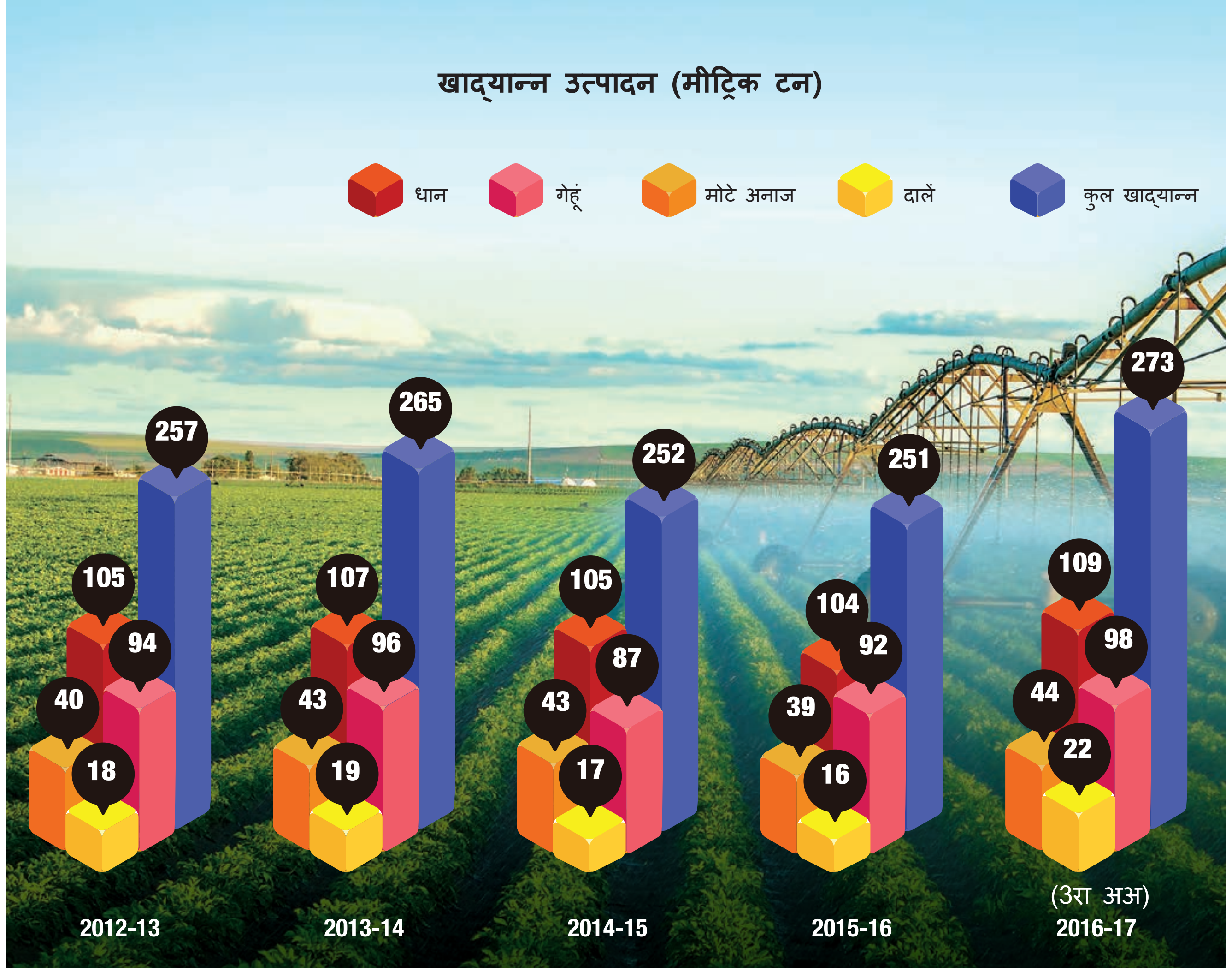

1 गत वर्ष पर एक दृष्टि

1.1 भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति: 2016-17

घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व चुनौतियों के कारण आई मंदी के बावजूद 2016-17 में भारत विश्व की सर्वाधिक तेज़ी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहा. भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2015-16 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की. लेकिन अनंतिम अनुमानों (अअ) के अनुसार इसके 2016-17 में घटकर 7.1 प्रतिशत होने की संभावना है. इसके अलावा, आधार कीमतों पर जो वास्तविक सकल वर्धित मूल्य (जीवीए) 2015-16 में 7.9 प्रतिशत था उसके 2016-17 में घटकर 6.6 प्रतिशत होने का अनुमान है.

अलग-अलग स्तर पर लगाए गए अनुमान यह दर्शाते हैं कि लगातार दो वर्षों की एक प्रतिशत से कम वृद्धि (प्रदर्श 1.1) के बाद अनुकूल वर्षा के कारण कृषि क्षेत्र का वर्ष-दर-वर्ष जबरदस्त विकास हुआ. उद्योग क्षेत्र में बिजली उत्पादन को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों में गतिशीलता की उल्लेखनीय कमी रही. इसके अलावा, वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं के साथ-साथ व्यापार, होटल, परिवहन और संचार-व्यवस्था में गिरावट के कारण सेवा क्षेत्र में भी मंदी रही.

[1] राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार (31 मई 2017 का प्रेस नोट)

प्रदर्श 1.1
स्थिर (2011-12) कीमतों (%) पर आधार कीमत पर जीवीए का क्षेत्र-वार हिस्सा

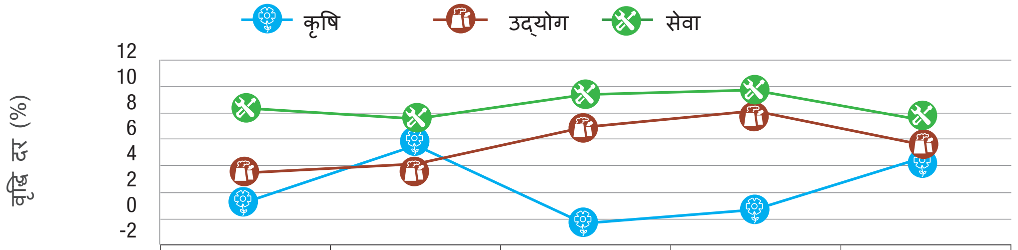

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (अअ)
कृषि	1.5	5.6	-0.2	0.7	4.9
उद्योग	3.3	3.8	7.5	8.8	5.6
सेवा	8.3	7.7	9.7	9.7	7.7

नोट : अअ - अनंतिम अनुमान
स्रोत: (1) महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक, जून 2017, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
(2) राष्ट्रीय आय 2016-17 के अनंतिम अनुमान, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

प्रदर्श 1.2 में वास्तविक जीवीए में अलग-अलग क्षेत्रों के हिस्से से पता चलता है कि कृषि का हिस्सा लगातार कम होता रहा है और यह हिस्सा 2016-17 में 15.2 प्रतिशत है जो कि किसी भी तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए सामान्य बात है. जहां सेवा क्षेत्र का हिस्सा भी लगातार बढ़ता रहा और 53.7 प्रतिशत हो गया वहीं उद्योग क्षेत्र का हिस्सा थोड़ा कम होकर वर्ष के दौरान 31.1 प्रतिशत रहा.

प्रदर्श 1.2
स्थिर आधार कीमत (2011-12) पर जीवीए में क्षेत्र-वार हिस्सा (%)

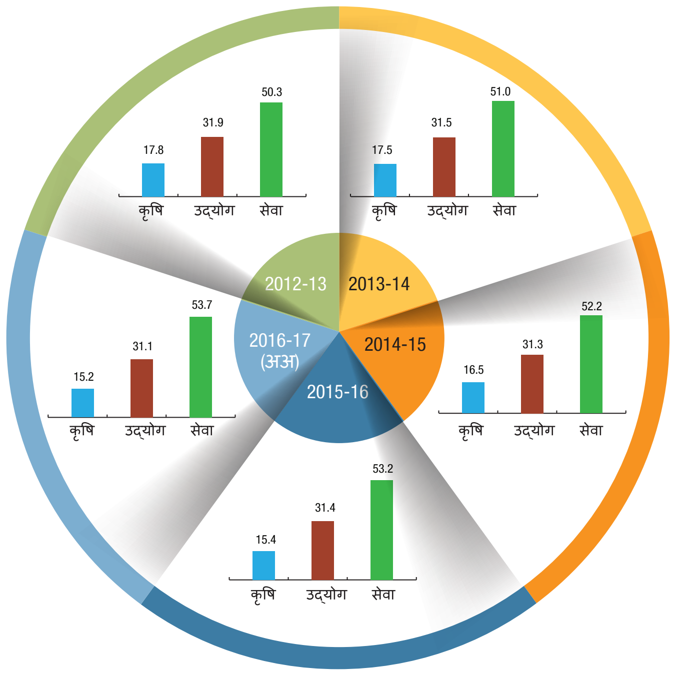

भारत के नीतिगत परिदृश्य में 2016-17 में संरचनागत परिवर्तन हुए. संसद में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) बिल को अधिनियमित किया गया जिसके परिणामस्वरूप एक साझा राष्ट्रीय बाज़ार का निर्माण होगा, कर अनुपालन की स्थिति सुधरेगी, निवेश और विकास को गति मिलेगी और अभिशासन में सुधार आएगा. "भ्रष्टाचार में कमी, अर्थव्यवस्था के डिजिटाइज़ेशन में वृद्धि, वित्तीय बचतों में बढ़ोतरी और अर्थव्यवस्था के औपचारिक स्वरूप में बेहतरी के रूप में मध्यावधि लाभों की बड़ी संभावना का उपयोग करने" (भारतीय रिजर्व बैंक, 2017) के उद्देश्य से विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) का विमुद्रीकरण किया गया (भारतीय रिजर्व बैंक, 2017) और उसके बाद तीव्र गति से पुनर्मुद्रीकरण किया गया. चूकगत आस्तियों की प्रभावी और समय पर वसूली तथा पुन:संरचना को संभव बनाने के लिए शोधन

नोट : अअ - अनंतिम अनुमान
स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित (31 मई 2017 का प्रेस नोट)

अक्षमता एवं दिवाला संहिता, 2016 का अधिनियमन किया गया. "किसी व्यक्ति की सनक या सरकारों की मनमर्जी से मुद्रा स्फीति के प्रभावित होने पर नियंत्रण सुनिश्चित कर समष्टि अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लाभों को समेकित करने" के उद्देश्य से मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का गठन किया गया (भारत सरकार, 2017). उपर्युक्त सुधारों के बाद 2017-18 में भारत के वास्तविक जीवीए की वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत होने का अनुमान है.[2]

1.2 वैश्विक दृष्टिकोण

अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक निधि (आईएमएफ), विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 2017-18 में भारत के लिए अच्छी वृद्धि का अनुमान लगाया है. आईएमएफ ने 2017 के लिए 7.2 प्रतिशत और 2018 के लिए 7.7 प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान लगाया है (आईएमएफ, 2017). आईएमएफ के अनुसार मध्यावधि में विकास की संभावना भारत के पक्ष में है जिसमें महत्वपूर्ण सुधारों के कार्यान्वयन, आपूर्ति पक्ष की कठिनाइयों के कम होने और उपयुक्त राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के कारण लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि का पूर्वानुमान है (पूर्वोक्त).

एडीबी ने अनुमान लगाया है कि मुख्य रूप से उच्चतर उपभोग के कारण 2017 में भारत की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत और 2018 में 7.6 प्रतिशत रहेगी (एडीबी, 2017). 2016-17 में अधिकांश वृद्धि कृषि और सरकारी सेवाओं की मजबूती से आई.

विश्व बैंक ने 2017 के लिए 7.2 प्रतिशत और 2018 के लिए 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है (विश्व बैंक, 2017). विश्व बैंक के अनुसार वैश्विक वृद्धि दर के 2017 में 2.7 प्रतिशत और 2018 में 2.9 प्रतिशत होने का अनुमान है.

1.3 समष्टिगत अर्थव्यवस्था की चुनौतियां

1.3.1 मुद्रा-स्फीति

भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित मुद्रा-स्फीति 2012-13 में 10.2 प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर थी और 2013-14 में 9.5 प्रतिशत थी, लेकिन 2014-15 में कम होकर 6.4 प्रतिशत, 2015-16 में 4.2 प्रतिशत और 2016-17 4.5 प्रतिशत हो गई (प्रदर्श 1.3). 2016-17 के दौरान सीपीआई-आधारित मुद्रा स्फीति ग्रामीण क्षेत्र में औसतन 5.0 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में औसतन 4.0 प्रतिशत रही. वर्ष के दौरान निम्न मुद्रा स्फीति का मुख्य कारण खाद्य वस्तुओं, विशेष रूप से सब्जियों और दालों की कीमत में आई भारी गिरावट और अच्छी बारिश है. 2016-17 के दौरान जो खुदरा मुद्रा स्फीति जुलाई 2016 में 6.0 प्रतिशत तक पहुंच गई थी वह निरंतर गिरावट के कारण जनवरी 2017 में 3.2 प्रतिशत हो गई, फिर मार्च 2017 में बढ़कर 3.8 प्रतिशत हो गई (प्रदर्श 1.4). यह भारतीय रिज़र्व बैंक के मध्यावधि लक्ष्य 4.0 प्रतिशत से कम थी.

प्रदर्श 1.3
सीपीआई मुद्रास्फीति (%) - सामान्य - वार्षिक औसत

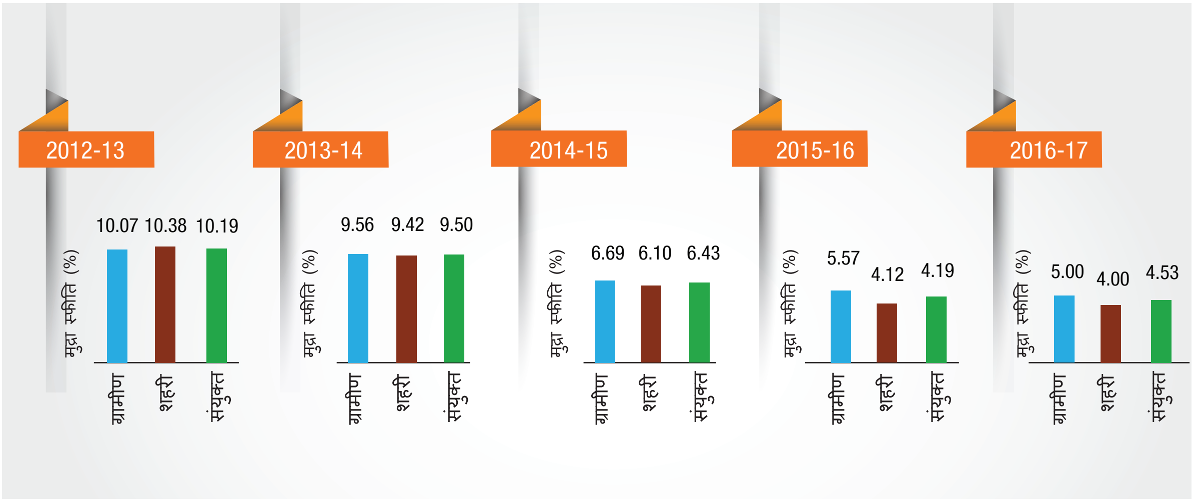

[2] द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक विवरण, 2017-18, भारतीय रिज़र्व बैंक

प्रदर्श 1.4
सीपीआई मुद्रास्फीति (%) - सामान्य
(अप्रैल 2016 - मार्च 2017)

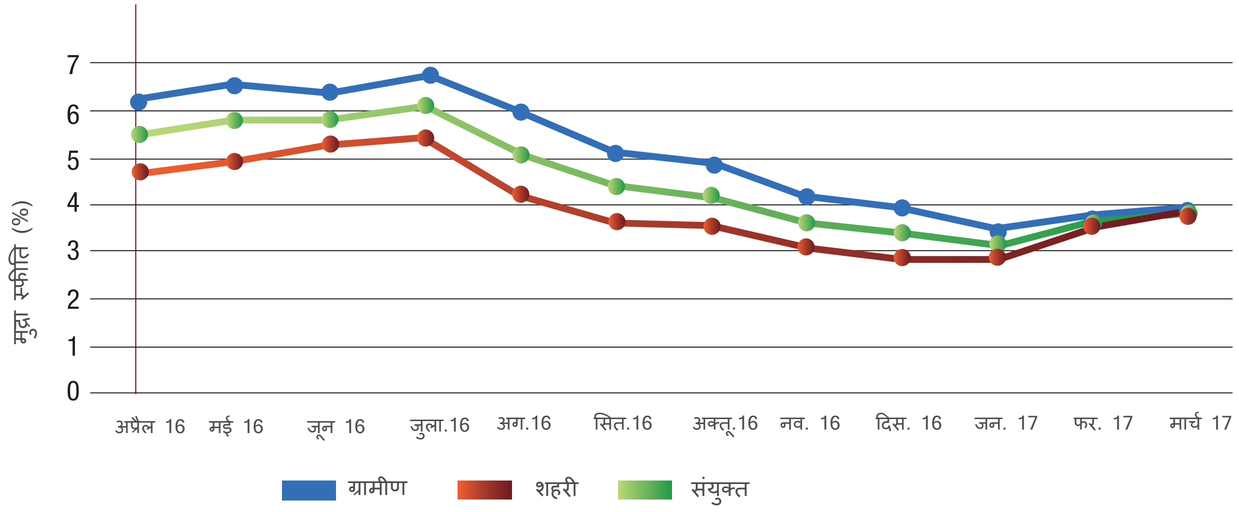

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के आंकड़ों पर आधारित (www.mospi.nic.in)

सीपीआई में खाद्य मदों का भारांक 45.9 प्रतिशत है और इसलिए खुदरा मुद्रा स्फीति पर इनका अधिकतम प्रभाव पड़ता है. आपूर्ति की दृष्टि से देखें तो जहां अच्छी वर्षा के कारण अनाजों, दालों और सब्जियों के उत्पादन में अच्छी वृद्धि हुई वहीं विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को वापस लिए जाने के कारण मांग में कमी आई जिससे 2016-17 में मुद्रा स्फीति घटी. उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित मुद्रा स्फीति जुलाई 2016 के 8.4 प्रतिशत के उच्च स्तर से, मुख्यत: दालों और सब्जियों में लगातार ऋणात्मक मुद्रा स्फीति के कारण मार्च 2017 में 1.9 प्रतिशत पहुंचने के पहले जनवरी 2017 में 0.6 प्रतिशत सर्वाधिक निम्न स्तर पर आ गई थी (प्रदर्श 1.5).

2017-18 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पहले मौद्रिक नीति विवरण के अनुसार, "हेडलाइन मुद्रा स्फीति को दबावों से अलग रखने के लिए अपनी ओर से सक्रिय होकर आपूर्ति प्रबंधन करना जरूरी होगा". इसके अलावा, 2017-18 में सामान्य मानसून की उम्मीद[3], रुपए की मजबूत स्थिति और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में कमी के कारण सीपीआई मुद्रा स्फीति भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमान के अनुसार 2017-18 की पहली छमाही में 2.0 से 3.5 प्रतिशत और दूसरी छमाही में 3.5 से 4.5 प्रतिशत[4] तक रहेगी. यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो मार्च 2018 तक भारतीय रिज़र्व बैंक के 4.0 प्रतिशत के मध्यावधि लक्ष्य को प्राप्त करना संभव होगा.

[3] भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दीर्घावधि औसत के 98 प्रतिशत सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की है (06 जून 2017 की प्रेस विज्ञप्ति).
[4] द्वितीय मौद्रिक नीति विवरण 2017-18, भारतीय रिज़र्व बैंक

प्रदर्श 1.5
उपभोक्ता खाद्य कीमत मुद्रास्फीति (%)
(अप्रैल 2016 - मार्च 2017)

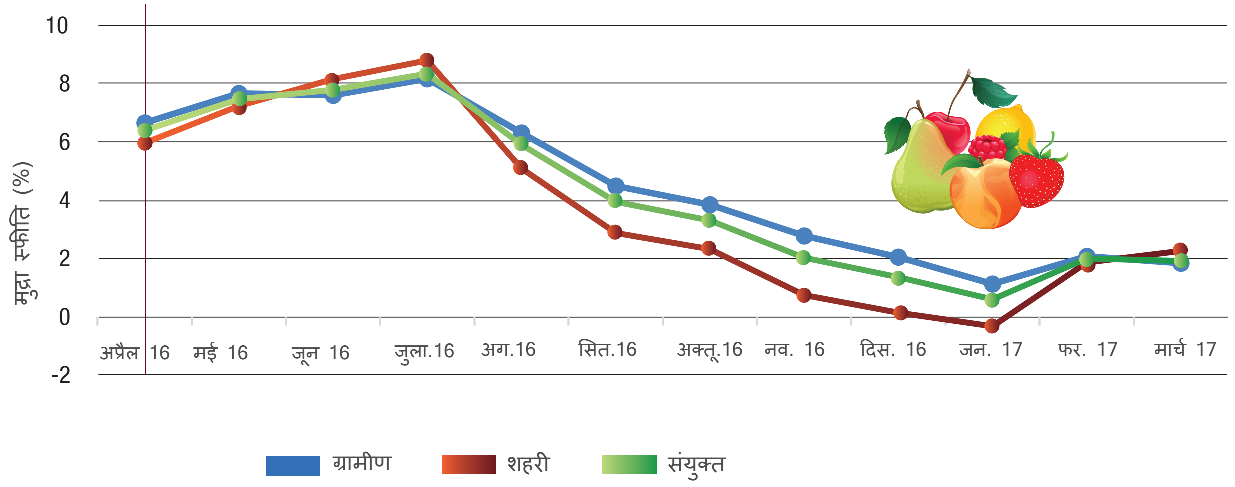

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के आंकड़ों पर आधारित (www.mospi.nic.in)

1.3.2 बैंकिंग क्षेत्र

आस्तियों की गुणवत्ता में आई गिरावट सामान्यतया बैंकिंग क्षेत्र और विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए चिंता का विषय है. भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) के व्यवसाय में प्रगति की गति धीमी बनी रही और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के अपने साथियों से पिछड़ते रहे (भारतीय रिज़र्व बैंक, 2016). इसके अलावा, एससीबी का सकल अनर्जक अग्रिमों का अनुपात मार्च 2016 के 7.8 प्रतिशत की तुलना में सितंबर 2016 में बढ़कर 9.1 प्रतिशत हो गया जिससे सकल दबावग्रस्त अग्रिमों का अनुपात 12.3 प्रतिशत हो गया (पूर्वोक्त).

शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता, 2016 और सारफेसी तथा ऋण वसूली प्राधिकरण अधिनियमों में संशोधनों के माध्यम से बैंकों की दबावग्रस्त आस्तियों की समस्या को हल करने के लिए देश में विधिक व्यवस्था मजबूत बनाई गई. सुधार पैकेज 'इंद्रधनुष' की रूपरेखा के आधार पर केंद्रीय बजट 2017-18 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुन:पूंजीकरण के लिए ₹10,000 करोड़ प्रदान किए गए और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त आबंटन का प्रावधान किया गया. इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 जारी किया गया जिसमें बैंकों को, शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता, 2016 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को उपचार की प्रक्रिया आरंभ कर खराब ऋणों के विशिष्ट मामलों को हल करने के निर्देश देने हेतु प्राधिकृत किया गया.

1.3.3 गरीबी और मानव विकास

भारत में ग्रामीण निर्धनों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट के साथ गरीबी का स्तर 2004-05 के 37.2 प्रतिशत की तुलना में घटकर 2011-12 में 21.9 प्रतिशत[5] हो गया. 2011-12 में ग्रामीण गरीबी अनुपात (25.7 प्रतिशत) शहरी गरीबी अनुपात (13.7 प्रतिशत) की तुलना में कहीं अधिक दर्ज किया गया था. यूएनडीपी के अनुसार, भारत की 21.2 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है (प्रति दिन $1.90 पीपीपी) (यूएनडीपी, 2016).

मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में 188 देशों में भारत 131वें (2015) स्थान पर है (यूएनडीपी, 2016). ब्रिक्स राष्ट्रों में भारत सबसे निचले स्थान पर है जबकि रूस 49वें, ब्राजिल 79वें, चीन 90वें और दक्षिण अफ्रीका 119वें स्थान पर है (पूर्वोक्त).

[5] एनएसएसओ द्वारा 68वें चक्र में संग्रहीत पारिवारिक उपभोग व्यय के आंकड़ों का उपयोग करते हुए, तेंदुलकर समिति पद्धति पर आधारित.

2016-17 के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक सेवाओं पर किया गया व्यय जीडीपी के हिस्से के रूप में 7.0 प्रतिशत (बीई) था जबकि शिक्षा क्षेत्र पर 2.9 प्रतिशत और स्वास्थ्य क्षेत्र पर 1.4 प्रतिशत व्यय किया गया (भारत सरकार, 2017).

विविध प्रकार के श्रम कानूनों के कारण सामाजिक क्षेत्र को परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनका अनुपालन औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन में कठिनाई पैदा करता है. भारत सरकार ने श्रम कानूनों के अनुपालन को सुव्यवस्थित करने, रोजगार सृजन की आवश्यकता पूरी करने और प्रत्येक मजदूर की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कारोबार को सुविधाजनक बनाने के लिए श्रम कानूनों में सुधार किए हैं (भारत सरकार, 2017).

समावेशी विकास के लिए भारत सरकार की विभिन्न सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में अन्य योजनाओं के साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), सुगम्य भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण-शहरी मिशन (एसपीएमआरएम) जैसी योजनाओं के मिशन मोड में कार्यान्वयन से भारत को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को 2030 तक प्राप्त करने में सुविधा होगी.

1.4 भारत में कृषि परिदृश्य - 2016-17: आकलन

लगातार दो वर्षों के खराब मानसून और देश के विभिन्न हिस्सों में सूखे के बाद 2016-17 के दौरान देश में सामान्य वर्षा के कारण कृषि क्षेत्र में तेज़ी आई. भारत में कुल रोजगार में 48.9 प्रतिशत रोजगार कृषि क्षेत्र में उपलब्ध होता है परंतु देश के सकल वर्धित मूल्य (जीवीए) में कृषि क्षेत्र का योगदान केवल 15.2 प्रतिशत होता है. देश में खेती की जमीन में से लगभग 85 प्रतिशत भू-जोतें छोटी और सीमांत[6] श्रेणियों में आती हैं और खेती की जमीन में भू-जोत का औसत आकार केवल 1.15 हेक्टे. है.

"2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने" के भारत सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र की प्रगति की गति को तेज़ करने हेतु देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर बल दिए जाने की आवश्यकता है जिससे "सदाबहार क्रांति"[7] और "इंद्रधनुष क्रांति"[8] , कृषि विपणन सुधार, कार्यक्षम कृषि-मूल्य शृंखला के निर्माण, खाद्य/ कृषि प्रसंस्करण उद्योग के संवर्धन, पर्याप्त और समय पर कृषि ऋण की व्यवस्था और कार्यक्षम फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतर किसानों को शामिल करने जैसे उद्देश्यों की पूर्ति संभव है.

2015-16 के दौरान 251.6 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 2016-17 में अब तक के सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन अर्थात् 273.4 मिलियन टन का अनुमान लगाया गया है (तालिका 1.1). अनुकूल मानसून से किसानों को खरीफ मौसम 2016-17 के दौरान खेती के अंतर्गत आने वाले सामान्य क्षेत्र की तुलना में 55.6 प्रतिशत की वृद्धि[9] करने के लिए प्रोत्साहन मिला. खेती के लिए जमीन के उपयोग में सबसे अधिक वृद्धि दालों की खेती के लिए हुई जिसमें सामान्य की अपेक्षा 38.6 प्रतिशत क्षेत्र का उपयोग खेती के लिए किया गया. अच्छी बारिश के अलावा बोनस के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि के कारण किसानों ने ज्यादा से ज्यादा जमीन पर दालों की खेती की. ऐसा पिछले साल दालों की कीमतों से मिले संकेतों के कारण भी हुआ जब खुदरा दुकानों में अरहर की कीमत ₹200 प्रति किग्रा तक पहुंच गई. इसका दूसरा पहलू यह है कि दालों के उत्पादन में वर्ष-दर-वर्ष हुई 37 प्रतिशत की वृद्धि - 2015-16 में 16.4 मिलियन टन से 2016-17 में 22.4 मिलियन टन - के कारण अरहर और मूंग दाल जैसी फसलों की थोक कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम हो गई और उसका असर कृषि से होने वाली आय पर भी हुआ. राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा खरीद के अभाव में किसानों की परेशानियां बढ़ गई.

[6] राष्ट्रीय आय का अनंतिम अनुमान, 2016-17, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार (31 मई 2017 का प्रेस नोट).
[7] भारत के प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक डॉ.एम.एस.स्वामीनाथन द्वारा समर्थित 'सदाबहार क्रांति' से प्राकृतिक संसाधनों के समन्वित प्रबंधन ने जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग और पर्यावरण प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रिसीज़न खेती से कृषि की उत्पादकता और दक्षता बढ़ेगी.
[8] 'इंद्रधनुष क्रांति' की अवधारणा फसल की खेती, बागबानी, वानिकी, मछलीपालन, मुर्गी पालन, पशु पालन और खाद्य प्रसंस्करण के समन्वित विकास की अवधारणा है.
[9] 30 सितंबर 2016 की स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय फसल स्थिति - खरीफ 2016-17, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार

तालिका 1.1
खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)

फसल	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (अअ 3)
चावल	105.24	106.65	105.48	104.41	109.15
गेहूं	93.51	95.85	86.53	92.29	97.44
मोटे अनाज	40.04	43.29	42.86	38.52	44.39
दालें	18.34	19.25	17.15	16.35	22.40
कुल खाद्यान्न	**257.13**	**265.04**	**252.02**	**251.57**	**273.38**

नोट: अअ 3: तीसरा अग्रिम अनुमान
स्रोत: कृषि सांख्यिकी प्रभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार

गेहूं की उच्चतर कीमतों और 2016 के अंत में नमी के अनुकूल स्तर के कारण किसानों ने अधिक जमीन में गेहूं की खेती की और गेहूं का फसल क्षेत्र 31.8 मिलियन हेक्टे. के उल्लेखनीय स्तर तक पहुंचा. उत्पादन के 97.4 मिलियन टन होने के अनुमान का आशय यह है कि गेहूं की उपज उल्लेखनीय स्तर पर होगी जो पूरे देश के लिए 3 टन प्रति हेक्टे. से आगे चली जाएगी.

अनाजों के उत्पादन में मक्के का हिस्सा 9 प्रतिशत है और यह चावल और गेहूं के बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है. इसका उत्पादन 25 मिलियन टन के आस-पास है. मुर्गी पालन उद्योग की बड़ी मांग के कारण मक्के की खेती का क्षेत्रफल बढ़कर कुल फसल क्षेत्र के 4 प्रतिशत तक पहुंच गया और 2050 तक मक्के का उत्पादन 50 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है.

प्रमुख तिलहन फसलों का उत्पादन 2016-17 में 27.5 मिलियन टन पहुंचने की संभावना है. प्रमुख तिलहनों सोयाबीन, मूंगफली और रेपसीड तथा सरसों के उत्पादन में 2016-17 में द्वि-अंकी वृद्धि की अपेक्षा है. सोयाबीन का उत्पादन वर्ष के दौरान 14 मिलियन टन से अधिक होने का अनुमान है. 2016-17 में कपास का उत्पादन 8.6 प्रतिशत बढ़कर लगभग 32.6 मिलियन गांठों तक पहुंचने का अनुमान है. गन्ने का उत्पादन 2016-17 में 12.2 प्रतिशत की गिरावट के साथ 306 मिलियन टन होने का अनुमान है (तीसरा अग्रिम अनुमान). उपज में वृद्धि से फसल उत्पादन के 360.1 मिलियन टन हो जाने की उम्मीद है.

1.4.1 केंद्रीय बजट 2017-18 में कृषि

केंद्रीय बजट 2017-18 में कृषि और किसान कल्याण पर की गई घोषणाओं की प्रमुख बातें बॉक्स 1.1 में दी गई हैं.

बॉक्स 1.1
केंद्रीय बजट 2017-18 में कृषि और किसान कल्याण

- 2017-18 में कृषि ऋण के लिए ₹10 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
- ऋण सुविधा की कमी वाले क्षेत्रों, पूर्वी राज्यों और जम्मू और कश्मीर में ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे.
- सभी काम कर रहे 63,000 पैक्स के कंप्यूटरीकरण और उन्हें जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (जिमस बैंकों) की कोर बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस) से जोड़ने के लिए नाबार्ड को सहायता. यह कार्य राज्य सरकारों की वित्तीय सहभागिता के साथ ₹1,900 करोड़ की लागत से 3 वर्षों में पूरा किया जाएगा.
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की व्याप्ति 2016-17 में फसल क्षेत्र के 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 2017-18 में 40 प्रतिशत और 2018-19 में 50 प्रतिशत की जाएगी.
- सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) में नए मिनी लैब स्थापित करेगी और देश के सभी 648 केंद्रों का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करेगी. इसके अलावा योग्यता प्राप्त स्थानीय उद्यमियों द्वारा 1,000 मिनी लैब स्थापित किए जाएंगे.
- नाबार्ड में गठित दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ) की राशि ₹20,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ की जाएगी.
- 'प्रति बूंद अधिक फसल' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ₹5,000 करोड़ की आरंभिक निधि के साथ नाबार्ड में एक समर्पित सूक्ष्म सिंचाई निधि सृजित की जाएगी.
- राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम) के दायरे को विद्यमान 250 बाज़ारों से बढ़ाकर उसमें 585 एपीएमसी शामिल किए जाएंगे. राज्यों से बाज़ार सुधार का कार्य शुरू करने और एपीएमसी से शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों की अधिसूचना को वापस लेने का अनुरोध किया जाएगा.
- ठेका खेती पर एक मॉडल कानून बनाया जाएगा और उसे अपनाने के लिए राज्यों में परिचालित किया जाएगा.
- नाबार्ड में तीन वर्ष की अवधि में ₹8,000 करोड़ की राशि से दुग्ध प्रसंस्करण और आधारभूत सुविधा विकास निधि स्थापित की जाएगी. निधि की आरंभिक राशि ₹2,000 करोड़ होगी.

1.4.2 किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करना

किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करना भारत सरकार का लक्ष्य है. माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए घोषित सात सूत्री रणनीति को केंद्र तथा राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड, बैंकों, बीमा कंपनियों, विकास एजेंसियों, अनुसंधान संस्थाओं/ कृषि विश्वविद्यालयों, विस्तार एजेंसियों, कारपोरेट सेक्टर, सहकारी संस्थाओं, उत्पादक संगठनों/ उत्पादक कंपनियों, आदि द्वारा अपनाए जाने की आवश्यकता है ताकि निर्धारित समयावधि में लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके. ये सूत्र हैं -
(i) जल के दक्षतापूर्ण उपयोग यानी "प्रति बूंद अधिक फसल" पर ध्यान केंद्रित करते हुए सिंचाई सुविधा;
(ii) अच्छी गुणवत्ता वाले बीज और अच्छी मृदा;
(iii) भंडारागारों और कोल्ड चैन में निवेश;
(iv) खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य वर्धन;
(v) इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम);
(vi) नई फसल बीमा योजना - प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना (पीएमकेबीवाई) की व्याप्ति में वृद्धि और उसका प्रभावी कार्यान्वयन;
(vii) डेयरी, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और मछलीपालन जैसी साथ-साथ चलने वाली गतिविधियों का संवर्धन.

इस रणनीति को अपनाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं में भारी निवेश के साथ ही पर्याप्त और समय पर बैंक ऋण और फसल बीमा की उपलब्धता, उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कृषि अनुसंधान और विस्तार, बुनियादी कृषि विपणन सुविधाओं, कृषि मूल्य शृंखलाओं की आवश्यकता होगी. जिससे कृषि उत्पाद और उत्पादकता में काफी वृद्धि होगी. किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को पाने के लिए उत्पाद (उच्च मूल्य के उद्यम), प्रक्रिया (प्रिसीजन कृषि) और समय (बेमौसमी फसलें लेना) के रूप में विविधता लाना एक प्रमुख परिवर्तनकारी कदम हो सकता है.

2016-17 के दौरान भारत सरकार द्वारा नाबार्ड में ₹20,000 करोड़ की आरंभिक निधि से दीर्घावधि सिंचाई निधि बनाई गई थी और केंद्रीय बजट 2017-18 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत अपूर्ण, बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं के (एलटीआईएफ) कार्यान्वयन को तेज़ गति से पूरा करने के लिए अतिरिक्त ₹20,000 करोड़ की राशि की घोषणा की गई (बॉक्स 1.1). पानी के उपयोग में दक्षता के अभाव के कारण देश में भूमिगत जल की उपलब्धता कम हो गई है और कृषि उत्पादकता भी घट गई है. प्रसंगवश, चीन और ब्राजील की तुलना में भारत प्रमुख फसलों की निश्चित इकाई के उत्पादन के लिए 2 से 4 गुना तक अधिक पानी का इस्तेमाल करता है. भारत में कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए यह अनिवार्य है कि उपयुक्त कीमत निर्धारण के माध्यम से जल के दक्षतापूर्ण उपयोग की सही प्रौद्योगिकी अपनाई जाए और साथ ही साथ सिंचित क्षेत्र का दायरा बढ़ाया जाए. केंद्रीय बजट 2017-18 में ₹5,000 करोड़ की राशि से नाबार्ड में सूक्ष्म सिंचाई निधि के गठन की घोषणा की गई (बॉक्स 1.1). इससे हम "प्रति बूंद अधिक फसल" का लक्ष्य पाने में समर्थ होंगे.

भारत में कृषि क्षेत्र के सामने एक महत्वपूर्ण समस्या है छोटे-छोटे कृषि बाज़ार और उनका अनेक गड़बड़ियों से भरा होना. इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम) में ऐसी अवधारणा है कि एक उपयुक्त साझा ई-बाज़ार प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो ई-प्लेटफॉर्म में शामिल होने के इच्छुक राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में 585 विनियमित थोक बाज़ारों में उपलब्ध होंगे. ई-नाम से उच्चतर प्रतिफल के माध्यम से किसानों को उल्लेखनीय लाभ होंगे जबकि लेन-देन की कम लागतों के माध्यम से खरीदारों और मूल्य स्थिरता के कारण उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा. इससे पूरे देश में प्रमुख कृषि जिन्सों के लिए समन्वित मूल्य शृंखला तैयार होने में भी सुविधा होगी और इससे कृषि जिन्सों के वैज्ञानिक भंडारण और परिवहन की व्यवस्थाओं की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा.

भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसका हिस्सा विश्व के कुल उत्पादन में 17 प्रतिशत है. कृषि कार्य में लगे हुए लाखों ग्रामीण परिवारों की अतिरिक्त आमदनी के लिए यह महत्वपूर्ण साधन है. डेयरी की मूल्य शृंखला पर ध्यान केंद्रित करने से छोटी जोत वाले किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है. 3 वर्षों की अवधि में ₹8,000 करोड़ की राशि से और शुरुआती ₹2,000 करोड़ की राशि से नाबार्ड में स्थापित की जा रही डेयरी प्रसंस्करण आधारभूत सुविधा विकास निधि (बॉक्स 1.1) का डेयरी क्षेत्र पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा और डेयरी किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी.

2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने पर नाबार्ड द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार की प्रमुख सिफारिशों का विवरण बॉक्स 1.2 में दिया गया है.

बॉक्स 1.2
2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने पर राष्ट्रीय सेमिनार

नाबार्ड ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में नाबार्ड के 35वें स्थापना दिवस पर 12 जुलाई 2016 को '2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने' पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया ताकि इस उद्देश्य को पूरा करने से संबंधित मुख्य मुद्दों, चुनौतियों और रणनीतियों पर व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श किया जा सके. माननीय श्री राधा मोहन सिंह, केंद्रीय कृषि मंत्री और माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री सेमिनार में शामिल हुए. सेमिनार में नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, बैंकरों, किसान प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया.
सेमिनार की प्रमुख अनुशंसाएं निम्नानुसार हैं :

- **कृषि उत्पादकता में वृद्धि :** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलआईटीएफ); सूक्ष्म-सिंचाई; उपयुक्त प्रौद्योगिकी, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, पौधों को पोषण देने वाले तत्व और अनुसंधान और विकास में निवेश; फसल सघनता में वृद्धि; कृषि विस्तार प्रणाली में नई ऊर्जा का संचार.
- **गतिविधियों में विविधता लाना :** उच्च मूल्य वाली फसलें, अनुषंगी गतिविधियां, गैर-कृषि/ कृषीतर गतिविधियां और मजदूरी रोजगार.
- **कृषि बाज़ार सुधार और ग्रामीण आधारभूत सुविधाएं :** इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम); निर्यात के लिए दीर्घावधि कृषक अनुकूल नीति, आरआईडीएफ की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के लिए दीर्घावधि आयोजना.
- **ऋण:** कृषि ऋण में विभिन्न क्षेत्रों के बीच मौजूद भारी विषमता को दूर करना; कृषि सावधि ऋणों पर बल; ऋण के दुरुपयोग को बंद करने लिए और ऋण देने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए जनधन-आधार-मोबाइल (जेएएम) का उपयोग; राज्य स्तरीय बैंकर समिति और जिला परामर्श समिति की नियमित कार्यसूची मद.
- **सरकारी कार्यक्रमों के बीच परस्पर सामंजस्य :** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ई-नाम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा निवेश.
- **भूमि से संबंधित मुद्दे :** कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से संसाधनों को एकत्र करने के लिए नवोन्मेषी मॉडल; सभी राज्यों में भूमि अभिलेखों का डिजिटाइजेशन; नीति आयोग की भूमि के पट्टाकरण से संबंधित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की अनुशंसाओं के अनुसरण में भूमि के पट्टाकरण से संबंधित कानूनों में संशोधन.

1.4.3 कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण

कृषि क्षेत्र की निरंतर प्रगति के लिए कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण का अत्यधिक महत्व है. कृषि क्षेत्र और अनुषंगी क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) का प्रतिशत हिस्सा और कृषि क्षेत्र में सकल वर्धित मूल्य का हिस्सा 2011-12 में 18.3 प्रतिशत की तुलना में घटकर 2015-16 में 16.3 प्रतिशत हो गया. (तालिका 1.2)

तालिका 1.2
कृषि और अनुषंगी क्षेत्र में जीवीए और जीसीएफ (2011-12 की स्थिर कीमतों पर)

(राशि ₹करोड़ में)

वर्ष	सकल वर्धित मूल्य	सकल पूंजी निर्माण	कृषि और अनुषंगी क्षेत्र जीवीए में जीसीएफ का हिस्सा (%)
2011-12	15,01,816	2,74,432	18.27
2012-13	15,24,398	2,53,308	16.62
2013-14	15,88,237	2,84,134	17.89
2014-15	16,06,140	2,77,436	17.27
2015-16	16,17,208	2,63,147	16.27

स्रोत: (1) राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार (31 मई 2017 की प्रेस विज्ञप्ति)
(2) प्रमुख आर्थिक संकेतक, अप्रैल 2017 (तालिका 10), आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
www.eaindustry.nic.in

आय में वृद्धि और रोजगार सृजन करने तथा समावेशी प्रगति के लक्ष्य प्राप्त करने में भी कृषि और अनुषंगी क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में निवेश में वृद्धि अत्यावश्यक है. सार्वजनिक क्षेत्र निवेश में कमी कृषि में जीसीएफ का जीवीए में अनुपात घटने का कारण हो सकती है. इसलिए, राज्यों द्वारा कृषि और अनुषंगी क्षेत्र में पूंजी निवेश हेतु बजटीय आबंटन में वृद्धि करने की आवश्यकता है. चुने हुए राज्यों के संबंध में कृषि और अनुषंगी क्षेत्र में पूंजी व्यय हेतु बजट अनुमान (2016-17) तालिका 1.3 में दिए गए हैं. कुल बजट में कृषि और अनुषंगी क्षेत्र पर पूंजी व्यय के बजट अनुमान में ज्यादा हिस्सा रखने वाले प्रमुख राज्य हैं केरल, गुजरात, तेलंगाणा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और असम.

तालिका 1.3
कृषि और अनुषंगी क्षेत्र के लिए चयनित राज्यों का बजट अनुमान

पूंजी व्यय 2016-17

(राशि ₹करोड़ में)

राज्य	बजट अनुमान 2016-17: कृषि और अनुषंगी क्षेत्र (राजस्व+पूंजी व्यय)	बजट अनुमान 2016-17: कृषि और अनुषंगी क्षेत्र (पूंजी व्यय)	कृषि और अनुषंगी क्षेत्र के लिए बजट अनुमान में पूंजी व्यय का हिस्सा (%) (स्तंभ 2 के % के रूप में स्तंभ 3)
1	2	3	4
केरल	17,740	11,130	62.74
गुजरात	16,309	9,441	57.89
तेलंगाणा	34,618	18,645	53.86
महाराष्ट्र	25,661	13,100	51.05
मध्य प्रदेश	17,426	8,241	47.29
झारखंड	5,736	2,650	46.20
पश्चिम बंगाल	9,647	4,435	45.97
आंध्र प्रदेश	16,260	7,382	45.40
कर्नाटक	23,038	10,014	43.47
असम	8,259	3,357	40.65
ओडिशा	14,493	5,623	38.80
उत्तर प्रदेश	21,961	8,191	37.30
राजस्थान	10,647	2,855	26.81
छत्तीसगढ़	11,815	2,496	21.13
तमिलनाडु	14,977	3,112	20.78
पंजाब	9,697	1,345	13.87
हरियाणा	6,230	819	13.15

नोट: कृषि और अनुषंगी क्षेत्र में खेती और अनुषंगी गतिविधियां, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण शामिल हैं.
स्रोत: राज्यों के वित्त: 2016-17 के बजटों का अध्ययन पर आधारित, भारतीय रिज़र्व बैंक

कृषि और अनुषंगी क्षेत्र में पूंजी निर्माण का बड़ा हिस्सा निजी निवेश का है जो कि मुख्य रूप से कृषि सावधि ऋणों पर आधारित है. इसलिए यह आवश्यक है कि मूल्य शृंखला के वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि और अनुषंगी क्षेत्र में निवेश ऋण की गति बढ़ाकर निजी क्षेत्र को बढ़ाया जाए. अध्ययनों से यह तथ्य सामने आया है कि सरकार द्वारा बुनियादी संरचनाओं और अन्य पूंजी निवेशों में अधिक खर्च करने से निजी निवेश आकर्षित होता है क्योंकि निजी पूंजी की अत्यल्प उत्पादकता में इससे वृद्धि हो जाती है. अत: निजी क्षेत्र में निवेश को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कृषि में सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता है.

1.4.4 कृषि विकास के लिए रणनीतियां

कृषि क्षेत्र में विभिन्न राज्यों के बीच विसंगति एक सच्चाई है क्योंकि कुछ राज्य अपेक्षाकृत अधिक तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं. तालिका 1.4 में 10 प्रमुख राज्यों की वृद्धि दर और उनके राज्य सकल घरेलू उत्पाद का विवरण दिया गया है. चार राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में कृषि विकास की रणनीतियां बॉक्स 1.3 में दी गई हैं.

बॉक्स 1.3
कुछ राज्यों में कृषि संबंधी रणनीतियां

भारतीय अंतरराष्ट्रीय संबंध अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईईआर), नई दिल्ली ने कुछ चुने हुए राज्यों में कृषि क्षेत्र के विकास और गरीबी उन्मूलन से उसके संबंधों का अध्ययन किया जिससे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निष्कर्ष सामने आए. बिहार, मध्यप्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इन अध्ययनों की कुछ महत्वपूर्ण बातें संक्षेप में नीचे दी गई है. नीचे दी गई तालिका से कुछ मानदंडों पर राज्यों की तुलनात्मक तस्वीर सामने आती है. अखिल भारतीय औसत की तुलना में कमतर आय, गरीबी का उच्चतर अनुपात और छोटे तथा सीमांत भू-जोतों की प्रधानता (मध्य प्रदेश को छोड़कर), औसतन अत्यंत छोटी भू-जोतें, श्रमिक वर्ग की कृषि पर अत्यधिक निर्भरता इन राज्यों में कृषि परिदृश्य की मुख्य विशेषताएं हैं.

विवरण	बिहार	मध्य प्रदेश	ओडिशा	उत्तर प्रदेश	संपूर्ण भारत
कृषि पर श्रमिक वर्ग की निर्भरता का % (जनगणना 2011)	74	70	62	59	55
भू-जोत का औसत आकार (हेक्टे) (कृषि गणना, 2010-11)	0.39	1.78	1.04	0.76	1.15
छोटी और सीमांत भू-जोतों का % (कृषि गणना, 2010-11)	97	71	92	92	85
कृषि कार्य करने वाले परिवारों की औसत मासिक आय (एनएसएसओ का स्थिति आकलन सर्वेक्षण 2012-13)	3,557	6,209	4,976	4,701	6,426
गरीबी अनुपात - समग्र	33.7	31.7	32.6	29.4	21.9
गरीबी अनुपात - ग्रामीण	34.1	35.7	35.7	30.4	25.7

मध्य प्रदेश: 2005-06 से 2014-15 तक की अवधि में राज्य में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर लगभग 9.7 प्रतिशत वार्षिक रही जो कि भारत के प्रमुख राज्यों में सर्वाधिक है. पिछले पांच वर्षों में यह वृद्धि और भी उल्लेखनीय (14.2 प्रतिशत वार्षिक) रही है.

मध्य प्रदेश में कृषि वृद्धि के प्रमुख कारक हैं -

(i) नलकूपों और नहरों के माध्यम से अतिरिक्त सिंचाई;
(ii) कृषि के लिए बिजली की आपूर्ति में वृद्धि;
(iii) गेहूं की अधिप्राप्ति की प्रणाली को सुदृढ़ बनाकर गेहूं के लिए निश्चित और अच्छी कीमत (न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा बोनस सहित);
(iv) सभी मौसमों में इस्तेमाल किए जाने योग्य सड़कों का निर्माण और
(v) प्रमुख बुनियादी संरचनाओं और बेहतर सेवाओं का लाभ उठाने के लिए निजी क्षेत्र को निवेश का स्तर बढ़ाने के लिए दिए गए उपयुक्त प्रोत्साहन और संकेत.

राज्य में कृषि के कायाकल्प में बुनियादी संरचनाओं (विशेष तौर पर सड़कों, बिजली की आपूर्ति और नहर सिंचाई) के विकास में सार्वजनिक निवेश ने भी प्रमुख भूमिका निभाई. कृषि की वृद्धि को उत्प्रेरित करने के लिए तीन प्रमुख अनुशंसाएं निम्नलिखित हैं:

- पारेषण और वितरण को मजबूत कर और सिंचाई तथा घरेलू उपयोग के लिए फीडरों को अलग-अलग कर ग्रामीण बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार;
- ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों की सघनता बढ़ाना, और
- किसानों के बाज़ार जोखिम को कम करने के लिए अधिप्राप्ति और विपणन की बुनियादी संरचनाओं में सुधार.

उत्तर प्रदेश : राज्य में कृषि की वृद्धि को वर्तमान 2.5 प्रतिशत से दोगुना कर 5 प्रतिशत करने की संभावना है. जनगणना 2011 के अनुसार वर्तमान में भारत के सर्वाधिक आबादी वाले इस राज्य के 59 प्रतिशत श्रमिक खेती के काम में लगे हैं लेकिन उनके भू-जोत का औसत आकार केवल 0.76 हेक्टे है जिसमें छोटी और सीमांत जोतों की अधिकता है. 2011-12 में प्रदेश की 29 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी. एनएसएस के स्थिति आकलन, सर्वेक्षण (2012-13) के अनुसार उत्तर प्रदेश में खेती में लगे परिवारों की औसत मासिक आय देश में तीसरे निम्नतम स्थान पर थी.

(जारी....)

बॉक्स 1.3 (जारी....)

लेकिन, निम्नलिखित उपायों के माध्यम से कृषि की वृद्धि दर दोगुनी की जा सकती है.

- किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करते हुए गेहूं और धान की अधिप्राप्ति के लिए सुदृढ़ प्रणाली स्थापित करना;
- अगले पांच वर्षों में दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को लगभग 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करते हुए डेयरी क्षेत्र को गति प्रदान करना;
- रंगराजन समिति (2012) के फॉर्म्यूले के आधार पर गन्ने की मूल्य निर्धारण प्रणाली को विवेकपूर्ण बनाना और गुड़ पर से सब तरह के प्रतिबंध हटाना;
- फलों और सब्जियों की खेती के लिए नवोन्मेषी पद्धतियों और प्रौद्योगिकी का उपयोग शुरू करना;
- विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति, विशेष रूप से सौर ऊर्जा के माध्यम से, बेहतर सिंचाई व्यवस्था के लिए बुनियादी संरचनाओं में निवेश.

बिहार : लगभग पिछले दशक से बिहार की कृषि की वृद्धि दर 4.7 प्रतिशत रही है जो कि 3.6 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से अधिक है. पिछले पांच वर्षों में यह वृद्धि 7.1 प्रतिशत की उल्लेखनीय दर से हुई है. डेयरी क्षेत्र की ओर विविधीकरण भी हुआ है. तथापि, धान, गेहूं और डेयरी की उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है.

बिहार में कृषि और उत्पादकता में वृद्धि को उत्प्रेरित करने के लिए पांच प्रमुख अनुशंसाएं निम्नानुसार हैं:

- पारेषण और वितरण को मजबूत कर और सिंचाई तथा घरेलू उपयोग के लिए फीडरों को अलग-अलग कर ग्रामीण बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार;
- ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों की सघनता बढ़ाना;
- अधिप्राप्ति और विपणन की बुनियादी संरचनाओं में सुधार;
- डेयरी पशुधन के स्वास्थ्य और प्रजनन प्रबंधन में सुधार;
- आंध्र प्रदेश और ओडिशा में इस्तेमाल किए जाने वाले इंटीग्रेटर मॉडल की तरह मुर्गी पालन में भारी वृद्धि हासिल करना.

ओडिशा : जल और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद ओडिशा की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के लगभग 60 प्रतिशत ही है. राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20 प्रतिशत कृषि से आता है जब कि लगभग 62 प्रतिशत लोग खेती के काम में लगे हैं. इससे राज्य की खराब अवस्था का पता चलता है. राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के हिस्से में पिछले पांच वर्षों (2010-14) में औसत वार्षिक वृद्धि नगण्य (0.9 प्रतिशत) रही है. चूंकि राज्य की अधिकांश आबादी की आजीविका का प्रमुख साधन खेती है इसलिए गरीबी उन्मूलन और आर्थिक वृद्धि के लिए कृषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है.

राज्य में कृषि में सतत वृद्धि के लिए मोटे तौर पर तीन क्षेत्रों में प्रयास करने की आवश्यकता है:

- विशेष रूप से सिंचाई सुविधाओं को सकल फसल क्षेत्र के 39 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़ाने के लिए जल संसाधन पर बेहतर नियंत्रण; उपयोग न किए गए भूमिगत जल की बड़ी मात्रा का दोहन और बरसात के पानी का संचय (सामान्य वर्षा 1451 मि.मी.) महत्वपूर्ण है.
- कृषि श्रमिकों और मशीनरी के आने-जाने और परिवहन में सुविधा में वृद्धि के लिए और किसानों को बेहतर प्रतिफल उपलब्ध कराने की दृष्टि से बाजार केंद्रों से दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सभी मौसमों में कनेक्टिविटी की उपलब्धता पर ध्यान देने की आवश्यकता है.
- किसानों को खेती से अच्छा फायदा मिले इसके लिए अच्छी तरह समन्वित मूल्य शृंखला के संवर्धन के साथ बागवनी, पशुपालन जैसे उच्च मूल्य के उत्पादन की ओर कृषि का विविधीकरण अनिवार्य है.

स्रोत:

गुलाटी, अशोक, पल्लवी राजखोवा और प्रवेश शर्मा, 2017, मेकिंग रैपिड स्ट्राइड्स - एग्रिकल्चर इन मध्य प्रदेश : सोर्सेज, ड्राइवर्स एण्ड पॉलिसी लेसन्स, वर्किंग पेपर 339, मार्च 2017, भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

होडा, अन्वरूल, पल्लवी राजखोवा और अशोक गुलाटी, 2017. अनलीशिंग बिहार्स एग्रिकल्चर पोन्टेशियल: सोर्सेज एण्ड ड्राइवर्स ऑफ एग्रिकल्चर ग्रोथ. वर्किंग पेपर 336, मार्च 2017, भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

वर्मा, स्मृति, अशोक गुलाटी और सिराज हुसैन, 2017. डबलिंग एग्रिकल्चरल ग्रोथ इन उत्तर प्रदेश; सोर्सेज एण्ड ड्राइवर्स ऑफ `एग्रिकल्चरल ग्रोथ एण्ड पॉलिसी लेसन्स. वर्किंग पेपर 335, मार्च 2017, भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

होडा, अन्वरूल, पल्लवी राजखोवा और अशोक गुलाटी, 2017. ट्रान्सफॉर्मिंग एग्रीकल्चर इन ओडिशा: सोर्सेज एण्ड ड्राइवर्स ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ. वर्किंग पेपर 336, मार्च 2017, भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

तालिका 1.4
सकल राज्य घरेलू उत्पाद - 10 प्रमुख राज्यों में कृषि

राज्य	फैक्टर लागत (आधार वर्ष 2004-05) पर कृषिजन्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद - 2014-15 (₹करोड़)	स्थिर कीमतों पर कृषिजन्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक चक्रवृद्धि दर (%) - 2010-11 से 2014-15
उत्तर प्रदेश	96,482.01	4.04
मध्य प्रदेश	72,497.26	19.07
महाराष्ट्र	48,635.79	-2.59
पश्चिम बंगाल	47,797.96	1.69
राजस्थान	47,126.74	1.59
आंध्र प्रदेश	44,558.76	3.47
कर्नाटक	43,001.76	2.10
पंजाब	34,938.47	1.10
बिहार	31,567.35	4.60
हरियाणा	28,706.76	2.41

स्रोत: भारतीय राज्यों की सांख्यिकी पर हैण्डबुक - 2015-16, भारतीय रिज़र्व बैंक

इसके अलावा, सौर सिंचाई में कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने की भारी संभावना है जैसा कि बॉक्स 1.4 में दिखाया गया है. सौर सिंचाई उत्पादकता और आय में वृद्धि कर किसानों के लिए एक नई नकदी फसल बन सकती है.

बॉक्स 1.4
सौर सिंचाई - किसानों के लिए एक नई नकदी फसल

सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में 11वां है. 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार देश की संचयी सौर क्षमता 12.28 गीगा वाट है. भारत सरकार ने 2022 तक सौर ऊर्जा के माध्यम से 100 गीगा वाट की क्षमता बढ़ाने के भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं, 10 वर्ष के लिए कर से छूट, सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से संचालित पंपों (एसडबल्यूपी) के लिए किसानों को 30-40 प्रतिशत सब्सिडी, पूर्वोत्तर राज्यों में सौर पीवी ऊर्जा संयत्र स्थापित करने की लागत पर 70 प्रतिशत सब्सिडी और अन्य क्षेत्रों में 30 प्रतिशत सब्सिडी.

सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई के अंतर्गत भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए प्रोत्साहन का एक मॉडल भी है. यदि किसानों को अधिशेष ऊर्जा को ग्रिड को बेचने का विकल्प दिया जाता है तो वे जल को पंप करने की मात्रा को न्यूनतम कर सकते हैं और इस तरह जल संरक्षण कर सकते हैं. अपनी सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद वे सौर ऊर्जा को ग्रिड में भेज सकते हैं जिससे अतिरिक्त ऊर्जा की बिक्री से राजस्व प्राप्त होगा. यह मॉडल देश में सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए प्रोत्साहन का काम करेगा और इससे भूमिगत जल का शोषण कम होगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी (गुलाटी व अन्य, 2016).

गुजरात में धुंदी सोलर पंप इरिगेटर्स को-ऑपरेटिव एन्टरप्राइज (एसपीआईसीई) ने 2016 की शुरुआत में काम करना शुरू किया. यह विश्व की पहली सौर सिंचाई सहकारी संस्था है. इस पहल को इंटरनेशनल वॉटर मैनेजमेंट इन्स्टिट्यूट (आईडब्ल्यूएमआई) ने प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया था. किसानों ने अपने खेतों से डीजल पंप हटाकर सौर पंप लगाए. सहकारी संस्था के सदस्य अपने सौर पंपों को चलाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते रहे हैं और वे 25 वर्षीय विद्युत् क्रय करार (पीपीए) के अंतर्गत प्रति यूनिट ₹4.63 की दर से मध्य गुजरात विद्युत् कंपनी लि. (एमजीवीसीएल) को अधिशेष ऊर्जा बेचने के लिए ऊर्जा को इकट्ठा कर रहे हैं. इसके अलावा, आईडब्ल्यूएमआई - टाटा प्रोग्राम तथा जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा (सीसीएएफएस) कार्यक्रम हरित ऊर्जा बोनस के रूप में प्रति यूनिट ₹1.25 और भूमिगत जल संरक्षण बोनस के रूप में प्रति यूनिट ₹1.25 देंगे. अप्रैल 2017 तक इस सहकारी संस्था ने ऊर्जा की बिक्री से ₹3,40,000 से अधिक कमाया (आईडब्ल्यूएमआई, 2017).

यह मॉडल प्रत्येक गांव में 40 से 50 सौर पंप के मालिकों की सहकारी संस्थाओं द्वारा अपनाया जा सकता है ताकि वे अपनी बिजली को इकट्ठा कर ग्रिड को दे सकें. सौर सिंचाई पंपों के लिए अधिक जमीन की जरूरत नहीं होती क्योंकि वे ऊंचाई पर लगाए जाते हैं और फसल की उत्पादकता में बाधा नहीं पहुंचाते (गुलाटी व अन्य, 2016).

खेती में सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए खेतों में सौर पैनल लगाए जा सकते हैं. सौर पैनल किसान के पूरे खेत के ऊपर लगाए जा सकते हैं ताकि फसल भी ली जा सके और बिजली भी प्राप्त की जा सके. यह एक तरह से खेत में नीचे फसल और पंद्रह-बीस फीट की ऊंचाई पर सौर ऊर्जा की एक और फसल लेने जैसा है. पूरे विश्व में हुए अध्ययनों ने साबित किया है कि सौर पैनलों की छाया से फसल की वृद्धि पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता यदि वे इस तरह लगाए जाएं कि पौधों के लिए पर्याप्त धूप और हवा मिलती रहें (गुलाटी व अन्य, 2016).

(जारी....)

बॉक्स 1.4 (जारी....)

धुंदी एसपीआईसीई के छह सौर पंपों की कुल क्षमता 56.4 किलोवाट-पीक (केडब्ल्यूपी) है और इनसे प्रति वर्ष लगभग 85,000 किलोवाट घंटा ऊर्जा पैदा हो सकती है (आईडब्ल्यूएमआई, 2017).

संदर्भ:

गुलाटी, अशोक, स्तुति मनचंदा और राकेश कक्कड़ (2016). "हार्वेस्टिंग सोलर पॉवर इन इंडिया" वर्किंग पेपर सं.329, आईसीआरआईइआर, नई दिल्ली.
आईडब्ल्यूएमआई (2017). द प्रॉमिस ऑफ धुंदी पंप इरिगेटर्स को-ऑपरेटिव, मई, 2017

1.4.5 कृषि और अनुषंगी क्षेत्र को ऋण

2016-17 के दौरान बैंकों ने ₹9,00,000 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष कृषि क्षेत्र (कृषि और अनुषंगी, कृषि-आधारभूत संरचना और सहायक गतिविधियों सहित) को ₹9,59,826 करोड़ (28 फरवरी 2017 तक अनंतिम) का ऋण वितरित किया था. वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षेग्रा बैंक) और सहकारी बैंकों ने क्रमशः ₹7,33,201 करोड़, ₹1,03,974 करोड़ और ₹1,22,651 करोड़ (अनंतिम) संवितरित किए (तालिका 1.5).

तालिका 1.5
एजेंसी-वार आधार स्तरीय ऋण प्रवाह

(राशि ₹करोड़ में)

एजेंसी	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (अनंतिम)	2016-17* (अनंतिम)
वाणिज्य बैंक	4,32,491	5,27,506	6,04,376	6,42,954	7,33,201
क्षेग्रा बैंक	63,681	82,653	1,02,483	1,19,261	1,03,974
सहकारी बैंक	1,11,203	1,19,964	1,38,469	1,53,295	1,22,651
कुल	6,07,375	7,30,123	8,45,328	9,15,510	9,59,826

क्षेग्रा बैंक - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
स्रोत : *अनंतिम (28 फरवरी 2017 की स्थिति) - संबंधित बैंकों द्वारा नाबार्ड के एन्श्योर पोर्टल में किए गए रिपोर्ट के अनुसार. कृषि मीयादी ऋण के आंकड़ों में कृषि और कृषि-अनुषंगी, कृषि-इन्फ्रा और सहायक गतिविधियां शामिल हैं. कुल मीयादी ऋण संवितरण में, अप्रत्यक्ष मीयादी ऋण का हिस्सा ₹1,27,070.52 करोड़ है (भारतीय रिजर्व बैंक की परिभाषा के अनुसार गैर-कॉर्पोरेट किसानों को नहीं दिया गया).

पिछले पांच वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह का एजेंसी-वार हिस्सा प्रदर्श 1.6 में दिया गया है. कृषि ऋण वितरण में वाणिज्य बैंक अग्रणी रहे हैं और उसके बाद सहकारी बैंकों और क्षेग्रा बैंकों का स्थान रहा है.

प्रदर्श 1.6
कृषि के लिए ऋण प्रवाह में एजेंसी-वार हिस्सा (%)

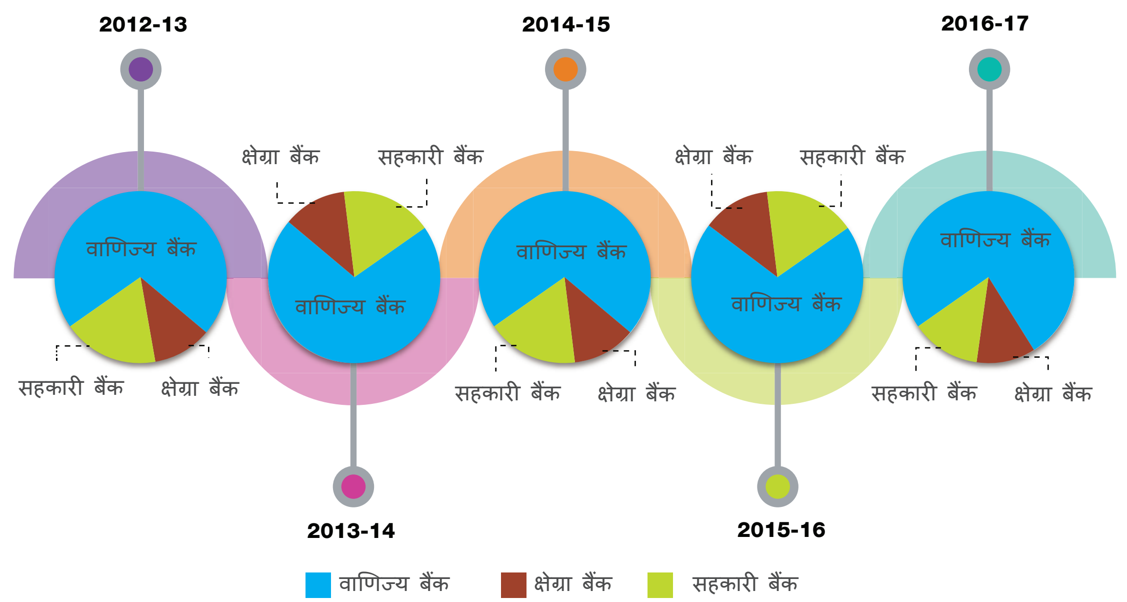

नोट : वर्ष 2016-17 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं (28 फरवरी 2017 तक)

कृषि ऋण प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह 2007-08 से 2016-17 की दस वर्ष की अवधि के दौरान ₹2.54 लाख करोड़ से बढ़कर ₹9.60 लाख करोड़ (28 फरवरी 2017 को अनंतिम) हो गया है (प्रदर्श 1.7). वितरित कुल कृषि ऋण में मीयादी ऋण के हिस्से में धीरे धीरे गिरावट आई और यह 2008-09 के 30.2 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 22.1 प्रतिशत हो गया, इसके बाद यह प्रवृत्ति पलट गई और 2016-17 में मीयादी ऋण का हिस्सा 35.1 प्रतिशत तक पहुंचा (प्रदर्श 1.8). यह वृद्धि काफी आश्वस्त करने वाली है क्योंकि इससे कृषि में पूंजी निर्माण में अपेक्षित वृद्धि की ओर बढ़ने की संभावना है.

प्रदर्श 1.7
कृषि और अनुषंगी गतिविधियों के लिए आधारस्तरीय ऋण प्रवाह

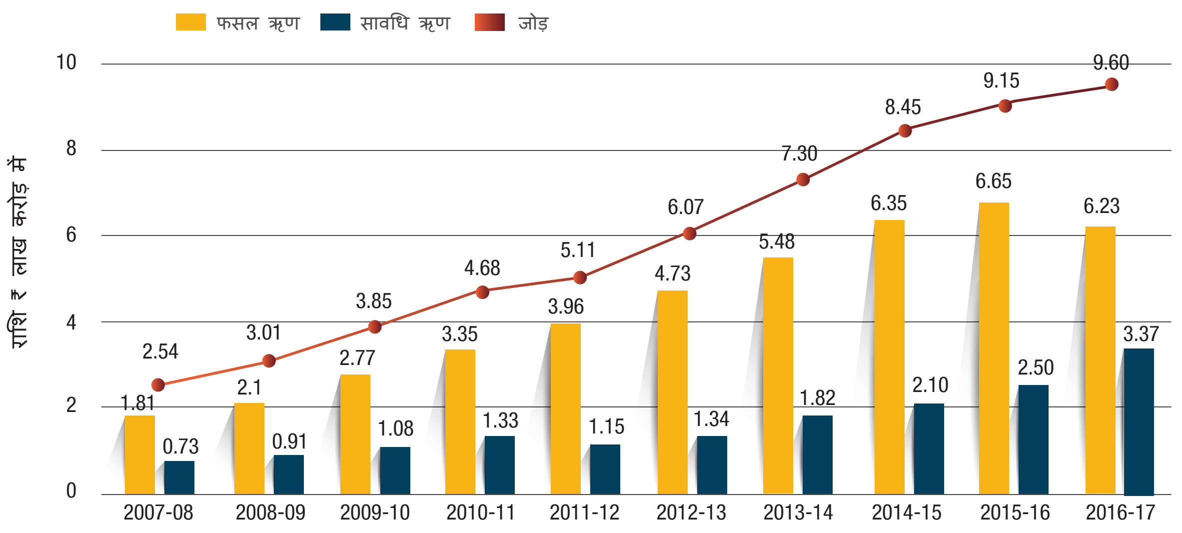

नोट : वर्ष 2016-17 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं (28 फरवरी 2017 तक)

प्रदर्श 1.8

कृषि और अनुषंगी गतिविधियों को आधारस्तरीय ऋण प्रवाह में मीयादी ऋण का हिस्सा (%)

नोट : वर्ष 2016-17 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं (28 फरवरी 2017 तक)

पिछले पांच वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह का मोटे तौर पर प्रयोजन-वार विवरण तालिका 1.6 में दिया गया है.

तालिका 1.6

कृषि क्षेत्र को आधार स्तरीय संवितरण

वर्ष	फसल ऋण	मीयादी ऋण	कुल
2012-13	4,73,500	1,33,875	6,07,375
2013-14	5,48,435	1,81,688	7,30,123
2014-15	6,35,412	2,09,916	8,45,328
2015-16 (अनंतिम)*	6,65,313	2,50,197	9,15,510
2016-17 (अनंतिम)#	6,22,685	3,37,141	9,59,826

* क्षेत्रा बैंकों और सहकारी बैंकों के संबंध में रिपोर्टिंग बैंकों और वाणिज्य बैंकों के संबंध में एसएलबीसी पर आधारित अनंतिम आंकड़े.

 # स्रोत: अनंतिम (28 फरवरी 2017 की स्थिति) - संबंधित बैंकों द्वारा नाबार्ड के एन्श्योर पोर्टल में की गई रिपोर्ट के अनुसार. कृषि मीयादी ऋण के आंकड़ों में कृषि और कृषि-अनुषंगी, कृषि-इन्फ्रा और अनुषंगी गतिविधियां शामिल हैं. कुल मीयादी ऋण संवितरण में, अप्रत्यक्ष मीयादी ऋण का हिस्सा ₹1,27,070.52 करोड़ है (भारतीय रिजर्व बैंक की परिभाषा के अनुसार गैर-कॉर्पोरेट किसानों को नहीं दिया गया).

कृषिजन्य जीडीपी में कृषि ऋण की हिस्सेदारी (मौजूदा कीमतों पर) में पिछले दशक की अपेक्षा वृद्धि का रुझान रहा है हालांकि यह हिस्सेदारी 2015-16 में 42.1 प्रतिशत से घट कर 2016-17 में 40.5 प्रतिशत हो गई (प्रदर्श 1.9).

प्रदर्श 1.9

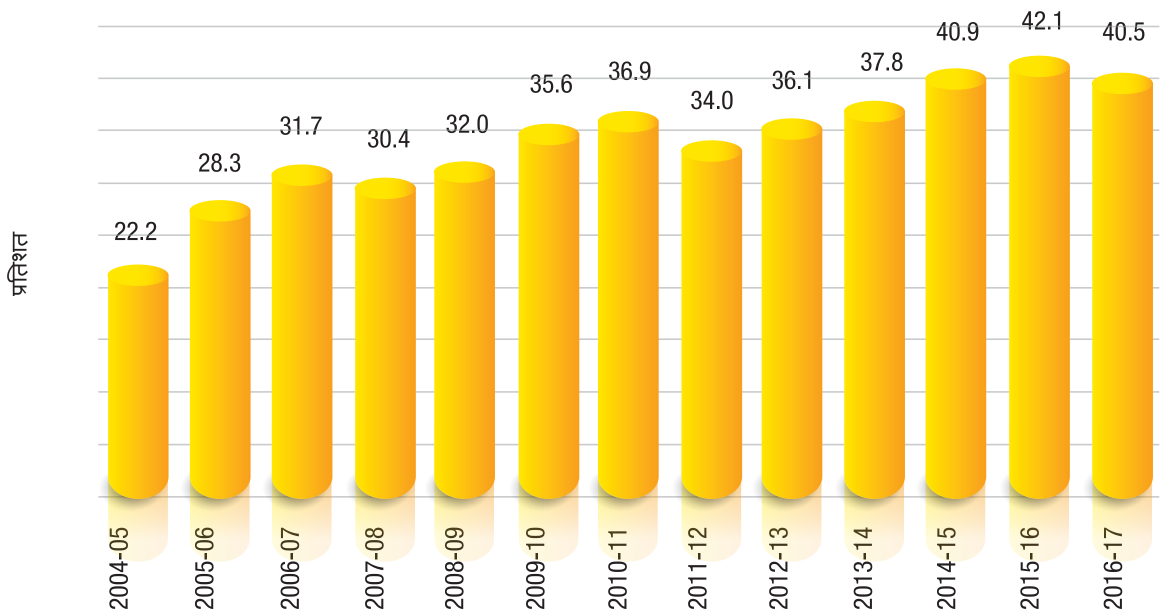

कृषि जीडीपी में कृषि ऋण का अनुपात (%) (मौजूदा कीमतों पर)

नोट: 2004-05 से 2010-11 की अवधि के लिए आंकड़े वर्तमान कीमतों पर जीडीपी-कृषि से संबंधित हैं और 2011-12 से 2016-17 के लिए आंकड़े वर्तमान कीमतों पर जीवीए-कृषि से संबंधित हैं.

स्रोत: गणना (1) केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, (2) नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट (विभिन्न अंक) और (3) नाबार्ड के एन्श्योर पोर्टल पर संबंधित बैंक द्वारा 2016-17 के लिए रिपोर्ट किए गए कृषि ऋण के अनंतिम आंकड़ों (28 फरवरी 2017 तक) पर आधारित है.

1.4.6 कृषि व्यापार

भारत कृषि वस्तुओं का प्रमुख निर्यातक है. 2015 में भारत का कृषि निर्यात 35 बिलियन अमरीकी डॉलर का था और विश्व के कुल निर्यात में इसका हिस्सा 2.2 प्रतिशत था, जो 2000 के 1.1 प्रतिशत से बढ़ गया था. तथापि, भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात की वार्षिक प्रगति में 2012 के 21 प्रतिशत से भारी गिरावट होकर 2015 में (-)19 प्रतिशत अनुभव की गई.[10]

सीमांत और छोटे भू-धारकों की पहुंच निर्यात बाजार तथा जीवन निर्वाह के लिए की जाने वाली खेती से उच्च मूल्य वाली उपज के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप उच्च प्रौद्योगिकी वाली लाभप्रद खेती की ओर ले जाने के लिए अपेक्षित जुड़ाव और जानकारियों तक नहीं है. कृषि के क्षेत्र में आयात-निर्यात मूल्य अनुपात पर ग्रामीण निर्धनों का प्रभाव, निविष्टियों की उपलब्धता और लागत, तथा ठेका खेती और कॉरपोरेट खेती जैसे तंत्रों के माध्यम से कृषि व्यवसाय में कॉरपोरेट निवेश के माध्यम से भूमंडलीकरण का सबसे अधिक प्रभाव ग्रामीण गरीबों पर हो सकता है (सिंह, 2016). इसलिए, कृषि नीति में छोटे और सीमांत किसानों के कृषि उत्पाद के लिए निर्यात बाजार खोलने के लिए उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर ध्यान देने की जरूरत है. ठेका खेती और एफपीओ/ एफपीसी के माध्यम से वैश्विक बाजारों के साथ एकीकरण से गरीबी को कम करने में मदद मिल सकती है.

1.4.7 कृषि भूमि पट्टा नीति

भारत में सीमांत और छोटे भू-धारकों को जमीन से संबंधित कई समस्याओं जैसे उचित सुरक्षित भूमि के स्वामित्व के अभाव और काश्तकार किसानों की प्रधानता, कृषि में औपचारिक और पारदर्शी भूमि पट्टे पर प्रतिबंध, डिजिटाइजेशन और भूमि के स्वामित्व के अभिलेखों के अद्यतनीकरण के अभाव का सामना करना पड़ता है. भूमि के पट्टाकरण को वैध बनाने और उदारीकरण की अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि इससे कृषि दक्षता, इक्विटी, व्यवसायगत विविधीकरण और गांवों के रूपान्तरण में मदद मिलेगी.

[10] वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू, 2016, डब्ल्यूटीओ

नीति आयोग ने एक आदर्श भूमि पट्टाकरण कानून बनाया है, जिसे अब तक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश द्वारा अपनाया गया है. नीति आयोग (2017) के अनुसार मार्च 2020 के अंत तक यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि कम से कम दो तिहाई राज्यों में उदार भूमि पट्टाकरण कानून हों जो मालिक और पट्टेदार दोनों के अधिकारों की रक्षा करते हों और उन्हें पारस्परिक सहमति से लिखित पट्टा करार निष्पादित करने का अवसर देते हों.

केंद्र सरकार के 2008 में शुरू किए गए राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि सर्वेक्षणों तथा सर्वेक्षण और निपटान अभिलेखों के अद्यतनीकरण पर आधारित तत्काल समय (रीयल टाइम) भूमि अभिलेखों की एक पारदर्शी और एकीकृत प्रणाली का निर्माण करना है. दुर्भाग्य से, कम निधि और डिजाइन की समस्याओं के कारण यह योजना अच्छी तरह से नहीं चल सकी. इसलिए, नीति आयोग (2017) के अनुसार मार्च 2020 के अंत तक कम से कम दो-तिहाई राज्यों में तेजी से अद्यतन डिजिटल अभिलेख बनाने के लिए योजना को सुधारने और उचित धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है.

1.5 ग्रामीण विकास

1.5.1 राज्यों द्वारा बजटीय आबंटन

चयनित राज्यों के संबंध में ग्रामीण विकास में पूंजीगत व्यय के बजट अनुमान (2016-17) तालिका 1.7 में प्रस्तुत किए गए हैं. क्षेत्र के लिए कुल बजट में ग्रामीण विकास पर पूंजीगत व्यय के बजटीय अनुमान के हिस्से के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम और झारखंड प्रमुख राज्य हैं.

तालिका 1.7
ग्रामीण विकास के लिए चयनित राज्यों के बजटीय व्यय का अनुमान - 2016-17

(राशि ₹करोड़ में)

राज्य	बजट अनुमान 2016-17: ग्रामीण विकास (राजस्व +पूंजीगत व्यय)	बजट अनुमान 2016-17: ग्रामीण विकास (पूंजीगत व्यय)	ग्रामीण विकास के बजट अनुमान में पूंजी व्यय का हिस्सा (%) (कॉलम 2 के % के रूप में कॉलम 3)
1	2	3	4
बिहार	16,874	6,244	37.00
उत्तर प्रदेश	19,446	6,969	35.84
महाराष्ट्र	16,610	4,483	26.99
मध्य प्रदेश	11,416	2,651	23.22
गुजरात	5,744	1,238	21.55
असम	5,424	1,133	20.89
झारखंड	8,748	1,753	20.03
पंजाब	704	141	20.02
छतीसगढ़	5,698	844	14.81
राजस्थान	15,124	864	5.71
तेलंगाणा	6,954	201	2.89
ओडिशा	8,293	149	1.79

नोट : ग्रामीण विकास में विशेष क्षेत्र कार्यक्रम शामिल है
स्रोत : राज्य वित्त की गणना के आधार पर: बजट 2016-17 का अध्ययन, भारतीय रिज़र्व बैंक

1.5.2 राज्यों द्वारा कार्यान्वित विशेष ग्रामीण विकास योजनाएं

भारत सरकार की ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के अतिरिक्त राज्य अन्य विशेष और नवोन्मेषी योजनाएं कार्यान्वित करते हैं. इनमें से कुछ योजनाओं की मूल विशेषताएं बॉक्स 1.5 में प्रस्तुत है.

बॉक्स 1.5
2016-17 के दौरान कार्यान्वित प्रमुख कृषि और ग्रामीण विकास योजनाएं - राज्य सरकार योजनाएं

- महाराष्ट्र को सूखा मुक्त राज्य बनाने के लिए जल संरक्षण विभाग द्वारा सीमेंट और मिट्टी के बांधों के निर्माण, पाट को चौड़ा करने, खेत पर तालाब आदि के माध्यम से जलयुक्त शिवार अभियान 2019 तक कार्यान्वित किया जा रहा है.
- कर्नाटक में भूमि बैंक के एकीकरण के अंतर्गत, भूमि परियोजना के तहत सभी कृषि भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है और इसके बाद उन्हें अधिकारों के अभिलेखों पर धारणाधिकार अंकित करने और भार प्रमाणपत्र के लिए कावेरी परियोजना से जोड़ा गया.
- एकीकृत विपणन प्लेटफ़ॉर्म कृषि विपणन प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए एनसीडीईएक्स स्पॉट एक्सचेंज और कर्नाटक सरकार का एक संयुक्त उद्यम है.
- कर्नाटक सरकार द्वारा शुरु की गई भूचेतना परियोजना का लक्ष्य चयनित वर्षा आधारित फसलों की औसत उत्पादकता में 20 प्रतिशत की वृद्धि करना है.
- झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के अंतर्गत असमतल भूमि क्षेत्रों और जल निकायों को जोड़ने के लिए ग्रामीण पुलों का निर्माण किया जा रहा है.
- भारत सरकार के दो कार्यक्रमों, नामतः मिशन अंत्योदय और ग्राम पंचायत विकास योजना का विलय करके गठित 'योजना बनाओ अभियान' के तहत झारखंड की 4,402 ग्राम पंचायतों के लगभग 30,000 गांवों में लोगों ने ग्राम स्तरीय योजनाएं तैयार कीं.
- झारखंड में 32,615 गांवों में जल संचयन ढांचे 'डोभा' बनाए जाएंगे जिसके लिए छोटे और सीमांत किसानों को 90 प्रतिशत और अन्य किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी.
- बिहार में दलदली भूमि में नए तालाबों के निर्माण के माध्यम से मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना शुरु की गई है और 50 प्रतिशत अथवा ₹5 लाख में से जो भी कम हो तक सब्सिडी उपलब्ध है.
- उद्योग विभाग, बिहार ने मुख्यमंत्री एमएसएमई क्लस्टर विकास योजना लागू की है जिसमें क्षेत्र विशेष (प्राथमिकता/ गैर प्राथमिकता) के आधार पर ब्याज सहायता भी उपलब्ध है
- जम्मू और कश्मीर में शुरु की गई युवा स्टार्ट-अप ऋण योजना में सुलभ ऋण के रूप में कम ब्याज दर पर युवा स्टार्ट-अप उद्यमियों को ऋण सुविधा दी जाती है.
- आंध्र प्रदेश को अक्वा हब के रूप में विकसित करने और मछली उत्पादन को बढ़ाने हेतु समुद्री, खारे पानी, अंतर्देशीय मत्स्यपालन, जलाशयों के विकास और सजावटी मत्स्य व्यापार के लिए विकास के विभिन्न प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु मत्स्यपालन संवर्धन की योजना.
- आंध्र प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना में राज्य में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 2020 तक कम से कम 5,000 मैगा वाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य है. इसका लक्ष्य आवश्यक उपयोगी सुविधाओं के साथ सौर पार्क विकसित करना, अपस्ट्रीम नेटवर्क से बचने में मदद के लिए वितरित निर्माण को बढ़ावा देना, सौर ऊर्जा वाले पंप लगाना और रोजगार सृजन के लिए स्थानीय विनिर्माण सुविधाओं को बढ़ावा देना है.
- मेघालय राज्य 1,000 तालाब और मेघालय अक्वाकल्चरल मिशन के अंतर्गत दलदली क्षेत्रों में भराव और मत्स्यपालन क्लस्टरों के विकास के लिए सामुदायिक जल निकायों के विकास के अलावा पांच वर्षों की अवधि के भीतर 10,000 हेक्टे. जलक्षेत्र के निर्माण की अवधारणा है.
- उत्तर प्रदेश में कामधेनु नस्ल की वाणिज्यिक डेयरी को बढ़ावा देने के लिए, ऋणों पर बैंकों द्वारा प्रभारित 12 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर की प्रतिपूर्ति ₹32.82 लाख की अधिकतम सीमा तक पांच वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी.
- उत्तराखंड सरकार के पर्यटन विभाग की वीरचंद्र गढ़वाली पर्यटन योजना के तहत, पर्यटन संवर्धन से संबंधित 10 चयनित गतिविधियों में उद्यमों की स्थापना के लिए बेरोजगार युवाओं को ₹20 लाख के परिव्यय वाली परियोजनाओं के लिए 25 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम ₹5 लाख) और 63 प्रतिशत बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है.

संदर्भ:

एडीबी (2017). एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2017.
भारत सरकार (2016). आर्थिक सर्वे 2015-16, खंड 2, वित्त मंत्रालय.
भारत सरकार (2017). आर्थिक सर्वे 2016-17, वित्त मंत्रालय.
आईएमएफ़ (2017). वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2017.
भारतीय रिजर्व बैंक (2016). वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, दिसंबर 2016.
भारतीय रिजर्व बैंक (2017). मैक्रोइकोनोमिक इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन - अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट, मार्च 10, 2017.
सिंह, सुखपाल (2016): "इंक्लूसिव फूड वैल्यू चेन्स इन इंडिया: एविडेंस एंड ड्राइवर्स, विसिसिट्यूड ऑफ एग्रिकल्चर इन द फास्ट ग्रोइंग इंडियन इकॉनोमी : चैलेंजेज़, स्ट्रैटेजीज़ एंड द वे फॉरवर्ड में, इंडियन सोसाइटी फॉर एग्रिकल्चरल इकॉनोमिक्स
यूएनडीपी (2016). ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016.
वर्ल्ड बैंक (2017). ग्लोबल इकॉनोमिक प्रोस्पेक्ट्स, जून 2017.

2 नाबार्ड की जलवायु स्मार्ट कृषि के संवर्धन में भूमिका

2.1 जलवायु स्मार्ट कृषि - भावी मार्ग

भारत में खाद्यान्न, पोषण और आजीविका की सुरक्षा के लिए कृषि महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमारे कार्यबल का लगभग दो-तिहाई हिस्सा संलग्न है और इसका सकल वर्धित मूल्य (जीवीए) में 15.2 प्रतिशत का योगदान है. कई उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं. कृषि का अन्य आर्थिक क्षेत्रों के साथ निकट संबंध होने के कारण, कृषि क्षेत्र में होने वाला विकास देश की अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव डालता है. तथापि, अल्पावधि और दीर्घावधि में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि क्षेत्र के सामने जलवायु परिवर्तन और परिवर्तनशीलता जैसी चुनौतियां हैं. कृषि को सतत और जलवायु अनुकूल बनाने के लिए उपयुक्त अनुकूलन और शमनकारी उपाय विकसित करने की आवश्यकता है. जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि की संवेदनशीलता का आकलन करना जलवायु-स्मार्ट प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रसार की पूर्व-आवश्यकता है. निर्णयकर्ताओं और योजनाकारों के लिए ऐसी सूचनाएं होना जरूरी हैं ताकि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों का समाधान ढूंढ़ने और दुर्बल क्षेत्रों को संसाधन आबंटन में प्राथमिकता देने के लिए समुचित कार्यनीति बनाई जा सके.

2.2 जलवायु परिवर्तन का स्वरूप और इसके प्रभाव

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की पांचवीं आकलन रिपोर्ट में दोहराया गया है कि जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है और इसका प्रभाव पूरी दुनिया के देशों में महसूस किया जा रहा है. आईपीसीसी ने चेतावनी दी है कि यदि वैश्विक समाज वर्तमान दरों पर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करना जारी रखता है तो वर्ष 2100 तक औसत वैश्विक तापमान 2.6-4.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है. ग्रीनहाउस गैसों के वायुमंडल में संकेन्द्रण को सीमित करने के लिए शमनकारी उपायों की तत्काल आवश्यकता है. जलवायु परिवर्तन के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव प्रदर्श 2.1 में दिए गए हैं.

प्रदर्श 2.1

जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव

जलवायु परिवर्तन के सकारात्मक प्रभाव

- कुछ क्षेत्रों में फसल उत्पादन का विस्तार
- तापमान, ठंड के प्रभावों में कमी, और कार्बन डाइ ऑक्साइड निषेचन

जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव

- सूखे की घटनाओं में वृद्धि (वर्षा की कमी और मृदा की नमी का सूखना)
- चरम तापमान और वाष्पीकरण दर (दिन और रात के समय)
- अत्यधिक वर्षा
- जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति उपज की संवेदनशीलता (उपज परिवर्तनशीलता, खाद्य कीमतों में वृद्धि)

तापमान में एक डिग्री वृद्धि होने से, भारत में धान (4-20 प्रतिशत), गेहूं (5-20 प्रतिशत) और मक्का (32-50 प्रतिशत) की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. पशुधन क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कई, विविध, और जटिल हैं और उष्मागत तनाव में वृद्धि, चारे और जल की उपलब्धता में कमी का पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है (प्रदर्श 2.2). आईपीसीसी मूल्यांकन रिपोर्ट (एआर 5) ने महासागरों के लिए जलवायु जोखिमों को व्यापक रूप से प्रस्तुत किया है. खासकर निचले अक्षांशों पर महासागरों के गर्म होने के कारण वहां की प्रजातियों की अवस्थिति के वितरण में बदलाव हुआ है और शारीरिक आकार में कमी आई है. साथ ही, समुद्र की उत्पादकता और मत्स्य उत्पादन संभाव्यता में भी बदलाव आया है.

प्रदर्श 2.2

पशुधन क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव

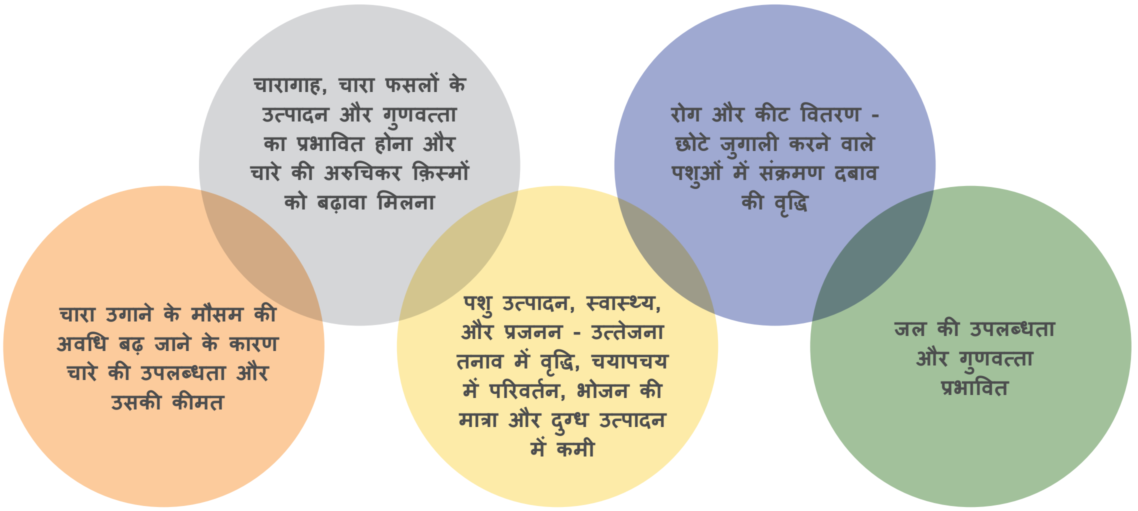

आईपीसीसी के निष्कर्ष के अनुसार, समाज में हाशिये पर रह रहे लोग जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक प्रभावित होते हैं. इसलिए जलवायु परिवर्तन समतामूलक और सतत विकास के लिए खतरा बन गया है. जलवायु परिवर्तन के कारण, विशेषकर शहरी और भुखमरी प्रभावित इलाकों में, आर्थिक विकास मंद पड़ने लगता है, गरीबी कम करना कठिन हो जाता है, खाद्य सुरक्षा में कमी आती है, निर्धनता के विद्यमान चक्र की अवधि बढ़ने लगती है और नए चक्र भी बनने लगते हैं.

2.3 शमन और अनुकूलन उपाय - संभावित समाधान

शमन का आशय मानवजन्य उपायों द्वारा जीवाश्म ईंधन को जलाने, वनों की कटाई और पशुधन से उत्पन्न उत्सर्जन को कम करना है क्योंकि इनसे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सघनता बढ़ती है. शमन का ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, निर्माण, अपशिष्ट प्रबंधन, कृषि, वानिकी आदि जैसे अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों पर नीतिगत प्रभाव पड़ता है. शमन उपायों के लाभों में ग्रीन हाउस गैसों के कम उत्सर्जन के अलावा, हवा की बेहतर गुणवत्ता, स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय में कमी, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि और बेहतर ऊर्जा सुरक्षा शामिल हैं.

अनुकूलन का आशय वास्तविक या संभावित जलवायु उद्दीपनों या उनके प्रभावों के प्रतिसाद में प्राकृतिक या मानवजनित प्रणालियों का ऐसा समायोजन है जिनसे हानि को कम किया जा सकता है अथवा लाभकारी अवसरों का फायदा उठाया जा सकता है. विभिन्न प्रकार के अनुकूलनों में स्पष्ट अंतर होता है जिनमें अग्रिम और प्रतिक्रियात्मक अनुकूलन, निजी और सार्वजनिक अनुकूलन और स्वायत्त तथा नियोजित अनुकूलन शामिल हैं (प्रदर्श 2.3).

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) और राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाएं (एसएपीसीसी) तैयार की गई हैं. इन योजनाओं में शमन और अनुकूलन कार्यनीतियों को रेखांकित किया गया है.

(प्रदर्श 2.3)

अनुकूलन के पांच सिद्धांत

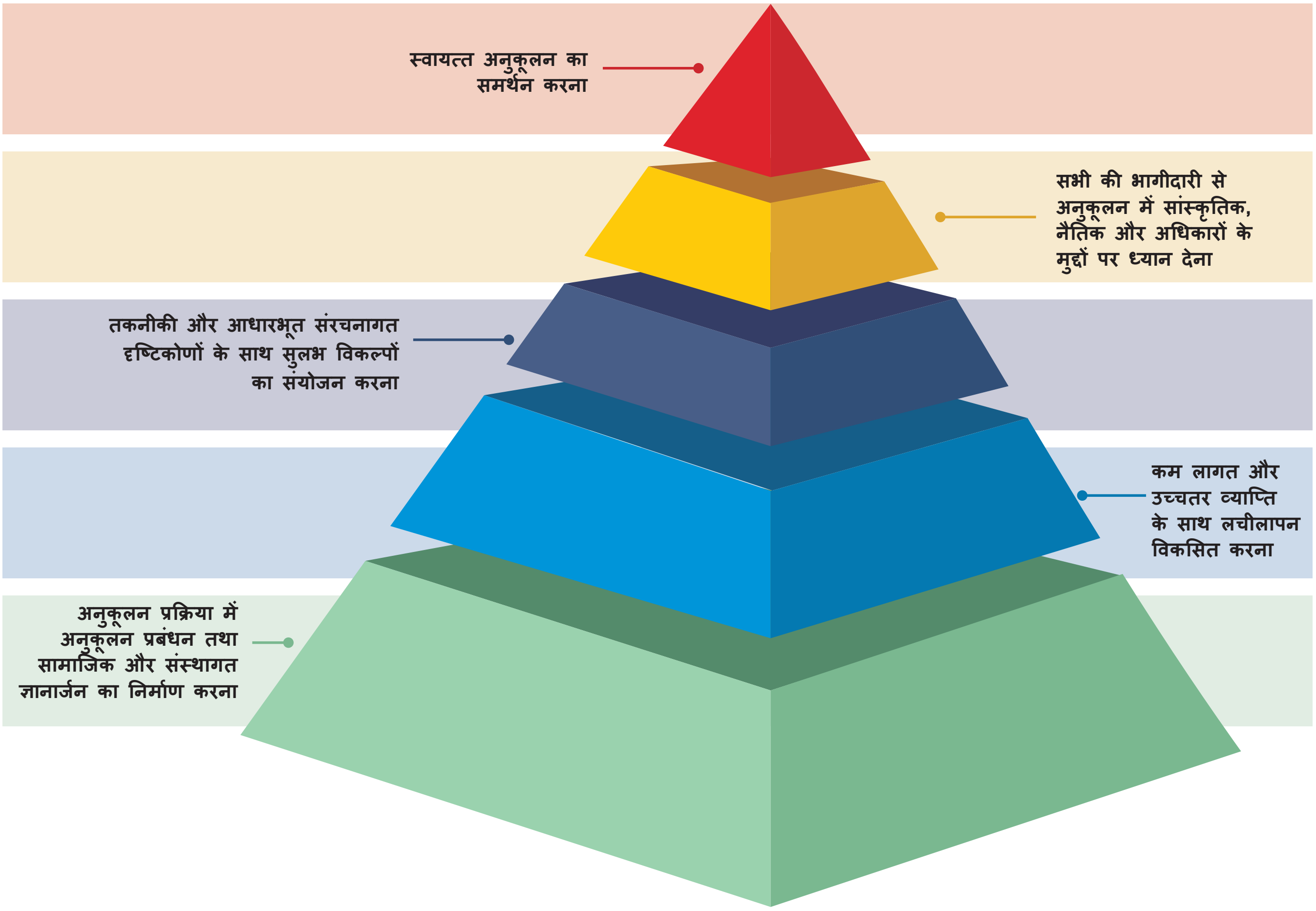

2.3.1 अपनाई गई प्रमुख शमन कार्यनीतियां

- 2022 तक 175 गीगावॉट तक स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन.
- 2022 तक 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय सौर मिशन का शुभारंभ किया गया.
- कुशल पारेषण और वितरण नेटवर्क के लिए राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन शुरू किया गया.
- स्वच्छ और सतत पर्यावरण निर्माण के माध्यम से नई पीढ़ी के शहर विकसित करने हेतु स्मार्ट सिटी मिशन.
- अटल कायाकल्प और शहरी रूपान्तरण मिशन (अमृत) भारत भर में 500 शहरों के लिए एक नया शहरी नवीनीकरण मिशन है.
- 2019 तक देश को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने के लिए 'स्वच्छ भारत मिशन'.
- राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों किनारों पर 1,00,000 किलोमीटर लंबी "वृक्ष-रेखा" विकसित करने के लिए हरित महामार्ग (बागबानी और रखरखाव) नीति.
- "हरित भारत मिशन" के अंतर्गत 5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण.

2.3.2 अपनाई गई प्रमुख अनुकूलन कार्यनीतियां

- खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और भूमि, जल, जैव-विविधता और आनुवांशिकी जैसे संसाधनों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) शुरू किया गया.
- जल संरक्षण, जल का अपव्यय कम करने और समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम).
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना.
- जैविक खेती प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की गई.
- कुशल सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई.
- वाटरशेड विकास के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन देने हेतु नीरांचल एक नया कार्यक्रम है.
- नदी का संरक्षण करने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (नमामि गंगे) शुरू किया गया.

2.4 जलवायु स्मार्ट कृषि (सीएसए) - एक नया दृष्टिकोण

जलवायु स्मार्ट कृषि (सीएसए) को जलवायु परिवर्तन की नई वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि विकास के रूपांतरण और पुन:संरचना के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया गया है. खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की परिभाषा के अनुसार जलवायु स्मार्ट कृषि "ऐसी कृषि पद्धति है जो लगातार उत्पादकता और अनुकूलन क्षमता बढ़ाती है, ग्रीन हाउस गैसों को यथासंभव कम/ दूर करती है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा तथा विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होती है." इस परिभाषा में, जलवायु स्मार्ट कृषि का प्रमुख लक्ष्य खाद्य सुरक्षा और विकास है जबकि उत्पादकता, अनुकूलन और शमन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परस्पर जुड़े तीन जरूरी स्तंभ हैं.

वैश्विक आबादी वर्ष 1800 के 1 अरब से बढ़कर 2012 में 7.5 अरब हो गई और इसके 2050 के मध्य तक लगभग 9.6 अरब तक बढ़ने का अनुमान है. आबादी में वृद्धि के कारण, अन्न की आवश्यकता 2050 तक 60 प्रतिशत बढ़ जाएगी. कृषि विकास को बढ़ती वैश्विक आबादी के साथ तालमेल रखना होगा और आर्थिक विकास और गरीबी कम करने के लिए आधार प्रदान करना होगा. इस तरह, कृषि पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभावों के कारण, अपेक्षित अनुकूलन प्रयासों और अन्य संबन्धित कार्यों की उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही लागतों की व्यवस्था करना आवश्यक है और जलवायु परिवर्तन, अब तक सभी कार्यकलाप जिस तरह चलते आ रहे हैं, उसके समक्ष एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है. खाद्यान्न सुरक्षा और सतत कृषि विकास लक्ष्यों को हासिल करने के उद्देश्य से प्रति उत्पादन जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और उत्सर्जन की तीव्रता को कम करना आवश्यक है. यह रूपान्तरण प्राकृतिक संसाधन आधार को कमजोर किए बिना पूरा किया जाना चाहिए. चरम स्थितियों के बढ़ने और मौसम के बदलते स्वरूप के कारण जलवायु परिवर्तन का कृषि उत्पादकता और खाद्यान्न सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में उत्पादन और आय में कमी आती है. ये बदलाव वैश्विक खाद्यान्न कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, जिसका विशेष रूप से उन ग्रामीण गरीबों पर असर पड़ता है, जो पहले से ही प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण से जूझ रहे हैं. उन्हें प्राय: अपनी उत्पादन प्रणालियों को अनुकूल बनाने के लिए उपलब्ध संभावित विकल्पों की अल्प जानकारी होती है और उनके पास प्रौद्योगिकियों तथा

वित्तीय सेवाएँ प्राप्त करने और उनका उपयोग करने के लिए सीमित संसाधन और जोखिम लेने की क्षमता है. इसलिए, जलवायु स्मार्ट कृषि जो एक समन्वित दृष्टिकोण है, समय की मांग है. जलवायु स्मार्ट कृषि पर एफएओ के दृष्टिकोण को बॉक्स 2.1 में प्रस्तुत किया गया है.

बॉक्स 2.1
एफएओ के जलवायु स्मार्ट कृषि के संबंध में प्रमुख संदेश

- खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए कृषि और खाद्य पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना चाहिए.
- दीर्घावधि में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और सुनिश्चित करने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के शमन में योगदान देने के लिए संसाधन दक्षता में वृद्धि करना आवश्यक है.
- अनिश्चितता और परिवर्तन के लिए तैयार रहने हेतु हर प्रकार के जोखिम से उबरने की क्षमता का निर्माण करना अनिवार्य है.
- प्रत्येक पैमाने पर और पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक सभी दृष्टिकोणों से दक्षता और अनुकूलन पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए.
- जलवायु-स्मार्ट कृषि को कार्यान्वित करना हरित अर्थव्यवस्था का प्रमुख चालक हो सकता है और दीर्घकालिक विकास का प्रभावी उपाय बन सकता है.
- खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के समाधान हेतु दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में सभी हितधारकों के एकजुट और समन्वित प्रयास एवं भागीदारी आवश्यक है.
- जलवायु स्मार्ट कृषि न तो कोई नई कृषि प्रणाली है, न ही पद्धतियों का समूह है. यह एक नया दृष्टिकोण है जो खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन को संयुक्त रूप से हल करने की आवश्यकता के मद्देनजर कृषि प्रणालियों में आवश्यक बदलावों का मार्गदर्शन करता है.

2.4.1 जलवायु स्मार्ट कृषि कैसे अलग है?

जलवायु परिवर्तन और जलवायु परिवर्तनीयता से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रौद्योगिकियों और उत्पादन के तरीकों में बदलाव की आवश्यकता होती है ताकि प्रभावी ढंग से खाद्य असुरक्षा को दूर किया जा सके और गरीबी उन्मूलन किया जा सके. जलवायु स्मार्ट कृषि दृष्टिकोण में जलवायु जोखिमों के प्रबंधन और अनुकूलनपरक बदलावों के लिए अपेक्षित समझदारी और आयोजना में अधिक निवेश करने पर बल दिया गया है. इसलिए जलवायु स्मार्ट कृषि की मुख्य विशेषताओं में जलवायु परिवर्तन संबंधी आयोजना, उत्पादकता वृद्धि के लिए दीर्घकालिक पद्धतियों का विकास, अनुकूलन में वृद्धि और उत्सर्जन में कमी करना शामिल हैं. इसमें पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का भी प्रावधान है जिसमें किसानों को परिदृश्य दृष्टिकोण अपनाकर स्वच्छ वायु, जल, भोजन और सामग्री जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाती हैं.

जलवायु स्मार्ट कृषि बेहतर प्रौद्योगिकियों, बेहतर पद्धतियों, बीमा योजनाओं, मूल्य शृंखलाओं तथा पर्यावरण को समर्थ बनाने वाले संस्थागत और राजनीतिक उपायों का एक सेट है. यह नीति निरूपण सहित खाद्य प्रणाली, भौगोलिक परिदृश्य और मूल्य शृंखला के स्तरों पर कई उपायों का व्यवस्थित एकीकरण है. कुछ जलवायु स्मार्ट कृषि पद्धतियां विशेष स्थान पर कारगर नहीं हो सकती हैं, लेकिन वही पद्धतियां किसी अन्य स्थान पर जलवायु स्मार्ट हो सकती हैं. जलवायु स्मार्ट कृषि दृष्टिकोण में सभी हितधारकों जैसे महिलाओं, सबसे गरीब और सबसे कमजोर समूहों को शामिल करना अनिवार्य है. इसमें निर्णय लेने में सभी स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय हितधारकों को शामिल करने का प्रयास भी किया जाता है. ऐसा करने से ही, सर्वाधिक उपयुक्त उपाय की पहचान और सतत विकास के लिए आवश्यक साझेदारी और समन्वय कर पाना संभव है. जलवायु स्मार्ट कृषि के तीन स्तंभ, अर्थात् उत्पादकता, अनुकूलन और शमन प्रदर्श 2.4 में प्रस्तुत हैं.

प्रदर्श 2.4
जलवायु स्मार्ट कृषि के तीन स्तंभ

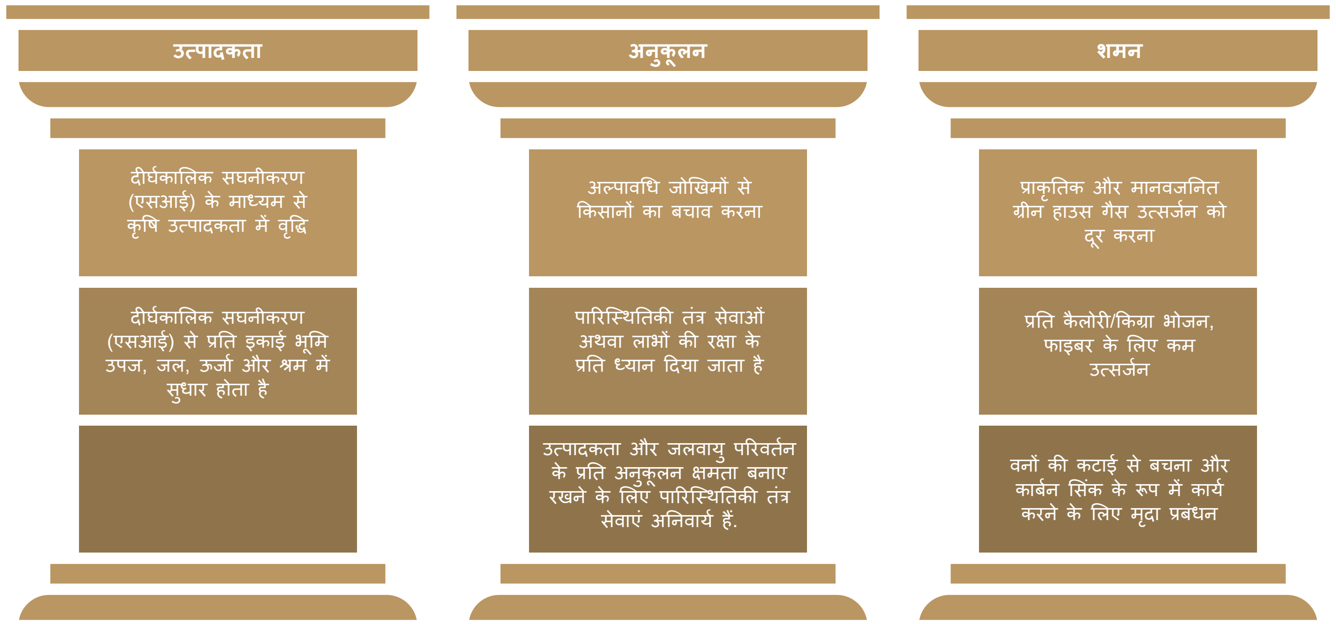

2.5 नाबार्ड और जलवायु परिवर्तन के नवाचार

नाबार्ड ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन से संबंधित वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निधीयन तंत्र तक पहुंच बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. विभिन्न निधियों और उनकी उपलब्धता का विवरण तालिका 2.1 में दिया गया है.

तालिका 2.1
मौजूदा वित्तपोषण तंत्र के विवरण

अनुकूलन निधि	ग्रीन क्लाइमेट फंड	राष्ट्रीय अनुकूलन निधि (एनएएफसीसी)
1. राष्ट्रीय कार्यान्वयनकर्ता निकाय (एनआईई) के रूप में नाबार्ड	1. नाबार्ड एक डायरेक्ट एक्सेस एंटिटी (डीएई) के रूप में	1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नाबार्ड को राष्ट्रीय कार्यान्वयनकर्ता निकाय (एनआईई) के रूप में नामित किया गया है.
2. जुलाई 2012 में मान्यता प्राप्त	2. जुलाई 2015 में मान्यता प्राप्त	2. ₹442.85 करोड़ (68 मिलियन यूएस डॉलर) मूल्य की 21 परियोजनाएं स्वीकृत
3. 6 राज्यों में 9.8 मिलियन यूएस डॉलर की वित्तीय सहायता से स्वीकृत 6 परियोजनाएं	3. ₹223 करोड़ (34.36 मिलियन यूएस डॉलर) की वित्तीय सहायता से जीसीएफ द्वारा पहली परियोजना स्वीकृत	

2.6 नाबार्ड और जलवायु स्मार्ट कृषि

नाबार्ड ने मौजूदा निधीयन तंत्रों के तहत जलवायु स्मार्ट कृषि को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया है. वर्तमान में चल रहे विकास कार्यक्रमों जैसे कि डब्ल्यूडीएफ, टीडीएफ, यूपीएनआरएम आदि में देखा गया है कि मृदा-फसल-जल का उचित संयोजन मृदा में जैव पदार्थ को बढ़ा सकता है, मृदा की पोषक तत्व प्रतिधारण क्षमता में सुधार ला सकता है और मृदा बायोटा में वृद्धि कर सकता है. इस समन्वित प्रबंधन से फसल उत्पादन के लिए इष्टतम भौतिक और जैविक स्थिति बन सकती हैं. बॉक्स 2.2 में ऐसी प्रबंधन पद्धतियों को दर्शाया गया है जो जलवायु स्मार्ट कृषि का हिस्सा बन सकती हैं.

बॉक्स 2.2
कुछ जलवायु स्मार्ट कृषि पद्धतियां

- जल प्रबंधन/ संरक्षण, सिंचाई और जलतालिका प्रबंधन.
- जलवायु परिवर्तन के अनुकूल क्षेत्रीय नस्लों का पालन.
- फसल चक्र और फलीदार फसलों को बढ़ावा देने के साथ फसल विविधीकरण.
- फसल अवशेषों को न जलाना और धान की खेती की तकनीकों में सुधार करना.
- मैक्रो और माइक्रो पोषक तत्वों की हो रही कमी को रोकने के लिए उर्वरकों के साथ पलवार, कम्पोस्ट, फसल अवशेष, हरित खाद का उपयोग करके मृदा उर्वरता का समन्वित प्रबंधन (अकार्बनिक और कार्बनिक)
- खाद और नाइट्रोजन की आपूर्ति करने वाले पौधों का उपयोग करके खेत में नाइट्रोजन का समुचित प्रबंधन.
- अवांछित वनस्पति को नष्ट करने वाले तत्वों और घास प्रबंधन के अन्य विकल्प.
- संरक्षण की भौतिक संरचनाएं (जैसे बांध, जल निकास).
- स्थानीय स्थितियों के अनुसार तैयार की गई सूचनाओं और विस्तार के सुदृढ़ स्रोत. बिना जुताई किए सीधे बुआई.
- प्लास्टिक के आवरण, फसल अवशेषों, छायादार फसलों आदि का उपयोग करके पलवार डालना.
- सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन.
- संरक्षण कृषि और मृदा संघनन प्रबंधन.
- समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन एवं कम पोषक तत्वों की जरूरत वाली क़िस्मों की फसलें उगाना.
- समन्वित फसल और पशुपालन पद्धतियां.
- वृक्षों के माध्यम से आच्छादन में वृद्धि.

नाबार्ड ने जलवायु स्मार्ट कृषि के लिए सहायक नीतियों और कार्यक्रमों की पहचान और जानकारी तक पहुंच में सुधार तथा कार्यान्वयनकर्ताओं की निगरानी के माध्यम से बृहत्तर आर्थिक और नीतिगत ढांचे के भीतर अपनी भूमिका निभाने का प्रस्ताव रखा है. प्रदर्श 2.5 में जलवायु स्मार्ट कृषि के कार्यान्वयन की संरचना दी गई है.

प्रदर्श 2.5

राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु स्मार्ट कृषि कार्यान्वयन की संरचना

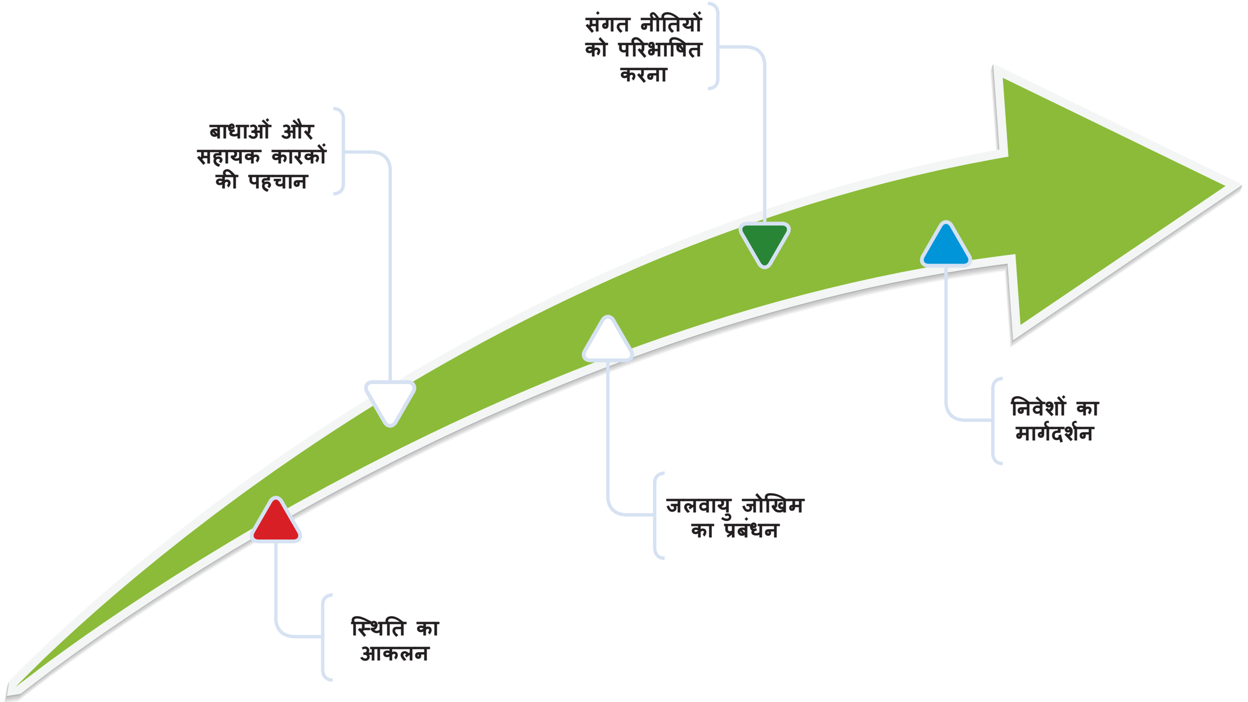

2.7 जलवायु स्मार्ट कृषि के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अनुभव - कुछ उदाहरण

कम पानी और उर्वरकों के प्रयोग से अधिक अन्न उगाने में किसानों की सहायता करने और अप्रत्याशित मौसम के लिए योजना बनाने की दिशा में विभिन्न विशेषज्ञों, किसानों, वैज्ञानिकों, विस्तार कार्यकर्ताओं और विकास सहयोगियों द्वारा कृषि उपायों की एक विस्तृत शृंखला के परीक्षण और क्रियान्वयन के लिए पूरे विश्व में काम किया जा रहा है. ऐसी कुछ पद्धतियों का विवरण निम्नानुसार है:

- वियतनाम में, 2016 में जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से लगभग 7 लाख हेक्टेयर खाद्य फसलों का भारी नुकसान हुआ था. परिणामस्वरूप, धान का उत्पादन 8 लाख टन गिर गया और इन प्रभावित क्षेत्रों में करीब 11 लाख लोगों पर खाद्य असुरक्षा का खतरा मंडराने लगा. इस गंभीर स्थिति से निपटने हेतु कई केन्द्रीय प्रांतों में धान की खेती वाले क्षेत्रों में अन्य फसलों जैसे फलों के पेड़ और अंगूरों की खेती शुरू की गई क्योंकि इन्हें उगाने में कम पानी लगता है और ये किसानों के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत बन सकते हैं. मौसम अनुकूल होने पर, ऐसी जमीन पर धान का उत्पादन पुन: शुरू किया जा सकता है. वियतनाम के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों और केन्द्रीय प्रांतों के ढलान वाले भूमि क्षेत्रों पर, वार्षिक खाद्य फसलों का वनों, फल या उद्योगों के अनुकूल पेड़ों के साथ अंत: फसलन किया जा रहा है. ऐसी कृषि-वानिकी व्यवस्थाओं से किसानों को अपनी आय में विविधता लाने, मृदा क्षरण को रोकने और पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण को बेहतर बनाने में सहायता प्राप्त होती है. इसके अलावा, ये ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन घटाने और कार्बन को अलग करने में सहायता करते हैं.

- जलवायु परिवर्तन से परागण प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है जो कि फसल उत्पादन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त होने वाली आवश्यक सेवा है. प्रमुख वैश्विक खाद्य फसलों की 75 प्रतिशत से अधिक फसलें पशु प्रदत्त परागण सेवाओं पर निर्भर हैं. इस सेवा का वैश्विक मौद्रिक मूल्य प्रति वर्ष अनुमानत: 214 बिलियन यूएस डॉलर है. परागण संवाहक ये जीव, विशेष रूप से मधुमक्खियां, दुनिया के 35 प्रतिशत फसल उत्पादन को प्रभावित करती हैं. कई परागण संवाहक और उन पर निर्भर फसलें उच्च तापमान और सूखे के प्रति संवेदनशील हैं. उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, अधिकांश परागण संवाहक पहले से ही तापमान सहने की अपनी अधिकतम सीमा में रह रहे हैं. 21वीं शताब्दी के दौरान तापमान में 2.6 से 4.8 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने की संभावना है. परिणामस्वरूप, परागण पर जलवायु परिवर्तन का हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है. पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज को नियंत्रित करने वाली प्रजातियों, संसाधनों और प्रक्रियाओं के संरक्षण से कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र को अनुकूलन परक बनाकर भौगोलिक परिदृश्य के स्तर पर क्रियान्वित जलवायु स्मार्ट कृषि इस महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवा को संरक्षित रखने में सहायता कर सकती है.

- हरियाणा में लेज़र भूमि समतलीकरण, जलवायु सूचना सेवाओं, और पोषक तत्व विशेषज्ञों की सेवाओं में अनुकूलन को व्यापक तौर पर अपनाया जा रहा है. हरियाणा सरकार ने राज्य में अतिरिक्त 500 जलवायु स्मार्ट गांव (सीएसवी) लॉन्च करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है.

- इंटरनेशनल फर्टिलाइज़र डेवलपमेंट सेंटर(आईएफडीसी) द्वारा विकसित यूरिया को मिट्टी की गहराई में रखने (यूडीपी) की तकनीक धान की खेती की प्रणालियों के लिए जलवायु स्मार्ट समाधान का अच्छा उदाहरण है. यूरिया का उपयोग सामान्यत: ऊपर से छींटने की तकनीक अपना कर किया जाता है. इसे एक अकुशल पद्धति माना जाता है, जिसमें 60 से 70 प्रतिशत नाइट्रोजन का नुकसान होने से यह ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन एवं जल प्रदूषण का कारण बनता है. यूडीपी तकनीक में, यूरिया को 1 से 3 ग्राम के "ब्रिकेट्स" में बनाया जाता है जो धान रोपण के बाद मिट्टी की 7 से 10 सेंमी की गहराई पर रखे जाते हैं. इस तकनीक से नाइट्रोजन का नुकसान 40 प्रतिशत तक कम होता है और यूरिया की दक्षता 50 प्रतिशत तक बढ़ जाती है. इससे यूरिया के उपयोग में औसत 25 प्रतिशत की कमी आती है और पैदावार 25 प्रतिशत तक बढ़ जाती है. आईएफडीसी की सहायता से बांग्लादेश डिपार्टमेंट ऑफ एग्रिकल्चरल एक्सटेन्शन द्वारा यूडीपी को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया गया है. 2009 में, दस लाख किसानों ने पांच लाख हेक्टेयर भूमि में यूडीपी का उपयोग किया और 1.5 मिलियन हेक्टेयर में 2.9 मिलियन और परिवारों तक इसका विस्तार करने की योजना है.

2.8 अनुकूलन निधि के तहत जलवायु स्मार्ट उपायों का विवरण

नाबार्ड को "छोटे और सीमांत किसानों की अनुकूलन क्षमता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से निपटने की उनकी क्षमता में वृद्धि (पश्चिम बंगाल)" तथा "कृषि-आश्रित पर्वतीय समुदायों की दीर्घकालिक आजीविका के लिए उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जलवायु स्मार्ट कार्रवाई और कार्यनीतियां (उत्तराखंड)" के लिए अनुकूलन निधि के अंतर्गत ₹21 करोड़ (3.48 मिलियन यूएस डॉलर) लागत की दो परियोजनाएं मंजूर की गई. इन परियोजनाओं में मृदा और जल संरक्षण, किसानों को परामर्श सेवाएं इत्यादि जैसे विविध जलवायु स्मार्ट उपाय शामिल हैं.

घड़ों द्वारा ड्रिप सिंचाई

तालाब के किनारों पर खेती

2.9 राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (एनएएफसीसी) के अंतर्गत जलवायु स्मार्ट उपायों का विवरण

10 राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, केरल, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर, तेलंगाणा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को राष्ट्रीय अनुकूलन निधि के अंतर्गत ₹205 करोड़ (32 मिलियन यूएस डॉलर) की लागत की 10 परियोजनाएं स्वीकृत की गई. स्वीकृत परियोजनाओं में विविध जलवायु स्मार्ट परियोजना उपायों जैसे मृदा और जल संरक्षण, बिना जुताई के बुवाई, सूखा प्रतिरोधी किस्मों का संवर्धन, सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा, सूक्ष्म सिंचाई, स्वचालित मौसम केंद्र की स्थापना इत्यादि का कार्यान्वयन किया जा रहा है. तालिका 2.2 में प्रमुख उपाय दिए गए हैं.

पारंपरिक फसल किस्मों का बीज बैंक

स्थानीय समुदायों के लिए कृषि संबंधी सूचनाओं का प्रदर्शन

पोक्काली / काइपाड़ धान की बाढ़ में भी उगने वाली किस्में

गुडायुर में जलाशयों का निर्माण

खेती के साथ सौर कृषि

तालिका 2.2
स्वीकृत एनएएफ़सीसी परियोजनाओं के जलवायु स्मार्ट कृषि उपाय

क्रम सं.	परियोजना का नाम	परियोजना कार्य
1	जलवायु स्मार्ट समाधान के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सूखा प्रवण जिले में कृषि पर निर्भर ग्रामीण समुदायों की सतत आजीविका	ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देना, मक्का और दालों का अंत: फसलन, धान सघनीकरण प्रणाली (एसआरआई) द्वारा खेती, फलियों और फलों को उगाने की शुरुआत एवं वाटरशेड को जलवायु रोधी बनाना
2	मणिपुर के फाएंग में आदर्श कार्बन पॉजिटिव इको-ग्राम	नहर प्रणालियों को जलवायु रोधी बनाना, बागवानी प्रजातियों की शुरुआत, धान सघनीकरण प्रणाली, समन्वित कीट और पोषक तत्व प्रबंधन एवं वैज्ञानिक तरीके से शूकर पालन
3	उत्तरी केरल की तटीय आर्द्रभूमि में काईपाड़ की समन्वित कृषि प्रणाली का संवर्धन	पोक्काली और काईपाड़ तटीय आर्द्रभूमि में बेहतर उत्पादकता और फसल के लिए एक साथ धान की खेती और झींगा/ मछलीपालन को बढ़ावा देना, कृषि एवं मछली पकड़ने के उपकरणों की खरीद के लिए सहायता प्रदान करना
4	मिजोरम में विस्तार, संवर्धन और मॉडलिंग के माध्यम से सतत कृषि विकास	मौसमी जलवायु का पूर्वानुमान, स्वचालित मौसम केन्द्रों की स्थापना, मिट्टी और नमी के संरक्षण कार्यों को बढ़ावा देना, झूम खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को कम करना और वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण
5	जम्मू-कश्मीर के वर्षा-सिंचित कृषि (कंडी) क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रति सक्षम सतत कृषि	नए पोली हाउसों का निर्माण, फसल विविधीकरण, जैविक खेती, जुताई और अवशेष प्रबंधन पर किसानों का उन्मुखीकरण
6	तेलंगाणा में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के लिए सक्षम परिवार	उच्च मूल्य वाली फसलों में सूक्ष्म सिंचाई के उपयोग का प्रदर्शन, खेत तालाब, वैकल्पिक हलरेखा/ युक्तिपरक सिंचाई, बोर-वेल पुनर्भरण संरचनाएं, नकदी फसलों को लोकप्रिय बनाना, आर्थिक सक्षमता बढ़ाने के लिए समन्वित कृषि प्रणाली दृष्टिकोण
7	हरियाणा के जलवायु स्मार्ट गांवों में जलवायु परिवर्तन के प्रति सक्षम कृषि पद्धतियों को बड़े पैमाने पर कार्यान्वित करना	संरक्षण कृषि आधारित प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना (बिना जुताई के बुवाई, डीएसआर, अवशेष प्रबंधन के माध्यम से), फसल प्रणाली का इष्टतम स्तर/ विविधता; निर्णय में सहयोग (पोषक तत्व विशेषज्ञ द्वारा) एवं सेन्सर (ग्रीन-सीकर) प्रिसीजन जल प्रबंधन (लेजर समतलीकरण, सूक्ष्म सिंचाई द्वारा), दबाव को झेलने में सक्षम वांछित परिणाम देने वाला पादप-समुच्चय, मूल्यवर्धित मौसम पूर्वानुमान सहयोग के साथ बीज और चारा बैंक तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित कृषि परामर्श.
8	मध्य प्रदेश के चयनित संवेदनशील जिलों में जलवायु-स्मार्ट गांवों के विकास के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूलन क्षमता बढ़ाना	जलवायु के अनुरूप फसल का विकास, जल, ऊर्जा, पोषक तत्व प्रबंधन प्रक्रियाएं और कृषि परामर्श सेवाएं, सूखे को सहने में सक्षम क़िस्मों का संवर्धन, जल संचयन इत्यादि.
9	महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार और बुलढाणा जिले के 51 गांवों में जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली के लिए कुशल जल प्रबंधन और कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाना	भूमि उपयोग और जल बजट योजना की तैयारी, धान और गेहूं के लिए फसल सघनीकरण प्रणाली, सामुदायिक धान नर्सरियों की स्थापना, ड्रिप और स्प्रिंकलर्स को प्रोत्साहन, सौर पंपों की स्थापना आदि.
10	कच्छ, गुजरात में प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर समुदायों के लिए जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जल एवं आजीविका सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के माध्यम से अनुकूलन क्षमता का विकास	भूंगरू (जल प्रबंधन प्रणाली जो वर्षा के अधिक पानी को भूमि के अंदर पहुंचाती है और वहां भंडारित करती है तथा पानी की कमी के समय इसे उपयोग के लिए बाहर निकालती है) की ड्रिप सिंचाई के तहत 800 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को लाना, 100 सौर पंपों की स्थापना, 200 चारा किटों का वितरण, 500 हेक्टेयर में चारागाह की बहाली और बीज बैंक के रूप में 100 हेक्टेयर चारागाह.

निष्कर्षत: समग्र खाद्य उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ सकता है परंतु सही दृष्टिकोण एवं प्रथाओं तथा उपयुक्त तकनीकों के साथ जलवायु स्मार्ट कृषि उपायों को अपनाकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का समाधान करना संभव है.

3 ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को सहायता

ग्रामीण धारणक्षम समृद्धि के लिए सुदृढ़ वित्तीय संस्थाएं होना एक पूर्व निर्धारित अनिवार्यता है ताकि ग्रामीण जनता की ऋण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके. एक शीर्ष विकास वित्तीय संस्था के रुप में नाबार्ड विभिन्न प्रकार की वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता, नीतिगत सहयोग और प्रभावी पर्यवेक्षण के माध्यम से वित्तीय संस्थाओं को सहायता प्रदान करके इस लक्ष्य को पूरा करने का कार्य करता रहा है.

3.1 अल्पावधि ऋण

वर्ष 2016-17 के दौरान नाबार्ड ने इन संस्थाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति करने के लिए जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (जिमस बैंकों) के लिए राज्य सहकारी बैंकों (रास बैंकों) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षेग्रा बैंकों) को अल्पावधि पुनर्वित्त के रूप में कुल ₹76,526.61 करोड़ की ऋण सीमाएं मंज़ूर की हैं, जिनका 97 प्रतिशत (₹74,392.93 करोड़) उपयोग किया गया. इस ऋण व्यवस्था से ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं (आरएफआई) को किसानों, बुनकरों, दस्तकारों आदि की उत्पादन और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मदद मिलती है और इस प्रकार कृषि और अनुषंगी गतिविधियों के लिए आधार स्तर पर ऋण प्रवाह बना रहता है.

इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ने वर्ष 2016-17 के दौरान एक नई ऋण व्यवस्था अर्थात् अतिरिक्त अल्पावधि ऋण (मौसमी कृषि परिचालन) (एसटी-एसएओ) की शुरुआत की है ताकि बैंकों के समक्ष पर्याप्त तरलता न होने की समस्या उत्पन्न न हो और पर्याप्त निधि की अनुपलब्धता के कारण फसली ऋण के संवितरण का कार्य बाधित न हो. 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, इस ऋण व्यवस्था के अंतर्गत ₹10,581.11 करोड़ की राशि संवितरित की गई है.

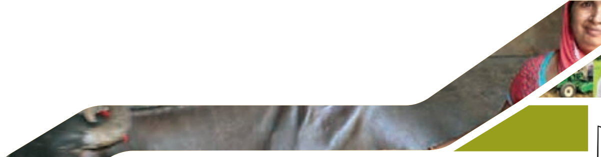

3.1.1 राज्य सहकारी बैंकों के लिए नीतिगत दिशानिर्देश

आबंटित बजट का समग्र रूप से बेहतर उपयोग करने की दृष्टि से नाबार्ड ने अल्पावधि कृषि परिचालनों के लिए राज्य सहकारी बैंकों की पुनर्वित्त सीमाओं को युक्तिसंगत बनाया है. वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए ये सीमाएं निम्नानुसार निर्धारित की गईं;

- सामान्य क्षेत्रों के लिए उनके यथार्थपरक ऋण वितरण कार्यक्रम (आरएलपी) का 40 प्रतिशत;
- बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों सहित पूर्वी क्षेत्र के लिए यथार्थपरक ऋण वितरण कार्यक्रम का 45 प्रतिशत;
- पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर), जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए यथार्थपरक ऋण वितरण कार्यक्रम का 60 प्रतिशत;
- विमुद्रीकरण के परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने अल्पावधि मौसमी ऋण परिचालन के लिए ₹20,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि का आबंटन किया जिससे यथार्थपरक ऋण वितरण कार्यक्रम की उपर्युक्त दरों से 15 प्रतिशत वृद्धि करना संभव हुआ;

बेहतर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान रास बैंकों की पुनर्वित्त पात्रता को उनकी जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) से जोड़े रखने की नीति जारी रखी गई.

3.1.2 अल्पावधि मौसमी कृषि परिचालन (एसटी-एसएओ) - रास बैंकों को पुनर्वित्त

वर्ष 2016-17 के दौरान, भारत सरकार की ओर से अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण (एसटीसीआरसी) निधि के तहत ₹20,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि सहित ₹65,000 करोड़ राशि आबंटित की गई ताकि सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्बाध ऋण प्रवाह बनाए रखा जा सके. पिछले वर्ष यह राशि ₹54,000 करोड़ थी. इसके परिणाम स्वरूप, 2016-17 में 26 रास बैंकों को कुल मिलाकर ₹64,717 करोड़ की ऋण सीमाएं मंज़ूर की गईं. इसके समक्ष ₹62,609.99 करोड़ की राशि (97 प्रतिशत) का उपयोग किया गया.

रास बैंकों के अल्पावधि मौसमी कृषि परिचालनों (मौकृप) की ऋण सीमा में निम्नलिखित घटक शामिल रहे:

- राष्ट्रीय तेलहन और पाम ऑयल मिशन (एनएमओओपी-तेलहन) के लिए ₹5,429.23 करोड़;
- आदिवासी आबादी विकास (डीटीपी) के तहत ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ₹2,250.95 करोड़; और
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन (एनएफएसएम-दलहन) के लिए ₹625.13 करोड़.

3.1.3 मौसमी कृषि परिचालनों के लिए अतिरिक्त अल्पावधि ऋण - ऋण की नई व्यवस्था

वर्ष 2016-17 के दौरान इस ऋण व्यवस्था के अंतर्गत रास बैंकों को ₹7,264.80 करोड़ और राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (रासकृग्रावि बैंकों) को 200 करोड़ का संवितरण किया गया.

3.1.4 रास बैंकों को मौसमी कृषि परिचालनों से इतर परिचालनों के लिए अल्पावधि पुनर्वित्त

वर्ष 2016-17 के दौरान मौसमी कृषि परिचालनों से इतर परिचालनों के अंतर्गत पुनर्वित्त की मात्रा बढ़ाकर यथार्थपरक ऋण वितरण कार्यक्रम के 100 प्रतिशत तक कर दी गई ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के उन सेक्टरों में ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके जिनमें रोजगार सृजन की उच्च संभाव्यता है. रास बैंकों को (आंध्र प्रदेश, केरल, हरियाणा और पश्चिम बंगाल) ₹1,050 करोड़ की समेकित अल्पावधि (अन्य) ऋण सीमा मंज़ूर की गई जिसमें से ₹1,042 करोड़ का उपयोग हुआ.

3.1.5 बुनकरों को सहायता

प्राथमिक, शीर्ष और क्षेत्रीय बुनकर समितियों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पात्र जिमस बैंकों के लिए रास बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान की गई. वर्ष 2016-17 में बुनकरों की उत्पादन, अधिप्राप्ति और विपणन गतिविधियों के लिए आंध्रप्रदेश और पुडुचेरी के रास बैंकों को कुल मिलाकर ₹21.61 करोड़ की ऋण सीमा मंज़ूर की गई जिसमें से ₹12.74 करोड़ का उपयोग हुआ.

3.1.6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए नीतिगत मार्गनिर्देश

रास बैंकों की भांति क्षेग्रा बैंकों के लिए पुनर्वित्त नीति को युक्तिसंगत बनाया गया ताकि पुनर्वित्त सहायता में यहां भी वैसी ही झलक दिखाई दे. अल्पावधि परिचलनों के लिए क्षेग्रा बैंकों की अधिकतम मंज़ूरी सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई;

- सामान्य क्षेत्रों के लिए उनके यथार्थपरक ऋण वितरण कार्यक्रम का 20 प्रतिशत;
- बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों सहित पूर्वी क्षेत्र के लिए यथार्थपरक ऋण वितरण कार्यक्रम का 25 प्रतिशत;
- पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए यथार्थपरक ऋण वितरण कार्यक्रम का 45 प्रतिशत.

3.1.7 क्षेग्रा बैंकों को अल्पावधि मौसमी कृषि परिचालनों के लिए पुनर्वित्त

वर्ष 2016-17 में भारत सरकार की ओर से अल्पावधि क्षेग्रा बैंक पुनर्वित्त निधि (एसटीआरआरबी) के तहत ₹10,000 करोड़ आबंटित किए गए जबकि पिछले वर्ष यह राशि ₹16,000 करोड़ थी. इसके परिणाम स्वरूप, अल्पावधि (मौकृप) के अंतर्गत 56 क्षेग्रा बैंकों को कुल मिलाकर ₹10,000 करोड़ की ऋण सीमाएं मंज़ूर की गई जिसका पूरा उपयोग किया गया.

क्षेग्रा बैंकों के लिए अल्पावधि - मौकृप ऋण सीमा में निम्नलिखित घटक शामिल रहे:

- एनएमओओपी - तेलहन के लिए ₹719.75 करोड़;
- डीटीपी के तहत ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ₹131.55 करोड़; और
- एनएफएसएम-दलहन के लिए ₹15.92 करोड़.

3.1.8 मौसमी कृषि परिचालनों के लिए अतिरिक्त अल्पावधि ऋण - ऋण की नई व्यवस्था

वर्ष 2016-17 के दौरान इस नई ऋण व्यवस्था के अंतर्गत 11 राज्यों के क्षेग्रा बैंकों को ₹3,116.31 करोड़ का संवितरण किया गया.

3.1.9 क्षेग्रा बैंकों को मौसमी कृषि परिचालनों से इतर परिचालनों के लिए अल्पावधि पुनर्वित्त

वर्ष 2016-17 के दौरान रास बैंकों की तरह ही पुनर्वित्त की मात्रा यथार्थपरक ऋण वितरण कार्यक्रम के 100 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई, वर्ष 2015-16 में यह 60 प्रतिशत थी. इसके परिणाम स्वरूप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में क्षेग्रा बैंकों को ₹455 करोड़ की ऋण सीमा मंज़ूर की गई जिसका 31 मार्च 2017 की स्थिति में 100 प्रतिशत उपयोग किया गया.

3.1.10 वाणिज्य बैंकों को मौसमी कृषि परिचालनों के लिए अल्पावधि पुनर्वित्त

ऐसे क्षेत्रों में जहां जिमस बैंक वित्तीय रूप से कमजोर हैं अथवा पैक्स के पर्याप्त वित्तपोषण में असमर्थ हैं, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पैक्स) / सहबद्ध समितियों के वित्तपोषण के लिए मौसमी कृषि परिचालन के लिए अल्पावधि ऋण प्रदान किया जाता है ताकि किसानों को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके. इसके तहत वर्ष 2016-17 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ₹270.81 करोड़ की राशि संवितरित की गई.

3.1.11 परक्राम्य भंडारागार रसीदों के समक्ष किसानों को ऋण

किसानों को अपने उत्पादों की गरजू बिक्री से बचाने और उन्हें भंडारागार रसीद लेकर अपने उत्पाद प्रमाणित भंडारागारों में रखने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार, बैंकों को उनकी अपनी निधियों से ऋण देने पर 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता देती है. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक छोटे और सीमांत किसानों को फसल कटाई उपरांत 6 माह तक की अवधि के लिए प्रमाणित भंडारागारों में अपने उत्पाद रखने के लिए परक्राम्य भंडारागार रसीद (एनडब्ल्यूआर) पर 3 लाख तक के ऋण 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर देने वाले बैंकों को ब्याज सहायता का पात्र माना गया.

नाबार्ड परक्राम्य भंडारागार रसीदों पर किसान क्रेडिट कार्ड धारक छोटे और सीमांत किसानों को 3 लाख तक के ऋणों के लिए बैंकों को 4.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर पुनर्वित्त प्रदान करता है. आधार स्तरीय स्थिति और इस योजना के तहत ऋण प्रवाह बढ़ाने की दृष्टि से रास बैंकों को दी जाने वाली पुनर्वित्त की मात्रा उनके यथार्थपरक ऋण कार्यक्रम के 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी गई है.

3.1.12 मध्यावधि परिवर्तन ऋण

प्राकृतिक आपदाओं से हुए फसल नुकसान से पीड़ित किसानों को राहत पहुंचाने के प्रयोजन से नाबार्ड, रास बैंकों और क्षेग्रा बैंकों को मध्यावधि परिवर्तन सहायता प्रदान करता है. इसके तहत मौसमी कृषि परिचालनों के लिए दिए गए अल्पावधि (एसटी) फसली ऋणों को मध्यावधि परिवर्तन (एमटी-सी) ऋण में बदल दिया जाता है.

वर्ष 2016-17 के दौरान इस ऋण व्यवस्था के अंतर्गत मध्य प्रदेश रास बैंक को ₹2,789.19 करोड़ की राशि मंज़ूर और संवितरित की गई.

3.1.13 राज्य सरकारों को ऋण

नाबार्ड, सहकारी संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकारों को दीर्घावधि (एलटी) ऋण प्रदान करता है. इस प्रतिपूर्ति आधारित सहायता का उद्देश्य कृषि क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहकारी संस्थाओं को बड़े स्तर पर ऋण वितरण कार्यक्रम चलाने के लिए प्रोत्साहित करना है.

3.2 दीर्घावधि ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त सहायता

कृषि संवृद्धि और ग्रामीण विकास की गति बढ़ाने के लिए आस्ति सृजन और पूंजी निर्माण दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण घटक हैं. इसे ध्यान में रखते हुए नाबार्ड रास बैंकों, क्षेग्रा बैंकों, सहकारी बैंकों, लघु वित्त बैंकों(एसएफबी), एनबीएफसी और एनबीएफसी - एमएफआई के माध्यम से इन घटकों के लिए दीर्घावधि पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराता है. इसके तहत कृषि और सम्बद्ध कार्यकलापों तथा गैर - कृषि गतिविधियों के लिए 3 से 15 वर्ष तक की चुकौती अवधि के लिए पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की जाती है. दीर्घावधि पुनर्वित्त के अंतर्गत दिए गए ऋणों के उद्देश्यों में कृषि निवेश, अनुषंगी गतिविधियों, सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यमों (एमएसएमई), कृषि प्रसंस्करण, जैविक कृषि, गैर-परंपरागत ऊर्जा, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), संयुक्त देयता समूहों(जेएलजी) और ग्रामीण आवासन को शामिल किया गया है.

3.2.1 दीर्घावधि पुनर्वित्त सहायता के लिए नीतिगत मार्गनिर्देश

(क) प्रमुख एजेंसियों के लिए सामान्य और मुख्य शर्तें

वर्ष 2016-17 के लिए प्रमुख एजेंसियों की पुनर्वित्त पात्रता के मानदंड निम्नानुसार थे:

(i) न्यूनतम सीआरएआर मानदंडों का अनुपालन: रास बैंकों के लिए 31 मार्च 2015 को 7 प्रतिशत, क्षेग्रा बैंकों और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (बेसल II के अनुसार) के लिए 31 मार्च 2015 को 9 प्रतिशत, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (प्राशस बैंकों) के लिए 31 मार्च 2015 को 10 प्रतिशत और लघु वित्त बैंकों, एनबीएफसी और एनबीएफसी- एमएफआई के लिए 31 मार्च 2016 को 15 प्रतिशत.

(ii) निवल अनर्जक आस्ति (एनपीए) (अधिकतम) मानदंड : रास बैंकों के लिए 31 मार्च 2015 को 20 प्रतिशत तक, क्षेग्रा बैंकों के लिए 31 मार्च 2015 को 15 प्रतिशत तक, सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए 31 मार्च 2015 को 6 प्रतिशत तक, निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए 31 मार्च 2015 को 4 प्रतिशत तक, प्राशस बैंकों के लिए 31 मार्च 2015 को 3 प्रतिशत तक और लघु वित्त बैंकों, एनबीएफसी और एनबीएफसी- एमएफआई के लिए 31 मार्च 2016 को 3 प्रतिशत तक.

(iii) लेखापरीक्षा पूर्ण कराना और लेखापरीक्षा रिपोर्ट नाबार्ड को प्रस्तुत करना: क्षेग्रा बैंकों के लिए 30 जून 2016 तक और रास बैंकों तथा रासकृग्रावि बैंकों के लिए 30 सितंबर 2016 तक.

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 42(6) (ए) (i) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (ससयला) की धारा 11(1) का अनुपालन: इसे हटा दिया गया है क्योंकि न्यूनतम निर्धारित सीआरएआर मानदंडों के अनुपालन और क्षेग्रा बैंकों तथा रास बैंकों के लिए इन-हाउस तैयार जोखिम रेटिंग मॉड्यूल के आधार पर दी गई रेटिंग व्यापक है.

(v) एनबीएफसी: भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी की पात्रता में निम्नलिखित भी शामिल थे:

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित एजेंसी से न्यूनतम 'एए' रेटिंग; और
- ऋण देने के कार्य का 5 वर्ष अथवा इससे अधिक का अनुभव.

नाबार्ड से दीर्घावधि पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म वित्त संस्था के रूप में काम करने वाले एनबीएफसी के पात्रता मानदंडों को 'एमएफआर1' /'एमएफ1' की शीर्ष रेटिंग से एक पायदान कम कर दिया गया.

(vi) पुनर्वित्त की मात्रा: सभी 'बल क्षेत्रों' के लिए रास बैंकों, क्षेग्रा बैंकों, प्राशस बैंकों, रासकृग्रावि बैंकों, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, लघु वित्त बैंकों और नाबार्ड की सहायक कंपनियों को शत-प्रतिशत पुनर्वित्त. निवेश ऋण के लिए अनुमोदित अन्य सभी प्रयोजनों (कृषक साथी योजना सहित) के लिए 95 प्रतिशत पुनर्वित्त. 'एएए' या समकक्ष रेटिंग वाली एनबीएफसी / एनबीएफसी-एमएफआई को सभी गतिविधियों के लिए 90 प्रतिशत पुनर्वित्त. इसी प्रकार, शीर्ष रेटिंग से एक पायदान कम रेटिंग वाले एनबीएफसी और एनबीएफसी-एमएफआई को 85 प्रतिशत और शीर्ष रेटिंग से दो पायदान कम रेटिंग वाली एनबीएफसी और एनबीएफसी-एमएफआई को 80 प्रतिशत पुनर्वित्त.

(vii) पुनर्वित्त पर ब्याज दरों का निर्धारण: पुनर्वित्त पर बेस ब्याज दर का निर्धारण अल्को द्वारा किया गया. बेस ब्याज दर पर प्रीमियम का निर्धारण रास बैंकों, क्षेग्रा बैंकों और रासकृग्रावि बैंकों के वर्गीकरण के आधार पर किया गया.

(viii) सांविधिक लेखा परीक्षा पूर्ण होने के बाद 31 मार्च 2016 की स्थिति: अप्रैल 2016 से सितंबर 2016 के दौरान रास बैंकों और रासकृग्रावि बैंकों के जोखिम का आकलन 31 मार्च 2015 की स्थिति में की गई उनकी लेखा परीक्षित वित्तीय स्थिति पर आधारित था. इसी प्रकार, अक्तूबर 2016 से मार्च 2017 के दौरान इन दोनों एजेंसियों के जोखिम का आकलन 31 मार्च 2016 की स्थिति में की गई उनकी लेखा परीक्षित वित्तीय स्थिति पर आधारित था. अप्रैल 2016 से जून 2016 के दौरान क्षेग्रा बैंकों का जोखिम आकलन 31 मार्च 2015 की स्थिति में की गई उनकी लेखा परीक्षित वित्तीय स्थिति पर आधारित था. इसी प्रकार, जुलाई 2016 से मार्च 2017 के दौरान क्षेग्रा बैंकों का जोखिम आकलन 31 मार्च 2016 की स्थिति में की गई उनकी लेखा परीक्षित वित्तीय स्थिति पर आधारित था. सभी संस्थाओं के मामलों में 31 मार्च 2016 की स्थिति में (सांविधिक लेखापरीक्षा पूर्ण होने के बाद) उनकी वित्तीय स्थिति में हुए सुधार या गिरावट को ध्यान में रखते हुए पुनर्वित्त पात्रता का निर्धारण किया गया.

(ix) बगैर लाइसेन्स वाले और 'सी' / 'डी' लेखा परीक्षा वर्गीकरण वाले रास बैंकों और जिमस बैंकों को पुनर्वित्त के लिए अपात्र माना गया था. यदि रास बैंकों का सीआरएआर 7 प्रतिशत या इससे अधिक था लेकिन संबन्धित जिमस बैंक का सीआरएआर 7 प्रतिशत से कम था, तो ऐसे मामलों में जिमस बैंकों के लिए रास बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराया गया.

(ख) बागान और बागबानी क्षेत्र के लिए रियायतें

एक धारणक्षम कृषि व्यवस्था के राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड ने बागान और बागवानी क्षेत्र के अंतर्गत विशेष गतिविधियों और बैंकिंग योजना के तहत तैयार की गई क्षेत्र आधारित अन्य योजनाओं के लिए सहकारी बैंकों और क्षेग्रा बैंकों को रियायती दर पर पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कराने की एक नई योजना शुरू की है. इसके तहत 100 प्रतिशत तक पुनर्वित्त उपलब्ध था और ब्याज दर पुनर्वित्त की वर्तमान ब्याज दर से 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष कम थी.

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए रियायतें

नाबार्ड ने महिला स्वयं सहायता समूहों को दिए गए ऋणों के लिए रास बैंकों और क्षेग्रा बैंकों को 4.5 प्रतिशत की रियायती दर पर पुनर्वित्त उपलब्ध कराया है. भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी, भा.स.) द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत चयनित 250 जिलों में प्रति स्वयं सहायता समूह ₹3 लाख तक के ऋण 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर देने वाले बैंकों को यह रियायत दी गई.

(घ) बल क्षेत्रों के लिए पुनर्वित्त सुविधा

'बल क्षेत्रों' के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में सभी गतिविधियों के लिए दिए गए पात्र बैंक ऋण के लिए लघु वित्त बैंकों, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, रास बैंकों, क्षेग्रा बैंकों, रासकृग्रावि बैंकों और नाबार्ड की सहायक कंपनियों को 100 प्रतिशत तक और अन्य गतिविधियों के लिए 95 प्रतिशत पुनर्वित्त उपलब्ध कराया गया.

(ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज

नाबार्ड ने रास बैंकों को निवल एनपीए में 5 प्रतिशत और क्षेग्रा बैंकों को 3 प्रतिशत की रियायत देना जारी रखा. इसके तहत सभी प्रयोजनों के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों / राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में एनबीएफसी को छोड़कर सभी पात्र ग्राहक संस्थाओं को पात्र बैंक ऋण के 100 प्रतिशत तक पुनर्वित्त प्रदान किया गया.

- पूर्वी क्षेत्र - पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह;
- पूर्वोत्तर क्षेत्र - असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम;
- पर्वतीय क्षेत्र - जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड;
- लक्षद्वीप और छत्तीसगढ़.

पूर्वोत्तर क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के एनबीएफसी के मामले में नाबार्ड से दीर्घावधि पुनर्वित्त प्राप्त करने संबंधी उनके पात्रता मानदंड को 'एए' से कम करके 'ए' कर दिया गया बशर्ते वे अन्य सभी निर्धारित नियम व शर्तें पूरी करते हों. इसी प्रकार, इन राज्यों में नाबार्ड से दीर्घावधि पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए एनबीएफसी-एमएफआई के पात्रता मानदंडों को शीर्ष रेटिंग के पायदान से एक पायदान कम रखना जारी रहा.

(च) दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि

कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने केवल रास बैंकों और क्षेग्रा बैंकों को दीर्घावधि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए 2014-15 में नाबार्ड में दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि (एलटीआरसीएफ) सृजित की थी. वर्ष 2016-17 के दौरान एलटीआरसीएफ में ₹15,000 करोड़ की राशि आबंटित की गई थी. 23 दिसंबर 2016 से इस निधि से प्रदत्त पुनर्वित्त पर प्रभारित ब्याज दर को कम करके 5.15 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया है. साथ ही, बैंकों को सूचित किया गया कि यह लाभ उधारकर्ता किसानों को अंतरित किया जाए.

(छ) पुनर्वित्त पर ब्याज दरें

दीर्घावधि पुनर्वित्त पर एजेंसी के प्रकार और ऋण की मात्रा के अनुसार ब्याज दरें 8.1 प्रतिशत और 10.95 प्रतिशत वार्षिक के बीच रहीं. वर्ष 2016-17 के दौरान ब्याज दरों में तीन बार संशोधन किए गए.

(ज) प्रतिभूति मानदंड

नाबार्ड से उधार लेने वाली सभी वित्तीय संस्थाओं को नाबार्ड के साथ एक सामान्य पुनर्वित्त करार निष्पादित करना होता है. ऋणों से निर्मित आस्तियां प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में संबंधित बैंक के पास रहती हैं. लेकिन उधारकर्ता संस्थाएं इस प्रकार धारित या धारित की जाने वाली आस्तियों को अपने पास नाबार्ड के लिए न्यास के रूप में धारण करेंगी.

गैर-अनुसूचित रास बैंकों को संबंधित राज्य सरकार की गारंटी के समक्ष पुनर्वित्त सहायता प्रदान की गई. सरकारी गारंटी के अभाव में सरकारी प्रतिभूतियों, अनुसूचित बैंकों या बेहतर कार्य कर रहे रास बैंकों द्वारा जारी सावधि जमा रसीदों (एफडीआर) आदि जैसी वैकल्पिक प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर इन बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान किया गया. रासकृग्रावि बैंकों को सरकारी गारंटी पर ही पुनर्वित्त उपलब्ध कराया गया.

3.2.2 नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त संवितरण

पिछले 5 वर्षों के दौरान दीर्घावधि पुनर्वित्त में 32 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर दर्ज हुई है. इससे कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यावश्यक पूंजी निर्माण को बल मिला है. वर्ष 2016-17 के दौरान ₹50,000 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष ₹53,505.51 करोड़ का संवितरण किया गया (प्रदर्श 3.1) (तालिका 3.1).

प्रदर्श 3.1

दीर्घावधि पुनर्वित्त वार्षिक संवितरण और वर्ष-दर- वर्ष वृद्धि (%) (राशि ₹करोड़)

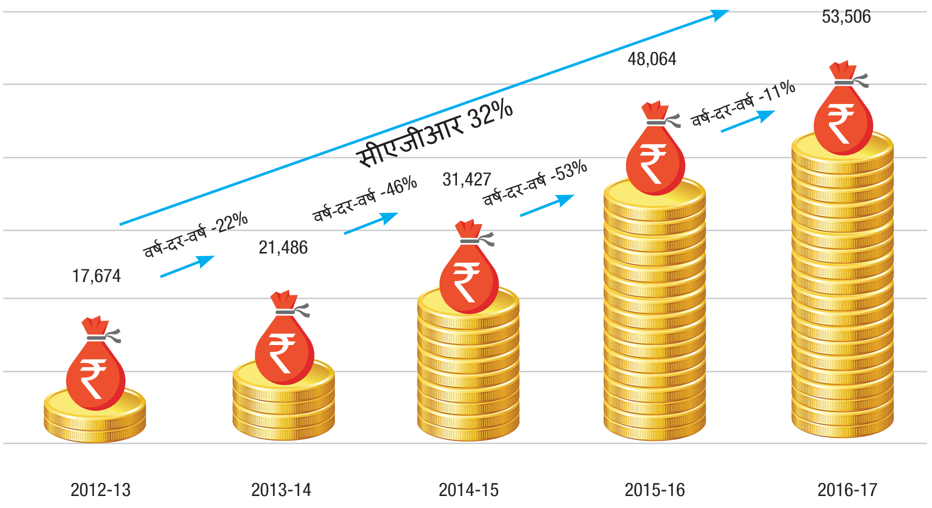

(क) एजेंसी-वार दीर्घावधि पुनर्वित्त संवितरण

तालिका 3.1

एजेंसी-वार पुनर्वित्त संवितरण

(राशि ₹करोड़)

एजेंसी	2014-15		2015-16		2016-17	
	संवितरण	हिस्सा (%)	संवितरण	हिस्सा (%)	संवितरण	हिस्सा (%)
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	13,675.20	43.51	22,823.54	47.49	25,834.00	48.28
क्षेग्रा बैंक	10,220.91	32.52	12,139.68	25.26	11,369.83	21.25
रास बैंक	3,818.09	12.15	6,231.12	12.96	6,433.59	12.02
रासकृग्रावि बैंक	2,923.97	9.30	3,258.26	6.78	3,398.34	6.35
नाबार्ड की सहायक संस्थाएं	489.13	1.56	611.12	1.27	531.75	0.99
एनबीएफसी	300.00	0.95	3,000.00	6.24	5,938.00	11.1
कुल	**31,427.30**	**100.00**	**48,063.72**	**100.00**	**53,505.51**	**100.00**

वर्ष 2016-17 के दौरान ₹53,505.51 करोड़ के संवितरण में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सर्वाधिक हिस्सा 48.28 प्रतिशत था. इसके बाद क्षेग्रा बैंकों (21.25 प्रतिशत), रास बैंकों (12.02 प्रतिशत), एनबीएफसी (11.10 प्रतिशत), रासकृग्रावि बैंकों (6.35 प्रतिशत) और नाबार्ड की सहायक कंपनियों (0.99 प्रतिशत) का स्थान रहा.

(ख) क्षेत्र-वार संवितरण

दीर्घावधि पुनर्वित्त के स्थानिक संवितरण से ज्ञात होता है कि पुनर्वित्त का बड़ा हिस्सा दक्षिणी क्षेत्र (~45 प्रतिशत) का रहा है. इसके बाद उत्तरी क्षेत्र (~20 प्रतिशत), पश्चिमी क्षेत्र (~17 प्रतिशत), मध्य क्षेत्र (~10 प्रतिशत), पूर्वी क्षेत्र (~8 प्रतिशत) और पूर्वोत्तर क्षेत्र (1 प्रतिशत) का स्थान रहा (तालिका 3.2).

तालिका 3.2

क्षेत्र-वार पुनर्वित्त संवितरण

(राशि ₹ करोड़)

क्षेत्र	2014-15		2015-16		2016-17	
	संवितरण	हिस्सा (%)	संवितरण	हिस्सा (%)	संवितरण	हिस्सा (%)
उत्तरी	5,260.99	16.70	7,106.08	14.8	10,501.94	19.63
पूर्वोत्तर	385.45	1.20	481.37	1.00	445.18	0.83
पूर्वी	3,711.66	11.80	5,500.73	11.4	4,385.48	8.20
मध्य	3,131.63	10.00	4,498.64	9.4	5,165.43	9.65
पश्चिमी	4,951.66	15.80	6,812.78	14.2	9,037.25	16.89
दक्षिणी	13,985.92	44.50	23,664.12	49.2	23,970.23	44.80
कुल	**31,427.30**	**100.00**	**48,063.72**	**100.00**	**53,505.51**	**100.00**

क्षेत्र के राज्य

- दक्षिणी : आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी
- पश्चिमी : गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव
- उत्तरी : हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़
- मध्य : मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड
- पूर्वी : बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
- पूर्वोत्तर : असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम

(ग) प्रयोजन-वार संवितरण

दीर्घावधि पुनर्वित्त संवितरण में 35 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी के साथ गैर-कृषि क्षेत्र (एनएफएस) प्रथम स्थान पर रहा, इसके बाद कृषि मशीनीकरण (~21 प्रतिशत) और भूमि विकास (~11 प्रतिशत) जैसे अन्य बड़े उद्देश्यों, जिनके लिए दीर्घावधि ऋण दिया गया, का स्थान आता है (तालिका 3.3).

तालिका 3.3

प्रयोजन-वार पुनर्वित्त संवितरण

(राशि ₹ करोड़)

प्रयोजन	2014-15		2015-16		2016-17	
	संवितरण	हिस्सा (%)	संवितरण	हिस्सा (%)	संवितरण	हिस्सा (%)
लघु सिंचाई	1,147.17	3.65	1,174.30	2.44	1,145.01	2.14
भूमि विकास	1,300.16	4.14	1,554.50	3.23	5,751.80	10.75
कृषि मशीनीकरण	2,383.60	7.59	5,672.29	11.80	11,076.36	20.70
बागान और बागबानी	2,033.45	6.47	1,983.37	4.13	2,631.11	4.92
पीएफ / एसजीपी / एच - अन्य	672.52	2.14	1,237.16	2.57	1,088.34	2.03
मत्स्यपालन	64.15	0.20	370.52	0.77	210.57	0.40
डेयरी विकास	1,770.63	5.62	2,833.98	5.90	2,117.62	3.95
बायो-गैस	-	-	-	-	0.59	0.00
वानिकी	8.29	0.03	5.90	0.01	0.83	0.00
भंडारण गोदाम और मंडी स्थल	294.21	0.94	413.37	0.86	108.52	0.20
कृषीतर क्षेत्र	11,117.83	35.38	14,055.88	29.24	18,505.13	34.59
अजा/अजजा- एपी	2.47	0.01	36.14	0.08	0.00	0.00
स्वसस	4,493.67	14.29	6,906.02	14.37	5,659.51	10.58
अन्य	6,138.34	19.54	11,820.29	24.59	5,210.12	9.74
कुल	31,427.30	100.00	48,063.72	100.00	53,505.51	100

3.3 अल्पावधि बहु-प्रयोजन ऋण के लिए प्रत्यक्ष ऋण

जहां जिमस बैंकों के विभिन्न व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए नाबार्ड रास बैंकों के माध्यम से पुनर्वित्त उपलब्ध कराता रहा है, वहीं जिमस बैंकों को प्रत्यक्ष ऋण सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना आधार स्तरीय ऋण प्रवाह (जीएलसी) बढ़ाने की दिशा में एक अतिरिक्त ऋण व्यवस्था के रूप में की गई थी. इस उत्पाद का उद्देश्य एकल सहकारी संरचना पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय संपूर्ण सहकारी संरचना को सेवाएं देना है. इससे जिमस बैंक बिना रास बैंकों के सहयोग के स्वतंत्र रूप से अपने लिए संसाधन जुटाने में सक्षम हुए हैं.

इसके तहत किसानों, व्यापारियों, दस्तकारों आदि को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए पैक्स के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारी बैंकों को ऋण सीमा मंजूर की जाती है :

- कार्यशील पूंजी आवश्यकताएं
- कृषि मशीनों और अन्य उत्पादक आस्तियों की मरम्मत तथा रखरखाव
- उत्पादों का भंडारण/ श्रेणीकरण/ पैकेजिंग
- विपणन कार्यकलाप, फसल ऋण आदि.

3.3.1 प्रत्यक्ष ऋण - पहुंच

वर्ष 2016-17 के दौरान नाबार्ड ने 64 जिमस बैंकों और 2 रास बैंकों को ₹5,538.74 करोड़ मंजूर किए. इसमें सहकारी और निजी चीनी कारखानों के चीनी स्टॉक की गिरवी के समक्ष सात जिमस बैंकों को मंजूर ₹530 करोड़ के ऋण भी शामिल हैं. इस अवधि में ₹4,739.73 करोड़ (तालिका 3.4) संवितरित किए गए. वर्ष के दौरान नौ नए जिमस बैंकों को ऋण सीमाएं मंजूर की गईं.

तालिका 3.4

प्रत्यक्ष ऋण के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में राज्य-वार मंजूरियां और संवितरण

(राशि ₹करोड़)

राज्य	मंजूरी	संवितरण
बिहार	5.00	5.00
छत्तीसगढ़	50.00	50.00
गुजरात	791.00	753.00
हरियाणा	10.00	244.00
हिमाचल प्रदेश	150.00	130.00
कर्नाटक	845.00	892.05
केरल	150.00	150.00
महाराष्ट्र	780.00	385.00
मध्यप्रदेश	550.00	292.00
ओडिशा	300.00	300.00
राजस्थान	660.37	349.48
उत्तरप्रदेश	1,207.37	1,184.20
उत्तराखंड	40.00	5.00
कुल	**5,538.74**	**4,739.73**

3.4 फेडरेशनों को ऋण सुविधा (सीएफएफ)

फेडरेशनों के लिए ऋण सुविधा के तहत निगमों, फेडरेशनों, सहकारी संस्थाओं, पंजीकृत कंपनियों आदि को कृषि पण्यों के विपणन, निविष्टि आपूर्ति, मूल्य श्रृंखला और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए अल्पावधि (12 महीने से कम अवधि के लिए) ऋण सहायता उपलब्ध है. अब तक इस सुविधा के अंतर्गत विपणन फेडरेशनों और नागरिक आपूर्ति निगमों द्वारा खाद्यान्न अधिप्राप्ति, विपणन फेडरेशनों द्वारा मोटे अनाजों की अधिप्राप्ति, फेडरेशनों द्वारा उर्वरकों के विपणन और संबंधित सहकारी यूनियनों द्वारा तेलहन / दूध प्रसंस्करण गतिविधियों को शामिल किया गया है.

वर्ष के दौरान पहली बार हेफेड, हरियाणा को खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति और विपणन गतिविधियों के लिए ₹2,000 करोड़, टीएसएसडीसीएल, तेलंगाणा को बीजों की अधिप्राप्ति और वितरण के लिए ₹75 करोड़ और असम राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एएसएएमबी) को धान की अधिप्राप्ति के लिए ₹30 करोड़ की सीमा मंजूर की गई. वर्ष के दौरान कुल ₹12,160 करोड़ की ऋण सीमा मंजूर की गई. वर्ष के दौरान ₹15,755 करोड़ का संवितरण किया गया.

3.5 पैक्स का विकास बहु-सेवा केन्द्रों के रूप में करने के लिए वित्तीय सहायता

कृषि क्षेत्र में हुए आधुनिकीकरण के फलस्वरूप किसान अब बेहतर उपज के साथ-साथ अपने कृषि उत्पादों की अच्छी कीमत की अपेक्षा करते हैं. आधुनिकीकरण की चुनौती से निपटने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि उत्पादन, उत्पादकता को बढ़ाने और विपणन तथा उत्पादों के भंडारण के लिए किसानों को कृषि की नवीनतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो. पैक्स वर्तमान में अपने सदस्यों की विभिन्न ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करते हैं. लेकिन, पैक्स को एक ऐसी इकाई के रूप में विकसित करने की तत्काल जरूरत है जहां किसानों की सभी आवश्यकताएं एक ही स्थान पर पूरी हो सकें. इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि कृषि उपकरणों को किराए पर देने, कृषि निविष्टियों की थोक खरीद, भंडारागार विकास विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) मार्गनिर्देशों के अनुसार अच्छी भंडारण सुविधा, प्रसंस्करण इकाई, विपणन सुविधाएं प्रदान करने आदि जैसी अतिरिक्त सेवाएं आरंभ कर पैक्स अपने व्यवसाय पोर्टफोलियो का विस्तार करके स्वावलंबी बनें.

आधार स्तर पर पैक्स के बेहतर कवरेज और उनके पास उपलब्ध सीमित उत्पादों के मद्देनजर नाबार्ड ने पैक्स को एक बहु- सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए रास बैंकों/ जिमस बैंकों / पैक्स को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है ताकि किसानों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके. वर्ष 2016-17 के दौरान, 123 पैक्स को ₹63.66 करोड़ की वित्तीय सहायता मंजूर की गई है जिसमें ₹58.82 करोड़ ऋण घटक के रूप में और शेष ₹5.06 करोड़ सम्बद्ध सहायता के रूप में दिये गये. 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार ₹77.65 करोड़ (₹74.25 करोड़ ऋण घटक के रूप में और ₹3.40 करोड़ सम्बद्ध सहायता के रूप में) का संवितरण किया गया जिसमें कृषि सेवा केंद्र, ग्रामीण खुदरा आउटलेट, कृषि विपणन संरचना, चावल मिल, ग्रामीण गोदाम, आरओ जल संयंत्र, टेंट हाउस और केटरिंग बिजनेस, किराए पर कृषि मशीनरी/ उपकरण देने, कृषि उत्पादों को ढोने के लिए वाहन और पैक्स के सदस्यों को ऋण देकर कृषि/ सम्बद्ध कार्यकलापों के बैकवर्ड/ फॉरवर्ड लिंकेज के सुदृढ़ीकरण के लिए दी गई सहायता शामिल है.

3.6 भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं

3.6.1 किसानों को ब्याज सहायता

किसानों को अपने स्रोतों से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ₹3 लाख तक के फसली ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों को दो प्रतिशत की ब्याज सहायता के साथ - साथ समय पर ऋण की चुकौती करने पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान करने की योजना 2016-17 के दौरान भी जारी रही. इस प्रकार, समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने का उद्देश्य ऋण वितरक संस्थाओं की ऋण व्यवस्था के अवरोधों को दूर कर 4 प्रतिशत की प्रभावी दर पर ऋण देना है. यह लाभ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों (ग्रामीण और अर्द्ध शहरी शाखाओं द्वारा संवितरित ऋण पर), सहकारी बैंकों और क्षेग्रा बैंकों को उपलब्ध था.

प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित किसानों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से 2016-17 के दौरान पहले वर्ष में फसल ऋण की पुनर्गठित राशि के लिए बैंकों को ब्याज सहायता योजना की सुविधा प्रदान की गई. भारतीय रिजर्व बैंक की नीति के अनुसार दूसरे वर्ष से ऐसे पुनर्गठित ऋणों पर सामान्य दर से ब्याज लगाया जाएगा.

रास बैंकों और क्षेग्रा बैंकों को 4.5 प्रतिशत की रियायती दर पर पुनर्वित्त सुविधा देने के लिए नाबार्ड को ब्याज सहायता उपलब्ध थी. भारत सरकार ने ₹5,111.06 करोड़ (2013-14), ₹4,082.48 करोड़ (2014-15) और ₹760.98 करोड़ (2015-16) की ब्याज सहायता नाबार्ड को उपलब्ध कराई. ब्याज सहायता से संबंधित 2013-14 तक के सभी दावों की राशि भारत सरकार से प्राप्त हो गई है.

3.6.2 गन्ना उपक्रमों के लिए भारत सरकार की योजना

(क) सहकारी चीनी मिलों के लिए भारत सरकार का पैकेज

सहकारी चीनी मिलों (सीएसएम) के सावधि ऋणों को पुनर्गठित करने के लिए नाबार्ड 2016-17 में भी नोडल एजेंसी बना रहा. नाबार्ड ने महाराष्ट्र की 73 सहकारी चीनी मिलों और ओडिशा की एक सहकारी चीनी मिल से संबन्धित ₹245.24 करोड़ के दावों का निपटान 31 मार्च 2017 तक कर दिया था.

(ख) चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करने की योजना

चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना (एसईएफएएसयू-2014) के अंतर्गत वित्तपोषक बैंकों द्वारा चीनी मिलों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे पिछले गन्ना मौसमों के बकाए का भुगतान कर सकें और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित उचित और लाभप्रद कीमत (एफआरपी) पर चालू मौसम में गन्ने की कीमतों का समय पर निपटान कर सकें. संबंधित बैंकों को सब्सिडी की प्रतिपूर्ति करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को नोडल बैंक बनाया गया है. सहकारी बैंकों और क्षेग्रा बैंकों की ओर से नाबार्ड दावों की प्रतिपूर्ति के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ समन्वयन का काम करता है.

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों के खातों से संबंधित सकल राशि ₹650.51 करोड़ प्रेषित की.

(ग) गन्ना मौसम 2014-15 के गन्ना बकायों के भुगतान के लिए चीनी मिलों को सुलभ ऋण देने की योजना

भारत सरकार ने किसानों को गन्ना मौसम 2014-15 के गन्ना बकाया के उचित और लाभप्रद भुगतान (एफआरपी के अनुसार) के लिए चीनी मिलों को आसान शर्तों पर ऋण देने संबंधी योजना 23 जून 2015 को जारी की (बाद में 18 अगस्त 2015 को इसे संशोधित किया गया). वर्ष 2013-14 और 2014-15 के गन्ना मौसम में चालू चीनी मिलों को मंजूर किए गए सुलभ ऋण की उच्चतम सीमा गन्ना मौसम 2013-14 के दौरान सफेद चीनी के रिपोर्ट किए गए उत्पादन का 11 प्रतिशत रखी गई.

योजना में ऋणों की चुकौती में एक वर्ष की आस्थगन अवधि है. वित्तपोषक बैंकों द्वारा 30 सितंबर 2015 तक मंजूर और 16 अक्तूबर 2015 तक संवितरित ऋणों पर भारत सरकार की ओर से चीनी मिलों को एक वर्ष या इससे कम की अवधि के लिए 10 प्रतिशत के साधारण ब्याज या बैंकों द्वारा प्रभारित वास्तविक ब्याज, इसमें से जो भी कम हो, की सीमा तक ब्याज सहायता की सुविधा प्राप्त है. ब्याज सहायता नोडल बैंक- भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से तिमाही आधार पर जारी की गई.

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के खातों से संबंधित सकल राशि ₹129.09 करोड़ प्रेषित की.

3.6.3 हथकरघा क्षेत्र पैकेज

(क) हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुत्थान, सुधार और पुनर्गठन पैकेज

हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुत्थान, सुधार और पुनर्गठन (आरआरआर) पैकेज 2011-12 से कार्यान्वित किया जा रहा है. केंद्र प्रायोजित इस योजना के अंतर्गत 27 राज्यों ने भारत सरकार और नाबार्ड के साथ त्रिपक्षीय सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. आरंभ से अब तक इस योजना के तहत 39 शीर्ष बुनकर सहकारी समितियों (एडब्ल्यूसीएस), 9,642 प्राथमिक सहकारी समितियों (पीडब्ल्यूसीएस), 6,310 स्वयं सहायता समूहों और 54,226 एकल बुनकरों को सहायता प्रदान की गई है. इस पैकेज के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए भारत सरकार ने चार चरणों में ₹741 करोड़ की राशि जारी की.

(ख) हथकरघा क्षेत्र के लिए व्यापक पैकेज

हथकरघा क्षेत्र को तीन वर्षों के लिए 6 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को 7 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने के लिए नाबार्ड कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी है. यह सब्सिडी प्रचलित ब्याज दर और बैंकों द्वारा प्रभारित 6 प्रतिशत की ब्याज दर के बीच के अंतर तक सीमित है. योजना के तहत बैंकों से ऋण प्राप्त करने के प्रयोजन से बुनकरों, स्वयं सहायता समूहों और संयुक्त देयता समूहों को आरंभ में दी जानेवाली प्रति बुनकर ₹4,200 की मार्जिन राशि को 27 सितंबर 2013 से बढ़ाकर ऋण राशि का 20 प्रतिशत प्रति बुनकर अधिकतम ₹10,000 कर दिया गया है. योजना के तहत बैंकों को सब्सिडी का दावा आरंभ में करने की अनुमति है. यह पैकेज 31 अगस्त 2016 को बंद हो गया है.

3.6.4 पूंजी निवेश सब्सिडी योजना

नाबार्ड निम्नलिखित पूंजी निवेश सब्सिडी योजनाओं (सीआईएसएस) के लिए सब्सिडी हेतु पास-थ्रू एजेंसी है:

(क) कृषि विपणन आधारभूत सुविधा

कृषि मंत्रालय (एमओए), भारत सरकार ने 01 अप्रैल 2014 को कृषि विपणन के लिए समन्वित योजना (आईएसएमआई) के तहत कृषि विपणन आधारभूत सुविधा (एएमआई) उप-योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत ऋण-युक्त और पश्चदायी पूंजी सब्सिडी देने का प्रावधान है जिसमें पात्र भंडारण और विपणन आधारभूत सुविधा की पूंजी लागत पर (25 प्रतिशत या 33.33 प्रतिशत) सब्सिडी दी जाती है, जो क्षेत्र और लाभार्थियों के संवर्ग के आधार पर भंडारण परियोजनाओं के लिए अधिकतम ₹4 करोड़ और विपणन परियोजनाओं के लिए अधिकतम ₹5 करोड़ तक सीमित है.

कृषि विपणन आधारभूत सुविधा उप-योजना के अंतर्गत ₹4,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता से पूरे देश में कुल 230 लाख टन की भंडारण क्षमता के साथ 4,000 विपणन आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई. वर्ष 2016-17 के दौरान 740 इकाइयों के लिए ₹333.82 करोड़ की सब्सिडी जारी की गई है (संचयी रूप से 40,992 इकाइयों के लिए ₹3,719.90 करोड़ की राशि).

(ख) कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र

अप्रैल 2002 में कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में निःशुल्क या शुल्क लेकर सार्वजनिक क्षेत्र की प्रसार और अन्य सेवाएं किसानों तक पहुंचाने की दृष्टि से इस योजना की शुरुआत की थी. इस योजना का उद्देश्य कृषि विकास के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्नातकों और कृषि की जानकारी रखने वाले युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर भी सृजित करना था. वर्ष 2016-17 के दौरान 276 इकाइयों के लिए ₹13.40 करोड़ सब्सिडी जारी की गई है (संचयी रूप से 1,628 इकाइयों के लिए ₹55.56 करोड़).

(ग) सौर ऊर्जा संवर्धन के लिए योजनाएं

(i) सिंचाई के लिए सोलर फोटो-वोल्टेइक वाटर पंपिंग सिस्टम का संवर्धन करने की योजना

सिंचाई के लिए ग्रिड पावर सप्लाई से अलग सोलर फोटो-वोल्टेइक वाटर पंपिंग सिस्टम को संवर्धित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार ने 03 नवंबर 2014 को एक ऋण-युक्त और पश्चदायी सब्सिडी योजना की शुरुआत की थी. योजना के तहत पूरे देश में 30,000 इकाइयों को सब्सिडी देने की परिकल्पना की गई है. वर्ष 2016-17 के दौरान 2,049 इकाइयों के लिए ₹60.71 करोड़ (अग्रिम राशि रखने सहित) सब्सिडी जारी की गई है. योजना के तहत संचयी रूप से 2,833 इकाइयों के लिए जारी राशि ₹81.33 करोड़ है.

(ii) सोलर लाइटिंग को प्रोत्साहित करने की योजना

सोलर लाइटिंग को लोकप्रिय बनाने और एलईडी आधारित सिस्टम के संवर्धन के लिए भारत सरकार ने 29 फरवरी 2016 से एमएनआरई सोलर लाइटिंग योजना की शुरुआत की थी. योजना के तहत एलईडी आधारित सिस्टम और सोलर होम सिस्टम (सोलर पावर पैक्स-डीसी / एसी मॉडल) में से प्रत्येक के छह मॉडलों को सहायता दी जाती है और 40 तक के वाट पिक (डब्ल्यूपी) के सिस्टम के लिए ₹160 के हिसाब से और 40 से ऊपर 300 वाट पिक (डब्ल्यूपी) तक के सिस्टम के लिए ₹100 प्रति वाट पिक (डब्ल्यूपी) के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है. वर्ष 2016-17 के दौरान 657 इकाइयों के लिए ₹11.59 करोड़ (अग्रिम राशि रखने सहित) की सब्सिडी जारी की गई है.

(घ) राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना

राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना (एनपीओएफ) एक केंद्रीय योजना है. इसका उद्देश्य देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देना है. वर्ष 2016-17 के दौरान बायो-उर्वरक, बायो कीटनाशक और फल तथा सब्जी अपशिष्ट कंपोस्ट की 20 इकाइयों के लिए ₹2.88 करोड़ सब्सिडी जारी की गई. इस योजना के तहत संचयी रूप से 711 इकाइयों के लिए ₹26.06 करोड़ की राशि जारी की गई है. इसमें वर्मी हैचरी भी शामिल है जिसे एक गतिविधि के रूप में 11 अगस्त 2010 को बंद कर दिया गया था.

(ङ) पशुपालन क्षेत्र की योजनाएं

(i) डेयरी उद्यमिता विकास योजना

वर्ष 2010-11 में देश में आधुनिक डेयरी फार्मों के माध्यम से शुद्ध दूध के उत्पादन और बछिया पालन फार्मों द्वारा अच्छे नस्ल के पशुओं को संरक्षित करने के प्रयोजन से डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस) की शुरुआत की गई थी. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में डेयरी क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन लाना भी था ताकि इस सेक्टर में संरचनात्मक बदलाव लाए जा सकें. वर्ष 2016-17 के दौरान 22,526 इकाइयों के लिए ₹116.87 करोड़ की राशि जारी की गई है (संचयी रूप से 2,69,049 इकाइयों के लिए ₹1,049.56 करोड़).

(ii) राष्ट्रीय पशुधन मिशन - उद्यमिता विकास और रोजगार निर्माण घटक

भारत सरकार ने 2014-15 में देश में पशुधन विकास और उत्पादन में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार के साथ-साथ इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) की शुरुआत की थी. इस मिशन के अंतर्गत XII वीं पंचवर्षीय योजना में (क) पशुधन विकास; (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूअर विकास; (ग) चारा और पशु आहार विकास; और (घ) कौशल विकास, तकनीकी अंतरण और प्रसार के लिए सहायता हेतु ₹2,800 करोड़ का आबंटन किया गया था. पशुधन विकास में मवेशियों और भैंस के अलावा अन्य पशुधन विकास शामिल किया गया है.

राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्यममिता विकास और रोजगार सृजन (ईडीईजी) घटक में पॉल्ट्री उद्यम पूंजी निधि (पीवीसीएफ), छोटे रोमंथकों और खरगोशों का समन्वित विकास (आईडीएसआरआर), सूअर विकास (पीडी) और भैंस के पाड़ों का विकास और पालन (एसआरएमबीसी) भी शामिल हैं.

- **पॉल्ट्री उद्यम पूंजी निधि (पीवीसीएफ):** वर्ष 2016-17 के दौरान पॉल्ट्री गतिविधियों, क्षमता निर्माण, बेहतर पॉल्ट्री उत्पादों, प्रसंस्करण इकाइयों के तकनीकी उन्नयन और बढ़िया नस्ल के बटेर, बत्तख और टर्की जैसी उच्च संभाव्यतायुक्त नस्लों के पालन कार्य में लगी 1,629 इकाइयों के सहायतार्थ ₹28 करोड़ की राशि जारी की गई (संचयी रूप से 9,666 इकाइयों के लिए ₹179.85 करोड़).

- **आईडीएसएसआर:** वर्ष 2016-17 के दौरान ऊन, मांस और दूध के लिए बकरी और भेड़ पालन के विकास, बकरी और खरगोश प्रजनन फार्मों की स्थापना और भेड़, बकरी तथा खरगोश के वाणिज्यिक पालन हेतु 4,336 इकाइयों की सहायता के लिए ₹13.84 करोड़ की सब्सिडी जारी की गई (संचयी रूप से 26,800 इकाइयों के लिए ₹106.80 करोड़).

- **पीडी:** वर्ष 2016-17 के दौरान सूअरों के वाणिज्यिक और वैज्ञानिक पालन तथा आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए 475 इकाइयों हेतु ₹5.18 करोड़ सब्सिडी जारी की गई (संचयी रूप से 8,101 इकाइयों के लिए ₹57.80 करोड़).
- **एसआरएमबीसी:** 31 मार्च 2017 की स्थिति में भैंस के मांस, गौण-उत्पादों एवं निर्यात तथा घरेलू बाजारों के लिए चमड़े की उपलब्धता में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2017 की स्थिति में 35 इकाइयों के लिए ₹23.74 करोड़ की संचयी सब्सिडी जारी की गयी.

3.7 ग्रामीण वित्तीय संस्थाएं- स्थिति और इनके सुदृढ़ीकरण के प्रयास

3.7.1 ग्रामीण ऋण सहकारिता

आजादी के समय से ही कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्तपोषण नीति निर्माताओं की प्राथमिकता रही है. कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्तीय मध्यस्थता प्रदान करने में सहकारी बैंकों और क्षेग्रा बैंकों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है परंतु वे प्रतिकूल आर्थिक वातावरण के कारण उत्पन्न अप्रत्याशित खतरों से घिरे रहते हैं. नाबार्ड अपनी विभिन्न विकासात्मक एवं पर्यवेक्षकीय पहलों के माध्यम से इन संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करता रहता है जिससे ये संस्थाएं इस तरह के आघातों का सामना प्रभावी तरीके से करने में सक्षम हो सकें.

3.7.2 ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं का वित्तीय निष्पादन

(क) अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना

31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना के अंतर्गत 92,789[1] पैक्स, 370 जिमस बैंक और 33 रास बैंक शामिल हैं.

(i) प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स)

प्राथमिक कृषि ऋण समितियां आधार स्तरीय ऋण संस्थाएं हैं जो सीधे एकल उधारकर्ताओं से लेनदेन करती हैं और अल्पावधि, मध्यावधि एवं दीर्घावधि ऋण मंजूर करती हैं. 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, 92,789 पैक्स थीं तथा इनके कुल सदस्य 12.11 करोड़ थे जिसमें से 4.98 करोड़ (41 प्रतिशत) उधारकर्ता थे. गत वर्ष की तुलना में जहां कुल सदस्यता में 6.9 प्रतिशत की कमी आई, वहीं पैक्स के उधारकर्ता सदस्यों की संख्या में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई. 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, पैक्स द्वारा जुटाई गई जमाराशियों और जारी किए गए ऋणों की मात्रा क्रमशः ₹84,616 करोड़ और ₹1,59,050 करोड़ थी (तालिका 3.5). 81,093 पैक्स के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2014-15 के दौरान 43,653 पैक्स ने ₹2,829 करोड़ का लाभ अर्जित किया और शेष 37,440 पैक्स को ₹4,378 करोड़ का घाटा हुआ है. (स्रोत: नैफ़्सकॉब)

तालिका 3.5

पैक्स का निष्पादन (कृषक सेवा समितियों (एफएसएस) और दीर्घाकार आदिवासी बहु-उद्देश्यीय समितियों (लैंप्स) सहित)

(31 मार्च की स्थिति)

(राशि ₹ करोड़)

विवरण	2014	2015
संख्या	93,042	92,789
सदस्यता (संख्या लाख में)	1,301	1,211
उधारकर्ता सदस्य (संख्या लाख में)	481	498
स्वाधिकृत निधियां	18,923	21,675
जमा राशियां	81,895	84,616
उधार	95,835	99,980
जारी ऋण	1,71,419	1,59,050
बकाया ऋण	1,30,053	1,47,225

स्रोत: नैफ़्सकॉब- 2014 और 2015 के पैक्स के आंकड़े

(ii) सहकारी बैंक

31 मार्च 2016 को राज्य सहकारी बैंकों की कुल शेयर पूंजी ₹5,646 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च 2015 को यह ₹5,376 करोड़ थी. इस प्रकार इसमें 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई. 31 मार्च 2016 को जिमस बैंकों की शेयर पूंजी 18.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹16,008 करोड़ हो गई जबकि 31 मार्च 2015 को यह ₹13,514 करोड़ थी. 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार, रास बैंकों की जमाराशियां 6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹1,09,257 करोड़ रहीं. वहीं 31 मार्च 2015 की स्थिति से 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए जिमस बैंकों (370 जिमस बैंकों में से 363 बैंकों के आंकड़े उपलब्ध हैं) की जमा राशियां ₹2,91,599 करोड़ रहीं.

[1] पैक्स के आंकड़े 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार ही उपलब्ध हैं

31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार रास बैंकों के उधार 31 मार्च 2015 की तुलना में 0.07 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹68,774 करोड़ रहे. 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार, जिमस बैंकों के उधार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹81,891 करोड़ रहे. 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार, रास बैंकों के बकाया ऋण पिछले वर्ष की तुलना में 7.25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹1,22,854 करोड़ रहे जबकि इसी अवधि में जिमस बैंकों के बकाया ऋण 6.22 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹2,36,852 करोड़ रहे (तालिका 3.6).

तालिका 3.6

अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना की संवृद्धि

(31 मार्च की स्थिति)

(राशि ₹ करोड़)

विवरण	रास बैंक			जिमस बैंक		
	2015	2016	वृद्धि (%)	2015	2016	वृद्धि (%)
बैंकों की कुल संख्या	32	33	3.12	370	370	0
शेयर पूंजी	5,376.19	5,646.57	5.02	13,514.20	16,007.88	18.45
प्रारक्षित निधियां	6,959.42	7,333.58	5.37	13,513.71	14,356.05	6.23
जमाराशियां	1,02,808.85	1,09,257.39	6.27	2,62,114.20	2,91,599.39	11.25
उधार	68,725.43	68,774.83	0.07	81,154.82	81,891.21	0.91
बकाया ऋण	1,14,545.55	1,22,854.23	7.25	2,22,977.15	2,36,852.20	6.22

टिप्पणी : *363 जिमस बैंक के आंकड़े उपलब्ध.

(ख) दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना

31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार, दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) के अंतर्गत 18[2] राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (रासकृग्रावि बैंक) हैं जिनमें से आधार स्तर पर 616 शाखाओं के नेटवर्क के साथ 13[3] रासकृग्रावि बैंक पूर्ण रूप से कार्यशील हैं. 627 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (प्रासकृग्रावि बैंक) हैं और इनकी 784 शाखाएं हैं. 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार, रासकृग्रावि बैंकों की शेयर पूंजी ₹908.40 करोड़ और प्रासकृग्रावि बैंकों की शेयर पूंजी ₹1,093.27 करोड़ थी. वर्ष 2015-16 के दौरान रासकृग्रावि बैंकों द्वारा लिए गए उधार 9.27 प्रतिशत की कमी के साथ ₹14,594 करोड़ रहे जबकि प्रासकृग्रावि बैंकों के उधार 12.84 प्रतिशत की कमी के साथ ₹14,265 करोड़ रहे (तालिका 3.7).

तालिका 3.7

दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना की संवृद्धि

(31 मार्च की स्थिति)

(राशि ₹ करोड़)

	रासकृग्रावि बैंक			प्रासकृग्रावि बैंक		
विवरण	2015	2016	वृद्धि/कमी (%)	2015	2016*	वृद्धि (%)
बैंकों की कुल संख्या	18	13	---	589	601	---
शेयर पूंजी	976.12	908.40	-6.93	1,329.53	1,093.27	-17.77
प्रारक्षित निधियां	6,434.59	4,325.75	-32.77	4,024.03	2,611.38	-35.10
जमाराशियां	1,953.03	2,349.92	20.32	1,015.70	1,353.06	33.21
उधार	16,085.42	14,593.81	-9.27	16,367.21	14,265.15	-12.84
बकाया ऋण	21,218.32	20,409.05	-3.81	14,812.01	12,682.35	-14.37

टिप्पणी : * आंकड़े अनंतिम

(ग) सहकारी बैंकों के कार्य परिणाम

(i) लाभप्रदता

वर्ष 2015-16 के दौरान, 33 में से 28 राज्य सहकारी बैंकों ने कुल ₹714.32 करोड़ का लाभ अर्जित किया था जबकि शेष 5 राज्य सहकारी बैंकों को कुल ₹113.83 करोड़ की हानि हुई. इस प्रकार, समग्र रूप से राज्य सहकारी बैंकों ने कुल ₹600.49 करोड़ लाभ दर्ज किया. जहां तक जिमस बैंकों का संबंध है, 359 जिमस बैंकों के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 310 जिमस बैंकों ने कुल ₹1,627.24 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जबकि 49 जिमस बैंकों को ₹553.68 करोड़ का घाटा हुआ. परिणामस्वरूप वर्ष 2015-16 के दौरान जिमस बैंकों को समग्र रूप से कुल ₹1,073.56 करोड़ का लाभ हुआ.

[2] ये 18 रासकृग्रावि बैंक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, असम, त्रिपुरा, बिहार, ओडिशा, प. बंगाल, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में स्थित हैं.

[3] उपर्युक्त 18 रासकृग्रावि बैंकों में से असम, बिहार, ओडिशा, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के रासकृग्रावि बैंक अब कार्यशील नहीं है.

दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना के तहत, वर्ष 2015-16 के दौरान 8 रासकृग्रावि बैंकों ने कुल ₹97.57 करोड़ लाभ अर्जित किया जबकि 5 रासकृग्रावि बैंकों को कुल ₹36.12 करोड़ की हानि हुई. परिणामस्वरूप रासकृग्रावि बैंकों ने समग्र रूप से ₹61.45 करोड़ निवल लाभ दर्ज किया है. वर्तमान में, केवल 13 रासकृग्रावि बैंक पूरी तरह कार्य कर रहे हैं. अतः पिछले वर्ष की तुलना में, पांच रासकृग्रावि बैंकों के आंकड़े इसमें शामिल नहीं हैं. दूसरी ओर, प्रासकृग्रावि बैंकों ने समग्र रूप से कुल ₹226.18 करोड़ की हानि दर्ज की है (तालिका 3.8).

तालिका 3.8
सहकारी बैंकों के कार्य परिणाम
(31 मार्च की स्थिति)

(राशि ₹ करोड़)

एजेंसी	राज्य सहकारी बैंक		जिमस बैंक		रासकृग्रावि बैंक		प्रासकृग्रावि बैंक	
वर्ष	**2014-15**	**2015-16**	**2014-15**	**2015-16#**	**2015**	**2016^#**	**2015**	**2016**
कुल (संख्या)	32	33	370	370	18	13^	714	उ.न.
लाभ में (सं.)	28	28	308	310	8	8	319	उ.न.
लाभ की राशि	1,106.93	714.32	1,748.55	1,627.24	108.46	97.57	175.76	118.53
हानि में (सं.)	4	5	62	49	10	5	381	उ.न.
हानि की राशि	24.94	113.83	1,103.72	553.68	497.91	36.12	557.89	344.70
शुद्ध लाभ राशि	1,081.99	600.49	644.83	1,073.56	-389.45	61.45	-382.13	-226.17

टिप्पणी : # वर्ष 2015-16 के लिए 370 जिमस बैंकों में से 359 जिमस बैंकों ने लाभप्रदता आंकड़े भेजे हैं.
^ वर्तमान में, केवल 13 रासकृग्रावि बैंक पूरी तरह कार्यरत हैं.
उ.न. : उपलब्ध नहीं.

(ii) संचित हानियां
राज्य सहकारी बैंकों की संचित हानियां 31 मार्च 2015 को ₹663 करोड़ थीं जो 31 मार्च 2016 को बढ़कर ₹697 करोड हो गईं. इस अवधि के दौरान जिमस बैंकों की संचित हानियां ₹4,652 करोड़ से बढ़कर ₹4751 करोड़ हो गईं. रासकृग्रावि बैंकों के आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च 2015 तक संचित हानियां ₹2,546 करोड़ थीं, उनमें भारी कमी आई है और वे 31 मार्च 2016 को घटकर ₹212 करोड़ रह गई हैं. इसका कारण यह है कि रासकृग्रावि बैंक (महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश) जिनकी संचित हानियां सबसे ज़्यादा रही हैं, वे अब परिसमापन की प्रक्रिया में हैं और इसलिए अब काम नहीं कर रहे हैं. प्रासकृग्रावि बैंकों की संचित हानियों में भी इसी कारण गिरावट आई है. ये 31 मार्च 2015 को ₹5,245 करोड़ थीं, जो घटकर 31 मार्च 2016 को ₹,987 करोड़ हो गई हैं (तालिका 3.9).

तालिका 3.9
संचित हानियां
(31 मार्च की स्थिति)

(राशि करोड़ करोड़)

वर्ष	राज्य सहकारी बैंक	जिमस बैंक	रासकृग्रावि बैंक	प्रासकृग्रावि बैंक
2015	663.25	4,651.58	2,545.74	5,245.47
2016	697.30	4,750.52	211.92^	2,987.36

टिप्पणी : ^ संचित हानियों में भारी कमी दिखाई दे रही है क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक परिसमापन के अंतर्गत हैं.

(घ) अनर्जक आस्तियां और वसूली निष्पादन
31 मार्च 2016 को राज्य सहकारी बैंकों के समग्र रूप से बकाया ऋणों से एनपीए का प्रतिशत घटकर 4.5 प्रतिशत हो गया, जो 31 मार्च 2015 को 5 प्रतिशत था. क्षेत्रवार विश्लेषण से पता चला है कि प्रतिशत के रूप में एनपीए का स्तर पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित रास बैंकों के अखिल भारतीय स्तर से अधिक था. 30 जून 2016 को रास बैंकों की वसूली 91.7 प्रतिशत थी.

31 मार्च 2016 को जिमस बैंकों के समग्र रूप से बकाया ऋणों से एनपीए का प्रतिशत घटकर 9.4% हो गया, जो 31 मार्च 2015 को 9.9 प्रतिशत था. रास बैंकों की तरह प्रतिशत के रूप में एनपीए का स्तर पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित जिमस बैंकों के अखिल भारतीय स्तर से अधिक था.

31 मार्च 2016 को रासकृग्रावि बैंकों के समग्र रूप से बकाया ऋणों से एनपीए का प्रतिशत 22.26 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा कम था. प्रतिशत के रूप में दक्षिणी क्षेत्र में स्थित रासकृग्रावि बैंकों का एनपीए प्रतिशत अखिल भारतीय औसत से कम था, पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में एनपीए स्तर अधिक था. 30 जून 2015 को रासकृग्रावि बैंकों की वसूली 51.05 प्रतिशत थी

31 मार्च 2016 को प्रासकृग्रावि बैंकों का समग्र रूप से बकाया ऋणों से एनपीए का प्रतिशत 37.03 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष (36.20 प्रतिशत) की तुलना में ज्यादा था. हालांकि, कुल एनपीए का स्तर ₹5,361 करोड़ से घटकर ₹4,651 करोड़ पर आ गया है. इसका कारण मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में प्रासकृग्रावि बैंकों का काम न करना है. 30 जून 2015 को प्रासकृग्रावि बैंकों की वसूली 55.47 प्रतिशत थी.

सहकारी समितियों की 31 मार्च 2016 को समेकित एनपीए की स्थिति नीचे तालिका 3.10 में दर्शायी गई है.

तालिका 3.10
सहकारी बैंकों के समग्र एनपीए की बनावट
(31 मार्च 2016 की स्थिति)

(राशि ₹ करोड़)

आस्ति वर्गीकरण	रास बैंक	जिमस बैंक #	रासकृग्रावि बैंक *	प्रासकृग्रावि बैंक *
उप-मानक	1,887.16 (33.9%)^	9,387.63 (42%)	2,559.00 (50.54%)	2,563.61 (52.77%)
संदिग्ध	2,489.22 (44.7%)	10,673.04 (47.7%)	4,061.00 (48.22%)	2,657.59 (46.61%)
हानियुक्त आस्तियां	1,187.72 (21.3%)	2,313.11 (10.3%)	60.00 (1.22%)	34.13 (0.61%)
कुल एनपीए	**5,564.10**	**22,373.78**	**6,680**	**5,255.33**

टिप्पणी : * अनंतिम
^ कोष्ठक में आंकड़े कुल एनपीए के % के रूप में श्रेणी के तहत एनपीए का % दर्शाते हैं.
# 370 जिमस बैंकों में से 363 जिमस बैंकों के आंकड़े उपलब्ध.

(ङ) वित्तीय मजबूती के संकेतक
रास बैंकों और जिमस बैंकों के सीआरएआर की स्थिति क्रमशः तालिका 3.11 और 3.12 में दी गई है.

तालिका 3.11
रास बैंक - सीआरएआर
(31 मार्च की स्थिति)

वर्ष	सीआरएआर %				
	< 4	**4 से 7**	**7 से 9 तक**	**9 और इससे अधिक**	**कुल**
2014-15	2	0	9	21	32
2015-16 *	2	0	3	28	33

टिप्पणी : * कृपया प्रदर्श 3.3 देखें.
स्रोत : एनश्योर पोर्टल पर अलग-अलग बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं पर आधारित आंकड़े.

तालिका 3.12
जिमस बैंकों का सीआरएआर
(31 मार्च की स्थिति)

वर्ष	सीआरएआर %				
	< 4	**4 से 7**	**7 से 9 तक**	**9 और ऊपर**	**कुल**
2014-15	30	11	106	223	370
2015-16	16	13	81	261	371

टिप्पणी : * कृपया प्रदर्श 3.3 देखें. वर्ष 2015-16 में 371 जिमस बैंकों में तमिलनाडु इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड (टीएआरईसीओ बैंक) भी शामिल है.
स्रोत : एनश्योर पोर्टल पर अलग-अलग बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनाओं पर आधारित आंकड़े.

(च) बिना लाइसेंस वाले 23 जिमस बैंकों के पुनरुद्धार की योजना

अखिल भारतीय स्तर पर, चार राज्यों में स्थित 370 जिमस बैंक में से 23 जिमस बैंक (उत्तर प्रदेश में 16, महाराष्ट्र में 3, जम्मू और कश्मीर में 3 और पश्चिम बंगाल में 01) 31 मार्च 2014 को लाइसेंसिंग के लिए आवश्यक 4 प्रतिशत सीआरएआर की मानदंड को पूरा नहीं कर रहे थे. इन 23 जिमस बैंकों के पुनरुद्धार के लिए भारत सरकार ने विशेष योजना के रूप में ₹2,375.42 करोड़ की पैकेज सहायता (जिसमें भारत सरकार का हिस्सा ₹673.29 करोड़) नवंबर 2014 में घोषित की थी. इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता इसलिए दी गई ताकि ये जिमस बैंक 31 मार्च 2015 तक 7 प्रतिशत सीआरएआर प्राप्त कर सकें.

वर्ष 2014-15 के दौरान महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने बिना लाइसेंस वाले 20 जिमस बैंकों (महाराष्ट्र - 03, उत्तर प्रदेश-16 और पश्चिम बंगाल - 01) के पुनरुद्धार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. 2015-16 के दौरान, जम्मू एवं कश्मीर ने तीन जिमस बैंकों के पुनरुद्धार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे.

इस योजना के तहत, भारत सरकार ने अपने हिस्से की पूरी राशि ₹673.29 करोड़ नाबार्ड को जारी कर दी है. तीन राज्य सरकारों (महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) द्वारा इस योजना में परिकल्पित अपना हिस्सा जारी करने के पश्चात्, नाबार्ड ने तीन राज्यों के लिए भारत सरकार का हिस्सा ₹562.07 करोड़ जारी कर दिया है. नाबार्ड द्वारा अपने सांविधिक निरीक्षण के माध्यम से इन तीन राज्यों में 20 जिमस बैंकों के लिए अतिरिक्त अपेक्षाओं के रूप में ₹462.91 करोड़ का आकलन किया गया था, जिसे सभी तीनों राज्य सरकारों ने जारी कर दिया है. कुल ₹2,560.29 करोड़ (भारत सरकार का हिस्सा ₹562.07 करोड़ और राज्य सरकारों का ₹1,998.22 करोड़) सभी 20 जिमस बैंकों को जारी किया गया.

महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त पूंजी राशि जारी करने के बाद, इन तीनों राज्यों में सभी 20 जिमस बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस मंजूर किए गए हैं.

योजना के तहत इन बैंकों द्वारा विभिन्न मानदंडों / डिलिवरेबल्स की उपलब्धियों संबंधी प्रगति की निगरानी राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति (एसएलआईसी) द्वारा की जा रही है. (बॉक्स 3.1)

बॉक्स 3.1
योजना के तहत प्रगति

- कुल 23 जिमस बैंकों में से 3 राज्यों में अर्थात् महाराष्ट्र (तीन), उत्तर प्रदेश (16) और पश्चिम बंगाल (एक) को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी किए गए हैं.
- जम्मू-कश्मीर राज्य में, तीन जिमस बैंकों को अभी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी किए जाने हैं. राज्य सरकार ने अभी तक अपना हिस्सा जारी नहीं किया है. योजना के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए भारत सरकार का पूरा हिस्सा ₹111.22 करोड़ नाबार्ड के पास तैयार रखा था. तथापि, समझौता ज्ञापन के उप-नियम 16(क) के अनुसार योजना में परिकल्पित हिस्से द्वारा पद्धति के अनुसार जम्मू-कश्मीर द्वारा अपना हिस्सा जारी करने के बाद ही नाबार्ड भारत सरकार से सहायता का हिस्सा जारी करेगा.
- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में 20 जिमस बैंकों के लिए अनुप्रवर्तन योग्य कार्य योजनाएं (एमएपी) तैयार की गई.
- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में एसएलआईसी का गठन किया गया है और निगरानी की जा रही है.
- उत्तर प्रदेश में 16 जिमस बैंकों और महाराष्ट्र में तीन जिमस बैंकों ने पैक्स के कामकाज की समीक्षा की है और अ-व्यवहार्य पैक्स को चिह्नित किया है.
- महाराष्ट्र में तीन बैंकों में और पश्चिम बंगाल में एक बैंक में सीबीएस लागू किया गया है. उत्तर प्रदेश में शेष 16 जिमस बैंकों में सीबीएस को अपनाने की प्रक्रिया जारी हैं.
- उत्तर प्रदेश में 16 जिमस बैंकों और महाराष्ट्र में तीन जिमस बैंकों ने कॉर्पोरेट गवर्नेन्स लागू किया है.

(छ) अन्य कार्य / पहलें

(i) राज्य स्तरीय संस्थागत विकास योजना (एसएलडीपी)

प्रत्येक राज्य को अपने राज्य में सभी सहकारिताओं के लिए नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सहकारी क्षेत्र में पहचाने गए मुद्दों के संबंध में हितधारकों के साथ राज्य-विशिष्ट राज्य स्तरीय संस्थागत विकास योजना तैयार करनी है. यह योजना ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय स्थिति में सुधार के उद्देश्य से तैयार की जानी है. इस योजना में वित्तीय, प्रशासन, प्रबंधन, आंतरिक प्रणालियों और नियंत्रण, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी, आईसीटी उत्पादों/सेवाओं आदि क्षेत्रों में दृष्टिकोण, रणनीतियों और कार्रवाइयों को शामिल किया जा सकता है.

(ii) सहकारी बैंकों में सीआरएआर बनाए रखना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 07 जनवरी 2014 को यह निर्धारित किया है कि बैंकों को दिनांक 31 मार्च 2017 तक सीआरएआर के न्यूनतम स्तर 9 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करना है और उसे निरंतर आधार पर बनाए रखना है. प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, नाबार्ड बैंकों और राज्य सरकारों के निरंतर संपर्क में है और निर्धारित सीआरएआर स्तर 9 प्रतिशत प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल देता रहा है. अनिवार्य सीआरएआर प्राप्त करने में रास बैंकों/जिमस बैंकों को सक्षम बनाने के लिए, कई राज्य सरकारों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार बैंकों को निधियां उपलब्ध कराई हैं.

(iii) सहकारी बैंकों का अनुप्रवर्तन

प्रत्येक सहकारी बैंक के लिए नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नामित नोडल अधिकारी राज्य में सहकारी बैंकों की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि बैंकों की समस्याओं के अध्ययन में बैंकों के सभी वित्तीय मानदंडों का पूरी तरह से विश्लेषण करें. 'डी' और 'सी' रेटिंग से बैंक को अगले उच्च स्तर पर लाने के साथ-साथ संचित हानियों, लाभप्रदता, व्यवसाय विविधीकरण और एनपीए प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया है.

(ज) सहकारी बैंकों की समीक्षा

नाबार्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 11 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में सहकारी बैंकों के सीईओ की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक हुई थी. व्यवसाय, कॉर्पोरेट प्रशासन, वित्तीय स्थिति और विनियामक अनुपालन के संबंध में उनके कार्यनिष्पादन की समीक्षा की गई.

नाबार्ड प्रधान कार्यालय, मुंबई में 02 मार्च 2017 को सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय समावेशन और व्यवसाय विकास पर राज्य सहकारी बैंकों की एक राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई. बैठक में मुख्य रूप से सहकारी बैंकों की दीर्घकालिक स्थिरता को प्रभावित करने वाले मुद्दों प्रौद्योगिकी, पर्यवेक्षकीय और व्यावसायिक विकास पर चर्चा की गयी थी.

बॉक्स 3.2
7 जिमस बैंकों का झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि. के साथ समामेलन

पृष्ठभूमि

- बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार झारखंड राज्य का गठन - झारखंड सरकार के कैबिनेट निर्णय के अनुसार दो स्तरीय एसटीसीसीएस रखने का निर्णय लिया गया.
- एसटीसीसीएस में कई संरचनात्मक कमजोरियों के कारण समामेलन आवश्यक था.
- अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना की संरचनात्मक कमजोरियों के कारण समामेलन किया गया. समामेलन के पीछे तर्क और उसके लाभ.
- प्रस्तावित दो-स्तरीय एसटीसीसीएस, अर्थात् शीर्ष स्तर पर रास बैंक, रास बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालयों के रूप में जिमस बैंक और सबसे निचले स्तर पर पैक्स.
- किसानों की ऋण जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने हेतु एक जिम्मेवार और जीवंत ग्रामीण सहकारी बैंक (आरसीबी) की आवश्यकता.
- सरलीकृत प्रबंधन संरचना और समामेलित इकाई के प्रबंधन हेतु प्रोफेशनलों की भर्ती करने की आवश्यकता.
- बेहतर प्रशासन, शाखा नियंत्रण, और दक्षताएं- कुशलतापूर्वक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने हेतु एक गतिशील संस्था के रूप में परिवर्तित करना.
- प्रक्रियाओं और प्रणालियों को तर्कसंगत एवं मानकीकृत बनाना.
- प्रस्तावित समामेलन से एकीकृत इकाई का सीआरएआर मजबूत होगा.
- नए निकाय को बड़े पैमाने की आर्थिकी के लाभ उपलब्ध होंगे.
- वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ लिया जा सकेगा.

घटनाक्रम

- झारखंड राज्य सहकारी बैंक को अगस्त 2013 में बैंकिंग लाइसेंस मिला, जिसके बाद सभी जिमस बैंकों को झारखंड राज्य सहकारी बैंक (रास बैंक) के साथ समामेलित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन मांगा गया ताकि दो-स्तरीय एसटीसीसीएस बनाया जा सके.
- आरंभ में, भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्तूबर 2013 में झारखंड रास बैंक के साथ 8 जिमस बैंकों के समामेलन के लिए 'सैद्धांतिक अनुमोदन' दिया और अंतिम रूप से अनुमोदन निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के बाद दिया जाना था. बाद में, धनबाद जिमस बैंक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिवेदन दिए जाने की वजह से 7 जिमस बैंकों के समामेलन को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमोदन दिया.
- जनवरी 2017 में झारखंड सरकार ने शर्तों का अनुपालन किया और झारखंड रास बैंक के साथ 8 जिमस बैंकों को समामेलित करने के लिए अंतिम अनुमोदन की अनुशंसा की और भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन देने के लिए अनुरोध किया.
- झारखंड सरकार ने फरवरी 2017 में झारखंड रास बैंक को सीआरएआर न्यूनतम 9 प्रतिशत बनाए रखने हेतु ₹50 करोड़ की पूंजी पुनः प्रदान की - नाबार्ड ने प्रस्तावित समामेलित इकाई की 28 फरवरी 2017 तक की वित्तीय स्थिति की त्वरित जांच की. जांच से पता चला कि सीआरएआर 22.39 प्रतिशत है और ₹103.26 करोड़ की धनात्मक निवल मालियत है. तदनुसार, नाबार्ड ने समामेलन के अंतिम अनुमोदन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक से सिफारिश की.
- भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 30 मार्च 2017 के अपने पत्र के माध्यम से छह महीने के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने के तहत समामेलन को अंतिम रूप से अनुमोदित किया.

वर्तमान स्थिति

- झारखंड सरकार ने झारखंड रास बैंक के साथ 7 जिमस बैंकों को समामेलित करने हेतु 31 मार्च 2017 को अधिसूचना जारी कर दी है.
- नया निकाय 01 अप्रैल 2017 से अस्तित्व में आ गया.

(i) सहकारी ऋण संरचना में क्षमता निर्माण

(क) सहकारिता विकास निधि

अपनी कार्यात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए सहकारी ऋण संस्थाओं जैसे- रास बैंकों, रासकृग्रावि बैंकों, जिमस बैंकों, पैक्स तथा सहकारी महासंघों को अपने मानव संसाधनों के विकास, बेहतर एमआईएस, विशेष अध्ययनों, सेमिनारों या कार्यशालाओं एवं अन्य संस्था निर्माण गतिविधियों हेतु पहल करने की आवश्यकता है. इन संस्थाओं के प्रयासों को मदद देने के लिए नाबार्ड में सहकारिता विकास निधि (सीडीएफ) बनायी गयी थी. सीडीएफ से अनुदान के रूप में, आसान ऋण के रूप में अथवा दोनों के मिश्रित रूप में सहायता प्रदान की जाती है.

वर्ष 2016-17 के दौरान सीडीएफ़ के तहत अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों सहकारी ऋण संरचनाओं द्वारा विभिन्न स्तरों पर किए गए विभिन्न प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रमों हेतु ₹16.69 करोड़ (संचयी राशि ₹157.35 करोड़) की राशि वितरित की गई. सीडीएफ के तहत सहायता के प्रमुख क्षेत्रों में सोफ्टकोब, पीडीसी, बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान (बर्ड) और सहकारी संस्थाओं द्वारा क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं. वर्ष 2016-17 के दौरान, सोफ्टकोब के तहत, सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों (सीटीआई) द्वारा 1,269 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए जिसमें विभिन्न सहकारी बैंकों और पैक्स के 30,810 सहभागी शामिल हुए. बर्ड ने भी सहकारी ऋण संरचना के 889 सहभागियों के लिए 36 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए.

(ख) सी-पेक

बर्ड, लखनऊ में स्थापित सहकारिता व्यावसायिक उत्कृष्टता केंद्र (सी-पेक), विभिन्न सीटीआई के प्रशिक्षण प्रयासों के समन्वय के लिए जीआईजेड के सहयोग से नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित एक केंद्र है. हालांकि यह राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सीटीआई को मान्यता प्रदान करता है लेकिन यह प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम के लिए एक समान मानक विकसित करता है, कर्मचारियों में पेशेवर दक्षता निर्मित करने और दूरस्थ शिक्षा या ई-लर्निंग के माध्यम से सीसीएस के प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है और प्रशिक्षकों का प्रमाणन करता है.

31 मार्च 2017 तक, सी-पेक की सदस्यता 6,657 थी जिसमें 43 मान्यता प्राप्त सीटीआई, 23 रास बैंक, 186 जिमस बैंक और 5,405 पैक्स शामिल हैं. सी-पेक ने अभी तक सीटीआई के लाभ के लिए 27 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मानकीकृत किया है. सी-पेक ने सहकारी ऋण संरचना (सीसीएस) के प्रशिक्षकों / स्टाफ के प्रमाणन हेतु सीटीएफसी (वित्तीय सहकारी समितियों के लिए प्रमाणित ट्रेनर) कार्यक्रम, सीपीसीबी लेवल-1 और 2 तथा पैक्स सचिवों हेतु सीपीएस का एक कार्यक्रम संचालित करने की पहल की है. वर्ष के दौरान सीटीएफसी के तहत 16 अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा किया, सीपीसीबी लेवल I और II के तहत क्रमश: 59 अभ्यर्थियों और 07 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया. सीपीएस कार्यक्रम के लिए सी-पेक ने क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री का अनुवाद भी किया है. सीपीसी कार्यक्रम के तहत, 132 अभ्यर्थी सफलतापूर्वक पास हुए हैं. सी-पेक ने हितधारक सम्मेलन और सीटीआई के प्राचार्यों / निदेशकों का वार्षिक सम्मेलन भी आयोजित किया.

(ग) पैक्स विकास कक्ष

पैक्स द्वारा अपने सदस्यों को व्यवहार्य रूप से वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाएं प्रदान करने हेतु जिमस बैंकों और रास बैंकों में पैक्स विकास कक्ष (पीडीसी) बनाये गये. वर्तमान में 96 जिमस बैंकों में स्थापित और सक्रिय पीडीसी ने 21 राज्यों में प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, एक्सपोजर विजिट और अन्य उपयुक्त प्रयासों के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए 2,525 पैक्स की पहचान की है. पीडीसी की मदद से 1,858 पैक्स ने व्यावसायिक विकास योजना तैयार की है.

3.7.3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

(क) 31 मार्च 2016 को वित्तीय कार्यनिष्पादन (लेखा-परीक्षित स्थिति)

समामेलन के पश्चात् 31 मार्च 2016 को देश में क्षेग्रा बैंकों की संख्या 56 हो गई है जिनकी 27 राज्यों के 644 अधिसूचित जिलों एवं संघ शासित राज्य पुडुचेरी में कुल 20,920 शाखाएं शामिल थीं. समेकित रूप से 31 मार्च 2016 को जमाराशियों, अग्रिम और निवेश में क्रमश: 14.83 प्रतिशत, 14.14 प्रतिशत और 4.18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि उधार में 19.41 प्रतिशत की गिरावट आई है (तालिका 3.13).

तालिका 3.13
क्षेग्रा बैंकों के कार्यनिष्पादन संकेतक
(31 मार्च की स्थिति)

(राशि ₹ करोड़)

विवरण	2015	2016
क्षेग्रा बैंक	56	56
शाखा नेटवर्क (संख्या)	20,024	20,920
शेयर पूंजी	197.00	6,387.00*
शेयर पूंजी जमाराशि	6,175.00	---
टियर-II बांड	---	97.00
प्रारक्षित निधियां	18,712.00	20,665.00
जमाराशियां	2,73,018.00	3,13,499.00
उधार	59,422.00	47,888.00
निवेश	1,62,781.00	1,69,592.00
बकाया सकल ऋण और अग्रिम	1,80,955.00	2,06,538.00
लाभ अर्जक क्षेग्रा बैंक (संख्या)	51	50
लाभ राशि (अ)	2,921.00	2,206.00
हानि में क्षेग्रा बैंक (संख्या)	5	6
हानि की राशि (आ)	176.00	188.00
क्षेग्रा बैंकों का निवल लाभ (अ - आ)	2,745.00	2,018.00
संचित हानियां	1,072.00	1,050.00
संचित हानि वाले क्षेग्रा बैंक (संख्या)	8	8
वसूली (%) (30 जून को)	79.50	82.55
बकाया ऋणों से एनपीए (%)	6.15	6.80
निवल मालियत	24,011.00	26,099.00

टिप्पणी : * क्षेग्रा बैंक अधिनियम, 2015 में संशोधन के बाद, शेयर पूंजी जमा को क्षेग्रा बैंकों द्वारा शेयर पूंजी में परिवर्तित कर दिया गया है.

वर्ष 2015-16 के दौरान पचास क्षेग्रा बैंक लाभ में थे और 6 हानि में थे. वर्ष 2014-15 के दौरान इनका अर्जित कुल लाभ ₹2921 करोड़ था, जो वर्ष 2015-16 के दौरान घटकर ₹2,206 करोड़ रह गया. वर्ष 2014-15 के दौरान कुल घाटा ₹176 करोड़ था, जो 2015-16 के दौरान बढ़कर ₹188 करोड़ हो गया. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 31 मार्च 2015 को समग्र निवल लाभ ₹2,745 करोड़ था, जो 31 मार्च 2016 को घटकर ₹2,018 करोड़ हो गया. 31 मार्च 2015 को लाभ और बिना संचित हानि वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अनुपात 84 प्रतिशत (56 में से 47) था, जो 31 मार्च 2016 को घटकर 82 प्रतिशत (56 में से 45) हो गया.

(ख) वसूली निष्पादन

30 जून 2014 को क्षेग्रा बैंकों का वसूली निष्पादन 79.50 प्रतिशत था, जो 30 जून 2015 को बढ़कर 82.55 प्रतिशत हो गया. इसके साथ ही, 56 क्षेग्रा बैंकों में से 21 बैंकों का वसूली निष्पादन अखिल भारतीय औसत से अधिक था, जिसमें नौ क्षेग्रा बैंकों का वसूली स्तर 90 प्रतिशत से अधिक था. इसके अतिरिक्त, 35 क्षेग्रा बैंकों की औसत वसूली अखिल भारतीय स्तर से कम थी, जिसमें एक क्षेग्रा बैंक की वसूली 60 प्रतिशत से भी कम थी (तालिका 3.14).

तालिका 3.14
क्षेत्रा बैंकों के वसूली स्तर के अनुसार राज्यों का आवृत्ति वितरण
(30 जून 2015 की स्थिति)

वसूली (%)	राज्य
अखिल भारतीय औसत	82.55
<60%	नागालैंड (1)
>60% और <82.55%	आंध्र प्रदेश (3), अरुणाचल प्रदेश (1), असम (2), बिहार (1), छत्तीसगढ़ (1), गुजरात (1), हिमाचल प्रदेश (1), जम्मू और कश्मीर (2), झारखंड (2) कर्नाटक (2), महाराष्ट्र (2), मध्य प्रदेश (2), मणिपुर (1), मेघालय (1), मिजोरम (1), ओडिशा (2), त्रिपुरा (1), उत्तराखंड (1), उत्तर प्रदेश (4), पश्चिम बंगाल (3)
82.55 से 90%	आंध्र प्रदेश (1) गुजरात (2), हरियाणा (1), कर्नाटक (1), मध्य प्रदेश (1), राजस्थान (2), तेलंगाना (1), उत्तर प्रदेश (3)
> 90%	बिहार (2), केरल (1), पुडुचेरी (1), पंजाब (3), तमिलनाडु (2)

(ग) अनर्जक आस्तियां
सभी क्षेत्रा बैंकों का सकल एनपीए 31 मार्च 2015 को 6.15 प्रतिशत था, जो 31 मार्च 2016 को बढ़कर 6.80 प्रतिशत हो गया. 32 क्षेत्रा बैंकों ने 31 मार्च 2015 को सकल एनपीए 5 प्रतिशत से कम दर्शाया था, जबकि 31 मार्च 2016 को 26 क्षेत्रा बैंकों ने सकल एनपीए 5 प्रतिशत से कम दर्शाया था.

(घ) अन्य कार्य / पहलें
(i) नियुक्ति और पदोन्नति नियमावली, 2010 में संशोधन
क्षेत्रा बैंकों के कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया को नियुक्ति और पदोन्नति नियमावली (एपीपीआर), 2010 द्वारा नियंत्रित किया जाता है. गत वर्षों में विविध मानदंडों में हुए परिवर्तनों, अदालत के निर्णयों और भारत सरकार के निर्देशों के कारण मौजूदा एपीपीआर का पुनरीक्षण आवश्यक हो गया था. नाबार्ड ने अपनी ओर से भारत सरकार को सभी प्रकार की सहायता प्रदान की और संशोधित क्षेत्रा बैंक (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति) नियमावली, 2017 भारत सरकार द्वारा 29 मार्च 2017 को अधिसूचित की गयी. नाबार्ड ने सभी क्षेत्रा बैंकों को सूचित किया है कि वे संशोधित नियमों का कड़ाई से पालन करें.

(ii) व्यापक नीतिगत फ्रेमवर्क - सामान्य लिखित परीक्षा
क्षेत्रा बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए सामान्य लिखित परीक्षा अनुमोदित एजेन्सी इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सेलेक्शन (आईबीपीएस) द्वारा संचालित की जाती है. भर्ती प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए, नाबार्ड ने एक व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार किया है, जिसमें आईबीपीएस द्वारा प्रारंभिक, लिखित और साक्षात्कार की प्रक्रिया आयोजित की जाती है. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित व्यापक नीतिगत रूपरेखा से आईबीपीएस द्वारा सीडब्ल्यूई के आयोजन में मदद मिली है.

(iii) संयुक्त सलाहकार परिषद (जेसीसी)
दिनांक 05 फरवरी 2009 के भारत सरकार के पत्र संदर्भ एफ.सं.2/1/2008-आरआरबी के अनुसार, क्षेत्रा बैंकों के विभिन्न मानव संसाधनों (मासं) से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए जेसीसी की बैठक अर्धवार्षिक रूप से आयोजित की जानी है. जेसीसी के सदस्यों में क्षेत्रा बैंकों के राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के प्रतिनिधि, प्रायोजक बैंकों, राज्य सरकारों तथा नाबार्ड के प्रतिनिधि शामिल होते हैं. नाबार्ड के अध्यक्ष जेसीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं. क्षेत्रा बैंकों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दिए जाने वाले "अन्य भत्तों" से संबंधित विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए पिछली बैठक दिनांक 19 अक्तूबर 2015 को आयोजित की गई थी. उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर, दिनांक 20 अक्तूबर 2016 के भारत सरकार के पत्र सं.एफ.सं.8/1/2015-आरआरबी के माध्यम से 10वीं बीपीएस में शामिल क्षेत्रा बैंकों के कर्मचारियों को देय सभी भत्तों के संबंध में सभी क्षेत्रा बैंकों को सूचित किया गया है.

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित जेसीसी के नियमों के अनुसार नाबार्ड ने 01 दिसंबर, 2015 को जेसीसी में नए सदस्यों को शामिल करके जेसीसी का पुनर्गठन किया था. क्षेत्रा बैंकों की राष्ट्रीय स्तर की यूनियनों/ संघों से चर्चा के लिए विभिन्न मुद्दे आमंत्रित किए जाते हैं और उन्हें संकलित किया जाता है. पिछली जेसीसी की की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) भी तैयार की गयी थी. वर्ष के दौरान जेसीसी की एक बैठक 30 मार्च 2017 को आयोजित की गई.

(iv) क्षेत्रा बैंकों में स्नातक कार्यालय सहायकों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि
कुछ क्षेत्रा बैंकों में, 13 जुलाई 2010 को क्षेत्रा बैंक (नियुक्ति और पदोन्नति) नियमावली, 2010 जारी होने के बाद स्नातक कर्मचारियों को दो अतिरिक्त स्नातक वेतन वृद्धि नहीं दी गई थी. मेघालय के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि क्षेत्रा बैंकों के कर्मचारियों के संबंध में यहां तक कि क्षेत्रा बैंक (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति) नियमावली, 2010 जारी होने के बाद भी कार्यालय सहायक (बहुउद्देशीय) की भर्ती के लिए स्नातक स्तर की न्यूनतम योग्यता के बारे में केंद्र सरकार ने क्षेत्रा बैंकों के कर्मचारियों के लिए स्नातक वेतन वृद्धि / स्नातक वेतन को बंद करने के संबंध में कोई भी निर्देश जारी नहीं किया है. इस संबंध में नाबार्ड ने 15 फरवरी, 2017 को परिपत्र जारी किया है.

(v) क्षेत्रा बैंकों का पुनर्पूंजीकरण
31 मार्च 2016 को 56 क्षेत्रा बैंकों का सीआरएआर 6.66 प्रतिशत और 21.75 प्रतिशत के बीच था. वर्ष 2015-16 के दौरान, भारत सरकार ने अपने हिस्से की शेष राशि के रूप में ₹2.59 करोड़ इलाकाई देहाती बैंक को जारी की थी. उपर्युक्त पुनर्पूंजीकरण सहायता के कारण इलाकाई देहाती बैंक 31 मार्च 2016 को सीआरएआर 9 प्रतिशत की नियामक आवश्यकता से अधिक बनाए रखने में सक्षम था.

31 मार्च 2016 को, चार क्षेत्रा बैंकों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मणिपुर ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुधारा ग्रामीण बैंक और ओडिशा ग्रामीण बैंक का सीआरएआर 9 प्रतिशत से कम था. नाबार्ड की सिफारिश पर, भारत सरकार द्वारा तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों अर्थात् ओडिशा ग्रामीण बैंक (₹129.67 करोड़), अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (₹6.09 करोड़), मणिपुर ग्रामीण बैंक (₹4.66 करोड़) को पुनर्पूंजीकरण की मंजूरी दी गयी.

31 मार्च 2017 को, मणिपुर ग्रामीण बैंक और अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक को केवल प्रायोजक बैंक और राज्य सरकार की ओर से शेयर पूंजी में योगदान मिला था. नाबार्ड ने प्रायोजक बैंकों को अपने प्रायोजित क्षेत्रा बैंकों के लिए निरंतर आधार पर सीआरएआर मानदंडों का अनुपालन करने हेतु एक व्यापक कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए भी अनुरोध किया.

(vi) समीक्षा बैठक
क्षेत्रा बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा के लिए नाबार्ड द्वारा 11 जुलाई 2016 और 28 फरवरी 2017 को दो अर्ध-वार्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं. क्षेत्रा बैंकों के समक्ष आने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई और विभिन्न हितधारकों के लिए उचित कार्रवाई योजना की पहचान की गई और उन्हें सूचित किया गया. क्षेत्रा बैंकों के कार्यनिष्पादन पर नाबार्ड द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है. नाबार्ड ने उन क्षेत्रा बैंकों के लिए भी दो समीक्षा बैठकें आयोजित कीं जिनका कार्यनिष्पादन अपेक्षा से कम था. 31 मार्च 2016 तक, 32 क्षेत्रा बैंकों को चार मानदंडों के तहत अपेक्षा से कम निष्पादन की श्रेणी में रखा गया.

3.8 ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं का पर्यवेक्षण

अपनी पर्यवेक्षी भूमिका के रूप में, नाबार्ड रास बैंकों, जिमस बैंकों और क्षेत्रा बैंकों का सांविधिक निरीक्षण करता है तथा रासकृग्रावि बैंकों, शीर्ष स्तर सहकारी समितियों और महासंघों का स्वैच्छिक निरीक्षण करता है. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, 302 सांविधिक निरीक्षण और 12 स्वैच्छिक निरीक्षणों की योजना बनायी गयी थी. 31 मार्च 2017 तक नियोजित और किए गए निरीक्षण कार्यक्रमों का विवरण तालिका 3.15 में दिया गया है.

तालिका 3.15
31 मार्च 2017 तक नियोजित और किए गए निरीक्षण

(संख्या)

निरीक्षण	राज्य सहकारी बैंक	जिमस बैंक	क्षेत्रा बैंक	रासकृग्रावि बैंक*	अन्य*	कुल
नियोजित	33	219	56	11	2	321
किए गए	33	213	56	10	2	314

टिप्पणी : * स्वैच्छिक

झारखंड के छह जिमस बैंकों का निरीक्षण नहीं किया गया क्योंकि झारखंड राज्य सरकार ने झारखंड रास बैंक के साथ उनके विलय का प्रस्ताव रखा था, जिसे 30 मार्च 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया. चूंकि बिहार रासकृग्रावि बैंक का बकाया पुनर्वित्त बहुत कम है इसलिए बिहार रासकृग्रावि बैंक का निरीक्षण नहीं किया गया.

3.8.1 पर्यवेक्षण बोर्ड (बीओएस)
1999 में नाबार्ड के निदेशक मंडल की आंतरिक समिति के रूप में गठित बीओएस की 2016-17 के दौरान चार बैठकें आयोजित की गईं. अन्य बातों के साथ-साथ, बोर्ड ने लाइसेंस प्राप्त राज्य सहकारी बैंकों/ जिमस बैंकों जिनका 31 मार्च 2017 को निर्धारित न्यूनतम नियामक जोखिम भारित आस्तियों से पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 9 प्रतिशत से कम था, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और झारखंड राज्यों में अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना (रास बैंक और जिमस बैंक), बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी, बैंकों पर लागू विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के अनुपालन, बिना लाइसेंस प्राप्त सहकारी बैंकों और अपेक्षा से कम निष्पादन वाले क्षेत्रा बैंकों की स्थिति की समीक्षा की.

3.8.2 प्रमुख पर्यवेक्षकीय चिंताएं

निरीक्षण के दौरान ज्ञात प्रमुख पर्यवेक्षकीय चिंताओं को प्रदर्श 3.2 में दर्शाया गया है.

प्रदर्श 3.2
निरीक्षण के दौरान ज्ञात प्रमुख पर्यवेक्षकीय चिंताएं

पर्यवेक्षकीय चिंताओं को बैंकों, सहकारी समितियों के निबंधकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों के मामले में संबंधित राज्य सरकारों को तथा क्षेग्रा बैंकों और उनके प्रायोजक बैंकों को अपने स्तर पर सुधारात्मक कदम उठाने के लिए सूचित किया गया.

3.8.3 पर्यवेक्षित बैंकों की लाइसेंसिंग और अनुसूचीकरण (रासकृग्रावि बैंकों और शीर्ष समितियों को छोड़कर)

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तेलंगाणा रास बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किए जाने के पश्चात् अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों की संख्या 20 हो गयी है. बैंकों में न्यूनतम शेयर पूंजी आवश्यकता के अनुपालन की स्थिति, लाइसेंसिंग और अनुसूचीकरण (शेड्यूलिंग) मानदंडों का सारांश तालिका 3.16 में दिया गया है.

तालिका 3.16
पर्यवेक्षित बैंकों की स्थिति

मानदंड	रास बैंक	जिमस बैंक	क्षेग्रा बैंक
बैंकों की कुल संख्या	33	364 *	56
न्यूनतम शेयर पूंजी आवश्यकता का अनुपालन			
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा-11(1) (ससयला) का अनुपालन	33	348	लागू नहीं
बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा-11(1) (ससयला) का अनुपालन न होना		18	लागू नहीं
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 42(6)(ए)(1) का अनुपालन	20	लागू नहीं	56
सहकारी बैंकों की लाइसेंसिंग			
लाइसेंस प्राप्त बैंक	33	361	लागू नहीं
बिना लाइसेंस वाले बैंक	0	3	लागू नहीं
बैंकों को अनुसूचित			
अनुसूचित बैंक	20	लागू नहीं	56
गैर-अनुसूचित बैंक	13	लागू नहीं	0

टिप्पणी : * इसमें तमिलनाडु इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (टीएआईसीओ बैंक) शामिल है, 30 मार्च 2017 को झारखंड रास बैंक के साथ 7 जिमस बैंकों के समामेलन के पश्चात् भारत में कुल जिमस बैंकों की संख्या 370 से घटकर 264 हो गई है.

3.8.4 पर्यवेक्षित निकायों के सीआरएआर की समीक्षा

रास बैंकों/ जिमस बैंकों के मामले में सीआरएआर के विनियामक निर्धारित न्यूनतम स्तर 7 प्रतिशत और क्षेग्रा बैंकों के मामले में 9 प्रतिशत के समक्ष, 31 मार्च 2016 को पर्यवेक्षित बैंकों के सीआरएआर की स्थिति प्रदर्श 3.3 में दर्शाई गई है. सीआरएआर का स्तर कम होने का मुख्य कारण पूंजी निधियों की तुलना में उच्च जोखिम भारित आस्तियों का अधिक होना है.

प्रदर्श 3.3
सीआरएआर रेंज के अनुसार बैंकों की संख्या

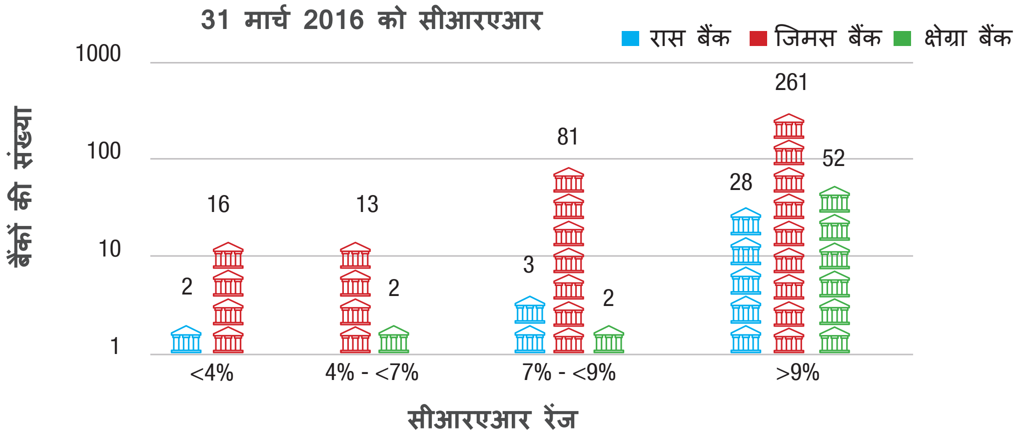

स्रोत : एनश्योर पोर्टल पर प्रत्येक बैंक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित आंकड़े.

3.8.5 महत्वपूर्ण नीतिगत पहलें

वर्ष के दौरान बैंकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं पर पर्यवेक्षकीय अनुदेश जारी किए गए :

(i) निरीक्षण की आवृत्ति: यह प्रत्येक बैंक की जोखिम धारणा से जुड़ा हुआ था. तदनुसार, अब एक श्रेणी के तहत विभिन्न बैंकों का उनके व्यक्तिगत जोखिम प्रोफाइल के आधार पर अलग-अलग आवृत्तियों के साथ निरीक्षण किया जाएगा.

(ii) अनुपालन निगरानी तंत्र : निरीक्षण निष्कर्षों का समयबद्ध और विशिष्ट अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षित बैंकों के उच्चतम अधिकारियों द्वारा नया निगरानी तंत्र गठित किया गया था.

(iii) शिकायत/ परिवेदना निवारण तंत्र : बैंकों के खिलाफ शिकायतों का शीघ्र और संतोषजनक निवारण सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट प्रणाली बनाई गई थी.

(iv) धोखाधड़ी : धोखाधड़ी के वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और अनुप्रवर्तन पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संशोधित अनुदेश जारी किए गए. इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, धोखाधड़ी के उन सभी मामलों, जहां शामिल राशि ₹3 करोड़ या इससे अधिक है, को तत्काल सरकारी जांच एजेंसियों को रिपोर्ट करना अनिवार्य किया गया है.

3.8.6 अन्य पर्यवेक्षकीय सहयोग

नाबार्ड द्वारा किए गए महत्वपूर्ण पर्यवेक्षकीय सहयोग निम्नानुसार हैं :

(i) 01 अप्रैल 2015 से शुरू करके नाबार्ड ने एनश्योर नाम से पोर्टल बनाया है, जहां रास बैंकों/ जिमस बैंकों और क्षेग्रा बैंकों के प्रमुख वित्तीय आंकड़े समय पर प्राप्त करना और उनका संगठनात्मक विश्लेषण सुनिश्चित किया जाता है. यह पोर्टल अपने दायरे और विषय-सामग्री में सुधार करने के लिए खुला है और इस प्रकार किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने में सक्षम है. सितंबर 2016 से, एनश्योर से सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत पर्यवेक्षकीय विवरणों के आधार पर तिमाही अंतराल पर प्रारंभिक चेतावनी संकेत जारी किए जा रहे हैं. पर्यवेक्षित संस्थाओं को भी उन रिपोर्टों तक सीधी पहुंच दी गई है. एनश्योर शुरू हो जाने से बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में काफी सुधार हुआ है. इसके अलावा, नाबार्ड निष्पादन निगरानी हेतु विश्लेषक तैयार करने की प्रक्रिया में है.

(ii) सभी जिमस बैंकों द्वारा प्राप्त विनिर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) के आंकड़ों का समेकन किया गया और फिर एसबीएन के जमाकर्ताओं और पैक्स के सदस्यों द्वारा जिमस बैंकों में जमा किए गए एसबीएन के लिए केवाईसी का सत्यापन किया गया.

(iii) नई नीतिगत पहलों, विभिन्न पर्यवेक्षकीय चिंताओं और पर्यवेक्षकीय दृष्टिकोण की अच्छी समझ के लिए दक्षिणी क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालयों के बैंकों के पर्यवेक्षण के साथ जुड़े कर्मियों के लिए बर्ड, मंगलुरु में एक क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई.

(iv) उभरते पर्यवेक्षी मुद्दों पर पर्यवेक्षित बैंकों और नाबार्ड के कर्मियों के क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया.

3.9 ऋण आयोजना कार्य

3.9.1 संभाव्यतायुक्त ऋण योजना

कृषि और ग्रामीण विकास में सहायता हेतु तथा विकास एवं ऋण योजनाओं को सार्थक रूप से जोड़ने के लिए, नाबार्ड हर वर्ष देश में प्रत्येक जिले (मेट्रो जिलों को छोड़कर) के लिए संभाव्यतायुक्त ऋण योजना (पीएलपी) तैयार करता है. पीएलपी में वे ऋण अनुमान दर्शाए जाते हैं जिन्हें विभिन्न कृषि क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों, कृषीतर और गैर-कृषि क्षेत्र, अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों आदि में जिला स्तर पर दोहन करने की संभाव्यता होती है. इसके अलावा आधारभूत सुविधा की कमियों का समग्र ब्यौरा दर्शाया जाता है और उन्हें पूरा करने के उपाय बताए जाते हैं. वर्ष 2016-17 के दौरान, नाबार्ड ने कुल 664 पीएलपी तैयार कीं जो बैंकों को वर्ष 2017-18 के लिए ऋण योजना बनाने में मार्गदर्शन करेंगी. पीएलपी में क्षेत्र-वार ऋण अनुमानों का वर्ष 2017-18 के लिए सामान्यतः प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में और विशेष रूप से कृषि और अनुषंगी क्षेत्रों के ऋण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया गया.

3.9.2 राज्य फोकस पेपर

पीएलपी से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, वर्ष 2017-18 के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा राज्य विशिष्ट राज्य फोकस पेपर (एसएफपी) तैयार किए गए जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण संभाव्यता की एक विस्तृत तस्वीर पेश करते हैं, महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं की कमी पूरा करने एवं सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली लिंकेज सहायता संबंधी ब्यौरे दर्शाये जाते हैं. बुनियादी सुविधाओं की कमियों को दूर कर ऋण प्रवाह को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों और उन्य हितधारकों के साथ चर्चा करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य क्रेडिट सेमिनार आयोजित किए गए.

3.9.3 जिला-स्तरीय कार्यालय

प्रत्येक जिले में विविध विकास और संवर्धन गतिविधियों के लिए ऋण आयोजना, अनुप्रवर्तन और समन्वय पर ध्यान केंद्रित करने हेतु पूरे देश में नाबार्ड के 423 जिला विकास प्रबन्धक (जिविप्र) कार्यालय हैं. इसके अतिरिक्त, 161 पड़ोसी जिलों को कुछ विशिष्ट जिला विकास प्रबंधकों के साथ सम्बद्ध किया गया है जबकि शेष जिले संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की निगरानी में हैं. इस प्रकार, देश के सभी जिलों को शामिल किया गया है.

3.9.4 जिला विकास प्रबंधक व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित बाह्य विशेषज्ञ समिति

जिविप्र की प्रभावशीलता में सुधार के उपायों पर सुझाव देने और उनकी रिपोजीशनिंग के लिए डॉ.एस.के.गोयल, सेवानिवृत्त आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार एवं नाबार्ड बोर्ड के पूर्व निदेशक की अध्यक्षता में एक बाह्य विशेषज्ञ समिति (ईईसी) गठित की गयी थी. समिति ने नाबार्ड की बदलती प्राथमिकताओं के संदर्भ में जिविप्र की भूमिका में सुधार का सुझाव दिया है. समिति की रिपोर्ट 06 मार्च 2017 को आयोजित निदेशक मंडल की 216वीं बैठक में प्रस्तुत की गई. इसे कार्यान्वयन हेतु स्वीकार कर लिया गया है.

4 सतत ग्रामीण समृद्धि के लिए समावेशी विकास

निरंतर प्रगति और ग्रामीण समृद्धि के लिए समावेशी विकास आवश्यक है. गरीबी के स्तर में कमी लाना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और देश के आर्थिक विकास से समाज के सभी तबकों का लाभ सुनिश्चित करना समावेशी विकास योजना का प्राथमिक उद्देश्य है. पिछले साढ़े तीन दशकों से नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि की सहनक्षमता में वृद्धि, किसान उत्पादक संगठनों के संवर्धन और वित्तपोषण, वाडी, वाटरशेड कार्यक्रमों के माध्यम से आदिवासी विकास और साथ ही सूक्ष्म वित्त, वित्तीय समावेशन, कृषीतर क्षेत्र, अनुसंधान और विकास तथा परामर्श सेवाएं प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

4.1 जलवायु परिवर्तन की दिशा में नाबार्ड का योगदान

खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की हमारी क्षमता के सामने जलवायु परिवर्तन एक चुनौती है. इसका वर्षा की पद्धति में परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और कीटकों तथा बीमारियों का भौगोलिक पुनर्वितरण सहित कृषि उत्पादकता पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है. नाबार्ड ने, जलवायु परिवर्तन के समाधान हेतु उत्पादकता में सतत वृद्धि करने योग्य पद्धतियां अपनाने के लिए किसानों की क्षमता बढ़ाने में महती भूमिका अदा की है.

4.1.1 यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत अडाप्टेशन फंड

नाबार्ड ने यूनाईटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनफसीसीसी) के अंतर्गत गठित अनुकूलन निधि (एएफ) के लिए भारत के राष्ट्रीय कार्यान्वयनकर्ता निकाय (एनआईई) के रूप में जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने की दृष्टि से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर कई व्यवहार्य परियोजनाओं का निर्माण किया है. वर्ष 2016-17 के दौरान अडाप्टेशन फंड 2.56 मिलियन यूएस डॉलर परिव्यय की एक परियोजना मंजूर की गई थी. अडाप्टेशन फंड द्वारा संचयी रूप से छः राज्यों में 9.86 मिलियन यूएस डॉलर (भारत देश के लिए निर्धारित सीमा) की छः परियोजनाएं मंजूर की गई थीं. इसके साथ, नाबार्ड ने अडाप्टेशन फंड के अंतर्गत के लिए 10 मिलियन यूएस डॉलर के अंतरिम आबंटन का लक्ष्य प्राप्त किया है. परियोजनाओं का विवरण तालिका 4.1 में दिया गया है.

तालिका 4.1

अडाप्टेशन फंड के अंतर्गत मंजूर परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	परियोजना परिव्यय (यूएस डॉलर मिलियन)
1	समुद्र के बढ़े हुए स्तर के लिए संभावित अनुकूलन नीति के रूप में तटीय संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन	आंध्र प्रदेश	0.69
2	पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और बांकुरा जिलों में छोटे और सीमांत किसानों की अनुकूलन क्षमता और सहन क्षमता में वृद्धि करना	पश्चिम बंगाल	2.51
3	जलवायु परिवर्तन के प्रति सहन क्षमता और आजीविका सुरक्षा के लिए छोटे देशी मछुआरों के समुदाय की अनुकूलन क्षमता का निर्माण करना	मध्य प्रदेश	1.79
4	राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में वाटरशेड विकास परियोजनाओं की जलवायु परिवर्तन प्रूफिंग	तमिलनाडु और राजस्थान	1.34
5	कृषि पर निर्भर रहने वाले पर्वतीय समुदायों की निरंतर आजीविका के लिए उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रति स्मार्ट कार्रवाई और नीतियां	उत्तराखंड	0.97
6	कान्हा-पेंच-कॉरिडोर में समुदायों में अनुकूलन क्षमताओं, आजीविकाओं और पारिस्थितिकी सुरक्षा का निर्माण	मध्य प्रदेश	2.56
	कुल		9.86

4.1.2 ग्रीन क्लाइमेट फंड

ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) यूएनएफसीसीसी की रूपरेखा के अंतर्गत एक ऐसी निधि है जिसका सृजन जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए अनुकूलन और शमन में विकासशील देशों की सहायता करने की प्रणाली के रूप में किया गया है. नाबार्ड, जिसे जुलाई 2015 में जीसीएफ बोर्ड की 10वीं बैठक में राष्ट्रीय कार्यान्वयनकर्ता निकाय के रूप में मान्यता दी गई है, का उद्देश्य भारत में जीसीएफ संसाधनों का उपयोग जलवायु परिवर्तन के प्रति सहन क्षमता का विकास और कम उत्सर्जन कार्यनीतियों के लिए करना है. ग्रीन क्लाइमेट फंड के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एण्ड सीसी), भारत सरकार द्वारा गठित अधिकार प्राप्त समिति ने वर्ष 2016-17 के दौरान विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) तैयार करने और जीसीएफ को प्रस्तुत करने के लिए नाबार्ड के तीन अवधारणा नोटों को अनुमोदन प्रदान किया. "ओडिशा के संवेदनशील आदिवासी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जलवायु परिवर्तन को सहन करने की क्षमता का विकास करने के लिए भूजल पुनर्भरण और सौर ऊर्जा पर आधारित सूक्ष्म सिंचाई" नामक एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को, जिसका कुल परिव्यय 166.27 मिलियन यूएस डॉलर है और इसे 34.46 मिलियन यूएस डॉलर की जीसीएफ अनुदान सहायता प्राप्त है, वर्ष 2015-16 के दौरान अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया और उसे जीसीएफ को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया था.

4.1.3 राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि

भारत सरकार ने कृषि, जल और वानिकी जैसे क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए अनुकूलन प्रयासों की सहायता करने हेतु राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (एनएएफसीसी) सृजित की है. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने एनएएफसीसी के अंतर्गत अनुकूलन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयनकर्ता निकाय के रूप में नाबार्ड को पदनामित किया है. इस व्यवस्था के अंतर्गत, नाबार्ड, जलवायु परिवर्तन के लिए राज्य कार्रवाई योजना (एसएपीसीसी) से परियोजना विचारों/ संकल्पनाओं की पहचान करने, परियोजना तैयार करने, मूल्यांकन, मंजूरी, निधि के संवितरण, अनुप्रवर्तन और मूल्यांकन तथा इन सबके अलावा राज्य सरकारों सहित हितधारकों की क्षमता निर्माण में मदद करता है. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संचालन समिति (एनएससीसी) ने परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है. 2016-17 के दौरान, एनएएफसीसी ने ₹207.70 करोड़ के परिव्यय के साथ नौ परियोजनाएं मंजूर की थीं. एनएएफसीसी के अंतर्गत एनएससीसी द्वारा ₹442.88 करोड़ की कुल राशि के साथ संचयी रूप से 21 परियोजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं.

4.1.4 हितधारकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

नाबार्ड ने ग्रीन फाइनान्सिंग के साथ-साथ विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत परियोजना विकास, निष्पादन, अनुप्रवर्तन और मूल्यांकन सहित जलवायु परिवर्तन वित्तपोषण से संबंधित पहलुओं पर जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं. नाबार्ड के प्रशिक्षण संस्थान जैसे राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय (एनबीएससी) और बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान (बर्ड) ने नाबार्ड के अधिकारियों के साथ-साथ राज्य सरकार के विभागों और सिविल सोसाइटी संगठनों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया.

वर्ष के दौरान, नाबार्ड ने अडाप्टेशन फंड, यूनाइटेड नेशन्स एनवायरन्मेंट प्रोग्राम (यूएनईपी), मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरन्मेंट (एमई) ऑफ जापान और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क साउथ एशिया (सीएएनएसए) के साथ संयुक्त रूप से मुंबई में 23-25 अगस्त 2016 के दौरान "क्लाइमेट फिनान्स रेडीनेस वर्कशॉप" का आयोजन किया था. कार्यशाला में अच्छी कार्य पद्धतियों और प्रमाणीकरण तथा परियोजना चक्र प्रबंधन से संबंधित आवश्यकताओं सहित अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वित्तपोषण में मिली सीखों को साझा करने के लिए एशिया-प्रशांत और पूर्व यूरोपीय देशों से 50 प्रतिभागी एकत्रित हुए थे. 29 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में नाबार्ड और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने संयुक्त रूप से जीसीएफ और वित्तपोषण व्यवस्थाओं पर निजी क्षेत्र संस्थाओं को जागरूक बनाने के उद्देश्य से जीसीएफ के अंतर्गत निजी क्षेत्र सुविधाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था. इसके अलावा, 2016-17 के दौरान 16 राज्य स्तरीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था.

4.2 कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि (एफएसपीएफ) - नीतिगत पहलें

भारतीय कृषि के सामने विद्यमान चुनौतियों और इस प्रकार के मुद्दों के संबंध में उभरते दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए एफएसपीएफ के उद्देश्यों को पुन:परिभाषित किया गया और फिर से एकत्रित किया गया, जैसे कृषि और सहायक क्षेत्रों में नवोन्मेषों का संवर्धन, कृषि और सहायक क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि और बाज़ार तक पहुंच, संवेदनशील/ आपदाग्रस्त जिलों में जलवायु परिवर्तन को सहन करने वाली खेती का संवर्धन, कृषि मूल्य शृंखलाओं का संवर्धन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के साथ किसान समूहों का संवर्धन तथा विशेषज्ञ परामर्श सेवाएं प्रदान करना और ग्रामीण क्षेत्रों में मानव पूंजी के विकास के साथ नीति समर्थन. पात्र संस्थाओं से प्रस्ताव एकत्रित करने के प्रत्येक उद्देश्य के अंतर्गत गतिविधियों की निदर्शी सूची की बृहद् शृंखला को शामिल किया गया. संशोधित नीति के अंतर्गत कृषि नवोन्मेष और उत्पादक संगठनों (पीओ) के सुदृढीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई.

4.2.1 किसान क्लब कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगति (एफसीपी)

वर्ष 2016-17 के दौरान 5,837 किसान क्लबों को मंजूरी प्रदान की गई इस तरह 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार किसान क्लबों की संचयी संख्या 1.54 लाख हो गई. क्लब के किसानों को ऋण तक पहुंच, विस्तार सेवाओं, प्रौद्योगिकी और बाजारों में सुविधाएं प्रदान करने के अलावा किसान क्लबों ने स्वयं सहायता संवर्धक संस्थाओं (एसएचपीआई) और बिजनेस फैसिलिटेटर/ बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट के रूप में कार्य किया.

4.2.2 किसान क्लबों का डिजिटाइजेशन

किसान क्लब कार्यक्रम का उद्देश्य 'ऋण के माध्यम से विकास' ऋण और संबंधी परामर्श देना, बाज़ार के साथ संयोजन, व्यवसाय के नए अवसर खोजना, सामाजिक-आर्थिक विकास आदि विभिन्न अन्य सेवाएं प्रदान करना है.

नाबार्ड ने सात राज्यों अर्थात् ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाणा में किसान क्लबों के डिजिटाइजेशन पर प्रायोगिक परियोजना चलाई. प्रायोगिक परियोजना से मिली सीख के आधार पर 'कृषक सारथी' पोर्टल की फिर से रूपरेखा तैयार की गई और देश भर में परियोजना को बड़े पैमाने में कार्यान्वित किया गया. किसान क्लबों के डिजिटाइजेशन से किसान क्लबों की निरंतरता में वृद्धि करने और विभिन्न प्रकार के परामर्शों जैसे मौसम, मूल्य और बाज़ार तक पहुंच बनाने में सहायता मिलेगी. इससे नाबार्ड को किसान क्लब कार्यक्रम के अनुप्रवर्तन और नियंत्रण में सुधार में सुविधा होगी.

4.2.3 जल अभियान

मई 2016 में मानसून आरंभ होने से कुछ ही दिन पहले नाबार्ड ने विभिन्न हितधारकों/ साझेदार एजेंसियों जैसे बैंक, गैर सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं, केवीके आदि की सहायता से राष्ट्रीय स्तर पर जल अभियान आरंभ किया था. इस अभियान के अंतर्गत लगभग 40,000 गांवों को शामिल किया गया. जल अभियान 2016 के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त प्रोत्साहक प्रतिसाद को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017 में संवेदनशील/ पानी के कमी वाले क्षेत्रों और विशेषकर जहां भूजल का अत्यधिक दोहन किया गया ऐसे लगभग 1,00,000 गांवों को शामिल करते हुए जल अभियान के संबंध में फिर से नीति तैयार की गई. नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से सभी प्रमुख राज्यों में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), साझेदारों, गैर-सरकारी संगठनों, कृषि विश्वविद्यालयों, जल विशेषज्ञों, किसान क्लब वालंटियरों और अन्य हितधारकों की उपस्थिति में 22 मार्च 2017 को औपचारिक रूप से जल अभियान की शुरूआत   की गई.

अभियान में प्रमुखत: ग्रामीण समुदाय में जल संरक्षण, बचाव और विविध स्तरों पर जल के दक्षतापूर्ण उपयोग सूक्ष्म सिंचाई (प्रति बूंद अधिक फसल) जैसी आधुनिक तकनीकों, जल प्रबंधन की पारंपरिक पद्धतियों, कृषि-वैज्ञानिक पद्धतियों आदि के सुधारित पैकेज को अपनाने के लिए जागरूकता निर्माण करने पर बल दिया जाता है.

स्थानीय और प्रभावी दृष्टिकोण के लिए जल संरक्षण ढांचों के निर्माण और सरकारों/ बैंकों की चालू योजनाओं के सह-मेल में जल उपयोग की दक्षतापूर्ण पद्धतियों/ तकनीकों को अपनाने के अलावा वर्षाजल संरक्षण, जल के दक्षतापूर्ण उपयोग, भूजल पुनर्भरण और कृषि की समन्वित पद्धतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 8,000 ग्राम वालंटियरों (कृषि जल दूत) की पहचान की गई. कृषि जल दूतों को हैण्ड होल्डिंग सहायता प्रदान करने के लिए राज्य-वार मास्टर प्रशिक्षक और बैंक अधिकारी और विस्तार विभाग गांवों में चलाए जा रहे जल अभियान के महत्वपूर्ण घटक हैं.

4.3 उत्पादक संगठनों को सहायता

बड़ी संख्या में सीमांत और छोटे भू-धारक (लगभग 85 प्रतिशत) भारतीय कृषि की विशेषता हैं जो विविध प्रकार की जोखिमों से घिरे रहते हैं और असुरक्षित होते हैं. विशेषकर वर्षा सिंचित क्षेत्रों में विभाजित और बिखरे हुए भू-जोतों के कारण कृषि उत्पादकता में सुधार करने तथा परिणामस्वरूप कृषि से होने वाली आय में बहुत समस्याएं पैदा होती हैं. सीमांत और छोटे किसानों की संवेदनशील और अभाव की स्थिति से निपटने के लिए तत्काल उपाय के रूप में उनके परिचालनों को बढ़ाना और किसानों की प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाना, किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी)/ कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन के माध्यम से ऋण और बाजार उपलब्ध कराना है.

4.3.1 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का संवर्धन

वर्ष 2014-15 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते समय केंद्रीय वित्त मंत्री ने नाबार्ड में ₹200 करोड़ के साथ उत्पादक संगठन विकास और उत्थान समूह (प्रोड्यूस) निधि की स्थापना की घोषणा की थी. इस निधि का उपयोग अगले दो वर्षों में 2,000 कृषक उत्पादक संगठनों के संवर्धन के लिए किया जाना है.

निधि का प्रमुख उद्देश्य उत्पादक संगठनों को उद्भव/ प्रारंभिक स्तर पर आवश्यक वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता प्रदान कर उनका संवर्धन और विकास करना है. कृषक उत्पादक संगठनों में जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता, व्यावसयिक प्रबंधन, बाजार तक पहुंच, नियामक आवश्यकताओं आदि के रूप में महत्वपूर्ण सहायता तथा न्यूनतम तीन से पाँच वर्षों की अवधि के लिए हैण्ड होल्डिंग सहायता प्रदान करना आवश्यक है और निधि के अंतर्गत यही सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है. कृषक उत्पादक संगठनों को अपनी व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं को स्थानीय जरूरतों के आधार पर अपनी निधियों, संग्रहित इक्विटी, संस्थागत ऋण और अर्जित लाभ आदि से ही पूरा करना अपेक्षित होता है.

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, उत्पादक संगठन संवर्धन संस्थाओं (पीओपीआई) द्वारा 2157 कृषक उत्पादक संगठनों को संगठित किया गया और नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आगामी तीन वर्षों के लिए उत्पादक संगठनों के क्षमता निर्माण/ पोषण और विकास के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी. 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार ये कृषक उत्पादक संगठन अपने निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं जिनमें 1924 कृषक उत्पादक संगठनों ने अपनी पंजीकरण संबंधी औपचारिकताओं को पूरा किया है. इन उत्पादक संगठनों में से 1349 कृषक उत्पादक संगठनों को कंपनी अधिनियम (2013 में यथा संशोधित) के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है और शेष कृषक उत्पादक संगठनों को सहकारी समिति अधिनियम, समितियां पंजीकरण अधिनियम या न्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था. 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार कृषक उत्पादक संगठनों द्वारा एकत्रित संचयी शेयर पूंजी ₹41.60 करोड़ है और लगभग 7 लाख किसान सदस्यों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था. वर्ष के दौरान मंजूर की गई ₹191.46 करोड़ की अनुदान सहायता में से ₹63.69 करोड़ की अनुदान सहायता संवितरित की गई. पर्याप्त सामाजिक पूंजी का निर्माण किए जाने और क्षमता निर्माण के प्रभावी उपाय किए जाएं यह सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड ने प्रत्येक उत्पादक संगठन संवर्धन संस्थाओं (पीओपीआई) के साथ करार निष्पादित किए.

कृषक उत्पादक संगठनों के क्षमता निर्माण और अभिशासन, सामाजिक पूंजी और किसानों का दृष्टिकोण, कृषक उत्पादक संगठनों की वित्तीय आवश्यकताएं, जोखिम शमन, ऋण गारंटी, कर संबंधी मामले, सामंजस्य अपेक्षाओं, प्रक्रिया और बाज़ार के साथ लिंकेज संबंधी विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने के लिए अध्यक्ष, नाबार्ड की अगुआई में राष्ट्रीय परामर्श समिति (एनएसी) और राज्य स्तरीय परामर्श समितियों (एसएलसीसी) का गठन किया गया. सरकारी प्रयासों के साथ बेहतर सहक्रिया और सामंजस्य के लिए वर्ष के दौरान एनएसी की दो बैठकें और एसएलसीसी की 32 बैठकें आयोजित की गई थीं. वर्ष 2016-17 के दौरान, कृषक उत्पादक संगठनों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए बर्ड में अल्पावधि प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आयोजित किया गया और लगभग 220 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने पाठ्यक्रम पूरा किया. 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, नाबार्ड ने कृषक उत्पादक संगठनों के पोषण और हैण्ड होल्डिंग के लिए विभिन्न राज्यों में 795 उत्पादक संगठन संवर्धन संस्थाओं (पीओपीआई) और 19 संसाधन सहायता एजेंसियों (आरएसए) के साथ साझेदारी की.

कृषक उत्पादक संगठनों की प्रमुख गतिविधियों में अनाज, दालें, मसाले, गुड़, केंचुआ पालन, प्याज, फल, सब्जियां, प्रमाणित बीज आदि पण्यों का उत्पादन और विपणन शामिल है. अधिकांश कृषक उत्पादक संगठन कृषि उत्पादों के एकत्रीकरण, विपणन और निविष्ट वस्तुओं के वितरण संबंधी गतिविधियों से जुड़े होते हैं. लगभग 1515 कृषक उत्पादक संगठन व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं और उनकी बिक्री लगभग ₹100 करोड़ हुई है.

4.3.2 उत्पादक संगठनों को नाबार्ड की प्रत्यक्ष सहायता

नाबार्ड ने वर्ष 2016-17 के दौरान उत्पादक संगठनों/ समूहों को व्यापक स्तर पर सहायता प्रदान करने की दृष्टि से 13 उत्पादक संगठनों को ₹9.03 करोड़ (ऋण के रूप में ₹8.36 करोड़ और अनुदान सहायता के रूप में ₹0.67 करोड़) की वित्तीय सहायता सीधे प्रदान की. ₹11.19 करोड़ (ऋण के रूप में ₹10.49 करोड़ और अनुदान सहायता के रूप में ₹0.70 करोड़) के संवितरण किए गए. इसके अलावा, वर्ष 2016-17 के दौरान, नाबार्ड की सहायक संस्था नैबकिसान फाइनान्स लि., के माध्यम से 51 कृषक उत्पादक संगठनों को ₹14.45 करोड़ के ऋण मंजूर किए गए.

4.4 वाटरशेड विकास कार्यक्रम

नाबार्ड द्वारा निम्नलिखित वाटरशेड विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है:

- वाटरशेड विकास निधि (डब्ल्यूडीएफ) के अंतर्गत सहभागितामूलक वाटरशेड विकास कार्यक्रम
- इंडो-जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम (आईजीडब्ल्यूडीपी)
- केएफडब्ल्यू और जीआईजेड, जर्मनी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा (क्लाइमेट प्रूफिंग मृदा परियोजना) के लिए खराब मृदा का पुनरुद्धार और पुनर्वसन.

4.4.1 सहभागितामूलक वाटरशेड विकास कार्यक्रम

नाबार्ड में 1999-2000 में ₹200 करोड़ की प्रारंभिक निधि के साथ वाटरशेड विकास निधि (डब्ल्यूडीएफ) का सृजन किया गया. पिछले कुछ वर्षों के दौरान ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत ब्याज में अंतर की राशि और निधि के अप्रयुक्त हिस्से पर उपचित ब्याज के माध्यम से समूह निधि में वृद्धि की गई. इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में या अनुदान-सह-ऋण के रूप में थी. 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, कुल निधि ₹1,210.49 करोड़ थी. वर्ष 2016-17 के दौरान क्षमता निर्माण चरण के लिए 57 नई परियोजनाएं मंजूर की गई थीं इसके साथ परियोजनाओं की संचयी संख्या 600 (चालू और पूर्ण दोनों) हो गई. ये परियोजनाएं 18 राज्यों में 5.94 लाख हेक्टे. क्षेत्र में ₹417 करोड़ की प्रतिबद्धता के साथ कार्यान्वित की जा रही हैं.

अनुदान-सह-ऋण के अंतर्गत कर्नाटक में 41 परियोजनाएं और तमिलनाडु में 141 परियोजनाएं मंजूर की गई थीं. कर्नाटक में सभी 41 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं. 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, इन राज्य सरकारों को संवितरित संचयी ऋण ₹59.14 करोड़ था.

4.4.2 इंडो-जर्मन वाटरशेड वाटरशेड विकास कार्यक्रम (आईजीडब्ल्यूडीपी)

महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से ग्राम वाटरशेड समितियों (वीडब्ल्यूसी) द्वारा आईजीडब्ल्यूडीपी, द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में प्राकृतिक संसाधनों के पुनर्निर्माण पर बल दिया जा रहा है. परियोजनाओं का विवरण तालिका 4.2 में दिया गया है.

तालिका 4.2
आईजीडब्ल्यूडीपी के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का पुनर्निर्माण

राज्य	कार्यान्वयन की अवधि	प्रतिबद्ध निधि (राशि करोड़ में)	कार्यान्वित परियोजनाओं की संख्या	शामिल क्षेत्र (हेक्टे.)	संवितरित राशि (राशि करोड़ में)
महाराष्ट्र चरण III	(2005-2014)	151.00 (€ 19.94 मिलियन)	114	1,19,088	121.84
आंध्र प्रदेश	(2005-2015)	66.00 (€ 8.69 मिलियन)	36	41,633	59.95
गुजरात	(2006-2016)	69.90 (€ 9.20 मिलियन)	28	38,000	38.34
राजस्थान	(2006-2016)	83.60 (€ 11 मिलियन)	31	35,000	44.93
कुल			209	2,33,721	265.06

नोट: आईजीडब्ल्यूडीपी के सभी कार्यक्रम पूर्ण हो चुके हैं.

4.4.3 केएफडब्ल्यू, जर्मनी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के लिए मृदा पुनरुद्धार और खराब मृदा पुनर्वसन (जलवायु रोधी मृदा परियोजना) का कार्यान्वयन

नाबार्ड ने उपर्युक्त कार्यक्रम अगस्त 2016 से शुरु होकर दिसंबर 2019 तक की अवधि के लिए कार्यान्वयन के लिए केएफडब्ल्यू, जर्मनी के साथ करार पर हस्ताक्षर किए थे. उक्त परियोजना पाँच राज्यों अर्थात् तेलंगाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के 32 जिलों में डब्ल्यूडीएफ के अंतर्गत 123 पूर्ण हो चुकी वाटरशेड परियोजनाओं को लेकर कार्यान्वित की जाएगी. जिलों और राज्यों का चयन शुष्क भूमि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए) द्वारा विकसित वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राथमिकता सूचकांक (आरएपीआई) के आधार पर किया गया. कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केएफडब्ल्यू से नाबार्ड को €10 मिलियन की राशि दी जाएगी. 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार 123 जलवायु रोधी परियोजनाओं में से ₹58.53 करोड़ की वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ 120 परियोजनाएं मंजूर की गई थीं.

4.4.4 नई पहलें

✦ वाटरशेड परियोजनाओं का वेब-आधारित अनुप्रवर्तन

नाबार्ड ने प्रायोगिक आधार पर गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश (पूरी हो चुकी परियोजनाओं का एक बारगी मूल्यांकन) और मध्य प्रदेश में वाटरशेड विकास निधि के अंतर्गत नाबार्ड की सहायता प्राप्त आईजीडब्ल्यूडीपी वाटरशेड परियोजनाओं के जीओस्पेटियल टेक्नोलॉजीस से अनुप्रवर्तन करने हेतु 31 दिसंबर 2015 को नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), हैदराबाद के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इस प्रयास के अंतर्गत अलग से वेब पोर्टल और मोबाइल ऍप विकसित किया गया है. वेब पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के लिए संबंधित परियोजना सहयोग एजेंसियों (पीएफए) को एक्सेस दिया गया है. इस परियोजना से रिमोट सेन्सिंग, जीआईएस और जीपीएस तकनीकों के उपयोग से वाटरशेड परियोजनाओं (पूर्व और पश्च) की ऑनलाइन और भौतिक और वित्तीय प्रगति तथा प्रभाव मूल्यांकन की वास्तविक समय में ट्रैकिंग करने में नाबार्ड को मदद मिल रही है.

✦ पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्प्रिंगशेड विकास कार्यक्रम

नाबार्ड 1990 से देश में वाटरशेड परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है. इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन पूर्वोत्तर क्षेत्र जहां की भौगोलिक और पारिस्थितिकी अलग है, को छोड़कर ऐसे राज्यों में किया जा रहा है जहां प्रमुखत: शुष्क भूमि/ वर्षा सिंचित क्षेत्र हैं. इसके अलावा, पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण हुए विपरित प्रभावों से पूर्वोत्तर क्षेत्र की जीवन रेखा माने जाने वाले झरने सूख रहे हैं. इसका असर कृषि और ग्रामीण समुदाय की आजीविका पर भी पड़ा है. इस समस्या का समाधान करने के लिए नाबार्ड प्रायोगिक आधार पर वाटरशेड विकास निधि के अंतर्गत सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्प्रिंगशेड आधारित सहभागितामूलक वाटरशेड विकास कार्यक्रम की नवोन्मेषी और संपूर्ण परिकल्पना को बढ़ावा दे रहा है.

कार्यक्रम को जनवरी 2017 में शुरू किया गया था और कार्यक्रम के क्षेत्रों में शुरूआती गतिविधियां पूरी की जा रही हैं. इस तरीके से न केवल क्षेत्र में पेयजल के अभाव की समस्या दूर होगी बल्कि इससे किसान वैकल्पिक आजीविका के लिए खेती का मौसम न रहने पर भी खेती कर पाएंगे.

✦ सतत विकास नीति (एसडीपी)

केंद्र प्रायोजित समन्वित वाटरशेड प्रबंध कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) सहित वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान मुख्य रूप से मृदा और जल जैसे मूलभूत प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल दिया गया था. लेकिन वाटरशेड कार्यक्रम में सतत विकास के मुद्दे के समाधान के लिए नाबार्ड ने एक सतत विकास नीति (एसडीपी) तैयार की है जिसमें प्रौद्योगिकी अंतरण, कृषि विस्तार, ऋण सघनीकरण, समन्वित कीट प्रबंधन (आईपीएम), समन्वित पोषण प्रबंधन (आईएनएम) आदि प्रमुख समस्याओं का समाधान वाटरशेड के विकास के बाद

की अवधि में वाटरशेड समुदाय के क्षमता निर्माण और उनमें नेतृत्व विकास और विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, समन्वित बागवानी विकास मिशन और साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) आदि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के समाहार के माध्यम से किया जा रहा है. 2016-17 में प्रायोगिक परियोजना आठ राज्यों में चलाई गई. वर्ष के दौरान ₹32.59 करोड़ की वित्तीय प्रतिबद्धता की 336 एसडीपी परियोजनाएं मंजूर की गईं.

✦ वाटरशेडों में जलवायु रोध (क्लाइमेट प्रूफिंग) परियोजनाएं

जलवायु परिवर्तन से विशेष रूप से शुष्क भूमि और वर्षासिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन, उत्पादकता और किसानों की आजीविका प्रभावित हो रही है. जलवायु परिवर्तन के ग्रामीण समुदाय पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए नाबार्ड ने वाटरशेड विकास निधि (डब्ल्यूडीएफ) के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के कार्य शुरू किए हैं. डब्ल्यूडीएफ के अंतर्गत चार राज्यों नामत: हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में जलवायुरोधी (क्लाइमेट प्रूफिंग) परियोजनाएं चल रही हैं. 2016-17 में ₹16.26 करोड़ की प्रतिबद्धता की 42 नई जलवायुरोधी (क्लाइमेट प्रूफिंग) परियोजनाएं मंजूर की गईं.

4.5 आदिवासी विकास निधि[1]

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, आदिवासी विकास निधि (टीडीएफ) के अंतर्गत संचयी मंजूरियां ₹2,029.84 करोड़ रहीं जबकि कुल संवितरण ₹1,340.31 करोड़ रहा जिनमें 27 राज्यों और संघशासित प्रदेशों की 673 परियोजनाओं के अंतर्गत 5.03 लाख परिवार शामिल हैं. वर्ष 2016-17 के दौरान 17 क्षेत्रीय कार्यालयों ने 40 परियोजनाएं मंजूर की थीं जबकि अनुदान सहायता के रूप में ₹151.43 करोड़ संवितरित किए गए और ऋण के रूप में ₹4.15 करोड़ की राशि संवितरित की गई. 40 परियोजनाओं में से सीएसआर/ सह-वित्तपोषण व्यवस्था के तहत 11 आदिवासी विकास निधि परियोजनाएं मंजूर की गई थीं नामत: असम (दो), झारखंड (दो), महाराष्ट्र (दो), ओडिशा (एक), राजस्थान (एक), उत्तर प्रदेश (दो) और पश्चिम बंगाल (एक) (शोकेस 4.1, 4.2, 4.3).

[1] टीडीएफ कार्यक्रम में वाडियां, जैविक वाडियां, मिश्रित वाडियां (बारहमासी, लता वाली सब्जियां और मसाले एक साथ) विकसित करने, विपणन गतिविधियों के लिए ऋण सहायता देने और प्रसंस्करण तथा विपणन के लिए मूल्य शृंखला संबंधी सहयोग देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है.

4.6 आदिवासी विकास कार्यक्रम

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार केएफडब्ल्यू-नाबार्ड-वी-आदिवासी विकास कार्यक्रम, गुजरात के चरण II (2006-2016) में ₹30.20 करोड़ का संचयी संवितरण किया गया. केएफडब्ल्यू द्वारा मंजूर €7 मिलियन की अनुदान सहायता के साथ यह कार्यक्रम गुजरात के डांग और वलसाड जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से अब तक वाडी विकास, मृदा संरक्षण, जल संसाधन विकास, महिला/ भूमिहीन परिवार विकास और स्वास्थ्य रक्षा में 5,922 परिवारों को सहायता प्रदान की गई.

विकास निधि परियोजनाओं से आई किसानों के चेहरों पर मुस्कान आदिवासी

शोकेस 4.1 गोविंद तेरोन, जिला कामरूप, असम

मेघालय के मार्लीप गांव का गोविंद तेरोन हमेशा से ही साहूकारों की ऊंची ब्याज दर वाले कर्ज में फंसा हुआ था. आदिवासी विकास निधि परियोजना के अंतर्गत अनुदान के रूप में मिले 250 रबड़ के पौधों के लिए अपना एक एकड़ खेत इस्तेमाल में लाने से उसे कुछ भी खोना नहीं था. रबड़ के पेड़ों से आय मिलने में कम से कम छह साल लगने थे. इसलिए परियोजना के अंतर्गत उसी जमीन में उसके लिए अनन्नास, संतरे, सुपारी, झाड़ू बनाने वाले पौधे, बांस, काली मिर्च, कटहल जैसे तुरंत फसल देने वाले पौधों की व्यवस्था की गई ताकि पहले वर्ष से ही आय मिलनी शुरू हो जाए. फसलों के इस प्रकार के संयोजन से इस समय वाड़ी की फसलों से उसकी आमदनी सालाना ₹50,000 से अधिक है. जैसे ही रबड़ का उत्पादन शुरू होगा उसकी आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी. उन्होने अपने सारे कर्ज चुका दिए हैं और अब वे कर्ज से मुक्त स्वतंत्र किसान हैं. उनका अपना बैंक खाता है और उन्होने पहली बार केसीसी के अंतर्गत ₹25,000 का कर्ज लिया है. गोविंद तेरोन टीडीएफ परियोजना का अहसान मानते हुए बताते हैं कि अपनी बड़ी बेटी की शादी में उन्हें भारी मुश्किल आती अगर इस परियोजना से उन्हें मदद नहीं मिलती.

अपनी वाडी में खुश और संतुष्ट गोविंद तेरोन

अंतर फसल के रूप में सुपारी और झाड़ु बनाने वाले पौधों के साथ रबड़ की खेती

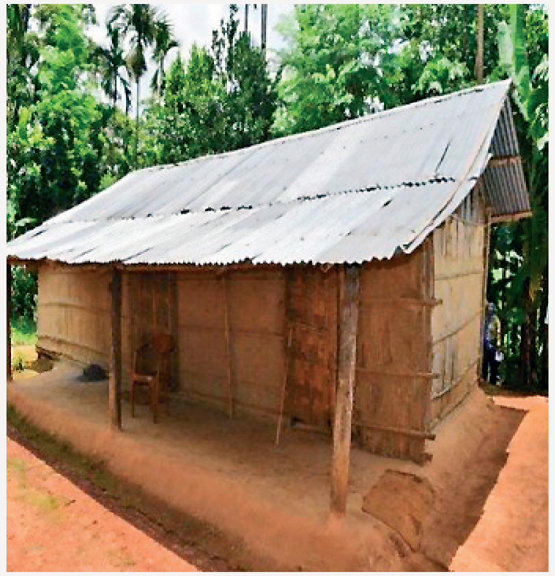

गोविंद तेरोन द्वारा अपनी वाडी में निर्मित घर

वाडी में संतरे और सुपारी के पौधे

शोकेस 4.2: पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के रामलाल मंडी

पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के रानीबांध ब्लॉक की रावतारा ग्राम पंचायत के गोविंदसोल मौजे का निवासी 45 वर्षीय रामलाल मंडी संथाल है. 2007-08 में रामलाल ने रानीबांध टीडीएफ परियोजना के अंतर्गत एक एकड़ बंजर जमीन में जो खेती के लायक नहीं थी में एक वाडी लगाई जिसमें आम के 40 (आम्रपाली के 30 और लंगडा के 10), काजू (वीआर-4) के 30 और मेड़ पर लगाए जाने वाले 200 पौधे लगाए थे.

2007 से 2010 तक परिवार के सदस्यों ने वाडी से संबंधित सभी गतिविधियां पूरी कर लीं जैसे गड्ढा खोदना, मिट्टी भरना और पौधे लगाना, थाले तैयार करना और खरपतवार निकालना, उर्वरकों का उपयोग करना, सिंचाई, छिड़काव और मृदा संरक्षण से जुड़े हुए काम तथा जल संसाधनों का विकास आदि. उन्हें परियोजना में की गई व्यवस्था के अनुसार मजदूरी दी गई. सिंचाई के लिए कंक्रीट रिंग के साथ एक कुआं खोदा गया और वाडी में मृदा संरक्षण के उपाय के रूप में 30x40 (30 काजू के पौधे और 40 आम के पौधे) मॉडल अपनाया गया.

तीसरे साल (2009-10) में ही रामलाल की वाडी फलने की स्थिति में पहुंच गई क्योंकि उसने अपने परिवार के साथ मिलकर पौधों की वृद्धि के लिए सारे जरूरी काम समय से किए और सभी पौधों पर ध्यान दिया. चौथे साल (2011-12) में रामलाल की वाडी वाणिज्यिक उत्पादन के लिए तैयार थी.

2011-12 से 2013-14 के बीच व्यक्तिगत स्तर पर वाडी के उत्पादों की बिक्री के अनुभव के बाद रामलाल ने महसूस किया कि अगले साल से परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) और किसानों के समूहों के संयुक्त पर्यवेक्षण में झिलिमिलि पीआईए के कार्यालय में एक अस्थायी भंडारगृह और एक केंद्रीकृत विपणन प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है.

रामलाल ने बताया, "पिछले तीन सालों के दौरान फलों की बिक्री से हुई ₹6720 (थोक दर पर) की आमदनी और वाड़ी परियोजना के माध्यम से कमाई गई मजदूरी ने न केवल उसके बच्चों की पढ़ाई पर होने वाले खर्च को पूरा किया बल्कि धान की खेती में भी मदद मिली." रामलाल को उम्मीद है कि अगले साल से उसकी वाडी से उसे और अधिक आमदनी होगी.

पास-पड़ोस के लोग भी इलाके में नई वाडियां बनाने के लिए रामलाल से प्रेरित हुए हैं.

शोकेस 4.3 प्रिया और चिन्नास्वामी गोपनारी, तमिलनाडु

प्रिया और चिन्नास्वामी में से किसी को स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला. वे निरक्षर हैं और उनमें जो व्यक्तिगत कौशल हैं वे घर परिवार चलाने के कामों तक सीमित हैं.

वे बमुश्किल अपनी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं. प्रिया को इस बात की खुशी है कि इलाके के दूसरे मर्दों की तरह उनका पति शराब नहीं पीते. वे एक गैर आदिवासी मालिक के फार्म पर कुली के रूप में काम करते थे जिससे दोनों को मिलाकर ₹150 की दिहाड़ी मिलती थी.

जब गोपनारी की ग्राम आयोजना समिति (वीपीसी) ने प्रिया और चिन्नास्वामी को नाबार्ड की परियोजना के बारे में बताया तो उन्हें लगा कि यह आमदनी बढ़ाने का मौका है और उन्होंने परियोजना में रुचि ली. ग्राम समुदाय के अग्रणियों ने उन्हें अच्छी तरह समझाया जिसके कारण दोनों ने परियोजना के उद्देश्य को आसानी से भली-भांति समझ लिया. इस युवा दम्पति के पास जमीन नहीं है इसलिए उन्होंने वाडी से भिन्न सहायता के लिए पंजीकरण कराया.

नाबार्ड ने परिवार को ₹18,000 दिए थे जिससे उन्होंने दो गाएं खरीदीं और पशुपालन के काम की शुरूआत की. आज प्रिया और उसके पति के पास पांच गाएं हैं. उनसे दूध की उनकी अपनी जरूरत तो पूरी होती ही है वे शेष बचे दूध को एक दुग्ध समिति को बेचते हैं जिससे उन्हें हफ्ते में ₹700 की आमदनी होती है. इसके अलावा वे गायों का गोबर भी पड़ोस के किसानों को बेच सकते हैं.

इस अतिरिक्त आमदनी से उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो गई है और उन्होंने दस बकरियां भी खरीदी हैं. बकरियों को एक तरह से बीमा के रूप में रखा गया है क्योंकि बकरियों को मुसीबत के समय पर तुरंत बेचा जा सकता है. वाडी से इस भिन्न सहायता से उनकी आमदनी तो बढ़ी ही है उनके पारिवारिक जीवन में भी स्थिरता आई है, उनके पास आज निरंतर आमदनी का सुरक्षित जरिया है. नाबार्ड न केवल पशुधन की खरीद में उनकी मदद करता है बल्कि मृत्यु की स्थिति में बीमा सुरक्षा भी देता है. साथ ही, प्रिया और चिन्नास्वामी को परियोजना के पूरे होने के बाद भी पशुपालन के दो प्रशिक्षण दिए गए ताकि वे इस मामले में आत्मनिर्भर हो सकें. हर दूसरे महीने एक पशु चिकित्सक उनके यहां जाता है और जरूरत के समय भी उसकी सेवाएं उपलब्ध होती है. इसके अलावा, ग्राम आयोजना समिति और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के सदस्यों के साथ होने वाली मासिक बैठक में उन्हें अपनी समस्याओं और जरूरतों के बारे में बात करने का मौका भी दिया जाता है.

वाडी से भिन्न इसके सारे काम घर के आस-पास ही होते हैं इसलिए दोनों को अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिलता है. इसके अलावा, नाबार्ड बच्चों के लिए पढ़ने-लिखने की सामग्री भी देता है और कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित करता है जिनमें परिवारों को शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य का महत्व बताया जाता है.

प्रिया मुस्कुराते हुए बताती है कि भविष्य में वह कम से कम 20 बकरियां पालेगी और उनसे होने वाली अतिरिक्त आमदनी को अपनी बेटी की उच्च शिक्षा के लिए बचाकर रखेगी.

4.7 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम

2007-08 से नाबार्ड द्वारा केएफडब्ल्यू और जीआईजेड़ के सहयोग से ऋण-सह-अनुदान सहायता पर आधारित इंडो-जर्मन कार्यक्रम प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (यूपीएनआरएम) के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है. इसका उद्देश्य समुदाय प्रबंधित सतत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजनाओं को सहायता देकर ग्रामीण आजीविका को गति प्रदान करना है. वर्ष के दौरान ₹21.18 करोड़ की राशि मंजूर की गई जिसमें से ₹20.21 करोड़ की राशि संवितरित की गई.

4.7.1 यूपीएनआरएम की मुख्य बातें

- परियोजना सहभागियों में 44 प्रतिशत महिलाएं हैं.
- परियोजना सहभागियों में 78 प्रतिशत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं.
- 90 प्रतिशत परियोजनाएं सीधे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़ी हैं.

4.8 सूक्ष्म वित्त प्रयासों को बड़े पैमाने पर करना

4.8.1 स्वयं सहायता समूह - बैंक सहबद्धता कार्यक्रम की प्रगति

लगभग ढाई दशक पहले नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह - बैंक सहबद्धता कार्यक्रम (एसबीएलपी) 500 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था. 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार, इसके अंतर्गत लगभग 79 लाख स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) शामिल हैं जो भारत के लगभग 10.1 करोड़ निर्धन परिवारों से जुड़े हैं. एसबीएलपी के पहले जिस ग्रामीण निर्धन वर्ग को बैंक व्यवहार योग्य नहीं समझा जाता था उसके पास अब औपचारिक ऋण संस्थाओं का ₹57,119 करोड़ ऋण बकाया है. 2015-16 के दौरान, प्रति समूह ₹2.03 लाख के औसत से विभिन्न बैंकों से लगभग 18 लाख समूहों को ₹37.287 करोड़ का ऋण दिया गया. 2015-16 के दौरान बचत से जुड़े समूहों की संख्या में 2.06 लाख की निवल वृद्धि हुई. वर्ष के दौरान बकाया संस्थागत ऋण में पिछले वर्ष की तुलना 35.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार, समूहों पर बकाया संस्थागत ऋण पिछले वर्ष की तुलना में 10.8 प्रतिशत बढ़ गया. इस अवधि में बैंकों में समूहों की बचत राशि का शेष ₹11,059 करोड़ से बढ़कर ₹13,691 करोड़ हो गया (तालिका 4.3). अनर्जक आस्तियों (एनीपीए) के 7.4 प्रतिशत से घटकर 6.5 प्रतिशत हो जाने के साथ इस प्रगति से एसबीएलपी की बढ़ती मजबूती की पुष्टि होती है.

तालिका 4.3
स्वयं सहायता समूह-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम की प्रगति
(31 मार्च की स्थिति)

(राशि ₹करोड़ में)

विवरण	2015		2016	
	स्वयं सहायता समूहों की संख्या	राशि	स्वयं सहायता समूहों की संख्या	राशि
वर्ष के दौरान संवितरित ऋण	16,26,238	27,582.00	18,32,323	37,287.00
बकाया ऋण	44,68,180	51,545.00	46,72,621	57,119.00
बैंकों में बचत	76,97,469	11,059.00	79,03,002	13,691.00

4.8.2 स्वयं सहायता समूह-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम की पुन:स्थापना

नाबार्ड ने वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को व्यापकतर और गहनतर करने के लिए देश के, विशेष रूप से संसाधनों की कमी वाले राज्यों के सभी पात्र निर्धन ग्रामीण परिवारों को शामिल करने का लक्ष्य रखते हुए एसबीएलपी में फिर से नई ऊर्जा डालने और उसे पुनरुज्जीवित करने का काम पूरी मेहनत से शुरू किया. समूहों के सदस्यों के लिए आजीविका सहायता उपलब्ध कराने पर नए सिरे से बल दिया गया और प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित किए जाने के लिए एक आजीविका उद्यम विकास मॉडल शुरू किया गया. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के साथ बेहतर समन्वय के परिणामस्वरूप स्वयं सहायता समूहों के प्रशिक्षण और उन्हें सहातया देने के कार्य में परस्पर सहयोग कायम हुआ और इससे एक-दूसरे के विचारों की समझ बढ़ी. स्वयं सहायता समूहों के डिजिटाइजेशन की प्रायोगिक परियोजना ई-शक्ति को देश के 22 नए जिलों में लागू किया गया. वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने, बैंकों की पहुंच में वृद्धि करने, समूहों को बैंक ऋण से जोड़ने, आरंभिक मार्गदर्शन और सहयोग करने तथा आजीविका के संवर्धन के लिए विद्यमान और नए सहयोगियों के साथ समूहों के संवर्धन और संपोषण का काम जारी रहा. हितधारकों के क्षमता निर्माण और संवाद में सुधार तथा साथ ही अच्छे कार्यनिष्पादन को मान्यता देने के कारण एसबीएलपी आंदोलन को और ऊर्जा मिली.

4.8.3 संवर्धनात्मक अनुदान पर व्यय

2016-17 के दौरान, सूक्ष्म वित्त से संबंधित विविध गतिविधियों जैसे समूहों के गठन और उनकी सहबद्धता, हितधारकों के क्षमता निर्माण, आजीविका संवर्धन, प्रलेखीकरण, जागरूकता निर्माण और नवोन्मेष आदि के लिए वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) से ₹41.33 करोड़ और महिला स्वयं सहायता समूह (डब्ल्यूएसएचजी) निधि से ₹21.31 करोड़ अनुदान के रूप में जारी किए गए.

4.8.4 सहयोगी एजेंसियों/ स्वयं सहायता संवर्धन संस्थाओं को सहायता

नाबार्ड ने समूहों के संवर्धन और संपोषण के लिए एनजीओ, क्षेग्रा बैंकों, जिमस बैंकों, कृषक क्लबों, एकल ग्रामीण वालंटियरों (आईआरवी), समूहों के फेडरेशनों और पैक्स को सहायता देना जारी रखा. प्राथमिकता प्राप्त राज्यों में लाभ के लिए काम न करने वाली सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (एमएफआई) भी स्वयं सहायता संवर्धन संस्थाओं के रूप में काम करने के लिए पात्र हैं. 2016-17 के दौरान स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन के लिए इन एजेंसियों को ₹33.17 करोड़ की अनुदान सहायता मंजूर की गई. 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, संचयी रूप से 8.35 लाख समूहों के संवर्धन के लिए विभिन्न एजेंसियों को मंजूर सहायता ₹363.96 करोड़ हो गई जिसके समक्ष 6.03 लाख समूहों के गठन के लिए ₹126.90 करोड़ की सहायता जारी की गई. एनजीओ स्वयं सहायता संवर्धन संस्थाओं में सबसे प्रमुख रहे, जिनका समूहों के गठन में हिस्सा 78 प्रतिशत से अधिक रहा और उन्होंने अनुदान सहायता का 89 प्रतिशत प्राप्त किया.

4.8.5 हितधारकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

नाबार्ड ने सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम से जुड़े हितधारकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के प्रयास जारी रखे. 2016-17 के दौरान 3,761 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें विभिन्न बैंकों/ हितधारकों से 1.39 लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. इसके साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों की संचयी संख्या लगभग 36.24 लाख हो गई. इसके अलावा, 2016-17 के दौरान डब्ल्यूएसएचजी निधि के अंतर्गत 31,823 प्रतिभागियों के लिए 870 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए. डब्ल्यूएसएचजी निधि की सहायता से प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संचयी संख्या 0.77 लाख थी.

4.8.6 भारत के पिछड़े/ वामपंथी अतिवाद प्रभावित जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों का संवर्धन

भारत सरकार की सहायता से 29 राज्यों के 150 पिछड़े/ वामपंथी अतिवाद प्रभावित जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन की योजना कार्यान्वित की जा रही है. समूहों के संवर्धन और उनकी ऋण सहबद्धता के लिए एंकर एनजीओ स्वयं सहायता संवर्धन संस्थाओं के रूप में काम करते हैं. उनसे यह भी अपेक्षित है कि वे समूहों की प्रगति पर दृष्टि रखने और उनका अनुप्रवर्तन करने के लिए बिजनेस फैसिलिटेटर के रूप में काम करेंगे. वे समूहों द्वारा लिए गए ऋण की चुकौती के लिए भी जिम्मेदार होते हैं. इस परियोजना के अंतर्गत 1.95 लाख महिला समूहों को बचत से जोड़ा गया है और उनमें से 1.08 लाख समूहों को ऋण दिया गया है. विभिन्न गतिविधियों के लिए महिला एसएचजी निधि से ₹89.21 करोड़ की संचयी राशि अनुदान सहायता के रूप में दी गई है.

4.8.7 स्वयं सहायता समूहों का डिजिटाइजेशन ई शक्ति परियोजना

15 मार्च 2015 को रामगढ़ (झारखंड) और धुले (महाराष्ट्र) - इन दो जिलों में स्वयं सहायता समूहों के डिजिटाइजेशन के लिए शुरू की गई प्रायोगिक परियोजना ई शक्ति का सकारात्मक प्रभाव देखा गया, जहां ऋण सहबद्धता 148 प्रतिशत बढ़ गई और ऋण की राशि ₹39.79 करोड़ (55 प्रतिशत वृद्धि) हो गई. प्रोत्साहित करने वाले परिणामों से बल पाकर वर्ष के दौरान परियोजना का विस्तार किया गया और उसमें

देश के और 22 जिले शामिल किए गए, नामत: नलबारी (असम), मुजफ्फरपुर (बिहार), राजनांदगांव (छत्तीसगढ़), मेहसाणा (गुजरात), मंडी (हिमाचल प्रदेश), अंबाला (हरियाणा), ऊधमपुर (जम्मू-कश्मीर), हजारीबाग (झारखंड), मैसूर (कर्नाटक), कासरगोड (केरल), इंदौर (मध्य प्रदेश), वर्धा (महाराष्ट्र), पश्चिम गारो हिल्स (मेघालय), जगतसिंहपुर (ओडिशा), बीकानेर (राजस्थान), झालावाड़ (राजस्थान), वेस्ट त्रिपुरा (त्रिपुरा), बाराबंकी (उत्तर प्रदेश), वाराणसी (उत्तर प्रदेश), देहरादून (उत्तराखंड), पश्चिम मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) और संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी.

परियोजना के अंतर्गत जिलों के एसएचजी के जनसांख्यिकीय और वित्तीय आंकड़ों को इसी काम के लिए बनाई गई वेबसाइट https://eshakati.nabard.org पर रखा जाएगा ताकि एसएचजी की संपूर्ण ई-बुक कीपिंग और सदस्यों के व्यक्तिगत प्रोफाइल से संबंधित प्रमुख सूचनाएं जैसे आधार, पेशा, घर, स्वच्छता, बीमा, माइक्रो पेंशन (यदि हो), बैंक खाता, बचत आदि के विवरण तत्समय नाबार्ड, बैंकों, विकास एजेंसियों, स्वयं सहायता संवर्धन संस्थाओं, एसएचजी और उनके फेडरेशनों सहित विविध हितधारकों को प्राप्त हो सकें जिससे वे पूरी जानकारी के आधार पर योजनाएं तथा उपयुक्त सहयोग के तरीके तैयार कर सकें. इस परियोजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें मोबाइल फोन पर एन्ड्रॉइड पर आधारित इस्तेमाल करने में आसान द्विभाषिक एप्लिकेशन का प्रयोग करते हुए एसएचजी के लेन-देन से संबंधित आंकड़ों को आवधिक रूप से अद्यतन किया जाता है. यह प्रणाली मोबाइल ऐप से डाटा अपलोड करने के बाद एसएचजी के सदस्यों को स्थानीय भाषा में स्वत: एक एसएमएस जनरेट करती है जिससे पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित होती है. हितधारकों के लिए इस वेबसाइट पर एसएचजी के संगामी श्रेणीकरण सहित सूचना प्रबंधन की दृष्टि से कई उपयोगी जानकारियां उपलब्ध हैं.

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के एसएचजी सहित 1.28 लाख से अधिक एसएचजी ई शक्ति प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं जिसमें 188 बैंक शाखाओं और लगभग 18,000 गांवों के 14.73 लाख ग्रामीण परिवार शामिल हैं.

ई शक्ति के तहत उपलब्ध समृद्ध डाटा-बेस का उपयोग विभिन्न राज्य सरकारों के पंचायती राज, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, शिक्षा आदि विविध विभागों द्वारा किया जा सकता है. यहां तक कि निजी क्षेत्र भी यदि डाटा-बेस में रुचि रखता हो तो ग्रामीण बाज़ारों में वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए और अपनी सीएसआर गतिविधियों के लिए इस डाटा-बेस का उपयोग कर सकते हैं.

4.8.8 संयुक्त देयता समूहों का वित्तपोषण

छोटे किसानों, सीमांत किसानों, पट्टेदार किसानों, मौखिक पट्टेदारों, छोटे कारीगरों को ऋण उपलब्ध कराने की रणनीति के रूप में संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है जिससे इन वर्गों की ऋण आवश्यकताओं के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता कम हो जाती है. जेएलजी का उद्देश्य पट्टेदार/ भूमिहीन किसानों तक ऋण प्रवाह बढ़ाना, उन्हें संपार्श्विक प्रतिभूति के बिना ऋण उपलब्ध कराना और बैंकों तथा जेएलजी सदस्यों के बीच पारस्परिक भरोसे और विश्वास का निर्माण करना है. 2016-17 में 5.05 लाख जेएलजी बैंकों द्वारा संवर्धित और वित्तपोषित किए गए जिससे बैंकों द्वारा संवर्धित और वित्तपोषित जेएलजी की संचयी संख्या 22.57 लाख हो गई.

नाबार्ड ने संयुक्त देयता समूहों के वित्तपोषण के अंतर्गत बैंकों को 100 प्रतिशत पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने के साथ-साथ इस कार्यक्रम के सभी हितधारकों में जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखा. नाबार्ड संयुक्त देयता समूहों के गठन और सुदृढ़ बनाने के लिए बैंकों और अन्य संयुक्त देयता समूह संवर्धन संस्थाओं को प्रोत्साहन प्रदान करता है. देश भर में 8.64 लाख संयुक्त देयता समूहों के संवर्धन के लिए संचयी रूप से ₹153.37 करोड़ मंजूर किए गए.

4.8.9 सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम

नाबार्ड ने 2016-17 (बॉक्स 4.1) के दौरान सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम (एमईडीपी) के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के कौशल उन्नयन के लिए प्रयास जारी रखे). वर्ष के दौरान 817 सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 24,491 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया ताकि वे सूक्ष्म उद्यम स्थापित कर सकें. संचयी रूप से, 14,499 सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रमों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के लगभग 4.36 लाख सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया.

4.8.10 आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम (एलईडीपी)

बॉक्स 4.1
माइक्रो एंटरप्राइज़ डेवेलपमेंट प्रोग्राम - अ बीकन फॉर स्टैंड अप इंडिया सफलता की कहानियां

निर्धन कामगारों की रोज़गार पाने की योग्यता बढ़ाने और उनकी उत्पादकता में वृद्धि के लिए और इस प्रकार गरीबी को कम करने और उन्हें वित्तीय समावेशन के दायरे में लाने के लिए कौशल उन्नयन महत्त्वपूर्ण साधन है. आम तौर पर अच्छा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने में ग्रामीण निर्धन महिलाओं को परेशानियों/ भेदभाव का सामना करना पड़ता है. इसे ध्यान में रखते हुए नाबार्ड ने सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रमों (एमईडीपी) के माध्यम से परिपक्व स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को कौशल और उद्यमिता विकास प्रशिक्षण देना जारी रखा. 2005-06 से शुरू किए गए इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि और कृषीतर क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों के चार लाख से अधिक सदस्यों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिससे वे सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में समर्थ हो सकें. बड़ी संख्या में महिला स्वयं सहायता समूहों के प्रशिक्षित सदस्य स्वयं अपने सूक्ष्म उद्यम शुरू करने में सफल हुए हैं और उन्होंने बैंकों/ स्वयं-सहायता समूहों से ऋण लिया है. एमईडीपी के माध्यम से सफलतापूर्वक आजीविका सृजन करने से हुए ज्ञानार्जन को साझा करने के उद्देश्य से नाबार्ड ने 18 राज्यों की सफलता की 45 प्रतिनिधि कहानियों को एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया है. "माइक्रो एंटरप्राइज़ डेवेलपमेंट प्रोग्राम - अ बीकन फॉर स्टैंड अप इंडिया" नामक इस पुस्तिका में ग्रामीण महिलाओं के सामने आई चुनौतियों और सफलता में सहायक कारकों को शामिल किया गया है और यह पुस्तिका ग्रामीण निर्धन महिलाओं की सूझ-बूझ और बहुमुखी कार्यक्षमता का प्रमाण देती है.

"प्रसन्नता की लय"
प्रभा वनिता विकसन समिति - केरल के पालक्कड ज़िले के पुडुक्कड का महिला सिंगारीमेलम (ड्रम बजाने वाली महिलाओं का) दल

महिला स्वयं-सहायता समूहों के सदस्यों के लिए स्थायी आजीविका का सृजन करने और कौशल उन्नयन का अधिक-से-अधिक लाभ उठाने के उद्देश्य से दिसंबर 2015 में प्रायोगिक तौर पर आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम (एलईडीपी) शुरू किया गया. एलईडीपी में आसपास के गांवों के क्लस्टरों में कृषि क्षेत्र और कृषीतर क्षेत्र गतिविधियों के माध्यम से परियोजना मोड में आजीविका संवर्धन का कार्य किया जाता है. इसमें कौशल निर्माण हेतु गहन प्रशिक्षण, पुनश्चर्या प्रशिक्षण, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, आरंभिक मार्गदर्शक और सहयोग का प्रावधान है. इस कार्यक्रम में सम्पूर्ण मूल्य शृंखला शामिल की जाती है और इसमें स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को शुरू से लेकर अंत तक हर समस्या से निपटने में सहायता दी जाती है. 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों ने ₹481 लाख के कुल परिव्यय वाली 108 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है. कुल परियोजनाओं में से 57 परियोजनाओं का कार्यान्वयन महिला स्वयं सहायता समूह वाले ज़िलों में और 51 परियोजनाओं का कार्यान्वयन अन्य ज़िलों में किया जा रहा है. स्वीकृत 108 एलईडीपी में से 58 कृषि क्षेत्र की गतिविधियों से संबंधित हैं. साथ ही, आजीविका गतिविधियों से लगभग 13,000 स्वयं सहायता समूह सदस्यों को लाभ मिल रहा है.

4.8.11 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के साथ समन्वय

वर्ष के दौरान, नाबार्ड और भारत सरकार के एनआरएलएम के अंतर्गत पारस्परिक हित वाले क्षेत्रों जैसे - प्रशिक्षक-प्रशिक्षण, ग्रामीण शाखा प्रबंधकों के क्षमता निर्माण, स्वयं सहायता समूहों के डिजिटाइज़ेशन, महिला स्वयं सहायता समूहों की सहायता और आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रमों, अध्ययनों आदि में आपसी सहयोग जारी रखा.

एनआरएलएम द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के पात्र सदस्यों के लिए ब्याज सहायता योजना चलाई जाती है. नाबार्ड श्रेणी I के अंतर्गत आने वाले 250 ज़िलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के लिए इस योजना का संचालन करता है. हर राज्य में, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) सभी अन्य (श्रेणी II) ज़िलों में इस योजना का संचालन करता है. इस योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ₹3 लाख तक का बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं. श्रेणी I के ज़िलों में इन महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण की समय पर चुकौती के लिए 3 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सहायता भी दी जाती है. 2016-17 के दौरान यह योजना जारी रखी गई.

एनआरएलएम ने अब यह निर्णय लिया है कि नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित महिला स्वयं सहायता समूह योजना के अंतर्गत संवर्धित सघन ब्लॉकों में महिला समूहों को हर तरह की सहायता दी जाए.

4.8.12 आईआरसीटीसी के साथ सहयोग - स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए आजीविका

आईआरसीटीसी ने स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए आजीविका उपलब्ध कराने के उद्देश से नाबार्ड के साथ सहयोग स्थापित करने की पहल की है जिसमें समूहों को आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए ट्रेन में स्थानीय रुचि के भोजन की बिक्री के साथ-साथ अपने उत्पादों को बेचने का अवसर मिलेगा. आईआरसीटीसी और ग़ैर-सरकारी संगठनों/ स्वयं सहायता समूहों को एक मंच पर लाने के उद्देश से मई 2016 में नाबार्ड ने अपने खर्च पर बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान (बर्ड), लखनऊ में ई-केटरिंग और ई-मार्केटिंग पर एक सहयोगपरक कार्यशाला का आयोजन किया. आईआरसीटीसी ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से निम्नलिखित गतिविधियों की पेशकश की है:

1. रेल यात्रा में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय रुचि के खानपान की ई-केटरिंग

2. 'डी' और 'ई' श्रेणी के रेलवे स्टेशनों पर वाटर वेंडिंग मशीनें लगाना.

✦ स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय रुचि के खानपान की ई-केटरिंग

नाबार्ड ने आईआरसीटीसी के सहयोग से महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग ज़िले में रेल यात्रा के दौरान स्थानीय रुचि के खानपान की ई-केटरिंग सेवा शुरू की है. इस प्रायोगिक परियोजना के लिए नाबार्ड के महाराष्ट्र क्षेत्रीय कार्यालय ने एलईडीपी के अंतर्गत ह्यूमन वेलफ़ेयर एंड रिसर्च फ़ाउंडेशन को ₹6.23 लाख की अनुदान सहायता मंज़ूर की है. माननीय रेल मंत्री ने 03 दिसंबर 2016 को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग ज़िले में सावंतवाड़ी रेलवे स्टेशन पर ई-केटरिंग सेवा परियोजना की शुरुआत की.

✦ स्वयं सहायता समूहों द्वारा वाटर वेंडिंग मशीनें लगाना

आईआरसीटीसी ने ग्रामीण/ उप नगरीय रेलवे स्टेशनों (डी और ई श्रेणी) पर चयनित स्वयं सहायता समूहों को वाटर वेंडिंग मशीन (डब्ल्यूवीएम) लगाने के लिए जगह उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव किया है. मशीन लगाने के लिए बैंक-योग्य मॉडल योजना तैयार कर परिचालित की गई है और स्थानीय आईआरसीटीसी के साथ सलाह कर 'डी' और 'ई' श्रेणियों के अंतर्गत उपयुक्त स्टेशनों की पहचान करने के लिए कहा गया है जहां उपभोक्ताओं में डब्ल्यूवीएम की मांग हो ताकि इच्छुक ग़ैर-सरकारी संगठन/ स्वयं सहायता समूह बैंक से ऋण सहायता लेकर परियोजना कार्यान्वित कर सकें. डब्ल्यूवीएम की स्थापना के लिए कुछ स्टेशनों की पहचान की गई है और इसे शुरू करने के लिए आईआरसीटीसी के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है.

4.8.13 भारत रूरल लाइवलीहुड फ़ाउंडेशन (बीआरएलएफ़) के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर

सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत और भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित भारत रूरल लाइवलीहुड फ़ाउंडेशन (बीआरएलएफ़) का मिशन है विशेष रूप से मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्र में महिलाओं पर विशेष बल देते हुए ग्रामीण परिवारों की आजीविकाओं और जीवन में बदलाव लाने के लिए सरकार के साथ मिलकर नागरिक समाज के कार्यों में सहयोग देना और उन्हें बड़े पैमाने पर करना. सहमति ज्ञापन में देश के सबसे ज्यादा ज़रूरतमंद इलाकों में आजीविका विकास को गति प्रदान करने के लिए परियोजनागत कार्यक्रमों में ताल-मेल स्थापित करने हेतु ग़ैर-सरकारी संगठनों और साझेदार संगठनों को शामिल करने के मामलों में नाबार्ड और बीआरएलएफ के बीच परस्पर सहयोग की अवधारणा की गई है.

4.8.14 एसबीएलपी रणनीतिक सलाहकार बोर्ड की दूसरी बैठक

नाबार्ड में 2015 में रणनीतिक सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया ताकि समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम (एसबीएलपी) के लिए रणनीतिक कार्रवाई, गुणवत्ता मानकों के विकास, वित्तीय साक्षरता, स्वयं सहायता समूहों के डिजिटाइज़ेशन, आजीविका संवर्धन आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाए. रणनीतिक सलाहकार बोर्ड की दूसरी बैठक 29 सितंबर 2016 को हुई. बोर्ड ने बदलती हुई वित्तीय पारिस्थितिकी में लोगों तक पहुंच, सेवा प्रदान करने में दक्षता, लागत में किफायत, सुविधाओं तक पहुंचने में सक्षमता और उनके वहन सीमा में होने की दृष्टि से एसबीएलपी की महत्ता को उजागर किया. सलाहकार बोर्ड ने ऋण की आपूर्ति में कमी, स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रवाह के निम्न स्तर, अनर्जक आस्तियों की समस्या से निपटने, वैकल्पिक मॉडलों के माध्यम से बैंकों की पहुंच बढ़ाने, प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने आदि मुद्दों के समाधान के लिए कार्य बिन्दुओं की अनुशंसा की.

4.9 बृहत्तर वित्तीय समावेशन की ओर

राष्ट्रीय समावेशी विकास के लिए वित्तीय समावेशन महत्वपूर्ण कारकों में से एक है और भारत जैसे देश में इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है. शायद ही कोई ऐसा उदाहरण मिलेगा जहां आम जनता के वित्तीय समावेशन के बिना कोई अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से औद्योगीकीकरण के बाद के आधुनिक समाज में रूपांतरित हुई हो. गरीब, निरक्षर और दूर-दराज के इलाक़ों में रहने वाले लोग देश के कमजोर वर्ग में आते हैं और वित्तीय साक्षरता, उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच में असमानता से उनकी यह कमज़ोरी बहुत अधिक बढ़ जाती है. वे एक समान सामाजिक और आर्थिक समूहों से संबंध रखते हैं और शहरी और ग्रामीण भौगोलिक क्लस्टरों में निवास करते हैं. औपचारिक वित्तीय संस्थाएं ऐसे हाशिए पर रह रहे समूहों को सेवाएं देने से दो प्रमुख कारणों से कतराती हैं - एक तो छोटे-छोटे ऋण और दूसरे ऊंची लेनदेन लागत. ऐसे समूहों को सेवा प्रदान करने के लिए पक्के भवनों में काम करने वाली शाखाएं खोलना बैंकों के लिए, यहां तक कि ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए भी वाणिज्यिक तौर पर व्यवहार्य नहीं था जबकि इन्हें ऐसे समूहों की सेवा करने के अधिदेश हैं.

नाबार्ड ने एसबीएलपी, संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम (एफएलएपी), ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेग्रा बैंकों में कोर बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस), वेरी स्माल एपर्चर टर्मिनल (वीसैट) आदि के माध्यम से बैंकिंग केंद्रों की कनेक्टिविटी आदि के द्वारा मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों की बाधाओं का समाधान कर औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से वंचित आबादी को उसके भीतर लाने के लिए काम कर रहा है.

4.9.1 वित्तीय समावेशन निधि

डॉ सी.रंगराजन की अध्यक्षता में गठित वित्तीय समावेशन समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर वर्ष 2007-08 के केंद्रीय बजट में वित्तीय समावेशन निधि (एफ़आईएफ़) और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफ़आईटीएफ़) नामक दो निधियों के गठन की घोषणा की गई. इनकी स्थापना नाबार्ड में प्रत्येक निधि के लिए ₹500 करोड़ से की गई. इनमें भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार और नाबार्ड ने 40:40:20 के अनुपात में अंशदान किया.

कुछ वर्षों की आरंभिक निधि व्यवस्था के बाद इन निधियों में अंशदान की प्रकृति में परिवर्तन किया गया और इसमें बैंकों द्वारा ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) और अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण (एसटीसीआरसी) की जमाराशियों पर नाबार्ड को उपलब्ध 0.5 प्रतिशत से अधिक की राशि का अंशदान इन निधियों में किया जाने लगा. जुलाई 2015 में इन दोनों निधियों का विलय कर एक निधि - वित्तीय समावेशन निधि (एफ़आईएफ़) गठित की गई और भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसके परिचालनात्मक दिशानिर्देशों में संशोधन किया. 31 मार्च 2017 को इस निधि में कुल शेष ₹2,186.49 करोड़ था. एफ़आईएफ़ के अंतर्गत मंज़ूरी और संवितरण का विवरण तालिका 4.4 में दिया गया है.

तालिका 4.4

एफ़आईएफ़ के अंतर्गत मंज़ूरी और संवितरण

(31 मार्च की स्थिति)

(राशि ₹ करोड़ में)

निधि का नाम	2014-15		2015-16*		2016-17*	
	मंज़ूरी	संवितरण	मंज़ूरी	संवितरण	मंज़ूरी	संवितरण
एफ़आईएफ़	203.57	100.67	464.31	157.23	1,131.46	628.33
एफ़आईटीएफ़	101.32	30.83	-	-	-	-
शुद्ध जोड़	304.89	131.50	464.31	157.23	1,131.46	628.33
लौटाए गए संवितरण (एफ़आईएफ़ + एफ़आईटीएफ़)	-	10.76	-	8.63	-	1.31
सकल योग	304.89	142.26	464.31	165.86	1,131.46	629.64

* एफ़आईएफ़ और एफ़आईटीएफ़ का विलय करके एक निधि गठित की गई.

वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत तक एफ़आईएफ़ के अंतर्गत संचयी मंज़ूरियां ₹2,687.23 करोड़ (₹124.68 करोड़ की वापस ली गई मंज़ूरी को छोड़कर) थी जिसमें से ₹1,301.19 करोड़ (इसमें से ₹27.23 करोड़ लौटाए गए हैं) का संवितरण किया गया.

4.9.2 वर्ष के दौरान एफ़आईएफ़ के अंतर्गत प्रमुख नीतिगत पहलें

(क) वित्तीय समावेशन के माध्यम से शिक्षित करना

नाबार्ड ने वित्तीय सेवाओं की मांग बढ़ाने में वित्तीय समावेशन के महत्व को समझते हुए विभिन्न पहलें की हैं.

- **स्कूलों में वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम (एफ़एलएपी)**
  बच्चे जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि उनका मन जिज्ञासु होता है और उन्हें वांछित दिशा दी जा सकती है. कम उम्र में वित्तीय साक्षरता के कारण उन्हें वित्तीय कार्य व्यवहार की आदत पड़ जाती है जो उनके वयस्क होने तक बनी रहती है. इस संदर्भ में नाबार्ड ग्रामीण इलाकों में आठवीं कक्षा के छात्रों के लिए वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रमों (एफ़एलएपी) के आयोजन हेतु बैंकों और ग़ैर सरकारी संगठनों की सहायता करता है. प्रत्येक एफएलएपी में दो दिवसीय कार्यक्रम में लगभग 100 छात्रों को चरणबद्ध तरीके से शिक्षित किया जाता है.

- **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरसेटी) को सहायता**
  ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार की पहल के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के लिए प्रत्येक ज़िले में आरसेटी की स्थापना की जानी थी ताकि उनमें उद्यमिता का विकास हो सके.

  कौशल विकास से युवा आय अर्जक गतिविधियां शुरू कर सकते हैं. तदनुसार, एफ़आईएफ़ के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को आरसेटी सहित व्यापार और कौशल विकास केंद्र चलाने के लिए वह सहायता उपलब्ध है जो राज्य सरकारें उपलब्ध नहीं करातीं. निधि के अंतर्गत प्रत्येक आरसेटी को प्रशिक्षण उपकरणों की खरीद और उनके रखरखाव के लिए ₹3 लाख तक की एक बार की सहायता उपलब्ध है. तथापि, रखरखाव पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति खरीदे गए उपकरण की लागत के 10 प्रतिशत तक सीमित रहेगी.

(ख) बैंकिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से जोड़ना

वित्तीय सेवाओं तक पहुंच से वित्तीय समावेशन का दायरा बढ़ता है. किंतु ग्लोबल फिंडेक्स 2014 के अनुसार लगभग 200 करोड़ लोगों की पहुंच आधारभूत वित्तीय सेवाओं तक नहीं थी. डिजिटल जगत में आसान, त्वरित और सस्ते वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराना एक चुनौती है. अब यह बैंकों और डाक सेवाओं के नेटवर्क मात्र से संभव नहीं. पारंपरिक बैंकिंग में अधिक-से-अधिक नई प्रौद्योगिकियां लाने में मोबाइल ऑपरेटर और फिनटेक कंपनियां जैसी नई कंपनियां उतर रही हैं.

- **वामपंथी अतिवाद प्रभावित (एलडब्ल्यूई) ज़िलों में वी-सैट कनेक्टिविटी**
  वामपंथी अतिवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित ज़िलों में इलाके के लोगों के सशक्तीकरण के लिए बैंकिंग तंत्र का विस्तार महत्वपूर्ण है. किंतु इन ज़िलों में कनेक्टिविटी का अभाव/ अनियमित कनेक्टिविटी बैंकों के लिए नई शाखाएं खोलने की राह में सबसे बड़ी बाधा है. चयनित वामपंथी अतिवाद प्रभावित ज़िलों में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सभी बैंकों को नई शाखाएं खोलने के लिए वी-सैट कनेक्टिविटी हेतु एफ़आईएफ़ से सहायता दी जाती है. यह सहायता एक ज़िले में 7 शाखाओं तक सीमित होगी.

- **पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) पैकेज**
  कनेक्टिविटी और बिजली की समस्या बैंकिंग सेवाओं को, ख़ासकर दूर-दराज के इलाक़ों में बुरी तरह प्रभावित कर सकती है. इस संबंध में, पूर्वोत्तर (सिक्किम सहित) और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में जिन सहकारी बैंकों को उप-सेवा क्षेत्र (एसएसए) आबंटित किए गए हैं, वे सभी एफ़आईएफ़ से सौर ऊर्जा संचालित वी-सैट के लिए सहायता के पात्र होंगे. यह योजना सिर्फ़ सहकारी बैंकों द्वारा प्रबंधित एक स्थान पर स्थित बैंकिंग केंद्र के लिए उपलब्ध होगी.

  बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट्स (बीसीए) दूर-दराज के इलाकों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने में बैंकों की सहायता कर सकते हैं किंतु उनसे मुफ़्त में इन सेवाओं की अपेक्षा नहीं की जा सकती. पूर्वोत्तर क्षेत्रों में लेनदेन की संख्या कम होने की वजह से बीसीए की व्यवहार्यता एक बड़ा मुद्दा है. इस समस्या से निपटने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में मासिक कमीशन के एक हिस्से की प्रतिपूर्ति प्रति माह अधिकतम ₹3,000 की उच्चतम सीमा के अधीन बीसीए को इस निधि से की जाती है.

- **हाल में लाइसेंसीकृत जिमस बैंकों में सीबीएस के कार्यान्वयन के लिए सहायता**
  सीबीएस आधुनिक बैंकिंग का आधार है जिसके बिना बैंक कहीं भी और कभी भी बैंकिंग सेवा नहीं दे सकते. जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हाल ही में लाइसेंसीकृत जिमस बैंकों को कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन एफ़आईएफ़ के अंतर्गत स्वामित्व वाले अथवा अप्लिकेशन सर्विस प्रोवाइडर (एएसपी) मॉडल के अंतर्गत सीबीएस के कार्यान्वयन के लिए सहायता हेतु पात्र बनाया गया है.

- **ईएमवी (यूरोपे, मास्टर कार्ड और वीसा) रुपे किसान कार्ड**
  रुपे किसान कार्ड कृषक समुदाय में नकदी-रहित लेनदेन को गति प्रदान करते हैं. तथापि, 30 सितम्बर 2016 के बाद मैग्नेटिक स्ट्रिप आधारित कार्ड को जारी करने पर रोक और ईएमवी चिप आधारित कार्ड की खरीद की उच्चतर लागत सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए बाधक बन गई. इसलिए, नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ईएमवी चिप आधारित रुपे किसान कार्ड की खरीद के लिए सहायता दी.

(ग) डिजिटल लेनदेन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन

- **एईपीएस (आधार समर्थित भुगतान प्रणाली) लेनदेन**
  आधार-आधारित बायोमेट्रिक लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार के लेनदेन के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया. अक्वायरिंग बैंकों के माध्यम से व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना तैयार की गई. यह सहायता, प्रति आधार-समर्थित प्वाइंट ऑफ़ सेल (पॉस) आधारित लेनदेन (₹2000 तक के लेनदेन के लिए) के मूल्य के 0.5 प्रतिशत, अधिकतम ₹10 तक सीमित थी. व्यापारी को यह प्रतिपूर्ति अक्वायरिंग बैंक के माध्यम से 31 मार्च 2017 तक उपलब्ध रही किंतु समीक्षा के बाद इसे और तीन महीने बढ़ाया जा सकता था.

- **लकी ग्राहक योजना/ डिजि-धन व्यापार योजना**
  व्यक्तिगत उपभोग व्ययों के लिए डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने हेतु एफ़आईएफ़ के माध्यम से उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए दो अलग-अलग योजनाएं क्रमशः लकी ग्राहक योजना और डिजि-धन व्यापार योजना को निधि सहायता दी गई. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने 8 नवंबर 2016 से इस प्रकार के लेनदेनों से जनरेट हुए डिजिटल लेनदेन आईडी में से इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ के ज़रिए नकद पुरस्कार (दैनिक, साप्ताहिक और मेगा पुरस्कार) तय किए.

  योजना में एईपीएस, यूनीफ़ाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (यूपीआई), अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेंटरी सर्विस डाटा (यूएसएसडी) और रुपे लेनदेन के लिए 25 दिसंबर 2016 को पहला ड्रॉ किया गया जो दैनिक और साप्ताहिक आधार पर जारी रहा और 14 अप्रैल 2017 को मेगा ड्रॉ किया गया. यह योजना ₹50 से ₹3000 तक के छोटे लेनदेनों को बढ़ावा देने के लिए थी.

बॉक्स 4.2
डिजिटल वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम (डीएफ़एलएपी)

नकदी-आधारित अर्थव्यवस्था से कम नकदी के उपयोग वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए न केवल डिजिटल भुगतान प्रणालियों को तैयार करना आवश्यक है बल्कि डिजिटल लेनदेन की मांग पैदा करना भी आवश्यक है. जैसे-जैसे डिजिटल प्रणाली का ग्राहक आधार बढ़ता है वैसे-वैसे लेनदेन में वृद्धि होती है. वित्तीय साक्षरता अभियानों के माध्यम से इस झिझक और अज्ञान को दूर करना संभव है. वर्ष के दौरान, नाबार्ड ने डिजिटल लेनदेन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एफएलएपी को नया स्वरूप दिया. डिजिटल लेनदेन के प्रसार के लिए जागरूकता फैलाने और विभिन्न बैंकिंग प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में डीएफ़एलएपी आयोजित किए गए.

देश भर में इन डीएफ़एलएपी में मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल एप्स, यूएसएसडी आधारित लेनदेन जैसे लेनदेन के अन्य तरीक़ों को समझाया गया/ प्रदर्शित किया गया.

बॉक्स 4.3
टियर 5 और 6 केन्द्रों में पॉस टर्मिनल

बैंकिंग और भुगतान सेवाओं तक पहुंच के लिए इलेक्ट्रॉनिक चैनलों का उपयोग बढ़ रहा है और देश में इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति के लिए तैयार है. इलेक्ट्रॉनिक/ वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों के वातावरण में कार्ड के माध्यम से भुगतान सर्वाधिक प्रचलित है. प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के माध्यम से वित्तीय समावेशन को जो गति मिली है उससे देश के दूर-दराज के इलाकों में रूपे कार्ड के उपयोग में अत्यधिक वृद्धि संभव हुई है.

तथापि, टियर 1 और टियर 2 केन्द्रों के अलावा 1.50 मिलियन पॉस टर्मिनलों में से किसी केंद्र पर प्रधान मंत्री जन धन योजना से जुड़े रूपे कार्डों का उपयोग नकदी के आहरण के लिए आम तौर पर शायद ही होता है. वर्तमान स्थिति को देखते हुए जब कि हम डिजिटल भुगतान की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, ग्रामीण भारत में ऐसे वातावरण का निर्माण आवश्यक है जिसमें लोग अपने कार्ड का उपयोग नकदी देने वाली मशीनों पर ही न करें बल्कि उसका उपयोग डिजिटल लेनदेन के लिए करें.

इसलिए, नाबार्ड ने एफ़आईएफ़ से टियर 5 और टियर 6 केन्द्रों में एक लाख गांवों में 2 लाख पॉस/ एमपॉस टर्मिनल लगाने के लिए सहायता दी है. इसके साथ ही, ग्रामीण भारत में व्यापार आधारित लेन-देन के भी गति पकड़ने की उम्मीद है.

4.10 कृषीतर क्षेत्र

कृषि पर ग्रामीण समुदाय की अत्यधिक निर्भरता को कम करने और आजीविका के वैकल्पिक अवसर प्रदान करने में कृषीतर क्षेत्र (ओएफ़एस) के संवर्धन की महत्वपूर्ण भूमिका है. यह ग्रामीण इलाकों में बेरोज़गारी/ रोज़गार में कमी के कारण ग्रामीण समुदाय का शहरी इलाकों में बड़े स्तर पर पलायन रोकने में भी मदद करता है.

पिछले तीन दशकों में नाबार्ड ने गैर-कृषि/ कृषीतर क्षेत्र के विकास के लिए कई पुनर्वित्त और संवर्धनात्मक योजनाएं तैयार की हैं और कार्यक्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन कार्यक्रमों को परिमार्जित करने/ विवेकसम्मत बनाने का निरंतर प्रयास करता रहा है.

2016-17 के दौरान प्रमुख पहलें/ उपलब्धियां नीचे दी जा रही हैं:

4.10.1 संवर्धनात्मक कार्यक्रम

(क) ग्रामीण नवाचार के अंतर्गत परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर चलाना

2016-17 के दौरान ₹32.26 लाख की वित्तीय प्रतिबद्धता से 6 परियोजनाएं (तमिलनाडु में 2, छत्तीसगढ़ में 2 और मणिपुर में 2) स्वीकृत की गई. 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, पूर्व ग्रामीण नवोन्मेष निधि और कृषीतर क्षेत्र संवर्धन निधि से ₹73.55 करोड़ की कुल प्रतिबद्धता के साथ स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या 693 हो गई.

(ख) कौशल विकासः ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम/ कौशल विकास कार्यक्रम

नाबार्ड ने ग्रामीण युवकों के लिए स्वरोजगार और मजूदरी पर काम करने के अन्य अवसर सृजित करने के लिए ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम (आरईडीपी) और कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी) के लिए सहायता प्रदान की. 2016-17 के दौरान 681 उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के आयोजन के लिए ₹1.95 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई. संचयी रूप से नाबार्ड ने 31 मार्च 2017 तक लगभग 8.02 लाख बेरोज़गार ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण के लिए 31,022 आरईडीपी/ एसडीपी के आयोजन हेतु ₹111.72 करोड़ की अनुदान सहायता दी.

(ग) विपणन पहलें: प्रदर्शनियां/ मेले

नाबार्ड ग्रामीण कारीगरों और उत्पादकों की सहायता करता है और उन्हें प्रदर्शनियों और मेलों के माध्यम से अपनी पारंपरिक कला, शिल्प और उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए स्थान उपलब्ध कराता है जिससे कारीगरों को अपनी आजीविका के स्रोत के रूप में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करने का अवसर मिलता है बल्कि उनकी आमदनी भी बढ़ती है. 2016-17 में नाबार्ड ने ₹367.62 लाख की वित्तीय सहायता से देश के विभिन्न भागों में 220 मेलों/ प्रदर्शनियों का आयोजन/ प्रायोजन किया.

ग्रामीण कारीगरों के उत्पादों की वार्षिक प्रदर्शनी-सह-बिक्री के लिए आयोजित किया जाने वाला 'महालक्ष्मी सरल मेला" इस तरह का प्रमुख कार्यक्रम है जिसके लिए नाबार्ड अनुदान सहायता देता है. यह मेला भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और नाबार्ड द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है. 2016-17 में नाबार्ड को 50 स्टॉल दिए गए जिनमें 28 राज्यों के 51 कारीगरों ने अपने शिल्प प्रदर्शित किए. सरस मेले के आयोजन के लिए ₹40 लाख की अनुदान सहायता स्वीकृत की गई.

नाबार्ड पिछले छः वर्षों से भारत सरकार के पर्यटन और कपड़ा मंत्रालय तथा हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले में ग्रामीण कारीगरों के लिए स्टॉल प्रायोजित कर मेले के आयोजन में सहयोग देता रहा है. 2016-17 के दौरान मेले में 50 स्टॉलों के प्रायोजन के लिए ₹64.60 लाख की अनुदान सहायता दी गई.

वर्ष के दौरान, हस्तशिल्प और हथकरघा की प्रदर्शनी-सह-बिक्री के लिए एक और अनूठे मेले 'तीसरा डेक्कन हाट 2016' का आयोजन हैदराबाद में किया गया. इसका आयोजन पांच प्रमुख वाणिज्य बैंकों, दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और तेलंगाणा स्टेट कॉऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड के साथ मिलकर किया गया. विभिन्न कारपोरेट स्टॉलों पर बैंकरों द्वारा आधार समर्थित भुगतान, पॉस लेनदेन, ऑनलाइन खाते खोलने आदि के प्रदर्शन ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा.

4.10.2 ऋण-सह-अनुदान परियोजनाएं

(क) ग्रामीण आवास

ग्रामीण विकास और ग्रामीण समृद्धि हासिल करने के नाबार्ड के अधिदेश के भाग के रूप में और साथ ही '2022 तक सभी को आवास' उपलब्ध कराने के भारत सरकार के मिशन के साथ अपनी नीतियों का सामंजस्य बिठाने की दृष्टि से देश में ग्रामीण आवास की पूरी न की जा सकी बड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से निदेशक मंडल ने एक व्यापक ग्रामीण आवास नीति का अनुमोदन किया. वर्ष के दौरान, नाबार्ड ने प्रत्यक्ष वित्तपोषण के अंतर्गत ग्रामीण आवास हेतु दो राज्यों कर्नाटक और केरल में तीन सहकारी संस्थाओं को ₹169.59 करोड़ ऋण और ₹1.05 करोड़ अनुदान सहायता के रूप में स्वीकृत किए. 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण आवास के अंतर्गत ₹180.10 करोड़ ऋण और ₹0.75 करोड़ अनुदान सहायता के रूप में संवितरित किए गए.

(ख) कृषीतर उत्पादक संगठन (ओएफ़पीओ) का गठन

हथकरघा, हस्तशिल्प जैसी कृषीतर गतिविधियों के क्षमता निर्माण, व्यवसाय आयोजना और बिक्री तंत्र उपलब्ध कराने सहित सामूहिक रूप से व्यावसायिक गतिविधियां चलाने के लिए ग्रामीण कारीगरों को मजबूत मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषीतर उत्पादक संगठन (ओएफ़पीओ) के गठन का निर्णय लिया गया. आरंभ में यह योजना प्रायोगिक तौर पर चयनित राज्यों में, पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए, उन क्लस्टरों में चलाई जानी है जिन्हें पूर्व में नाबार्ड द्वारा चलाए गए क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत संवर्धित किया गया है. 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल क्षेत्रीय कार्यालयों ने ₹53.43 लाख की अनुदान सहायता से तीन ओएफ़पीओ स्वीकृत किए.

(ग) ग्रामीण हाट, ग्रामीण मार्ट, प्रदर्शनी संबंधी नीति में संशोधन

वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण हाट, ग्रामीण मार्ट, प्रदर्शनी संबंधी वर्तमान विपणन सहायता योजनाओं की समीक्षा की गई और कुछ संशोधनों के साथ इन पहलों के लिए वित्तीय सहायता जारी रखने का निर्णय लिया गया.

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, 10 क्षेत्रीय कार्यालयों ने ₹191.57 लाख की अनुदान सहायता के साथ 19 ग्रामीण हाटों को मंज़ूरी प्रदान की थी, नामत: आंध्र प्रदेश (3) और असम (3), कर्नाटक, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड और तेलंगाणा में दो-दो और बिहार, केरल और छत्तीसगढ़ में एक-एक.

16 क्षेत्रीय कार्यालयों ने कुल 76 ग्रामीण मार्टों के लिए ₹209.01 लाख की अनुदान सहायता मंज़ूर की थी, नामत: पंजाब (16), तमिलनाडु (11), केरल (10), राजस्थान (5), आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, ओडिशा में चार-चार, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तीन-तीन, तेलंगाणा और पश्चिम बंगाल में दो-दो और बिहार तथा हिमाचल प्रदेश में एक-एक.

(घ) अन्य परियोजनाएं

कर्नाटक क्षेत्रीय कार्यालय ने 'इकोनट कोकोनट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड' को नारियल उत्पादों की बिक्री के लिए ₹22.50 लाख का ऋण स्वीकृत किया. नागालैंड क्षेत्रीय कार्यालय ने 'उद्यमिता-पूर्व प्रशिक्षण-सह-उत्पादन कार्यक्रम' के लिए ₹2.40 लाख की अनुदान सहायता स्वीकृत की.

4.10.3 भारत सरकार के बल क्षेत्र

(क) ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस)

भारत सरकार ने अक्तूबर 2000 में छोटे और लघु उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) शुरू की थी. इस योजना का उद्देश्य विशिष्ट उत्पादों/ उप क्षेत्रों में योजना के अंतर्गत अनुमोदित, सुस्थापित और बेहतर प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर एमएसई इकाइयों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करना है जिसके लिए भारत सरकार पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है. सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और वाणिज्य बैंकों में सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नाबार्ड को नामनिर्दिष्ट किया गया. 2016-17 के दौरान 15 इकाइयों को ₹0.94 करोड़ की सब्सिडी दी गई जिसके साथ संचयी रूप से इकाइयों की संख्या 1,303 और सब्सिडी की राशि ₹67.50 करोड़ हो गई.

(ख) प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय)

भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने 8 अप्रैल 2015 को विनिर्माण, व्यापार और सेवा गतिविधियों में लगे सूक्ष्म/ छोटे व्यापारिक निकायों को ऋण देने के व्यवसाय में लगी अंतिम छोर की वित्तीय मध्यस्थों जैसे बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं आदि के विकास और उनको पुनर्वित्त उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) शुरू की. नाबार्ड पीएमएमवाई के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उपलब्धि का अनुप्रवर्तन करता रहा है. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पोर्टल पर ज़िला-वार जानकारी अपलोड करने का अनुरोध किया गया है.

भारत सरकार ने 30 अप्रैल 2016 को 2016-17 के लिए पीएमएमवाई के अंतर्गत समग्रत: ₹14,860 करोड़ का लक्ष्य आबंटित किया था. 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, पीएमएमवाई के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की श्रेणी-वार उपलब्धि तालिका 4.5 में दी गई है.

तालिका 4.5
वर्ष 2016-17 के दौरान पीएमएमवाई के अंतर्गत क्षेग्रा बैंकों की उपलब्धि

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	वित्तीय लक्ष्य (2016-17)	उपलब्धि (31.3.2017 की स्थिति)		
			खातों की संख्या	राशि	उपलब्धि का %
1	शिशु (₹50,000 तक के ऋण)	लागू नहीं	9,26,498	2,762.59	--
2	किशोर (₹50,000 से अधिक और ₹5 लाख तक)	लागू नहीं	4,99,471	6,987.20	--
3	तरुण (₹5 लाख से अधिक और ₹10 लाख तक)	लागू नहीं	20,364	1,489.21	--
	कुल	14,860	14,46,333	11,239.00	75.62

(ग) स्टैंड-अप इंडिया योजना

माननीय प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त 2015 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने अभिभाषण में भारत सरकार की पहल - 'स्टैंड-अप इंडिया' की घोषणा की. इस योजना में ग्रीनफ़ील्ड उद्यम की स्थापना के लिए प्रति बैंक शाखा कम-से-कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता और कम-से-कम एक महिला उधारकर्ता को ₹10 लाख से लेकर ₹1 करोड़ तक का बैंक ऋण प्रदान करने की परिकल्पना की गयी. यह उद्यम गैर कृषि क्षेत्र, विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र का होना अनिवार्य है. योजना में सभी वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल किया गया है. ज़िला विकास प्रबंधक कार्यालयों सहित नाबार्ड के कार्यालयों और सिडबी के कार्यालयों को स्टैंड-अप कनेक्ट सेंटरों (एसयूसी) के रूप में नामित किया गया है.

वर्ष 2016-17 के दौरान नाबार्ड ने बर्ड, लखनऊ में अपने अधिकारियों के लिए दो 'प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम' आयोजित किए. नाबार्ड द्वारा पंजाब नेशनल बैंक प्रशिक्षण केन्द्र, गुरुग्राम, हरियाणा और एसबीआई कॉन्टैक्ट सेंटर, वडोदरा, गुजरात में बर्ड, लखनऊ के माध्यम से हेल्प लाइन/ कॉन्टैक्ट सेंटरों के अधिकारियों के लिए दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए. नाबार्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों ने स्टैंड-अप इंडिया योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया.

4.11 अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन

अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) निधि से विभिन्न एजेंसियों, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं को अनुप्रयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं और अध्ययनों, ग्रामीण बैंकिंग के क्षेत्र में सेमिनारों/ सम्मेलनों/ कार्यशालाओं के आयोजन, प्रशिक्षण, तकनीकी-आर्थिक और अन्य सर्वेक्षणों; कृषि और ग्रामीण विकास; विश्वविद्यालयों और प्रतिष्ठित संस्थाओं में नाबार्ड चेयर इकाइयों की स्थापना और विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता दी जाती है. इस निधि में ₹50 करोड़ की राशि रखी गई है और वर्ष के दौरान हुए खर्च की राशि की प्रतिपूर्ति नाबार्ड के लाभ से कर दी जाती है.

4.11.1 अनुसंधान परियोजनाएं और अध्ययन (आंतरिक और सहयोगात्मक)

✦ परियोजनाएं

वर्ष 2016-17 के दौरान इंडियन काउंसिल फ़ॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (आईसीआरआईईआर), सेंटर फ़ॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (सीआरआरआईडी) आदि जैसी विभिन्न संस्थाओं को 9 परियोजनाओं के लिए ₹158 लाख के व्यय को मंजूरी प्रदान की गई. 2016-17 में विभिन्न परियोजनाओं/ अध्ययनों (सहयोगात्मक अध्ययनों सहित) के लिए ₹186 लाख की अनुदान सहायता जारी की गई. साथ ही, वर्ष के दौरान पूर्व में मंजूर की गई 11 परियोजनाओं / अध्ययनों को पूरा किया गया.

केरल कृषि विश्वविद्यालय ने भाड़े पर कृषि और संयुक्त देयता समूह गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ केरल के कृषि क्षेत्र में महिला किसानों की सहभागिता के मूल्यांकन का क्षेत्र अध्ययन' पर अध्ययन किया. अध्ययन में विनिर्दिष्ट समूहों (उचित परिभाषा के साथ स्थानीय स्वयं सहायता समूह/ कृषक उत्पादक कंपनियां) को ज़मीन के 'सुरक्षित पट्टाकरण' अनुमति के लिए कानूनी उपायों की शुरुआत और निहित स्वार्थ वाले समूहों के प्रवेश को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक नियम व शर्तें; आंध्र प्रदेश एक्ट ऑफ़ लाइसेंस्ड कल्टिवेटर्स, 2011 की तरह बैंकों से ऋण सुविधा की शुरूआत आदि का सुझाव दिया है.

कृषक क्लब कार्यक्रम पर नीतिगत दिशानिर्देश पुनः निर्धारित करने के लिए मद्रास इंस्टिट्यूट ऑफ़ डेवलपमेंट स्टडीज, चेन्नै ने कृषक क्लब कार्यक्रम (एफसीपी) का अध्ययन किया. अध्ययन में निष्क्रिय कृषक क्लबों को सक्रिय बनाने के लिए वाइब्रेंट/ पैसिव प्लस/ पैसिव माइनस/ इनऑपरेटिव की श्रेणियां बनाने की आवश्यकता और इसके लिए रणनीति तैयार करने पर ज़ोर दिया गया.

नवसारी कृषि विश्वविद्यालय ने "किसानों की आय में फसलोपरांत हानि का प्रभाव मूल्यांकन: दक्षिण गुजरात में फलों और सब्जियों की हानि में कमी के लिए नीति तैयार करने हेतु अध्ययन' पर एक अध्ययन किया. इस अध्ययन के अनुसार बागबानी उत्पाद में 25 से 30 प्रतिशत फसलोपरांत हानि होती है. अध्ययन में रोगों से निपटान और कीट प्रबंधन शुरु करने और फलों तथा सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए आधारभूत सुविधाएं, फ़सल-पूर्व और फ़सलोपरांत प्रबंधन प्रथाओं के मानकीकरण आदि का सुझाव दिया गया है.

✦ सहयोगात्मक अध्ययन

2016-17 के दौरान इकॉनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली रिसर्च फ़ाउंडेशन (ईपीडब्ल्यूआरएफ), मुंबई को 'अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षणों के माध्यम से ग्रामीण ऋण ग्रस्तता और आस्तियों के अनुमानों का समीक्षात्मक मूल्यांकन' पर एक अध्ययन करने के लिए मंजूरी दी गई. साथ ही तीन अध्ययन रिपोर्ट अंतिम चरणों में हैं - नॉलेज फ्यूचर्स ट्रस्ट, तिरुवनंतपुरम द्वारा 'केरल के बदलते सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में संयुक्त देयता समूहों का प्रभाव आकलन अध्ययन'; स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा 'राजस्थान में आर्थिक पर्यटन की संभावना' और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर द्वारा 'बागवानी मूल्य शृंखला में किसानों की सहभागिता के माध्यम से आय में वृद्धि'.

✦ आंतरिक अध्ययन

(i) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग के सुझाव पर ब्याज सहायता योजना (आईएसएस) पर अखिल भारतीय व्यापक अध्ययन किया गया जिसमें 15 राज्यों के 28 ज़िलों की 280 बैंक शाखाओं को शामिल किया गया. अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य ब्याज सहायता योजना, किसानों द्वारा अल्पावधि ऋण के उपयोग और आधार स्तरीय ऋण के गठन और प्रवाह में आई विरूपताओं, यदि कोई हो, की समग्र तस्वीर सामने लाना था. वित्तीय सेवाएं विभाग को प्रस्तुत रिपोर्ट में यह निष्कर्ष सामने आया कि अल्पावधि कृषि ऋण प्रवाह पर ब्याज सहायता योजना का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है. साथ ही, इस योजना ने कृषि मशीनरी, बीज, उर्वरक आदि जैसी प्रमुख निविष्टियों की पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता के उपयोग के माध्यम से कृषि अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डाला है. फील्ड स्तर पर निष्कर्षों से इस बात की पुष्टि हुई कि निधियों की लागत में कमी आई है, फ़सल सघनता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, उच्च मूल्य वाली फ़सलें लेने की दिशा में फसल पद्धति अग्रसर हुई है.

(ii) केरल में श्रमिक सेना/ श्रमिक बैंक पर त्वरित अध्ययन : अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की कमी और पारिश्रमिक की कम दर के फलस्वरूप केरल के विभिन्न हिस्सों में श्रमिकों के समूहन की अवधारणा सामने आई है जिससे किसानों और मजदूरों दोनों को फ़ायदा हो रहा है. इस परिप्रेक्ष्य में इस अवधारणा, इससे जुड़ी संस्थाओं, उनकी भूमिका और दूसरी जगह पर भी लागू करने की संभावना को समझने के उद्देश्य से केरल में एक त्वरित अध्ययन किया गया. इस तरह के समूहन से किसानों को फायदा हुआ है. श्रमिकों की निश्चित उपलब्धता और अच्छे कार्य के कारण कृषि गतिविधियां फिर से शुरु हो गई हैं और इस तरह धान की खेती में कमी आने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वह थम गया है. साथ ही समय पर और सर्वाधिक उपयुक्त खेती की पद्धतियों के कारण कृषि पद्धतियों में व्यवसायगत कुशलता आई है और उत्पादकता बढ़ गई है. एक बार स्थापित हो जाने पर श्रमिक बैंक विशेष रूप से कृषि मशीनीकरण में निवेश बढ़ाने के लिए उपयुक्त तंत्र सिद्ध हो सकते हैं.

(iii) संयुक्त देयता समूहों पर फील्ड स्तरीय त्वरित अध्ययन : आधार स्तर पर संयुक्त देयता समूहों की स्थिति; उपयुक्त ढंग से काम करने में उनके लिए सहायक प्रभावी तत्वों; संस्थागत ऋण प्राप्त करने में उनके सामने आ रही समस्याओं और उनके गठन के कारण आए परिवर्तनों को समझने के उद्देश्य से 6 राज्यों - उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार में 240 संयुक्त देयता समूहों को शामिल करते हुए एक त्वरित अध्ययन किया गया. सदस्यों ने महसूस किया कि समूह में शामिल होने से निजी साहूकारों पर उनकी निर्भरता में कमी आई है, प्रत्यक्ष रूप से फ़सल क्षेत्र और सिंचाई क्षेत्र और वाणिज्यिक फ़सलों की खेती में वृद्धि हुई है और इस तरह उनकी निवल आमदनी बढ़ी है. संयुक्त देयता समूहों की सदस्यता से अनुषंगी गतिविधियों में निवेश में वृद्धि के साथ-साथ कृषीतर गतिविधियों और उत्पादों के समूह आधारित प्रत्यक्ष विक्रय से वे अपनी आमदनी बढ़ाने में समर्थ हुए हैं.

(iv) किसान क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन का अध्ययन: यह अध्ययन 6 राज्यों - असम (पूर्वोत्तर क्षेत्र), बिहार (पूर्व क्षेत्र), उत्तर प्रदेश (मध्य क्षेत्र), पंजाब (उत्तर क्षेत्र), महाराष्ट्र (पश्चिम क्षेत्र) और कर्नाटक (दक्षिण क्षेत्र) में 980 किसानों को शामिल किया गया. समग्र रूप से यह स्पष्ट हुआ कि केसीसी योजना के कार्यान्वयन से किसानों को निश्चित रूप से लाभ हुआ है, हालांकि लाभ की मात्रा भू-संसाधनों की उपलब्धता और गुणवत्ता तथा विभिन्न संसाधनों के प्रबंधन की क्षमता के अनुसार अलग-अलग किसानों के लिए अलग-अलग है. अध्ययन में सिफ़ारिश की गई है कि केसीसी को बड़े पैमाने पर लागू किया जाना चाहिए और ब्याज सहायता के साथ-साथ समय पर चुकौती के लिए दी जाने वाली छूट जारी रखनी चाहिए ताकि किसानों के लिए कृषि लाभप्रद बनी रह सके.

4.11.2 सेमिनार/ सम्मेलन/ कार्यशालाएं

नाबार्ड ने 2016-17 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और अन्य एजेंसियों को कृषि और ग्रामीण विकास पर 205 सेमिनारों, सम्मेलनों, परिसंवादों और कार्यशालाओं के आयोजन के लिए ₹260.61 लाख की अनुदान सहायता स्वीकृत की है. एजेंसियों ने जलवायु परिवर्तन, किसानों की आमदनी को दुगना करने, मानव और पशु स्वास्थ्य, सतत विकास लक्ष्यों के लिए रणनीति, कृषि में प्रौद्योगिकी और नवाचार आदि पर सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया. सेमिनारों/ सम्मेलनों/ कार्यशालाओं को प्रायोजित करने और उनके पृष्ठभूमि पत्रों, कार्यवाहियों के प्रकाशन के लिए अनुदान दिया गया. इस तरह संस्तुतियों/ कार्रवाई बिन्दुओं के व्यापकतर प्रसार और उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप में सहायता की गई.

4.11.3 नाबार्ड चेयर प्रोफ़ेसर योजना

2016-17 के दौरान तीन नाबार्ड चेयर इकाइयां स्थापित की गई - एक राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में; एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेस, मुंबई में और एक गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर में. इन संस्थानों में चेयर प्रोफ़ेसर क्रमश: "प्रतिनिधिक कृषि-पारिस्थितिकी में छोटे भू-धारकों में सामूहिक सक्रियता", "भारत में ग्रामीण वित्त के समष्टि अर्थव्यवस्थागत और नीतिगत पहलू: नाबार्ड के स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम के विशेष संदर्भ में भारत में सूक्ष्म वित्त उद्योग" और "उन्नत प्रौद्योगिकियों और फसल बीमा में उनका उपयोग करते हुए बदलती जलवायु में जैव और अजैव दबावों के कारण फील्ड स्तर पर उत्पादकता में परिवर्तन" पर कार्य कर रहे हैं. 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, नाबार्ड चेयर इकाइयों की कुल संख्या आठ थी.

4.11.4 नाबार्ड की विद्यार्थी इंटर्नशिप योजना

नाबार्ड प्रतिष्ठित संस्थानों में कृषि, कृषि-व्यापार, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान या प्रबंधन में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त कर रहे मेधावी छात्रों को इस अपेक्षा के साथ ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप के लिए लेता है कि वे नाबार्ड से संबंधित विषयों को नए दृष्टिकोण प्रदान करेंगे. 2016-17 के दौरान, योजना के अंतर्गत 52 छात्रों ने इंटर्नशिप पूरी की और 'हथकरघा बुनकरों को ऋण सहायता - समस्याएं और संभावनाएं', 'ग्रामीण आवास संबंधी मुद्दे' और 'वित्तीय समावेशन-समस्याएं और बाधाएं' सहित मोटे तौर पर 15 विषयों पर रिपोर्ट प्रस्तुत कीं.

4.11.5 प्रकाशन

2016-17 के दौरान, अनुसंधान और विकास निधि के अंतर्गत निम्नलिखित का प्रकाशन किया गया:

- नाबार्ड ज्ञान शृंखला (सं.3) : "कृषक उत्पादक संगठनों का वित्तपोषण".
- सामायिक पत्र (सं.3): "किसान क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन का अध्ययन".
- रुरल पल्स : निम्नलिखित विषयों पर छः अंकों का प्रकाशन किया गया:
  - "किसानों की आय को दोगुना करना : भविष्य की राह"
  - "सूखा और भारतीय कृषि"
  - "2003 और 2013 के एनएसएसओ के स्थिति आकलन सर्वेक्षणों में किसान की संकल्पना : तुलनीयता न होने से संबंधित मुद्दे और निहितार्थ"
  - "खाद्य पदार्थगत मुद्रास्फीति - रुझान और नीतिगत मुद्दे"
  - "पिछड़े जिलों के संकेतक - विश्लेषण"
  - "पूर्वोत्तर भारत में डेयरी के लिए क्षेत्र विकास योजनाएं : किसानों की आय को दोगुना करने के लिए दोहराने योग्य मॉडल"

4.11.6 प्रायोजित अनुसंधान

2014-15 और 2015-16 के दौरान चार विषयों नामत: (i) कृषि मूल्य शृंखला, (ii) ग्रामीण आधारभूत संरचना और ग्रामीण-शहरी इंटरफ़ेस, (iii) ग्रामीण सेवा क्षेत्र और (iv) वर्षा सिंचित कृषि के लिए संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत 19 स्वीकृत अध्ययनों में से 18 पूरे किए गए. इनमें से कुछ के निष्कर्ष बाक्स 4.4 में प्रस्तुत किए गए हैं. 2016-17 के दौरान किसानों की आमदनी को दोगुना करने के विषय पर प्रायोजित अनुसंधान आरंभ किया गया.

बॉक्स 4.4
प्रायोजित अनुसंधान - निष्कर्ष

(i) कृषि मूल्य शृंखला

प्रसंस्करणकर्ता और किसान पूरी तरह से अलग-अलग काम करते हैं और आढ़तियों से अपने सम्बन्धों की वजह से ऋण, सुविधा और गेहूं की मूल्य शृंखला में अन्यत्र कम मूल्य मिलने की आशंका के कारण अधिकतर किसान कृषि उत्पाद विपणन केंद्र (एपीएमसी) को वरीयता देते हैं.

- पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूखी मछली मूल्य शृंखला के मामले में :
  - मूल्य शृंखला से छोटे स्तर के प्रसंस्करणकर्ताओं को भी समान रूप से लाभ मिला.
  - भंडारण, पार्किंग, मार्केट शेड, प्लैटफ़ार्म, वित्तीय संस्थाओं आदि में आधारभूत संरचना अपर्याप्त थी और वित्तपोषण की व्यवस्था खराब पाई गई.
  - मूल्य शृंखला के विभिन्न स्तरों पर निवल मार्जिन में अंतर (कुल राजस्व के 6 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक) देखा गया.
- कृषि में टमाटर मूल्य शृंखला के मामले में
  - टमाटर की छंटाई और बरबादी की लागत सुपरमार्केट (25 प्रतिशत) की तुलना में एपीएमसी में अधिक (40 प्रतिशत) देखी गई.
  - उपभोक्ता के रुपये में उत्पादकों के हिस्से के मामले में पारंपरिक एपीएमसी (42 प्रतिशत) की तुलना में सुपर मार्केट चैनेल की हिस्सेदारी अधिक (60 प्रतिशत) है, हालांकि एपीएमसी चैनेल का वर्चस्व है.
- पशु चारा मूल्य शृंखला
  - पशुओं की पोषण आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिश्रित चारे के उत्पादन और जैव-प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता है.
  - पशुधन के पोषण की अच्छी पद्धतियों, गुणवत्ता और सुरक्षा के प्रति जागरूकता की आवश्यकता थी.

(ii) ग्रामीण आधारभूत संरचना और ग्रामीण-शहरी इंटरफ़ेस

- आधारभूत संरचनाओं के कारण प्राथमिक क्षेत्र निर्वाह स्तर से आगे बढ़ा और शहरी केन्द्रों, चिकित्सा सुविधाओं तथा औद्योगिक उत्पादों तक पहुंच आदि में सुधार हुआ.
- जानकारी और शिक्षा का अभाव, विकास के मार्ग में प्रमुख बाधा है.
- नियंत्रित जल आपूर्ति व्यवस्था की तुलना में सुधारे गए जलस्रोतों की सहायता से खेती करने वाले किसान दुगनी राशि देने के इच्छुक हैं क्योंकि जलस्रोतों में निवेश से आमदनी बढ़ती है.
- सिंचाई व्यवस्था तक पहुंच और केसीसी रखने के कारण ऋण तक पहुंच में सुधार.
- हाल ही में जोड़े गए क्षेत्रों में व्यापक ऋण नीति की आवश्यकता है.

(iii) ग्रामीण सेवा क्षेत्र

- रोज़गार और आय में ग्रामीण सेवा क्षेत्र का प्रमुख योगदान है.
- मुख्यत: उच्च जोखिम और संपार्श्विक प्रतिभूति के अभाव के कारण बैंक जैसे औपचारिक संस्थाओं से ऋण न मिलने की वजह से उद्यमों ने ज़्यादातर गैर-संस्थागत एजेंसियों से ऋण लिए थे.
- कस्टम हायरिंग केन्द्रों से पहुंच में आसानी, परिचालन में समय पालन और श्रमिकों की कमी से निपटने जैसे लाभ हुए.
- ऋण के अभाव की तुलना में उद्यमिता कौशल का अभाव परियोजनाओं की असफलता का प्रमुख कारण रहा.

(iv) वर्षा सिंचित कृषि के लिए संसाधन प्रबंधन

- कृषि में जोखिम प्रबंधन
  - मूल्य की अस्थिरता, विशेषकर कपास के मूल्य की अस्थिरता के कारण कृषि आय के उतार-चढ़ाव में वृद्धि हुई.
  - जोखिम से निपटने और उसके शमन के लिए पूर्वानुमान के आधार पर और जोखिम के बाद के लिए विविधीकरण, सूक्ष्म-सिंचाई आदि के माध्यम से रणनीतियां बनाने की सिफ़ारिश की गई.
  - 'धारा विकास' जैसे कार्यक्रम से जल सुरक्षा और आजीविका के विविध विकल्पों में वृद्धि हुई.
  - वाटरशेड से खेती के अंतर्गत क्षेत्र और सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई किन्तु उपज में मामूली वृद्धि ही हुई.
  - जलवायु आपदाओं के प्रति परिवारों की अनुकूलन क्षमता और जोखिम की समझ बढ़ी.
  - आमदनी, बचत और उपभोग में सुधार हुआ.
  - उच्चतर मजदूरी, ऋण की कमी, प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता का अभाव और भारी निवेश की जरूरत प्रौद्योगिकी अपनाने के मार्ग में प्रमुख बाधाएं थीं.
  - जोखिम से निपटने के लिए ग्राम साझेदारी का सुझाव दिया गया.
  - पूर्व चेतावनी की प्रणाली की सिफ़ारिश की गई.

4.11.7 नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (एनएएफ़आईएस)

नाबार्ड ने 2015-16 को संदर्भ वर्ष के रूप में लेकर नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (एनएएफ़आईएस) - 2016-17 शुरू किया. इस सर्वेक्षण का लक्ष्य ग्रामीण भारत की आजीविका की स्थिति और वित्तीय समावेशन की स्थिति के संबंध में राज्यों और राष्ट्र के स्तर पर आकलन तैयार करना है. यह सर्वेक्षण ऐसा व्यापक डेटाबेस और उपयुक्त संकेतकों की शृंखला तैयार करने में सहायक होगा जो भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकरों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों जैसे विविध हितधारकों के लिए उपयोगी हों. यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय महत्व के साक्ष्य-आधारित नीतियों के निर्माण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है.

नाबार्ड ने एकाडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ (एएमएस), लखनऊ को इस सर्वेक्षण का दायित्व सौंपा है. यह सर्वेक्षण टियर - 3 से टियर - 6 केन्द्रों (भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार 50,000 तक की आबादी वाले) के लगभग 40,000 ग्रामीण परिवारों को शामिल करते हुए देश के 29 राज्यों में किया जा रहा है. इस सर्वेक्षण के वर्ष 2017 में पूरे होने की उम्मीद है.

4.12 परामर्श सेवाएं देना: नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेस

नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेस प्रा. लि. (नैबकॉन्स) नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित उसके पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है. वर्ष के दौरान सौंपे गए कार्यों के उद्देश्यों को बेहतर ढंग से प्राप्त करने और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से बेहतर रिपोर्ट तैयार करने के लिए जीआईएस प्रयोगशाला और इंजीनियरिंग इकाई की स्थापना की गई. 2016-17 के दौरान नैबकॉन्स ने ₹125.15 करोड़ के व्यावसायिक शुल्क के 155 कार्यों की संविदा की और पिछले वर्षों से चले आ रहे कार्यों सहित कुल 201 कार्य पूरे किए गए. वर्ष के दौरान निष्पादित कार्यों से ₹51.18 करोड़ की कुल आय अर्जित की गई. विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों को 8 प्रमुख श्रेणियों में रखा गया है नामत: कृषि और पशुपालन, आजीविका हेतु कौशल, आधारभूत संरचना परियोजनाओं का तृतीय पक्ष अनुप्रवर्तन, क्षमता निर्माण, समाज-आर्थिक अध्ययन, खाद्य प्रसंस्करण और भंडारण, बैंकिंग और वित्त तथा अंतरराष्ट्रीय आगंतुक कार्यक्रम.

5 ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं का वित्तपोषण

ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं का विकास कृषि और अनुषंगी गतिविधियों की उत्पादकता में सुधार लाने तथा गैर कृषि क्षेत्रों में प्रभावी मूल्य श्रृंखला के माध्यम से बाजार लिंकेज उपलब्ध कराने और ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है. अतः सिंचाई, सड़कों और पुलों तथा सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश के माध्यम से ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के विकास को सहायता देना अत्यावश्यक है. साथ ही, ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के निर्माण में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से निवेश करना अत्यंत महत्वपूर्ण है.

5.1 ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि - प्रारंभ एवं व्याप्ति

नाबार्ड में ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) का सृजन 1995-96 के दौरान ₹2000 करोड़ की समूह निधि के साथ मध्यम और लघु सिंचाई, और वाटरशेड विकास जैसी ग्रामीण आधारभूत सुविधा परियोजनाएं जो शुरू तो की गई थीं परंतु वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अधूरी थीं, के वित्तपोषण को ध्यान में रखते हुए की गई थी. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और/ या कृषि और/ या कमजोर वर्गों के अनिवार्य ऋण पोषण में कमी की राशि को जमा करके इस निधि में सहायता दी जाती है. आरआईडीएफ में इस समय 36 गतिविधियां शामिल हैं जिन्हें तीन मुख्य श्रेणियों यथा; (i) कृषि और संबंधित क्षेत्र, (ii) ग्रामीण सड़क और (iii) सामाजिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है.

ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं में सार्वजनिक निवेश में आरआईडीएफ का हिस्सा अत्यंत महत्वपूर्ण है. यह भी देखा गया है कि राज्यों की बकाया देयताओं में आरआईडीएफ ऋण के हिस्से में ट्रांच-I से ट्रांच-XXI तक तेजी से वृद्धि हुई है. आरआईडीएफ़ राज्य सरकारों के लिए एक आकर्षक वित्तपोषण विकल्प के रूप में ही नहीं उभरा है बल्कि उससे ग्रामीण और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए दिए जाने वाले बैंक ऋण में कमी की राशि को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पुनः प्रेषित करने में सहायता मिली है. ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं में निवेश से ग्रामीण वित्तीय बाजारों के विस्तार को समर्थ बनाने और देश के पिछड़े क्षेत्रों में समावेशी विकास की शुरुवात हुई है. संचयी आधार पर, पूर्व और

पूर्वोत्तर क्षेत्रों के राज्यों को बंद हो चुके आरआईडीएफ ट्रांच I-XIV के 20 प्रतिशत की तुलना में आरआईडीएफ निधियों का लगभग 26 प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध हो रहा है. आरआईडीएफ आबंटन में समग्र वृद्धि के साथ यह देखा जा सकता है कि पिछले आठ वर्षों में इन क्षेत्रों में ऋण के वास्तविक मूल्य में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है.

आरआईडीएफ I से XXII में संचयी आबंटन ₹2,67,500 करोड़ हो गया है जिसके समक्ष स्वीकृतियां और संवितरण क्रमशः ₹2,87,129 करोड़ और ₹2,15,605 करोड़ रहा है (प्रदर्श 5.1). इसमें भारत निर्माण कार्यक्रम जैसी अलग विंडों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए ₹18,500 करोड़ का (आरआईडीएफ XII से आरआईडीएफ -XV तक चार ट्रांचों में) निधि पोषण शामिल है. कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का संचयी रूप से हिस्सा (43 प्रतिशत) सबसे अधिक रहा. इसके बाद, ग्रामीण सड़कों और ग्रामीण पुलों सहित ग्रामीण कनेक्टिविटी का हिस्सा 41 प्रतिशत और सामाजिक क्षेत्र परियोजनाओं का हिस्सा 16 प्रतिशत रहा. आरआईडीएफ के ट्रांच I-XIV बंद हो चुके हैं, जिनके अंतर्गत ₹86,000 करोड़ का वित्तपोषण और 91 प्रतिशत का समग्र उपयोग किया गया.

प्रदर्श 5.1
आरआईडीएफ ट्रांच-वार आबंटन

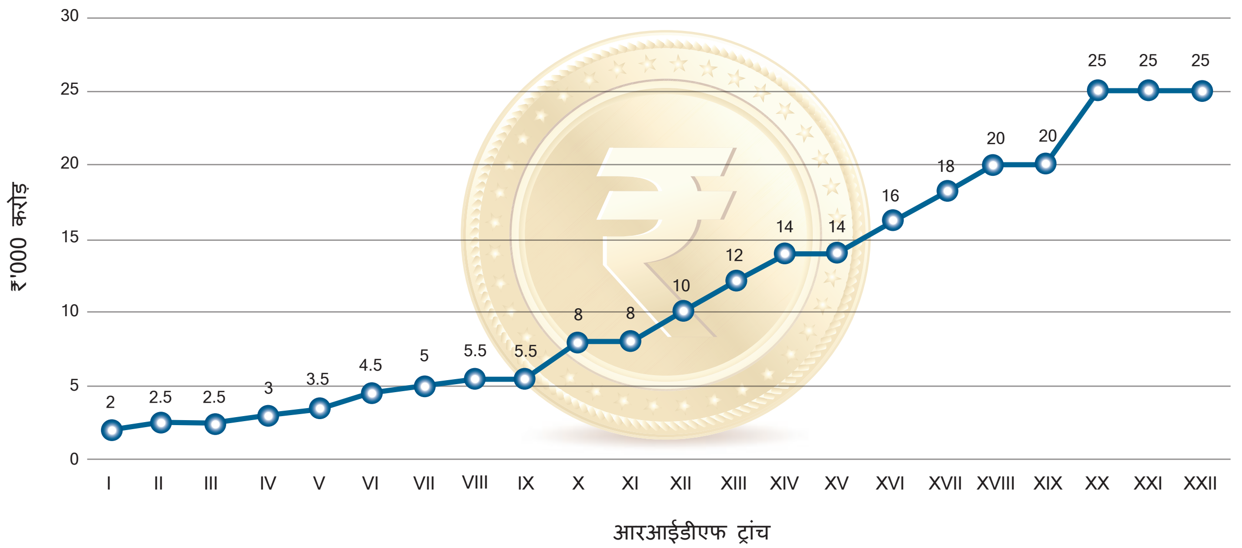

5.2 आरआईडीएफ परिचालन

5.2.1 निदर्शनात्मक आबंटन और वित्तपोषण की शर्तें

आरआईडीएफ पूंजी निधि का आबंटन राज्यों को निर्धारित मानदंडों के आधार पर i) ग्रामीण जनसंख्या, ii) भौगोलिक क्षेत्र, iii) सम्मिश्र आधारभूत सुविधा विकास सूचकांक, iv) उपयोग सूचकांक; और v) ग्रामीण ऋण-जमा अनुपात के प्रतिलोम को ध्यान में रखते हुए किया जाता है. नाबार्ड के पास जमा की गई राशियों और आरआईडीएफ के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा संवितरित ऋणों पर ब्याज दरों को 1 अप्रैल 2012 से चालू बैंक दरों से जोड़ दिया गया है. वर्तमान ब्याज दर के साथ-साथ प्राथमिकता क्षेत्र ऋण वितरण में कमी को तालिका 5.1 में दर्शाया गया है.

तालिका 5.1
आरआईडीएफ के अंतर्गत जमा और ऋण पर ब्याज दरें तथा वित्तपोषण की शर्तें

जमा पर ब्याज दरें		
क्र.सं.	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण के लक्ष्यों में समग्र कमी**	**ब्याज दर**
1	5 प्रतिशत प्वाइंट से कम	बैंक दर से 2 प्रतिशत प्वाइंट कम
2	5 और अधिक, परंतु 10 प्रतिशत प्वाइंट से कम	बैंक दर से 3 प्रतिशत प्वाइंट कम
3	10 प्रतिशत प्वाइंट और अधिक	बैंक दर से 4 प्रतिशत प्वाइंट कम
ऋण पर ब्याज दर		
1 अप्रैल 2012 को या उसके बाद आरआईडीएफ से संवितरित ऋण		बैंक दर से 1.5 प्रतिशत प्वाइंट कम

शोकेस 5.1
आरआईडीएफ XXII : पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए अधिक समतामूलक आरआईडीएफ आबंटन

नाबार्ड पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) सहित देश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए आरआईडीएफ के अंतर्गत समतामूलक निधिपोषण सुनिश्चित करने का प्रयास करता रहा है.

असम के उथले नलकूप

वर्ष 2016-17 में पूर्वोत्तर में विभिन्न परियोजनाओं के लिए आरआईडीएफ सहायता की स्वीकृति में वृद्धि देखी गई, जिसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के मद्देनजर असम के 27 जिलों में 38,900 उथले नलकूप बनाने (आरआईडीएफ ऋण ₹436.60 करोड़), 112 सड़क परियोजनाओं (आरआईडीएफ ऋण ₹306.84 करोड़) और असम में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/ नवीकरण (आरआईडीएफ ऋण ₹84.46 करोड़), मणिपुर में क्षरण रोधी और बाढ़ नियंत्रण कार्य (आरआईडीएफ ऋण ₹7.99 करोड़), 15,198 व्यक्तियों की जरूरतों के लिए पेयजल परियोजना (आरआईडीएफ ऋण ₹9.11 करोड़), कृषि उत्पादन को बेहतर कीमत मिलने के लिए ग्रामीण कनेक्टीविटी को सक्षम करने हेतु नागालैंड के पांच जिलों में ग्रामीण सड़कों का निर्माण (आरआईडीएफ ऋण ₹32.40 करोड़) और मेघालय में पुलों (आरआईडीएफ ऋण ₹7.92 करोड़) के लिए ऋण शामिल है.

मणिपुर में थौबल नदी पर क्षरण रोधी और बाढ़ नियंत्रण कार्य

5.3 आरआईडीएफ XXII

आरआईडीएफ-XXII के अंतर्गत ₹25,000 करोड़ की निधि का आबंटन किया गया था. वर्ष 2016-17 के दौरान आरआईडीएफ-XXII के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को कुल 17,842 परियोजनाओं के लिए ₹27,147.61 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया (तालिका 5.2). आरआईडीएफ का फोकस सिंचाई और कृषि से संबंधित आधारभूत सुविधाओं के निर्माण पर रहा, जिसमें ₹11,561.91 करोड़ की कुल स्वीकृत राशि शामिल थी और कुल मंजूरियों में 43 प्रतिशत हिस्से के साथ इस क्षेत्र का हिस्सा उच्चतम रहा. सिंचाई परियोजनाओं के तहत कुल मंजूरियां ₹8327.39 करोड़ यानी कुल मंजूरियों का 31 प्रतिशत रही. वर्ष 2016-17 के दौरान, छोटी सिंचाई संरचनाओं, जैसे ट्यूबवेल, लिफ्ट सिंचाई, पानी उपयोग की क्षमता बढ़ाने के लिए किसानों के खेतों में पाइप से पानी आपूर्ति, सौर पम्पिंग सिस्टम की स्थापना, नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करने आदि और पेयजल, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान आदि जैसी सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई.

तालिका 5.2
आरआईडीएफ XXII के अंतर्गत क्षेत्र-वार परियोजनाओं की संख्या और स्वीकृत राशियां

(31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार)

(राशि ₹ करोड़)

क्र. सं.	क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	कुल में हिस्सा (%)	स्वीकृत राशि (₹ करोड़)	कुल में हिस्सा (%)
अ. कृषि और संबंधित क्षेत्र					
1	कृषि (सिंचाई से इतर)	1,277	7	3,234.52	12
2	सिंचाई	7,699	43	8,327.39	31
	कुल (अ)	8,976	50	11,561.91	43
आ. ग्रामीण कनेक्टीविटी					
3	ग्रामीण पुल	842	4	2,042.42	8
4	ग्रामीण सड़कें	4,388	25	7,100.52	26
	कुल (आ)	5,230	29	9,142.94	34
इ. सामाजिक क्षेत्र परियोजनाएं					
5	सामाजिक क्षेत्र	3,636	21	6,442.76	23
	कुल (इ)	3,636	21	6,442.76	23
	सकल जोड़ (अ+आ+इ)	17,842	100	27,147.61	100

शोकेस 5.2
मध्य प्रदेश - मोहनपुरा प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना (एमएमजेपी)

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मोहनपुरा सिंचाई परियोजना एक प्रमुख बहुउद्देश्यीय परियोजना (एमजेपी) है जो निचले चंबल के ऊपरी क्षेत्र में नेवाज नदी में है. नेवाज नदी चंबल उप बेसिन के निचले क्षेत्र में स्थित तीन प्रमुख नदियों में से एक है. कमांड क्षेत्र में चार सूखा प्रवण तहसीलें अर्थात् राजगढ़, खिचलीपुर, सारंगपुर और राजगढ़ जिले की जिरापुर शामिल हैं.

वर्ष 2015-16 के दौरान आरआईडीएफ़ XXI के तहत ₹441.52 करोड़ के ऋण के साथ एमएमजेपी (यूनिट I) के हेडवर्क्स/ बांध के लिए वित्तपोषित किया गया था. वर्ष 2016-17 के दौरान आरआईडीएफ XXII के तहत मोहनपुरा एमजेपी की यूनिट II, अर्थात् बाएं किनारे की सिंचाई प्रणाली, जिसमें राइसिंग मेन, पंप हाउस और एससीएडीए शामिल है, के लिए ₹431.48 करोड़ की कुल ऋण राशि की मंजूरी दी गई.

परियोजना के पूरा होने पर, कुल 87,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पानी के उपयोग की क्षमता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों के उपयोग के साथ 1 हेक्टेयर चक तक को दबावयुक्त पाइप सिंचाई प्रदान की जाएगी. सिंचाई की संभाव्यता के अलावा, राजगढ़ जिले के पांच ब्लॉकों में कमान क्षेत्र में जल स्तर बढ़ने से फ्लोराइड प्रभावित गांवों में सतह आधारित जल आपूर्ति योजनाओं का मार्ग प्रशस्त होगा. परियोजना के तहत 387 गांवों में अनुमानित 4.64 लाख आबादी को लाभ मिलेगा.

शोकेस 5.3
तेलंगाणा "मिशन भगीरथ"

भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा "मिशन भगीरथ", को औपचारिक रूप से 07 अगस्त 2016 को शुरू किया गया. यह तेलंगाना राज्य का एक प्रमुख कार्यक्रम है. इस परियोजना में राज्य में निर्भरणीय और धारणक्षम जल स्रोतों से लगभग 63 टीएमसी पानी निकालना और आसपास के ऊंचे इलाकों में पम्पिंग से ले जाना और फिर जल शुद्धि के बाद गुरुत्वाकर्षण द्वारा बस्तियों को आपूर्ति करने की योजना है. 'मिशन भगीरथ' में सात जिलों में प्रत्येक घर को पेयजल का कनेक्शन देकर सभी निवासियों को पेयजल प्रदान करने की कल्पना की गई है. मिशन के अंतर्गत, गांवों में पानी की आपूर्ति के लिए आरआईडीएफ XXII के तहत ₹962.72 करोड़ के आरआईडीएफ ऋण से 64 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं. ये परियोजनाएं मेडक, रंगारेड्डी, नलगोंडा, वारंगल, खम्मम, महबूबनगर और निजामाबाद जिलों में 2987 बस्तियों के लिए शुद्ध किया गया 100 एलपीसीडी पानी प्रदान करना सुनिश्चित करेंगी, जिससे 7.72 लाख ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे.

यह परियोजना चार वर्षों में कार्यान्वित होगी, जिसमें 1.30 लाख किलोमीटर से अधिक की पाइपलाइन, इसमें 51,227 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइनें और गांवों के बीच वितरण के लिए लगभग 78,941 लाइनें होंगी.

पाइपयुक्त पेयजल आपूर्ति परियोजना तीन चरणों में कार्यान्वित की जा रही है. चरण I के तहत, जल स्रोत पर इनटेक कुओं का निर्माण किया जाएगा. चरण II के प्राथमिक चरण में, पानी को स्रोत से मंडलों/ ब्लॉकों में वितरित किया जाएगा. चरण II के द्वितीय हिस्से में मंडलों से गांवों को पानी की आपूर्ति की जाएगी.

5.4 आरआईडीएफ के अंतर्गत संवितरण (ट्रांच I से XXII)

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार बंद हो चुके ट्रांचों अर्थात् आरआईडीएफ I-XIV के लिए ₹85,113 करोड़ की चरणीकृत राशि के समक्ष ₹77,275 करोड़ की राशि संवितरित की गई जो स्वीकृत सहायता के समक्ष निधियों के 91 प्रतिशत उपयोग को दर्शाता है.

5.4.1 आरआईडीएफ के अंतर्गत क्षेत्र-वार संचयी उपयोग

आरआईडीएफ I से XXII (भारत निर्माण के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं सहित) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की समयावधि के अनुसार अपेक्षित ₹234,304 करोड़ की राशि के समक्ष 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों को संचयी रूप से आरआईडीएफ ऋणों की ₹215,605 करोड़ राशि संवितरित की गई, जो राज्यों द्वारा 92 प्रतिशत उपयोग को दर्शाता है (तालिका 5.3). 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार संचयी उपयोग (चरणीकृत राशि से संवितरित राशि का अनुपात) सबसे अधिक उत्तरी क्षेत्र (98 प्रतिशत) का रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश में 127 प्रतिशत और जम्मू और कश्मीर में 100 प्रतिशत था. अन्य क्षेत्रों में पश्चिमी क्षेत्र (88 प्रतिशत) में गोवा (122 प्रतिशत), दक्षिणी क्षेत्र (89 प्रतिशत) में तमिलनाडु (96 प्रतिशत), पूर्वोत्तर क्षेत्र (87 प्रतिशत) में सिक्किम (99 प्रतिशत) और मणिपुर (96 प्रतिशत) और पूर्वी क्षेत्र (91 प्रतिशत) में ओडिशा (93 प्रतिशत) और झारखंड (93 प्रतिशत) अग्रणी राज्य थे. दूसरी ओर, इस दृश्य के विपरीत नागालैंड (68 प्रतिशत), केरल (77 प्रतिशत) और पुडुचेरी (78 प्रतिशत) ने चरणीकृत मंजूरियों में तुलनात्मक कम उपयोग दर्ज किया.

तालिका 5.3
आरआईडीएफ के अंतर्गत क्षेत्र-वार संसाधन उपयोग (ट्रांच-I से XXII)
(31 मार्च 2017 की स्थिति)

(राशि ₹ करोड़)

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत		चरणीकृत		संवितरित (31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार)		चरणीकृत राशि का उपयोग %
		राशि	आरआईडीएफ का कुल हिस्सा (%)	राशि	आरआईडीएफ का कुल हिस्सा (%)	राशि	आरआईडीएफ का कुल हिस्सा (%)	
1	दक्षिणी क्षेत्र	62,564	23	51,270	24	45,596	23	89
2	पश्चिमी क्षेत्र	37,371	14	32,658	15	28,565	14	88
3	उत्तरी क्षेत्र	73,765	27	57,638	27	56,578	29	98
4	मध्य क्षेत्र	26,552	10	21,637	10	19,027	10	88
5	पूर्वी क्षेत्र	56,194	21	43,154	20	39,124	20	91
6	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम	12,183	5	9,447	4	8,215	4	87
7	**आरआईडीएफ कुल**	2,68,629	100	2,15,804	100	1,97,105	100	91
8	भारत निर्माण	18,500		18,500		18,500	100	100
9	**सकल जोड़**	2,87,129		2,34,304		2,15,605		92

5.5 आर्थिक और सामाजिक लाभ

आवश्यक ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के निर्माण हेतु आरआईडीएफ सभी राज्य सरकारों के लिए निधिपोषण के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरा है. ग्रामीण आधारभूत सुविधा परियोजनाओं के सार्वजनिक वित्तपोषण के स्रोत के रूप में आरआईडीएफ की प्रभावशीलता में अनेक तथ्यों ने योगदान किया है, इनमें समय से मूल्यांकन और स्वीकृति, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में वास्तविक प्रगति के आधार पर राज्य सरकारों को तुरंत निधियां जारी करना और संबंधित राज्य सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा आरआईडीएफ़ परियोजनाओं का अनुप्रवर्तन, राज्य सरकार के विभागों द्वारा जमीनी स्तर पर अनुप्रवर्तन और नाबार्ड द्वारा चयनित आधार पर परियोजना अनुप्रवर्तन शामिल है. यह देखा गया है कि राज्यों की बकाया देयताओं में आरआईडीएफ ऋण का हिस्सा जो मार्च 2005 के अंत में 1 प्रतिशत था, मार्च 2016 के अंत में बढ़कर 2.3 प्रतिशत (संशोधित अनुमान) और मार्च 2017 के अंत में 2.4 प्रतिशत (बजट अनुमान) हो गया है.

आरआईडीएफ निवेश से अतिरिक्त सिंचाई संभाव्यताओं का सृजन और दूर दराज के क्षेत्रों में बेहतर संपर्क के लिए ग्रामीण सड़कों और पुलों के नेटवर्क के निर्माण में सहायता मिली है (प्रदर्श 5.2). आरआईडीएफ के अंतर्गत सहायता प्राप्त सामाजिक परियोजनाओं से शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, पेय जल की आपूर्ति एवं अन्य परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है. संचयी आर्थिक लाभों के रूप में, आरआईडीएफ ने सकल घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय योगदान किया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में आवर्ती और अनावर्ती रोजगार का सृजन किया है.

[1] **स्रोत :** राज्य वित्तपोषण की परिशिष्ट तालिका 12 : बजट 2016-17, एक अध्ययन, भारतीय रिज़र्व बैंक

प्रदर्श 5.2
सिंचाई और ग्रामीण संपर्क परियोजनाएं - अनुमानित भौतिक संभाव्यता और ग्रामीण रोजगार का सृजन

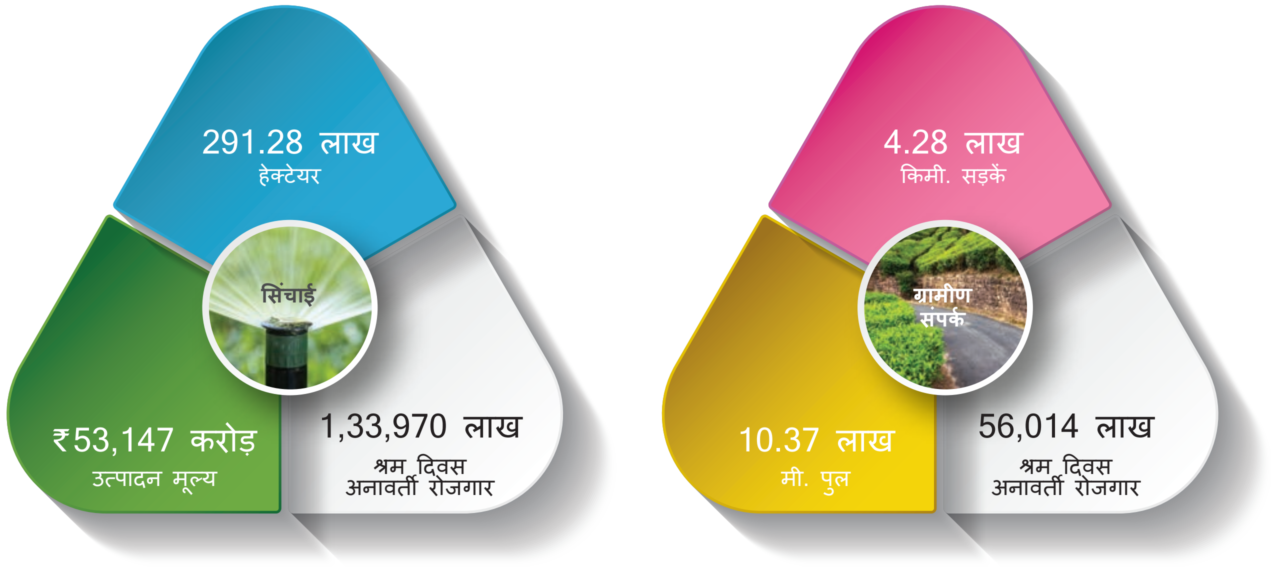

5.6 आरआईडीएफ प्रभाव मूल्यांकन

नाबार्ड द्वारा करवाए गए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों में ग्रामीण आय के स्तरों, ग्रामीण आजीविका गतिविधियों के विविधीकरण, ग्रामीण आबादी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और ग्रामीण बैंकिंग व्यवसाय के विस्तार जैसे महत्वपूर्ण लाभों की पुष्टि की गई है.

हाल के अध्ययनों में आरआईडीएफ से होने वाले निम्नलिखित अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक लाभों की पुष्टि हुई है:

- फसल पद्धति में विविधीकरण और उत्पादकता में वृद्धि
- घरेलू आय में बढ़ोतरी
- ग्रामीण परिवारों द्वारा नई आस्तियों का सृजन
- कृषि आय में स्थिरता
- शिक्षा पर व्यय में वृद्धि
- कमांड क्षेत्र में ऋण प्रवाह/ वित्तीय समावेशन पर प्रभाव
- भूमि के मूल्य और उपयोग में वृद्धि

वर्ष 2016-17 के दौरान कृषि संबंधी परियोजनाओं, विशेषकर सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया गया ताकि कृषि संकट के प्रभाव को कम किया जा सके (बॉक्स 5.1). जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और शमन की पहलों का समर्थन करने के लिए भी सार्थक प्रयास किए गए (बॉक्स 5.2).

बॉक्स 5.1
किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिंचाई आधारभूत सुविधाएं

वर्ष 1995-96 से आरआईडीएफ के प्रयोजन के अनुरूप, नाबार्ड ने वर्ष 2016-17 के दौरान आरआईडीएफ के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं के लिए ₹8,327 करोड़ से अधिक की मंजूरी दी, जो वर्ष के दौरान कुल मंजूरियों का 31 प्रतिशत है. इसका उद्देश्य मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के सूखा प्रवण और असिंचित क्षेत्रों में 1.6 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करना था. वर्ष के दौरान स्वीकृत अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

आंध्र प्रदेश - सूक्ष्म सिंचाई परियोजना

सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं का उद्देश्य जल उपयोग की क्षमता में सुधार लाने और बेहतर उपज और उत्पाद की गुणवत्ता के लिए किसानों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप / स्प्रिंकलर) की स्थापना के लिए सहायता करना है. परियोजनाओं में भारत सरकार और राज्य सरकार के कार्यक्रमों के बीच प्रभावी सामंजस्य और लाभार्थी कृषक समुदाय से भी योगदान की परिकल्पना की गई है. आरआईडीएफ XXII के अंतर्गत, ₹142.55 करोड़ के आरआईडीएफ ऋण से 13 परियोजनाएं मंजूर की गई जिसमें राज्य के सभी जिलों में सूक्ष्म सिंचाई के तहत 45,300 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया.

छत्तीसगढ़ - 11,000 सौर ऊर्जा चालित पंपसेटों की स्थापना

छत्तीसगढ़ सरकार की विस्तृत योजना 'सौर सुजला योजना' के एक भाग के रूप में आरआईडीएफ XXII के तहत छत्तीसगढ़ में 11,000 सौर पंपों की स्थापना के लिए ₹171.03 करोड़ मंजूर किए गए जिसके अंतर्गत 31 मार्च 2019 से पहले किसानों को 51,000 सौर ऊर्जा सिंचाई पंपसेट वितरित किए जाएंगे. परियोजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- लक्षित लाभार्थी मुख्य रूप से बिना विद्युतीकृत क्षेत्रों / दूरदराज़ के इलाकों में रहने वाले छोटे किसान हैं
- 70 मीटर गतिशील हेड के साथ 5 एचपी सिस्टम प्रति दिन 124,000 लीटर पानी दे सकती है
- किसान बिजली के प्रभारों के बोझ से बच सकते हैं

गुजरात - सौराष्ट्र नर्मदा आवर्तन सिंचाई (सावनी) योजना

सावनी योजना, चार लिंक पाइपलाइनों की एक श्रृंखला के माध्यम से, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में नर्मदा के अतिरिक्त 1 मिलियन एकड़ फीट बाढ़ के पानी के उपयोग की परियोजना है. 2016-17 के दौरान, आरआईडीएफ XXII के तहत सावनी योजना के लिंक 2 और लिंक 4 के चरण I को मंज़ूरी दी गई, जिसमें ₹860.48 करोड़ का आरआईडीएफ़ ऋण शामिल है. परियोजनाओं के कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ इस प्रकार हैं:

- सुनिश्चित सिंचाई सुविधाएं लिंक - 2 का 55,607 हेक्टेयर और लिंक - 4 का 70,389 हेक्टेयर
- फसल पद्धति में बदलाव और फसल सघनता में वृद्धि, कृषि उत्पादन और आय में वृद्धि
- गुणवत्तायुक्त पेयजल की उपलब्धता, अभाव राहत में बचत
- भूगर्भ जल पुनर्भरण
- रोजगार सृजन से क्रय शक्ति में सुधार
- बेहतर चारा उपलब्धता और दूध उत्पादन में वृद्धि
- तटीय क्षेत्रों में लवणता प्रवेश पहुंच की रोकथाम

ओडिशा - लघु सिंचाई परियोजना

जलनिधि II कार्यक्रम के तहत ओडिशा के 27 जिलों (आरआईडीएफ ऋण ₹129.40 करोड़) में 5,123 निजी उथले नलकूपों (एसटीडब्ल्यू) और नदी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं (आरएलआईपी) के निर्माण से जलनिधि II कार्यक्रम के तहत 13,501 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को फायदा पहुंचा. राज्य में मौजूदा सूखे की स्थिति के मद्देनजर, इन कम निवेश लागत वाली छोटी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं से सूखे की स्थिति से निपटने में बहुत मदद मिलेगी.

उत्तर प्रदेश - लघु सिंचाई परियोजना

उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में 2000 नए उथले नलकूपों (एसटीडब्ल्यू) का निर्माण (आरआईडीएफ ऋण : ₹471.66 करोड़). उत्तर प्रदेश राज्य में छोटे और सीमांत किसानों के लिए उथले नलकूप सिंचाई (कुल सिंचित क्षेत्र का 70 प्रतिशत) के मुख्य स्रोत हैं. यह परियोजना 100,000 हेक्टेयर खेती योग्य कमांड क्षेत्र (सीसीए) को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करेगी. इस परियोजना से भूमिहीन मजदूरों, छोटे और सीमांत किसानों की आय और रोजगार में वृद्धि होगी.

बॉक्स 5.2
जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और शमन के लिए आरआईडीएफ से सहायता

जलवायु परिवर्तन, कृषि और ग्रामीण आजीविका की धारणक्षमता के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरकर सामने आया है. तीन महत्वपूर्ण निधिपोषण व्यवस्थाओं अर्थात् अनुकूलन निधि (एएफ) और यूएनएफसीसीसी के ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) तथा भारत सरकार की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (एनएएफसीसी) के अंतर्गत अनुकूलन एवं जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने संबंधी विभिन्न उपायों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रति सहन क्षमता विकसित करने के लिए संबंधित निधियों का उपयोग राष्ट्रीय कार्यान्वयनकर्ता निकाय (एनआईई) के रूप में नाबार्ड के माध्यम से किया जा रहा है.

जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाली चुनौतियों पर सीधा प्रभाव डालने वाली परियोजनाओं के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए सजग प्रयास किए जा रहे हैं. 2016-17 के दौरान आरआइडीएफ के अंतर्गत जिन महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधा परियोजनाओं के लिए सहायता दी गई, इनमें नवीकरणीय ऊर्जा (मुख्यतः सौर ऊर्जा), सौर ऊर्जा चालित सिंचाई पंपिंग प्रणाली, दुर्लभ सिंचाई जल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग संबंधी परियोजनाएं, सूक्ष्म सिंचाई उपकरणों जैसे ड्रिप तथा स्प्रिंक्लर एवं पाइप के माध्यम से नहर के पानी को किसानों के खेतों तक पहुंचाना, वनीकरण, वाटरशेड विकास और अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संबंधी परियोजनाएं शामिल हैं.

- **नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं :** i) पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में 10 मेगावॉट कैनाल टॉप ग्रिड का निर्माण जो सोलर फोटो वॉल्टाइक (एसपीवी) बिजली संयंत्र से जुड़ी है (₹58.75 करोड़), ii) उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में 2.5 मेगावॉट कैनाल टॉप एसपीवी बिजली संयंत्र का निर्माण (₹11.14 करोड़), iii) केरल के तीन जिलों में ग्रिड से जुड़े तीन बिजली संयंत्रों की स्थापना (₹21.69 करोड़). ये सभी परियोजनाएं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्राथमिकता एवं प्रौद्योगिकियों के अनुरूप हैं.

- **सिंचाई परियोजनाएं :** i) असम में 1,000 सौर ऊर्जा चालित एसटीडब्ल्यू का संस्थापन (₹30.91 करोड़), ii) छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में सिंचाई के लिए 11,000 सौर ऊर्जा चालित पंपसेट (₹171.03 करोड़), iii) मध्य प्रदेश के 2 जिलों में चिंकी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (भाग III) (₹603.17 करोड़), iv) आंध्र प्रदेश के सभी जिलों को शामिल करते हुए सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं (₹142.55 करोड़), v) झारखंड में 725 रोक बांधों का निर्माण (₹416.93 करोड़), vi) मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मोहनपुरा में पाइप के माध्यम से सिंचाई की बृहद परियोजना (₹431.48 करोड़), vii) गुजरात में सावनी बृहद पाइप्ड सिंचाई परियोजना (₹816.50 करोड़).

- **प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और हरियाली परियोजनाएं :** i) राजस्थान के 17 जिलों में वनीकरण (हरियाली राजस्थान चरण III) के माध्यम से जल ग्रहण क्षेत्रों का विकास (₹141.01 करोड़), (ii) तमिलनाडु में वैगाई और नोयाल नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र के पुनरुद्धार हेतु परियोजना (₹22.57 करोड़), (iii) केरल में 31 वाटरशेड विकास और सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं (₹87.48 करोड़), (iv) पश्चिम बंगाल के छः जिलों में वन विकास परियोजनाएं (₹11.48 करोड़), (v) नागालैंड में समन्वित भूमि विकास परियोजनाएं (₹14.61 करोड़).

उपर्युक्त के अलावा, नाबार्ड ने महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश और मणिपुर में समुद्र से भू-कटाव रोकने एवं बाढ़ बचाव परियोजनाओं, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश इत्यादि में बेहतर जल प्रबंधन परियाजनाओं जैसी पहलों के लिए भी सहायता प्रदान की है. इन पहलों के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में कार्बन फुट प्रिंट में कमी होने एवं हरित तथा निर्मल भविष्य का मार्ग प्रशस्त होने की संभावना है.
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े आरआईडीएफ ऋणों की राशि दर्शाते हैं)

5.7 आरआईडीएफ परियोजनाओं का अनुप्रवर्तन

संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव या प्रधान सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) राज्य में आरआईडीएफ के समग्र कार्यान्वमयन के अनुप्रवर्तन हेतु प्रभावी मंच साबित हुई है. यद्यपि, आरआईडीएफ परियोजनाओं के कार्यान्वरयन एवं अनुप्रवर्तन की देखरेख एवं अनुप्रवर्तन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, फिर भी, स्वीकृत खेपों और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, लागत में वृद्धि को रोकने, गुणवत्ता मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने और निवेश के नए अवसरों का पता लगाने के लिए नाबार्ड भी आरआईडीएफ परियोजनाओं के कार्यान्वयन का अनुप्रवर्तन करता रहा है. 2016-17 के दौरान, नाबार्ड ने विभिन्न राज्यों में 2,866 परियोजनाओं का क्षेत्र अनुप्रवर्तन दौरा किया. प्रमुख प्रेक्षणों और मुद्दों को संबंधित राज्यों के संबंधित विभागों के साथ उठाया गया ताकि परियोजना कार्यान्वयन की गति और गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके.

5.8 2016-17 के दौरान प्रक्रिया में सुधार

2016-17 के दौरान, आरआईडीएफ के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन की वर्तमान प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए नाबार्ड द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- आरआईडीएफ ऋण प्रस्तावों की आंतरिक मंजूरी समिति की मंजूरी शक्ति को ₹50 करोड़ से बढ़ाकर ₹100 करोड़ किया गया.
- नियामक आबंटन संबंधी मानदंडों के लिए प्राथमिकता देने संबंधी वर्तमान नीतियों में सुधार, ग्रामीण संयोजन के अंतर्गत मंजूरी हेतु उच्चतम सीमा, भूमि अधिग्रहण की लागत हेतु मानदंड, आरआईडीएफ ऋणों के लिए विभिन्न मदों की स्वीकार्यता हेतु मानदंड जैसे पर्यवेक्षकीय प्रभार, मूल्यांकन पूर्व प्रभार, चल आस्तियां, सांविधिक प्रकृति की अदायगी इत्यादि, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं का वित्तपोषण और क्षेत्र अनुप्रवर्तन एवं आरआईडीएफ परियोजनाओं का तृतीय पक्षकार अनुप्रवर्तन के लिए ऋण की मात्रा हेतु मानदंड.
- निवेश की प्रमुख मदों के लिए बेंचमार्क लागतों का निर्धारण.

5.9 दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएएफ़)

5.9.1 पृष्ठभूमि

देश में लगभग 141 मिलियन हैक्टेयर निवल बुवाई क्षेत्र में से वर्तमान समय में लगभग 65 मिलियन हेक्टेयर (45 प्रतिशत) सिंचाई के अंतर्गत शामिल किया गया है. वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता सिंचाई सुविधा से विहीन क्षेत्रों में खेती को अत्यंत जोखिम भरा तथा कम उत्पादक पेशा बनाती है. अनुभवजन्य साक्ष्यों से पता चलता है कि सुनिश्चित अथवा सुरक्षित सिंचाई से किसानों को कृषि प्रौद्योगिकी तथा निविष्टियों में निवेश करने के लिए ज्यादा प्रेरणा मिलती है जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होती है तथा कृषि आय में भी बढ़ोत्तरी होती है. इस पृष्ठभूमि में, 2015-16 के दौरान सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए "हर खेत को पानी" तथा जल उपयोग क्षमता "हर बूंद अधिक फसल" में सुधार लाने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) शुरू की गई.

त्वरित सिंचाई लाभ योजना (एआईबीपी) के अंतर्गत प्रारंभ की गई कई बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं मुख्यतः निधियों के अपर्याप्त प्रावधान के कारण धीमी गति से चल रही हैं. इन परियोजनाओं पर बड़ी मात्रा में पूर्व में निवेश की गई निधियां अटकी हुई थी और इन परियोजनाओं से अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो रहे थे. इन परियोजनाओं को पूरा करना सुनिश्चित करने की दृष्टि से माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2016-17 के अपने बजट भाषण में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत चिन्हित परियोजनाओं के लिए केंद्र और राज्य के हिस्सों के निधिपोषण के लिए ₹20,000 करोड़ की प्रारंभिक राशि से नाबार्ड में एक समर्पित दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ) के सृजन की घोषणा की थी. इस निधि (एलटीआईएफ) में वित्त मंत्रालय द्वारा नाबार्ड को अतिरिक्त शेयर पूंजी अंशदान सहित बजटीय संसाधन और भारत सरकार द्वारा पूर्णतः भुगतान योग्य बांडों सहित नाबार्ड द्वारा बाजार से लिए जाने वाले उधार शामिल हैं. इस निधि का उपयोग जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास तथा गंगा पुनरुद्धार (एमओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) भारत सरकार द्वारा चिह्नित अपूर्ण बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के वित्तपोषण तथा उन्हें तेजी से पूरा करने के लिए मिशन मोड में किया जा रहा है, जिससे दिसंबर 2019 तक इन परियोजनाओं को पूरा किया जा सके. इससे 7.6 मिलियन हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.

5.9.2 निधि के संबंध में

01 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार, सभी चिह्नित 99 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कुल ₹77,908 करोड़ की निधि आवश्यकता का आकलन किया था, जिसमें केंद्र का हिस्सा ₹31,655 करोड़ और राज्यों का हिस्सा ₹46,253 करोड़ था. भारत सरकार 2016-17 से 2019-20 तक हर वर्ष अतिरिक्त इक्विटी तथा लागत रहित अपेक्षित निधियां प्रदान करेगी, जिससे नाबार्ड बाजार से अपेक्षित राशि उधार ले सके तथा उधार की उपयुक्त दर भी जारी रख सके.

राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए एलटीआईएफ़ के अंतर्गत मूलधन की चुकौती पर 3 वर्ष के स्थगन अवधि सहित 15 वर्षों के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा और वर्ष 2016-17 के लिए इस पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाएगा जिसमें नाबार्ड का 0.60 प्रतिशत मार्जिन भी शामिल है. भारत सरकार के परामर्श से नाबार्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार समय-समय पर इस ब्याज दर में परिवर्तन किया जा सकता है.

5.9.3 पात्र परियोजनाएं और कार्य

त्वरित सिंचाई लाभ योजना के अंतर्गत अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ योजना तथा कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्य (सीएडीडब्ल्यूएम) दोनों के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के हिस्से को पूरा करने के लिए दीर्घावधि सिंचाई निधि की सहायता से पूरा करने के लिए 99 परियोजनाओं (106 उप परियोजनाओं सहित) को प्राथमिकता दी है.

5.9.4 प्रगति

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, नाबार्ड ने केंद्र के हिस्से के रूप में 16 राज्यों में 81 सिंचाई परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) (जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत एक सोसायटी) को ₹30,854.62 करोड़ की कुल ऋण सहायता स्वीकृत की है, इसके समक्ष 69 परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी को ₹3,336.88 करोड़ की कुल ऋण राशि संवितरित की गई (तालिका 5.4).

तालिका 5.4
एलआईटीएफ के अंतर्गत केन्द्र के हिस्से के रूप में स्वीकृत की गई परियोजनाओं की राज्य-वार स्थिति
(31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार)

क्र म सं.	राज्य	एलटीआईएफ के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ऋण के लिए चिहिनत परियोजनाओं की संख्या	एलटीआईएफ ऋण के केन्द्र के हिस्से के रूप में नाबार्ड द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या	क्र म सं.	राज्य	एलआईटीएफ के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ऋण के लिए चिन्हित परियोजनाओं की संख्या	एलटीआईएफ ऋण के केन्द्र के हिस्से के रूप में नाबार्ड द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	8	3	10	केरल	2	0
2	असम	3	1	11	मणिपुर	2	2
3	बिहार	2	1	12	मध्य प्रदेश	21	21
4	छत्तीसगढ़	3	1	13	महाराष्ट्र	26	24
5	गोवा	1	0	14	ओडिशा	8	8
6	गुजरात	1	1	15	पंजाब	2	2
7	जम्मू और कश्मीर	4	1	16	राजस्थान	2	2
8	झारखंड	1	1	17	तेलंगाणा	11	5
9	कर्नाटक	5	5	18	उत्तर प्रदेश	4	3
जोड़						106*(उप परियोजनाओं सहित)	81

18 सहभागी राज्य सरकारों में से 7 को 63 सिंचाई परियोजनाओं के लिए ₹16,053.44 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है. इसके समक्ष ₹3,334.98 करोड़ की समग्र ऋण राशि जारी की गई है (तालिका 5.5).

तालिका 5.5
एलटीआईएफ के अंतर्गत राज्य के हिस्से के रूप में राज्य-वार स्वीकृत तथा जारी की गई ऋण राशि का विवरण

(राशि ₹ करोड़)

क्रम सं.	राज्य	मंजूर की गई राशि	संवितरित राशि
1	आंध्र प्रदेश	513.87	97.90
2	गुजरात	3,611.03	620.55
3	झारखंड	518.10	204.33
4	मध्य प्रदेश	2,863.18	500.00
5	महाराष्ट्र	7,242.74	1,723.58
6	मणिपुर	73.56	0.00
7	ओडिशा	1,230.96	188.62
	कुल	**16,053.44**	**3,334.98**

शेष 11 राज्य ऋण संबंधी दस्तावेज जैसे सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ अधिदेश के निष्पादन इत्यादि को पूरा करने संबंधी विभिन्न स्तरों पर हैं, जिससे एलटीआईएफ ऋण के राज्य से संबंधित हिस्से को स्वीकृत और जारी किया जा सके.

इसके साथ ही, इन 99 चिन्हित सिंचाई परियोजनाओं के अलावा आंध्र प्रदेश में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पोलावरम परियोजना के लिए केन्द्र के हिस्से के निधिपोषण के लिए नाबार्ड द्वारा एलटीआईएफ के अंतर्गत एनडब्ल्यूडीए को ₹2,981.54 करोड़ की ऋण राशि मंजूर की गई थी जिसके समक्ष अब तक ₹2,414.16 करोड़ की राशि संवितरित की जा चुकी है (तालिका 5.6).

तालिका 5.6
एलटीआईएफ के अंतर्गत स्वीकृति और संवितरण की समग्र स्थिति

(राशि ₹ करोड़)

विवरण	स्वीकृति	संवितरण
एलटीआईएफ परियोजनाओं के लिए एनडब्ल्यूडीए को केन्द्र का हिस्सा (81 परियोजनाएं, 16 राज्य)	30,854.62	3,336.88
पोलावरम परियोजना के लिए एनडब्ल्यूडीए को केन्द्र का हिस्सा	2,981.54	2,414.16
एलटीआईएफ परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को राज्य का हिस्सा (63 परियोजनाएं, 7 राज्य)	16,053.44	3,334.98
कुल	**49,889.60**	**9,086.02**

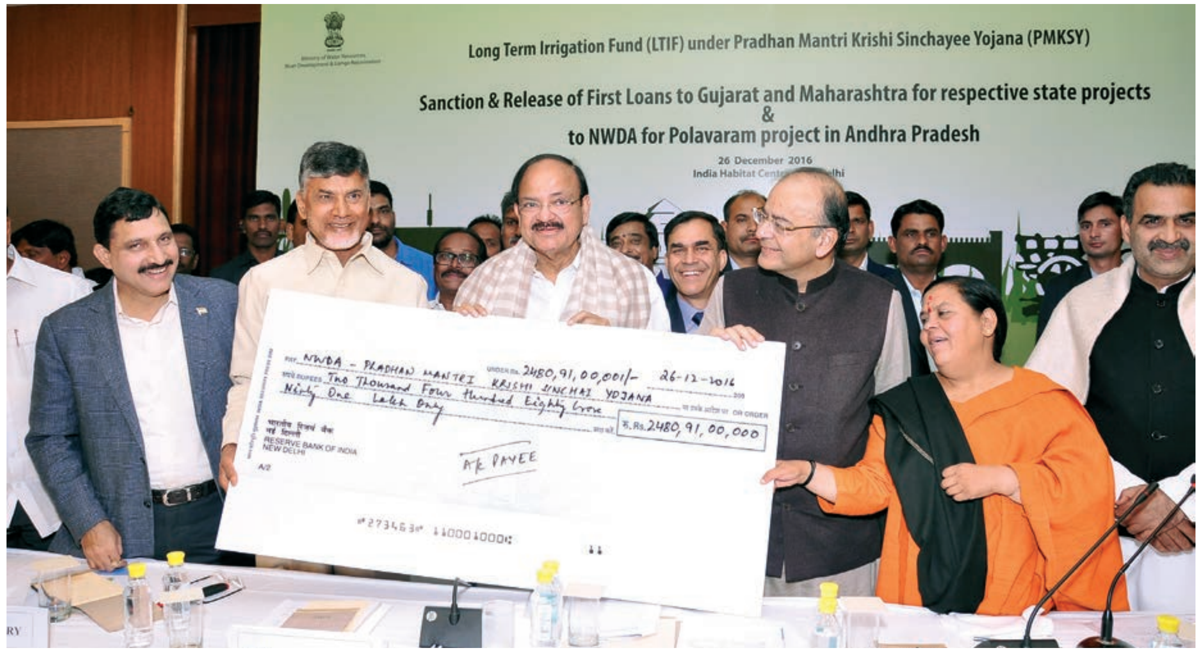

26 दिसम्बर 2016 को पोलावरम परियोजना के लिए केन्द्र के हिस्से के रूप में एनडब्ल्यूडीए को ऋण जारी करना.

बॉक्स 5.3
सूक्ष्म सिंचाई निधि

माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2017-18 के अपने बजट में ₹5,000 करोड़ की प्रारंभिक निधि के साथ नाबार्ड में सूक्ष्म सिंचाई निधि स्थापित करने की घोषणा की. इस निधि के माध्यम से राज्य सरकारों को स्प्रिंकलर / ड्रिप सिंचाई प्रणाली, पाइप द्वारा जलापूर्ति तथा ऐसे अन्य उपायों के लिए ऋण प्रदान करने की परिकल्पना की गई है. इस निधि को प्रारंभ करने के लिए रूपरेखा तथा प्रणालियां तैयार की जा रही हैं.

5.10 नाबार्ड आरधारभूत सुविधा विकास सहायता

ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए नाबार्ड आधारभूत सुविधा विकास सहायता (नीडा) से राज्य सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाओं और निगमों (बजटीय और गैर बजटीय दोनों), कंपनियों और सहकारी संस्थाओं को सीधे दीर्घावधि ऋण प्रदान करने का प्रावधान है. कंपनियों, सहकारी संस्थाओं इत्यादि जैसी पंजीकृत संस्थाओं की निजी सार्वजनिक सहभागिता (पीपीपी) एवं गैर-पीपीपी परियोजनाओं को शामिल कर नीडा के अंतर्गत निधिपोषण का विस्तार किया गया है.

नीडा में शामिल महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि, सड़कें एवं पुल, ग्रामीण परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत पारेषण, सिंचाई, भंडारण, पेय जल एवं स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं वाणिज्यिक आधारभूत सुविधाएं आदि हैं.

वर्ष 2016-17 के दौरान, नीडा के अंतर्गत ₹4,362.67 करोड़ के मीयादी ऋण के साथ दस परियोजनाएं स्वीकृत की गई. 2016-17 के दौरान ₹2,456.21 करोड़ ऋण संवितरित किया गया. स्वीकृत परियोजनाओं में सिंचाई, पेय जल, सड़कें, भंडारण, पारेषण और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं. वर्ष के दौरान नीडा के अंतर्गत स्वीकृत कुछ उल्लेखनीय परियोजनाएं इस प्रकार हैं :

- तेलंगाणा राज्य बागवानी विकास निगम को ₹874 करोड़ की एक सूक्ष्म सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई.
- पुनर्वित्त (टेकआउट वित्तपोषण) सहायता के रूप में ग्रीन इन्फ्रा विंड एनर्जी लिमिटेड को ₹150 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई.
- झारखंड ऊर्जा संचारण निगम लिमिटेड, झारखंड को ₹493.20 करोड़ की एक बिजली पारेषण परियोजना स्वीकृत की गई.
- गुंटूर में मसालों के लिए निर्यातोन्मुख एंकर इकाई और विशाखापट्टनम तथा भीमावरम में निर्यात प्रमाणित समन्वित प्रसंस्करण एवं कोल्ड स्टोरेज संकुल स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन (एपीएसडब्ल्यूसी) को ₹34.97 करोड़ का मीयादी ऋण स्वीकृत किया गया.

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, संचयी रूप से, ₹15,746.74 करोड़ के मीयादी ऋण की 52 परियोजनाएं स्वीकृत की गई. प्रयोजन-वार स्वीकृति एवं संवितरणों का विवरण तालिका 5.7 में दिया गया है.

तालिका 5.7
प्रयोजन-वार संचयी नीडा ऋण
(31 मार्च 2017 की स्थिति)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्षेत्र	इकाई	स्वीकृत ऋण	संवितरण
पुल	1	462.60	185.00
चक्रवात से हुए नुकसान की मरम्मत	4	1,063.25	1,169.12
पेय जल	2	3,144.80	1,384.37
सड़क	6	3,328.55	360.00
सीवरेज	1	70.69	59.48
सौर ऊर्जा	2	448.01	72.96
पवन ऊर्जा	2	225.00	203.10
भण्डारागार	3	220.12	206.16
पारेषण	26	5,364.93	2,184.79
मंडी स्थल	1	59.97	0.00
जल विद्युत	1	145.74	0.00
नवीकरणीय ऊर्जा	1	95.00	0.00
सिंचाई	2	1,118.08	321.34
कुल	**52**	**15,746.74**	**6,146.32**

5.11 भंडारागार आधारभूत सुविधा निधि

मूल्य श्रृंखला की समग्र प्रक्रिया में भंडारागार एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है. देश में खाद्यान्नों तथा जल्दी खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के लिए वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता में और वृद्धि करने के लिए सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा अदा की जाने वाली भूमिका के साथ-साथ कोल्ड चेन और सप्लाई लॉजिस्टिक्स को सुदृढ़ बनाकर इस क्षेत्र पर फोकस देने के प्रयोजन से इन संस्थाओं को नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2013-14 में ₹5,000 करोड़ की समूह निधि से "भंडारागार आधारभूत सुविधा निधि" (डब्ल्यूआईएफ) नामक एक अलग निधि की स्थापना की थी, जिसे वर्ष 2014-15 में भी ₹5,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि देकर जारी रखा गया. इस निधि में कोई और वृद्धि नहीं की गई.

भंडारागार आधारभूत सुविधा निधि (डब्ल्यूआईएफ) का प्रमुख उद्देश्य देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को विकेन्द्रित आधुनिक वैज्ञानिक भंडारागार के निर्माण और उन्हें बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान करना है ताकि किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने की प्रणाली तैयार करने, फसल कटाई उपरांत बेहतर तरलता सुनिश्चित करने और फसल कटाई के बाद गरजू बिक्री को रोकना सुगम हो सके. भंडारागार आधारभूत सुविधा विकास निधि से लगभग 9.97 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) की वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं सृजित करने के लिए 9096 परियोजनाएं स्वीकृत कर नाबार्ड आपूर्ति कड़ी प्रबंधन में इस महत्वपूर्ण घटक में लीडर के रूप में उभरा है, जिसके परिणामस्वरूप देश में फसल कटाई उपरांत आधारभूत सुविधा के समग्र विकास की गति में तेजी आई है. डब्ल्यूआईएफ के अंतर्गत स्वीकृति और संवितरण संबंधी विवरण तालिका 5.8 में दिया गया है.

तालिका 5.8
डब्ल्यूआईएफ के अंतर्गत ऋणों स्वीकृति एवं संवितरण
(31 मार्च 2017 की स्थिति)

(राशि ₹ करोड़)

31 मार्च 2017 की स्थिति	डब्ल्यूआईएफ 2013-14	डब्ल्यूआईएफ 2014-15	कुल
समूह निधि	4,481.00	5,000.00	9,481.00
स्वीकृति	3,254.00	5,594.00	8,848.00
उपयोग (%)	73	112	93
31.03.2017 तक चरणीकरण के अनुसार आहरणीय	3,254.00	3,964.00	7,218.00
31.03.2017 की स्थिति तक संवितरण	1,892.00	1,637.00	3,529.00
संवितरण - उपलब्धियां (%)	58	29	40

31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए डब्ल्यूआईएफ 2013-14 और डब्ल्यूआईएफ 2014-15 के अंतर्गत एजेन्सी-वार स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या, स्वीकृत की गई राशि तथा संवितरणों का ब्यौरा तालिका 5.9 में दिया गया है.

तालिका 5.9
डब्ल्यूआईएफ के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाएं तथा किए गए संवितरण
(31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार)

(राशि ₹ करोड़)

क्रम सं.	एजेन्सी	परियोजनाओं की संख्या	डब्ल्यूआईएफ के अंतर्गत स्वीकृत ऋण	संचयी संवितरण	% संवितरण	पूरी की गई परियोजनाएं	पूर्ण %
1	**डब्ल्यूआईएफ 2013-14**						
क.	राज्य सरकारें	3,082	2,752.00	1,578.00	57	2,166	70
ख.	राज्य सरकारों के उपक्रम	76	368.00	202.00	55	53	70
ग.	निजी/ पीएलआर	27	134.00	112.00	84	16	59
	कुल	**3,185**	**3,254.00**	**1,892.00**	**58**	**2,235**	**70**
2	डब्ल्यूआईएफ 2014-15						
क.	राज्य सरकारें	5,747	4,565.00	1,526.00	26	498	9
ख.	राज्य सरकारों के उपक्रम	163	1,010.00	92.00	9	22	13
ग.	निजी/ पीएलआर	1	19.00	19.00	100	1	100
	कुल	**5,911**	**5,594.00**	**1,637.00**	**26**	**521**	**9**
	कुल जोड़	**9,096**	**8,848.00**	**3,529.00**	**33**	**2,756**	**30**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाबार्ड को भंडारागार आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ एपीएमसी में विपणन आधारभूत सुविधाओं के लिए भंडारागार आधारभूत सुविधा निधि के अंतर्गत उपलब्ध निधि का उपयोग करने के लिए नई मंजूरियां प्रदान करने की अनुमति प्रदान की है.

बॉक्स 5.4
नियंत्रित वातावरण कोल्ड स्टोरेज

2014-15 में नाबार्ड ने गुजरात में मेसर्स उत्तम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को विशेष रूप से आलू, सेब तथा नींबू जैसी प्रसंस्करण योग्य प्रजातियों के भंडारण के लिए 5000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले नियंत्रित वातावरण कोल्ड स्टोरेज के लिए डब्ल्यूआईएफ में से ₹19 करोड़ की ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी. भंडारण के दौरान फलों व सब्जियों की नियंत्रित श्वसन मैकेनिज्म और आर्द्रता हानि को रोकने के लिए अत्यंत विकसित संयंत्र तथा मशीनरी, कार्बन डाइआक्साइड के लिए सेंसर, एथिलीन और नाइट्रोजन गैसों के लिए मानिटर से युक्त अत्याधुनिक नियंत्रित वातावरण स्टोर का निर्माण पूरा हो चुका है और इसका वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो चुका है.

5.12 खाद्य प्रसंस्करण निधि

कृषि उत्पादों की प्रचुर आपूर्ति और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की बढ़ती घरेलू मांग के मद्देनजर खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर से कृषि उत्पादों की बर्बादी रोकने में मदद मिलती है तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलती है. भारत सरकार ने 2014-15 में संगठित क्षेत्रों में क्लस्टर आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित फूड पार्कों की स्थापना करने और उनमें खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से नाबार्ड में ₹2,000 करोड़ से खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफ़पीएफ़) का सृजन किया. नाबार्ड द्वारा इस निधि की राशि के पूर्ण उपयोग किए जाने तक यह निधि उपलब्ध रहेगी.

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, नाबार्ड ने 14 मेगा फूड पार्क (एमएफ़पी) परियोजनाओं तथा नामोदिष्ट फूड पार्कों में दो प्रसंस्करण इकाइयों के लिए मीयादी ऋण मंजूर किए हैं. चार मेगा फूड पार्क परियोजनाएं वापस ले लिए जाने के बाद अब 10 मेगा फूड पार्क परियोजनाएं और दो प्रसंस्करण इकाइयां रह गई जिसमें ₹464.49 करोड़ का वायदाकृत मीयादी ऋण है. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹123.92 करोड़ के संवितरण के साथ इस निधि से मंजूर परियोजनाओं के लिए संचयी संवितरण ₹144.49 करोड़ रहा.

5.12.1 स्वीकृत परियोजनाओं के प्रभाव

मेगा फूड पार्क परियोजनाओं में लगभग 745 एकड़ क्षेत्र का विकास किया जाएगा जो केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्रों (सीपीसी) के रूप में कार्य करेंगे. इन 10 सीपीसी को 37 प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्रों (पीपीसी) द्वारा सहयोग किया जाएगा, जिनकी स्थापना संबंधित मेगा फूड पार्क के कैचमेंट क्षेत्र में उपयुक्त स्थान पर की जाएगी. मेगा फूड पार्कों में स्थापित होने वाले ये पीपीसी और सीपीसी किसानों से कृषि उत्पादों की सीधी खरीद करने में प्रसंस्करण इकाइयों की सहायता करेंगे, जिससे उपयोगकर्ता उद्योग की सीधी पहुंच बाजार तक बनेगी.

बॉक्स 5.5
नाबार्ड की पहल -- फूड पार्क

नाबार्ड, प्रधान कार्यालय ने 17 और 18 जून 2016 को तुमकुर, कर्नाटक में एक ऑन-लोकेशन कार्यशाला का आयोजन किया था जिसमें परियोजना वित्तपोषण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित एफ़पीएफ़ पोर्टफोलियो का कार्य करने के लिए अपने राज्य स्तर के अधिकारियों को सक्षम बनाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, परिचालनात्मक दिशानिर्देशों, उधारकर्ताओं के मूल्यांकन तथा अच्छी तरह से उनकी जांच पड़ताल करने, परियोजना मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन, ऋण जोखिम आकलन, कानूनी पहलुओं तथा दस्तावेजीकरण, ऋण अनुप्रवर्तन, लेखांकन इत्यादि को शामिल किया गया. इस कार्यक्रम के अंतर्गत तुमकुर जिले में मेसर्स इंटीग्रेटिड फूड पार्क प्रा.लि. द्वारा संवर्धित एक कार्यशील मेगा फूड पार्क का दौरा किया गया ताकि मेगा फूड पार्क की अवधारणा तथा इसके घटकों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नामोदिष्ट फूड पार्कों (डीएफ़पी) की अद्यतन समेकित सूची के अनुसार देश में 165 डीएफ़पी हैं इनमें आधारभूत सुविधाओं के सृजन तथा प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव इस निधि से वित्तपोषण के लिए पात्र होंगे. प्रमुख राज्यों में अधिसूचित नामोदिष्ट फूड पार्कों की स्थिति इस प्रकार है: हिमाचल प्रदेश (19), आंध्र प्रदेश (14), ओडिशा (14), महाराष्ट्र (10), त्रिपुरा (10), पश्चिम बंगाल (9), मणिपुर (9) कर्नाटक (9) तथा मध्य प्रदेश (9). तदनुसार, जहां अच्छी संख्या में डीएफ़पी हैं ऐसे राज्यों में जागरूकता सृजित करने के लिए, नाबार्ड के 14 क्षेत्रीय कार्यालयों यथा आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाणा तथा पश्चिम बंगाल में हितधारकों की बैठकें आयोजित की गईं जिनमें राज्य सरकार, राज्य में डीएफ़पी के प्रोमोटरों, जिला उद्योग केन्द्रों के प्रतिनिधियों तथा भावी उद्यमियों को आमंत्रित किया गया.

मेगा फूड पार्कों से इन पार्कों में स्थापित होने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को खाद्य प्रसंस्करण से संबन्धित विविध और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंस्करण आधारभूत सुविधाएं इनके साझा उपयोग के लिए उपलब्ध हो सकेंगी. इन मंजूर परियोजनाओं के पूरा होने पर कच्चे माल और तैयार माल (खराब नहीं होने वाले उत्पाद) के भण्डारण के लिए 1.48 लाख मीट्रिक टन (एमटी) शुष्क भण्डारण क्षमता; कच्चे अनाज के थोक भण्डारण के लिए 0.81 लाख एमटी साइलो; खराब होने वाले तैयार माल के भण्डारण के लिए 0.47 लाख एमटी शीत भण्डारण क्षमता; फ्रीजिंग तापमान पर रखे जाने वाले तैयार माल के भण्डारण के लिए 0.11 लाख एमटी फ्रीजर क्षमता; फल और सब्जियों का उत्पादन करने वालों के लिए एकल क्विक फ्रोजन हेतु प्रति घंटे 9.50 एमटी क्षमता; फलों को नियंत्रित वातावरण में पकाने के लिए 2,040 एमटी क्षमता और प्रति घंटे 36.50 एमटी पल्पिंग और फलों की एसेप्टिक पैकिंग क्षमता का निर्माण होगा. उम्मीद है कि इन मेगा फूड पार्कों में, 392 एकड़ क्षेत्र का विकास होगा जिसमें खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं होंगी.

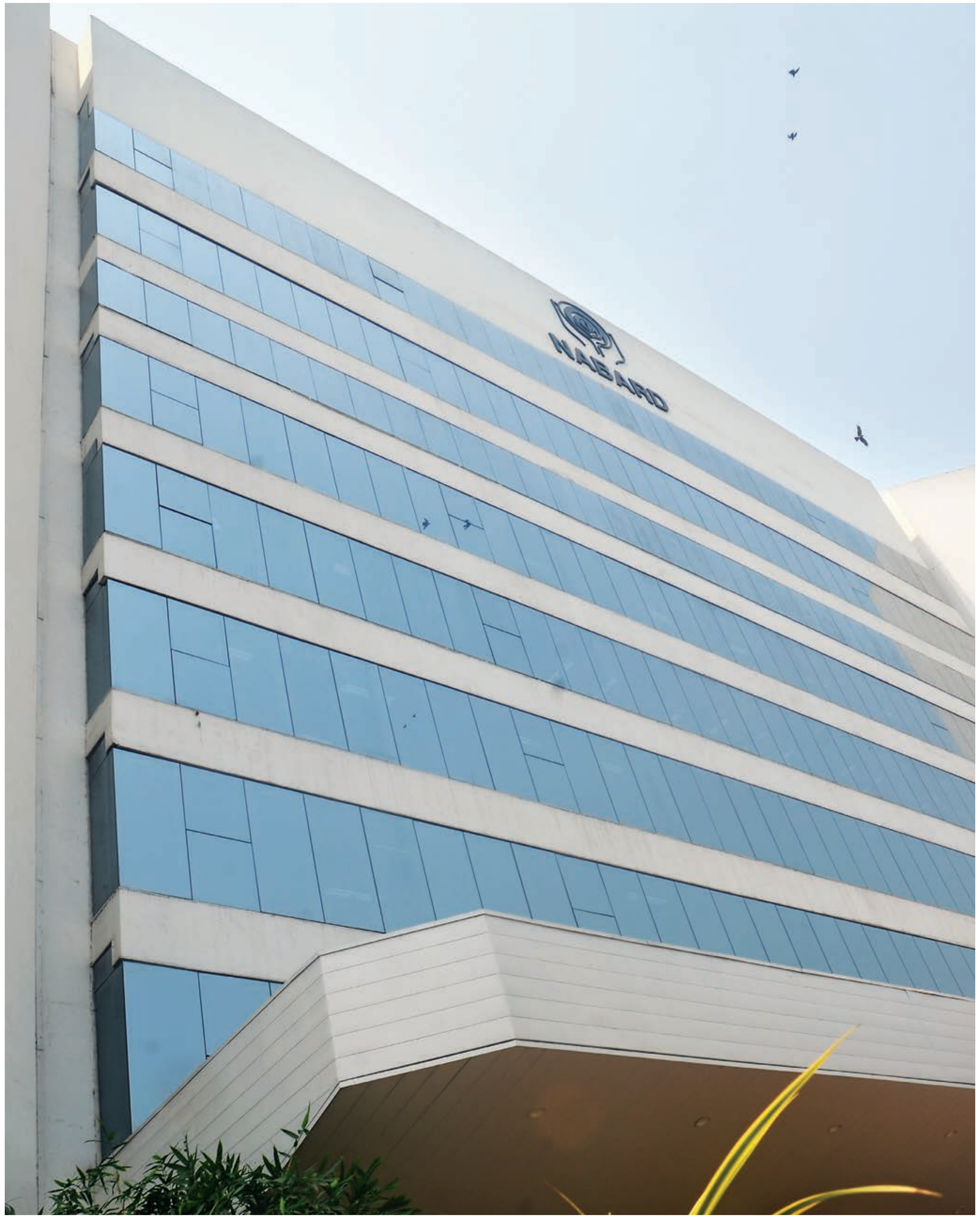

6 संगठन और नवाचार

6.1 प्रबंधन

6.1.1 निदेशक मण्डल

वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशक मण्डल (बीओडी) की पांच बैठकें हुई. कार्यकारी समिति की पांच और ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत ऋण स्वीकृति के लिए स्वीकृति समिति की नौ बैठकें हुई. वर्ष के दौरान ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत स्वीकृति के लिए आंतरिक स्वीकृति समिति की ग्यारह बैठकें हुई.

वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल की लेखा-परीक्षा समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की चार-चार बैठकें हुई. वर्ष के दौरान बैंक को सूचना प्रौद्योगिकी अपनाने, इसके प्रबंधन और सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन तथा निदेश देने के लिए निदेशक मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया गया. वर्ष के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी समिति की दो बैठकें हुई.

वर्ष 2016-17 के दौरान निम्नलिखित की नियुक्ति नाबार्ड के निदेशक मण्डल में निदेशक के रूप में की गई.

तालिका 6.1
नाबार्ड के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति

क्रम सं	ब्योरा
1	श्री सूचीन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार) और श्री अमरजीत सिन्हा, सचिव (ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार) को क्रमश: श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव और श्री जीतेंद्र शंकर माथुर के स्थान पर 14 जून 2016 और 28 जुलाई 2016 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.
2	श्री आर.गांधी, उप गवर्नर (भारतीय रिज़र्व बैंक) को श्री हारून आर.खान के स्थान पर 20 जुलाई 2016 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.
3	प्रो. अशोक गुलाटी को 09 मार्च 2017 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.
4	डॉ भगवान सहाय, अपर मुख्य सचिव (कृषि और विपणन), महाराष्ट्र सरकार को श्री दिनेश कुमार जैन के स्थान पर 27 अप्रैल 2016 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया. डॉ भगवान सहाय 26 जुलाई 2016 को निदेशक पद से मुक्त हुए.
5	श्रीमती जी. लता कृष्ण राव, अपर मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त (एसीएस एंड डीसी), कर्नाटक सरकार 26 जुलाई 2016 को निदेशक के पद से मुक्त हुईं.
6	श्री सी. पार्थसारथी, सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त (कृषि और सहकारिता), तेलंगाणा सरकार और श्री सुरेश चंद्र गुप्त, अपर मुख्य सचिव और उत्पादन आयुक्त (कृषि और सहकारिता), सिक्किम सरकार को 27 जुलाई 2016 से निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया.
7	श्री पी. सी. मीणा, अपर मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्य प्रदेश सरकार को 22 जून 2016 से निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया.
8	श्रीमती पूजा सिंघल, सचिव (कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग), झारखंड सरकार को डॉ.एन.एम.कुलकर्णी के स्थान पर 27 मार्च 2017 से निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया. डॉ.कुलकर्णी को 22 जून 2016 से निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था.
9	डॉ अनूप कुमार दाश को 25 अप्रैल 2016 को निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया.

6.1.2 वरिष्ठ प्रबंधन

प्रबंध समिति (एमसी) एक महत्वपूर्ण अभिशासन संरचना है. इसमें अध्यक्ष, उप प्रबंध निदेशक और चुनिन्दा मुख्य महाप्रबंधक होते हैं. वर्ष 2016-17 के दौरान इस समिति की 16 बैठकें हुईं. इन बैठकों में अंतर-विभागीय और व्यापक नीतिगत मामलों दोनों पर चर्चा की गई.

6.2 मानव संसाधन विकास नवाचार

6.2.1 बैंक की स्टाफ़ संख्या

31 मार्च 2017 को बैंक कर्मचारियों की संख्या तालिका 6.2 में दी गई है.

तालिका 6.2
31 मार्च 2017 को बैंक की स्टाफ़ स्थिति

संवर्ग	कुल	जिसमें		
		सामान्य*	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
ग्रुप 'ए'	2640	2050	394	196
ग्रुप 'बी'	732	568	106	58
ग्रुप 'सी'	706	386	232	88
कुल	4,078	3,004	732	342

** अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) सहित*

- पैनल वर्ष 2017(01 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक) के दौरान पदोन्नत/ पैनलबद्ध 207 अधिकारियों में से 31 अनुसूचित जाति और 11 अनुसूचित जनजाति वर्ग के थे. साथ ही, वर्ष 2016-17 के दौरान ग्रुप सी के चार कर्मचारियों को ग्रुप बी सेवा में सहायक अभिरक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया.

- वर्ष 2016-17 के दौरान ग्रुप ए सेवा में 125 अधिकारियों की नियुक्ति की गई. इसमें 98 अधिकारी सहायक प्रबंधक (ग्रामीण विकास बैंकिंग सेवा), 06 अधिकारी सहायक प्रबंधक (राजभाषा सेवा), 07 अधिकारी सहायक प्रबंधक (शिष्टाचार और सुरक्षा सेवा) और 14 अधिकारी प्रबंधक (ग्रामीण विकास बैंकिंग सेवा) शामिल हैं.
- उपर्युक्त अवधि के दौरान 61 विकास सहायक (03 विकास सहायक (हिन्दी) सहित) बैंक की सेवा में शामिल हुए.

6.2.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वर्गों के लिए कल्याणकारी कदम

- प्रधान कार्यालय, मुंबई में वरिष्ठ कार्यपालकों और मुख्य संपर्क अधिकारी की ऑल इंडिया नाबार्ड प्रोग्रेससिव एम्प्लॉईस वेलफ़ेयर असोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ तिमाही बैठकें हुईं. नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में संबंधित संपर्क अधिकारियों और क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों ने नाबार्ड प्रोग्रेससिव एम्प्लॉईस वेलफ़ेयर असोसिएशन के स्थानीय यूनिटों के साथ बैठकें कीं.
- प्रधान कार्यालय, मुंबई में वरिष्ठ कार्यपालकों और मुख्य संपर्क अधिकारी / संपर्क अधिकारी ने अन्य पिछड़े वर्गों के वेलफ़ेयर असोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ छमाही बैठकें कीं.
- भर्ती और पदोन्नतियों के मामले में नाबार्ड ने भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए निर्धारित आरक्षणों का कड़ाई से पालन किया.
- नाबार्ड के अधिकारियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वेलफ़ेयर असोसिएशन के सदस्यों हेतु भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन पर 26-27 दिसंबर 2016 को राष्ट्रीय बैंक स्टाफ़ महाविद्यालय, लखनऊ में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया.
- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सदस्यों के लिए अधिकारियों और लिपिकीय संवर्ग में भर्ती प्रक्रिया के दौरान क्रमश: 50 और 43 अभ्यर्थियों को भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण दिया गया.

6.2.3 प्रशिक्षण और विकास

राष्ट्रीय बैंक स्टाफ़ महाविद्यालय(एनबीएससी) और बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान(बर्ड), लखनऊ, बोलपुर और मंगलुरु में स्टाफ़ सदस्यों और ग्राहकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है. वर्ष 2016-17 के दौरान, राष्ट्रीय बैंक स्टाफ़ महाविद्यालय (एनबीएससी) ने 97 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 2,048 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. इनमें से 30 कार्य-स्थलीय प्रशिक्षण थे. बर्ड की तीनों प्रशिक्षण संस्थाओं में कुल 462 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 98 कार्यक्रम कार्य-स्थलीय थे. (तालिका 6.3)

तालिका 6.3
वर्ष 2016-17 के दौरान बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान (बर्ड) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की संख्या

ग्राहक	बर्ड		
	लखनऊ	मंगलुरु	बोलपुर
वाणिज्य बैंक	1,089	237	106
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1,246	555	634
सहकारी बैंक	1,560	850	822
नाबार्ड	192	163	30
अन्य	2,433	1,408	1,081
कुल	6,520 (253)	3,213 (116)	2,673 (93)

नोट: कोष्ठक में कार्यक्रमों की संख्या दी गई है

वर्ष के दौरान प्रशिक्षण से संबंधित विशिष्ट पहलें :

- वर्ष के दौरान काठमाण्डू, नेपाल में आयोजित एक्सकॉम की 67वीं बैठक में एशिया -पैसिफ़िक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट असोसिएशन (अप्राका) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये. यह बैंकिंग संयोजन और अन्य गतिविधियों पर ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, लखनऊ में 10 सितंबर 2016 से पांच वर्षों के लिए अप्राका सेंटर और एक्सलेंस (एसीई) को जारी रखने के संबंध में था.

- वर्ष 2016-17 के दौरान, प्रशिक्षण और विकास के क्षेत्र में समन्वयन स्थापित करने के लिए नाबार्ड को असोशिएशन ऑफ डेवलपमेंट फाइनांसिंग इंस्टीट्यूशंस इन एशिया एंड द पैसिफ़िक (एडीएफआईएपी), फ़िलिपींस के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में शामिल किया गया.

- वर्ष के दौरान, नाबार्ड के 72 वरिष्ठ अधिकारियों ने बैंक से संबधित ऐसे कार्यक्रमों में भाग लिया जो उन्होंने स्वयं चुने थे.

- नाबार्ड ने प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और सम्मेलनों में विभिन्न ग्रेड के 185 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया.

- वर्ष 2015-16 के दौरान, ग्रेड ए और बी में भर्ती किए गए अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्र के सभी पहलुओं से परिचित करवाने के उद्देश्य से रूरल इम्मर्शन प्रोग्राम जैसे गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहबद्ध किया गया.

- वर्ष के दौरान, ग्रुप ए के नव-नियुक्त ग्रुप के स्टाफ़ सदस्यों के लिए दो परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया.

- एन.एम.सद्गुरु वाटर एंड डेवेलपमेंट फाउंडेशन, दाहोद, गुजरात में तीन पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें ग्रुप बी के लिए एक और ग्रुप सी के लिए दो कार्यक्रम थे.

6.2.4 मानव संसाधन से संबंधित अन्य नवाचार

आवास ऋण समूह बीमा योजना

आवास ऋण समूह बीमा योजना का नवीकरण 03 जुलाई 2016 से 02 जुलाई 2017 तक की अवधि के लिए किया गया. योजना के अंतर्गत उपचित ब्याज सहित आवास ऋण की मूल बकाया राशि को सुरक्षा आवरण उपलब्ध कराया गया है ताकि सेवारत किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार को देय अंतिम लाभ सुरक्षित रहें.

वैकल्पिक सामूहिक सावधि बीमा योजना

वर्तमान कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक आधार पर और नए भर्ती किये गये अधिकारियों (01 अगस्त 2013 को या इसके बाद सेवा में आए) के लिए 01 दिसंबर 2016 से 30 नवंबर 2017 तक बैंक के खर्चे पर ₹50 लाख तक फ्री कवर के साथ वैकल्पिक सामूहिक सावधि बीमा योजना (ओजीटीआईपी) को नवीकृत किया गया.

सामूहिक मेडीक्लेम बीमा

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सामूहिक मेडीक्लेम बीमा को 15 अगस्त 2016 से एक वर्ष के लिए नवीकृत किया गया.

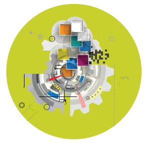

औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान नाबार्ड में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बने रहे. प्रबंधन और ऑल इंडिया नेशनल बैंक ऑफिसर्स असोसिएशन/ आल इंडिया नाबार्ड इंप्लाइज़ असोसिएशन के साथ आवधिक चर्चा की गई. वेतन समझौता-वार्ता के सुस्थापित सिद्धांतों के आधार पर श्रमिक कर्मचारियों के वेतनमानों, भत्तों और अन्य सेवा शर्तों में पुनरीक्षण के लिए नाबार्ड और आल इंडिया नाबार्ड इंप्लाइज़ असोसिएशन के बीच 01 मार्च 2017 को समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए गए. यह समझौता 01 नवंबर 2012 से पांच वर्षों के लिए प्रभावी हो गया है. ऑल इंडिया नेशनल बैंक ऑफिसर्स असोसिएशन के साथ चर्चा करने के बाद नाबार्ड के अधिकारियों के वेतनमानों, भत्तों और अन्य सेवा शर्तों में भी पुनरीक्षण किया गया है.

6.3 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 और शिकायतों का निवारण

6.3.1 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

नाबार्ड द्वारा पारदर्शिता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सक्रिय प्रकटीकरण और सांविधिक दायित्वों को पूरा करने के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अधीन मांगी गई जानकारी प्रभावी रूप से प्रदान की जा रही है.

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अधीन सांविधिक दायित्वों को पूरा करने के लिए 31 क्षेत्रीय कार्यालयों और 04 प्रशिक्षण संस्थाओं और प्रधान कार्यालय में 36 वरिष्ठ अधिकारियों को केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों के रूप में नामित किया गया है. श्री के.सईद अली, मुख्य महाप्रबंधक अपीलीय प्राधिकारी और श्री एम.वी.अशोक, मुख्य महाप्रबंधक पारदर्शिता अधिकारी थे.

वर्ष के दौरान, सूचनाओं के लिए 1,259 आरटीआई आवेदन और 142 अपीलें प्राप्त हुईं. 1,061 आरटीआई आवेदकों को सूचनाएं प्रदान की गई और 157 अपील मामलों में अपील आदेश जारी किए गए. केंद्रीय सूचना आयुक्त को प्रस्तुत अपीलों में नाबार्ड अधिकारियों ने 15 सुनवाइयों में भाग लिया.

6.3.2 शिकायत निवारण

वर्ष 2016-17 के दौरान, 28 शिकायतें और 05 अपीलें प्राप्त हुईं. शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) की चार और शिकायत निवारण अपील समिति (जीआरएसी) की दो बैठकें हुईं. जीआरसी ने 33 मामलों की सुनवाई की और 31 मामलों का निपटान किया. जीआरएसी ने पांच मामलों की सुनवाई की और सभी का निपटान किया.

6.4 सतर्कता सुग्राहीकरण

वर्ष के दौरान, केंद्रीय सतर्कता कक्ष ने सतर्कता के निवारक पहलू पर बल दिया. केंद्रीय सतर्कता कक्ष, प्रधान कार्यालय ने क्षेत्रीय कार्यालयों / प्रशिक्षण संस्थाओं में निवारक सतर्कता निरीक्षणों (पीवीआई) के दौरान सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के स्टाफ़ को सतर्कता के निवारक पक्ष पर जागरूक किया. वर्ष के दौरान, 11 क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के एक विभाग का निवारक सतर्कता निरीक्षण किया गया. सभी नये भर्ती अधिकारियों को उनके परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सतर्कता प्रणालियों और प्रक्रियाओं तथा संबंधित मामलों पर जानकारी दी गई.

नाबार्ड, प्रधान कार्यालय में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 'प्रापण प्रक्रिया' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. पूर्व मुख्य तकनीकी परीक्षक, केंद्रीय सतर्कता आयोग और पूर्व सलाहकार, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने प्रापण प्रक्रिया पर सत्रों का संचालन किया. कार्यशाला में मामला अध्ययनों पर भी चर्चा की गई.

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों / प्रशिक्षण संस्थाओं में 31 अक्तूबर से 05 नवंबर 2016 तक 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया गया. देश भर के विभिन्न विद्यालयों/ महाविद्यालयों से 30,000 से अधिक छात्रों ने प्रधान कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों/ प्रशिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आयोजित विभिन्न प्रश्नमंच प्रतियोगिताओं, संभाषणों/ व्याख्यानों में भाग लिया. स्कूल के बच्चों को सतर्कता की जानकारी देने और उनके भीतर इन मूल्यों की भावना भरने के लिए प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं. इस अवसर पर बांद्रा-कुर्ला संकुल में पदयात्रा का आयोजन किया गया जिसमें जन सामान्य के लिए भ्रष्टाचार मुक्त समाज और नैतिक मूल्यों की संदेश पट्टिकाओं का प्रदर्शन किया गया. नाबार्ड ने सत्यनिष्ठता का प्रसार करते हुए 6,500 से अधिक ग्रामवासियों और विभिन्न स्कूलों/ कॉलेजों के 35,000 छात्रों को ई-शपथ दिलाई.

6.5 सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नवाचार

नाबार्ड अपनी व्यवसाय गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी (आईटी) के नए-नए उपकरणों को अपनाकर उन्हें लागू करता है. यह सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर अधिप्राप्ति, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी अन्य मामलों के बारे में नीतिगत दिशानिर्देश भी तैयार करता है. इस दिशा में किए गए कुछ प्रमुख नवाचार निम्नानुसार हैं:

- केंद्रीकृत ऋण प्रबंधन और लेखांकन प्रणाली (सीएलएमएएस) को लागू करने से कार्य (वर्क फ़्लो) का आटोमेशन किया जा सका है और व्यवसाय नियम लागू किये जा सके हैं. सीएलएमएएस के साथ-साथ पूर्व में लागू लेखा सॉफ्टवेयर - इन्स्टा-अकाउंट का उपयोग जारी रखा गया. तथापि, इसका उपयोग 01 अप्रैल 2017 से बंद कर दिया गया है.
- वेब आधारित सूचना संग्रहण और प्रबंधन (डीसीएमएस) अर्थात् "एन्श्योर" एक उद्यम स्तरीय सॉफ्टवेयर है जिससे आंतरिक और बाह्य स्रोतों से सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है. कई नए क्षेत्रों/ ग्राहकों को एन्श्योर में लाया गया है.
- नाबार्ड ने डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ते हुए पेपरों का कम उपयोग करने वाला कार्यालय बनाने की दिशा में बैंक में एंटरप्राइज़ कंटेंट मैनेजमेंट (ईसीएम) सोल्यूशन को लागू करना शुरू किया है.
- बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी, बैंडविड्थ, पेरिमीटर फायरवाल और वैकल्पिक वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) के माध्यम से डिज़ास्टर रिकवरी साइट को सुदृढ़ता प्रदान की गई है.
- वैकल्पिक व्यवस्था के लिए मल्टी-प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस) नेटवर्क लागू किया गया है.
- वर्ष के दौरान, प्रधान कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालयों/ प्रशिक्षण संस्थाओं के स्टाफ़ सदस्यों से नैबनेट के माध्यम से फीडबैक लेने के लिए "नवप्रवर्तन" नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है.

6.6 कार्पोरेट संचार

6.6.1 नाबार्ड को एबीसीआई का "चैंपियन ऑफ चैंपियन्स" पुरस्कार

पिछले कुछ वर्षों से, नाबार्ड की एक अद्वितीय विकास वित्तीय संस्था के रूप में ब्रांड पहचान बनाने की दिशा में सचेत प्रयास किए गए हैं. उद्योग जगत के विभिन्न स्तरों पर हमारे ऐसे प्रयासों की सराहना की गई है.

तीन दशकों में पहली बार नाबार्ड को असोशिएशन ऑफ़ बिज़नेस कम्युनिकेटर्स ऑफ़ इंडिया (एबीसीआई) ने 56वें वार्षिक पुरस्कारों में एबीसीआई का प्रतिष्ठित "चैंपियन ऑफ़ चैंपियन्स" पुरस्कार प्रदान किया (प्रदर्श 6.1). एक अंतरराष्ट्रीय निर्णायक समिति द्वारा लगभग 2,000 नामांकनों में से इन पुरस्कारों का निर्धारण किया गया और वे 28 अक्तूबर 2016 को प्रदान किये गये.

प्रदर्श 6.1
अवार्ड श्रेणियां

6.6.2 नाबार्ड वैश्विक स्तर पर पुरस्कृत

कम्यूनिकेशंस प्रोफ़ेशनल्स के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच 'फाल 2016 लीग ऑफ़ अमेरिकन कम्यूनिकेशंस प्रोफेशनल्स' (एलएसीपी) में नाबार्ड के कॉर्पोरेट ब्रोशर "बियांड नम्बर्स 2016" को तीन पुरस्कार प्रदान किए गए. (तालिका 6.4)

तालिका 6.4
नाबार्ड को लीग ऑफ़ अमेरिकन कम्यूनिकेशंस प्रोफ़ेशनल्स (एलएसीपी) से प्राप्त पुरस्कार

प्रकाशन	वर्ग	स्थान
नाबार्ड कॉर्पोरेट ब्रोशर 2016	2016 इम्पैक्ट अवार्ड - कॉर्पोरेट रेप्युटेशन (इंटीग्रेटेड रिपोर्ट)	स्वर्ण
नाबार्ड कॉर्पोरेट ब्रोशर 2016	2016 इम्पैक्ट अवार्ड - कॉर्पोरेट रेप्युटेशन (सीएसआर रिपोर्ट)	स्वर्ण
नाबार्ड कॉर्पोरेट ब्रोशर 2016	2016 स्पॉटलाइट अवार्ड - ग्लोबल कम्युनिकेशंस (प्रिंट रिपोर्ट)	कांस्य
यूट्यूब / नाबार्ड ऑनलाइन	2016 इम्पैक्ट अवार्ड - कॉर्पोरेट रेप्युटेशन	कांस्य

6.6.3 एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कारों में नाबार्ड

कृषि और ग्रामीण विकास पर कवरेज करनेवाले पत्रकारों को ग्रामीण विकास पार्टनर के रुप में बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार 2016 के एक वर्ग के पुरस्कारों को प्रायोजित किया. माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 02 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में सम्पन्न एक कार्यक्रम में इन पुरस्कारों का वितरण किया गया.

6.6.4 सफलता की कहानियों का प्रलेखन

कॉर्पोरेट संचार विभाग (सीसीडी), प्रधान कार्यालय ने क्षेत्रीय कार्यालयों के सहयोग से नाबार्ड के सफल नवाचारों का प्रलेखन तैयार करने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई. नाबार्ड की पहलों से आधार स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों को रेखांकित करने के लिए जीवन की सच्ची एवं हृदयस्पर्शी कहानियों को पोस्टरों एवं फिल्मों के रूप में विकसित किया गया. आठ राज्यों - हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और गोवा की अड़तालीस फ़िल्में तैयार की गई.

6.6.5 लिखित सम्प्रेषण हेतु मैन्युअल

सुदृढ और एकरूप सम्प्रेषण प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक लिखित सम्प्रेषण मैन्युअल तैयार किया गया है. इस मैन्युअल में आंतरिक और बाह्य दोनों में सभी प्रकार के लिखित संप्रेषणों में प्रणालियों, प्रक्रियाओं और फार्मेटों का मानकीकरण किया गया है. इसमें मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों (i) आंतरिक कार्यालय टिप्पण (ii) आंतरिक सम्प्रेषण और (iii) विभिन्न हितधारकों के साथ बाह्य संप्रेषणों के लिए फॉर्मेट, भाषागत शिष्टता, विषय-वस्तु, प्रस्तुति शैली आदि के सुझाव दिए गए हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैन्युअल के इन प्रपत्रों को लागू की जा रही ईसीएम प्रणाली में शामिल किया जाएगा.

6.6.6 कारपोरेट वेबसाइट का नया कलेवर

नये कलेवर में कॉर्पोरेट वेबसाइट www.nabard.org 13 फरवरी 2017 को आरंभ की गई. इसमें सभी आधुनिकतम विशेषताएं हैं जिनका सभी उपकरणों से उपयोग किया जा सकता है और इसमें सर्च तथा सुरक्षा के उन्नत साधन हैं. इन अतिरिक्त विशेषताओं में सोशल मीडिया इंटरफ़ेस, वेब पेज पर प्रस्तुत फ़िल्में, विषय आधारित सफलता की कहानियां, राज्य फोकस पेपर (एसएफ़पी), समाचार और घटनाक्रम मॉड्यूल और एक सूचना लाइब्रेरी शामिल हैं.

6.6.7 नाबार्ड लोगो का पंजीकरण

ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 के अंतर्गत भारत सरकार के ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री के पास हिन्दी और अंग्रेज़ी में नाबार्ड के लोगो का पंजीकरण करवाया गया है.

6.7 संसदीय समितियों का दौरा

वर्ष 2016-17 के दौरान निम्नलिखित संसदीय समितियों ने नाबार्ड के साथ विचार-विमर्श किया :

- राज्य सभा की अधीनस्थ विधायन समिति का 18 मई से 25 मई 2016 के दौरान भोपाल, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद का अध्ययन दौरा.
- लोक सभा की अधीनस्थ विधायन समिति का 06 जून से 11 जून 2016 के दौरान लेह, श्रीनगर और जम्मू में अध्ययन दौरा.
- महिला सशक्तीकरण पर संसदीय समिति का 29 जून से 05 जुलाई 2016 के दौरान मुंबई, मंगलुरु और कुर्ग का अध्ययन दौरा.
- राज्य सभा के पटल पर रखे गए प्रलेखों की समिति का 23 सितंबर से 30 सितंबर 2016 के दौरान मुंबई, कोज़ीकोड, तिरुवनन्तपुरम और बेंगलुरु का अध्ययन दौरा.
- सरकार के आश्वासनों पर राज्य सभा की समिति का 17 अक्तूबर से 23 अक्तूबर 2016 के दौरान हैदराबाद, विशाखापट्टनम और कोलकाता दौरा.

महिला सशक्तीकरण पर संसदीय समिति का अध्ययन दौरा-मुंबई

- राज्य सभा की उद्योग पर विभाग संबंधी स्थायी समिति का 19 दिसंबर से 22 दिसंबर 2016 के दौरान मुंबई और गोवा दौरा.
- वाणिज्य पर विभाग संबंधी स्थायी समिति का 07 जनवरी से 11 जनवरी 2017 के दौरान बेंगलुरु, कोची और तिरुवनंतपुरम दौरा.
- राज्य सभा की अधीनस्थ विधायन समिति का 04 जनवरी से 11 जनवरी 2017 के दौरान अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु का अध्ययन दौरा.
- सरकार के आश्वासनों पर राज्य सभा की समिति का 14 जनवरी से 20 जनवरी 2017 के दौरान राजकोट, सासनगीर और भुज का दौरा.

6.8 राजभाषा का प्रसार

वर्ष 2016-17 के दौरान राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया और नाबार्ड के दैनंदिन कार्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के प्रयास जारी रखे गए. साथ ही, वर्ष 2016-17 के लिए भारत सरकार के वार्षिक समयबद्ध कार्यक्रम के अधीन दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपाय किए गए. ग्राहकों, अंतिम लाभार्थियों और स्टाफ़ सदस्यों के लिए दिशानिर्देश, मैनुअल, संदर्भ साहित्य, प्रकाशन आदि हिन्दी में तैयार किए गए. तिमाही आधार पर उप प्रबंध निदेशक और क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों की अध्यक्षता में सम्पन्न राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रधान कार्यालय में नियमित रूप से हिन्दी के सम्बन्धित प्रयोग की समीक्षा की गई.

वर्ष के दौरान, नाबार्ड ने अपने स्टाफ़ सदस्यों के क्षमता निर्माण के प्रयास जारी रखे. इसके लिए टिप्पण व प्रारूपण कौशल में सुधार, संभाव्यतायुक्त ऋण योजनाएं (पीएलपी) हिन्दी में तैयार करने, वॉइस टाइपिंग उपकरणों के इस्तेमाल हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया गया. इसके अलावा, वरिष्ठ अधिकारियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राजभाषा नोडल अधिकारियों के लिए राजभाषा उन्मुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन सभी कार्यालयों में किया गया और हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रधान कार्यालय के विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों को राजभाषा शील्ड प्रदान की गई. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले स्टाफ को हिन्दी में दक्ष बनाने के लिए भारत सरकार के *पारंगत* पाठ्यक्रम को प्रधान कार्यालय और कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू किया गया.

वर्ष के दौरान, आठ क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के सात विभागों का राजभाषा निरीक्षण किया गया. वर्ष के दौरान तिमाही आधार पर बैंक की गृह पत्रिका "राष्ट्रीय बैंक सृजना" का प्रकाशन किया गया. पत्रिका को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए.

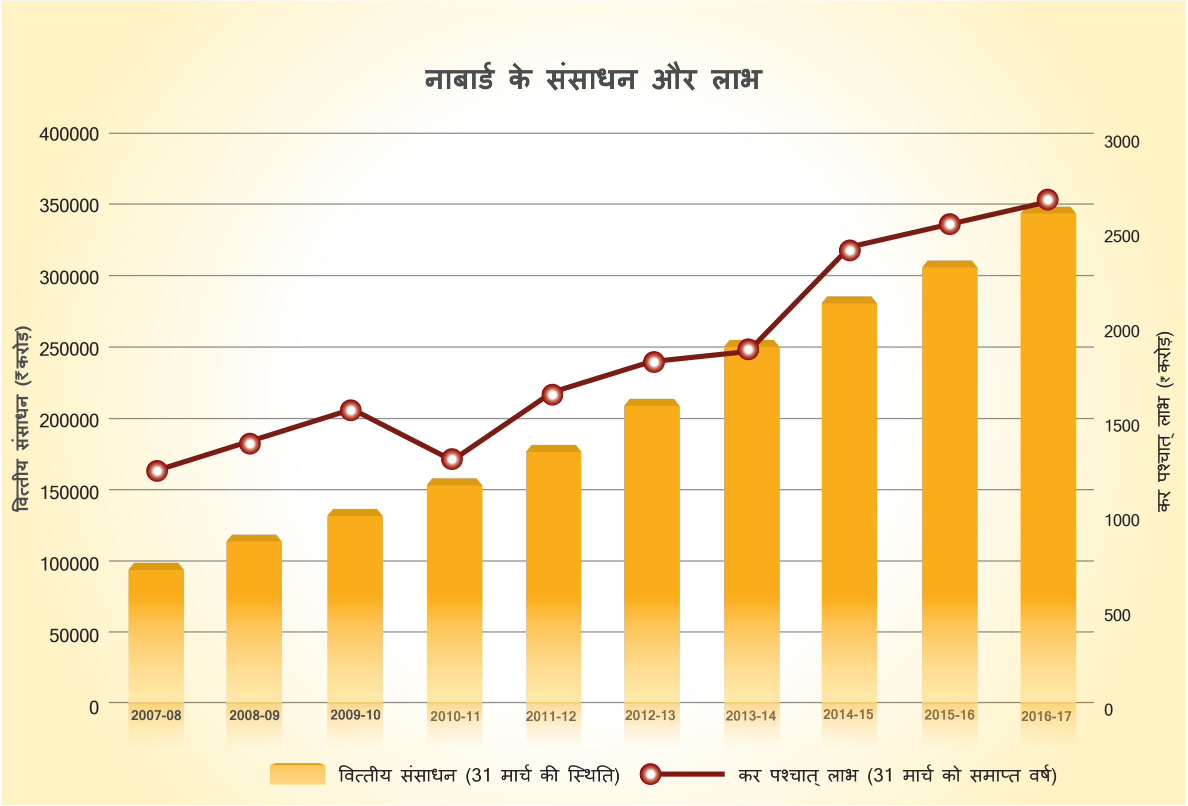

7 संसाधन प्रबंधन और वित्तीय निष्पादन

31 मार्च 2017 को नाबार्ड के पास उपयोग हेतु उपलब्ध वित्तीय संसाधन ₹3,48,260 करोड़ थे जबकि 31 मार्च 2016 की स्थिति में ये ₹3,10,385 करोड़ थे. इस प्रकार इसमें 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (प्रदर्श 7.1) (तालिका 7.1). नाबार्ड के कुल बाजार उधार ₹2,79,880 करोड़ (31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार) थे, जो बैंक के पास उपलब्ध संयुक्त संसाधनों के 80 प्रतिशत हैं.

प्रदर्श 7.1
31 मार्च को तुलनपत्र का आकार (₹करोड़)

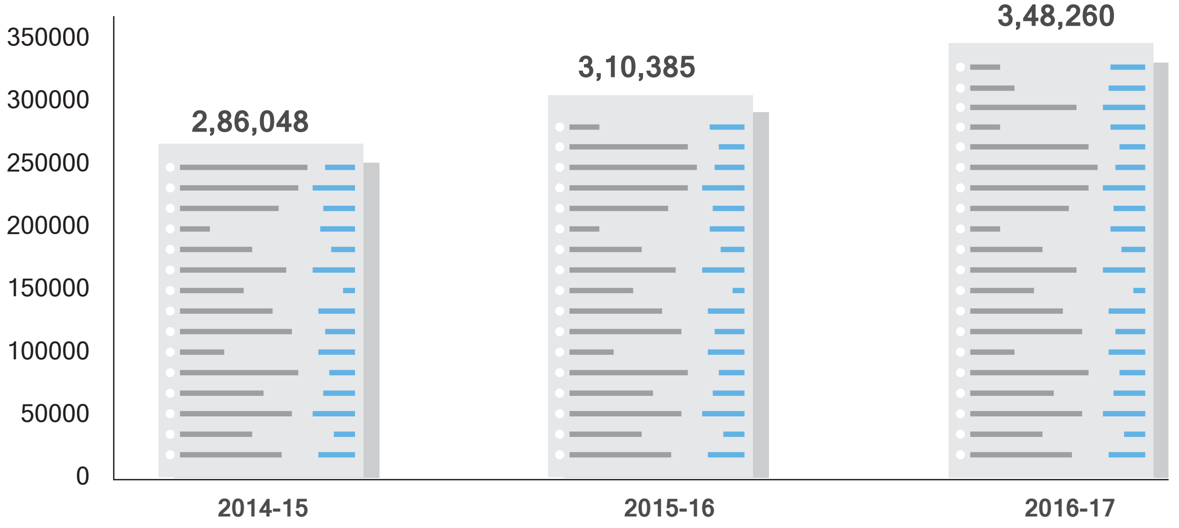

7.1 निधियों के स्रोत

7.1.1 पूंजी, प्रारक्षित निधियां और अधिशेष

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड की प्राधिकृत और चुकता पूंजी ₹5,000 करोड़ थी जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 99.6 प्रतिशत और भारतीय रिजर्व बैंक (भा रि बैंक) का हिस्सा 0.4 प्रतिशत था. इसके अलावा, नाबार्ड की शेयर पूंजी के लिए भारत सरकार की ओर से वर्ष 2015-16 में ₹300 करोड़ और 2016-17 में ₹1,400 करोड़ की प्राप्त अंशदान राशि को प्राधिकृत पूंजी बढ़ाए जाने के बाद शेयर पूंजी के समक्ष समायोजन के लंबित रहने तक बतौर अग्रिम रखा गया है. 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड की प्रारक्षित निधि और अधिशेष बढ़कर ₹24,771 करोड़ हो गए जबकि 31 मार्च 2016 की स्थिति में ये ₹22,126 करोड़ थे.

7.1.2 राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधियां

राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि का उपयोग निवेश ऋण संबंधी गतिविधियों के लिए किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि का उपयोग अल्पावधि ऋणों के परिवर्तन या पुनः अनुसूचीकरण में किया जाता है. ये निधियां आंतरिक उपचयों और भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त अंशदान के माध्यम से संवर्धित की जाती हैं. वर्ष 2016-17 के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रत्येक निधि में ₹1 करोड़ का अंशदान किया गया. 31 मार्च 2017 को राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि में क्रमशः ₹14,489 करोड़ और ₹1,589 करोड़ की राशि शेष थी.

7.1.3 जमाराशियां

क) अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण (एसटीसीआरसी) निधि

सहकारी संस्थाओं को अल्पावधि ऋण सुविधाएं देने हेतु नाबार्ड के संसाधन बढ़ाने के लिए वर्ष 2008-09 में अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि (पुनर्वित्त) का गठन ₹5000 करोड़ के आबंटन से किया गया था, जिसमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर पाने वाले अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा अंशदान किए गए थे. इस निधि में आबंटन मिलना जारी है. 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, इस निधि में ₹45,009 करोड़ की राशि शेष थी, जो वर्ष के लिए आबंटित राशि थी.

भारत सरकार ने नाबार्ड को निर्देश दिया था कि बाजार की प्रचलित दरों पर ₹20,000 करोड़ तक के अल्पावधि उधार लेकर इसे 4.5 प्रतिशत की दर पर सहकारी बैंकों को उपलब्ध कराया जाए, ताकि विमुद्रीकरण के बाद ये बैंक किसानों को खरीफ फसलों के लिए अल्पावधि ऋण उपलब्ध करा सकें. इस सुविधा के अंतर्गत फरवरी और मार्च 2017 के दौरान बाजार से ₹17,881 करोड़ की राशि उधार लेकर सहकारी बैंकों को संवितरित की गई.

ख) दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि

सहकारी और क्षेत्रा बैंकों की निवेश ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र प्रतिबद्धताओं को पूरा न कर सकने वाले अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा किए गए अंशदान से वर्ष 2014-15 में ₹5000 करोड़ की राशि से नई निधि स्थापित की गई थी. 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार इस निधि में ₹30,001 करोड़ की राशि बकाया थी.

ग) चाय, कॉफी और रबर जमाराशियां

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार चाय, कॉफी और रबर कंपनियों की बकाया जमाराशियां ₹219 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार यह ₹266 करोड़ थीं.

घ) आरआईडीएफ जमाराशियां

वर्ष 2016-17 के दौरान, आरआईडीएफ XVII-XXII चरणों के अंतर्गत वाणिज्य बैंकों से ₹25,650 करोड़ की आरआईडीएफ जमाराशि जुटाई गई. इस अवधि में आरआईडीएफ X-XIX चरणों के तहत ₹17,032 करोड़ की चुकौती की गई. 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार आरआईडीएफ की शेष जमाराशि ₹1,05,503 करोड़ रहीं, जबकि 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार यह ₹96,885 करोड़ थीं.

7.1.4 उधार

ऋण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नाबार्ड, कारपोरेट बांड, कमर्शियल पेपर, जमा प्रमाणपत्रों और मीयादी मुद्रा उधारों आदि के माध्यम से बाजार से उधार लेकर अपने संसाधनों को बढ़ाता रहा है.

क) पूंजी अभिलाभ बॉण्ड

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार पूंजी अभिलाभ बॉण्ड के तहत बकाया राशि ₹1.29 करोड़ थी.

ख) कारपोरेट बॉण्ड

वर्ष 2016-17 के दौरान ₹9,508 करोड़ के कारपोरेट बॉण्डों का मोचन किया गया, जबकि ₹11,840 करोड़ के नए बॉण्ड जारी किए गए. 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार इसके तहत बकाया राशि ₹31,479 करोड़ रही जबकि 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार यह ₹29,147 करोड़ थी.

ग) भविष्य निर्माण बॉण्ड

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भविष्य निर्माण बॉण्ड की दो शृंखलाओं का मोचन किया गया. 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार इन बॉण्डों की मूलधन बकाया राशि ₹4,971 करोड़ रही जबकि 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार यह ₹4,975 करोड़ थी.

घ) जमा प्रमाणपत्र

वर्ष 2016-17 के दौरान जमा प्रमाणपत्र जारी करके ₹7,479 करोड़ की उधार राशि जुटाई गई. वर्ष 2016-17 के दौरान ₹5,545 करोड़ के जमा प्रमाणपत्रों का मोचन किया गया. 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार इसके तहत बकाया उधार राशि ₹7,479 करोड़ थी.

ङ) कमर्शियल पेपर्स (सीपी)

वर्ष 2016-17 के दौरान कमर्शियल पेपर्स के माध्यम से ₹48,238 करोड़ के नए उधार लिए गए. इस अवधि में ₹44,816 करोड़ के कमर्शियल पेपर्स का मोचन किया गया. 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार इसके तहत बकाया राशि ₹16,193 करोड़ रही जबकि 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार यह ₹12,771 करोड़ थी.

च) मीयादी मुद्रा उधार

अल्पावधि निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीन से छह महीने की अवधि के मीयादी मुद्रा उधार लिए गए थे. वर्ष 2016-17 के दौरान ₹4,236 करोड़ की चुकौती की गई और ₹4,910 करोड़ के नए मीयादी मुद्रा उधार लिए गए. 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, इसके तहत बकाया राशि ₹2,193 करोड़ रही जबकि 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार यह ₹1,519 करोड़ थी.

छ) भारत सरकार से उधार

वर्ष 2016-17 के दौरान भारत सरकार से कोई नए उधार नहीं लिए गए. इस अवधि में ₹12.25 करोड़ की पूरी बकाया राशि की चुकौती कर दी गई.

ज) कर मुक्त बॉण्ड

कर मुक्त बॉण्ड के माध्यम से वर्ष 2016 में जुटाई गई ₹5,000 करोड़ की राशि 31 मार्च 2017 की स्थिति में बकाया थी. वर्ष 2016-17 में इसके तहत कोई नए बॉण्ड जारी नहीं किए गए.

झ) दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ)

इस निधि की घोषणा केंद्रीय बजट 2016-17 में की गई थी. वर्ष 2016-17 में भारत सरकार ने दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ) के अंतर्गत विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए कुल ₹20,000 करोड़ के संवितरण का अनुमान किया था. एक विशेष व्यवस्था के तहत, भारत सरकार ₹6,300 करोड़ राशि तक के बॉण्ड निर्गम के भुगतान के लिए सहमत थी और शेष ₹13,700 करोड़ की राशि नाबार्ड द्वारा बाजार से उधार लेकर जुटाने का प्रस्ताव था.

वर्ष 2016-17 के दौरान नाबार्ड ने भारत सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाले बॉण्ड के माध्यम से ₹2,187 करोड़ जुटाए और नाबार्ड के हिस्से से ₹4,485 करोड़ जुटाए गए. इसके अतिरिक्त, पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए नाबार्ड बॉण्ड जारी करके ₹2,414 करोड़ उधार लिए गए.

ट) विदेशी मुद्रा उधार

केएफडब्ल्यू से लिए उधारों के तहत वर्ष के दौरान ₹46 करोड़ का मोचन किया गया और ₹8 करोड़ की राशि जुटाई गई. 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार इसके तहत ₹684 करोड़ का बकाया शेष था, जबकि 31 मार्च 2016 की स्थिति में यह राशि ₹722 करोड़ थी. इन ऋणों और उसके ब्याज पर विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम के लिए 5.73 प्रतिशत की औसत वार्षिक लागत पर 3 से 10 वर्ष के लिए पूर्णतया हेजिंग की गई है.

तालिका 7.1

निधियों के स्रोत (लेखा परीक्षित)
(31 मार्च की स्थिति)

(राशि ₹ करोड़)

विवरण	2016		2017	
	राशि	हिस्सा (%)	राशि	हिस्सा (%)
पूंजी, प्रारक्षित अधिशेष	27,426	8.84	31,471	9.04
एनआरसी (एलटीओ) और एनआरसी (स्थिरीकरण) निधियां	16,074	5.18	16,078	4.62
चाय, कॉफी और रबर जमा राशियां	266	0.09	219	0.06
आरआईडीएफ जमाराशियां	96,885	31.21	1,05,503	30.29
एसटीसीआरसी निधि	53,991	17.39	45,009	12.92
क्षेग्रा बैंकों के लिए अल्पावधि निधि	15,997	5.15	10,003	2.87
एलटीआरसी	18,997	6.12	30,001	8.61
बॉण्ड और डिबेंचर (बीएनबी सहित)	34,123	10.99	36,451	10.47
कमर्शियल पेपर्स	12,771	4.11	16,193	4.65
जमा प्रमाणपत्र	5,545	1.79	7,479	2.15
कर मुक्त बॉण्ड	5,000	1.61	5,000	1.44
मीयादी मुद्रा उधार	1,520	0.49	2,193	0.63
भारत सरकार से उधार	12	0.00	0	0.00
जेएनएन सोलर मिशन उधार	15	0.00	15	0.00
विदेशी मुद्रा ऋण	722	0.23	684	0.20
भंडारागार आधारभूत सुविधा निधि	3,550	1.14	3,531	1.01
खाद्य प्रसंस्करण निधि	100	0.03	150	0.04
एलटीआईएफ	0	0.00	9,086	2.61
सीबीएलओ और रिपो	0	0.00	7,614	2.19
एसटीडी के समक्ष उधार	0	0.00	750	0.22
अन्य देयताएं	11,373	3.66	14,647	4.21
अन्य निधियां	6,018	1.94	6,183	1.78
कुल	3,10,385	100.00	3,48,260	100.00

7.2 निधियों के उपयोग

7.2.1 अल्पावधि ऋण, मध्यावधि (परिवर्तन) ऋण

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार अल्पावधि (मौकृप) और अल्पावधि (मौकृप से इतर) के अंतर्गत कुल बकाया ₹73,553.37 करोड़ था, जबकि पिछले वर्ष के अंत में यह ₹69,718.82 करोड़ था. इसमें 5.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. अल्पावधि (मौकृप) के तहत रास बैंकों, क्षेग्रा बैंकों, वाणिज्य बैंकों और रासकृग्रावि बैंकों का हिस्सा क्रमशः ₹59,314.12 करोड़, ₹12,258.70 करोड़, ₹270.81 करोड़ और ₹200 करोड़ रहा. अल्पावधि (मौकृप से इतर) के अंतर्गत रास बैंकों और क्षेग्रा बैंकों का बकाया क्रमशः ₹1,054.74 करोड़ और ₹455 करोड़ था.

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, मध्यावधि (परिवर्तन) ऋण के अंतर्गत कुल बकाया ₹1,065 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष के अंत में यह ₹446.90 करोड़ था.

7.2.2 दीर्घावधि ऋण

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, बैंकों द्वारा दिए गए मध्यावधि और दीर्घावधि निवेश ऋणों के लिए उन्हें प्रदत्त पुनर्वित्त सहायता ₹1,05,207.49 करोड़ रही, जबकि 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार यह राशि ₹89,423.54 करोड़ थी. इस प्रकार इसमें 17.65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.

7.2.3 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष ऋण

एकल उधारकर्ताओं और संबद्ध पैक्स की कार्यशील पूंजी और कृषि आस्तियों के रखरखाव संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिमस बैंकों को प्रत्यक्ष ऋण देने के लिए अल्पावधि बहु-उद्देशीय ऋण उत्पाद डिजाइन कर वर्ष 2011-12 में शुरू किया गया था. इस ऋण व्यवस्था के तहत 31 मार्च 2017 की स्थिति में ₹2,565.20 करोड़ बकाया था जबकि 31 मार्च 2016 की स्थिति में यह बकाया ₹3,250.75 करोड़ था.

7.2.4 प्रत्यक्ष ऋण

✦ आरआईडीएफ

31 मार्च 2017 की स्थिति में राज्य सरकारों को आरआईडीएफ परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रदत बकाया ऋण ₹1,00,981.48 करोड़ था जबकि 31 मार्च 2016 की स्थिति में यह ₹91,384.12 करोड़ था.

✦ भंडारागार आधारभूत सुविधा निधि

इस निधि का उपयोग भंडारागारों, साइलो, कोल्ड स्टोरेज और अन्य कोल्ड चेन आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए किया जाता है. 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड भंडारागार योजना (एनडब्ल्यूएस) के तहत बकाया ऋण ₹3,402.11 करोड़ रहा, जबकि 31 मार्च 2016 की स्थिति में यह ₹2,361.95 करोड़ था.

✦ नाबार्ड आधारभूत सुविधा विकास सहायता

नाबार्ड आधारभूत सुविधा विकास सहायता (नीडा) के तहत 31 मार्च 2017 को बकाया ऋण राशि ₹4,978 करोड़ रही जबकि 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि ₹3,238.89 करोड़ थी.

✦ उत्पादक संगठन विकास निधि (पीओडीएफ)

पीओडीएफ के तहत 31 मार्च 2017 को बकाया ऋण राशि ₹316.58 करोड़ रही जबकि 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि ₹377.77 करोड़ थी.

✦ फेडरेशनों को ऋण सुविधाएं

फेडरेशनों को ऋण सुविधा योजना के तहत 31 मार्च 2017 को बकाया ऋण राशि ₹6,961 करोड़ थी जबकि 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार यह राशि ₹4,948.50 करोड़ थी.

✦ खाद्य प्रसंस्करण निधि

इस निधि का उपयोग नामोदिष्ट फूड पार्कों की स्थापना और इन पार्कों में एकल प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए सस्ता ऋण प्रदान करने हेतु किया जाता है. इसके तहत 31 मार्च 2017 को बकाया राशि ₹139.79 करोड़ रही जबकि पिछले वर्ष यह राशि ₹20.57 करोड़ थी.

✦ दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ)

केंद्रीय बजट 2016-17 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की घोषणा के तहत सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए नाबार्ड में दीर्घावधि सिंचाई निधि की स्थापना की गई थी. इसके अंतर्गत 31 मार्च 2017 को बकाया ₹9,086.02 करोड़ थी.

✦ गैर-परियोजना ऋण

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार सहकारी संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान करने के लिए राज्य सरकारों को दिए गए दीर्घावधि ऋणों की बकाया राशि ₹53.43 करोड़ थी जबकि 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार यह राशि ₹66.38 करोड़ थी.

✦ अन्य ऋण

विभिन्न निधियों (सीडीएफ, एमएफडीईएफ, डब्ल्यूडीएफ, और टीडीएफ, केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम, कृषि क्षेत्र और कृषेतर क्षेत्र संवर्धन निधि, जेएनएन सोलर मिशन) से दिए गए अन्य ऋण और सह-वित्तपोषण के अंतर्गत दिए गए ऋण 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार ₹321.73 करोड़ रहे जबकि 31 मार्च 2016 के अनुसार ये ऋण ₹209.85 करोड़ थे.

✦ अधिशेष निधियों का निवेश

31 मार्च 2017 की स्थिति में नाबार्ड द्वारा विभिन्न वित्तीय लिखतों में विनियोजित अधिशेष (बैंकों में जमा राशि सहित) की कुल राशि ₹32,711.03 करोड़ थी. 31 मार्च 2017 की स्थिति में इसमें से ₹22,515.97 करोड़ की राशि सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय लिखतों में विनियोजित की गई थी, तरलता और आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ₹8,846 करोड़ की राशि अल्पावधि बैंक निक्षेप के रूप में और ₹1,349.06 करोड़ की राशि संपार्श्विकृत उधार और लेन-देन संबंधी दायित्व के रूप में रखी गई थी.

तालिका 7.2
निधियों के उपयोग
(31 मार्च की स्थिति)

(राशि ₹ करोड़)

विवरण	2016		2017	
	राशि	हिस्सा (%)	राशि	हिस्सा (%)
नकद और बैंक शेष	16,056	5.17	11,612	3.33
सरकारी प्रतिभूतियां और अन्य निवेश	21,511	6.93	22,774	6.54
सीबीएलओ	2,492	0.80	1,349	0.39
उत्पादन और विपणन ऋण	69,719	22.46	73,553	21.12
उत्पादन ऋण का मध्यावधि ऋण में परिवर्तन	447	0.14	1,065	0.31
मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋण *	89,424	28.81	1,05,208	30.21
जिमस बैंकों को प्रत्यक्ष ऋण	3,251	1.05	2,565	0.74
एलटी गैर-परियोजना ऋण	66	0.02	53	0.02
आरआईडीएफ से ऋण	91,384	29.44	1,00,981	29.00
नीडा ऋण	3,239	1.04	4,978	1.43
नाबार्ड भंडरागार योजना	2,362	0.76	3,402	0.98
खाद्य प्रसंस्करण निधि	21	0.01	140	0.04
फेडरेशनों के लिए ऋण सुविधाएं	4,948	1.59	6,961	2.00
दीर्घावधि सिंचाई निधि	0	0.00	9,086	2.61
उत्पादक संगठन विकास निधि	377	0.12	317	0.09
अन्य ऋण	210	0.07	322	0.09
अचल आस्तियां व अन्य आस्तियां	4,878	1.57	3,894	1.12
कुल	3,10,385	100.00	3,48,260	100.00

* रासकृग्रावि बैंकों के विशेष विकास डिबेंचरों, जो डीम्ड अग्रिम प्रकृति के हैं, में अंशदान के लिए प्रदत्त राशि सहित

7.3 आय और व्यय

वित्तीय वर्ष 2016-17 में नाबार्ड की कुल आय ₹22,276.91 करोड़ रही जबकि वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹20,730.12 करोड़ थी (प्रदर्श 7.2). 31 मार्च 2016 की स्थिति में कर पूर्व लाभ (पीबीटी) और कर पश्चात् लाभ (पीएटी) क्रमश: ₹3,816.83 करोड़ और ₹2,645.50 करोड़ थे (प्रदर्श 7.3), जबकि गत वर्ष कर पूर्व लाभ और कर पश्चात् लाभ क्रमश: ₹3,652.75 करोड़ और ₹2,523.81 करोड़ थे. कर उत्तरदायित्वों को पूरा करने के पश्चात् निवल अधिशेषों को अनुसंधान और विकास निधि, प्रारक्षित निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण स्थिरीकरण निधि एवं अन्य निधियों सहित नाबार्ड में स्थापित विभिन्न निधियों में राशि अंतरित कर उसे विनियोजित किया गया है.

प्रदर्श 7.2
सकल आय (₹ करोड़)

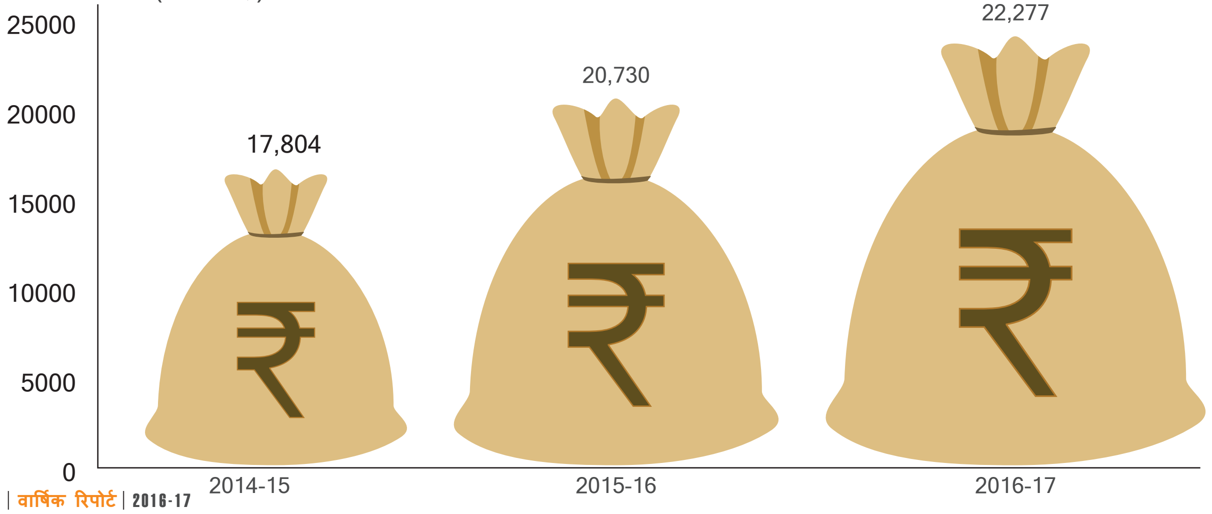

प्रदर्श 7.3
कर पश्चात् लाभ (₹ करोड़)

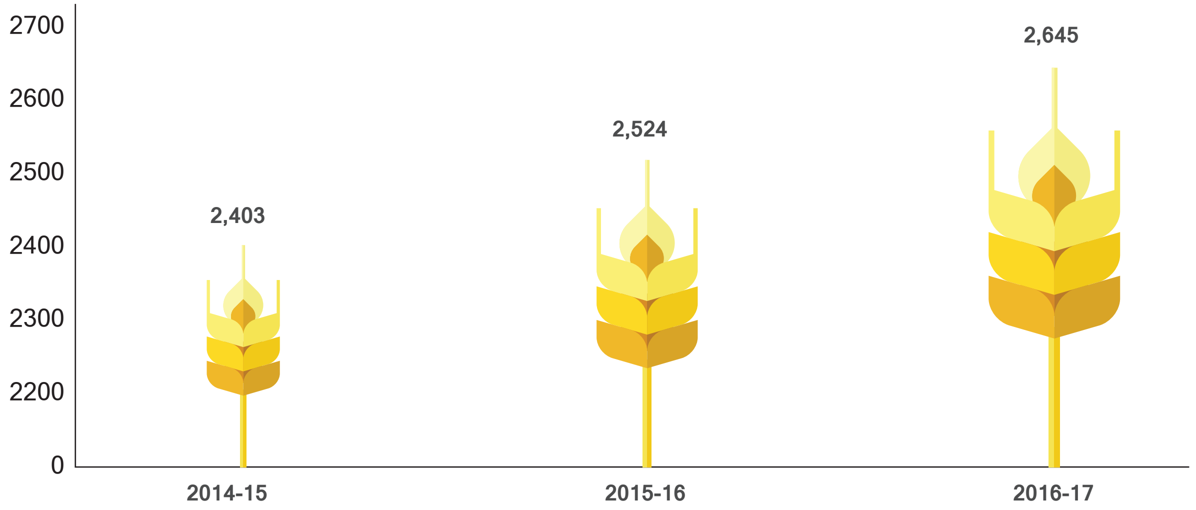

प्रदर्श 7.4
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)

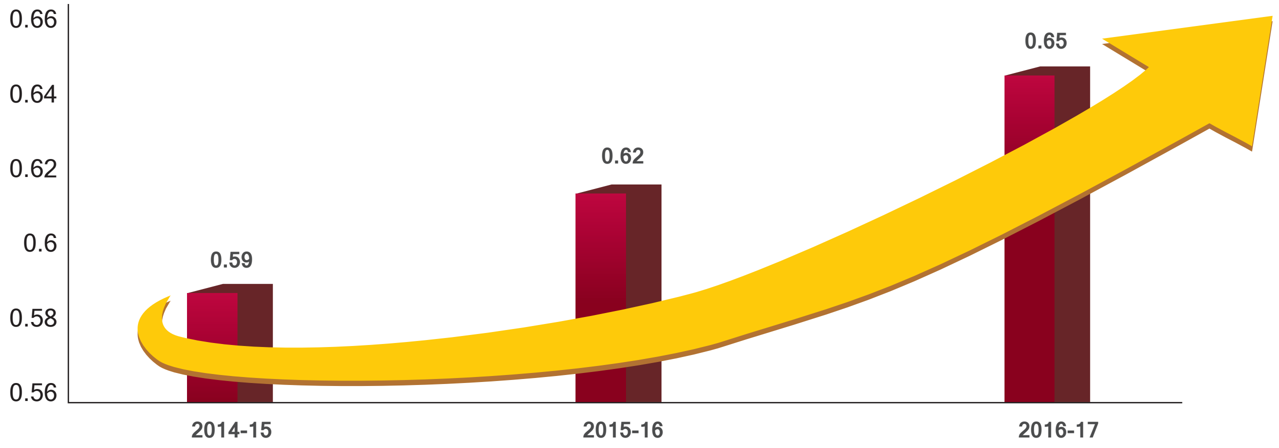

प्रदर्श 7.5
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹करोड़)

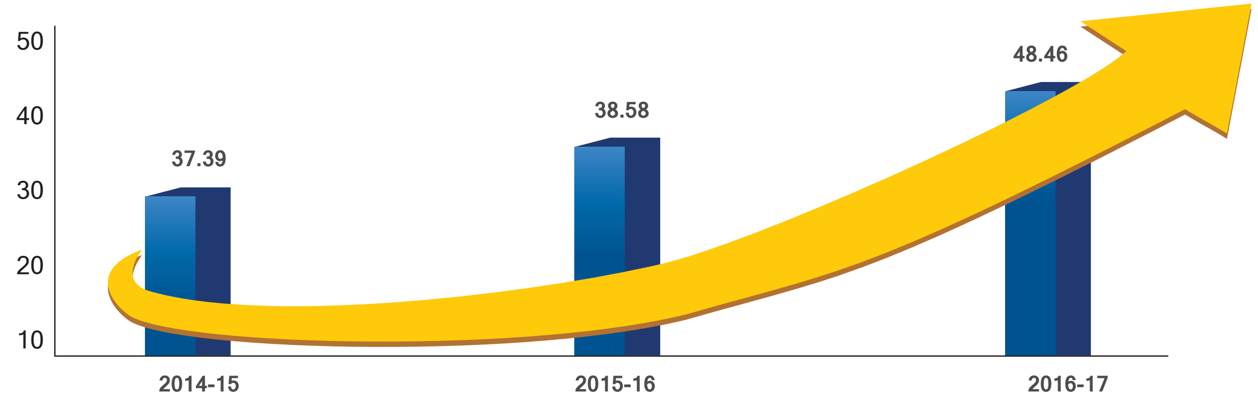

7.4 पूंजी पर्याप्तता

31 मार्च 2017 की स्थिति में पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) 17.71 प्रतिशत था जबकि 31 मार्च 2016 को यह 17.59 प्रतिशत था (प्रदर्श 7.6).

प्रदर्श 7.6
31 मार्च को पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)

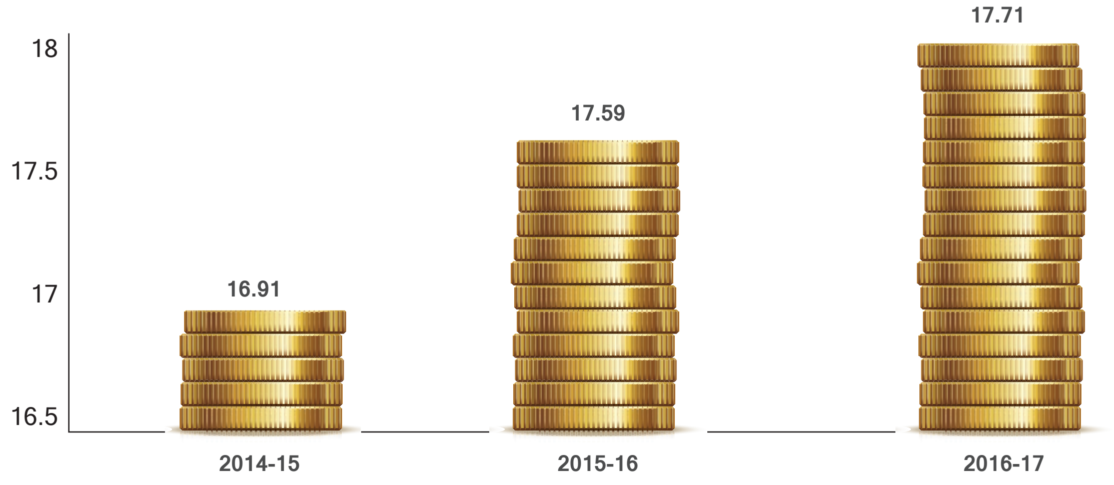

7.5 निरीक्षण और संगामी लेखापरीक्षा

वर्ष 2016-17 के दौरान, वित्तीय लेनदेनों और परिचालनों से संबंधित सभी विनियमों और मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण विभाग ने 42 निरीक्षण किए जिनमें 21 क्षेत्रीय कार्यालय, 02 प्रशिक्षण संस्थान, प्रधान कार्यालय के 17 विभाग और 04 सहायक कंपनियां शामिल हैं.

2016-17 के दौरान, निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकें हुई जिनमें तिमाही वित्तीय परिणामों, बैंक के वार्षिक लेखों और तुलनपत्र, भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट और उसकी अनुपालना, क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रधान कार्यालय के विभागों, प्रशिक्षण संस्थानों और नाबार्ड की सहायक संस्थाओं की निरीक्षण रिपोर्टों के सारांश, मध्यवर्ती खातों की स्थिति, संगामी लेखापरीक्षकों के निष्पादन आदि की समीक्षा की गई.

7.6 जोखिम प्रबंधन

ऋण, बाजार, परिचालन और अनुपालना जोखिम को शामिल करते हुए एकीकृत उद्यम जोखिम प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र जोखिम अभिशासन संरचना की व्यवस्था की गई है. अपनी कारोबार संबंधित पोर्टफोलियो की बदलती जरूरतों एवं विनियामक के दिशानिर्देशों की अनुपालना को ध्यान में रखते हुए इन जोखिमों को शामिल करते हुए संशोधित एकीकृत उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति संबंधी दिशा निर्देशों की व्यवस्था की गई है.

वर्ष के दौरान (i) नाबार्ड के लिए केंद्रीय जोखिम प्रबंधन सॉफ्टवेयर (सीआरएमएस) की पहचान करने तथा (ii) न केवल आंकड़ों, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इत्यादि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बल्कि संगठन में स्टाफ की सुरक्षा के लिए भी, नाबार्ड के लिए उद्यम-वार कारोबार निरंतरता प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए परामर्शदाता की सेवा लेने के लिए दो अनुरोध प्रस्ताव (आरएफए) जारी किए गए.

09 प्रमुख जोखिम श्रेणियों अर्थात् कार्यनीति संबंधी जोखिम, वित्तीय जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम, पर्यवेक्षण जोखिम, मानव पूंजी जोखिम, प्रौद्योगिकी जोखिम, परिचालनात्मक जोखिम, बाह्य जोखिम एवं अनुपालना जोखिम की पहचान कर तथा प्रत्येक जोखिम के लिए शून्य जोखिम ग्रहण क्षमता, न्यून जोखिम ग्रहण क्षमता, साधारण जोखिम ग्रहण क्षमता या उच्च जोखिम ग्रहण क्षमता के रूप में नाबार्ड की जोखिम ग्रहण क्षमता का वर्गीकरण तैयार किया गया. निष्कर्षों को कार्यान्वित करने के लिए 11 एनपीए खातों की परिचालन लेखापरीक्षा की गई. आस्ति गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एनपीए और एसएमए खातों का गहन अनुप्रवर्तन किया गया. ऋण मंजूरी और ऋण प्रशासन कार्यों के बीच परिचालन संबंधी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रधान कार्यालय के विभागों में अनुप्रवर्तन टीमें तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुप्रवर्तन कक्ष स्थापित करने का निर्णय लिया गया है.

वर्ष के दौरान, बैंक में बाजार जोखिम तथा तरलता जोखिम फ्रेमवर्क को सुदृढ बनाने के लिए दबाव परीक्षण, परिदृश्य विश्लेषण, जोखिमगत अर्जन का विश्लेषण जैसे प्रयास किए गए.

नाबार्ड जोखिम न्यूनकरण पद्धति के माध्यम से व्यापक आंतरिक नियंत्रण एवं प्रणाली सुनिश्चित कर परिचालनात्मक जोखिम का प्रबंधन करता है. परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में प्रारंभ की गई कार्रवाई में जोखिम रजिस्टर शुरू करना, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति संबंधी दिशानिर्देश जारी करना, आपदा बचाव अभ्यास की समीक्षा, अनुपालना जोखिम विवरणियों की समीक्षा इत्यादि शामिल हैं.

7.7 नाबार्ड की सहायक संस्थाएं

नाबार्ड की निम्नलिखित चार सहायक संस्थाएं हैं :
1. नैबकिसान फाइनान्स सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई
2. नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, बेंगलुरु (नैबफिन्स)
3. एग्री बिजनेस फाइनान्स लिमिटेड, हैदराबाद (एबीएफएल) (नया नाम - नैबसमृद्धि फाइनान्स लिमिटेड, हैदराबाद)
4. नाबार्ड कन्सल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (नैबकॉन्स)

सहायक संस्थाओं में नाबार्ड के निवेश को प्रदर्श 7.7 में दर्शाया गया है. वर्ष 2016-17 के दौरान, एबीएफएल का नाम परिवर्तित कर 'नैबसमृद्धि' कर दिया गया है और इसने अपने कारोबार का विस्तार आंध्र प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में कर दिया है क्योंकि यह अपना कारोबार स्तर अखिल भारतीय करने जा रही है. कंपनी मुंबई में भी अपना कारपोरेट कार्यालय स्थापित करने वाली है और आवास के क्षेत्र में थोक ऋण वितरण, एमएसएमई तथा अन्य कृषेतर क्षेत्र की गतिविधियों में अपना ध्यान केन्द्रित करेगी.

प्रदर्श 7.7
सहायक संस्थाओं में निवेश (₹ करोड़)

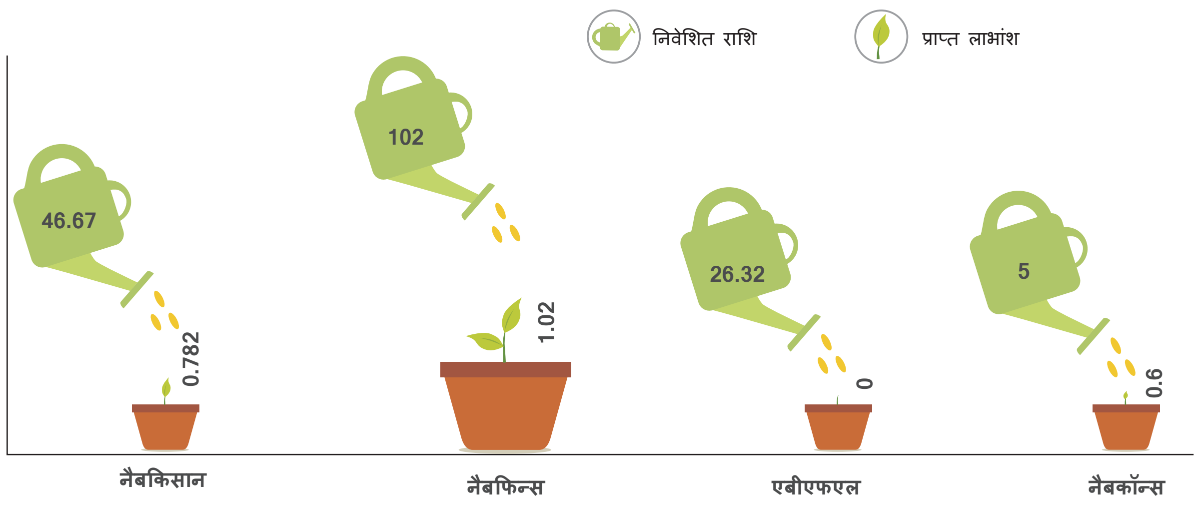

7.8 नाबार्ड के कौशलपूर्ण निवेश

नाबार्ड ने निम्नलिखित 08 कंपनियों, जिनके परिचालनों का सामान्य रूप से कृषि और विशेष रूप से किसानों पर प्रभाव पड़ता है, में निवेश किया.

1. भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड (एआईसीआईएल)
2. एएफसी इंडिया लिमिटेड
3. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)
4. नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लि. (एनसीडेक्स)
5. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एमसीएक्स)
6. भारतीय वित्तीय टेक्नॉलजी व एलाइड सर्विसेज (आईएफटीएएस)
7. सीएससी ई-गवर्नेन्स सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीईजीएसआईएल)
8. भारतीय कृषि कौशल परिषद (एएससीआई)
9. नेशनल ई-गवर्नेन्स सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल)

निवेश की संख्या : 09
निवेश की गई राशि : ₹153.90 करोड़
31.03.2017 को प्राप्त लाभांश : ₹4.84 करोड़

प्रदर्श 7.8
नाबार्ड के कौशल पूर्ण निवेश (₹ करोड़)

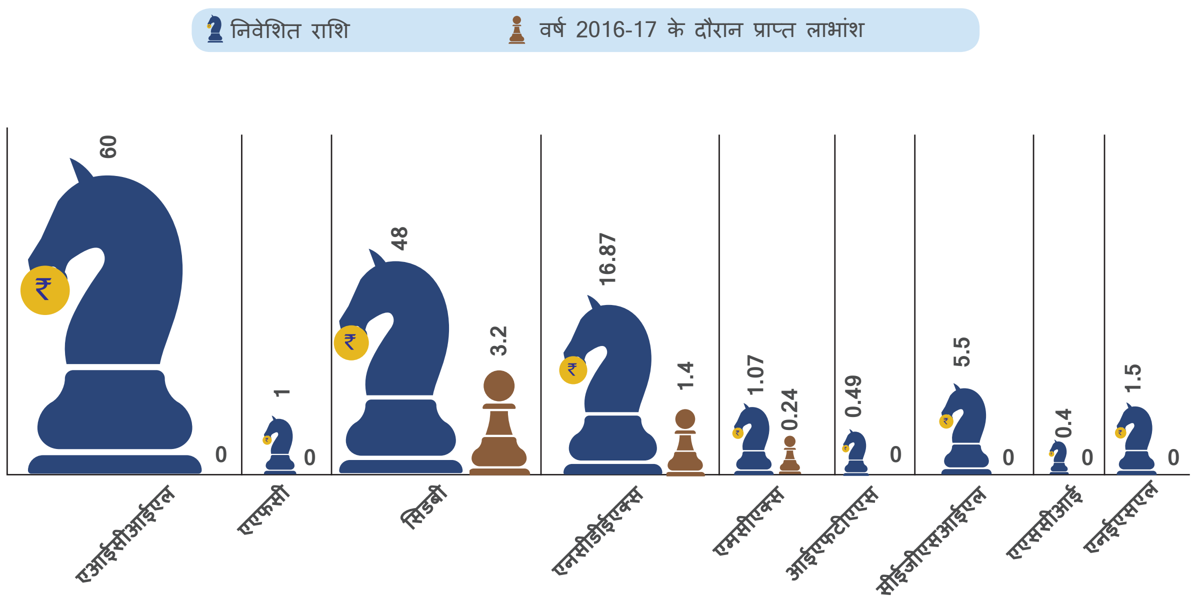

7.9 उद्यम पूंजी निधियों में निवेश

नाबार्ड उद्यम पूंजी निधियों (वीसीएफ) में निवेश करता है ताकि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में उद्यम निवेश को बढ़ावा मिले और तकनीकी नवोन्मेषों और तकनीकी प्रसार का संवर्धन हो सके. उद्यम पूंजी निधियों में निवेश का सारांश तालिका 7.3 में दिया गया है और निवेश और संवितरण की निधि-वार स्थिति प्रदर्श 7.9 में प्रस्तुत की गई है. उद्यम पूंजी निधियों में नाबार्ड की प्रतिबद्धता से 37 पोर्टफोलियो कम्पनियों, जिनका कृषि और ग्रामीण विकास पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव है, में ₹650 करोड़ के उद्यम पूंजी निवेश किए गए. पोर्टफोलियो कंपनियों द्वारा जिन उल्लेखनीय नवोन्मेषों में निवेश किया गया, उनमें सौर परिचालित सूक्ष्म शीत भंडारण और सौर ड्रायर्स, समुद्री शैवाल से जैव उत्प्रेरक तैयार करना, ई-डेयरी फार्मिंग, स्मार्ट कृषि टेक्नोलोजी और मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफार्म के माध्यम से आपूर्ति कड़ी का समूहन आदि शामिल हैं, जिनसे किसानों को लाभ मिलेगा.

तालिका 7.3
उद्यम पूंजी निधियों में निवेश

		निधियों के नाम
वायदाकृत निधियों की संख्या	12	1. बायोटेक्नोलोजी वेंचर फंड (बीवीएफ) 2. वेंचरईस्ट लाइफ फंड III 3. एसईएफ इंडिया एग्रीबिजनेस फंड (एसईएफ)
कुल वायदाकृत राशि	**₹218 करोड़**	4. ओमनीवोर इंडिया कैपिटल ट्रस्ट (ओमनीवोर) 5. टाटा कैपिटल इनोवेशन्स फंड (टीसीआईएफ)
जारी संवितरण (31.12.2016 की स्थिति)	**₹178 करोड़**	6. इंडिया ऑपोर्चयुनिटीज़ फंड (आईओएफ) 7. आईवीकैप वेंचर्स ट्रस्ट फंड - I (आईवीकैप-I) 8. टीवीएस श्रीराम ग्रोथ फंड (टीवीएस) 9. गोल्डन गुजरात ग्रोथ फंड (जीजीजीएफ)
प्राप्त प्रतिलाभ (31.12.2016 की स्थिति) अभिलाभ/ लाभांश	**₹2.21 करोड़**	10. इंडिया निवेश ग्रोथ एण्ड स्पेशल सिच्युवेशन्स फंड 11. आईवीवायकैप वेंचर्स II 12. इंडिया एडवान्टेज फंड

प्रदर्श 7.9
उद्यम पूंजी निधियों में निवेश (₹ करोड़)

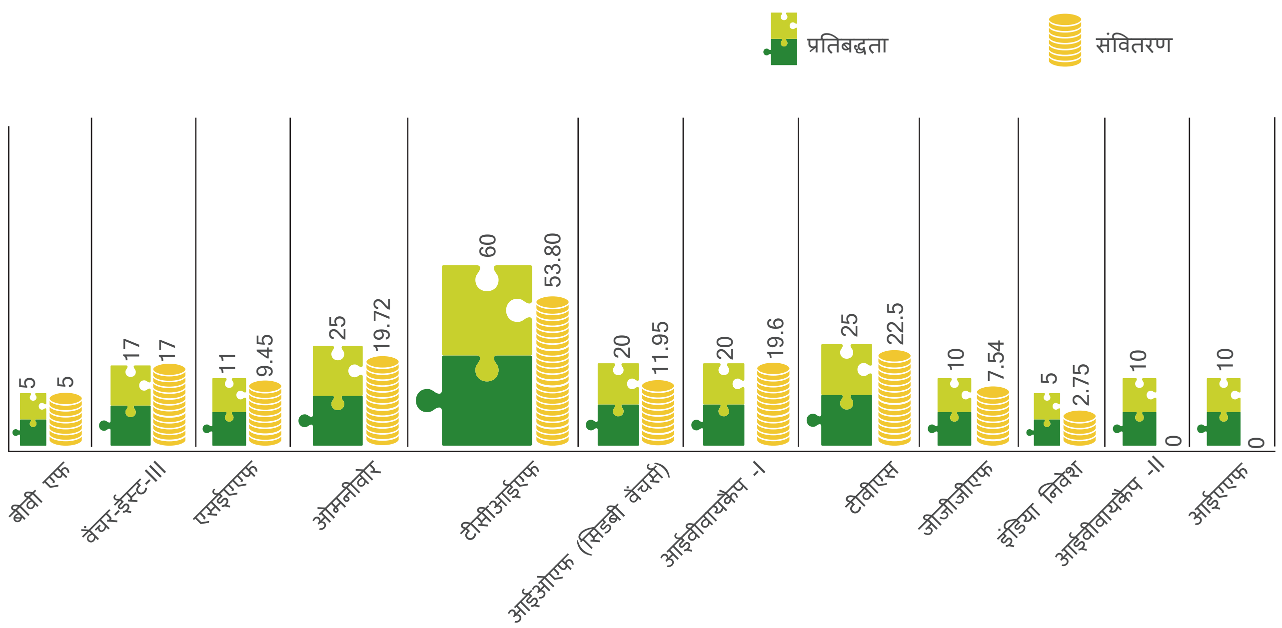

नाबार्ड

वार्षिक लेखे
2016-17

नाबार्ड का तुलन पत्र, लाभ - हानि खाता और नकदी प्रवाह 2016-17

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
निदेशक मंडल
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (बैंक) के 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के संलग्न स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2017 का तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि लेखों और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य स्पष्टीकरणमूलक सूचनाओं का सारांश शामिल है. वित्तीय विवरणों में 13 क्षेत्रीय कार्यालयों और एक प्रशिक्षण केंद्र के विवरण शामिल हैं जिनका हमने लेखा परीक्षा के उद्देश्य से दौरा किया है और इनका, प्रधान कार्यालय सहित अग्रिमों में 76.12%, जमा राशियों और सावधि मुद्रा उधार की धनराशि में 99.71%, ब्याज आय में 79.46% और ब्याज व्यय में 99.79% हिस्सा बनता है. इन कार्यालयों और प्रशिक्षण केंद्र का चयन बैंक के परामर्श से किया गया है. हमने बैंक के शेष कार्यालयों अर्थात् 17 क्षेत्रीय कार्यालयों और 2 प्रशिक्षण केंद्रों का दौरा नहीं किया है और उनके विवरणों की समीक्षा प्रधान कार्यालय ने की है.

स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 के अनुसार तैयार करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है जो बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह को वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टि प्रदान करता है. इस जिम्मेदारी में बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव; उचित लेखा नीतियों का चयन और लागू करना, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय करना और अनुमान लगाना तथा लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित विवरण शामिल हैं जो वास्तविक स्थिति के प्रस्तुतीकरण के लिए समुचित है तथा चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त है.

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है.

हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार की है. इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करते हुए लेखा परीक्षा की योजना और कार्य इस प्रकार करें जिससे समुचित रूप में यह आश्वासन प्राप्त हो जाए कि क्या दिए गए वित्तीय विवरण किसी भी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हैं.

लेखा परीक्षा में, वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और किए गए प्रकटनों के संबंध में लेखा परीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्य प्रक्रिया शामिल है. चुनी हुई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के विवेक पर आधारित होती हैं जिनमें वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति के जोखिम का आकलन भी शामिल है, चाहे यह दुष्प्रस्तुति धोखाधड़ी अथवा त्रुटिवश हुई हो. इन जोखिमों का आकलन करते समय लेखा परीक्षक उन आंतरिक नियंत्रणों को ध्यान में रखता है जो बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनमें वास्तविक स्थिति के प्रस्तुतीकरण के लिए समुचित हैं ताकि दी गई परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार की जा सके. परंतु यह इस प्रयोजन के लिए नहीं है कि बैंक के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और ऐसे नियंत्रण की परिचालनात्मक प्रभावशीलता पर राय व्यक्त की जाए. लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन आकलनों की तार्किकता के साथ-साथ समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है.

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखा संबंधी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

राय

1. हमारी राय में, बैंक की बहियों में यथा वर्णित और हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार,

   क. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ पठित तुलन पत्र सभी आवश्यक विवरणों से युक्त, पूर्ण और स्पष्ट तुलन पत्र है और उसे भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सही ढंग से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च 2017 को बैंक के कार्यों की सही और स्पष्ट स्थिति की जानकारी मिल सके;

   ख. संबंधित टिप्पणियों के साथ पठित लाभ और हानि लेखा उक्त तारीख को समाप्त अवधि के लाभ का सही शेष दर्शाता है और भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप है; और

   ग. नकदी प्रवाह विवरण उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह को सही और उचित रूप से दर्शाता है.

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

तुलन पत्र और लाभ हानि लेखा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 के अध्याय IV की अनुसूची 'अ' और अनुसूची 'आ' के अनुसार तैयार किए गए हैं.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 में यथा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे.

ख. बैंक के जिन लेन-देनों की जानकारी हमें प्राप्त हुई, वे बैंक की शक्तियों के अंतर्गत थे

ग. हमारी राय में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों और क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रशिक्षण संस्थानों, जिनका हमने दौरा नहीं किया है, से प्राप्त विवरणियों के साथ मेल खाते हैं.

हमारी राय में, उक्त स्टैण्ड अलोन वित्तीय विवरण लागू लेखा मानकों का पालन करते हैं.

कृते व्यास एंड व्यास
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 000590सी)

ओ पी व्यास
साझेदार
(सदस्यता सं. 014081)
स्थान : गुवाहाटी
दिनांक: 26 मई 2017

तुलन पत्र

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
तुलन पत्र- 31 मार्च 2017 की स्थिति

(₹हजार)

क्र. सं.	निधियां और देयताएं	अनुसूची	31.03.2017 को	31.03.2016 को
1	i) पूंजी (नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 4 के तहत)		5000,00,00	5000,00,00
	ii) शेयर पूंजी के लिए अग्रिम (अनुसूची 18 का नोट आ-31.1 देखें)		1700,00,00	300,00,00
	कुल		6700,00,00	5300,00,00
2	प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित	1	24770,97,15	22126,00,69
3	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियां	2	16078,00,00	16074,00,00
4	उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियां	3	4943,94,59	4895,17,31
5	सरकारी योजनाएं	4	1240,99,19	1122,76,27
6	जमाराशियां	5	194414,81,97	189786,33,74
7	बान्ड और डिबेंचर	6	50537,50,41	39123,49,36
8	उधार	7	34927,14,50	20584,37,09
9	चालू देयताएं और प्रावधान	8	14646,90,02	11372,77,54
	कुल		**348260,27,83**	**310384,92,00**
	विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं (हेजिंग) कॉण्ट्रा के अनुसार		**603,37,41**	**700,35,41**

(₹हजार)

क्र. सं.	निधियां और देयताएं	अनुसूची	31.03.2017 को	31.03.2016 को
1	नकदी और बैंक शेष	9	12961,09,69	18547,87,43
2	निवेश	10	26450,35,95	26465,92,80
3	अग्रिम	11	304955,05,69	260493,44,45
4	अचल आस्तियां	12	390,76,10	352,53,93
5	अन्य आस्तियां	13	3503,00,40	4525,13,39
	कुल		**348260,27,83**	**310384,92,00**
	विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं (हेजिंग) कॉण्ट्रा के अनुसार		603,37,41	700,35,41
	वायदा और आकस्मिक देयताएं	17		
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियां लेखों का अभिन्न अंग हैं

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
व्यास एंड व्यास
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 000590सी

ओ पी व्यास
साझेदार
एम संख्या 014081
गुवाहाटी
दिनांक: 26 मई 2017

ए. के. साहू
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

दिनांक : 26 मई 2017

हर्ष कुमार भनवाला
अध्यक्ष

आर अमलोरपवनाथन
उप प्रबंध निदेशक

बी पी कानूनगो
निदेशक

अनुप कुमार दाश
निदेशक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

(₹हजार)

क्र. सं.	आय	अनुसूची	2016-17	2015-16
1	ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज		19068,82,92	17711,70,59
2	निवेश परिचालनों/जमाराशियों से आय		3020,57,37	2812,14,00
3	अन्य आय (अनुसूची 18 का नोट आ-8 देखें		187,50,66	206,27,32
	कुल "अ"		**22276,90,95**	**20730,11,91**

(₹हजार)

क्र. सं.	आय	अनुसूची	2016-17	2015-16
1	ब्याज और वित्तीय प्रभार (अनुसूची 18 का नोट आ-7 देखें)	14	16267,88,54	15438,61,32
2	स्थापना और अन्य व्यय	15 A	1953,21,66	1461,10,00
3	संवर्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय	15 B	43,66,08	45,53,65
4	प्रावधान	16	168,01,24	105,99,99
5	मूल्यह्रास		27,29,97	26,12,23
	कुल "आ"		**18460,07,49**	**17077,37,19**
6	**कर पूर्व लाभ (अ - आ)**		**3816,83,46**	**3652,74,72**
7	**निम्नलिखित हेतु प्रावधान**			
	क) आयकर		1190,00,00	1140,00,00
	आस्थगित कर - (आस्ति)		(18,67,00)	(11,06,00)
	(अनुसूची 18 का नोट आ-10 देखें)			
8	**कर पश्चात् लाभ**		**2645,50,46**	**2523,80,72**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं लेखों पर टिप्पणियाँ	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लेखों का अभिन्न अंग हैं.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
लाभ और हानि विनियोजन खाता

(₹हजार)

क्र. सं.	विनियोजन / आहरण	2016-17	2015-16
1	वर्ष का लाभ नीचे लाया गया	2645,50,46	2523,80,72
2	जोड़े: लाभ और हानि खाते में नामे किए गए व्यय के समक्ष निधियों से आहरण		
(क)	सहकारिता विकास निधि (अनुसूची 1 देखें)	16,72,43	15,39,97
(ख)	अनुसंधान और विकास निधि (अनुसूची 1 देखें)	15,91,28	35,44,30
(ग)	उत्पादक संगठन विकास निधि (अनुसूची 1 देखें)	4,10,43	2,62,33
(घ)	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि (अनुसूची 1 देखें)	122,43,39	0
(ङ)	ग्रामीण आधारभूत सुविधा संवर्धन निधि (अनुसूची 1 देखें)	1,58,41	2,60,42
(च)	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि (अनुसूची 1 देखें)	21,19,64	24,90,93
(छ)	जलवायु परिवर्तन निधि	4,95	0
2.1	बंद की गई निधियों से आहरण		
i)	एमएफडीईएफ (अनुसूची 18 का आ-4 देखें)	1,46,00	3,21,00
3	विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	2828,96,99	2607,99,67
	घटाएं : निम्नलिखित में अंतरित किया गया :		
(क)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां	650,00,00	550,00,00
(ख)	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि (अनुसूची 2 देखें)	1,00,00	1,00,00
(ग)	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि (अनुसूची 2 देखें)	1,00,00	1,00,00
(घ)	अनुसंधान और विकास निधि (अनुसूची 1 देखें)	15,91,28	35,44,30
(ङ)	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि (अनुसूची 1 देखें)	95,43,39	296,00,00
(च)	सहकारी विकास निधि	10,30,24	0
(छ)	उत्पादक संगठन विकास निधि	61,09,81	0
(ज)	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि (अनुसूची 1 देखें)	21,19,64	10,61,72
(झ)	ग्राम्य विकास निधि (अनुसूची 1 देखें)	20,00,00	20,00,00
(ञ)	जलवायु परिवर्तन निधि (अनुसूची 1 देखें)	5,04,95	5,00,00
(ट)	प्रारक्षित निधि	1947,97,68	1688,93,65
	कुल	**2828,96,99**	**2607,99,67**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं लेखों पर टिप्पणियों के लिए अनुसूची 18 देखें

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
व्यास एंड व्यास
सनदी लेखाकार

ओ पी व्यास
साझेदार
गुवाहाटी
दिनांक : 26 मई 2017

ए के साहू
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग
दिनांक : 26 मई 2017

हर्ष कुमार भनवाला
अध्यक्ष

आर अमलोरपवनाथन
उप प्रबंध निदेशक

बी पी कानूनगो
निदेशक

अनूप कुमार दाश
निदेशक

तुलन पत्र की अनुसूचियां
अनुसूची 1 - प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियां

(₹हजार)

क्र सं	विवरण	01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान व्यय/ परिवर्धन/ समायोजन	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	लाभ-हानि विनियोजन को अंतरित	31.03.2017 को शेष
1	प्रारक्षित निधि	14402,96,73	0	1947,97,68	0	**16350,94,41**
2	अनुसंधान और विकास निधि	50,00,00	0	15,91,28	15,91,28	**50,00,00**
3	प्रारक्षित पूंजी	74,80,53	0	0	0	**74,80,53**
4	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	951,00,00	0	95,43,39	122,43,39	**924,00,00**
5	सहकारिता विकास निधि	66,42,19	0	10,30,24	16,72,43	**60,00,00**
6	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष प्रारक्षित निधि	6435,00,00	0	650,00,00	0	**7085,00,00**
7	उत्पादक संगठन विकास निधि	43,00,62	0	61,09,81	4,10,43	**100,00,00**
8	ग्रामीण आधारभूत सुविधा संवर्धन निधि	17,80,62	0	0	1,58,41	**16,22,21**
9	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	60,00,00	0	21,19,64	21,19,64	**60,00,00**
10	ग्राम्य विकास निधि	20,00,00		20,00,00	0	**40,00,00**
11	जलवायु परिवर्तन निधि	5,00,00	0	5,04,95	4,95	**10,00,00**
	कुल	**22126,00,69**	**0**	**2826,96,99**	**182,00,53**	**24770,97,15**
	गत वर्ष	19600,98,97	0	2605,99,67	80,97,95	22126,00,69

अनुसूची 2 - राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियां

(₹हजार)

क्र सं	विवरण	01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	भा रि बैंक द्वारा अंशदान	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	31.03.2017 को शेष
1	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	14487,00,00	1,00,00	1,00,00	**14489,00,00**
2	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1587,00,00	1,00,00	1,00,00	**1589,00,00**
	कुल	**16074,00,00**	**2,00,00**	**2,00,00**	**16078,00,00**
	गत वर्ष	16070,00,00	2,00,00	2,00,00	16074,00,00

अनुसूची 3 - उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियां

(₹हजार)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	निधि में जमा किया गया ब्याज	वर्ष के दौरान व्यय / संवितरण	31.03.2017 को शेष
अ	**अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदान**					
1	आदिवासी कार्यक्रम हेतु केएफडब्ल्यू-नाबार्ड V निधि (अनुसूची 18 का नोट आ-2 देखें)	**2,10,25**	95,21	7,54	1,95,26	**1,17,74**
2	केएफडब्ल्यू - एनबी-IX आदिवासी विकास कार्यक्रम -महाराष्ट्र	**3,92,03**	0	59,96	4,51,99	**0**
3	केएफडब्ल्यू - यूपीएनआरएम - सहबद्ध उपाय (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-2 देखें)	**26,50**	0	22	26,72	**0**
4	केएफडब्ल्यू-एनबी-यूपीएनआरएम - वित्तीय अंशदान	**0**	0	0	0	**0**
5	केएफडब्ल्यू-यूपीएनआरएम - जोखिम शमन निधि	**0**	0	0	0	**0**
6	केएफडब्ल्यू-यूपीएनआरएम निधि	**0**	0	0	0	**0**
7	केएफडब्ल्यू-एनबी-इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - चरणIII- महाराष्ट्र	**12,82**	0	0	12,82	**0**
8	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - आंध्र प्रदेश (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-2 देखें)	**31,03**	85,72	2,85	2,55	**1,17,05**
9	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - गुजरात (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-2 देखें))	**3,98,02**	0	21,56	1,19,83	**2,99,75**
10	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - राजस्थान अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-2 देखें))	**0**	4,04,18	64	1,93,76	**2,11,06**
11	जीआईजेड यूपीएनआरएम तकनीकी सहयोग	**61,49**	0	0	23,16	**38,33**
12	जलवायु परिवर्तन - (एएफबी)- परियोजना निरूपण अनुदान	**20,56**	0	0	13,84	**6,72**
13	जलवायु परिवर्तन - (एएफबी)- परियोजना / कार्यक्रम कार्यान्वयन खाता	**6,80,12**	5,82,08	0	5,12,01	**7,50,19**
14	राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन खाता (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-2 देखें)	**88,75,27**	98,04,72	7,12,69	27,58,56	**166,34,12**
15	जीआईजेड मृदा परियोजना	**0**	74,35	0	15,55	**58,80**
16	केएफडब्ल्यू मृदा परियोजना	**0**	1,22,19	0	1,22,19	**0**

अनुसूची 3 - उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियां

(₹हजार)

क्र सं	विवरण	01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	जमा किया गया ब्याज	वर्ष के दौरान व्यय/ संवितरण	31.03.2017 को शेष
आ	**अन्य निधियां**					
1	वाटरशेड विकास निधि (i) (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-2 देखें)	**1108,74,45**	139,32,57	68,83,42	106,41,63	**1210,48,81**
2	विभेदक ब्याज निधि - (विदेशी मुद्रा जोखिम))	**246,53,27**	(2,32,16)	0	0	**244,21,11**
3	ब्याज विभेदक निधि-(तावा)	**10,00**	0	0	0	**10,00**
4	आदिवासी विकास निधि	**5,77,50**	0	0	3	**5,77,47**
5	आदिवासी विकास निधि (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-2 देखें) (i)	**876,72,97**	350,95,71	57,91,12	269,03,35	**1016,56,45**
6	वित्तीय समावेशन निधि (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-2 देखें) (ii)	**2452,74,18**	335,37,76	142,77,35	744,40,14	**2186,49,15**
7	राष्ट्रीय बैंक - स्विस विकास सहयोग परियोजना	**55,61,77**	6,25,36	0	0	**61,87,13**
8	आरपीएफ और आरआईएफ -कृषीतर क्षेत्र संवर्धन निधि	**39,81,81**	0	0	8,41,82	**31,39,99**
9	सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस इन को ऑपरेटिव्ज - (सी-पेक) (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-2 देखें)	**2,03,27**	0	15,16	0	**2,18,43**
10	एलटीआईएफ - ब्याज में उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-6 देखें)	**0**	2,52,29	0	0	**2,52,29**
11	एमएफडीईएफ (बंद निधि)	**0**	1,46,00	0	1,46,00	**0**
	कुल	**4895,17,31**	**945,25,98**	**277,72,51**	**1174,21,21**	**4943,94,59**
	गत वर्ष	**4209,50,61**	**1295,59,51**	**248,72,30**	**858,65,11**	**4895,17,31**

नाबार्ड उपर्युक्त निधियों के लिए भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / अन्य निकायों की ओर से बैंकर/ कस्टोडियन/ ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है और निधियों को संबंधित योजनाओं के अंतर्गत संवितरण/ उपयोग के लिए इन संस्थाओं की ओर से उनके द्वारा किए गए अंशदान की सीमा तक और अनुप्रयुक्त अधिशेषों पर उपचित ब्याज, जहां भी लागू हो, रखता है.

(i) अदा किया गया आयकर ₹48.22 करोड़ शामिल है
(ii) अदा किया गया आयकर ₹120.14 करोड़ शामिल है
(iii) अदा किया गया आयकर ₹116.07 करोड़ शामिल है

अनुसूची 4 - सरकारी योजनाएं

(₹हजार)

क्रम सं	विवरण	01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	जमा किया गया ब्याज	वर्ष के दौरान व्यय / संवितरण	31.03.2017 को शेष
अ	**सरकारी सब्सिडी योजनाएं**					
1	शीतगृह परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी - एनएचबी	**38,42**	2,47,76	0	2,30,72	**55,46**
2	शीतगृह परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी - टीएम पूर्वोत्तर	**8,40**	0	0	0	**8,40**
3	लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु ऋण सहबद्ध पूंजी सब्सिडी	**4,72**	94,58	0	79,58	**19,72**
4	फसल उत्पादन हेतु ऑन-फार्म जल प्रबंधन	**7,17**	0	0	0	**7,17**
5	बिहार भूगर्भ जल सिंचाई योजना (बीआईजीडब्ल्यूआईएस)	**77,26,15**	0	0	(65,73)	**77,91,88**
6	पशुधन विकास कार्यक्रम - उत्तर प्रदेश (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-2 देखें)	**2,32**	0	17	0	**2,49**
7	पशुधन विकास कार्यक्रम - बिहार (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-2 देखें)	**5,52**	0	41	0	**5,93**
8	जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना	**4,34,83**	0	0	2,78,40	**1,56,43**
9	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय सम विकास योजना	**4,29,45**	0	0	0	**4,29,45**
10	छोटे रूमेन्थक और खरगोशों के समन्वित विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना	**1,30,89**	27,60,00	0	8,08,74	**20,82,15**
11	डेयरी और पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	**22,28,70**	0	0	16,89,95	**5,38,75**
12	पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	**4,98,69**	0	0	3,06,32	**1,92,37**
13	पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि (सब्सिडी)	**10,93,55**	41,95,70	0	25,45,99	**27,43,26**
14	आईएसएएम - कृषि विपणन आधारभूत सुविधाएं	**51,07,96**	615,89,00	0	465,43,11	**201,53,85**
15	आईएसएएम - संवर्धनात्मक व्यय खाते के लिए प्राप्त अनुदान	**1,23**	0	0	0	**1,23**
16	पोल्ट्री एस्टेट की स्थापना हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना	**1,66,72**	0	0	0	**1,66,72**
17	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-2) देखें)	**4,98**	0	37	0	**5,35**
18	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - बायफ - रायबरेली - उत्तर प्रदेश (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-2 देखें)	**1,33**	0	10	0	**1,43**
19	सीएसएस - सूअर पालन	**3,27,41**	15,20,00	0	48,06	**17,99,35**
20	डेयरी उद्यमिता विकास योजना	**38,28,69**	240,00,00	0	125,20,13	**153,08,56**
21	सीएसएस - एस और आर - भैंस के नर कटड़े	**3,19**	20,00	0	0	**23,19**
22	सीएसएस - सोलर मिशन	**81**	0	0	0	**81**
23	सीएसएस - जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन - सोलर लाइटिंग खाता	**17,60,39**	8,80,46	0	16,73,17	**9,67,68**

अनुसूची 4 - सरकारी योजनाएं

(₹हजार)

क्रम सं	विवरण	01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	जमा किया गया ब्याज	वर्ष के दौरान व्यय / संवितरण	31.03.2017 को शेष
24	सीएसएस - सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग	**105,85,45**	0	0	51,66,77	**54,18,68**
25	पूंजी सब्सिडी योजना - कृषि क्लीनिक कृषि व्यवसाय केंद्र	**45,17**	13,41,90	0	11,47,47	**2,39,60**
26	सीएसएस - एमएनआरई लाइटिंग योजना 2016 खाता	**20,43,00**	(8,80,46)	0	10,77,44	**85,10**
27	कठोर चट्टानी क्षेत्र में कृत्रिम भूगर्भ जल रिचार्ज	**1,44,60**	0	0	(3,16,16)	**4,60,76**
आ	**अन्य सरकारी योजनाएं**					
1	कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआर)2008	**283,47,79**	0	0	(1,19,81)	**284,67,60**
2	महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि	**116,28,17**	0	0	21,39,02	**94,89,15**
3	प्रोड्यूस निधि	**177,82,96**	0	0	41,52,17	**136,30,79**
4	23 गैर लाईसेंस शुदा जिमस बैंकों का पुनरुद्धार	**111,22,00**	0	0	0	**111,22,00**
5	ब्याज सहायता (चीनी मीयादी ऋण)	**18**	0	0	0	**18**
6	चीनी उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना - 2007 (एसईएफएएसयू-2007)	**65,27**	0	0	0	**65,27**
7	कच्छ सूखा रोकथाम परियोजना	**21,64**	0	0	0	**21,64**
8	दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना के लिए पुनरुद्धार पैकेज (एलटीसीसीएस)	**20,00,00**	0	0	0	**20,00,00**
9	हथकरघा क्षेत्र का पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्संरचना					
i	पुनर्पूंजिकरण सहायता [आरआरआर - हथकरघा पैकेज] एडबल्यूसीएस खाता	**23,09,43**	(19,74,49)	0	0	**3,34,94**
ii	पुनर्पूंजिकरण सहायता (आरआरआर - हथकरघा पैकेज) पीडबल्यूसीएस खाता	**0**	1,34,91	0	1,34,91	**0**
iii	पुनर्पूंजिकरण सहायता (आरआरआर - हथकरघा पैकेज) एकल बुनकर खाता	**20,70,75**	(19,57,04)	0	0	**1,13,71**
iv	तकनीकी सहायता (आरआरआर - हथकरघा पैकेज)	**0**	7,44,00	0	7,44,00	**0**
v	मा सं वि (आरआरआर - हथकरघा पैकेज)	**1,67,20**	0	0	4	**1,67,16**
vi	ब्याज सहायता (आरआरआर - हथकरघा पैकेज)	**0**	10,74,17	0	10,74,17	**0**
10	व्यापक हथकरघा पैकेज	**1,31,14**	25,15,52	0	26,25,68	**20,98**
	कुल	**1122,76,27**	**963,06,01**	**1,05**	**844,84,14**	**1240,99,19**
	गत वर्ष	**1500,52,28**	**1175,33,23**	**1,03**	**1553,10,27**	**1122,76,27**

नाबार्ड उपर्युक्त निधियों के लिए भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / अन्य निकायों की ओर से बैंकर/ कस्टोडियन/ ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है और निधियों को संबंधित योजनाओं के अंतर्गत संवितरण /उपयोग शेष के लिए इन संस्थाओं की ओर से उनके द्वारा किए गए अंशदान की सीमा तक और अनुप्रयुक्त अधिशेषों पर उपचित ब्याज, जहां भी लागू हो, रखता है

अनुसूची 5 - जमाराशियां

(₹हजार)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
1	केन्द्र सरकार	0	0
2	राज्य सरकारें	0	0
3	**अन्य**		
	क) चाय/ रबड़/ कॉफी जमाराशियाँ	219,13,63	265,80,60
	ख) वाणिज्य बैंक (आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियां)	105502,50,34	96885,03,14
	ग) अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	45008,70,00	53991,30,00
	घ) अल्पावधि क्षेग्रा बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि	10002,90,00	15997,10,00
	ङ) भंडारागार आधारभूत सुविधा निधि	3531,00,00	3550,00,00
	च) दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	30000,58,00	18997,10,00
	छ) खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए निधि	150,00,00	100,00,00
	कुल	**194414,81,97**	**189786,33,74**

अनुसूची 6 - बॉण्ड और डिबेंचर

(₹हजार)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
1	कर मुक्त बॉण्ड	5000,00,00	5000,00,00
2	गैर-प्राथमिकता क्षेत्र बॉण्ड	31479,00,00	29147,00,00
3	पूंजी अभिलाभ बॉण्ड	1,29,40	1,29,40
4	भविष्य निर्माण बॉण्ड	4971,21,01	4975,19,96
5	बॉण्ड - एलटीआईएफ	6899,00,00	0
6	बॉण्ड एलटीआईएफ भारत सरकार द्वारा पूर्णतः भुगतान सहायता बॉण्ड	2187,00,00	0
	कुल	**50537,50,41**	**39123,49,36**

अनुसूची 7 - उधार

(₹हजार)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
	(अ) भारत में		
1	केंद्र सरकार	0	12,25,24
2	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन	14,55,68	14,55,68
3	भारतीय रिज़र्व बैंक	0	0
4	**अन्य:**		
	(i) जमा प्रमाणपत्र	7478,85,53	5545,20,40
	(ii) वाणिज्यिक पत्र	16193,37,51	12771,01,32
	(iii) संपार्श्विक उधार एवं ऋण वितरण दायित्वों के अंतर्गत उधार	7318,66,34	0
	(iv) मीयादी मुद्रा उधार	2192,73,31	1519,46,99
	(v) रेपो खाता	295,40,36	0
	(vi) अल्पावधि जमाराशि के समक्ष उधार	749,99,75	0
	(आ) भारत से बाहर		
	(i) अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं	683,56,02	721,87,46
	कुल	**34927,14,50**	**20584,37,09**

उपर्युक्त में से, सीबीएलओ के अंतर्गत उधार ट्रेजरी बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियों के समक्ष सुरक्षित हैं.

अनुसूची 8- चालू देयताएं और प्रावधान

(₹हजार)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
1	उपचित ब्याज / डिस्काउंट	9781,81,14	8838,54,15
2	विविध लेनदार	1737,81,80	928,11,91
3	प्रारक्षित अनुदान (सह-वित्त, शीतगृह)	52,59,05	14,38,95
4	प्रारक्षित अनुदान- आरआईडीएफ के अंतर्गत सीएसएएमआई	1,60	54,80
5	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-30 देंखे)	174,05,97	1,51,34
6	पेंशन के लिए प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-30 देंखे)	418,08,00	110,37,36
7	साधारण छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-30 देंखे)	305,50,50	244,26,47
8	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-30 देंखे)	126,88,23	116,86,22
9	बॉण्डों पर दावा न किया गया ब्याज	1,68,23	1,74,98
10	मीयादी जमा राशियों पर दावा न किया गया ब्याज	1,74	61
11	परिपक्व मीयादी जमाराशियां लेकिन दावा नहीं किया गया	9,08	9,08
12	परिपक्व बॉण्ड लेकिन दावा नहीं किया गया	4,53,49	3,36,79
13	बॉण्ड प्रिमियम खाता - कर मुक्त बॉण्ड	1,16,50	1,16,50
14	केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम उधार पर देय प्रतिबद्धता प्रभार	9,63	0
15	**प्रावधान और आकस्मिक व्यय**		
(क)	निवेश खाते के मूल्य में मूल्यहास - सरकारी प्रतिभूतियां	122,43,39	0
(ख)	सरकारी प्रतिभूतियों का परिशोधन - एचटीएम	8,33,13	6,48,10
(ग)	मानक आस्तियों के लिए	1236,00,00	1063,00,00
(घ)	गैर निष्पादक निवेश	16,00,00	16,00,00
(ङ)	काउंटरसाइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर	14,44,89	14,44,89
(च)	पुनः संरचित ऋणों के ब्याज घटक की छोड़ दी गई राशि	0	3,25,42
(छ)	अन्य आस्तियों और प्राप्य हेतु प्रावधान	8,50,96	8,59,97
(ज)	आय कर हेतु प्रावधान [अग्रिम कर छोड़कर]	636,82,69	0
	कुल	**14646,90,02**	**11372,77,54**

अनुसूची 9 - नकदी और बैंक शेष

(₹हजार)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
1	हाथ में रोकड़	1	3
2	**निम्नलिखित के पास शेष:**		
	अ) भारत में बैंकों में		
	i) भारतीय रिज़र्व बैंक	2229,83,39	150,54,92
	ii) अन्य बैंक	0	0
	आ) भारत में अन्य बैंक		
	क) चालू खाते में	527,91,15	643,70,73
	ख) बैंकों में जमाराशियां	8846,00,00	15227,00,00
	ग) मार्गस्थ प्रेषण	8,29,39	35,07,80
	घ) संपार्श्वीकृत उधार और ऋण वितरण दायित्व	1349,05,75	2491,53,95
	इ) भारत से बाहर	0	0
	कुल	**12961,09,69**	**18547,87,43**

अनुसूची 10 - निवेश

(₹हजार)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
1	**सरकारी प्रतिभूतियां**		
	क) केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	8944,24,48	4796,24,58
	[अंकित मूल्य ₹8676,75,00,000 (₹4828,78,30,000)]		
	[बाजार मूल्य ₹9018,36,99,746 (₹4907,77,65,515)]		
	ख) ट्रेज़री बिल	2421,35,28	836,44,45
	[अंकित मूल्य ₹2438,76,90,000 (₹887,98,50,000)]		
	[बाजार मूल्य ₹2421,35,28,106 (₹836,44,44,755)]		
2	**अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ**		
3	**निम्नलिखित में इक्विटी शेयर:**		
(क)	कृषि वित्त निगम लि.	1,00,00	1,00,00
	[1,000 (1,000) - ₹10,000 प्रति इक्विटी शेयर]		
(ख)	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक लि.	48,00,00	48,00,00
	[1,60,00,000 (1,60,00,000) - ₹10 प्रति इक्विटी शेयर]		
(ग)	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.	60,00,00	60,00,00
	[6,00,00,000 (6,00,00,000) - ₹10 प्रति इक्विटी शेयर]		
(घ)	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.	30,22	85,61
	[3,77,758 (10,70,096) - ₹10 प्रति इक्विटी शेयर]		
(ङ)	नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लि..	16,87,50	16,87,50
	[56,25,000 (56,25,000) - ₹10 प्रति इक्विटी शेयर]		
(च)	यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लि. [यूसीएक्स]	16,00,00	16,00,00
	[1,60,00,000 (1,60,00,000) ₹10 प्रति इक्विटी शेयर]		
(छ)	इंडियन फाइनेन्सियल टेक्नालजी एण्ड एलाइड सर्विसेस (इक्विटी)	49	49
	[4900 (4900) ₹10 प्रति इक्विटी शेयर]		
(ज)	सीएससी ई गवर्नन्स सर्विसेस इंडिया लिमिटेड इक्विटी	9,74,60	9,74,60
	[55,000 (55,000) ₹1000 प्रति इक्विटी शेयर]		
(झ)	भारतीय कृषि कौशल समिति (एएससीआई)	40	0
	[4,000 (0) ₹10 प्रति इक्विटी शेयर]		
	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा इंडिया लिमिटेड (इक्विटी)	1,50,00	0
	[15,00,000 (0) Shares of ₹10 each]		
(ञ)	**अन्य इक्विटी निवेश**		
(i)	कोल इंडिया लिमिटेड	1,65,56	2,95,29
	[43,389 (77,389) - ₹10 प्रति इक्विटी शेयर]		
(ii)	पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	0	15,83
	[0 (17,592) - ₹10 प्रति इक्विटी शेयर]		
(iii)	एमओआईएल लि.	25,20	43,95
	[6,719 (11,719) ₹10 प्रति इक्विटी शेयर]		
(iv)	भारतीय स्टेट बैंक	37,54,25	37,54,25
	[प्रति शेयर ₹1 के 23,98,880 (प्रति शेयर ₹1 के 23,98,880)]		
(v)	पंजाब नेशनल बैंक	23,87	71,61
	[प्रति शेयर ₹2 के 12,000 (36,000 शेयर]		
(vi)	लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड	17,32	2,25,22
	[प्रति शेयर ₹2 के 1,000 (13,000 शेयर)]		
(vii)	ऑइल एंड नैचरल गॅस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4,28,93	4,28,93
	[प्रति शेयर ₹5 के 1,87,200 (1,24,800) शेयर]		
(viii)	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	6,02,34	6,02,34
	[प्रति शेयर ₹10 के 8,58,626 (8,58,626) शेयर]		
(ix)	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	1,99,13	1,99,13
	[प्रति शेयर ₹2 के 80,000 (80,000) शेयर]		

अनुसूची 10 - निवेश

(₹हजार)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
(x)	इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड	0	1,20,32
	[प्रति शेयर ₹10 के 0 (35,000) शेयर]		
(xi)	मारुती सुजुकी इंडिया लिमिटेड	1,78,84	2,55,49
	[प्रति शेयर ₹5 के 7,000 (10,000) शेयर]		
(xii)	एनटीपीसी लिमिटेड	0	1,05,82
	[प्रति शेयर ₹10 के 0 (70,000) शेयर]		
(xiii)	टाटा कंसल्टैंसी सर्विसेस लिमिटेड .	2,39,88	2,39,88
	[प्रति शेयर ₹1 के 10,000 (10,000) शेयर]		
(xiv)	लार्सन एंड टूब्रो इनफोटेक लिमिटेड	11,35	0
	[प्रति शेयर ₹2 के 1,599 (0) शेयर]		
(xv)	हिंदुस्तान कंसट्रक्शन कं. लिमिटेड	8,06,30	0
	[प्रति शेयर ₹10 के 23,08,978 (0) शेयर]		
4	**डिबेंचर और बॉण्ड**		
(i)	रासकृग्रावि बैंकों के विशेष विकास डिबेंचर (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-24 देखें	3676,14,23	4954,59,97
(ii)	अपरिवर्तनीय डिबेंचर	1307,30,80	427,44,37
5	**सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यम में शेयरहोल्डिंग**		
(i)	नाबार्ड वित्तीय सेवाएं लि., कर्नाटक	102,00,63	102,00,63
	[10,20,06,300 (10,20,06,300] - ₹10 प्रति इक्विटी शेयर]		
(ii)	नैबसमृद्धि [पूर्व नाम एग्री-बिज़नेस फिनान्स (आंध्र प्रदेश) लि.]	26,38,91	26,38,91
	[2,63,22,000 (2,63,22,000) ₹10 प्रति इक्विटी शेयर		
(iii)	नैब किसान [पूर्व नाम- एग्री डेवलेपमेन्ट फिनान्स (तमिलनाडु) लि.]	46,75,16	46,75,16
	[46,66,67,000 (46,66,67,000) ₹10 प्रति इक्विटी शेयर		
(iv)	नाबार्ड कन्सल्टेन्सी सर्विसेस प्राइवेट लि..	5,00,00	5,00,00
	[50,00,000 (50,00,000) - ₹10 प्रति इक्विटी शेयर]		
6	**अन्य**		
(क)	म्युचुअल फंड	4001,09,28	4695,35,32
(ख)	वाणिज्यिक पत्र	2766,91,10	2072,16,47
	[अंकित मूल्य ₹2900,00,00,000 (₹2150,00,00,000)]		
(ग)	जमाराशि प्रमाणपत्र	2311,32,08	7894,73,82
	[अंकित मूल्य ₹2350,00,00,000 (₹7995,00,00,000)]		
(घ)	बिल रिडिस्काउंटिंग (अंकित मूल्य ₹200,00,00,000 (₹0)]	197,71,14	0
(ङ)	एसईएएफ - इंडियन एग्री-बिजनेस	9,50,08	9,26,26
(च)	एपीआईडीसी - वेंचर्स लाइफ फंड III	14,38,07	13,93,47
(छ)	बीवीएफ (बायो-टेक वेंचर निधि) - एपीआईडीसी-V निवेश	4,77,62	4,98,35
(ज)	ओमिनोवोर इंडिया कैपिटल ट्रस्ट	19,72,25	17,73,40
(झ)	इंडिया अपोरच्यूनिटीज	10,80,62	10,21,84
(ञ)	आईवीकैप वेंचर्स फंड	19,60,00	19,60,00
(ट)	टाटा पूंजी नवोन्मेष निधि	55,11,31	49,23,86
(ठ)	टीवीएस श्रीराम ग्रोथ निधि आईबी	19,82,59	20,06,37
(ड)	गोल्डन गुजरात ग्रोथ निधि	7,04,00	50,00
(ढ)	इंडिया निवेश ग्रोथ और स्पेशल सिचुएशन फंड	2,75,00	0
(ण)	आईवीकैप वेंचर्स फंड - II	1,50,00	0
(त)	इंडिया एडवांटेज फंड एस4	2,90,00	0
(थ)	ईओएल के लिए निर्धारित निवेश	258,25,14	247,19,31
	कुल	**26450,35,95**	**26465,92,80**

उपर्युक्त सभी निवेश भारत में किए गए हैं

अनुसूची 11 - अग्रिम

(₹हजार)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
1	**पुनर्वित्त ऋण**		
(क)	उत्पादन और विपणन ऋण	73553,36,92	69718,82,41
(ख)	उत्पादन ऋण हेतु परिवर्तन ऋण	1065,00,22	446,89,97
(ग)	अन्य निवेश ऋण		
(i)	मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋण	101531,34,76	84468,94,25
(ii)	जिमस बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त	2565,20,00	3250,75,00
(iii)	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन	1,51,10	6,24,05
2	**प्रत्यक्ष ऋण**		
(क)	ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत ऋण	100981,48,44	91384,11,85
(ख)	भंडारागार आधारभूत सुविधा निधि के अंतर्गत ऋण	3402,10,63	2361,95,48
(ग)	दीर्घावधि गैर परियोजना ऋण	53,43,12	66,38,22
(घ)	नाबार्ड आधारभूत सुविधा विकास सहायता (नीडा) के अंतर्गत ऋण	4978,00,40	3238,89,45
(ड.)	उत्पादक संगठन विकास निधि (पीओडीएफ) के अंतर्गत ऋण (प्रावधान को घटाकर)	316,57,82	377,76,82
(च)	फेडरेशनों को ऋण सुविधा (सीएफएफ)	6961,00,00	4948,50,00
(छ)	खाद्य प्रसंस्करण निधि के अंतर्गत ऋण	139,78,82	20,56,80
(ज)	दीर्घावधि सिंचाई निधि के अंतर्गत ऋण	9086,02,10	0
(झ)	प्रत्यक्ष ऋण धारा-30 (प्रावधान को घटाकर)	0	0
(i)	**अन्य ऋण:**		
(i)	सहकारिता विकास निधि कार्यक्रम ऋण	42,86	85,72
(ii)	सूक्ष्म वित्त विकास इक्विटी निधि कार्यक्रम ऋण (प्रावधान को घटाकर)	83,41	4,43,79
(iii)	वाटरशेड विकास निधि कार्यक्रम ऋण	37,47,02	39,97,15
(iv)	आदिवासी विकास निधि कार्यक्रम ऋण (प्रावधान को घटाकर)	11,38,51	14,63,91
(v)	केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम ऋण (प्रावधान को घटाकर)	68,71,50	98,75,26
(vi)	कृषीत्तर क्षेत्र संवर्धनात्मक गतिविधि कार्यक्रम ऋण (प्रावधान को घटाकर)	200,54,11	41,26,86
(vii)	कृषि क्षेत्र संवर्धन गतिविधि कार्यक्रम ऋण	4,27	49,87
(ञ)	सह-वित्तपोषण ऋण (प्रावधान को घटाकर)	79,68	3,17,59
	कुल	**304955,05,69**	**260493,44,45**

अनुसूची 12 - अचल आस्तियां

(₹हजार)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
1	**भूमि : स्वामित्ववाली और पट्टाकृत (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-22 देखें)**		
	अथ शेष	168,58,61	162,43,60
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	7,58,04	6,15,01
	उप-जोड़	176,16,65	168,58,61
	घटाएं : बेची गई / बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	0	0
	इति शेष (लागत पर)	176,16,65	168,58,61
	घटाएं : लीज प्रिमिया का परिशोधन	53,29,82	51,20,19
	बही मूल्य	**122,86,83**	**117,38,42**
2	**परिसर (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-22 देखें)**		
	अथ शेष	361,12,36	339,09,33
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	46,35,38	22,03,04
	उप-जोड़	407,47,74	361,12,37
	घटाएं : बेची गई / बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	0	0
	इति शेष (लागत पर)	407,47,74	361,12,37
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास	240,89,20	227,19,80
	बही मूल्य	**166,58,54**	**133,92,57**

(₹हजार)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
3	**फर्नीचर और फिक्सचर्स**		
	अथ शेष	62,22,94	6,10,62
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	54,50	2,09,02
	उप-जोड़	62,77,44	63,15,64
	घटाएं : बेची गई / बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	79,04	92,69
	इति शेष (लागत पर)	61,98,40	62,22,95
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास	58,96,30	57,96,33
	बही मूल्य	**3,02,10**	**4,26,62**
4	**कंप्यूटर इंस्टॉलेशन और कार्यालय उपकरण**		
	अथ शेष	98,67,21	95,21,88
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	6,86,71	6,85,58
	उप-जोड़	105,53,92	102,07,46
	घटाएं : बेची गई / बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	2,94,51	3,40,24
	इति शेष (लागत पर)	102,59,41	98,67,22
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास	93,51,60	89,91,75
	बही मूल्य	**9,07,81**	**8,75,47**
5	**वाहन**		
	अथ शेष	8,12,27	6,21,71
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	2,17,00	4,18,04
	उप-जोड़	10,29,27	10,39,75
	घटाएं : बेची गई / बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	1,59,20	2,27,48
	इति शेष (लागत पर)	8,70,07	8,12,27
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास	4,46,98	3,45,93
	बही मूल्य	**4,23,09**	**4,66,34**
6	**चल रहे पूंजीगत कार्य**	**84,97,73**	**83,54,51**
	कुल	**390,76,10**	**352,53,93**

अनुसूची 13 - अन्य आस्तियां

(₹हजार)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
1	उपचित ब्याज	2883,08,91	3578,03,26
2	भूस्वामियों के पास जमाराशि	1,19,83	1,16,10
3	सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं के पास जमाराशि	9,32,36	3,61,62
4	स्टाफ को आवास ऋण	121,13,40	140,44,51
5	स्टाफ को अन्य अग्रिम	90,38,10	96,45,24
6	भूस्वामियों को अग्रिम	92	1,14
7	विविध अग्रिम	41,37,95	38,25,15
8	अग्रिम कर (आयकर हेतु प्रावधान को घटाकर)	0	382,23,63
9	आस्थगित कर आस्तियां (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-10 देखें)	181,19,02	162,52,02
10	भारत सरकार/ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वसूली-योग्य व्यय (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-3 देखें)	71,04,59	17,28,58
11	प्राप्य डिस्काउंट	104,25,32	105,12,14
	कुल	**3503,00,40**	**4525,13,39**

अनुसूची 14 - ब्याज और वित्तीय प्रभार

(₹हजार)

क्र. सं.	विवरण	2016-17	2015-16
1	**भुगतान किया गया ब्याज**		
(क)	आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियों पर	6038,85,05	5737,78,85
(ख)	अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि पर (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-7 देखें)	2452,44,43	2552,67,53
(ग)	अल्पावधि क्षेग्रा बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि पर (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-7 देखें))	694,02,10	1451,64,88
(घ)	चाय / कॉफी / रबड़ जमाराशियों पर	11,49,55	17,58,61
(ङ)	सीबीएस जमाराशियों पर	72	7,36
(च)	केंद्र सरकार से प्राप्त ऋणों पर	52,33	1,01,17
(छ)	बाण्डों पर (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-7 देखें)	3518,85,37	3330,72,32
(ज)	वाणिज्यिक पत्र पर	879,02,24	972,06,16
(झ)	बॉन्ड्स - एलटीआईएफ	107,35,80	0
(ञ)	मीयादी मुद्रा उधार पर	98,45,04	65,08,57
(ट)	अल्पावधि जमाराशियों के समक्ष उधार पर	24,71	60
(ठ)	जमाराशि प्रमाणपत्रों पर भुगतान किए गए डिस्काउन्ट की लागत पर	475,43,93	42,23,18
(ड)	अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से उधार पर	24,19,01	25,94,50
(ढ)	वाटरशेड विकास निधि पर	68,83,42	64,33,75
(ण)	वित्तीय समावेशन निधि पर	142,77,35	132,97,20
(त)	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - आंध्र प्रदेश पर	2,85	2,60
(थ)	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - राजस्थान पर	64	0
(द)	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - गुजरात पर	21,56	16,80
(ध)	केएफडबल्यू - यूपीएनआरएम - सहबद्ध उपायों पर	22	13,51
(न)	केएफडबल्यू - एनबी इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - चरण III- महाराष्ट्र पर	0	1,89
(प)	केएफडबल्यू - एनबी -IXआदिवासी विकास कार्यक्रम पर	59,96	0
(फ)	केएफडबल्यू - एनबी - V आदिवासी परियोजना पर	7,54	4,57
(ब)	वायदा प्रभार - केएफडबल्यू यूपीएनआरएम उधार पर	0	11,96
(भ)	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधिमूलक बायफ परियोजना - सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश पर	37	36
(म)	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधिमूलक बायफ परियोजना - रायबरेली, उत्तर प्रदेश पर	10	10
(य)	पशुधन विकास कार्यक्रम (उत्तर प्रदेश और बिहार) पर	59	57
(र)	आदिवासी विकास निधि वाडी (पश्चिम बंगाल) पर	57,91,12	49,82,53
(ल)	सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सेलेन्स इन को-ऑपरेटिव्स (सी-पेक) पर	15,16	12,78
(व)	भंडारागार आधारभूत सुविधा निधि पर	214,13,98	121,39,01
(श)	दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि पर	1333,72,13	700,06,94
(ष)	खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों हेतु निधि पर	7,23,53	5,98,75
(स)	राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि पर	7,12,69	1,06,67
2	संपार्श्वीकृत उधार और ऋण वितरण दायित्वों पर डिस्काउंट	117,48,44	107,80,61
3	बाण्डों और प्रतिभूतियों पर डिस्काउंट, दलाली, कमीशन और निर्गम व्यय	15,53,26	35,48,83
4	पूंजीगत हानि - अन्य संस्थाओं के इक्विटी शेयर	55,44	42,29
5	स्वैप प्रभार	48,46	21,75,87
6	रेपो ब्याज व्यय	9,45	0
	कुल	**16267,88,54**	**15438,61,32**

अनुसूची 15 अ - स्थापना और अन्य व्यय

(₹हजार)

क्र. सं. .	विवरण	2016-17	2015-16
1	वेतन और भत्ते (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-9 देखें)	676,77,85	715,26,42
2	स्टाफ अधिवर्षिता निधियों में अंशदान / प्रावधान के लिए	957,43,35	463,66,78
3	अन्य अधिलाभ एवं भत्ते	38,46,90	35,60,69

अनुसूची 15 अ - स्थापना और अन्य व्यय

(₹हजार)

क्र. सं. .	विवरण	2016-17	2015-16
4	निदेशकों और समिति के सदस्यों की बैठकों के संबंध में यात्रा और अन्य भत्ते	33,79	22,66
5	निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क	6,20	2,37
6	किराया, दरें, बीमा, बिजली आदि	34,80,06	34,83,74
7	यात्रा व्यय	36,89,38	32,20,14
8	मुद्रण और लेखन सामग्री	4,90,79	4,24,88
9	डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन	19,92,80	12,98,49
10	मरम्मत	50,83,41	27,92,55
11	लेखापरीक्षकों की फीस	30,92	31,04
12	विधिक प्रभार	72,28	99,92
13	विविध व्यय	76,61,96	63,06,27
14	विविध आस्तियों पर व्यय	8,12,76	8,07,15
15	अध्ययन और प्रशिक्षण पर व्यय [प्रशिक्षण संस्थानों के स्थापना व्ययों से संबंधित ₹13,76,51,640.15 (₹13,23,77,118.71) सहित]	46,99,21	62,33,87
16	संपत्ति कर	0	(66,97)
	कुल	**1953,21,66**	**1461,10,00**

अनुसूची 15 आ - संवर्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय

(₹हजार)

क्र. सं. .	विवरण	2016-17	2015-16
(i)	सहकारिता विकास निधि	16,72,43	15,39,97
(ii)	उत्पादक संगठन विकास निधि	4,10,43	2,62,33
(iii)	ग्रामीण आधारभूत सुविधा संवर्द्धन निधि	1,58,41	2,60,42
(iv)	गैर कृषि क्षेत्र संवर्द्धनात्मक उपायों/गतिविधियों के लिए व्यय	22	0
(v)	कृषि क्षेत्र संवर्द्धनात्मक निधि के अंतर्गत व्यय	21,19,64	24,90,93
(vi)	जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय	4,95	0
	कुल	**43,66,08**	**45,53,65**

अनुसूची 16 - प्रावधान

(₹हजार)

क्र. सं. .	विवरण	2016-17	2015-16
	प्रावधान :		
1	मानक आस्तियां	173,00,00	51,76,00
2 (क)	अनर्जक आस्तियाँ	(1,70,12)	66,10,64
2 (ख)	अनर्जक आस्तियाँ - स्टाफ	0	1,47
3	पुन:संरचित खातों के ब्याज घटक में छोड़ी गई राशि	(3,25,42)	(11,95,58)
4	अन्य आस्तियाँ / प्राप्य	(3,22)	7,46
	कुल	**16,801,24**	**105,99,99**

अनुसूची 17 - प्रतिबद्धताएं और आकस्मिक देयताएं

(₹हजार)

क्र. सं. .	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
1	निष्पादन के लिए शेष पूंजीगत संविदाओं के कारण प्रतिबद्धताएं	111,88,93	71,29,68
	उप जोड़ "अ"	**111,88,93**	**71,29,68**
2	आकस्मिक देयताएं		
(i)	बैंक गारंटी	16,65,00	0
(ii)	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें उधार नहीं माना गया है	0	0
	उप जोड़ "आ"	16,65,00	0
	कुल (अ + आ)	**128,53,93**	**71,29,68**

अनुसूची 18

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और टिप्पणियां

अ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखे तैयार करने का आधार:

लेखे ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए गए हैं और इन्हें तैयार करने में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और उसके विनियमों में निहित महत्वपूर्ण पहलुओं; इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी प्रयोज्य लेखा मानकों (एएस) और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंडों का पालन किया गया है. उन मामलों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लिखित है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (बैंक) ने निरंतर लेखा नीतियों का पालन किया है और ये नीतियां पिछले वर्ष में प्रयुक्त की गई नीतियों से सुसंगत हैं.

2. अनुमानों का उपयोग:

सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा नीतियों (जीएएपी) के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के क्रम में यह अपेक्षित होता है कि प्रबंधन कई ऐसी बातें मान कर चले और कई ऐसे अनुमान लगाए जो बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई आस्तियों और देयताओं की राशि तथा वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और परिचालनों के परिणामों और कामकाज की स्थिति को प्रभावित करते हैं. यद्यपि, ये अनुमान प्रबंधन तंत्र की जानकारी के आधार पर हैं, वास्तविक निष्कर्ष इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं. ये भिन्नताएं ऐसे निष्कर्षों के परिणाम के वर्ष में सामने आती हैं.

3. राजस्व निर्धारण:

3.1 नकदी के आधार पर लेखाबद्ध, निम्नलिखित मदों को छोड़ कर आय और व्यय को उपचय के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है:
- i) भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार पहचानी गई अनर्जक आस्तियों पर ब्याज.
- ii) ऋण देयों की प्राप्ति में विलंब या ऋण की शर्तों का अनुपालन न करने पर, प्रभारित दंड ब्याज के रूप में आय.
- iii) विभिन्न निधियों से दिए गए ऋणों पर सेवा प्रभार.
- iv) किसी एक व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक लेखा इकाई द्वारा ₹10,000 से अनधिक व्यय.

3.2 निर्गमित बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की बट्टा राशि को बाण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया. बॉण्डों के निर्गम से संबंधित व्ययों को बॉण्डों के निर्गम वर्ष का व्यय माना गया है.

3.3 लाभांश प्राप्त होने का अधिकार स्थापित हो जाने पर निवेश पर लाभांश को लेखे में लिया गया है.

3.4 i) उद्यम पूंजी निधि से आय को वसूली के आधार पर लेखे में लिया गया.
- ii) सब्सिडी जारी करना जिसमें नाबार्ड एक पास थ्रू एजेंसी के रूप में कार्य करता है, की गणना भुगतान आधार पर की जाती है जो संबंधित योजनाओं के तहत निधियों की उपलब्धता के अधीन है.

3.5 संपत्ति कर के लिए प्रावधान संपत्ति कर अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है.

3.6 अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की गई है:
- i) दंड ब्याज
- ii) लागत और प्रभार
- iii) अतिदेय ब्याज और ब्याज
- iv) मूलधन

4. अचल आस्तियां और मूल्यह्रास

- क) अचल आस्तियों का मूल्य, अधिग्रहण की लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति के कारण होने वाली हानि, यदि कोई हो, को घटाकर दर्शाया गया है. आस्तियों की लागत में उनके अधिग्रहण और उन्हें स्थापित करने से संबंधित कर, शुल्क, भाड़ा और अन्य प्रासंगिक व्यय शामिल हैं. विद्यमान आस्तियों पर बाद में किए गए व्यय को तभी पूंजीकृत किया गया है जब विद्यमान आस्तियों से भविष्य में होने वाले लाभ उनके पूर्व में आकलित निष्पादन के स्तर से अधिक बढ़ जाता है.
- ख) भूमि में स्वामित्व वाली और पट्टा वाली भूमि शामिल है.
- ग) जहां अलग-अलग मूल्य तत्काल उपलब्ध नहीं है, वहाँ परिसर में भूमि का मूल्य शामिल है
- घ) स्वामित्व वाली भूमि पर स्थित परिसरों पर ह्रासित मूल्य के आधार पर 10% वार्षिक की दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है.
- ङ) पट्टे की भूमि और उस पर स्थित परिसरों पर मूल्यह्रास की गणना की गई है और ह्रासित मूल्य के आधार पर 5% की दर या पट्टा की शेष अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर प्रीमियम/ लागत के परिशोधन से प्राप्त राशि में से जो भी अधिक हो, की दर से प्रभारित किया गया.
- च) ₹1 लाख और इससे कम मूल्य की अचल परिसंपत्तियों (आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रानिक आस्तियां जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन इत्यादि को छोड़कर) को उनके अधिग्रहण वर्ष में लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है. कीमती, परंतु आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रानिक आस्तियां जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन जिनकी प्रत्येक की कीमत यदि ₹10,000 से अधिक है; उन्हें पूंजीकृत किया गया है. सभी सॉफ्टवेयर जिनका मूल्य ₹1 लाख और उससे कम है और जिसे स्वतंत्र रूप से खरीदा गया हो, उन्हें लाभ और हानि खाते में लिया गया है.
- छ) अन्य अचल आस्तियों पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर प्रबंधन द्वारा आस्तियों की अनुमानित उपयोगिता अवधि के आधार पर निम्नलिखित दरों से मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है.

आस्तियों के प्रकार	मूल्यह्रास की दर
फर्नीचर और फिक्सचर	20%
कम्प्यूटर और सॉफ्टवेयर	33.33%
कार्यालय उपकरण	20%
वाहन	20%

- ज) मूल्यह्रास पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया जाता है, चाहे क्रय किसी भी तारीख को किया गया हो. वर्ष के दौरान बेची गई आस्तियों पर मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया जाता है.
- झ) चल रहे पूंजीगत कार्यों में पूंजीगत अग्रिम भी शामिल हैं और इसे अचल आस्तियों में प्रकट किया गया है.

5. निवेश

- क) भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार निवेशों को "व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)", "बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और "परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम)" श्रेणियों (यहां से आगे "श्रेणियां" कहा गया है) में वर्गीकृत किया गया है.
- ख) जो प्रतिभूतियां मुख्यत: क्रय की तारीख से 90 दिनों के भीतर फिर से बेचे जाने के लिए धारित हैं उन्हें "एचएफटी" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है उन्हें "एचटीएम" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. जिन प्रतिभूतियों को इन दोनों में से किसी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाना है उन्हें "एएफएस" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है.
- ग) जहां लागत अंकित मूल्य के समान या कम है वहाँ परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को अधिग्रहण की लागत पर रखा गया है. यदि लागत, अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम को परिपक्वता के लिए शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है. "एचटीएम" श्रेणी के अंतर्गत, अस्थायी निवेशों को छोड़कर सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश के मूल्य में कमी होने के संबंध में यथावश्यक प्रावधान किया गया है. यदि ऐसे निवेशों के मूल्य में कोई कमी आती है/ परिशोधन हुआ है तो इसके लिए प्रावधानों को चालू देयताओं और प्रावधानों के तहत शामिल किया गया है.
- घ) "एचटीएम" के तहत वर्गीकृत निवेशों के उन्मोचन पर प्राप्त लाभों को लाभ और हानि खाता में दर्शाया गया है और उसके बाद प्रारक्षित निधि खाते में अंतरित किया गया है.
- ङ) "एएफएस" के अंतर्गत निवेशों को अखिल भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) और भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित दर पर स्क्रिप-वार बाजार के लिए चिह्नित किया गया है. यदि कोई निवल मूल्यह्रास है, तो "एएफएस" के तहत वर्गीकृत श्रेणी में निवेश के लिए प्रावधान किया गया है और मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया गया है. अलग अलग स्क्रिप के अंकित मूल्य में पुनर्मूल्यांकन के बाद कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.
- च) "एचएफटी" के अंतर्गत निवेशों को अखिल भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) और भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित दर पर स्क्रिप-वार बाजार के लिए चिह्नित किया गया है. मूल्यह्रास/ मूल्यवृद्धि को "एचएफटी" श्रेणी के निवेशों में दर्शाया गया है. अलग अलग स्क्रिप के अंकित मूल्य में पुनर्मूल्यांकन के बाद परिवर्तन आया है.
- छ) सहायक संस्थाओं/ संयुक्त उद्यमों और सहयोगी संस्थाओं में किए गए निवेशों को परिपक्वता तक धारित में वर्गीकृत किया गया है.
- ज) खज़ाना बिलों, वाणिज्यिक पत्रों और जमा राशि प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन धारण लागत पर किया गया है.
- झ) यदि निवेशी कंपनियों के नवीनतम लेखापरीक्षित खाते उपलब्ध हैं तो कोट न किए गए शेयरों का मूल्यांकन ब्रेक अप मूल्य पर या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार ₹1/- प्रति कंपनी की दर से किया गया है.
- ञ) असूचीबद्ध इक्विटियों सहित निवेशों के संबंध में अधिग्रहण के समय अदा की गई दलाली, कमीशन आदि को राजस्व के अंतर्गत प्रभारित किया गया है.
- ट) शेयर बाजार में खरीदे/ बेचे गए शेयरों के अधिग्रहण/ बिक्री पर अदा की गई दलाली को पूंजीकृत किया गया है.
- ठ) ऋण निवेश पर खंडित अवधि के लिए अदा किये गये/ प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/ आय माना गया है और लागत/ बिक्री प्रतिफल शामिल नहीं किया गया है.
- ड) विभिन्न श्रेणियों के बीच प्रतिभूति के अंतरण को, अंतरण की तारीख को अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य/ बाज़ार मूल्य में से जो भी कम हो, उस को हिसाब में लिया गया है और अंतरण के बाद यदि कोई मूल्यह्रास है तो उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है.
- ढ) सरकारी प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन पर परिशोधन/ लाभ/ हानि को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया.
- ण) निवेशों के लेखांकन के लिए भारित औसत लागत पद्धति का पालन किया गया है.
- त) उद्यम पूंजी निधियों में निवेश की गणना संबंधित निधि द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुसार की जाती है.

6. अग्रिम और उन पर प्रावधान

क) अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार किया गया है. आवधिक समीक्षा के आधार पर और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रावधानन के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुरूप पहचाने अग्रिमों की मानक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किया गया है.

ख) अग्रिमों की पुन: संरचना/ पुन:अनुसूचीकरण के मामले में, पुन: संरचना/ पुन:अनुसूचीकरण के समय, मूल करार के अनुसार भविष्य का मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य तथा संशोधित करार के अनुसार भविष्य के मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर के लिए प्रावधान किया गया है.

ग) अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के समक्ष किए गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया गया है.

घ) निधियों से मंजूर किए गए ऋणों के संदर्भ में अनर्जक ऋणों के लिए प्रावधानों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

7. विदेशी मुद्रा लेन-देन

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में जारी लेखा मानक (एएस-11) (संशोधित 2003) के अनुसार विदेशी मुद्रा लेन-देनों का लेखांकन कार्य निम्नानुसार किया जाता है:

क) विदेशी मुद्रा की आस्तियों और देयताओं का वर्ष के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक (पिछले वर्ष तक एफईडीएआई दरों का उपयोग किया गया) द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुन:मूल्यांकन किया जाता है और तुलन पत्र में (तुलन पत्र से इतर मद के रूप में) कॉन्ट्रा मद के रूप में प्रकट किया जाता है. विदेशी मुद्रा उधार के लिए देयता को पूर्णतया हेज किया गया है और तुलनपत्र में कांट्रैक्टेड मूल्य (तुलन पत्र से इतर मद) के रूप में दर्शाया गया है

ख) आय और व्यय मदों को लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दरों के हिसाब से परिवर्तित कर दिया जाता है.

8. विदेशी विनिमय संविदाओं के लिए लेखांकन

क) विदेशी विनिमय संविदाएं विदेशी मुद्रा उधारों की चुकौती के लिए जोखिम से बचाव के लिए हेज की गई हैं.

ख) हेज किए गए विदेशी विनिमय उधारों का उल्लेख संविदा दर पर किया गया है.

ग) हेज न की गई विदेशी विनिमय संविदाओं का वर्ष के अंत में एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुन:मूल्यांकन किया जाता है. पुन: मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अधिलाभ/ घाटे को लाभ और हानि खाते में वायदा विनिमय संविदा खाते के पुन:मूल्यांकन पर प्राप्त अधिलाभ/ घाटा' शीर्ष के अंतर्गत लिया जाता है. अधिलाभ/ कम हुई राशि को संविदा जारी रहने की अवधि तक हिसाब में लिया जाता है.

घ) विदेशी विनिमय संविदाओं के निरसन और नवीकरण पर लाभ / घाटे को 'विदेशी मुद्रा ऋण खाते में लाभ/हानि' शीर्ष के अंतर्गत विदेशी मुद्रा से लाभ और हानि खाते में लिया जाता है.

9. कर्मचारी लाभ

भारतीय रिजर्व बैंक से स्थानांतरित सभी कार्मिक बैंक के कर्मचारी माने जाते हैं और तदनुरूप कर्मचारी लाभ के प्रावधान किये जाते हैं. प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर यथा आवश्यक बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है.

क) अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

कर्मचारियों हेतु अल्पावधि लाभ, जिनका भुगतान कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में अपेक्षित है, की अबट्टाकृत राशि उसी अवधि के लिए मानी जाती है जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं.

ख) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ:

i) नियत अंशदान योजना

उन सभी पात्र कर्मचारियों के लिए जिन्होंने 31 दिसम्बर 2011 को या इससे पहले बैंक में कार्यभार ग्रहण किया है, के लिए बैंक में भविष्य निधि योजना है. इस योजना का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक करता है. अंशदान को उपचय के आधार पर पहचाना जाता है.

बैंक ने उन सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) आरंभ की है जो 01 जनवरी 2012 को या उसके बाद बैंक की सेवाओं में आए हैं. बैंक ने एक नियत अंशदान योजना 'एनपीएस - कार्पोरेट सेक्टर मॉडल' को अपनाया है जो कि पेंशन निधि विनियामक व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा तैयार की गई है. निधि में अंशदान उपचय आधार पर किया जाता हैं.

ii) नियत लाभ योजना

क. सभी पात्र कर्मचारियों के मामले में अनुमानित इकाई लागत पद्धति के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान किया जाता हैं. योजना का निधीयन बैंक द्वारा किया जाता है और इसका प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है. बीमांकिक लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में उपचय आधार पर दर्शाया जाता है.

ख. 31 दिसम्बर 2011 को या उससे पहले बैंक में कार्यग्रहण करने वाले सभी पात्र कर्मचारियों की पेंशन के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है. इस योजना के लिए बैंक निधि प्रदान करता है और इसका प्रबंध एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है.

iii) अन्य दीर्घावधि लाभ

बैंक के सभी पात्र कर्मचारी क्षतिपूर्तिपरक अनुपस्थितियों के लिए पात्र हैं. बैंक के सभी पात्र कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभों के लिए भी पात्र हैं. अन्य दीर्घावधि लाभों की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर इकाई लागत पद्धति का प्रयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है. बीमांकिक अधिलाभ या घाटे को लाभ और हानि खाते में उपचयित आधार पर दर्शाया जाता है.

10. आय पर कर

क) चालू अवधि के लिए आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुरूप परिगणित कर योग्य आय और कर जमाओं और निर्धारणों/ अपीलों के संभावित परिणाम के आधार पर किया गया है.

ख) आस्थगित कर की पहचान समयजन्य अंतर यानी वर्ष के लिए कर-योग्य आय और लेखागत आय के बीच के अंतर के आधार पर की गई है और कर की दरों और तुलनपत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार अधिनियमित कानूनों या स्थानापन्न रूप से अधिनियमित कानूनों का उपयोग करते हुए उनकी राशि निर्धारित की गई है.

ग) अनअवशोषित मूल्यह्रास/ व्यवसायगत हानियों से संबंधित आस्थगित आस्तियों की पहचान कर उन्हें उस सीमा तक आगे ले जाया गया है, जहां लगभग यह निश्चित हो जाए कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके समक्ष ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की जा सकेगी.

घ) निधियों से अर्जित कर योग्य आय पर भुगतान/ प्रावधान किए गए करों को संबंधित निधियों के व्यय के रूप में लेखों में गणना की जाती है.

11. खंड रिपोर्टिंग

क) खंड राजस्व में, खंड से सीधे संबंधित/ खंड को आबंटन योग्य ब्याज और अन्य आय शामिल हैं.

ख) जो आय संपूर्ण बैंक से संबंधित है और जिसे किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता उसे "अन्य आबंटित न की जा सकने योग्य बैंक आय" में शामिल किया गया है.

ग) जो व्यय किसी खंड से सीधे संबंधित/ खंड को आबंटन-योग्य हैं उनको खंड का परिणाम निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिया गया है. ऐसे व्यय जिनका संबंध संपूर्ण बैंक से है और जिन्हें किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता उनको "अन्य आबंटित न किए जा सकने योग्य व्यय" में शामिल किया गया है.

घ) खंड आस्तियों और देयताओं में संबंधित खंड से सीधे जुड़ी आस्तियां और देयताएं शामिल हैं. आबंटित न की जा सकने योग्य आस्तियों और देयताओं में संपूर्ण बैंक से संबंधित किसी खंड को आबंटित नहीं की जा सकने वाली आस्तियां और देयताएं शामिल हैं.

12. आस्तियों की क्षतिग्रस्तता

क) प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों की अंकित राशि की जांच क्षतिग्रस्तता के लिए की जाती है ताकि यह निर्धारण किया जा सके कि:

i) यदि क्षतिग्रस्ततताजन्य कोई हानि हुई हो तो, उसके लिए आवश्यक प्रावधान का निर्धारण किया जा सके; अथवा

ii) पिछली अवधि में मान्य की गई क्षतिग्रस्ततताजन्य हानि, यदि कोई हो, का प्रत्यावर्तन

ख) क्षतिग्रस्ततताजन्य हानि तब मानी गई है जब किसी आस्ति की धारिता राशि उससे वसूली योग्य राशि से अधिक हो.

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

13.1 प्रावधानों के लिए केवल उन्हीं देयताओं को मान्य किया जाता है जिनका आकलन वास्तविक अनुमानों का प्रयोग करते हुए किया जा सके यदि:

क) किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप बैंक का कोई वर्तमान दायित्व है.

ख) दायित्वों के निपटान हेतु संसाधनों के बर्हिगमन की संभावना; और

ग) देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

13.2 आकस्मिक देयता को निम्न मामलों में प्रकट किया गया:

क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जब इसकी संभावना नहीं हो कि दायित्व को पूरा करने के लिए संसाधनों के बर्हिगमन की आवश्यकता पड़ेगी.

ख) कोई वर्तमान दायित्व, जब वास्तविक अनुमान संभव नहीं हो, और

ग) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जहां संसाधनों के बर्हिगमन की संभावना एकदम न के बराबर हो.

13.3 आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्य किया जाता है और न ही उन्हें प्रकट किया जाता है.

13.4 प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों की प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर समीक्षा की जाती है.

14. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरणियों के प्रयोजन के लिए नकदी और नकदी समतुल्यों में बैंकों में नकदी, हाथ में नकदी, बैंकों की मांग जमाराशियां तथा अन्य अल्पावधि निवेश शामिल हैं जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन माह या उससे कम है.

15. **भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन**
एमसीए द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2016 को जारी प्रेस विज्ञप्ति सं. 11/10/2009 सीएल-वी के तहत बैंकों को 01 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाली लेखा अवधि और आगे के लिए इंड एएस आधारित वित्तीय विवरण तैयार करने होंगे जिन्हें 31 मार्च 2018 और इसके बाद समाप्त होने वाली अवधि से तुलनात्मक होना होगा.

बैंक में लेखांकन प्रणाली में होने वाले परिवर्तनों और इंड एएस के कार्यान्वयन के प्रभावों का मूल्यांकन किया जाएगा. उप प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक संचालन समिति गठित की गई है जिसमें बेसेल III पूंजी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूंजी पर्याप्तता सहित बैंक के वित्तीय विवरणों पर उपर्युक्त समय सीमा के अनुसार कार्यान्वयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बैंक प्रयास कर रहा है.

आ. लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

1. केएफडब्ल्यू-जर्मन विकास बैंक के साथ हुए करार के अनुसार, यूपीएनआरएम के अंतर्गत हुई अभिवृद्धि/ आय और व्ययों को निधि में प्रभारित किया गया है. इस निधि से दिए गए ऋणों को प्रत्यक्ष ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया और इसे अनुसूची 11 के तहत प्रकट किया गया है. यूपीएनआरएम से संबंधित उधारों को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे अनुसूची 7 के तहत प्रकट किया गया है.

   वर्ष के दौरान, केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम योजना के अंतर्गत मंजूर किए गए ऋणों के लिए अनर्जक आस्तियों के लिए ₹6.51 करोड़ की राशि की आवश्यकता है और यूपीएनआरएम निधि की कमी के कारण इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

2. अप्रयुक्त शेष राशि पर प्राप्त ब्याज को तत्संबंधी करारों के अनुसार प्रबंधन द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित निधियों में जमा किया गया. संबंधित निधियों के लिए ब्याज दरों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	निधि का नाम	ब्याज दर 2016-17	ब्याज दर 2015-16
1.	वाटरशेड विकास निधि	6%	6%
2.	केएफडब्ल्यू-एनबी आईजीडब्ल्यूडीपी (आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र)	6%	6%
3.	केएफडब्ल्यू सहबद्ध उपाय	6%	6%
4.	राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि	6%	6%
5.	आदिवासी विकास निधि	6%	6%
6.	वित्तीय समावेशन निधि	6%	6%
7	केएफडब्ल्यू-एनबी -V - आदिवासी विकास कार्यक्रम - गुजरात	6%	6%
8.	पशुधन विकास निधि (उत्तर प्रदेश और बिहार)	7.46%	7.88%
9	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु गतिविधि दृष्टिकोण (सुल्तानपुर और रायबरेली)	7.46%	7.88%
10	सेन्टर फॉर प्रोफेशनल एक्सेलेंस इन को-आपरेटिव्स	7.46%	7.88%
11	केएफडब्ल्यू-एनबी-IX- आदिवासी विकास कार्यक्रम - महाराष्ट्र	7.46%	--

3. भारत सरकार/ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वसूली योग्य ₹71.05 करोड़ (₹17.29 करोड़) में (तुलन पत्र की अनुसूची-13 देखें) विविध निधियों का नामे अधिशेष शामिल है. ऐसी निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़)

क्र.सं.	निधि का नाम	31-03-2017	31-03-2016
1	केएफडब्ल्यू - यूपीएनआरएम- सहबद्ध उपाय	1.84	---
2	केएफडब्ल्यू - एनबी आईजीडब्ल्यूडीपी (राजस्थान)	0.00	5.31
3	केएफडब्ल्यू - मृदा परियोजना	11.47	---
4	केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम निधि	27.45	11.44
5	केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम - वित्तीय अंशदान	0.53	0.39
6	आईएफएडी- एमआरसीपी	0.00	0.06
7	अन्य	29.76	0.09

4. विविध लेनदारों में ₹30.67 करोड़ (₹32.12 करोड़) सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि (एमएफडीईएफ़) के संबंध में अंशदाताओं का बकाया भी शामिल है. ₹1.46 करोड़ नाबार्ड का शेयर होने के कारण लाभ-हानि विनियोजन लेखा में लिया गया है.

5. भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसरण में वाणिज्य बैंकों में रखी गई ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) जमाराशियों, भंडारागार आधारभूत सुविधा विकास निधि (डब्ल्यूआईएफ) जमाराशियों और खाद्य प्रसंस्करण निधि के संबंध में बैंक के पास सापेक्षिक मार्जिन के रूप में उपलब्ध 0.5 प्रतिशत से अधिक की राशि वॉटरशेड विकास निधि, आदिवासी विकास निधि और वित्तीय समावेशन निधि में जमा की गई. पिछले वर्ष यह राशि आदिवासी विकास निधि और वित्तीय समावेशन निधि में जमा की गई थी.

6. भारत सरकार से हुए करार के अनुसरण में सापेक्ष अधिशेष 0.60% से अधिक होने की दशा में दीर्घकालीक सिंचाई निधि को एलटीआईएफ़ उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि में अंतरित कर दिया जाएगा. इसका उपयोग उस अवधि में किया जाएगा जब सापेक्ष मार्जिन 0.60% से कम होगा. वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज राशि में से अर्जित अधिशेष राशि ₹2.52 करोड़ को "एलटीआईएफ़ उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि" में अंतरित किया गया है.

7. नाबार्ड द्वारा उधार की लागत और पुनर्वित्त दर के बीच के अंतर के रूप में भारत सरकार से मौसमी कृषि परिचालनों (एसएओ) के अंतर्गत प्राप्त/ प्राप्त होने वाली ₹422.36 करोड़ (₹1353.14 करोड़) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत प्राप्त/प्राप्त होने वाली ₹20.24 करोड़ (₹17.12 करो) की सहायता को ब्याज और वित्तीय प्रभारों से घटा दिया गया है और इसे उपचित ब्याज के रूप में दिखाया गया है और अनुसूची 13 में प्रकट किया गया है.

8. अन्य प्राप्तियों में ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रा बैंकों और जिमस बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मौसमी कृषि परिचालनों और एनआरएलएम योजना के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) को पुनर्वित्त देने पर हुए प्रशासनिक व्ययों के रूप में भारत सरकार से प्राप्त/ प्राप्त होने वाली ₹126.35 करोड़ (₹168.43 करोड़) की राशि भी शामिल है.

9. बैंक कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है. 01 नवंबर 2012 से लंबित समीक्षा का निपटान 01 मार्च 2017 को किया गया और बैंक सेवारत और सेवानिवृत कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की गणना कर रहा है. 31 मार्च 2016 तक के बकाया वेतन और भत्तों के लिए ₹538 करोड़ का प्रावधान किया गया था जो अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त है. चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया है. अधिवर्षिता लाभ पर वेतन संशोधन के प्रभाव को गणना में लिया गया है.

10. वर्ष के दौरान बैंक ने लेखांकन मानक 22 "आय पर करों की गणना के अनुसरण में, लाभ और हानि खाते में ₹18.67 करोड़ (₹11.06 करोड़) आस्थगित कर दर्शाया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़)

क्र. सं.	आस्थगित कर आस्तियां	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
1	भुगतान के आधार पर अनुमन्य प्रावधान	149.64	124.97
2	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	31.55	37.55
	जोड़	**181.19**	**162.52**

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत निर्मित विशेष प्रारक्षित निधि के कारण आस्थगित कर के लिए प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि बैंक ने उक्त प्रारक्षित निधि आहरित न करने का निर्णय लिया है.

11. आयकर विभाग द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए बैंक की कर देयता की राशि ₹373.15 करोड़ निर्धारित की गई है. बैंक ने इस राशि का प्रावधान किया था और उक्त देयता का भुगतान कर दिया गया है. तथापि, बैंक ने सीआईटी-अपील के उक्त आदेश के विरुद्ध आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील फाइल की है.

12. आयकर विभाग ने कर-निर्धारण वर्ष 2006-07 के कर-निर्धारणों को वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान पुन: खोला. आय के पुनः आकलन के दौरान ₹343.21 करोड़ की राशि बैंक की आय में जोड़ी गई. उक्त में से:
    क) आरआईडीएफ के अंतर्गत विभेदक ब्याज खाते के कारण ₹132.08 करोड़ की अतिरिक्त राशि जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार जमा किया गया था, को वाटरशेड विकास निधि में जोड़ा गया है.
    ख) इसके अतिरिक्त, अन्य खातों में ₹211.13 करोड़ की राशि आय में जोड़ी गई है. प्रबंधन के विचार में, इस अतिरिक्त आय के संदर्भ में, कर बहिर्गमन की कोई संभावना नहीं है. बैंक ने सीआईटी - अपील में उक्त आदेश के विरुद्ध अपील की है और अपील सुधार हेतु निर्धारण अधिकारी के समक्ष सुधार हेतु आवेदन भी दिया गया है. अपील सुधार के आवेदन के निर्णय के लंबित रहने तक बैंक ने बोर्ड के संकल्प के अनुसार 'वॉटरशेड विकास निधि' शीर्ष के अंतर्गत ₹97.83 करोड़ की ब्याज सहित कर राशि को निधि के व्यय के रूप में लिया है.
    ग) बैंक ने कुल ₹254.22 करोड़ की मांग में से पिछले वर्षों के करों की वापसी के समायोजन के रूप में ₹162.16 करोड़ राशि का भुगतान किया और निर्धारण को पुनः खोलने के खिलाफ सीआईटी (ए) के पास अपील की है.
    घ) सीआईटी (ए) ने दिनांक 26 फरवरी 2016 के अपने आदेश में नाबार्ड के अपील को मान्य ठहराया है और आयकर द्वारा पूर्ण हो चुके निर्धारण को पुनः खोले जाने के खिलाफ निर्णय दिया. तथापि विभाग ने सीआईटी (ए) के आदेश के खिलाफ आईटीएटी मुंबई में अपील की है.

13. कर निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए पुन: कर निर्धारण के दौरान (वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान पुन: खोला गया) आरआईडीएफ के अंतर्गत विभेदक ब्याज के कारण ₹157.47 करोड़ की अतिरिक्त कर देयता का निर्धारण किया गया था. बैंक ने उक्त देयता का भुगतान कर दिया है जिसमें चालू वर्ष के दौरान ₹27.46 करोड़ की राशि आदिवासी विकास निधि में प्रभारित की गई है. तथापि, बैंक ने उक्त आदेश के विरुद्ध सीआईटी - अपील में अपील की है. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान दिनांक 30 मार्च 2016 के अपने आदेश में सीआईटी (ए) ने नाबार्ड के अपील को मान्य ठहराया है और आयकर द्वारा पूर्ण हो चुके निर्धारण को पुनः खोले जाने के खिलाफ निर्णय दिया. वर्ष 2016-2017 के दौरान सीआईटी (अपील) के आदेश के अनुसरण में ₹179.09 करोड़ का रिफंड प्राप्त हुआ है. सीआईटी (अपील) के आदेश के खिलाफ आयकर विभाग ने आईटीएटी, मुम्बई के समक्ष अपील की है. आईटीएटी में लंबित अपील के मद्दे नज़र आयकर विभाग से प्राप्त ब्याज सहित रिफंड राशि को आयकर रिफंड खाते में रखा गया है.

14. वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान कर निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए कर निर्धारणों को आयकर विभाग ने पुन: खोला और आरआईडीएफ/एसटीसीआरसी के अंतर्गत लेखाकृत विभेदक ब्याज के लिए ₹174.59 करोड़ की अतिरिक्त आयकर देयता का पुन: निर्धारण किया गया. बैंक ने पूर्व के वर्षों में उक्त देयता का भुगतान किया था और सीआईटी-अपील में उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील की. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान दिनांक 30 मार्च 2016 के अपने आदेश में सीआईटी (ए) ने नाबार्ड के अपील को मान्य ठहराया और आयकर विभाग द्वारा पूर्ण हो चुके निर्धारण को पुनः खोले जाने के विरुद्ध निर्णय दिया. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सीआईटी (अपील) के आदेश के अनुसरण में ₹28.81 करोड़ के ब्याज सहित ₹174.59 करोड़ की राशि रिफंड के रूप में प्राप्त हुई. सीआईटी (अपील) के आदेश के खिलाफ आयकर विभाग ने आईटीएटी, मुम्बई के समक्ष अपील की है. आईटीएटी में लंबित अपील के मद्दे नजर आयकर विभाग से प्राप्त ब्याज सहित रिफंड राशि को आयकर रिफंड खाते में रखा गया है.

15. वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान आयकर विभाग ने कर निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए कर निर्धारणों को पुन: खोला और आरआईडीएफ विभेदक ब्याज और अन्य अमान्य किए गए व्ययों के कारण ₹256.90 करोड़ की मांग की जिसका भुगतान बैंक द्वारा पिछले वर्षों में किया गया है और सीआईटी-अपील में पूर्ण किए गए निर्धारण को पुनः खोले जाने के निर्णय के विरुद्ध अपील की. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, दिनांक 30 मार्च 2016 के अपने आदेश में सीआईटी (ए) ने नाबार्ड के अपील को मान्य ठहराया और आयकर विभाग द्वारा पूर्ण हो चुके निर्धारण को पुनः खोले जाने के विरुद्ध निर्णय दिया. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सीआईटी (अपील) के आदेश के अनुसरण में ₹40.04 करोड़ के ब्याज सहित ₹256.90 करोड़ की राशि रिफंड के रूप में प्राप्त हुई. सीआईटी (अपील) के आदेश के खिलाफ आयकर विभाग ने आईटीएटी, मुम्बई के समक्ष अपील की है. आईटीएटी में लंबित अपील के मद्दे नज़र आयकर विभाग से प्राप्त ब्याज सहित रिफंड राशि को आयकर रिफंड खाते में रखा गया है.

16. वित्तीय कर निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए आय के निर्धारण के दौरान आरआईडीएफ / एसटीसीआरसी और अन्य के अंतर्गत लेखाकृत विभेदक ब्याज के कारण ₹313.07 करोड़ की कर देयता का निर्धारण किया गया. बैंक ने पूर्व के वर्षों में उक्त देयता का भुगतान किया था. बैंक ने सीआईटी-अपील में उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील की. वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान आदिवासी विकास निधि के अंतर्गत ₹276.66 की कर राशि लेखाकृत की गई. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, दिनांक 26 फरवरी 2016 के अपने आदेश में सीआईटी (ए) ने आरआईडीएफ/एसटीसीआरसी के अंतर्गत लेखाकृत विभेदक ब्याज पर आयकर न उगाटने की बैंक की अपील को मान्य ठहराया. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, सीआईटी (अपील) के आदेश के अनुसरण में ₹61.34 करोड़ के ब्याज सहित ₹285 करोड़ की राशि रिफंड के रूप में प्राप्त हुई. सीआईटी (अपील) के आदेश के खिलाफ आयकर विभाग ने आईटीएटी, मुम्बई के समक्ष अपील की है. आईटीएटी में लंबित अपील के मद्दे नज़र आयकर विभाग से प्राप्त ब्याज सहित रिफंड राशि को आयकर रिफंड खाते में रखा गया है.

17. कर निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए आय के निर्धारण के दौरान आरआईडीएफ/एसटीसीआरसी और अन्य के अंतर्गत लेखाकृत विभेदक ब्याज के कारण ₹424.95 करोड़ की कर देयता का निर्धारण किया गया. बैंक ने पूर्व के वर्षों में उक्त देयता का भुगतान किया. तथापि, बैंक ने सीआईटी-अपील में उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की.

18. कर निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए आयकर विभाग ने आरआईडीएफ/एसटीसीआरसी के अंतर्गत लेखाकृत विभेदक ब्याज के कारण ₹1002.68 करोड़ की अतिरिक्त कर देयता का निर्धारण किया जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आदिवासी विकास निधि में जमा किया गया था. इसके अतिरिक्त, संवर्धनात्मक गतिविधियों पर अमान्य किए गए व्यय और अन्य अमान्य किए गए व्यय के कारण बैंक की आय में ₹145.90 करोड़ की राशि जोड़ी गई. बैंक ने पूर्व के वर्षों में उक्त देयता का भुगतान किया. तथापि, बैंक ने सीआईटी-अपील में उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की.

19. वर्ष के दौरान, कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए आयकर विभाग द्वारा आरआईडीएफ/एसटीसीआरसी के अंतर्गत लेखाकृत विभेदक ब्याज के कारण ₹1156.05 करोड़ की अतिरिक्त कर योग्य आय का निर्धारण किया गया जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आदिवासी विकास निधि में जमा किया गया था. इसके अतिरिक्त, संवर्धनात्मक गतिविधियों पर अमान्य किए गए व्यय और अन्य अमान्य किए गए व्यय के कारण बैंक की आय में ₹20.56 करोड़ की राशि जोड़ी गई. तथापि, बैंक ने उक्त निर्णय के विरुद्ध सीआईटी-अपील में अपील दायर की.

20. वर्ष के दौरान, कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए आयकर विभाग द्वारा आरआईडीएफ/एसटीसीआरसी के अंतर्गत लेखाकृत विभेदक ब्याज के कारण ₹1289.70 करोड़ की अतिरिक्त कर योग्य आय का निर्धारण किया गया जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वाटरशेड विकास निधि, आदिवासी विकास निधि और वित्तीय समावेशन निधि में जमा किया गया था. इसके अतिरिक्त, संवर्धनात्मक गतिविधियों पर अमान्य किए गए व्यय और अन्य अमान्य किए गए व्यय के कारण बैंक की आय में ₹36.00 करोड़ की राशि जोड़ी गई. तथापि, बैंक ने उक्त निर्णय के विरुद्ध सीआईटी-अपील में अपील दायर की.

21. वर्ष के दौरान, कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए आयकर विभाग द्वारा आरआईडीएफ / एसटीसीआरसी के अंतर्गत लेखाकृत विभेदक ब्याज के कारण ₹1259.67 करोड़ की अतिरिक्त कर योग्य आय का निर्धारण किया गया जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वाटरशेड विकास निधि, आदिवासी विकास निधि और वित्तीय समावेशन निधि में जमा किया गया था. इसके अतिरिक्त, संवर्धनात्मक गतिविधियों पर अमान्य किए गए व्यय और अन्य अमान्य किए गए व्यय के कारण बैंक की आय में ₹61.33 करोड़ की राशि जोड़ी गई. तथापि, बैंक ने उक्त निर्णय के विरुद्ध सीआईटी-अपील में अपील दायर की.

22. स्वामित्व वाली भूमि और लीज़ भूमि और परिसर में - कार्यालय परिसर और स्टाफ क्वाटर्स के लिए भुगतान की गई ₹16.00 करोड़ (₹19.58 करोड़) की राशि शामिल है जिनका हस्तांतरण अभी पूरा नहीं हुआ है.

23. बैंक प्रबंधन के मतानुसार आस्तियों में कोई ऐसी क्षतिग्रस्तता नहीं है जिस पर लेखा मानक 28 - “आस्तियों में क्षतिग्रस्तता” लागू होती हो और जिसके लिए किसी प्रावधान की अपेक्षा हो.

24. भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसरण में, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (रासकृग्रावि बैंक) को इन एजेंसियों द्वारा जारी विशेष विकास डिबेंचरों (एसडीडी) में अंशदान के रूप में दिए गए परियोजना ऋणों की निम्नानुसार गणना की गई है.

क) निवेश के रूप में वर्गीकृत और ‘डिबेंचर और बॉन्ड्स’ शीर्ष के अंतर्गत अनुसूची 10 में दर्शाया गया है.

ख) उस पर अर्जित ब्याज लाभ हानि खाते में 'ऋण एंव अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज' के भाग के रूप में दर्शाया गया है और उसे ‘अनुमन्य अग्रिम’ माना गया है.

ग) आईआरएसी मानदंड, पूंजी पर्याप्तता और अनुपातों की गणना इत्यादि के प्रयोजन से 'अनुमन्य अग्रिम'

25. वित्तीय विवरणियों की तारीख को, आरआईडीएफ के तहत विभिन्न राज्य सरकारों को किए गए संवितरण में से ₹495.09 करोड़ (₹631.16 करोड़ रुपये) गैर स्टार्टर परियोजनाओं से संबंधित हैं. संबंधित / अन्य परियोजनाओं के साथ राशि के समायोजन के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण राशि को निधि से संवितरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

26. दिनांक 18 फरवरी 2016 की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के तहत नाबार्ड को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (15) (iv) (एच) के तहत ₹5,000 करोड़ की राशि के कर मुक्त बांड जुटाने के लिए अनुमति दी गई थी. तदनुसार नाबार्ड ने 10 वर्ष की अवधि में प्रतिदेय ₹1500 करोड़ प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जुटाए गए और 10 और 15 वर्ष की अवधि में प्रतिदेय ₹3,500 करोड़ पब्लिक इश्यू के माध्यम से जुटाए गए. ये कर मुक्त बांड, सुरक्षित, प्रतिदेय और गैर-परिवर्तनीय बांड की प्रकृति के हैं. ये बांड मुंबई में स्थित संपत्ति पर समरूप प्रभार के समक्ष सुरक्षित हैं और नाबार्ड की निर्दिष्ट बही ऋण पर पहला प्रभार है. चालू वर्ष के लिए इन बांडों से संबंधित राजस्व के लिए प्रभारित ब्याज ₹365.64 करोड़ (₹31.78 करोड़) है.

डिबेंचर ट्रस्टी का ब्यौरा इस प्रकार है:
एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड,
एक्सिस हाउस, द्वितीय तल
वाडिया इंटरनेशनल सेंटर
पांडुरंग बुधकर मार्ग
वरली, मुंबई -400 025
टेलीफोन: 022 24255215/5216

27. उद्यम पूंजी निधि में निवेश पर विवेकपूर्ण मार्गदर्शों से संबंधित दिनांक 01 जुलाई, 2015 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई / 2015-16 / 104 डीबीआर.सं. एफ़आईडी एफ़आईसी .3 /01.02.00 / 2015-16 के अनुसार, उद्धम पूंजी निधि में ₹35.35 करोड़ (₹10.58) की राशि परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी से 3 वर्ष पूर्ण होने पर बिक्री के लिए उपलब्ध (एएसएस) वर्ग में अंतरित कर दी गई.

28. सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशों के अंतर्गत निम्नलिखित उधारों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास गिरवी प्रतिभूतियां शामिल हैं:

(₹करोड़)

विवरण	अंकित मूल्य	बही मूल्य
व्यापार खंड के लिए गिरवी (प्रतिभूतियां)	65.00 (40.00)	63.51 (40.22)
व्यापार खंड के लिए गिरवी (संपार्श्विकृत उधार और ऋण दायित्व)	8751.68 (4892.86)	9000.53 (4810.12)
व्यापार खंड के लिए गिरवी (प्रतिभूति) डिफाल्ट निधि	3.00 (0.00)	3.13 (0.00)
व्यापार खंड के लिए गिरवी (संपार्श्विकृत उधार और ऋण दायित्व) - डिफाल्ट निधि	5.00 (0.00)	4.63 (0.00)

29. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) संवर्ग के तहत नाबार्ड द्वारा धारित सभी निवेशों का बाजार मूल्य ₹4098.02 करोड़ के बही मूल्य के समक्ष ₹5107.50 करोड़ था. इसमें से उद्यम पूंजी निधि में निवेश का बाजार मूल्य ₹156.87 करोड़ था जबकि बही मूल्य ₹132.77 करोड़ था. तदनुसार, बाजार मूल्य से बही मूल्य ₹24.10 करोड़ (₹3.40 करोड़) से अधिक है जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार कोई प्रावधान नहीं किया गया था.

30. 'कर्मचारी लाभ' के अंतर्गत लेखा मानक 15 (संशोधित) के तहत अपेक्षित प्रकटन निम्नानुसार है:

30.1 परिभाषित लाभ योजनाएं

बैंक की परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ के तहत पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ शामिल हैं. इस दायित्व के वर्तमान मूल्य का निर्धारण प्रक्षेपित इकाई जमा प्रणाली का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है जिसमें सेवा की प्रत्येक अवधि से कर्मचारी के लाभ की पात्रता में अतिरिक्त इकाई की वृद्धि होती है और अंतिम दायित्व के निर्धारण में प्रत्येक इकाई की गणना अलग से की जाती है.

30.1.1 पेंशन

क. परिभाषित लाभ दायित्वों के अथ शेष और इति शेष का समाधान

(₹करोड़)

विवरण	2016-17	2015-16
वर्ष के प्रारंभ में परिभाषित लाभों का वर्तमान मूल्य	2911.93	2411.55
चालू सेवा लागत	57.29	39.71
ब्याज लागत	232.95	207.39
बीमांकिक अधिलाभ / हानि	610.88	370.77
अदा किए गए लाभ	-118.76	-117.49
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ का वर्तमान मूल्य	3694.29	2911.93

ख. 31 मार्च 2017 को और 2012-13 से 2015-16 तक के पिछले वर्षों के तुलन पत्र में मान्य की गई राशि:

(₹करोड़)

विवरण	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभों दायित्व का वर्तमान मूल्य	3694.29	2911.93	2411.55	2071.33	1847.53
वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का सही मूल्य @	3276.21	2801.56	2351.61	2056.07	1832.69
वर्ष के अंत में तुलन पत्र में मान्य देयता	418.08	110.37	59.94	15.26	14.84

@ इसमें पेंशन का विकल्प देने वालों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित भविष्य निधि में बैंक का अंशदान ₹464.12 करोड़ (₹427.04 करोड़) की राशि शामिल है. इस निधि में शेष राशि की पुष्टि भारतीय रिजर्व बैंक से होनी है.

ग. वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में मान्य किए गए व्यय :

(₹करोड़)

विवरण	2016-17	2015-16
चालू सेवा लागत	57.29	39.71
ब्याज लागत	232.95	207.39
निवल बीमांकिक अधिलाभ / हानि	610.88	349.18
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ	-226.77	-154.70
लाभ और हानि विवरण में मान्य किए गए व्यय	674.35	441.58

घ. बीमांकिक अनुमान

(₹करोड़)

विवरण	2016-17	2015-16
मृत्यु दर संबंधी तालिका (एलआईसी)	2006-08 (अल्टीमेट)	2006-08 (अल्टीमेट)
बट्टा दर (प्रति वार्षिक)	7.75%	8.00%
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	6.50%	5.50%
आहरण दर	1.00%	1.00%

30.1.2 ग्रेच्युटी

क. परिभाषित लाभ दायित्वों के अथ शेष और इति शेष का समाधान

(₹करोड़)

विवरण	2016-17	2015-16
वर्ष के प्रारंभ में परिभाषित लाभों का वर्तमान मूल्य	303.02	285.34
चालू सेवा लागत	32.79	21.64
ब्याज लागत	24.24	24.53
बीमांकिक अधिलाभ / हानि	156.44	-5.56
अदा किए गए लाभ	-28.97	-22.93
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभों का वर्तमान मूल्य	487.52	303.02

ख. 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र और पूर्व वर्षों 2012-13 से 2015-16 में मान्य की गई राशि:

(₹करोड़)

विवरण	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभों का वर्तमान मूल्य	487.52	303.02	285.34	274.62	260.93
वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का सही मूल्य	313.46	301.51	303.01	288.49	261.90
वर्ष के अंत में तुलन-पत्र में मान्य देयताएं	174.06	1.51	-17.67	-13.87	-0.97

ग. वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में मान्य किए गए व्यय:

(₹करोड़)

विवरण	2016-17	2015-16
चालू सेवा लागत	32.79	21.64
ब्याज लागत	24.24	24.53
निवल बीमांकिक अधिलाभ / हानि	156.44	2.87
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	-34.61	-27.36
लाभ और हानि विवरण में मान्य किए गए व्यय	178.86	21.68

घ. बीमांकिक अनुमान:

विवरण	2016-17	2015-16
मृत्यु दर संबंधी तालिका (एलआईसी)	2006-08 (अल्टीमेट)	2006-08 (अल्टीमेट)
बट्टा दर (प्रति वर्ष)	7.75%	8.00%
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	7.00%	7.00%
आहरण दर	1.00%	1.00%

30.1.3 साधारण छुट्टी का नकदीकरण

क. परिभाषित लाभ दायित्वों के अथ शेष और इति शेष का समाधान:

(₹करोड़)

विवरण	2016-17	2015-16
वर्ष के प्रारंभ में परिभाषित लाभ का वर्तमान मूल्य	265.45	239.69
चालू सेवा लागत	11.62	4.41
ब्याज लागत	21.23	20.61
बीमांकिक अधिलाभ / हानि	24.15	12.83
अदा किए गए लाभ	-16.95	-12.09
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ का वर्तमान मूल्य	305.50	265.45

ख) 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र और पूर्व के वर्षों 2012-13 से 2015-16 में मान्य की गई राशि

(₹ करोड़)

विवरण	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभों का वर्तमान मूल्य	305.50	265.45	239.69	225.88	197.26
बैंक द्वारा निर्धारित निधि*	258.25	263.37	257.61	219.28	184.06
वर्ष के अंत में तुलन-पत्र में मान्य देयता	47.25	2.08	-17.92	6.60	13.20

* छुट्टी नकदीकरण के लिए देयता के बाबत बीमा कंपनियों में निवेशित राशि को दर्शाता है.

ग. वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में मान्य किए गए व्यय:

(₹ करोड़)

विवरण	2016-17	2015-16
चालू सेवा लागत	11.62	4.40
ब्याज लागत	21.23	20.61
निवल बीमांकिक अधिलाभ / हानि	24.15	16.68
योजनागत आस्तियों से प्रत्याशित लाभ	-30.26	-16.48
लाभ और हानि विवरण में मान्य किए गए व्यय	26.74	25.21

घ. बीमांकिक अनुमान:

विवरण	2016-17	2015-16
मृत्यु दर संबंधी तालिका (एलआईसी)	2006-08 (अल्टीमेट)	2006-08 (अल्टीमेट)
बट्टा दर (प्रति वर्ष)	7.75%	8.00%
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	7.00%	7.00%
आहरण दर	1.00%	1.00%

30.1.4 सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ

सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य ₹10.02 करोड़ (₹18.76 करोड़) को लाभ हानि खाते में हिसाब में लिया गया है.

30.1.5 वेतन में वृद्धि के आकलन को बीमांकिक मूल्यांकन के लिए ध्यान में रखा गया है, नाबार्ड से संबन्धित तथ्यों, मुद्रा स्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों एवं रोजगार बाजार में मांग और आपूर्ति को भी ध्यान में रखा गया है.

30.1.6 पूर्वोक्त देयताओं में सहायक संस्थाओं में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से संबन्धित देयताएं शामिल हैं.

30.1.7 सेवानिवृत्ति के बाद लाभों का परिशोधन

सेवानिवृत्ति पश्चात समस्त देयताओं को लाभ हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और इसका परिशोधन नहीं होता है.

30.1.8 पेंशन, ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण निधि का योजनागत आस्तियों के अंतर्गत निवेश 31 मार्च 2017 की स्थिति

विवरण	पेंशन	ग्रेच्युटी	साधारण छुट्टी का नकदीकरण
	योजनागत आस्तियों का %	योजनागत आस्तियों का %	योजनागत आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	23.47	---	---
राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	22.39	---	---
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां	---	100.00	100.00
अन्य	54.14	---	---
कुल	100.00	100.00	100.00

30.2 परिभाषित अंशदान योजना:

क) भारतीय रिज़र्व बैंक में रखे गए भविष्य निधि में बैंक अपना अंशदान करता है. परिभाषाओं के अनुसार यह एक परिभाषित अंशदान योजना है. वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक को ₹16.95 करोड़ (₹17.68 करोड़) का अंशदान किया गया है.

ख) 01 जनवरी 2012 को या इसके बाद भर्ती को कर्मचारियों नई पेंशन योजना जो की एक परिभाषित योजना है के तहत शामिल किया गया है. वर्ष के दौरान बैंक उक्त योजना में ₹0.96 करोड़ (₹0.26 करोड़) का अंशदान किया है.

31. पूंजी

31.1 तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार पूंजी अंशदान का पैटर्न:

31 मार्च 2017 के स्थिति में नाबार्ड की चुकता पूंजी में भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक की हिस्सेदारी 99.60% : 0.40% है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़)

अंशदानकर्ता	31 मार्च 2017		31 मार्च 2016	
भारतीय रिज़र्व बैंक	20.00	0.40%	20.00	0.40%
भारत सरकार	4,980.00	99.60%	4,980.00	99.60%
कुल	**5,000.00**	**100.00%**	**5,000.00**	**100.00%**

शेयर पूंजी के लिए भारत सरकार से नाबार्ड को ₹1400 करोड़ (₹300 करोड़) प्राप्त हुए और इसे प्राधिकृत पूंजी में बढ़ोत्तरी लंबित रहने तक बतौर पूंजी खाते के अग्रिम के रूप में रखा गया है.

31.2 पूंजी पर्याप्तता

31.2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्तर 9 प्रतिशत के समक्ष 31 मार्च 2017 की स्थिति में बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 17.71 प्रतिशत (17.59 प्रतिशत) रहा.

31.2.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण - दीर्घावधि परिचालन (एनआरसी-एलटीओ) निधि से वित्तपोषित आस्तियों के लिए ₹144,89 करोड़ की राशि को सीआरएआर गणना में शामिल नहीं किया गया है.

31.2.3 पूंजी जोखिम भारित आस्ति अनुपात के विभिन्न पैरामीटरों के ब्यौरे को नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	2016-17	2015-16
(i)	सामान्य इक्विटी	29939.49	25960.18
(ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	0.00	0.00
(iii)	कुल टियर 1 पूंजी (i+ii)	29939.49	25960.18
(iv)	टियर 2 पूंजी	2069.92	1923.93
(v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	32009.41	27884.11
(vi)	कुल जोखिम भारित पूंजी (आरडब्ल्यूए)	180718.41	158484.58
(vii)	सामान्य इक्विटी अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सामान्य इक्विटी)	16.57	16.38
(viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)	16.57	16.38
(ix)	जोखिम भारित आस्ति अनुपात में पूंजी (सीआरएआर)	17.71	17.59
(x)	एआईएफआई में भारत सरकार के शेयरधारिता का प्रतिशत	99.60	99.60
(xi)	निर्मित इक्विटी पूंजी राशि	0.00	0.00
(xii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी निर्माण , जिसमें से	0.00	0.00
	(क) पर्पेचुअल असंचयी वरीयता शेयर (पीएनसीपीएस)	0.00	0.00
	(ख) पर्पेचुअल ऋण लिखत (पीडीआई)	0.00	0.00
(xiii)	टियर 2 में निर्मित पूंजी राशि, जिसमें से	0.00	0.00
	(क) ऋण पूंजी लिखत	0.00	0.00
	(ख) पर्पेचुअल संचयी वरीयता शेयर (पीसीपीएस)	0.00	0.00
	(ग) प्रतिदेय पर्पेचुअल असंचयी वरीयता शेयर (आरएनसीपीएस)	0.00	0.00
	(घ) प्रतिदेय पर्पेचुअल असंचयी वरीयता शेयर (आरसीपीएस)	0.00	0.00

32. मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ करोड़)

विवरण	2016-17	2015-16
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	173.00	51.76

33. सचल प्रावधान

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	2016-17	2015-16
(क)	खाते में अथ शेष (काउंटर साईक्लिकल प्रोविजनिंग बफर)	14.44	14.44
(ख)	लेखांकन वर्ष के दौरान किए गए सचल प्रावधान की मात्रा	0.00	0.00
(ग)	लेखांकन वर्ष के दौरान आहरित राशि	0.00	0.00
(घ)	वित्तीय वर्ष के अंत में सचल प्रावधान का इति शेष	14.44	14.44

34. आस्ति गुणवत्ता और विनिर्दिष्ट प्रावधान

34.1 अनर्जक अग्रिम

(₹करोड़)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
(i)	**निवल अग्रिम में निवल अनर्जक आस्ति (%)**	0.0000	0.0088
(ii)	**अनर्जक आस्तियों की स्थिति में उतार-चढ़ाव (सकल)**		
(क)	अथ शेष	190.51	125.99
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	3.28	72.63
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	30.56	8.11
(घ)	इति शेष	163.23	190.51
(iii)	**निवल अनर्जक आस्तियों की स्थिति में उतार चढ़ाव**		
(क)	अथ शेष	23.33	23.33
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	1.81	21.48
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	25.14	21.48
(घ)	इति शेष	0.00	23.33
(iv)	**अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)**		
(क)	अथ शेष	167.17	102.66
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	10.06	66.32
(ग)	अधिक प्रावधान को अपलिखित/ प्रतिलिखित	14.00	1.81
(घ)	इति शेष	163.23	167.17

34.2 अनर्जक निवेश

(₹करोड़)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
(i)	**निवल निवेश में निवल अनर्जक निवेश (%)**	**0.00**	**0.00**
(ii)	**अनर्जक निवेश की स्थिति में उतार-चढ़ाव (सकल)**		
(क)	अथ शेष	16.00	16.00
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	0.00	0.00
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	0.00	0.00
(घ)	इति शेष	16.00	16.00
(iii)	**निवल अनर्जक निवेश की स्थिति में उतार चढ़ाव**		
(क)	अथ शेष	0.00	0.00
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	0.00	0.00
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	0.00	0.00
(घ)	इति शेष	0.00	0.00
(iv)	**अनर्जक निवेश के प्रावधानों में उतार-चढ़ाव**		
(क)	अथ शेष	16.00	16.00
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.00	0.00
(ग)	अधिक प्रावधान को अपलिखित/ प्रतिलिखित	0.00	0.00
(घ)	इति शेष	16.00	16.00

वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) के जुलाई 2014 के दिशानिर्देशों में कम्पनी पर पण्य बाजार परिचालन करने से लगाई गई रोक को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सल कॉमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (यूसीएक्स) में निवेश किए गए ₹ 16.00 करोड़ को अनर्जक निवेश माना गया है. आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार कम्पनी में किए गए निवेश को ₹ 1/- मूल्यांकित किया गया है.

34.3 अनर्जक आस्ति (34.1+34.2)

(₹करोड़)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
(i)	**निवल आस्ति में निवल अनर्जक आस्ति (अग्रिम + निवेश) (%)**	**0.0000**	**0.0088**
(ii)	**अनर्जक आस्तियों की स्थिति में उतार-चढ़ाव (सकल अग्रिम + सकल निवेश)**		
(क)	अथ शेष	206.51	141.99
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	3.28	72.63
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	30.56	8.11
(घ)	इति शेष	179.23	206.51
(iii)	**निवल अनर्जक आस्तियों की स्थिति में उतार चढ़ाव**		
(क)	अथ शेष	23.33	23.33
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	1.81	21.48
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	25.14	21.48
(घ)	इति शेष	0.00	23.33
(iv)	**अनर्जक आस्तियों के प्रावधान की स्थिति में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों के प्रावधान को छोड़कर)**		
(क)	अथ शेष	183.17	118.66
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	10.06	66.32
(ग)	अधिक प्रावधान को अपलिखित/ प्रतिलिखित	14.00	1.81
(घ)	इति शेष	179.23	183.17

34.4 पुनः संरचना के विवरण

चालू वित्त वर्ष के दौरान तीन ऋणों की पुनसंरचना की गई. ₹3.25 करोड़ (₹11.96 करोड़) को पिछले अवधि में संरचनाकृत खाते में प्रति हानि माना गया है.

(₹करोड़)

	पुनः संरचना का प्रकार		सीडीआर व्यवस्था के तहत					एसएमई ऋण पुनः संरचना व्यवस्था के तहत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण विवरण		मानक	उप मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	उप मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	उप मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	उप मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	01 अप्रैल 2016 को पुनः संरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या											1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
		बकाया राशि											0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
		उसका प्रावधान											0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2	वर्ष के दौरान नई पुनः संरचना	उधारकर्ताओं की संख्या											1	1	1	0	3	1	1	1	0	3
		बकाया राशि											0.74	0.03	15.68	0.00	16.45	0.74	0.03	15.68	0.00	16.45
		उसका प्रावधान											0.03	0.01	15.68	0.00	15.72	0.03	0.01	15.68	0.00	15.72
3	2016-17 में पुनः संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		उसका प्रावधान																				
4	पुनः संरचित मानक अग्रिम जो वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च प्रावधान और/ या अतिरिक्त जोखिम धारिता आकर्षित नहीं करते और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में उन्हें पुनः संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है.	उधारकर्ताओं की संख्या											1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
		बकाया राशि											0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
		उसका प्रावधान											0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनः संरचित खातों का ग्रेड कम करना	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		उसका प्रावधान																				
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनः संरचित खातों को अपलिखित करना	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		उसका प्रावधान																				
7	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार पुनः संरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या											1	1	1	0	3	1	1	1	0	3
		बकाया राशि											0.74	0.03	15.68	0.00	16.45	0.74	0.03	15.68	0.00	16.45
		उसका प्रावधान											0.03	0.01	15.68	0.00	15.72	0.03	0.01	15.68	0.00	15.72

34.5 अग्रिम अनर्जक आस्तियों की स्थिति में उतार-चढ़ाव

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरणियां	2016-17	2015-16
(i)	01 अप्रैल की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां	190.51	125.99
(ii)	वर्ष के दौरान जोड़	3.28	72.63
	उप योग (अ)	**193.79**	**198.62**
घटाव :			
(i)	अपग्रेडेशन	0.61	1.23
(ii)	वसूली(अपग्रेड किए गए खातों को छोड़कर)	15.95	0.66
(iii)	तकनीकी/ विवेकसम्मत अपलिखित	0.00	0.00
(iv)	उक्त (iii) से अलग के अपलिखित	14.00	6.22
	उप योग (आ)	**30.56**	**8.11**
31 मार्च की स्थिति में सकल अनर्जक आस्तियां (अ-आ)		**163.23**	**190.51**

34.6 अपलिखित और वसूलियां

(₹ करोड़)

विवरण	2016-17	2015-16
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार तकनीकी/ विवेकसम्मत अपलिखित खातों का अथ शेष	0.00	0.00
जोड़: तकनीकी/ विवेकसम्मत अपलिखित अधशेष	0.00	0.00
उप योग (अ)	0.00	0.00
घटाव: पूर्ववर्ती तकनीकी/ विवेकसम्मत अपलिखित से की गई वसूलियां (आ)	0.00	0.00
31 मार्च की स्थिति के अनुसार इति शेष (अ-आ)	0.00	0.00

टिप्पण: तकनीकी अथवा विवेकसम्मत अपलिखित अनर्जक ऋण की राशि है, जो शाखा के लेखा बहियों में बकाया हैं परंतु ये प्रधान कार्यालय स्तर पर अभिलिखित (पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से) है.

34.7 बाहरी आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व

(₹ करोड़)

विवरण	2016-17	2015-16
कुल आस्तियां	0.00	0.00
कुल अनर्जक आस्तियां	0.00	0.00
कुल राजस्व	0.00	0.00

34.8 निवेशों में मूल्यह्रास और प्रावधान

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	2016-17	2015-16
(1)	**निवेश**		
(i)	सकल निवेश		
	क) भारत में	22774.22	21511.33
	ख) भारत से बाहर	---	---
(ii)	मूल्यह्रास के प्रावधान		
	क) भारत में	138.43	16.00
	ख) भारत से बाहर	---	---
(iii)	निवल निवेश		
	क) भारत में	22635.79	21495.33
	ख) भारत से बाहर	---	---
(2)	**निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव**		
(i)	अथ शेष	16.00	16.00
(ii)	जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	122.43	0.00
(iii)	वर्ष के दौरान निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित खाते में विनियोजन, यदि कुछ हो	0.00	0.00
(iv)	घटाएं: वर्ष के दौरान अपलिखित/ प्रतिलिखित पर अतिरिक्त प्रावधान	0.00	0.00
(v)	घटाएं: निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित खाते में अंतरण, यदि कुछ हो	0.00	0.00
(vi)	इति शेष	138.43	16.00

34.9 प्रावधान और आकस्मिकताएं

(₹ करोड़)

क्र. सं.	लाभ और घाटे खाते शीर्ष के अंतर्गत दिखाएं गए प्रावधान और आकस्मिकताएं	2016-17	2015-16
1	निवेश पर मूल्यह्रास के प्रावधान	122.43	0.00
2	अनर्जक आस्ति पर प्रावधान	-1.70	66.12
3	आयकर पर किए गए प्रावधान	1171.33	1128.94
4	अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (अन्य प्राप्य आस्ति पर प्रावधान)	-0.03	0.07

34.10 प्रावधान व्याप्ति अनुपात (पीसीआर)

चालू वर्ष में कारोबार के बंद होने तक पीसीआर [प्रावधान अनुपात (प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर सहित) सकल अनर्जक आस्ति के लिए] 108.85% (95.34%) तक चढ़ा था.

34.11 दबावग्रस्त आस्तियों पर धारणक्षम व्यवस्था निर्माण योजना के अंतर्गत ऋण (एस4ए)

चालू वर्ष के दौरान दबावग्रस्त आस्ति पर धारणक्षम व्यवस्था निर्माण योजना के अंतर्गत दबावग्रस्त आस्ति ऋण खाते में (एचसीसी) ₹46.91 करोड़ की संकल्प योजना बनाई गई. संकल्प योजना का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

विवरण	(₹ करोड़)
भाग - अ	
(i) **बकाया ऋण**	24.63
भाग - आ	
(i) **इक्विटी शेयर**	8.06
(ii) **वैकल्पिक आधार पर परिवर्तनीय डिबेंचर**	14.22
कुल योग	**46.91**

31 मार्च 2017 की स्थिति अनुसार उपर्युक्त ऋण खाते का बकाया ₹ 33.48 करोड़ था. यह खाता अनर्जक आस्ति के रूप में जारी है और एस4ए के दिशानिदेश के अनुसार बकाए राशि पर 100% प्रावधान है.

35.निवेश पोर्टफोलिओ: स्थापना और परिचालन
35.1 रेपो अंतरण

(₹ करोड़)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत वाकया	31 मार्च 2017 के स्थिति के अनुसार बकाया
रेपो के अंतर्गत प्रतिभूतियों की बिक्री i. सरकारी प्रतिभूतियां ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	4.94 (0.00)	295.40 (0.00)	98.44 (0.00)	295.40 (0.00)
रिवर्स रेपो के अंतर्गत प्रतिभूतियों की खरीद i. सरकारी प्रतिभूतियां ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	10.00 (0.00)	10.00 (0.00)	10.00 (0.00)	0.00 (0.00)

35.2 ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए जारीकर्ता का प्रकटन

(₹ करोड़)

क्र. सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी नियोजन का विस्तार	'निवेश ग्रेड से नीचे प्रतिभूतियों का विस्तार	गैर दर मूल्य निर्धारित प्रतिभूतियों का विस्तार	गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का विस्तार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	224.46 (180.45)	224.46 (180.45)	-	-	113.91 (61.00)
(ii)	वित्तीय संस्थाएं	48.00 (180.45)	48.00 (48.00)	-	-	48.00 (48.00)
(iii)	बैंक	37.79 (38.26)	37.79 (38.26)	-	-	0.00 (0.00)
(iv)	निजी कॉर्पोरेट	1212.78 (376.77)	1212.78 (376.77)	-	-	157.85 (25.75)
(v)	सहायक/ संयुक्त वेंचर	180.15 (180.15)	180.15 (180.15)	-	-	180.15 (180.15)
(vi)	अन्य	-	-	-	-	-
(vii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-
कुल योग		**1703.18 (823.63)**	**1703.18 (823.63)**	-	-	**499.91 (182.75)**

35.3 एचटीएम श्रेणी से/ में अंतरण और बिक्री

चालू वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी से/ में कोई अंतरण और बिक्री नहीं हुई है.

36. खरीदी/ बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

36.1 आस्ति पुनसंरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/ पुन:संरचना कंपनी को बिक्री की गई वित्तीय संस्थाओं का ब्यौरा.
अ. बिक्री ब्यौरा : शून्य
आ. प्रतिभूति प्राप्ति में निवेश का बही मूल्य का ब्यौरा : शून्य

36.2 खरीदी/ बिक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा
अ. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा : शून्य
आ. बिक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा : शून्य

36.3 परिचालन परिणाम

क्र.सं.	विवरण	2016-17	2015-16
(i)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	6.84	6.88
(ii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर ब्याज आय	0.06	0.07
(iii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.23	1.26
(iv)	आस्तियों पर प्रतिफल (%)	0.82	0.85
(v)	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹करोड़)	0.65	0.62

37. ऋण संकेंद्रण जोखिम

37.1. पूंजी बाजार एक्सपोजर

(₹करोड़)

क्र. सं.	विवरण	2016-17	2015-16
1	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर में प्रत्यक्ष निवेश और इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की इकाई जिसके कारपस पूरी तरह से कॉरपोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है;	1525.27	643.51
2	शेयर/ बॉन्ड/ डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से शेयर में निवेश के लिए (आईपीओ/ ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की इकाई;	0.00	0.00
3	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉन्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की इकाई को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	0.00	0.00
4	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम शेयरों की संपार्श्विक सुरक्षा द्वारा सुरक्षित सीमा तक अथवा परिवर्तनीय बॉन्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की इकाई इत्यादि यथा जहां शेयरों/ परिवर्तनीय बॉन्ड/ परिवर्तनीय डिबेंचर/ इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाईयां को छोड़कर प्राथमिक प्रतिभूति में अग्रिम पूर्णत: शामिल नहीं हैं.	0.00	0.00
5	स्टॉकब्रोकरों और मार्केटमेकरों की ओर से जारी स्टॉकब्रोकरों और गारंटियों को संरक्षित और अनारक्षित अग्रिम;	0.00	0.00
6	शेयर/ बॉन्ड/ डिबेंचर के प्रतिभूति अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा संसाधनों को बढ़ाने की दृष्टि से नई कंपनियों के संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा में इक्विटी में प्रमोटर के अंशदान को पूरा करने के लिए स्पष्ट रूप से प्रतिभूति पर कॉर्पोरेट को स्वीकृत ऋण;	0.00	0.00
7	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह / निर्गमों के समक्ष कंपनियों को ब्रिज लोन;	0.00	0.00
8	शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉन्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की इकाईयों को प्राथमिक निर्गमों के संदर्भ में एआईएफआई द्वारा दिए गए अलिखित आश्वासन	0.00	0.00
9	मर्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉकब्रोकरों को वित्तपोषण;	0.00	0.00
10	उद्यम पूंजी निधि के लिए सभी एक्सपोजर (पंजीकृत और गैर पंजीकृत दोनों)	167.91	145.53
कैपिटल मार्केट में कुल एक्सपोजर		**1693.18**	**789.04**

37.2 देश जोखिम एक्सपोजर : शून्य

37.3 एआईएफआई विवेक सम्मत एक्सपोजर सीमा द्वारा बढ़ाई गई एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल)/ समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल)

37.3.1 वर्ष के दौरान विवेक सम्मत एक्सपोजर सीमा से अधिक संख्या और एक्सपोजर की राशि: शून्य

37.3.2 पूंजी निधियों के प्रतिशत और कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोजर

(₹करोड़)

	Category	2016-17		2015-16	
		% के रूप में ऋण एक्सपोजर		% के रूप में ऋण एक्सपोजर	
		पूंजी निधियां	कुल आस्तियां	पूंजी निधियां	कुल आस्तियां
I	सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	76.56	7.03	32.54	2.72
II	सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	लागू नहीं		लागू नहीं	
III	वर्ष के दस सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	569.38	48.83	505.46	42.28
IV	दस सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	लागू नहीं		लागू नहीं	

37.3.3. कुल ऋण आस्तियों के प्रतिशत के रूप में पांच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में ऋण एक्सपोजर : लागू नहीं
37.3.4. फेक्टरिंग एक्सपोजर : लागू नहीं

37.3.5 वर्ष के दौरान जहां एफआई द्वारा विवेक सम्मत एक्सपोजर सीमा पार की गई राशि: शून्य

37.4 उधारकर्ताओं का संकेंद्रण/ लाइन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट एक्सपोजर और अनर्जक आस्तियां
(क) उधारकर्ताओं का संकेंद्रण/ लाइन ऑफ क्रेडिट

(₹करोड़)

क्र.सं.	विवरण	2016-17	2015-16
(i)	बीस सबसे बड़े उधारदाता से उधार	168502.98	167258.02
(ii)	कुल उधार में बीस सबसे बड़े उधारदाताओं के उधार का प्रतिशत	86.67	88.13

(ख) ऋण एक्सपोजर का संकेंद्रण

(₹करोड़)

क्र.सं.	विवरण	2016-17	2015-16
(i)	बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल एक्सपोजर	170052.61	131217.45
(ii)	बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का एआईएफआई के कुल अग्रिमों में एक्सपोजर प्रतिशत	55.10	45.08

(ग) एक्सपोजर और अनर्जक आस्तियों का क्षेत्रवार संकेंद्रण
एक्सपोजर और अनर्जक आस्तियों का क्षेत्रवार संकेंद्रण निम्नानुसार है:

(₹करोड़)

सं.	विवरण	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों का सकल अनर्जक आस्तियों का %	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों का सकल अनर्जक आस्तियों का %
		वित्तीय वर्ष 2016-17			वित्तीय वर्ष 2015-16		
I.	**कृषि अनुषंगी गतिविधियों सहित कृषि क्षेत्र**	**308771.13**	**140.00**	**1.26**	**265571.12**	**123.07**	**1.55**
1	केंद्र सरकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	5751.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	राज्य सरकारें	104369.90	0.00	0.00	91450.50	0.00	0.00
4	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	4978.00	0.00	0.00	3238.89	0.00	0.00
5	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	41774.69	0.00	0.00	38415.69	0.00	0.00
6	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	40183.06	0.00	0.00	39639.94	0.00	0.00
7	सहकारी बैंक	77781.19	0.00	0.00	67569.98	0.00	0.00
8	निजी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर)	11139.83	140.00	1.26	7949.08	123.07	1.55
9	अन्य रासकृग्रावि बैंक/ भूवि बैंक/ एनबीएफसी-एमएफआई/ एडीएफसी	22793.41	0.00	0.00	17307.03	0.00	0.00
II.	**अन्य (निर्माण क्षेत्र)**	**23.23**	**23.23**	**100.00**	**43.98**	**43.98**	**100.00**
	कुल (I+II)	**308794.36**	**163.23**	**0.05**	**265615.09**	**167.05**	**0.06**

38. व्युत्पन्न

i) बैंक व्युत्पादों (डेरिवेटिव्स) में व्यापार नहीं करता है. तथापि, इसने केएफडब्ल्यू जर्मनी से पूरी ऋण अवधि के लिए 87.13 मिलियन यूरो (99.19 मिलियन यूरो) के उधार और उस पर लगे ब्याज देयता की हेजिंग की है. विदेशी मुद्रा उधारों की हेजिंग के परिणाम स्वरूप उसे स्वैप करार के अनुसार संविदा कृत मूल्य पर दर्शाया गया है. बैंक का विदेशी मुद्रा में किसी प्रकार का एक्सपोजर नहीं है.

ii) वर्ष के अंत में विनिमय दर के अनुसार हेज संविदा की बकाया मूल राशि ₹603.37 करोड़ (₹700.35 करोड़) रही और लेखा बहियों में बकाया मूल देयता का मूल्य संविदाकृत मूल्य पर अर्थात ₹683.56 करोड़ (₹721.87 करोड़) था. इस संबंध में राशि के रूप में मात्रात्मक प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

(₹करोड़)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		मुद्रा डेरीवेटिव्स	ब्याज दर डेरीवेटिव्स	मुद्रा डेरीवेटिव्स	ब्याज दर डेरीवेटिव्स
(i)	डेरीवेटिव्स (नोशनल प्रिंसिपल राशि)				
	अ) हेजिंग के लिए	603.37	--	700.35	--
	आ) व्यापार हेतु	--	--	--	--
(ii)	बाजार स्थितियों को अंकित				
	क) आस्ति (+)	--	--	--	--
	ख) देयता (-)	80.18	--	21.52	--
(iii)	ऋण एक्सपोजर [2]	18.77	--	45.26	--
(iv)	ब्याज दरों में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)				
	क) हेजिंग डेरीवेटिव्स पर	2.31	--	0.04	--
	ख) ट्रेडिंग डेरीवेटिव्स पर	--	--	--	--
(v)	वर्ष के दौरान पाया गया 100*पीवी01 के अधिकतम एवं न्यूनतम				
	क) हेजिंग पर	--	--	--	--
	ख) ट्रेडिंग पर	--	--	--	--

39. एआईएफआई द्वारा जारी किए गए लेटर ऑफ कम्फोर्ट (एलओसी) : शून्य

40. आस्ति देयता प्रबंधन

(₹करोड़)

विवरणियां	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीना	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक	1 से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	0.00 (0.00)	8182.96 (7305.34)	250.00 (0.00)	36753.42 (32141.04)	32755.79 (55373.99)	39998.44 (32598.12)	43709.85 (34972.56)	41631.22 (27395.28)	203281.68 (189786.34)
अग्रिम	1628.35 (837.47)	1391.92 (334.89)	2561.45 (10738.51)	44151.56 (44020.13)	81524.76 (66256.81)	73034.23 (67292.75)	59705.93 (46144.55)	43364.18 (29028.02)	307362.38 (264653.13)
निवेश	7770.89 (10245.82)	7811.79 (2338.82)	4044.29 (7939.58)	8660.38 (5011.79)	2046.88 (7811.73)	1106.26 (1298.68)	501.05 (527.04)	3524.42 (4033.94)	35465.95 (39207.39)
उधार	8376.80 (35.36)	4040.40 (15.54)	13170.84 (15465.08)	5061.82 (4859.58)	16114.13 (12981.66)	21204.05 (16008.12)	2417.09 (4606.08)	5000.00 (5000.00)	75385.13 (58971.43)
विदेशी मुद्रा आस्तियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
विदेशी मुद्रा देयताएं	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	23.35 (23.29)	8.28 (23.29)	187.87 (71.77)	77.16 (174.39)	386.91 (492.12)	683.56 (721.88)

41. आरक्षित से आहरण : शून्य

42. व्यापार अनुपात

विवरण	2016-17	2015-16
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	9.08	9.80
आस्ति पर प्रतिफल (%)	0.82	0.85
प्रति कर्मचारी लाभ (₹करोड़)	0.65	0.62

43. आरबीआई द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटन

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत अधिनियम के किसी भी उपबंध के उल्लंघन करने अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट अधिनियम के अन्य किसी भी आवश्यक आदेश, नियम अथवा शर्त के अनुपालन न करने पर चालू वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई दंड नहीं लगाया गया है.

44. शिकायतों का प्रकटन

(क) ग्राहक की शिकायत

क्र. सं.	विवरण	2016-17	2015-16
क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	2	11
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	75	103
ग)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	77	112
घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	0	2

45. तुलनपत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (लेखांकन मानदंडों के अनुसार जिनका समेकन किया जाना है)

नाबार्ड द्वारा प्रायोजित कोई एसपीवी नहीं है.

46. लेखा मानक 29 में यथा अपेक्षित आकस्मिक देयता में 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां' में उतार-चढ़ाव निम्नानुसार है:

(₹करोड़)

विवरण	2016-17	2015-16
अथ शेष	0.00	0.00
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	16.65	0.00
वर्ष के दौरान घटाई गई राशि	0.00	0.00
इति शेष	16.65	0.00

47. लाभ और हानि खाते में शामिल पूर्व अवधि मदें :

(₹करोड़)

क्र. सं.	विवरण	2016-17	2015-16
1.	आय	0.00	0.00
2.	राजस्व व्यय	0.00	0.00
कुल		0.00	0.00

48. लेखा मानक 18 - संबंधित पक्षों का प्रकटन

चूंकि बैंक 'एएस-18's की परिभाषा के अनुसार एक सरकार नियंत्रित उद्यम है, अतः सरकार के नियंत्रण वाले अन्य उद्यमों के साथ लेन-देन का विवरण नहीं दिया गया है.

संबन्धित पक्षों की सूची:
क) इस निकाय के नियंत्रण में कंपनियां

क्रम. सं.	कंपनियां
1.	नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेस
2.	नैबसमृद्धि फायनन्स लि. [पूर्व में इसका नाम एग्री बिजनेस फायनान्स (एपी) लि. था]
3.	नैब किसान फायनान्स लि. (पूर्व में इसका नाम एग्री डेवलपमेंट फायनान्स (तमिलनाडु) लि. था)
4.	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रा. लि.

क) मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी

नाम	पदनाम
डॉ. हर्ष कुमार भनवाला	अध्यक्ष
श्री हरीशकुमार रसिकलाल दवे	उप प्रबंध निदेशक
श्री आर अमलोरपवनाथन	उप प्रबंध निदेशक

ख) मुख्य प्रबंधन पदाधिकारियों के साथ लेन-देन:

(₹ करोड़)

पक्ष का नाम	संबंध का प्रकार	लेन-देन का प्रकार	वर्ष के दौरान लेन-देन की राशि	बकाया
डॉ. हर्ष कुमार भनवाला	मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी -अध्यक्ष	अनुलब्धियों सहित पारिश्रमिक	0.60(0.30)	0.00
श्री हरीशकुमार रसिकलाल दवे	मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी - उप प्रबंध निदेशक	अनुलब्धियों सहित पारिश्रमिक	0.43(0.27)	0.00
श्री आर अमलोरपवनाथन	मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी - उप प्रबंध निदेशक	अनुलब्धियों सहित पारिश्रमिक	0.57(0.25)	0.00

संबन्धित पक्षों के मामले में वर्ष के दौरान कोई भी धनराशि अपलिखित / वापस नहीं की गई है और न ही इसके लिए प्रावधान किया गया है. संबन्धित पक्षों के संबंध प्रबंधन द्वारा मान्य हैं और लेखा परीक्षकों ने इस पर विश्वास किया है.

49. व्यवसाय खंड के बारे में सूचना

(क) संक्षिप्त पृष्ठभूमि

बैंक ने प्राथमिक खंडों की पहचान निम्नानुसार की है :

i) **प्रत्यक्ष वित्तपोषण**: इसमें ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों को दिए गए ऋण, सह-वित्तपोषण ऋण और स्वैच्छिक एजेंसियों / गैर सरकारी संगठनों को विकासात्मक गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण तथा सहकारी बैंकों आदि को दिए गए अन्य प्रत्यक्ष ऋण शामिल हैं.

ii) **पुनर्वित्त:** इसमें राज्य सरकारों, वाणिज्य बैंकों, राकृग्रावि बैंकों, रास बैंकों, क्षेग्रा बैंकों आदि द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों के समक्ष पुनर्वित्त के रूप में दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं.

iii) **ट्रेजरी:** इसमें ट्रेजरी बिलों, अल्पावधि जमाओं, सरकारी प्रतिभूतियों, आदि में निधियों का निवेश शामिल है.

iv) **अनाबंटित:** इसमें स्टाफ ऋणों और अन्य विविध प्राप्तियों से हुई आय और बैंक की विकासात्मक भूमिका एवं सामान्य प्रशासनिक खर्चों के लिए किया गया व्यय शामिल हैं.

(ख) प्राथमिक व्यवसाय खंड संबंधी सूचना

(₹ करोड़)

व्यवसाय खंड →	ट्रेजरी		पुनर्वित्त		प्रत्यक्ष ऋण		अन्य व्यवसाय		कुल	
विवरण ↓	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
राजस्व	3026.69	2813.80	11317.47	10874.92	7906.14	7016.62	28.45	26.44	22278.75	20731.78
परिणाम	1391.24	1620.76	3085.85	2624.64	1371.08	996.03	-1505.01	-1148.72	4343.16	4092.72
अनाबंटित व्यय									526.33	439.97
परिचालान लाभ									3816.83	3652.75
आय पर कर									1171.33	1128.94
असाधारण लाभ/ हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ									2645.50	2523.81
अन्य सूचनाएं										
खंड आस्तियां	33708.94	39920.65	181797.45	162332.12	129008.42	106030.43	3745.46	2101.71	348260.27	310384.91
खंड देयताएं	35365.39	20830.36	162534.44	153332.35	112201.19	103261.70	0.00	0.00	310101.01	277424.40
अनाबंटित देयताएं									38159.26	32960.51
कुल जोड़ देयताएं									348260.27	310384.91

(ग) चूंकि बैंक के परिचालन केवल भारत तक सीमित हैं, अतः रिपोर्ट करने योग्य कोई भी द्वितीयक खण्ड नहीं है.

50. कोष्ठक में इंगित आंकड़े पिछले वर्ष के हैं.

51. जहां भी आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकडों का पुनः समूहन / पुनः व्यवस्थापन किया गया है.

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
व्यास एंड व्यास
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000590सी

ओ पी व्यास
साझेदार
सदस्यता सं.014081
गुवाहाटी,
26मई 2017

ए के साहू
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

हर्ष कुमार भनवाला
अध्यक्ष

आर अमलोरपवनाथन
उप प्रबंध निदेशक

बी पी कानूनगो
निदेशक

अनूप कुमार दाश
निदेशक

नकदी प्रवाह

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह

(₹ हजार)

विवरण	2016-2017	2015-2016
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ	3816,83,46	3652,74,72
के लिए समायोजित:		
मूल्यह्रास	27,29,97	26,12,23
प्रावधान और परिशोधन	(322)	746
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	(1,70,12)	66,12,10
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	173,00,00	51,76,00
पुनः संरचित ऋणों के छोड़े जाने वाले ब्याज हेतु प्रावधान	(3,25,42)	(11,95,58)
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि	21,47	(20,11)
विविध निधियों में जमा ब्याज (ब्याज विभेदक निधि)	275,41,40	267,40,54
निवेश से आय (बट्टाकृत आय शामिल)	(3022,42,39)	(2813,80,32)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालनगत लाभ	**1265,35,15**	**1238,27,04**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों के लिए समायोजन:		
चालू आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	7014,21,33	(3605,31,37)
चालू देयताओं में वृद्धि / (कमी)	3274,12,48	1646,53,00
ऋण और अग्रिमों में वृद्धि (स्टाफ के आवास ऋण व अन्य अग्रिमों सहित)	(43325,81,69)	(13177,80,81)
परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी	**(31772,12,73)**	**(13898,32,14)**
आयकर का भुगतान - रिफ़ंड घटाकर	(807,76,37)	(1270,42,39)
(उपर्युक्त में से ₹284.43 करोड़ का भुगतान आरआईडीएफ/एसटीसीआरसी विभेदक कर देयता के लिए जनजाति विकास / वित्तीय समावेशन निधि में नामे किया गया)		
परिचालन गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (अ)	**(32579,89,10)**	**(15168,74,53)**
(क). निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
निवेश से आय (छूट आय सहित)	3020,57,37	2812,14,00
अचल आस्तियों की खरीद	(71,06,40)	(59,87,06)
अचल आस्तियों की बिक्री	5,32,75	6,60,42
निवेश में वृद्धि /कमी	(1261,03,85)	(6483,00,91)
निवेश गतिविधियों में प्रयोग की गई /सृजित निवल नकदी (आ)	**1693,79,87**	**(3724,13,55)**
(ग) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्राप्त अनुदान/अंशदान	(104,95,20)	42,50,15
बॉन्डों की राशि	11414,01,05	5116,00,00
उधारों में वृद्धि / (कमी)	14342,77,40	11108,20,30
जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)	4628,48,24	3332,09,39
शेयर पूंजी में वृद्धि	1400,00,00	300,00,00
वित्तपोषण गतिविधियों से जुटाई गई निवल नकदी (इ)	**31680,31,49**	**19898,79,84**
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि (अ)+(आ)+(इ)	794,22,26	1005,91,76
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	3320,87,43	2314,95,67
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	4115,09,69	3320,87,43
1. वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष राशियों में शामिल हैं:	**2016-2017**	**2015-2016**
हाथ में रोकड़	1	3
भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशियां	2229,83,39	150,54,92
भारत में अन्य बैंकों के पास शेष राशियां	527,91,15	643,70,73
मार्गस्थ प्रेषण	8,29,39	35,07,80
संपार्श्विकृत उधार और ऋण वितरण दायित्व	1349,05,75	2491,53,95
कुल	**4115,09,69**	**3320,87,43**

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
व्यास एंड व्यास
सनदी लेखाकार

ओ पी व्यास
साझेदार
सदस्यता सं.014081
गुवाहाटी,
दिनांक: 26 मई, 2017

ए के साह
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

दिनांक: 26 मई, 2017

हर्ष कुमार भनवाला
अध्यक्ष

आर अमलोरपवनाथन
उप प्रबंध निदेशक

बी पी कानूनगो
निदेशक

अनूप कुमार दाश
निदेशक

नाबार्ड और सहायक संस्थाओं (नैबकॉन्स, नैबकिसान, नैबसमृद्धि, नैबफिन्स) का समेकित तुलन पत्र, लाभ - हानि खाता और नकदी प्रवाह 2016-17

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति ,
निदेशक मंडल
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक** (जिसे आगे “होल्डिंग बैंक” कहा गया है) और इसकी सहायक कंपनियों (जिनको आगे होल्डिंग बैंक और सहायक कंपनियों को संयुक्त रूप से “समूह” कहा गया है) की संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष का समेकित तुलन पत्र, लाभ - हानि खाता की समेकित विवरणी और समेकित नकदी प्रवाह विवरणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (जिसे आगे "समेकित वित्तीय विवरणी " कहा गया है) का सारांश शामिल हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने की ज़िम्मेदारी होल्डिंग बैंक प्रबंधन पर है, जिसे भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है. इसमें समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन, समूह का समेकित नकदी प्रवाह का वास्तविक और सही चित्र प्रस्तुत किया गया है. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समूह की सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं उसे रोकने; उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उनका उपयोग करने; तर्क सम्मत और विवेकपूर्ण निर्णय करने एवं अनुमान लगाने तथा लेखा अभिलेखों की प्रभावी सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखने; बिना किन्हीं गलत तथ्यों के चाहे वह चूकवश अथवा धोखाधड़ी से संबन्धित हो, होल्डिंग बैंक प्रबंधन द्वारा समेकित वित्तीय विवरणियों को वास्तविक एवं सही रूप से तैयार करने हेतु उपयोग किया गया है; की ज़िम्मेदारी पूर्वोक्त के अनुसार संबंधित समूह के प्रबंधन की है.

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करना है. हमने यह लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है. यह अपेक्षा है कि इन मानकों के अनुसार हम नैतिक सिद्धांतों का अनुपालन करें और समेकित वित्तीय विवरणियों के बिना किन्हीं गलत तथ्यों की प्रस्तुति के उचित आश्वासनों के साथ योजनाबद्ध तरीके से लेखा-परीक्षा करें.

लेखा-परीक्षा में राशियों और समेकित वित्तीय विवरणियों में किए गए प्रकटनों के संबंध में लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल होती है. चयन की गयी प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिनमें समेकित वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ग़लत तथ्यों के जोखिम का आकलन भी शामिल है. जोखिम का आकलन करते समय लेखा परीक्षक होल्डिंग बैंक द्वारा तैयार एवं प्रस्तुत की गयी समेकित वित्तीय विवरणियां, जो वास्तविक और सही चित्र प्रस्तुत करती हैं, से संबन्धित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को ध्यान में रखता है ताकि लेखा परीक्षा की प्रक्रिया डिजाइन करने हेतु वर्तमान परिस्थितियों में उचित हो, न कि होल्डिंग बैंक के पास वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली होने और ऐसे नियंत्रणों के प्रभावशाली संचालन के संबंध में अपनी राय प्रकट करना है. लेखा परीक्षा में उपयोग की गयी लेखांकन नीतियों के औचित्य और प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमानों के औचित्य का मूल्यांकन के साथ समेकित वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है.

हमारा विश्वास है कि प्राप्त लेखा-परीक्षा के लिए हमने जो साक्ष्य प्राप्त किए हैं और अन्य लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट के संदर्भ में अन्य मामलों एवं निम्नलिखित अनुच्छेदों के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त किए हैं और वे समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखा-परीक्षा संबंधी राय को उचित आधार प्रदान करते हैं.

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये समेकित वित्तीय विवरणियां अपेक्षित जानकारी प्रदान करती हैं और भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन पद्धतियों के अनुरूप सही और उचित चित्र प्रस्तुत करती हैं:

1. समूह के कार्य व्यवहार की स्थिति से संबन्धित समेकित तुलन पत्र के मामले में दिनांक 31 मार्च 2017 की स्थिति ;

2. उसी तारीख को समाप्त वर्ष के दौरान समूह के लाभ से संबन्धित समेकित लाभ और हानि विवरणी ; और

3. उसी तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान समूह के नकदी प्रवाह से संबन्धित समेकित नकदी प्रवाह विवरणी .

अन्य विषय

हमने चार सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणियों / वित्तीय सूचनाओं की लेखा-परीक्षा नहीं की है, जिनका दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष की समेकित वित्तीय विवरणियों में इनकी कुल आस्तियां ₹1541.01 करोड़, कुल राजस्व ₹235.36 करोड़ और इसी तारीख को समाप्त वर्ष का निवल नकदी प्रवाह ₹16.80 करोड़ है. इसमें दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में समूह के शुद्ध लाभ (कर पश्चात्) का शेयर ₹34.99 करोड़ भी शामिल है. ये वित्तीय विवरणियाँ / वित्तीय सूचनाएँ अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई लेखा परीक्षा, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा दी गयी है और समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय जो इन सहायक संस्थाओं से संबन्धित राशियों तथा घोषणाओं के संबंध में हैं; पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.

समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय और निम्नलिखित अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, उपर्युक्त के संबंध में संशोधित नहीं है क्योंकि हम अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए लेखा-परीक्षण की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित की गयी वित्तीय विवरणियों / वित्तीय सूचनाओं पर निर्भर हैं.

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

हम रिपोर्ट करते हैं कि ये समेकित वित्तीय विवरणियां लेखा मानकों (एएस) 21 "समेकित वित्तीय विवरणियां" की जरूरतों के अनुसार होल्डिंग बैंक द्वारा तैयार की गयी हैं. हमारी राय में, समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुसार हैं.

कृते व्यास एंड व्यास
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 000590सी)

ओ पी व्यास
साझेदार
(सदस्यता सं. 014081)
स्थान: गुवाहाटी
तारीख: 26 मई 2017

समेकित तुलन पत्र

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

समेकित तुलन पत्र - 31 मार्च 2017 की स्थिति

(₹हजार)

क्रसं	निधियां और देयताएं	अनुसूची	31.03.2017 को	31.03.2016 को
1	(i) पूंजी (नाबार्ड अधिनियम,1981 की धारा 4 के अंतर्गत)		5000,00,00	5000,00,00
	ii) पूंजी अग्रिम		1700,00,00	300,00,00
2	प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित	1	24920,64,82	22242,79,01
3	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियां	2	16078,00,00	16074,00,00
4	उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियां	3	4943,94,59	4895,17,31
5	सरकारी योजनाएं	4	1240,99,19	1122,76,27
6	माइनॉरिटी इंटरेस्ट	1A	98,19,17	81,79,24
7	जमाराशियां	5	194414,81,97	189786,33,74
8	बॉण्ड और डिबेंचर	6	50536,53,76	39122,52,71
9	उधार	7	34989,49,17	20646,03,95
10	चालू देयताएं और प्रावधान	8	14687,29,04	11431,20,67
	कुल		**348609,91,71**	**310702,62,90**
	विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं (हेजिंग) कॉण्ट्रा के अनुसार		603,37,41	700,35,41

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

समेकित तुलन पत्र - 31 मार्च 2017 की स्थिति

(₹हजार)

क्रम सं.	संपत्ति और आस्तियां	अनुसूची	31.03.2017 को	31.03.2016 को
1	नकद और बैंक शेष	9	13158,84,65	18926,11,72
2	निवेश	10	26270,21,25	26285,78,12
3	अग्रिम	11	305224,38,36	260559,55,68
4	अचल आस्तियां	12	404,10,04	364,06,27
5	अन्य आस्तियां	13	3552,37,41	4567,11,11
	कुल		**348609,91,71**	**310702,62,90**
	विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं (हेजिंग) कॉण्ट्रा के अनुसार		603,37,41	700,35,41
	वायदा और आकस्मिक देयताएं	17		
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियां लेखों के अभिन्न अंग हैं.

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
व्यास एंड व्यास
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.000590सी)

ओ. पी. व्यास
साझेदार
(सदस्यता सं. 014081)
गुवाहाटी
तारीख: 26 मई 2017

ए. के. साहू
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग
गुवाहाटी
तारीख : 26 मई 2017

हर्ष कुमार भनवाला
अध्यक्ष

आर अमलोरपवनाथन
उप प्रबंध निदेशक

बी पी कानूनगो
निदेशक

अनूप कुमार दाश
निदेशक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

(₹हजार)

क्रसं	आय	अनुसूची	2016-17	2015-16
1	ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज		19153,74,64	17789,54,51
2	निवेश परिचालनों / जमाराशियों से आय		3021,79,16	2812,14,00
3	अन्य आय		259,13,51	263,19,37
	कुल "अ"		**22434,67,31**	**20864,87,88**

क्रसं	व्यय	अनुसूची	2016-17	2015-16
1	ब्याज और वित्तीय प्रभार	14	16269,22,26	15439,85,37
2	स्थापना और अन्य व्यय	15 A	2027,10,77	1516,55,42
3	संवर्द्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय	15 B	43,66,09	45,53,65
4	प्रावधान	16	179,35,26	128,62,11
5	मूल्यह्रास		28,61,99	27,05,26
	कुल "आ"		**18547,96,37**	**17157,61,81**
6	**आयकर से पूर्व लाभ (अ-आ)**		3886,70,94	3707,26,07
	(क) आयकर के लिए प्रावधान		1215,95,60	1166,62,25
	(ख) आस्थगित कर आस्ति समायोजन - (आस्ति)		(18,83,07)	(11,65,25)
7	**कर पश्चात लाभ**		**2689,58,41**	**2552,29,07**
8	सहायक संस्थाओं के लाभांश एवं डीडीटी हेतु प्रावधान		37,81	4,16,87
9	**कर एवं लाभांश पश्चात लाभ**		**2689,20,60**	**2548,12,20**
10	माइनॉरिटी इंटरेस्ट		8,70,71	2,94,88
11	**विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ**		**2680,49,89**	**2545,17,32**

उक्त संदर्भित अनुसूचियां लेखों का अभिन्न अंग हैं.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

(₹हजार में)

क्र.सं.	विनियोजन /आहरण	2016-17	2015-16
1	**वर्ष का लाभ नीचे लाया गया**	2680,49,89	2545,17,32
2	**जोड़े :** लाभ और हानि खाते में डाले गए व्यय के समक्ष विभिन्न निधियों से आहरण	183,46,53	84,18,94
3	**विनियोजन हेतु उपलब्ध कुल लाभ**	**2863,96,42**	**2629,36,26**
	घटाएं: निम्नलिखित में अंतरित किया गया		
1	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(I)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि	650,00,00	550,00,00
2	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	1,00,00	1,00,00
3	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1,00,00	1,00,00
4	सहकारिता विकासनिधि	10,30,24	0
5	अनुसंधान और विकास निधि	16,16,28	35,44,30
6	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	95,43,39	296,00,00
7	उत्पादक संगठन विकास निधि	61,09,81	0
8	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	21,19,64	10,61,72
9	ग्राम्य विकास निधि	20,00,00	20,00,00
10	जलवायु परिवर्तन निधि	5,04,95	5,00,00
11	प्रारक्षित निधि	1982,72,11	1710,30,24
	कुल	**2863,96,42**	**2629,36,26**

कृपया लेखा पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं टिप्पणियों हेतु अनुसूची-18 देखें

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
व्यास एंड व्यास
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.000590सी)

ओ. पी. व्यास
साझेदार
(सदस्यता सं. 014081)
गुवाहाटी
तारीख: 26 मई 2017

ए. के. साहू
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग
गुवाहाटी
तारीख : 26 मई 2017

हर्ष कुमार भनवाला
अध्यक्ष

आर अमलोरपवनाथन
उप प्रबंध निदेशक

बी पी कानूनगो
निदेशक

अनूप कुमार दाश
निदेशक

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

समेकित अनुसूची 1 - प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित

(₹हजार)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान व्यय/परिवर्धन/ समायोजन	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	लाभ-हानि विनियोजन को अंतरित	31.03.2017 को शेष
1	प्रारक्षित निधि	14506,37,04	2,03,49	1982,72,11	0	16487,05,66
2	अनुसंधान और विकास निधि	52,25,00	659	16,16,28	15,91,28	52,43,41
3	प्रारक्षित पूंजी	85,93,54	0	0	0	85,93,54
4	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित	951,00,00	0	95,43,39	122,43,39	924,00,00
5	सहकारिता विकास निधि	66,42,19	0	10,30,24	16,72,43	60,00,00
6	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i) (viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष प्रारक्षित	6435,00,00	0	650,00,00	0	7085,00,00
7	उत्पादक संगठन विकास निधि	43,00,62	0	61,09,81	4,10,43	100,00,00
8	ग्रामीण आधारभूत सुविधा संवर्धन निधि	17,80,62	0	0	1,58,41	16,22,21
9	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	60,00,00	0	21,19,64	21,19,64	60,00,00
10	ग्राम्य विकास निधि	20,00,00	0	20,00,00	0	40,00,00
11	जलवायु परिवर्तन निधि	5,00,00	0	5,04,95	4,95	10,00,00
	कुल	**22242,79,01**	**2,10,08**	**2861,96,42**	**182,00,53**	**24920,64,82**
	गत वर्ष	**19703,67,69**	**(7,27,00)**	**2627,36,26**	**80,97,94**	**22242,79,01**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

समेकित अनुसूची 1अ - माइनॉरिटी इंटरेस्ट

(₹हजार)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़े गए	वर्ष के दौरान समायोजित	31.03.2017 को शेष
1	शेयर पूंजी	62,67,03	5,66,64	0	68,33,67
2	प्रारक्षित और अधिशेष	19,12,21	8,70,71	2,02,58	29,85,50
	कुल	**81,79,24**	**14,37,35**	**2,02,58**	**98,19,17**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

समेकित अनुसूची 2 - राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियां

(₹हजार)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2016 को अथ शेष	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अंशदान	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	31.03.2017 को शेष
1	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	14487,00,00	1,00,00	1,00,00	14489,00,00
2	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1587,00,00	1,00,00	1,00,00	1589,00,00
	कुल	**16074,00,00**	**2,00,00**	**2,00,00**	**16078,00,00**
	गत वर्ष	**16070,00,00**	**2,00,00**	**2,00,00**	**16074,00,00**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

समेकित अनुसूची 3 - उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियां

(₹हजार)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	निधि में जमा ब्याज	वर्ष के दौरान व्यय / संवितरण	31.03.2017 को शेष
अ.	**अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदान**					
1	केएफडब्ल्यू -नाबार्ड V निधि आदिवासी विकास कार्यक्रम	2,10,25	95,21	7,54	1,95,26	1,17,74
2	केएफडब्ल्यू -एनबी-IX आदिवासी विकास कार्यक्रम - महाराष्ट्र	3,92,03	0	59,96	4,51,99	0
3	केएफडब्ल्यू-यूपीएनआरएम - सहबद्ध उपाय	26,50	0	22	26,72	0
4	केएफडब्ल्यू -एनबी-यूपीएनआरएम -वित्तीय अंशदान	0	0	0	0	0
5	केएफडब्ल्यू-यूपीएनआरएम -जोख़िम शमन निधि	0	0	0	0	0
6	केएफडब्ल्यू -यूपीएनआरएम निधि	0	0	0	0	0
7	केएफडब्ल्यू -एनबी-इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - चरण III- महाराष्ट्र	12,82	0	0	12,82	0
8	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - आंध्र प्रदेश	31,03	85,72	2,85	2,55	1,17,05
9	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम -गुजरात	3,98,02	0	21,56	1,19,83	2,99,75
10	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम -राजस्थान	0	4,04,18	64	1,93,76	2,11,06
11	जीआईजेड यूपीएनआरएम तकनीकी सहयोग	61,49	0	0	23,16	38,33
12	जलवायु परिवर्तन-(एएफबी) परियोजना निर्माण अनुदान	20,56	0	0	13,84	6,72
13	जलवायु परिवर्तन-(एएफबी) परियोजना / कार्यक्रम कार्यान्वयन खाता	6,80,12	5,82,08	0	5,12,01	7,50,19
14	राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन हेतु अनुकूलन निधि	88,75,27	98,04,72	7,12,69	27,58,56	166,34,12
15	जीआईज़ेड मृदा परियोजना	0	74,35	0	15,55	58,80
16	केएफ़डबल्यू मृदा परियोजना	0	1,22,19	0	1,22,19	0
आ.	**अन्य निधियां**					
1	वाटरशेड विकास निधि (i)	1108,74,45	139,32,57	68,83,42	106,41,63	1210,48,81
2	ब्याज विभेदक निधि (विदेशी मुद्रा जोखिम)	246,53,27	(2,32,16)	0	0	244,21,11
3	ब्याज विभेदक निधि - (तावा)	10,00	0	0	0	10,00
4	आदिवासी विकास निधि	5,77,50	0	0	3	5,77,47
5	आदिवासी विकास निधि (ii)	876,72,97	350,95,71	57,91,12	269,03,35	1016,56,45
6	वित्तीय समावेशन निधि (iii)	2452,74,18	335,37,76	142,77,35	744,40,14	2186,49,15
7	राष्ट्रीय बैंक - स्विस विकास सहयोग परियोजना	55,61,77	6,25,36	0	0	61,87,13
8	आरपीएफ तथा आरआईएफ - गैर-कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	39,81,81	0	0	8,41,82	31,39,99
9	सेंटर फॉर प्रोफेसनल एक्सीलेन्स इन को ऑपरेटिव्स (सी-पेक)	2,03,27	0	15,16	0	2,18,43
10	एलटीआईएफ़ ब्याज उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	0	2,52,29	0	0	2,52,29
11	एमएफडीईएफ	0	1,46,00	0	1,46,00	0
	कुल	**4895,17,31**	**945,25,98**	**277,72,51**	**1174,21,21**	**4943,94,59**
	गत वर्ष	**4209,50,61**	**1295,59,51**	**248,72,30**	**858,65,11**	**4895,17,31**

नाबार्ड भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/ अन्य संस्थाओं की ओर से उनके बैंकर / कस्टोडियन / ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है और संबन्धित योजनाओं हेतु उपर्युक्त निधियों / लंबित संवितरण/ उपयोग को उनकी ओर से उनके द्वारा किए गए अंशदान की सीमा तक और अप्रयुक्त अधिशेषों पर उपचित ब्याज (जहां लागू हो) रखता है.

(i) भुगतान किया गया आय कर ₹48.22 करोड़ शामिल है
(ii) भुगतान किया गया आय कर ₹120.14 करोड़ शामिल है
(iii) भुगतान किया गया आय कर ₹116.07 करोड़ शामिल है

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

समेकित अनुसूची 4 - सरकारी योजनाएं

(₹हजार)

क्र. सं.	विवरण	01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़ / समायोजन	निधि में जमा ब्याज	वर्ष के दौरान व्यय / संवितरण	31.03.2017 को शेष
अ.	**सरकारी अनुदान योजनाएं**					
1	शीतगृह परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी -एनएचबी	38,42	2,47,76	0	2,30,72	55,46
2	शीतगृहों के लिए पूंजी सब्सिडी टीएम पूर्वोत्तर	8,40	0	0	0	8,40
3	लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी	4,72	94,58	0	79,58	19,72
4	फसल उत्पादन के लिए कृषि क्षेत्र जल प्रबंधन	7,17	0	0	0	7,17
5	बिहार भूगर्भ-जल सिंचाई योजना (बीआईजीडब्ल्यूआईएस)	77,26,15	0	0	(65,73)	77,91,88
6	पशुधन विकास कार्यक्रम - उत्तर प्रदेश	2,32	0	17	0	2,49
7	पशुधन विकास कार्यक्रम - बिहार	5,52	0	41	0	5,93
8	जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना	4,34,83	0	0	2,78,40	1,56,43
9	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम -राष्ट्रीय सम विकास योजना	4,29,45	0	0	0	4,29,45
10	छोटे रुमेन्थक और खरगोशों के समन्वित विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना	1,30,89	27,60,00	0	8,08,74	20,82,15
11	डेयरी और पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	22,28,70	0	0	16,89,95	5,38,75
12	पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	4,98,69	0	0	3,06,32	1,92,37
13	पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि (सब्सिडी)	10,93,55	41,95,70	0	25,45,99	27,43,26
14	आईएसएएम - कृषि विपणन,आधारभूत सुविधाएं	51,07,96	615,89,00	0	465,43,11	201,53,85
15	आईएसएएम- संवर्धनात्मक व्यय खाते हेतु प्राप्त अनुदान	1,23	0	0	0	1,23
16	पोल्ट्री एस्टेट की स्थापना हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना	1,66,72	0	0	0	1,66,72
17	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	4,98	0	37	0	5,35
18	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण -बैफ - रायबरेली, उत्तर प्रदेश	1,33	0	10	0	1,43
19	सीएसएस - सूअर पालन	3,27,41	15,20,00	0	48,06	17,99,35
20	डेयरी उद्यमिता विकास योजना	38,28,69	240,00,00	0	125,20,13	153,08,56
21	सीसीएस - एस और आर नर भैंस कटड़ा	3,19	20,00	0	0	23,19
22	सीएसएस - सोलर मिशन	81	0	0	0	81
23	सीएसएस-जेएनएनएसएम सोलर लाइटिंग खाता	17,60,39	8,80,46	0	16,73,17	9,67,68
24	सीएसएस-सोलर फोटो वोल्टाइक वाटर पम्पिंग	105,85,45	0	0	51,66,77	54,18,68
25	पूंजी सब्सिडी योजना - कृषि क्लीनिक कृषि व्यवसाय केन्द्र	45,17	13,41,90	0	11,47,47	2,39,60
26	सीएसएस-एमएनआरई लाइटिंग योजना 2016 खाता	20,43,00	(8,80,46)	0	10,77,44	85,10
27	कठोर चट्टानी क्षेत्र में भूगर्भ-जल का कृत्रिम रिचार्ज	1,44,60	0	0	(3,16,16)	4,60,76

(₹हजार)

क्र. सं.	विवरण	01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़ / समायोजन	निधि में जमा ब्याज	वर्ष के दौरान व्यय / संवितरण	31.03.2017 को शेष
आ	**अन्य सरकारी योजनाएं**					
1	कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआर) 2008	283,47,79	0	0	(1,19,81)	284,67,60
2	महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि	116,28,17	0	0	21,39,02	94,89,15
3	प्रोड्यूस निधि	177,82,96	0	0	41,52,17	136,30,79
4	बिना लाइसेन्स वाले 23 जिमस बैंकों का पुनरुद्धार	111,22,00	0	0	0	111,22,00
5	ब्याज छूट सहायता (चीनी मीयादी ऋण)	18	0	0	0	18
6	चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना-2007 (एसईएफएएसयू-2007)	65,27	0	0	0	65,27
7	कच्छ सूखा निवारण परियोजना	21,64	0	0	0	21,64
8	**दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) के लिए पुनरुद्धार पैकेज**	20,00,00	0	0	0	20,00,00
9	**हथकरघा क्षेत्र का पुनरुद्धार, सुधार और पुनरुत्थान**					
i	पुन:पूंजीकरण सहायता खाता (आरआरआर - हथकरघा पैकेज)- -एडब्ल्यूसीएस	23,09,43	(19,74,49)	0	0	3,34,94
ii	पुन:पूंजीकरण सहायता खाता (आरआरआर - हथकरघा पैकेज) - पीडब्ल्यूसीएस	0	1,34,91	0	1,34,91	0
iii	पुन:पूंजीकरण सहायता खाता (आरआरआर - एकल बुनकर)	20,70,75	(19,57,04)	0	0	1,13,71
iv	तकनीकी सहायता (आरआरआर - हथकरघा पैकेज)	0	7,44,00	0	7,44,00	0
v	एचआरडी (आरआरआर - हथकरघा पैकेज)	1,67,20	0	0	4	1,67,16
vi	ब्याज सहायता (आरआरआर - हथकरघा पैकेज)	0	10,74,17	0	10,74,17	0
10	व्यापक हथकरघा पैकेज	1,31,14	25,15,52	0	26,25,68	20,98
	कुल	**1122,76,27**	**963,06,01**	**1,05**	**844,84,14**	**1240,99,19**
	गत वर्ष	**1500,52,28**	**1175,33,23**	**1,03**	**1553,10,27**	**1122,76,27**

नाबार्ड भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/ अन्य संस्थाओं की ओर से उनके बैंकर / कस्टोडियन / ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है और संबन्धित योजनाओं हेतु उपर्युक्त निधियों / लंबित संवितरण/ उपयोग को उनकी ओर से उनके द्वारा किए गए अंशदान की सीमा और अप्रयुक्त अधिशेषों पर उपचित ब्याज (जहां लागू हो) रखता है.

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

समेकित अनुसूची 5 - जमाराशियां

(₹हजार)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
1	केन्द्र सरकार	0	0
2	राज्य सरकारें	0	0
3	अन्य		
	क) चाय/रबड़/कॉफी जमाराशियां	219,13,63	265,80,60
	ख) वाणिज्य बैंक (आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियां)	105502,50,34	96885,03,14
	ग) अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	45008,70,00	53991,30,00
	घ) अल्पावधि क्षेग्रा बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि	10002,90,00	15997,10,00
	ङ) भंडारागार आधारभूत सुविधा निधि	3531,00,00	3550,00,00
	च) दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	30000,58,00	18997,10,00
	छ) खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों हेतु निधि	150,00,00	100,00,00
	कुल	**194414,81,97**	**189786,33,74**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

समेकित अनुसूची 6 - बॉण्ड और डिबेंचर

(₹हजार)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
1	करमुक्त बॉण्ड	5000,00,00	5000,00,00
2	गैर-प्राथमिकता क्षेत्र बॉण्ड	31479,00,00	29147,00,00
3	पूंजी अभिलाभ बॉण्ड	1,29,40	1,29,40
4	भविष्य निर्माण बॉण्ड	4970,24,36	4974,23,31
5	बॉण्ड - एलटीआईएफ	6899,00,00	0
6	बॉण्ड - एलटीआईएफ भारत सरकार पूरी तरह से सर्विस्ड बॉण्ड	2187,00,00	0
	कुल	**50536,53,76**	**39122,52,71**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

समेकित अनुसूची 7 - उधार

(₹हजार)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
	(अ) भारत में		
1	केंद्र सरकार	0	12,25,24
2	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन	14,55,68	14,55,68
3	भारतीय रिज़र्व बैंक	0	0
4	**अन्य :**		
	(i) जमाराशि प्रमाणपत्र	7478,85,53	5545,20,40
	(ii) वाणिज्यिक पत्र	16193,37,51	12771,01,32
	(iii) संपार्श्विक उधार एवं ऋण वितरण दायित्वों (सीबीएलओ) के अंतर्गत उधार	7318,66,34	0
	(iv) मीयादी मुद्रा उधार	2192,73,31	1519,46,99
	(v) वाणिज्य बैंक	13,42,39	14,31,86
	(vi) रेपो खाता	295,40,36	0
	(vii) एसटीडी के समक्ष उधार	798,92,03	47,35,00
	(आ) भारत से बाहर		
	(i) अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां	683,56,02	721,87,46
	कुल	**34989,49,17**	**20646,03,95**

उपर्युक्त में से, सीबीएलओ के अंतर्गत उधार ट्रेजरी बिल्स सहित सरकारी प्रतिभूतियों से प्रत्याभूत हैं.

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

समेकित अनुसूची 8 - चालू देयताएं और प्रावधान

(₹हजार)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
1	उपचित ब्याज / डिस्काउन्ट	9780,88,46	8837,67,24
2	विविध लेनदार	1766,29,44	976,73,47
3	प्रारक्षित सब्सिडी (सह-वित्त पोषण, शीतगृह)	56,83,58	19,12,80
4	प्रारक्षित सब्सिडी - आरआईडीएफ के अंतर्गत सीएसएमआई	1,60	54,80
5	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	174,21,99	1,65,21
6	पेंशन के लिए प्रावधान	420,26,10	110,47,36
7	साधारण छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	306,60,10	244,71,03
8	चिकित्सा लाभों के लिए प्रावधान - सेवानिवृत्त कर्मचारी	126,88,23	116,86,22
9	बॉण्डों पर दावा न किया गया ब्याज	1,68,23	1,74,98
10	मीयादी जमाराशियों पर दावा न किया गया ब्याज	1,74	61
11	परिपक्व जमाराशियां लेकिन दावा न किया गया	9,08	9,08
12	परिपक्व बॉण्ड लेकिन दावा न किया गया	4,53,49	3,36,79
13	बॉण्ड्स प्रीमियम - करमुक्त बॉण्ड्स	1,16,50	1,16,50
14	केएफडब्ल्यू-यूपीएनआरएम उधार पर देय प्रतिबद्धता शुल्क	9,63	0
15	**प्रावधान और आकस्मिकताएं**		
(क)	निवेश मूल्य में ह्रास खाता - सरकारी प्रतिभूतियां	122,43,39	0
(ख)	सरकारी प्रतिभूतियों का मोचन - एचटीएम	8,33,13	6,48,10
(ग)	मानक आस्तियों के लिए	1240,32,96	1066,75,80
(घ)	अनर्जक निवेश	16,00,00	16,00,00
(ङ)	काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर	14,44,89	14,44,89
(च)	पुन: संरचित ऋणों के ब्याज घटक की छोड़ दी गई राशि	0	3,25,42
(छ)	अन्य आस्तियों और प्राप्तियों हेतु प्रावधान	10,03,35	10,10,37
(ज)	आयकर हेतु प्रावधान [अग्रिम कर का निवल]	636,13,15	0
	कुल	**14687,29,04**	**11431,20,67**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

समेकित अनुसूची 9 - नकद और बैंक शेष

(₹हजार)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
1	नकद	36	23
2	**में जमा राशियां :**		
	(अ) भारत के बैंकों में		
	i) भारतीय रिजर्व बैंक	2229,83,39	150,54,92
	ii) अन्य बैंकों में	0	0
	(आ) भारत के अन्य बैंकों में		
	(क) चालू खाते में	546,36,06	678,86,43
	(ख) बैंकों में जमा	9025,29,70	15570,08,39
	(ग) मार्गस्थ धन प्रेषण	8,29,39	35,07,80
	(घ) संपार्श्वीकृत उधार और ऋण वितरण जिम्मेदारियां	1349,05,75	2491,53,95
	इ) भारत से बाहर	0	0
	कुल	**13158,84,65**	**18926,11,72**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

समेकित अनुसूची 10 - निवेश

(₹हजार)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
1	**सरकारी प्रतिभूतियां**		
	(क) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां [अंकित मूल्य ₹8676,75,00,000 (₹4828,78,30,000)] [बाजार मूल्य ₹9018,36,99,746(₹4907,77,65,515)]	8944,24,48	4796,24,58
	(ख) ट्रेजरी बिल [अंकित मूल्य ₹2438,76,90,000 (₹887,98,50,000)] [बाजार मूल्य ₹2421,35,28,106 (₹836,44,44,755)]	2421,35,28	836,44,45
2	**अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां**	0	0
3	**निम्नलिखित में इक्विटी शेयर :**		
(क)	कृषि वित्त निगम लि. [1000 (1000) -₹10000 प्रति इक्विटी शेयर]	1,00,00	1,00,00
(ख)	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक लि. [16000000 (16000000) - ₹10/- प्रति इक्विटी शेयर]	48,00,00	48,00,00
(ग)	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. [60000000 (60000000) - ₹10/-प्रति इक्विटी शेयर]	60,00,00	60,00,00
(घ)	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. [3,77,758 (10,70,096)- ₹10/-प्रति इक्विटी शेयर]	30,22	85,61
(ङ)	नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लि.[56,25,000 (56,25,000) ₹10/-प्रति इक्विटी शेयर]	16,87,50	16,87,50
(च)	यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लि. [यूसीएक्स] [16000000 (16000000) ₹10/- के प्रति शेयर]	16,00,00	16,00,00
(छ)	भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी तथा सम्बद्ध सेवाएं (इक्विटी) [4900 (49) ₹10 प्रति शेयर]	49	49
(ज)	सीएससी ई-गवर्नेन्स सर्विसेस इंडिया लि. (इक्विटी)[55,000 (55,000) शेयर प्रत्येक ₹1000]	9,74,60	9,74,60
(झ)	एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया [4,000 (0) शेयर ₹10 प्रत्येक]	40	0
(ञ)	नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लि. [इक्विटी] [15,00,000 (0) शेयर ₹10 प्रत्येक]	1,50,00	0
(k)	**अन्य इक्विटी निवेश**		
(i)	कोल इंडिया लि. [43,389 (77,389) - ₹10/-प्रति इक्विटी शेयर]	1,65,56	2,95,29
(ii)	पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. [0 (17,592) - ₹10/-प्रति इक्विटी शेयर]	0	15,83
(iii)	मैंगनीस ओर इंडिया लि. [6,719 (11,719) - ₹10/-प्रति इक्विटी शेयर]	25,20	43,95

(₹हजार)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
(iv)	भारतीय स्टेट बैंक [23,98,880 (23,98,880) शेयर ₹10/-प्रति शेयर]	37,54,25	37,54,25
(v)	पंजाब नेशनल बैंक [12,000 (36,000) ₹2 /-प्रति इक्विटी शेयर]	23,87	71,61
(vi)	लार्सेन और टूबरो लि. [1,000 शेयर्स (13,000) ₹2 प्रत्येक]	17,32	2,25,22
(vii)	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि. [1,87,200 शेयर्स (1,24,000) ₹5 प्रत्येक]	4,28,93	4,28,93
(viii)	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. [8,58,626 शेयर्स (8,58,626) ₹10 प्रत्येक]	6,02,34	6,02,34
(ix)	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. [80,000 शेयर्स (80,000) ₹2 प्रत्येक]	1,99,13	1,99,13
(x)	इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लि. [0 शेयर्स (35,000) ₹10 प्रत्येक]	0	1,20,32
(xi)	मारुति सुज़ुकी इंडिया लि. [7,000 शेयर्स (10,000) ₹5 प्रत्येक]	1,78,84	2,55,49
(xii)	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लि. [0 शेयर्स (70,000) ₹10 प्रत्येक]	0	1,05,82
(xiii)	टाटा कन्सल्टेन्सी सर्विसेज लि. [10,000 शेयर्स (10,000) ₹1 प्रत्येक]	2,39,88	2,39,88
(xiv)	लार्सेन और टूबरो इन्फोटेक लिमिटेड [1,599 शेयर्स (0) ₹1 प्रत्येक]	11,35	0
(xv)	हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन क. लि. [23,08,978 शेयर्स (0) ₹10 प्रत्येक]	8,06,30	0
4	**डिबेंचर और बॉन्ड्स**		
(i)	रासकृग्रावि बैंक के विशेष विकास डिबेंचर	3676,14,23	4954,59,98
(ii)	अपरिवर्तनीय डिबेंचर	1307,30,80	427,44,37
5	**अन्य**		
(क)	म्युच्युअल फंड	4001,09,28	4695,35,32
(ख)	वाणिज्यिक पत्र [अंकित मूल्य ₹21500,00,00,000 (₹2150,00,00,000)]	2766,91,10	2072,16,47
(ग)	जमाराशि प्रमाणपत्र [अंकित मूल्य ₹7995,00,00,000 (₹7995,00,00,000)]	2311,32,08	7894,73,83
(घ)	बिल रीडिस्कौंटिंग [अंकित मूल्य ₹200,00,00,000 (₹ 0)]	1977114	0
(ङ)	एसईएएफ - इंडियन एग्री-बिजनेस	9,50,08	9,26,26
(च)	एपीआईडीसी - वेंचर्स लाइफ फंड III	14,38,07	13,93,47
(छ)	बीवीएफ (बायो-टेक वेंचर निधि) -एपीआईडीसी-V निवेश	4,77,62	4,98,35
(ज)	ओमिनोवोर इंडिया कैपिटल ट्रस्ट	19,72,25	17,73,40
(झ)	इंडिया अपोरच्यूनिटी	10,80,62	10,21,84
(ञ)	आईवीवाय कैप वेंचर फंड	19,60,00	19,60,00
(ट)	टाटा पूंजी नवोन्मेष निधि	55,11,31	49,23,86
(ठ)	टी वी एस श्रीराम ग्रोथ निधि आई बी	19,82,59	20,06,37
(ड)	गोल्डेन गुजरात ग्रोथ फ़ंड	7,04,00	50,00
(ढ)	इंडिया निवेश ग्रोथ निधि	2,75,00	0
(ण)	आईवीवाई कैप वेंचर निधि II	1,50,00	0
(त)	इंडिया एडवांटेज निधि	2,90,00	0
(थ)	ईओएल हेतु चिन्हित निवेश	258,25,14	247,19,31
	कुल	**26270,21,25**	**26285,78,12**

उपर्युक्त सभी निवेश भारत में किए गए हैं.

समेकित तुलन पत्र की अनुसूची

समेकित अनुसूची 11 - अग्रिम

(₹हज़ार)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
1	**पुनर्वित्त ऋण**		
(क)	उत्पादन और विपणन ऋण	73682,58,42	69718,82,41
(ख)	उत्पादन ऋण हेतु परिवर्तन ऋण	1065,00,22	446,89,97
(ग)	अन्य निवेश ऋण		
(i)	मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋण	100536,85,00	83507,14,78
(ii)	जिमस बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त	2565,20,00	3250,75,00
(iii)	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन	1,51,10	6,24,05
2	**प्रत्यक्ष ऋण**		
(क)	ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत ऋण	100981,48,44	91384,11,86
(ख)	भंडारागार आधारभूत सुविधा निधि के अंतर्गत ऋण	3402,10,63	2361,95,48
(ग)	दीर्घावधि गैर-परियोजना ऋण (प्रावधान को घटाकर)	1188,04,05	1094,28,91
(घ)	नाबार्ड आधारभूत सुविधा विकास सहायता (नीडा) के अंतर्गत ऋण	4978,00,40	3238,89,45
(ङ)	उत्पादक संगठन विकास निधि (पीओडीएफ) के अंतर्गत ऋण	316,57,82	377,76,82
(च)	फेडरेशनों को ऋण सुविधा (सीएफएफ) के अंतर्गत ऋण	6961,00,00	4948,50,00
(छ)	खाद्य प्रसंस्करण निधि के अंतर्गत ऋण	139,78,82	20,56,80
(ज)	दीर्घावधि सिंचाई निधि के अंतर्गत ऋण	9086,02,10	0
(झ)	धारा 30 के अंतर्गत प्रत्यक्ष ऋण (प्रावधान को घटाकर)	0	0
(ञ)	**अन्य ऋण :**		
(i)	सहकारिता विकास निधि कार्यक्रम ऋण	42,86	85,72
(ii)	सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि कार्यक्रम ऋण (प्रावधान को घटाकर)	83,41	4,43,79
(iii)	वाटरशेड विकास निधि कार्यक्रम ऋण	37,47,02	39,97,15
(iv)	आदिवासी विकास निधि कार्यक्रम ऋण (प्रावधान को घटाकर)	11,38,51	14,63,91
(v)	केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम ऋण (प्रावधान को घटाकर)	68,71,50	98,75,26
(vi)	कृषीतर क्षेत्र संवर्धन गतिविधि कार्यक्रम के लिए ऋण (प्रावधान को घटाकर)	200,54,11	41,26,86
(vii)	कृषी क्षेत्र संवर्धन गतिविधि कार्यक्रम के लिए ऋण		49,87
(ट)	सह- वित्त ऋण (प्रावधान को घटाकर)	79,68	3,17,59
	कुल	**305224,38,36**	**260559,55,68**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूची

अनुसूची 12 - अचल आस्तियाँ

(₹हज़ार)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
1	**भूमि : स्वामित्ववाली और पट्टाकृत**		
	अथ शेष	174,33,32	162,43,60
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	7,64,60	11,89,71
	उप-जोड़	181,97,92	174,33,31
	घटाएं : बेची गई / बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	-	-
	इति शेष (लागत पर)	181,97,92	174,33,31
	घटाएं : लीज प्रिमिया का परिशोधन	53,29,82	51,20,19
	बही मूल्य	128,68,10	123,13,12
2	**परिसर**		
	अथ शेष	363,26,00	339,09,33
	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	47,71,49	24,16,67
	उप-जोड़	410,97,49	363,26,00
	घटाएं : बेची गई / बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	-	-
	इति शेष (लागत पर)	410,97,49	363,26,00
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास	240,94,02	227,19,80
	बही मूल्य	170,03,47	136,06,20
3	**फर्नीचर और फिक्सचर्स**		
	अथ शेष	63,19,51	61,73,27
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	90,26	2,39,08
	उप-जोड़	64,09,77	64,12,35
	घटाएं : बेची गई/बट्टे खाते में डाली गई आस्तियों की लागत	99,99	92,83
	इति शेष (लागत पर)	63,09,78	63,19,52
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास	59,27,74	58,21,90
	बही मूल्य	3,82,04	4,97,62

(₹हज़ार)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
4	**कंप्यूटर इंस्टॉलेशन और कार्यालय उपकरण**		
	अथ शेष	103,89,38	99,01,77
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	8,24,65	8,28,24
	उप-जोड़	112,14,03	107,30,01
	घटाएं : बेची गई/बट्टे खाते में डाली गई आस्तियों की लागत	2,98,49	3,40,62
	इति शेष (लागत पर)	109,15,54	103,89,39
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास	96,95,23	92,22,12
	बही मूल्य	12,20,31	11,67,27
5	**वाहन**		
	अथ शेष	8,17,74	6,26,59
	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	2,17,00	4,18,63
	उप-जोड़	10,34,74	10,45,22
	घटाएं : बेची गई/बट्टे खाते में डाली गई आस्तियों की लागत	1,59,20	2,27,48
	इति शेष (लागत पर)	8,75,54	8,17,74
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास	4,51,60	3,50,19
	बही मूल्य	4,23,94	4,67,55
6	**चल रहे पूंजीगत कार्य**	85,12,18	83,54,51
	कुल	**404,10,04**	**364,06,27**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूची
समेकित अनुसूची 13 - अन्य आस्तियां

(₹हज़ार)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
1	उपचित ब्याज	2882,11,32	3577,28,03
2	भूस्वामियों के पास जमाराशि	1,60,35	2,63,57
3	सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं के पास जमाराशि	10,44,47	3,61,70
4	स्टाफ को आवास ऋण	121,13,40	140,44,51
5	स्टाफ को अन्य अग्रिम	91,22,13	97,29,13
6	भूस्वामियों को अग्रिम	92	1,14
7	विविध अग्रिम	86,23,76	76,43,93
8	अग्रिम कर (आयकर हेतु प्रावधान को घटाकर)	0	382,34,01
9	आस्थगित कर आस्तियां	184,31,15	164,64,37
10	भारत सरकार/ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वसूली-योग्य व्यय	71,04,59	17,28,58
11	प्राप्य डिस्काउंट	104,25,32	105,12,14
	कुल	**3552,37,41**	**4567,11,11**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूची
समेकित अनुसूची 14 - ब्याज और वित्तीय प्रभार

(₹हज़ार)

क्र.सं.	विवरण	2016-17	2015-16
1.	**भुगतान किया गया ब्याज**		
क)	आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियों पर	6038,85,05	5737,78,86
ख)	अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि पर	2452,44,43	2552,67,53
ग)	अल्पावधि क्षेत्रा बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि पर	694,02,10	1451,64,88
घ)	चाय / कॉफी / रबड़ जमाराशियों पर	11,49,55	17,58,61
ङ)	सीबीएस जमाराशियों पर	72	7,36
च)	जमाराशियों / उधारियों पर	1,50,12	1,39,10
छ)	केंद्र सरकार से ऋणों पर	52,33	1,01,17
ज)	बाण्डों पर	3518,68,97	3330,57,26
झ)	वाणिज्यिक पत्र पर	879,02,24	972,06,16
ञ)	एलटीआईएफ - बाण्डों पर	107,35,80	0
ट)	मीयादी मुद्रा उधार पर	98,45,04	65,08,57
ठ)	अल्पावधि जमाराशियों के समक्ष उधार पर	24,71	60
ड)	जमाराशि प्रमाणपत्र पर भुगतान किए गए डिस्काउन्ट की लागत पर	475,43,93	42,23,18
ढ)	अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से उधार पर	24,19,01	25,94,50
ण)	वाटरशेड विकास निधि पर	68,83,42	64,33,75
त)	वित्तीय समावेशन निधि पर	142,77,35	132,97,20
थ)	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - आंध्र प्रदेश पर	2,85	2,60

(₹हज़ार)

क्र.सं.	विवरण	2016-17	2015-16
द)	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - राजस्थान पर	64	0
ध)	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - गुजरात पर	21,56	16,80
न)	केएफडब्ल्यू - यूपीएनआरएम - सहबद्ध उपायों पर	22	13,51
प)	केएफडब्ल्यू - नाबार्ड इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - चरणIII- महाराष्ट्र पर	0	1,89
फ)	केएफडब्ल्यू - नाबार्ड -IXआदिवासी विकास कार्यक्रम पर	59,96	0
ब)	केएफडब्ल्यू - नाबार्ड -V आदिवासी परियोजना	7,54	4,57
भ)	वायदा प्रभार - केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम उधार पर	0	11,96
म)	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधिमूलक बैंक परियोजना - सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश पर	37	36
य)	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधिमूलक बैंक परियोजना - रायबरेली, उत्तर प्रदेश पर	10	10
र)	पशुधन विकास कार्यक्रम (उत्तर प्रदेश और बिहार)	59	57
ल)	आदिवासी विकास निधि	57,91,12	49,82,53
व)	सेन्टर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस इन कोऑपरेटिव्स (सी-पेक)	15,16	12,78
श)	वेयर हाउस आधारभूत सुविधा निधि	214,13,98	121,39,01
ष)	दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	1333,72,13	700,06,94
स)	खाद्य प्रसंस्करण हेतु निधि	7,23,53	5,98,75
ह)	राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि	7,12,69	1,06,67
2	संपार्श्विकृत उधार और ऋण वितरण दायित्वों के डिस्काउंट पर	117,48,44	107,80,61
3	बाण्डों और प्रतिभूतियों पर डिस्काउंट, दलाली, कमीशन और निर्गम व्यय पर	15,53,26	35,48,83
4	पूंजी हानि- अन्य संस्थाओं के इक्विटी शेयर्स	55,44	42,29
5	स्वैप प्रभारों पर	48,46	21,75,87
6	रिपो ब्याज व्यय	9,45	0
	कुल	**16269,22,26**	**15439,85,37**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूची
समेकित अनुसूची 15 अ - स्थापना और अन्य व्यय

(₹हज़ार)

क्र.सं.	विवरण	2016-17	2015-16
1	वेतन और भत्ते	707,30,94	735,48,93
2	स्टाफ अधिवर्षिता निधियों के लिए प्रावधान / में अंशदान	961,08,10	465,30,11
3	अन्य अभिलाभ एवं भत्ते	41,50,93	39,18,43
4	निदेशकों और समिति के सदस्यों की बैठकों के संबंध में यात्रा और अन्य भत्ते	41,48	29,06
5	निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क	13,27	6,07
6	किराया, दरें, बीमा, लाइटिंग आदि	36,22,55	36,19,63
7	यात्रा व्यय	42,28,51	36,06,95
8	मुद्रण और लेखन सामग्री	5,68,42	4,87,43
9	डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन	20,54,47	13,65,44
10	मरम्मत	51,53,65	28,31,20
11	लेखापरीक्षकों के शुल्क	45,15	44,42
12	विधिक प्रभार	1,24,81	1,56,45
13	विविध व्यय	103,30,00	85,34,41
14	विविध आस्तियों पर व्यय	8,12,76	8,07,15
15	अध्ययन और प्रशिक्षण पर व्यय	47,25,73	62,36,71
16	संपत्ति कर	0	(66,97)
	कुल	**2027,10,77**	**1516,55,42**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूची
समेकित अनुसूची 15 ओ - संवर्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय

(₹हज़ार)

क्रम सं.	विवरण	2016-17	2015-16
1	सहकारिता विकास निधि	16,72,43	15,39,97
2	उत्पादक संगठन विकास निधि	4,10,43	2,62,33
3	ग्रामीण आधारभूत सुविधा संवर्धन निधि	1,58,42	2,60,42
4	कृषीतर क्षेत्र संवर्धनात्मक उपायों/ गतिविधियों के लिए व्यय	22	0
5	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि के अंतर्गत व्यय	21,19,64	24,90,93
6	जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय	4,95	0
	कुल	43,66,09	45,53,65

समेकित तुलन पत्र की अनुसूची
समेकित अनुसूची 16 - प्रावधान

(₹हज़ार)

क्रम सं.	विवरण	2016-17	2015-16
	प्रावधान :		
1	मानक आस्तियां	173,43,36	52,13,36
2 (क)	अनर्जक आस्तियां	9,41,39	75,76,87
2 (ख)	अनर्जक आस्तियाँ - स्टाफ	0	1,47
3	अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान	0	0
4	निवेश लेखा में मूल्य ह्रास - इक्विटी	0	0
5	पुन:संरचित खातों के ब्याज घटक में छोड़ी गई राशि	(3,25,42)	(11,95,58)
6	अन्य आस्तियां / प्राप्य राशियां	(24,07)	12,43,78
7	बट्टे खाते डाली गई राशि-सह वित्तपोषण/ अन्य	0	22,21
	कुल	179,35,26	128,62,11

समेकित तुलन पत्र की अनुसूची
समेकित अनुसूची 17 - प्रतिबद्धताएं और आकस्मिक देयताएं

(₹हज़ार)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
1	निष्पादन के लिए शेष पूंजीगत संविदाओं के कारण प्रतिबद्धताएं	111,88,93	71,29,68
	उप जोड़ "अ"	111,88,93	71,29,68
2	आकस्मिक देयताएं		
(i)	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें उधार नहीं माना गया है	7,30,35	28,60
(ii)	बैंक गारंटी	16,65,00	0
	उप जोड़ "आ"	23,95,35	28,60
	कुल (अ + आ)	135,84,28	71,58,28

अनुसूची 18

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और नोट

अ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखे तैयार करने का आधार:

लेखे ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए गए हैं और इन्हें तैयार करने में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और उसके विनियमों में निहित महत्वपूर्ण पहलुओं, इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी प्रयोज्य लेखा मानकों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंडों का पालन किया गया है. उन मामलों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लिखित है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (बैंक/नाबार्ड) ने निरंतर लेखा नीतियों का पालन किया है और ये नीतियां पिछले वर्ष में प्रयुक्त की गई नीतियों के अनुरूप हैं.

2. समेकन का आधार:

समेकित वित्तीय विवरण इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 21 - "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार तैयार किए गए हैं.

शेयरों के अधिग्रहण के समय बैंक की निवल आस्तियों के भाग के समक्ष, बैंक की अपने निवेश की लागत के आधिक्य/ कमी को आरक्षित निधियों और अधिशेष में दर्शाया गया है.

समान लेन-देनों तथा एक समान परिस्थितियों के लिए एक समान लेखांकन नीतियों का उपयोग कर समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं तथा किन्हीं विचलनों, यदि कोई हों, के लिए जहां तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरणों में आवश्यक समायोजन किया गया है तथा उसे उसी तरह प्रस्तुत किया गया है जिस तरह बैंक के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किया गया है. बैंक के मूल वित्तीय विवरणों के अनुसार उन्हें सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यकतानुसार सहयोगी कंपनियों से संबंधित आंकड़ों की प्रस्तुति को परिवर्तित/ पुनर्वर्गीकृत किया गया है.

समेकन में उपयोग किए गए सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किए गए हैं जिस तारीख तक बैंक के विवरण तैयार किए गए है.

समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित नोटों और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का अभिप्राय सूचनापरक प्रकटीकरण के साधन के रूप में कार्य करना और समूह की समेकित स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मार्गदर्शन करना है. इस संबंध में बैंक ने ऐसे नोटों तथा नीतियों का प्रकटीकरण किया है जो जरूरी प्रकटीकरण को ठीक-ठीक प्रस्तुत करते हैं और मूल तथा सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए अन्य नोटों एवं सांविधिक अनुरूपताओं को छोड़ दिया गया है, जिनका समेकित वित्तीय विवरणों की सही और निष्पक्ष प्रस्तुति पर कोई प्रभाव नहीं है.

बैंक और इसकी सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों को, अंत: समूह शेषों और अंत:-समूह लेनदेनों को पूरी तरह से हटा देने के बाद आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदों के बही मूल्यों को पंक्ति-दर पंक्ति आधार पर एक साथ जोड़कर तैयार किया गया है. अंत:-समूह लेन-देनों के परिणामस्वरूप अप्राप्त लाभों अथवा हानियों को हटा दिया गया है तथा लागत वसूल किए जाने तक अंत:-समूह लेन-देनों के परिणामस्वरूप हुई अप्राप्त हानियों को भी हटा दिया गया है.

समेकित सहायक संस्थाओं के निवल लाभ में अल्प हितधारकों के हिस्से की पहचान की गई और शेयर धारकों से संबंधित निवल आय की गणना करने के लिए कर पश्चात् लाभ के समक्ष इसे समायोजित किया गया. समेकित सहायक संस्थाओं की हानि में अन्य हितधारकों का हिस्सा यदि इक्विटी में उनके हिस्से से अधिक होता है तो अन्य हितधारकों से संबंधित आधिक्य की राशि और आगे हुई हानियों को समूह के हित के समक्ष समायोजित किया गया है.

समेकित सहायक संस्थाओं की निवल आस्तियों में अन्य हितधारकों का हिस्सा समेकित तुलन-पत्र में कंपनी के शेयरधारकों की देयताओं और इक्विटी से अलग प्रस्तुत किया गया है.

3. बैंक के खातों के समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित सहायक संस्थाएं शामिल हैं:

सहायक संस्था का नाम	निगमन देश	स्वामित्व का अनुपात (%)	
		2016-17	2015-16
नैबकिसान फाइनांस लि. (जिसे पहले 'एग्री डेवलपमेंट फाइनान्स (तमिलनाडु) लि.' (एडीएफटी) के नाम से जाना जाता था)	भारत	80.84	86.22
नैबसमृद्धि फाइनान्स लि. (जिसे पहले "एग्री बिजनेस फाइनान्स लि." (एबीएफएल) के नाम से जाना जाता था.)	भारत	78.83	84.03
नाबार्ड फाइनैंशियल सर्विसेस लि. (नैबफिन्स)	भारत	67.01	67.01
नाबार्ड कन्सल्टेंसी सर्विसेस प्रा. लि.(नैबकॉन्स)	भारत	100	100

4. अनुमानों का उपयोगः

सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप वित्तीय विवरणियां तैयार करने के लिए यह अपेक्षित होता है कि प्रबंधन कई ऐसी बातें मान कर चले और कई ऐसे अनुमान लगाए जो बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई आस्तियों और देयताओं की राशि तथा वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान परिचालनों के परिणामों की स्थिति को प्रभावित करते हैं. यद्यपि, ये अनुमान प्रबंधन तंत्र की जानकारी के आधार पर हैं, वास्तविक निष्कर्ष इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं. ये भिन्नताएं ऐसे परिणामों के वर्ष में दर्शाई जाती हैं.

5. राजस्व निर्धारणः

5.1 नकदी के आधार पर लेखाबद्ध निम्नलिखित मदों को छोड़ कर, आय और व्यय को उपचय के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है:

i) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के मार्गनिर्देशों के अनुसार पहचानी गई अनर्जक आस्तियों पर ब्याज.

ii) ऋण देयों की प्राप्ति में विलंब या ऋण की शर्तों का अनुपालन न करने पर, प्रभारित दंडात्मक ब्याज के रूप में आय.

iii) विभिन्न निधियों से दिए गए ऋणों पर सेवा प्रभार.

iv) किसी एक व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक लेखा इकाई पर ₹10,000 तक के व्यय.

5.2 जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की बट्टा राशि को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया. बॉण्ड के निर्गम से संबंधित व्ययों को बॉण्ड के निर्गम वर्ष का व्यय माना गया है.

5.3 लाभांश प्राप्त होने का अधिकार स्थापित हो जाने पर निवेश पर लाभांश को लेखे में लिया गया है.

5.4 जहां नाबार्ड माध्यम एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, वहां संबंधित योजनाओं के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के अधीन अदायगी आधार पर सब्सिडी जारी करने संबंधी लेखांकन किया गया है.

5.5 उद्यम पूंजी निधि से प्राप्त आय की गणना वसूली के आधार पर की गई है.

5.6 धन संपदा कर के लिए किए गए प्रावधान धन संपदा कर अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार हैं.

5.7 अनर्जक आस्तियों की वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की गई है:

i) दंडात्मक ब्याज

ii) लागत और प्रभार

iii) अतिदेय ब्याज और ब्याज

iv) मूलधन

5.8 संवितरित मीयादी ऋण से ब्याज और बैंकों से प्राप्त ब्याज को, बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए अवधिगत अनुपात के आधार पर गणना में लिया गया है.

5.9 सेवाओं से आय

5.9.1 सौंपे गए कार्यों से आय: कंपनी (नैबकॉन्स) के लिए सौंपे गए कार्यों से होने वाली आय, आय का मुख्य स्रोत है. सौंपे गए कार्य की समाप्ति पर कार्य विशेष से संबंधित आय और तदनुरूपी व्यय को गणना में लिया जाता है. सौंपे गए कार्य को निम्नलिखित स्थितियों में पूर्ण माना जाता है

- डीपीआर परियोजना के मामले में, जब पार्टी को डाफ्ट रिपोर्ट जारी कर दी जाती है.
- बड़े कार्यों के मामले में, जिनका निष्पादन एक वर्ष से अधिक की अवधि में किया जाना है, पूरे किए गए महत्वपूर्ण कार्यों और प्रभावी की जा चुकी सुपुर्दगियों के आधार पर आय-निर्धारण किया गया है.
- यदि सौंपा गया कार्य एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए समयबद्ध ठेका हो, तो ऐसे मामले में पूरी हुई अवधि के अनुपात में आय निर्धारण किया गया है.

5.9.2 विदेश से प्राप्त कार्यों के मामले में, निष्पादन होते ही आय को मान्य किया गया है.

5.9.3 प्रबंध तंत्र की राय के अनुसार, जिन कार्यों को जारी नहीं रखा जाना है उन्हें "जैसा है जहां है" आधार पर वहीं बंद कर दिया गया है और उनसे प्राप्त राशि को आय के रूप में माना गया है.

5.9.4 वर्तमान में चल रहे कार्यों के लिए प्रगामी आधार पर प्राप्त अग्रिम राशि को ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के रूप में अलग से दर्शाया गया है और उसे चालू देयता के रूप में माना गया है. इस प्रकार के कार्यो पर हुए व्यय को चालू आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है.

5.9.5 करार की शर्तों के अनुसार 'माध्यम एजेंसी' और अनुप्रवर्तन एजेंसी के कार्य के संबंध में, नैबकॉन्स प्रत्येक किस्त जारी करते समय जारी की गई राशि से प्रोफेशनल शुल्क के रूप में 1.5% राशि की कटौती करने हेतु अधिकृत है. प्रत्येक किस्त की राशि जारी करते समय आय को मान्य किया गया है.

6. अचल आस्तियां और मूल्यह्रास:

क) अचल आस्तियों को संचित मूल्यह्रास और क्षति के कारण होने वाली हानि, यदि कोई हो, को घटा कर, अधिग्रहण लागत पर दर्शाया गया है. आस्तियों की लागत में उनके अधिग्रहण और उन्हें स्थापित करने से संबंधित कर, शुल्क, भाड़े और अन्य प्रासंगिक व्यय शामिल हैं. विद्यमान आस्तियों पर बाद में किए गए व्यय को तभी पूंजीकृत किया गया है जब उससे, विद्यमान आस्तियों का भविष्यगत लाभ उनके पूर्व में आकलित कार्यनिष्पादन के स्तर से आगे बढ़ जाता है.

ख) भूमि में पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टे वाली भूमि शामिल है.

ग) परिसर में भूमि का मूल्य शामिल है, जहां अलग-अलग मूल्य तत्काल उपलब्ध नहीं हैं.

घ) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर स्थित परिसर पर अवलिखित मूल्य के आधार पर 10% वार्षिक की दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है.

ङ) पट्टेवाली भूमि और उस पर स्थित परिसर के मूल्यह्रास की गणना की गई है और अवलिखित मूल्य के आधार पर 5% की दर या पट्टाधारिता की शेष अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर प्रीमियम/लागत के परिशोधन से प्राप्त राशि में से जो भी अधिक हो, की दर प्रभारित की गई है.

च) ₹1 लाख और उससे कम लागत की अचल परिसंपत्तियों (आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रानिक आस्तियों जैसे लैपटाप, मोबाइल फोन इत्यादि को छोड़कर) को उनके अधिग्रहण वर्ष में लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है. आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रानिक आस्तियों, जैसे लैपटाप, मोबाइल फोन आदि को पूंजीकृत किया गया है यदि प्रत्येक मद की लागत ₹10,000 से अधिक है. ₹1 लाख और उससे कम लागत वाले और स्वतंत्र रूप से खरीदे गए प्रत्येक सॉफ्टवेयर को लाभ हानि खाते में लिया गया है.

छ) अन्य अचल आस्तियों पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर आस्तियों की प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की गई अनुमानित उपयोगिता अवधि पर निम्नलिखित दरों से मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है:

आस्तियों का प्रकार	मूल्यह्रास दर
फर्नीचर और फिक्शर	20%
कम्प्यूटर और सॉफ्टवेयर	33.33%
कार्यालय उपकरण	20%
वाहन	

ज) मूल्यह्रास पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है, चाहे आस्ति का क्रय किसी भी तारीख को किया गया हो. बिक्री वर्ष के दौरान कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया गया है.

झ) वर्तमान में चल रहे पूंजीगत कार्यों में पूंजी अग्रिम शामिल है और उन्हें अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है.

ञ) निम्नलिखित सहायक संस्थाओं के मामले में अचल आस्तियों पर निम्नानुसार मूल्यह्रास की गणना की गई है:

सहायक संस्था का नाम	मूल्यह्रास की विधि
नैबकिसान फाइनांस लि.(जिसे पहले "एग्रीडेवलपमेंट फाइनांस (तमिलनाडु) लि." (एडीएफटी) के नाम से जाना जाता था)	अनुसूची II के अनुसार अवलिखित मूल्य
नैबसमृद्धि फाइनान्स लि. (जिसे पहले "एग्री बिजनेस फाइनान्स लि." (एबीएफएल) के नाम से जाना जाता था.)	अनुसूची II के अनुसार अवलिखित मूल्य
नाबार्ड फाइनांशियल सर्विसेस लिमिटेड (नैबफिन्स)	अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा विधि
नाबार्ड कन्सलटेंसी सर्विसेस प्रा. लि.(नैबकॉन्स)	अनुसूची II के अनुसार अवलिखित मूल्य

7. निवेशः

क) भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार निवेशों को "व्यापार के लिए धारित" (एचएफटी), "बिक्री के लिए उपलब्ध" (एएफएस) और "परिपक्वता तक धारित" (एचएमटी) श्रेणियां (यहां से आगे "श्रैणी" लिखा गया है) में वर्गीकृत किया गया है.

ख) जो प्रतिभूतियां मुख्यत: क्रय की तारीख से 90 दिनों के भीतर फिर से बेचे जाने के लिए धारित हैं उन्हें "एचएफटी" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है उन्हें "एचटीएम" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और जो प्रतिभूतियां इन दोनों में से किसी श्रेणी में नहीं आतीं उन्हें "एएफएस" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है.

ग) परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को अधिग्रहण लागत पर रखा गया है, जहां लागत अंकित मूल्य के बराबर है अथवा उससे कम. यदि लागत अंकित मूल्य से अधिक है तो, परिपक्वता के लिए शेष अवधि के दौरान के प्रीमियम को परिशोधित किया गया है. "एचटीएम" श्रेणी के अंतर्गत, अस्थायी निवेशों को छोड़कर, सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश के मूल्य में कमी होने के संबंध में, जहां भी आवश्यक था, प्रावधान किया गया है. ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी/परिशोधन हेतु प्रावधान को चालू देयताओं और प्रावधानों के अंतर्गत शामिल किया गया है.

घ) "एचटीएम" श्रेणी के अंतर्गत निवेशों के उन्मोचन पर प्राप्त लाभों को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है और फिर उसे प्रारक्षित निधि खाते में अंतरित कर दिया गया है.

ङ) "एएफएस" श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को अखिल भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) और भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित दर पर स्क्रिप-वार, बाजार दर के अनुरूप निर्धारित किया गया है. "एएफएस" के रूप में वर्गीकृत श्रेणी वाले निवेशों के लिए निवल मूल्यह्रास (यदि कोई है) का प्रावधान किया गया है और मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया गया है. पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् एकल स्क्रिप के अंकित मूल्य को नहीं बदला गया है.

च) "एचएफटी" श्रेणी के अंतर्गत, निवेशों को अखिल भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) और भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित दर पर, स्क्रिप-वार, बाजार दर के अनुरूप निर्धारित किया गया है. "एचएफटी" श्रेणीकृत निवेशों के लिए मूल्यह्रास /मूल्यवृद्धि को मान्य किया गया है. पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् एकल स्क्रिप के अंकित मूल्य को बदला गया है.

छ) सहायक संस्थाओं, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी संस्थाओं में किए गए निवेशों को परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है.

ज) खजाना बिलों, वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाण-पत्रों का मूल्य वहन लागत पर लिया गया है.

झ) जिन कंपनियों में निवेश किया गया है यदि उनके अद्यतन लेखापरीक्षित आंकड़े उपलब्ध हैं तो अनकोटेड शेयरों का मूल्य ब्रेकअप मूल्य पर लिया गया है अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रति कंपनी ₹ 1/- पर उनका मूल्य निर्धारित किया गया है.

ञ) अधिग्रहण के समय गैर-सूचीबद्ध इक्विटी समेत निवेश के लिए भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन आदि को राजस्व के अंतर्गत प्रभारित किया गया है.

ट) शेयर बाजार में शेयरों के अधिग्रहण/बिक्री के समय भुगतान किए गए ब्रोकरेज को पूंजीकृत किया गया है.

ठ) ऋण निवेश पर अदा/प्राप्त किए गए खंडित अवधि के ब्याज को ब्याज व्यय/आय के रूप में माना गया है और लागत/बिक्री हेतु उसे नहीं लिया गया है.

ड) विभिन्न श्रेणियों के बीच प्रतिभूति के अंतरण को, अंतरण की तारीख को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से जो कम हो, उस पर हिसाब में लिया गया है और अंतरण के बाद यदि कोई मूल्यह्रास है तो उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है.

ढ) सरकारी प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन पर परिशोधन/लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

ण) निवेशों के लेखांकन के लिए भारित औसत लागत प्रणाली अपनाई गई है.

त) उद्यम पूंजी निधि में निवेश का लेखांकन संबंधित निधि द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुसार किया गया है.

8. अग्रिम और उनके लिए प्रावधानः

क) अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है. आवधिक समीक्षा के आधार पर और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रावधान के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुरूप पहचाने गए अग्रिमों के संबंध में मानक आस्तियों ओर अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किया गया है.

ख) अग्रिमों की पुन: संरचना/पुन: अनुसूचीकरण के मामले में, मूल करार के अनुसार भावी मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य और संशोधित करार के अनुसार भावी मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर के लिए प्रावधान किया गया है.

ग) अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधानों को उनसे घटा कर दिखाया गया है.

घ) निधियों से प्रदान किए गए ऋणों में से अनर्जक ऋणों के लिए प्रावधान को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

9. विदेशी मुद्रा लेन-देनः

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में जारी लेखा मानक (एएस-11) (संशोधित 2003) के अनुसार विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन प्रबंध निम्नानुसार किया गया है:

क) वर्ष के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा विनिमय दर (पिछले वर्ष तक एफईडीएआई की दरों का इस्तेमाल करते हुए) पर विदेशी मुद्रा की आस्तियों और देयताओं का पुन: मूल्यांकन किया गया है और उसे तुलन पत्र में कॉण्ट्रा मद (तुलन पत्र से इतर मद के रूप में) प्रकट किया गया है. विदेशी मुद्रा में उधार की देयता को पूर्णतः हेज़ किया गया है और उसे तुलन पत्र में संविदागत मूल्य पर दर्शाया गया है (तुलन पत्र से इतर मद के रूप में) पुन: मूल्यांकन के पश्चात् प्राप्त विनिमय अंतर को लाभ और हानि खाते में विदेशी जमा और उधारों के पुन: मूल्यांकन पर अधिलाभ/घाटा शीर्ष के अंतर्गत प्रभारित किया जाता है.

ख) आय और व्यय मदों को लेनदेन की तारीख को लागू विनिमय दरों के हिसाब से परिवर्तित कर दिया गया है.

10. विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं हेतु लेखांकन

क) विदेशी विनिमय संविदाएं विदेशी मुद्रा उधारों की चुकौती को हेज़ करने के लिए की गई हैं.

ख) वर्ष के अंत में हेज नहीं की गई विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं का एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुन: मूल्यांकन किया गया है. पुन: मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अधिलाभ/घाटे को लाभ और हानि खाते में वायदा विनिमय संविदा खातों के पुन: मूल्यांकन पर प्राप्त अधिलाभ/घाटा शीर्ष के अंतर्गत मान्य किया गया है. प्रीमियम/ डिस्काउंट को संविदा जारी रहने की अवधि के लिए हिसाब में लिया गया है.

ग) विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं के निरसन और नवीकरण पर अधिलाभ/घाटे को लाभ और हानि खाते में 'वायदा विनिमय संविदा खातों के पुन: मूल्यांकन पर अधिलाभ/घाटा' शीर्ष के अंतर्गत मान्य किया गया है.

11. कर्मचारी लाभः

भारतीय रिजर्व बैंक से स्थानांतरित सभी कार्मिक बैंक के कर्मचारी समझे गए हैं और तदनुसार कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान किए गए हैं. प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर यथा आवश्यक बीमांकिकी मूल्यांकन किया गया है.

क) अल्पावधि कर्मचारी लाभः

अल्पावधि कर्मचारी लाभों, जिनका भुगतान कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में अपेक्षित है, की अबट्टाकृत राशि उसी अवधि के लिए मानी गई है जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं.

ख) सेवानिवृत्ति-पश्चात् लाभः

i) परिभाषित अंशदान योजना

उन सभी पात्र कर्मचारियों, जिन्होंने 31 दिसंबर 2011 को या उससे पहले बैंक में कार्यभार ग्रहण किया है, के लिए बैंक में भविष्य निधि योजना है. इस योजना का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक करता है. अंशदान उपचय आधार पर मान्य किए गए हैं.

बैंक ने उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) आरंभ की है जो 01 जनवरी 2012 को या उसके बाद बैंक की सेवाओं में आए हैं. बैंक ने एक परिभाषित अंशदान योजना 'एनपीएस-कारपोरेट सेक्टर मॉडल' को अपनाया है जो पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकारण (पीएफआरडीए) द्वारा तैयार की गई है. निधि में अंशदान उपचय आधार पर किए जाते हैं.

ii) परिभाषित लाभ योजना

क) सभी पात्र कर्मचारियों के संबंध में प्रक्षेपित इकाई जमा प्रणाली के आधार पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में ग्रेच्युटी का प्रावधान किया जाता है. इस योजना के लिए निधि बैंक प्रदान करता है तथा इसका प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है. बीमांकिक लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में उपचय के आधार पर मान्य किया गया है.

ख) 31 दिसंबर 2011 को या उससे पहले बैंक में कार्यभार ग्रहण करनेवाले सभी पात्र कर्मचारियों के पेंशन के लिए प्रावधान बीमांकीय मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है. इस योजना के लिए निधि बैंक प्रदान करता है तथा इसका प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है.

iii) अन्य दीर्घावधि लाभ

बैंक के सभी पात्र कर्मचारी प्रतिपूरक अनुपस्थितियों के लिए पात्र हैं. सभी पात्र कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभों के लिए पात्र हैं. अन्य प्रदत्त दीर्घावधि लाभों की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर इकाई लागत पद्धति का प्रयोग करके बीमांकिकी मूल्यन के आधार पर किया जाता है. बीमांकीय लाभ या घाटे को लाभ और हानि खाते में उपचय आधार पर दर्शाया गया है.

12 आय पर कर

क) आय कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुरूप परिगणित कर योग्य आय और कर जमाओं एवं निर्धारणों/अपीलों के संभावित परिणाम के आधार पर चालू अवधि के लिए आय पर कर का निर्धारण किया गया है.

ख) आस्थगित कर की पहचान समयजन्य अंतर अर्थात् वर्ष के लिए कर-योग्य आय और लेखागत आय के बीच के अंतर के आधार पर की गई है और कर की दरों और तुलनपत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार अधिनियमित कानूनों या स्थानापन्न रूप से अधिनियमित कानूनों का उपयोग करते हुए उनकी राशि निर्धारित की गई है.

ग) अवशोषित न हुए मूल्यह्रास/ व्यावसायिक हानियों से संबंधित आस्थगित कर आस्तियों की पहचान कर उन्हें उस सीमा तक आगे ले जाया गया है,जहां लगभग यह निश्चित हो जाए कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके समक्ष ऐसी आस्थगित आस्तियों की वसूली की जा सकेगी.

घ) निधियों से अर्जित कर योग्य आय पर अदा किए गए/ प्रावधान किए गए कर की गणना संबंधित निधि के व्यय के रूप में की गई है.

13. खंड रिपोर्टिंग

क) खंड राजस्व में, खंड से सीधे संबंधित/ खंड को आबंटन योग्य ब्याज और अन्य आय शामिल हैं.

ख) जो आय संपूर्ण बैंक से संबंधित है और जिसे किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता, उसे अन्य आबंटित न की जा सकने योग्य बैंक आय' में शामिल किया गया है.

ग) जो व्यय किसी खंड से सीधे संबंधित/ खंड को आबंटन-योग्य हैं, उन्हें उनके खंड का परिणाम निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिया गया है. ऐसे व्यय जिनका संबंध संपूर्ण बैंक से है और जिन्हें किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता, उनको 'अन्य आबंटित न किए जा सकने योग्य व्यय' में शामिल किया गया है.

घ) खंड आस्तियों और देयताओं में संबंधित खंड से सीधे जुड़ी आस्तियां और देयताएं शामिल हैं. आबंटित न की जा सकने योग्य आस्तियों और देयताओं में संपूर्ण बैंक से संबंधित किसी खंड को आबंटित नहीं की जा सकने योग्य आस्तियां और देयताएं शामिल हैं.

14. आस्तियों की क्षतिग्रस्तता

क) प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को आस्तियों की अंकित राशि की जांच क्षतिग्रस्तता के लिए की जाती है ताकि निम्नलिखित का निर्धारण किया जा सके :

i) यदि क्षतिग्रस्तताजन्य कोई हानि हुई हो तो उसके लिए आवश्यक प्रावधान; अथवा

ii) पिछली अवधि में मान्य की गई क्षतिग्रस्तताजन्य हानि का प्रत्यावर्तन यदि कोई हो तो, किया जा सके.

ख) क्षतिग्रस्तताजन्य हानि तब मानी गई है जब किसी आस्ति की धारिता राशि उससे वसूली योग्य राशि से अधिक हो.

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

15.1 प्रावधानों के लिए केवल उन्हीं देयताओं को मान्य किया जाता है जिनका आकलन वास्तविक स्तर पर किया जा सके यदि,

क) किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप बैंक का कोई वर्तमान दायित्व हो,

ख) दायित्वों के निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना हो, और

ग) देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो.

15.2 आकस्मिक देयता को निम्नलिखित मामलों में प्रकट किया गया:

क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जब इसकी संभावना नहीं हो कि दायित्व को पूरा करने के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी,

ख) किसी वर्तमान दायित्व का वास्तविक अनुमान संभव नहीं हो, और

ग) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जहां संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता हो.

15.3 आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्य किया गया है और न ही उन्हें प्रकट किया गया है.

15.4 प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों की समीक्षा की गई है.

16. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरणियों के प्रयोजन के लिए बैंक में नकदी, हाथ में नकदी, बैंक में मांग जमा राशि और अन्य अल्पावधि निवेश शामिल हैं जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन माह या उससे कम है.

17. भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (आईएनडी एएस)

एमसीए द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2016 को जारी प्रेस विज्ञप्ति सं.11/10/2009 सीएल-वी के तहत बैंकों को 01 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाली लेखा अवधि और आगे के लिए इंड एएस आधारित वित्तीय विवरण तैयार करने होंगे जिन्हें 31 मार्च 2018 और इसके बाद समाप्त होने वाली अवधि से तुलनात्मक होना होगा.

बैंक में लेखांकन प्रणाली में होने वाले परिवर्तनों और इंड एएस के कार्यान्वयन के प्रभावों का मूल्यांकन किया जाएगा. उप प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक संचालन समिति गठित की गई है जिसमें बेसेल III पूंजी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूंजी पर्याप्तता सहित बैंक के वित्तीय विवरणों पर उपर्युक्त समय सीमा के अनुसार कार्यान्वयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बैंक प्रयास कर रहा है.

आ. लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

1. केएफडब्ल्यू-जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यू) के साथ हुए करार के अनुसार यूपीएनआरएम के अंतर्गत अभिवृद्धि/आय तथा व्ययों को निधि में प्रभारित किया गया है. इस निधि से दिए गए ऋण को प्रत्यक्ष ऋण की श्रेणी में रखा गया है और इसे अनुसूची 12 में प्रकट किया गया है. यूपीएनआरएम संबंधी उधार को 'अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से उधार' की श्रेणी में रखा गया है और इसे अनुसूची 8 के तहत प्रकट किया गया है.

   वर्ष के दौरान केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम योजना के अंतर्गत दिए गए ऋणों हेतु अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान करने के लिए तथा यूपीएनआरएम निधि के अभाव के कारण ₹6.51 करोड़ की राशि को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

2. प्रबंधन तंत्र द्वारा किए गए अनुमोदन/तत्संबंधी करारों के अनुसार निम्नलिखित निधियों में अप्रयुक्त शेष पर ब्याज को जमा किया गया है. संबंधित निधियों के लिए ब्याज दरों के विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	निधि का नाम	2016-17 के लिए ब्याज दर	2015-16 के लिए ब्याज दर
1.	वॉटरशेड विकास निधि	6%	6%
2.	केएफ़डबल्यू - एनबी इंडोजर्मन वॉटरशेड विकास कार्यक्रम (आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान)	6%	6%
3.	केएफ़डबल्यू - सहबद्ध उपाय	6%	6%
4.	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि	6%	6%
5.	आदिवासी विकास निधि	6%	6%
6.	वित्तीय समावेशन निधि	6%	6%
7	केएफ़डबल्यू नाबार्ड-V आदिवासी विकास कार्यक्रम-गुजरात	6%	6%
8.	पशुधन विकास निधि (उत्तर प्रदेश और बिहार)	7.46%	7.88%
9	गरीबी उन्मूलन के लिए बहु गतिविधि दृष्टिकोण (सुल्तानपुर और रायबरेली)	7.46%	7.88%
10	सेंटर फॉर प्रॉफेशनल एक्सलेन्स इन को -ऑपरेटिवज़	7.46%	7.88%
11	केएफ़डबल्यू नाबार्ड IX- आदिवासी विकास कार्यक्रम - महाराष्ट्र	7.46%	--

3. भारत सरकार/ अंतरराष्ट्रीय एजेन्सियों (तुलन पत्र की अनुसूची-13 देखें) से वसूली योग्य ₹71.05 करोड़ (₹17.29 करोड़) में विविध निधियों का नामे अधिशेष शामिल है. ऐसी निधियों का विवरण निम्नानुसार है.

(₹करोड़)

क्रम सं.	निधि का नाम	31-03-2017	31-03-2016
1	केएफ़डबल्यू - यूपीएनआरएम- सहबद्ध उपाय	1.84	---
2	केएफ़डबल्यू - एनबी इंडोजर्मन वॉटरशेड विकास कार्यक्रम (राजस्थान)	0.00	5.31
3	केएफ़डबल्यू - मृदा परियोजना	11.47	---
4	केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम निधि	27.45	11.44
5	केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम - वित्तीय अंशदान	0.53	0.39
6	आईएफएडी- एमआरसीपी	0.00	0.06
7	अन्य	29.76	0.09

4. पिछले वर्ष बंद हो चुकी सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि (एमएफडीईएफ) के संबंध में अंशदाताओं की बकाया राशियों में विविध लेनदारों की ₹30.67 करोड़ (₹32.12 करोड़) की राशि शामिल है. नाबार्ड के हिस्से की राशि ₹1.46 करोड़ लाभ और हानि विनियोजन खाते में ली गयी है.

5. भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसरण में वाणिज्य बैंकों द्वारा जमा की गई ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) जमाराशियां, अल्पावधि सहकारी ग्रामीण पुनर्वित्त निधि (एसटीसीआरसी) जमाराशियां, अल्पावधि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि (एसटीआरआरबी) जमाराशियां और भंडारागार आधारभूत सुविधा विकास निधि (डब्ल्यूआईएफ) जमाराशियों में उपलब्ध 0.5 प्रतिशत से अधिक संबंधित मार्जिन बैंक को उपलब्ध होता है. इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वॉटरशेड विकास निधि, आदिवासी विकास निधि और वित्तीय समावेशन निधि में जमा किया गया. पिछले वर्ष, ये राशियां आदिवासी विकास निधि और वित्तीय समावेशन निधि में जमा की गई थीं.

6. भारत सरकार के साथ हुए करार के अनुसार, दीर्घावधि सिंचाई निधि में यदि 0.60% से अधिक का मार्जिन, यदि हो तो, उसे "एलटीआईएफ उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि" में अंतरित कर दिया जाएगा, जिसका उपयोग सापेक्ष मार्जिन के 0.60% से कम होने की अवधि के दौरान किया जाएगा. वर्ष के दौरान ₹2.52 करोड़ की राशि अतिरिक्त मार्जिन से अर्जित होने के नाते, ब्याज प्राप्त खाता से 'एलटीआईएफ उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि' में अंतरित कर दिया गया है.

7. नाबार्ड द्वारा लिए जाने वाले उधार की लागत और पुनर्वित्त की दर के बीच के अंतर को भारत सरकार से ₹422.36 करोड़ (₹1353.14 करोड़) की मौसमी कृषि परिचालनों (एसएओ) के अंतर्गत और ₹20.24 करोड़ (₹17.12 करोड़) की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत प्राप्त/ प्राप्य सहायता की राशि को ब्याज और वित्तीय प्रभारों से घटाया गया और उसे उपचित ब्याज में दर्शाया गया तथा उसका प्रकटन अनुसूची 13 में किया गया है.

8. अन्य प्राप्तियों में ब्याज सहायता योजना अंतर्गत राज्य सहकारी बैंकों, क्षेग्रा बैंकों और मस बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मौसमी कृषि परिचालनों और एनआरएलएम योजना के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) को पुनर्वित्त देने पर हुए प्रशासनिक व्ययों के रूप में भारत सरकार से प्राप्त/ प्राप्त होने वाली ₹126.35 करोड़ (₹168.43 करोड़) की राशि भी शामिल है.

9. बैंक कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है. 01 नवंबर 2012 से लंबित समीक्षा का निपटान 01 मार्च 2017 को किया गया और बैंक सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की गणना कर रहा है. 31 मार्च 2016 तक के बकाया वेतन और भत्तों के लिए ₹538 करोड़ का प्रावधान किया गया था जो अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त है. चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया है. अधिवर्षिता लाभ पर वेतन संशोधन के प्रभाव को गणना में लिया गया है.

10. वर्ष के दौरान बैंक ने लेखांकन मानक 22 "आय पर करों का लेखांकन" के अनुसरण में, ₹18.67 करोड़ (₹11.06 करोड़) के आस्थगित कर को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया. आस्थगित कर का विवरण निम्नानुसार है :

(₹करोड़)

क्रम सं.	आस्थगित कर आस्तियां	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
1	भुगतान के आधार पर अनुमन्य प्रावधान	149.64	124.97
2	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	31.55	37.55
	जोड़	**181.19**	**162.52**

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत निर्मित विशेष प्रारक्षित निधि के कारण आस्थगित कर के लिए प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि बैंक ने उक्त प्रारक्षित निधि आहरित न करने का निर्णय लिया है.

11. कर निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए बैंक की कर देयता की राशि आयकर विभाग द्वारा ₹373.15 करोड़ निर्धारित की गई है. बैंक ने इस राशि का प्रावधान किया था और इस राशि का भुगतान कर दिया गया है. तथापि, बैंक ने सीआईटी-अपील के उक्त आदेश के विरुद्ध आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है.

12. आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान कर निर्धारण वर्ष 2006-07 के कर निर्धारणों को पुनः खोला. आय का पुनः निर्धारण करते हुए बैंक की आय में ₹343.21 करोड़ की राशि को जोड़ा गया. उपर्युक्त में से,
   (क) आरआईडीएफ के अंतर्गत विभेदक ब्याज के कारण हिसाब में लिए गए ₹132.08 करोड़ की राशि जोड़ दी गई है जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वॉटरशेड विकास निधि में जमा की गई थी.
   (ख) इसके अतिरिक्त, ₹211.13 करोड़ की राशि अन्य खाता पर आय में जोड़ दी गई. प्रबंधन के मतानुसार इन जोड़ी गई अतिरिक्त राशियों से कर बहिर्गमन की बहुत ही कम संभावना है. बैंक ने सीआईटी-अपील में उक्त आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है और कर निर्धारण अधिकारी के पास भी सुधार हेतु आवेदन किया है. अपील/ सुधार हेतु किए गए आवेदन का परिणाम लंबित है. अतः बैंक ने निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार, वाटरशेड विकास निधि शीर्ष के अंतर्गत कर और ब्याज राशि को मिलाकर ₹97.83 करोड़ की राशि को निधि के व्यय के रूप में हिसाब में लिया है.
   (ग) बैंक ने गत वर्षों के करों के समायोजन के माध्यम से ₹254.22 करोड़ की कुल मांग में से ₹162.16 करोड़ की राशि का भुगतान कर दिया है और पुन: कर निर्धारण के विरुद्ध सीआईटी (ए) के पास अपील दायर की है.
   (घ) सीआईटी (ए) ने अपने 26 फरवरी 2016 के आपने आदेश के द्वारा नाबार्ड की अपील को मान्य ठहराया है और आयकर विभाग द्वारा पूर्ण हो चुके कर निर्धारण को पुन: खोलने के विरुद्ध अपना फैसला दिया है. विभाग ने आईटीएटी, मुंबई में सीआईटी (ए) के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है.

13. कर-निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए पुन: कर-निर्धारण के दौरान (वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान पुन: खोला गया) आरआईडीएफ के अंतर्गत विभेदक ब्याज के कारण ₹157.47 करोड़ की अतिरिक्त कर देयता का निर्धारण किया गया था. बैंक ने चालू वर्ष के दौरान जनजाति विकास निधि' पर प्रभारित ₹27.46 करोड़ की उक्त देयता का भुगतान किया है. तथापि, बैंक ने उक्त आदेश के विरुद्ध सीआईटी-अपील में अपील दायर की है. वर्ष 2015-16 के दौरान, सीआईटी (ए) ने 30 मार्च 2016 के अपने आदेश के द्वारा नाबार्ड की अपील को मान्य ठहराया और आयकर विभाग द्वारा पूर्ण हो चुके कर निर्धारण को पुन: खोलने के विरुद्ध अपना फैसला दिया है. 2016-17 के दौरान, सीआईटी (ए) के आदेश के अनुसार, ₹179.09 करोड़ की राशि रिफंड के रूप में प्राप्त हुई है. आयकर विभाग ने सीआईटी (ए) के आदेश के विरुद्ध आईटीएटी, मुंबई में अपील फाइल की है. आईटीएटी के साथ लंबित अपील के मद्देनजर आईटी विभाग से प्राप्त ब्याज सहित रिफंड को आयकर रिफंड खाते में रखा गया है.

14. वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान कर निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए कर निर्धारण को आयकर विभाग ने पुन: खोला और आरआईडीएफ/ एसटीसीआरसी के अंतर्गत विभेदक ब्याज पर ₹174.59 करोड़ की अतिरिक्त कर देयता निर्धारित की गई. बैंक ने पिछले वर्षों में उक्त देयता का भुगतान किया है और उक्त आदेश के विरुद्ध सीआईटी-अपील के पास अपील दायर की है. वर्ष 2015-16 के दौरान सीआईटी (ए) ने अपने 30 मार्च 2016 के आदेश के द्वारा नाबार्ड की अपील को मान्य ठहराया है और आयकर विभाग द्वारा पूर्ण हो चुके कर निर्धारण को पुन: खोलने के विरुद्ध अपना फैसला दिया है. 2016-17 के दौरान, सीआईटी (ए) के आदेश के अनुसार, ₹28.81 करोड़ ब्याज सहित ₹174.59 करोड़ की राशि रिफंड के रूप में प्राप्त हुई है. आयकर विभाग ने सीआईटी (ए) के आदेश के विरुद्ध आईटीएटी, मुंबई में अपील दायर की है. आईटीएटी के साथ लंबित अपील के मद्देनजर आयकर विभाग से प्राप्त ब्याज सहित रिफंड को आयकर रिफंड खाते में रखा गया है.

15. वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान आयकर विभाग ने कर निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए कर निर्धारण को पुन: खोला और आरआईडीएफ के विभेदक ब्याज और अन्य अमान्य राशियों जिन्हें पिछले वर्षों में बैंक द्वारा भुगतान की गई राशियों के लिए देय ₹256.90 करोड़ की मांग की तथा कर निर्धारण को पुन: खोलने के विरुद्ध सीआईटी(ए) के विरुद्ध अपील फाइल की. वर्ष 2015-16 के दौरान सीआईटी (ए) ने अपने 30 मार्च 2016 के आदेश के द्वारा नाबार्ड के अपील को मान्य ठहराया है और आयकर विभाग द्वारा पूर्ण हो चुके कर निर्धारण को पुन: खोलने के विरुद्ध अपना फैसला दिया है. 2016-17 के दौरान, सीआईटी (ए) के आदेश के अनुसार, ₹40.04 करोड़ ब्याज सहित ₹256.90 करोड़ की राशि रिफंड के रूप में प्राप्त हुई है. आयकर विभाग ने सीआईटी (ए) के आदेश के विरुद्ध आईटीएटी, मुंबई में अपील की है. आईटीएटी के साथ लंबित अपील के मद्देनजर आईटी विभाग से प्राप्त ब्याज सहित रिफंड आयकर रिफंड खाते में रखा गया है.

16. कर-निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए आय के निर्धारण के दौरान आरआईडीएफ/ एसटीसीआरसी और अन्य के अंतर्गत हिसाब में लिए गए विभेदक ब्याज के कारण ₹313.07 करोड़ की कर देयता निर्धारित की गई थी. बैंक ने पिछले वर्षों में उक्त देयता का भुगतान किया है. तथापि, बैंक ने उक्त आदेश के विरुद्ध सीआईटी-अपील में अपील दायर की है. वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान जनजाति विकास निधि' के अंतर्गत ₹276.66 करोड़ की कर राशि को हिसाब में लिया गया है. वर्ष 2015-16 के दौरान सीआईटी (ए) ने 26 फरवरी 2016 के अपने आदेश में आरआईडीएफ/एसटीसीआरसी के अंतर्गत हिसाब में लिए गए विभेदक ब्याज पर आयकर न वसूलने के लिए बैंक की अपील को मान्य ठहराया है. 2016-17 के दौरान, सीआईटी (ए) के आदेश के अनुसार, ₹61.34 करोड़ ब्याज सहित ₹285 करोड़ की राशि रिफंड के रूप में प्राप्त हुई है. आयकर विभाग ने सीआईटी (ए) के आदेश के विरुद्ध आईटीएटी, मुंबई में अपील दायर की है. आईटीएटी के साथ लंबित अपील के मद्देनजर आईटी विभाग से प्राप्त ब्याज सहित रिफंड आयकर रिफंड खाते में रखा गया है.

17. कर निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए कर निर्धारण के दौरान आरआईडीएफ/ एसटीसीआरसी और अन्य के अंतर्गत विभेदक ब्याज के लिए ₹424.95 करोड़ की कर देयता निर्धारित की गई. बैंक ने पिछले वर्षों में उक्त देयता का भुगतान किया है. तथापि, बैंक ने सीआईटी-अपील में उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है.

18. कर निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए आयकर विभाग ने आरआईडीएफ/एसटीसीआरसी के अंतर्गत हिसाब में लिए गए विभेदक ब्याज की राशि जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, आदिवासी विकास निधि में जमा की गयी थी, में ₹1002.68 करोड़ की राशि को जोड़ा है. इसके अलावा, संवर्धनात्मक गतिविधियों पर अमान्य किए गए व्ययों और अन्य अमान्य किए गए व्ययों के कारण ₹145.90 करोड़ की राशि को बैंक की आय में जोड़ा गया है. बैंक ने पिछले वर्षों में देयता का भुगतान किया है. तथापि, बैंक ने सीआईटी-अपील के साथ उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है.

19. कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए आयकर विभाग ने आरआईडीएफ/एसटीसीआरसी के अंतर्गत हिसाब में लिए गए विभेदक ब्याज की राशि, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, आदिवासी विकास निधि में जमा किया गया था, में ₹1156.05 करोड़ की राशि को जोड़ा है. इसके अलावा, संवर्धनात्मक गतिविधियों पर अमान्य किए गए व्ययों और अन्य अमान्य किए गए व्ययों के कारण ₹20.56 करोड़ की राशि को बैंक की आय में जोड़ा गया है. तथापि, बैंक ने सीआईटी-अपील के साथ उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है.

20. वर्ष के दौरान, आयकर विभाग ने कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए आरआईडीएफ/एसटीसीआरसी के अंतर्गत हिसाब में लिए गए विभेदक ब्याज की राशियों, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वॉटरशेड विकास निधि, आदिवासी विकास निधि और वित्तीय समावेशन निधि में जमा किया गया था, में ₹1289.70 करोड़ की राशि को जोड़ा है. इसके अलावा, संवर्धनात्मक गतिविधियों पर अमान्य किए गए व्यय और अन्य अमान्य किए गए व्ययों के कारण ₹36.00 करोड़ की राशि को बैंक की आय में जोड़ा गया है. तथापि, बैंक ने सीआईटी-अपील के साथ उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है.

21. वर्ष के दौरान, आयकर विभाग ने कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए आरआईडीएफ/एसटीसीआरसी के अंतर्गत हिसाब में लिए गए विभेदक ब्याज की राशियों जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वॉटरशेड विकास निधि, आदिवासी विकास निधि और वित्तीय समावेशन निधि में जमा किया गया था, में ₹1259.67 करोड़ की राशि को जोड़ा है. इसके अलावा, संवर्धनात्मक गतिविधियों पर अमान्य किए गए व्यय और अन्य अमान्य किए गए व्ययों के कारण ₹61.33 करोड़ की राशि को बैंक की आय में जोड़ा गया है. तथापि, बैंक ने सीआईटी-अपील के साथ उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है.

22. 'पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और लीज भूमि' और 'परिसर' में ₹16.00 करोड़ (₹19.58 करोड़) की राशि कार्यालय परिसर और स्टाफ क्वाटर्स के लिए भुगतान की गई जिनका हस्तांतरण अभी पूरा नही हुआ शामिल है.

23. सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशों के अंतर्गत निम्नलिखित उधारों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के साथ गिरवी प्रतिभूतियां शामिल हैं :

(राशि ₹ करोड़)

विवरण	अंकित मूल्य	बही मूल्य
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (प्रतिभूतियां)	65.00 (40.00)	63.51 (40.22)
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (संपार्श्विक उधार और ऋण वितरण दायित्व)	8751.68 (4892.86)	9000.53 (4810.12)
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (प्रतिभूतियां) डिफाल्ट फंड	3.00 (0.00)	3.13 (0.00)
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (संपार्श्विक उधार और ऋण वितरण दायित्व) डिफाल्ट फंड	5.00 (0.00)	4.63 (0.00)

24. नाबार्ड द्वारा परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत धारित सभी निवेशों का बाजार मूल्य ₹4098.02 करोड़ के बही मूल्य के समक्ष बाजार मूल्य ₹5107.50 करोड़ था. इसमें से ₹132.77 करोड़ के बही मूल्य के समक्ष उद्यम पूंजी निधि में निवेश का बाजार मूल्य ₹156.87 करोड़ था. तदनुसार, बाजार मूल्य से बही मूल्य की बढ़ी हुई अंतर राशि ₹24.10 (₹3.40) करोड़ थी जिसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कोई प्रावधान नहीं किया गया.

25. आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन, सहायक कंपनियों द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए प्रस्तावित लाभांश:

(₹करोड़)

क्रम संख्या	सहायक संस्थाएं	प्रस्तावित लाभांश
1	नाबार्ड कन्सलटेंसी प्रा.लि.(नैबकॉन्स)	0.60
2	नैबसमृद्धि	0.32

26. अनर्जक निवेश :

(₹करोड़)

क्रसं	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
(i)	**निवल अनर्जक निवेशों के समक्ष निवल निवेश**	**0.00**	**0.00**
(ii)	**अनर्जक निवेश में बदलाव (सकल)**		
क	अथ शेष	16.00	16.00
ख	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	0.00	0.00
ग	वर्ष के दौरान घटाई गई राशि	0.00	0.00
घ	अंत शेष	16.00	16.00
(iii)	**निवल अनर्जक निवेश में बदलाव**		
क	अथ शेष	0.00	0.00
ख	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	0.00	0.00
ग	वर्ष के दौरान घटाई गई राशि	0.00	0.00
घ	अंत शेष	0.00	0.00
(iv)	**अनर्जक निवेश के प्रावधानों में बदलाव**		
क	अथ शेष	16.00	16.00
ख	वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.00	0.00
ग	अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे खाते में डाला/ वापस किया	0.00	0.00
घ	अंत शेष	16.00	16.00

वायदा बाज़ार आयोग (एफएमसी) के जुलाई 2014 में दिए गए निर्देशों के अनुसरण में यूनिवर्सल कमॉडिटी एक्सचेंज (यूसीएक्स) को पण्य विनिमय में परिचालन करने पर रोक लगाने के कारण यूनिवर्सल कमॉडिटी एक्सचेंज (यूसीएक्स) में किए गए ₹ 16.00 करोड़ के निवेश को अनर्जक निवेश माना गया. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इस कंपनी में किए गए निवेश का मूल्य ₹ 1/- माना गया है.

27. उधार / ऋण व्यवस्था, ऋण एक्सपोज़र और अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

क. उधार और ऋण व्यवस्था का संकेन्द्रण

(₹करोड़)

क्रसं	विवरण	2016-17	2015-16
(i)	बीस सबसे बड़े ऋणदाताओं से कुल उधार	168502.98	167258.02
(ii)	कुल उधारों से बीस सबसे बड़े ऋणदाताओं के उधार का प्रतिशत	86.67	88.13

ख. ऋण एक्सपोज़र का संकेन्द्रण

(₹करोड़)

क्रसं	विवरण	2016-17	2015-16
(i)	बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का एक्सपोज़र	170052.61	131217.45
(ii)	एआईएफआई के कुल अग्रिमों से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के एक्सपोज़र का प्रतिशत	55.05	45.06

28. तुलन-पत्र की तारीख पर पूंजीगत अंशदान का पैटर्न:

निम्नलिखित विवरण के अनुसार 31 मार्च 2017 की स्थिति पर नाबार्ड के प्रदत्त पूंजी में भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक की शेयरधारिता का अनुपात 99.60% : 00.40% था:

(₹करोड़)

योगदानकर्ता	31 मार्च 2017		31 मार्च 2016	
भारतीय रिज़र्व बैंक	20.00	0.40%	20.00	0.40%
भारत सरकार	4,980.00	99.60%	4,980.00	99.60%
कुल	**5,000.00**	**100.00%**	**5,000.00**	**100.00%**

नाबार्ड ने शेयर पूंजी के लिए भारत सरकार से ₹1400 करोड़ (₹300 करोड़) की राशि प्राप्त की है और इसे प्राधिकृत पूंजी के विस्तार होने के लंबित रहने तक पूंजीगत खाते में अग्रिम के रूप में रखा गया है.

29. लेखा मानक 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां" की अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक आकस्मिक देयताओं में उतार-चढ़ाव निम्नानुसार रहे.

(₹करोड़)

विवरण	2016-17	2015-16
प्रारंभिक शेष	0.29	0.00
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	16.65	0.29
वर्ष के दौरान घटाई गई राशि	0.00	0.00
अंत शेष	16.94	0.29

30. लाभ और हानि खाते में शामिल पूर्व अवधि मदें निम्नानुसार हैं:

(₹करोड़)

क्र.सं.	विवरण	2016-17	2015-16
1.	आय	11.61	0.01
2.	राजस्व व्यय	0.00	0.02
3.	सेवानिवृत्ति पश्चात् के चिकित्सा लाभ	0.00	0.00
4.	निधि व्यय	0.00	0.00
कुल		**11.61**	**-0.01**

31. व्यवसाय खंड के संबंध में सूचना

(क) **संक्षिप्त पृष्ठभूमि**

बैंक का मान्यता प्राप्त प्राथमिक व्यवसाय खंड निम्नवत् हैं :

i) **प्रत्यक्ष वित्तपोषण:** ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास हेतु राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों को दिया गया ऋण, सह वित्तपोषण ऋण और स्वैच्छिक एजेन्सियों/ गैर-सरकारी संगठनों को विकासात्मक गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण और सहकारी बैंकों को दिए गए अन्य प्रत्यक्ष ऋण इस खंड में शामिल हैं.

ii) **पुनर्वित्त:** इसमें राज्य सरकारों, वाणिज्य बैंकों, रासकृग्रावि बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों इत्यादि को उनके द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं को संवितरित ऋणों के समक्ष प्रदत्त पुनर्वित्त शामिल है.

iii) **ट्रेजरी:** इसमें ट्रेजरी बिलों, अल्पावधि जमाराशियों, सरकारी प्रतिभूतियों इत्यादि के अंतर्गत निधियों का निवेश शामिल है.

iv) **अनाबंटित:** इस खंड में स्टाफ को दिए गए ऋणों और अन्य विविध प्राप्तियों से आय और बैंक की विकासात्मक भूमिका के लिए किए व्यय और सामान्य प्रशासनिक व्ययों को शामिल किया गया है.

(ख) **प्राथमिक व्यवसाय खंड से संबंधित सूचना**

(राशि ₹करोड़)

विवरण	ट्रेज़री		पुनर्वित्त		प्रत्यक्ष वित्त		अन्य व्यवसाय		कुल	
व्यवसाय खंड	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
राजस्व	3026.69	2813.80	11317.47	10894.96	8007.01	7087.17	85.35	68.95	22436.52	20864.88
परिणाम	1391.24	2682.55	3085.85	1601.54	1431.75	996.58	-1479.84	-1117.47	4429.00	4163.20
अनाबंटित व्यय									542.29	455.94
परिचालन लाभ									3886.71	3707.26
आयकर									1197.50	1159.14
असाधारण लाभ/हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ									2689.21	2548.12
अन्य सूचनाएं										
आस्तियां खंड	33708.94	39740.50	181797.45	162734.93	129258.67	106402.19	3844.86	1825.01	348609.92	310702.63
देयता खंड	35365.39	16269.13	162534.44	158998.38	112451.43	102683.19	0.00	0.00	310351.26	277950.70
अनाबंटित देयताएं									38258.65	32751.93
कुल देयताएं									348609.92	310702.63

(ग) चूंकि बैंक का परिचालन भारत के भीतर ही होता है अत: रिपोर्ट करने योग्य कोई द्वितीय खंड नहीं है.

30. कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं.

31. गत वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक हुआ वहां, पुन: समूहित/ व्यवस्थित किया गया.

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
व्यास एंड व्यास
सनदी लेखाकार
कंपनी पंजीकरण सं.000590सी

ओ पी व्यास
साझेदार
सदस्यता सं.014081
गुवाहाटी
26 मई 2017

ए के साहू
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

हर्ष कुमार भनवाला
अध्यक्ष

आर अमलोरपवनाथन
उप प्रबंध निदेशक

बी. पी. कानूनगो
निदेशक

अनूप कुमार दाश
निदेशक

समेकित नकदी प्रवाह

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(राशि ₹हजार)

विवरण	2016-17	2015-16
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ के लिए समायोजन	3886,70,93	3707,26,07
मूल्यह्रास	28,61,99	27,05,26
प्रावधान और परिशोधन	(24,07)	12,65,99
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	9,41,39	75,78,34
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	173,43,36	52,13,36
पुन:संरचित ऋणों के छोड़े जाने वाले ब्याज हेतु प्रावधान	(3,25,42)	(11,95,58)
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ/ हानि	(21,47)	(20,34)
विभिन्न निधियों में जमा ब्याज (ब्याज अंतराल निधि में जुड़ाव/ समायोजन सहित)	277,73,56	248,73,34
निवेश से आय (छूट आय सहित)	(3021,79,15)	(2812,14,00)
परिचालन आस्तियों में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	**1350,41,12**	**1299,32,44**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों के लिए समायोजन :		
चालू आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी	200,19,25	1987,33,65
चालू देयताओं में वृद्धि/ (कमी)	2048,90,18	738,88,67
ऋण और अग्रिमों में वृद्धि (स्टाफ को आवास ऋण और अन्य अग्रिमों सहित)	(44844,41,99)	(14612,28,39)
परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी	**(41244,91,44)**	**(10586,73,63)**
आयकर का भुगतान - रिफ़ंड को घटाकर	833,61,59	(1295,09,74)
(उपर्युक्त में से वॉटरशेड विकास/ जनजाति विकास/ वित्तीय समावेशन निधि में नामे किए गए आरआईडीएफ/ एसटीसीआरसी विभेदक ब्याज पर कर देयता के लिए ₹372.03 करोड़ भुगतान किया गया)		
परिचालन गतिविधियों से सृजित निवल नकद प्रवाह (अ)	**(40411,29,85)**	**(11881,83,37)**
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
निवेश से आय (डिस्काउंट आय सहित)	3021,79,16	2810,47,69
अचल आस्तियों की खरीद	(74,01,98)	(69,68,86)
अचल आस्तियों की बिक्री	5,57,68	6,60,94
निवेश में वृद्धि/ कमी	6560,35,55	(9789,09,97)
निवेश गतिविधियों में प्रयोग की गई/सृजित निवल नकदी (आ)	**9513,70,41**	**(7041,70,20)**
(ग) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्राप्त अनुदान/ अंशदान	(110,83,44)	61,12,03
बाण्डों से प्राप्त राशि	11414,01,05	5116,00,00
उधारों में वृद्धि/ (कमी)	14343,45,21	11118,36,77
जमाराशियों में वृद्धि/ (कमी)	4628,48,24	3332,09,39
लाभांश पर कर	0	(12,00)
शेयर पूंजी में वृद्धि	1400,00,00	300,00,00
वित्तपोषण गतिविधियों से जुटाई गई निवल नकदी (इ)	**31675,11,06**	**19927,46,19**
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि (अ)+(आ)+(इ)	777,51,62	1003,92,62
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	**3356,03,33**	**2352,10,71**
वर्ष की समाप्ति पर नकदी और नकदी समकक्ष	**4133,54,95**	**3356,03,33**
1. वर्ष की समाप्ति पर नकदी और नकदी समकक्ष राशियों में शामिल हैं :	**2016-17**	**2015-16**
हाथ में रोकड़	36	23
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियां	2229,83,39	150,54,92
भारत में अन्य बैंकों में शेष राशियां	546,36,06	678,86,43
मार्गस्थ प्रेषण	8,29,39	35,07,80
संपार्श्वीकृत उधार और ऋण वितरण दायित्व	1349,05,75	2491,53,95
कुल	**4133,54,95**	**3356,03,33**

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

व्यास एंड व्यास
सनदी लेखाकार
(कंपनी पंजीकरण सं 000590सी)

ओ पी व्यास
साझेदार
(सदस्यता सं. 014081)
गुवाहाटी
तारीख : 26 मई 2017

ए के साहू
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग
गुवाहाटी
26 मई 2017

हर्ष कुमार भनवाला
अध्यक्ष

आर अमलोरपवनाथन
उप प्रबंध निदेशक

बी पी कानूनगो
निदेशक

अनूप कुमार दाश
निदेशक

नाबार्ड प्रधान कार्यालय, मुंबई के विभागों के ई-मेल पते

अध्यक्ष का सचिवालय	chairmansectt@nabard.org
उप प्रबंध निदेशक (श्री एच.आर.दवे) का सचिवालय	dmd.dave@nabard.org
उप प्रबंध निदेशक (श्री आर.अमलोरपवनाथन) का सचिवालय	dmd.amal@nabard.org
लेखा विभाग	ad@nabard.org
व्यवसाय पहल विभाग	bid@nabard.org
केन्द्रीय सतर्कता कक्ष	cvc@nabard.org
कारपोरेट संचार विभाग	ccd@nabard.org
कारपोरेट आयोजना विभाग	cpd@nabard.org
आर्थिक विश्लेषण और अनुसंधान विभाग	dear@nabard.org
वित्तीय समावेशन और बैंकिंग प्रौद्योगिकी विभाग	dfibt@nabard.org
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	dit@nabard.org
परिसर, सुरक्षा और अधिप्राप्ति विभाग	dpsp@nabard.org
पुनर्वित्त विभाग	dor@nabard.org
भंडारण और विपणन विभाग	dsm@nabard.org
पर्यवेक्षण विभाग	dos@nabard.org
सहायक संस्थाएं और युक्तिक निवेश विभाग	dssi@nabard.org
कृषि क्षेत्र विकास विभाग	fsdd@nabard.org
कृषि क्षेत्र नीति विभाग	fspd@nabard.org
वित्त विभाग	fd@nabard.org
मानव संसाधन प्रबंध विभाग	hrmd@nabard.org
निरीक्षण विभाग	id@nabard.org
संस्थागत विकास विभाग	idd@nabard.org
विधि विभाग	law@nabard.org
सूक्ष्म ऋण नवोन्मेष विभाग	mcid@nabard.org
नाबार्ड कन्सलटेंसी सर्विसेस	headoffice@nabcons.in
नैबकिसान फाइनेंस लिमिटेड	nabkisan@nabard.org
कृषीतर विकास विभाग	ofdd@nabard.org
राजभाषा प्रभाग	rajbhasha@nabard.org
जोखिम प्रबंध विभाग	rmd@nabard.org
सचिव विभाग	secy@nabard.org
राज्य परियोजना विभाग	spd@nabard.org

दूरभाष संख्या
स्वागत कक्ष : 022-26539895/96/99
शिष्टाचार व सुरक्षा : 022 - 26539046

क्षेत्रीय कार्यालय / कक्ष / प्रशिक्षण संस्थान

क्षेत्रीय कार्यालय/ कक्ष

अंडमान और निकोबार
नाबार्ड कॉम्प्लेक्स,
कामराज रोड(वीआईपी रोड)
डाकघर - जंगलीघाट
पोर्ट ब्लेयर- 744103
टेली. सं.: (03192) 233308,
फैक्स सं.: (03192) 237696
ई-मेल: portblair@nabard.org

आंध्र प्रदेश
1-1-61,आरटीसी क्रॉस रोड्स मुशीराबाद,
हैदराबाद- 500 020
टेली. सं.: (040) 27613152
फैक्स सं.: (040) 27612651
ई-मेल: apro@nabard.org

अरुणाचल प्रदेश
नाबार्ड टॉवर, बैंक तिनाली,
पोस्ट बाक्स सं 133
इटानगर-791 111
टेली. सं.: (0360) 2213856
फैक्स सं.: (0360) 2212675
ई-मेल: itanagar@nabard.org

असम
जी.एस.रोड,दिसपुर,
गुवाहाटी-781006
टेली. सं.:(0361) 2313228
फैक्स सं.: (0361) 2235657
ई-मेल: guwahati@nabard.org

बिहार
`बी' ब्लॉक,4थी और 5वीं मंजिल,
मौर्य लोक, कॉम्प्लेक्स, डाक बंगला रोड,
पटना- 800001
टेली: (0612) 2223985
फैक्स सं.: (0612) 2238424
ई-मेल:patna@nabard.org

महाराष्ट्र
54,वेलेस्ली रोड, शिवाजी नगर,
पुणे- 411005
टेली. सं.: (020) 25500176/ 25500172/
25541439
फैक्स सं.: (020) 25542250
ई-मेल: pune@nabard.org

छत्तीसगढ़
पहली व दूसरी मंजिल, पिथालिया
कॉम्प्लेक्स,ट्रंक एक्स्चेंज के सामने,
फाफाडीह चौक,के के रोड
रायपुर- 492009 (छत्तीसगढ़)
टेली. सं.: (0771) 2888499
फैक्स सं.: (0771) 2888498
ई-मेल:raipur@nabard.org

गोवा
तीसरी मंजिल, निज़ारी भवन, मेन्जेस
ब्रगॅन्जा रोड,पणजी- 403001
टेली. सं.:(0832) 2220490/2420504/
2420053
फैक्स सं.: (0832) 2223429
ई-मेल:panaji@nabard.org

गुजरात
नाबार्ड टॉवर, म्युनिसिपल गार्डन के सामने,
पोस्ट बॉक्स नं. 8 उस्मानपुरा,
अहमदाबाद- 380 013
टेली. सं.: (079)27552257/58/59
फैक्स सं.: (079)27551584
ई-मेल:ahmedabad@nabard.org

हरियाणा
प्लॉट नं.3,सेक्टर34 -ए,
चंडीगढ़-160022
टेली. सं.: (0172) 5046728/5046784
फैक्स सं.: (0172) 2604033
ई-मेल:haryana@nabard.org

हिमाचल प्रदेश
ब्लॉक-32, एसडीए कमर्शियल
कॉम्प्लेक्स,कासुंपति, शिमला- 171009
टेली. (0177)2622258 / 2624380 /
2623323
फैक्स सं.: (0177) 2622271
ई-मेल: shimla@nabard.org

नागालैंड
द्वारा एनएससीबी मुख्यालय प्रशासन
बिल्डिंग, चौथी मंजिल, खेरमहल, सर्कुलर
रोड, दीमापुर-797112
टेली. (03862) 234063/
235600/235601
फैक्स सं.: (03862) 227040
ई-मेल:dimapur@nabard.org

जम्मू और कश्मीर
नाबार्ड टॉवर्स, सरस्वती धाम के निकट
रेल हेड कॉम्प्लेक्स, रेलवे रोड,
जम्मू- 180012
टेली. सं.: (0191) 2472355
फैक्स सं.: (0191) 2472337
ई-मेल: jammu@nabard.org

झारखंड
आदिवासी कॉलेज होस्टल के सामने,
करमटोली रोड,रांची- 834001
टेली. सं.: (0651) 2361107
फैक्स सं.: (0651) 2361108
ई-मेल: ranchi@nabard.org

कर्नाटक
नाबार्ड टॉवर,
46,केम्पे गौडा रोड,बेंगलुरु- 560009
टेली. सं.: (080)22076400
फैक्स सं.: (080) 22222148
ई-मेल: bangalore@nabard.org

केरल
नाबार्ड, पुन्नेन रोड, स्टेच्यू
तिरुवनंतपुरम-695001
टेली.सं.:(0471) 2701600/ 2701700
फैक्स सं.: (0471) 2324358
ई-मेल: trivandrum@nabard.org

मध्य प्रदेश
ई-5, अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट,
भोपाल- 462016
टेली. सं.: (0755) 2464775
फैक्स सं.: (0755) 2466188
ई-मेल: bhopal@nabard.org

पंजाब
प्लॉट नं.3, सेक्टर 34-ए,
चंडीगढ़- 160022
टेली. सं.: (0172) 5046701
फैक्स सं.: (0172) 2604433
ई-मेल: chandigarh@nabard.org

मणिपुर
लाइरेन मैन्शन, दूसरी मंजिल,लाम्फेलपेट,
इम्फाल- 795004
टेली. सं.: (0385) 2416192
फैक्स सं.: (0385) 2416191
ई-मेल: imphal@nabard.org

मेघालय
`यू फेट करमीहपेन बिल्डिंग'
2 और 3 मंजिल, प्लॉट नं.28(2),
धनखेती, शिलांग-793003
टेली. सं.: (0364) 2221602, 2503499,
2501518, 2503507
फैक्स सं.: (0364) 2227463
ई-मेल:shillong@nabard.org

मिज़ोरम
रामहलुन रोड (उत्तर) बांख्वां,
आइजॉल- 796014
टेली. सं.: (0389) 2305290/
2340029/2343428
फैक्स सं.: (0389) 2340815
ई-मेल: aizawl@nabard.org

तेलंगाणा
1-1-61, आर टी सी क्रास रोड मुशीराबाद,
हैदराबाद-500 020
टेली सं (040) 27612640
फैक्स (040) 27611829
ई मेल :hyderabad@nabard.org

त्रिपुरा
शिल्पा निगम भवन, ग्राउंड फ्लोर, खेजूर
बागान, जिंजर होटल के पास.
डाक-कुंजाबन, अगरतला-799006
टेली. सं.: (0381) 2412378
फैक्स सं.: (0381) 2414125
ई-मेल:agartala@nabard.org

नैबकिसान फायनेंस लिमिटेड
(पंजीकृत कार्यालय)
द्वारा नाबार्ड,
48, महात्मा गांधी रोड, नुंगमबक्कम चैन्नै
- 600 034
टेली:(044) 28304658/ 28270138
फैक्स (044) 42138700
ई-मेल :adftchennai@gmail.com

नैबकॉन्स, नई दिल्ली नाबार्ड टॉवर,
24, राजेन्द्र प्लेस, प्रथम मंजिल,
नाबार्ड बिल्डिंग, नई दिल्ली - 110008
टेली. (011) 41539353
फैक्स (011) 415 39187
ई-मेल: nabcons@nabard.org

नई दिल्ली
नाबार्ड टॉवर, 24, राजेन्द्र प्लेस
नई दिल्ली-110008
टेली. (011) 41539353/25818707
फैक्स सं.: (011) 41539187
ई-मेल: delhi@nabard.org

ओडिशा
अंकुर, 2/1,नायपल्ली सिविक सेंटर,
भुवनेश्वर- 751015
टेली. (0674) 2553884/ 2374301/
2374302/ 2374303
फैक्स सं.: (0674) 2552019
ई-मेल:bhubaneswar@nabard.org

उत्तर प्रदेश
11,विपिन खंड,गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
टेली. (0522) 2307630/ 4005394
फैक्स सं.: (0522) 2307631
ई-मेल:lucknow@nabard.org

पश्चिम बंगाल
`अभिलाषा`,6,रॉयड स्ट्रीट,
कोलकाता- 700016
टेली. सं.: (033) 22267943
फैक्स सं.: (033) 22494507
ई-मेल: kolkata@nabard.org

कारपोरेट कार्यालय
द्वारा: नाबार्ड,
भूतल, डी विंग
नाबार्ड प्रधान कार्यालय, बान्द्रा कुर्ला
कॉम्प्लेक्स
बान्द्रा(पूर्व) मुंबई - 400 051
टेली सं. : (022) 26539514/26539493
फैक्स सं. :022 26530082
ई-मेल: nabkisan@nabard.org

राजस्थान
3, नेहरू प्लेस, टोंक रोड,
जयपुर- 302015
टेली.(0141) 2741633/ 2740821
फैक्स सं.: (0141) 2742161
ई-मेल: jaipur@nabard.org

सिक्किम
ओम निवास, चर्च रोड,गंगटोक-737101
टेली. सं.: (03592) 203015/204173
फैक्स सं.: (03592) 204062
ई-मेल: gangtok@nabard.org

तमिलनाडु
48,महात्मा गांधी रोड नुंगमबक्कम
पो.बॉ.सं.- 6074 चेन्नै- 600 034
टेली. सं.: (044) 2830 4444
फैक्स सं.: (044) 28275732
ई-मेल: chennai@nabard.org

श्रीनगर कक्ष
459, जवाहर नगर डीएवी इन्स्टीट्युट के
पीछे श्रीनगर- 190008
टेली. सं.: (0194) 2311471
फैक्स सं.: (0194) 2310479
ई-मेल: srinagar@nabard.org

उत्तराखण्ड
113/2,राजपुर रोड, होटल सनराइज बिल्डिंग
देहरादून-248 001
टेली. सं.: (0135) 2748611
फैक्स सं.: (0135) 2748610
ई-मेल: dehradun@nabard.org

प्रशिक्षण संस्थान

बोलपुर
बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान, बोलपुर
बोलपुर लॉज,
डाक बोलपुर जिला, बीरभूम- 731204
(पश्चिम बंगाल)
टेली. सं.: (03463) 253261
फैक्स सं.: (03463) 252295/258202
ई-मेल: bird.bolpur@nabard.org

लखनऊ
बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान
सेक्टर 'एच', एलडीए कालोनी, कानपुर
रोड,लखनऊ- 226012
टेली. सं.: (0522) 2421954
फैक्स सं.: (0522) 2421006
ई-मेल: bird@nabard.org

मंगलूर
बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान
वुमेन्स पॉलिटेकनिक के पीछे,
कृष्णा नगर रोड, बोंदेल,
मंगलूर- 575008
टेली. सं.: (0824) 2888501
(संयुक्त निदेशक)
फैक्स सं.: (0824) 2225835/2225844
ई-मेल: bird.mangaluru@nabard.org

राष्ट्रीय बैंक स्टाफ कालेज, (एनबीएससी),
लखनऊ
सेक्टर एच, एलडीए कालोनी कानपुर रोड,
लखनऊ - 226012
टेलीफोन: 0522-2421065
फैक्स नं 0522-2421035
ई-मेल :nbsc@nabard.org

संक्षेपाक्षर

एबीसीआई	असोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेटर्स ऑफ इंडिया
एबीएफएल	कृषि व्यवसाय वित्त लिमिटेड
एसीई	एप्रका सेंटर ऑफ एक्सिलेन्स
एडीबी	एशियाई विकास बैंक
एडीएफ़आईएपी	एसोसिएशन ऑफ डेवेलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टिट्यूशंस इन एशिया एंड द पैसिफिक
एई	अग्रिम अनुमान
एईपीएस	आधार समर्थित भुगतान प्रणाली
एएफ	एडाप्टेशन निधि
एआईबीपी	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
एआईसीआईएल	भारतीय कृषि बीमा निगम लि.
एआईडीआईएस	अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण
एएलएम	आस्ति देयता प्रबंधन
एएमआई	कृषि विपणन आधारभूत सुविधाएं
एएमएल	धन शोधन निवारण
एएमआरयूटी	कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन
एएमएस	एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज
एपीएमसी	कृषि उत्पाद विपणन समिति
एपीआरएसीए	एशिया-प्रशांत ग्रामीण और कृषि ऋण संघ
एपीएसडबल्यूसी	आंध्र प्रदेश राज्य भंडारागार निगम
एपीवाई	अटल पेंशन योजना
एएसएएमबी	असम राज्य कृषि विपणन बोर्ड
एएसपी	एप्लिकेशन सेवा प्रदाता
एडब्ल्यूसीएस	शीर्ष बुनकर सहकारी समितियां
बीसीए	बिजनेस कोरेस्पोंडेन्ट्स एजेंट
बीई	बजट अनुमान
बर्ड	बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान
बीपीएल	गरीबी रेखा के नीचे
ब्रिक्स	ब्राजील रूस भारत चीन दक्षिण अफ्रीका
बीआरएलएफ़	भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन
बीओडी	निदेशक मण्डल
सीए	नियंत्रित वायुमंडल
सीएडीडबल्यूएम	कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन
सीएजीआर	चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर
सीएएनएसए	क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क - दक्षिण एशिया
सीबी	वाणिज्य बैंक
सीबीएलओ	संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व
सीबीएस	कोर बैंकिंग समाधान
सीसीए	कृषि योग्य कमान क्षेत्र
सीसीएएफ़एस	जलवायु परिवर्तन, कृषि और खाद्य सुरक्षा
सीसीडी	कॉर्पोरेट कम्यूनिकेशन विभाग
सीसीएस	सहकारी ऋण संरचना
सीडीएफ	सहकारिता विकास निधि
सीएफएफ	महासंघों को ऋण सुविधा
सीएफ़पीआई	उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक
सीएफटी	क्लस्टर फैसिलिटेशन टीम / आतंकवाद वित्त निषेध
सीएलसीएसएस	ऋण सहबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना
सीएलएमएएस	केन्द्रीकृत ऋण प्रबंधन और लेखांकन प्रणाली
सीएमए	ऋण अनुप्रवर्तन व्यवस्था
सीपी	कमर्शियल पेपर
सीपीसीबी	सर्टीफाइड प्रोफेशनल इन कोआपरेटिव बैंकिंग
सीपीसी	केंद्रीय संसाधन केंद्र
सी-पेक	सहकारिताओं में व्यावसायिक निपुणता केंद्र
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीआरएआर	जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात
सीआरआईडीए	शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान
सीआरएमएस	सेंट्रल रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर
सीआरआरआईडी	ग्रामीण और औद्योगिक विकास में अनुसंधान के लिए केंद्र
सीएसए	जलवायु स्मार्ट कृषि
सीएसएम	सहकारी चीनी मिल
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीएसआर	कारपोरेट सामाजिक दायित्व
सीएसवी	जलवायु स्मार्ट गांव
सीटीएफसी	वित्तीय सहकारिता में प्रमाणित प्रशिक्षक
सीटीआई	सहकारिता प्रशिक्षण संस्थान
सीवीसी	केन्द्रीय सतर्कता कक्ष
सीडबल्यूई	सामान्य लिखित परीक्षा
डीएई	डायरेक्ट एक्सेस एंटीटी
डीएपी	विकास कार्य योजना
डीएवाई	दीनदयाल अंत्योदय योजना
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीसीसीबी	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
डीसीसी/डीएलसीसी	जिला स्तरीय परामर्श समिति
डीसीएमएस	डेटा संग्रह और प्रबंधन प्रणाली
डीडीएम	जिला विकास प्रबंधक
डीईडीएस	डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना
डी-एफ़एलएपी	डिजिटल वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम
डीएफ़पी	नामित फूड पार्क
डीएफ़एस	वित्तीय सेवाएं विभाग
डीएल	प्रत्यक्ष उधार / प्रत्यक्ष ऋण
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डीएसआर	डायरेक्ट सीडेड राइस
डीटीपी	जनजाति आबादी विकास
ईसीएम	एंटरप्राइज़ कंटैंट मैनेजमेंट
ईडीईजी	उद्यमशीलता विकास एवं रोजगार सृजन
ईईसी	बाह्य विशेषज्ञ समिति
ईएमवी	यूरोपे, मास्टरकार्ड और वीज़ा
ई-एनएएम	इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार
इन्स्युर	विवरणियों का इलेक्ट्रोनिक प्रस्तुतीकरण
ईपीडबल्यूआरएफ़	इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली रिसर्च फ़ाउंडेशन
एफएओ	खाद्य और कृषि संगठन
एफसीपी	कृषक क्लब कार्यक्रम
एफ़डीआई	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
एफडीआर	मीयादी जमा रसीद
एफआईएफ	वित्तीय समावेशन निधि
एफआईटीएफ	वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि
एफ़एलएपी	वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम
एफपीएफ	खाद्य प्रसंस्करण निधि
एफ़पीसी	किसान निर्माता कंपनी
एफपीओ	कृषक उत्पादक संगठन
एफएसपीएफ	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि
एफएसएस	कृषक सेवा समिति
एफ़वाई	वित्तीय वर्ष
जीसीएफ	सकल पूंजी निर्माण
जीसीएफ	ग्रीन क्लाईमेट फंड
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीएचजी	ग्रीन हाउस गैस
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीआईज़ेड	डच जेसेल्ल्श्चाफ्ट फर इंटरनेश्नल जूसम्मेनार्बेट जीएमबीएच
जीएलसी	आधार स्तरीय ऋण
जीएनपीए	सकल अनर्जक अग्रिम
जीओआई	भारत सरकार
जीओजे	झारखंड सरकार

जीपीएस	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
जीआरसी	शिकायत निवारण समिति
जीआरएसी	शिकायत निवारण अपीलीय समिति
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
जीवीए	सकल मूल्य संवर्धन
जीडबल्यू	गीगावाट
एचएएफ़ईडी	हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड
एचडीआई	मानव विकास सूचकांक
एचएच	परिवार
एचओ	प्रधान कार्यालय
एचपीसी	उच्चाधिकार प्राप्त समिति
आईबीपीएस	बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान
आईसीआरआईईआर	अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए भारतीय परिषद
आईसीटी	सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी
आईटी	सूचना प्रद्योगिकी
आईडीएसआरआर	छोटे रोमंथकों और खरगोशों का समन्वित विकास
आईएफ़डीसी	अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक विकास केंद्र
आईजीडब्ल्यूडीपी	इंडो-जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम
आईएमएफ	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईएनएम	एकीकृत पोषक प्रबंधन
आईपीसीसी	अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल
आईपीएम	एकीकृत कीट प्रबंधन
आईआरसीटीसी	भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम
आईआरवी	व्यक्तिगत ग्रामीण स्वयंसेवक
आईएसएएम	कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना
आईएसएस	ब्याज सहायता योजना
आईडबल्यूएमआई	अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान
आईडबल्यूएमपी	एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम
जेएएम	जन धन-आधार-मोबाइल
जेसीसी	संयुक्त परामर्शदात्री परिषद
जेएलजी	संयुक्त देयता समूह
जेएनएनएसएम	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन
जेएससीबी	झारखंड राज्य सहकारी बैंक
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड
केएफडब्ल्यू	क्रेडिटटान्स्टाल्ट फ़र वाडरफबू
केवीके	कृषि विज्ञान केन्द्र
केडबल्यूपी	किलोवाट पीक
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानिए
एलएसीपी	लीग ऑफ अमेरीकन कम्युनिकेशन्स प्रॉफेशनल्स
एलएएमपीएस	बड़े आकार की आदिवासी बहु-उद्देशीय समितियां
एलईडीपी	आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम
एलपीए	दीर्घावधि औसत
एलटी	दीर्घावधि
एलटीसीसीएस	दीर्घकालीन सहकारी ऋण संरचना
एलटीआईएफ़	दीर्घावधि सिंचाई निधि
एलडबल्यूई	वामपंथी उग्रवाद
एमएपी	अनुप्रवर्तन योग्य कार्ययोजना
एमसी	प्रबंध समिति
एमसीएक्स	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
एमईडीपी	लघु उद्यम विकास कार्यक्रम
एमएफ़	सीमांत किसान
एमएफ़डीईएफ़	माइक्रोफाइनांस विकास और इक्विटी फंड
एमएफ़आई	सूक्ष्म वित्त संस्था
एमएफ़पी	मेगा फूड पार्क
एमजीवीसीएल	मध्य गुजरात विद्युत कंपनी लिमिटेड
एमआईएस	प्रबंध सूचना प्रणाली
एमएमटी	मिलियन मीट्रिक टन
एमएनआरई	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमएनआरईजीएस	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमओएएफ़डबल्यू	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
एमओईएफ़ एण्ड सीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमओएफ़	वित्त मंत्रालय
एमओएफ़पीआई	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
एमओआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एमओएसपीआई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमओडबल्यूआर, आरडी और जीआर	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
एमपीएलएस	मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग
एमपीसी	मौद्रिक नीति समिति
एमएससी	बहु सेवा केन्द्र
एमएसई	सूक्ष्म और लघु उद्यम
एमएसएमई	छोटे, लघु और मध्यम उद्यम
एमएसपी	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमटीसी	मध्यावधि परिवर्तन
एमटी	मिलियन टन
एमडबल्यू	मेगावाट
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
नैबकॉन्स	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
नैबफिन्स	नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
एनएसी	राष्ट्रीय सलाहकार समिति
एनएएफ़सीसी	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि
एनएएफ़आईएस	नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण
एनएपीसीसी	जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना
एनएएफ़एससीओबी	राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड फेडरेशन
एनबीएफ़सी	गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां
एनबीएससी	राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय
एनसीडीईएक्स	राष्ट्रीय कमोडिटी और डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड
एनईआर	पूर्वोत्तर क्षेत्र
एनएफ़एसएम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
एनएफ़एस	गैर-कृषि क्षेत्र
एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन
एनआईएएम	राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान
एनआईडीए	नाबार्ड आधारभूत सुविधा विकास सहायता
एनआईई	राष्ट्रीय कार्यान्वयनकर्ता निकाय
एनएलएम	राष्ट्रीय पशुधन मिशन
एनएमओओपी	राष्ट्रीय तेलहन और ताड़ तेल मिशन
एनएमएसए	राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन
एनपीए	गैर निष्पादन आस्ति
एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनपीओएफ़	जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना
एनआरसी (एलटीओ)	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालिक परिचालन)
एनआरएलएम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एनआरएससी	राष्ट्रीय दूरसंवेदी केंद्र
एनएससीसीसी	जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय संचालन समिति
एनएसएसओ	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय
एनडबल्यूडीए	राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी
एनडबल्यूएम	राष्ट्रीय जल मिशन
एनडबल्यूआर	परक्राम्य भंडारागार रसीद
एनडबल्यूएस	नाबार्ड भण्डारागार योजना
ओबीसी	अन्य पिछड़ा वर्ग
ओएफ़पीओ	कृषीत्तर उत्पादक संघ
ओएफ़एसपीएफ़	कृषीत्तर क्षेत्र संवर्धन निधि
ओएफ़एस	कृषीत्तर क्षेत्र
ओजीटीआईपी	वैकल्पिक समूह मीयादी बीमा योजना
पीएसीएस	प्राथमिक कृषि ऋण समिति
पीएटी	कर के बाद लाभ
पीबीटी	कर पूर्व लाभ
पीसीएआरडीबी	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास
पीडीसी	पैक्स विकास कक्ष
पीई	अनंतिम अनुमान
पीएफ़ए	परियोजना सुविधा प्रदाता एजेंसी
पीआईए	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी
पीएलपी	संभाव्यता युक्त ऋण योजना
पीएमएवाई-जी	प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण
पीएमएफ़बीवाई	प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना
पीएमजेडीवाई	प्रधान मंत्री जन-धन योजना
पीएमजेजेबीवाई	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
पीएमकेबीवाई	प्रधान मंत्री कृषि बीमा योजना
पीएमकेएसवाई	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना
पीएमकेवीवाई	प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना
पीएमएमवाई	प्रधान मंत्री मुद्रा योजना
पीएमएसबीवाई	प्रधान मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना
पीओडीएफ़	उत्पादक संगठन विकास निधि
पीओ	उत्पादक संगठन
पीओपीआई	उत्पादक संगठन संवर्धन संस्था
पीओएस	पॉइंट ऑफ सेल
पीपीए	बिजली खरीद समझौता
पीपीसी	प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र
पीपीपी	सार्वजनिक निजी साझेदारी
पीआरआई	पंचायत राज संस्था
प्रोड्यूस	उत्पादक संगठन विकास और उत्थान निधि
पीएसबी	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
पीयूसीबी	प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक
पीवीसीएफ़	पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि
पीवीआई	निवारक सतर्कता निरीक्षण
पीवी	फोटो वोल्टेइक
पीडबल्यूसीएस	प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां
आरएपीआई	वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राथमिकता सूचकांक
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरसीबी	ग्रामीण सहकारी बैंक
आर एंड डी	अनुसंधान और विकास
आरडीबीएस	ग्रामीण विकास बैंकिंग सेवा
आरईडीपी	ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम
आरएफ़आई	ग्रामीण वित्तीय संस्था
आरएफ़पी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आरआईडीएफ़	ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि
आरआईएफ	ग्रामीण नवोन्मे ष निधि
आरएलपी	यथार्थपरक ऋण वितरण कार्यक्रम
आरओ	क्षेत्रीय कार्यालय
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरआरआर	पुनरूद्धार, सुधार और पुनर्गठन
आरएसए	संसाधन सहयोग एजेंसी
आरसेटी	ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एसएपीसीसी	जलवायु परिवर्तन के लिए राज्य कार्ययोजना
एसएआरएफएईएसआई (सरफेसी)	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन
एसएयूएनआई	सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई
एसबीआई	भारतीय स्टेट बैंक
एसबीएलपी	स्वयं सहायता समूह - बैंक सहबद्धता कार्यक्रम
एसबीएन	विशिष्ट बैंक नोट
एससीएआरडीबी	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्यक बैंक
एससी	अनुसूचित जाति
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
एसडीआई	कौशल विकास सहयोग
एसडीपी	कौशल विकास कार्यक्रम
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसईएफएएसयू	चीनी उपक्रमों को वित्तीयि सहायता देने की योजना
एसएफ	छोटे किसान
एसएफपी	राज्य फोकस पेपर
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसएचपीआई	स्वयं सहायता संवर्धन संस्था
एसआई	सतत गहनता
सिडबी	भारतीय लघु उदयोग विकास बैंक
एसएलबीसी	राज्य स्तरीय बैंकर समिति
एसएलसीसी	राज्य स्तरीय परामर्श समिति
एसएलडीपी	राज्य स्तरीय संस्था विकास योजना
एसएलआईसी	राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति
एसएमए	पृथक प्रबंधित खाता
एसएमएस	लघु संदेश सेवा
एसपीआईसीई	सोलर पंप इरिगेटर कॉपरेटिव इंटरप्राइज
एसपीएमआरएम	श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन
एसआरआई	धान गहनीकरण पद्धति
एसआरएलएम	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
एसआरएमबीसी	भैंस के पाड़ों का संरक्षण और पालन
सॉफ्टकॉब	सहकारी बैंकों के कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता योजना
एसपीवी	सोलर फोटोवोल्टेइक
एसएसए	उप-सेवा क्षेत्र
एससीबी	राज्य सहकारी बैंक
एसटीसीसीएस	अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना
एसटीसीआरसी	अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण
एसटी-ओएसएओ	अल्पावधि मौसमी कृषि परिचालनों से इतर
एसटीएसएओ	अल्पावधि मौसमी कृषि परिचालन
एसटी	अनुसूचित जनजाति
एसटीडब्ल्यू	उथले नलकूप
एसयूसीसी	स्टैंड-अप कनेक्ट सेंटर
एसडब्ल्यूपी	सोलर वाटर पंप
टीडीएफ	आदिवासी विकास निधि
टीई	प्रशिक्षण संस्थान
टीएसएसडीसीएल	तेलंगाणा राज्य बीज विकास निगम लि.
यूडीपी	यूरिया डीप प्लेसमेंट
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएनईपी	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
यूएनएफसीसीसी	यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लाइमेट चेंज
यूपीआई	यूनिफ़ाइड पेमेंट इंटरफेस
यूपीएनआरएम	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन अम्ब्रेला कार्यक्रम
यूएसपी	यूनिक सेलिंग पाइंट
यूएसएसडी	अंस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटरी सर्विस डाटा
यूटी	संघशासित क्षेत्र
वीसीएफ	उद्यम पूंजी निधि
वी-सैट	वेरीस्मॉल अपर्चर टर्मिनल
वीपीसी	ग्राम आयोजना समिति
वीडब्ल्यूसी	ग्राम वाटरशेड समिति
डब्ल्यूएएन	वाइड एरिया नेटवर्क
डब्ल्यूडीएफ	वाटरशेड विकास निधि
डब्ल्यूडीआरए	भंडारागार विकास और विनियमन प्राधिकरण
डब्ल्यूआईएफ	भंडारागार आधारभूत सुविधा निधि
डब्ल्यूएसएचजी	महिला स्वयं सहायता समूह
डब्ल्यूवीएम	वाटर वेंडिंग मशीन

नोट्स

नोट्स

नाबार्ड

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
प्लॉट सी-24, 'जी' ब्लॉक,
बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा(पूर्व),
मुंबई - 400 051